संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की ओर से सरकारी परिपत्रों, अधिसूचनाओं एवं संकल्पों का संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है ।

आशा है यह संग्रह विभागीय अभियंताओं एवं पदाधिकारियों को सरकारी कार्यो के निर्वहन में मार्ग–दर्शक सिद्ध होगा ।

17/9/13

(विजय कुमार चौधरी)
मंत्री,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

122

संदेश

वर्ष 2003 में सिंचाई हस्तक अनुपूरक का प्रकाशन किया गया था । दस वर्षो के उपरान्त एक अद्यतन संकलन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । अतः सिंचाई हस्तक–~~2013~~ 2014 के नाम से समय–समय पर जल संसाधन विभाग एवं अन्य विभागों से निर्गत निदेशों, परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं का संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है, जो विभागीय अभियंताओं के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में एक मार्ग–दर्शक के रूप में काम आ सके । स्थापना से संबंधित परिपत्रों, आदि को भी शामिल किया गया है, ताकि प्रोन्नति आदि मामलों में भी यह सहायक साबित हो ।

इस संग्रह की तैयारी में अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सं0–1, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय के पदाधिकारियों का अथक प्रयास प्रशंसनीय है। आशा है कि विभाग के अभियंता/पदाधिकारीगण इससे लाभान्वित होंगे ।

(अरूण ~~कुमार~~ सिंह)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

Manual File
Neem
127

सिंचाई हस्तक ~~2013~~ 2014
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

आमुख

वर्ष 2003 में सिंचाई हस्तक के नाम से परिपत्रों, संकल्पों एवं अधिसूचनाओं का संग्रह प्रकाशित किया गया था। करीब दस साल बीत जाने के बाद परिपत्रों, संकल्पों एवं अधिसूचनाओं का नया संग्रह प्रकाशित करने की आवश्यकता महसूस की गयी। इस संग्रह को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य, सरकारी सेवकों को सरकार के द्वारा लिये गये निर्णयों, नियमों एवं आदेशों को संकलित रूप में उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में सहूलियत हो सके और त्रुटियों की संभावना नहीं रहें।

प्रस्तुत संग्रह में मुख्यतः वर्ष 2003 एवं उसके बाद के परिपत्रों आदि को शामिल किया गया है। वर्ष 2003 से पूर्व के भी कुछ ऐसे अत्यावश्यक परिपत्रों एवं संकल्पों को भी शामिल किया गया है, जिनकी आवश्यकता कार्य स्थलों पर कार्य निष्पादन में तथा प्रोन्नति आदि मामलों में लगातार पड़ती रहती है । पत्रों को निर्गत तिथि के घटते क्रम में संकलित किया गया है ।

इस संग्रह में जल संसाधन विभाग, बिहार के अतिरिक्त बिहार सरकार के अन्य विभागों के परिपत्रों, संकल्पों आदि को भी समाविष्ट किया गया है, जो इस विभाग के कार्य कलाप से सम्बन्धित है।

यथासम्भव वर्ष 2003 से आज तक निर्गत सभी पत्रों को संग्रहित करने का प्रयास किया गया है, फिर भी यदि कोई महत्वपूर्ण पत्र इस संग्रह में शामिल नहीं हो पाया हो तो कृपया इसकी सूचना दी जाय ताकि अनुपूरक संस्करण में उसे शामिल किया जा सके।

इस श्रमसाध्य कार्य में योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सं0:1, पटना के श्री विपिन बिहारी मिश्र, कार्यपालक अभियंता, श्री अफसर जमाल, सहायक अभियंता एवं श्री सुजीत कुमार सिन्हा, आशुटंकक का अथक सहयोग प्राप्त हुआ है ।

आशा है सरकारी सेवकों को इस संग्रह से अधिक से अधिक लाभ पहुँचेगा।

(इन्दुभूषण कुमार)
अधीक्षण अभियंता

सिंचाई हस्तक-2014

(अधिसूचना, परिपत्र, संकल्प आदि का संग्रह)

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	विभाग	पत्र का स्वरूप	पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
1	2	3	4	5	6	7
	(1) योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित					
1	योजना एवं गैर योजना मद के प्रस्ताव के संलेख प्रारूप विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा अनुमोदित किये जाने के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार पटना।	कार्यालय आदेश	1/पी0एम0सी0–629/2003–589	04.07.2013	2
2	मंत्रि परिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख भेजे जाने के संबंध में।	मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार सरकार, पटना	आदेश	सं0–मं0मं0–01/आर0–14/2008–733 सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग पटना का ज्ञापांक–1/स्था0वि0–/28–13/09–3386 दिनांक–22.06.2010	20.07.2010	3
3	योजना एवं गैर योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना ।	संकल्प	ज्ञापांक–एम0 4–53/2007 96 वि0 (2), पटना।	03.01.2008	4
4	केन्द्रीय सहायता (AIBP) के तहत कार्यान्वयनाधीन वृहत एवं बहुउद्देशीय सिंचाई योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर केन्द्रीय जल आयोग/योजना आयोग को सहमति प्रदान करने हेतु समर्पित करने के लिए जाँचोपरान्त अनुशंसा देने के निमित्त स्थायी समिति का गठन।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	अधिसूचना	संचिका संख्या–मो0–2(8)– 54/2000– 954, पटना	13.06.2007	10
5	मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख एवं प्रेस नोट भेजने के संबंध मे।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	सी0एस0–1ए0–1–107/99–1647	11.9.2006	12
6	मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले संलेख के साथ एक "प्रेस नोट" भेजने के संबंध मे।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।	पत्र	सी0 सी0(03)–01/2006–1301	21.07.2006	13
	(2) निविदा आमंत्रण एवं निस्तार					
1	दो करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के SBD के आधार पर प्राप्त निविदा के मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप के संदर्भ में clarification	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	1/पी0एम0सी0/विविध/629/2003–131	03.02.2014	16

2	जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन की पद्धति को सुदृढ़ एवं कारगर बनाने के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार, सरकार, पटना	पत्र	1/पी0एम0सी0/विविध/629/2003–130	03.02.2014	17
3	राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में ।	पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार, पटना	संकल्प	प्र0–6/नियम–03–04/02(फोल्डर)–6614 (S)	16.08.2013	18
4	जल विज्ञान निदेशालय, पटना के अधीनस्थ प्रमंडलों को मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, पटना के नियंत्रणाधीन किये जाने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग बिहार सरकार, पटना	आदेश	सं05/का0क्षे0–10–03/1930/–1930	18.07.2013	20
5	दो करोड़ रूपये एवं दो करोड़ रूप्ये से कम लागत वाले कार्यों के लिए Pre-Qualification हेतु मापदंड।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी0/629/2003–528	13.06.2013	21
6	बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम– 292, 293 एवं 294 के अनुसार परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन एवं प्रावैधिक स्वीकृति के संबंध में दिशा–निर्देश	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी0/629/2003–529	13.06.2013	22
7	अतिरिक्त मद के अंतर्गत कार्य कराने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी0/629/2003–530	13.06.2013	23
8	निविदा आमंत्रण सूचना के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी0/629/2003–531	13.06.2013	24
9	निविदा आमंत्रण हेतू ग्रूप निर्धारण के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी0/629/2003–532	13.06.2013	25
10	आमत्रित निविदा का वित्तीय बिड खोलने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी0/629/2003–533	13.06.2013	26
11	बाढ़ सुरक्षात्मक/बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए समय वृद्धि के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी0/629/2003–534	13.06.2013	27
12	क्षेत्रीय स्तर पर निष्पादित निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्रों के निस्तार के संबध में निर्गत दिशा निदेश में संशोधन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी0/विविध/629/2003–535	13.06.2013	27
13	दो करोड़ रूप्ये से अधिक लागत वाले कार्यों के एस0बी0डी0 के आधार पर प्राप्त निविदा के तकनीकी बिड के निष्पादन हेतु निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी0/विविध/629/2003–536 अनु0– परिशिष्ट–1,2,3	13.06.2013	29
14	निविदित दर की न्यूनतम सीमा के संबंध में ।	निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग, बिहार सरकार, पटना ।	पत्र	1/स्था0–10/2013–363 त0प0को0 अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग का ज्ञापांक 382 दि0 29.04.2013	11.04.2013	31
15	e-Tendering/e-Procurement प्रणाली में निविदा प्रपत्र का मूल्य, बिड प्रोसेसिंग फीस एवं अग्रधन की	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	07/सू0 प्रा0–/191/2010–441, अवर सचिव, कमांड क्षेत्र विकाश निदेशालय, जल	08.04.2013	33

	राशि e-Payment विधि से प्राप्त किये जाने के संबंध मे।			संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक–277 दिनांक–15.04.2013		
16	निविदा विस्तार में नियमों के अनुपालन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	अभियंता प्रमुख (मध्य) का ज्ञापांक 13 (मध्य), पटना	31.01.2013	43
17	रॉयल्टी मद में कटौती की गयी राशि के साथ व्यवहृत खनिजों की विवरणी भेजने के संबंध मे।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी0/विविध/812/2009–भाग–1–1000	21.12.2012	44
18	पथ कार्य के निविदा शर्त्त में संशोधन के संबंध में ।	पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार, पटना	पत्र	प्र0–6/द0बि0नियम–03–02/2004–11960द्ध अभियंता प्रमुख(मध्य), जल संसाधन विभाग का ज्ञापांक 997 दि0 20.12.2012	12.11.2012	45
19	राज्य में चालू कबिस्तानों की घेराबन्दी योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्राणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियंताओं को कार्यकारी एजेन्सी नामित करने एवं जिला पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंताओं को योजनाओं की क्रमशः प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में।	योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।	संकल्प	प्रधान सचिव का ज्ञापांक– मो0 03/मु0 क्षे0वि0यो0–37/2012–4511/यो0 वि0, पटना।	9.11.2012	47
20	स्वामित्व मद में कटौती की गई राशि के साथ व्यवहृत खनिजों की विवरणी भेजने के संबंध में।	खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	सी0सी0–1056/11–2860/एम0 पटना अनु0–1, S.O. NO. 250 dated 27/01/2012 2. S.O. NO. 245 dated 27/01/2012 3. S.O. NO. 244 dated 27/01/2012	19.10.2012	49
21	Standard Bidding Document आधारित निविदाओं में joint venture के रूप में भाग लेने हेतु joint venture के शर्तों के उपबन्ध के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	प्रा0–6/नियम–02/2010– 8131(s) अनु0–Format for joint venture Agreement	24.07.2012	64
22	समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नियमानुसार करने के संबंध में।	निगरानी विभाग, सूचना भवन, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	परि/भवन–07/2012–3525	11.06.2012	76
23	SBD के Instruction to bidders (ITB) की कंडिका–4.5 (A)(C) के प्रावधानों के अंतर्गत वांछित कार्यानुभव (Experience in Terms of Quantities) हेतु सदृश कार्यानुभव के निर्धारण के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	1/पी0एम0सी0/ई–टेन्डरिंग/818/2009–81	02.02.2012	78

24	बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 तथा पत्र संख्या–13211/अनु0– दिनांक–16.10.2008 में संशोधन के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना	अधिसूचना	प्रा0–6/नियम–03–04/2002– 13589 (s) अनु0–आदेश (स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी–04 में जिलावार निबंधन के संबंध में)	13.12.2011	80
25	मानक निविदा अभिलेख (एस0बी0डी0) की कंडिका–3.3 एवं कंडिका–4.8 के अनुपालन हेतु निर्धारित प्रक्रिया।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	अ0प्र0(मध्य)–एस0बी0डी0–08/2011–141/मध्य	25.11.2011	84
26	बिहार पब्लिक वर्कस कंट्रैक्ट डिसपुट आरविट्रेशन ट्रिब्यूनल बिहार, पटना के समक्ष जल संसाधन विभाग के वादों की पैरवी हेतु विद्वान अधिवक्ताओं के बीच वादों का बंटवारा।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	10/विविध–4/11–2233	18.11.2011	86
27	SBD के ITB की कंडिका–4.5 B&C के संबध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	प्र0–6/द0वि0नियम–03–08/2006 (अंश)–2676	30.05.2011	89
28	SBD की कंडिका–4.8 के अनुपालन के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	प्रा0–6/विविध–12/03 – 3407(s)	18.03.2011	90
29	SBD के कतिपय प्रावधान के clarification के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	रं0–प्र0–6/1/बी0–12/2003– 3740(E)	08.09.2010	91
30	SBD के कतिपय प्रावधान के clarification के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	प्र0–6/बी0–12/2003 – 3376(E)	17.08.2010	92
31	बिहार मुल्य वर्द्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–41 एवं नियमावली के नियम–29 के तहत संविदा कार्य पर कटौती से संबंधित माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय।	वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	पत्रांक–3वि0उ0प0–2–60/2008–3160	15.07.2010	96
32	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	पत्र	पत्रांक–बाढ़(मो0)सि0–30/10–1257	06.05.2010	98
33	लोक निर्माण के कार्य हेतु निर्धारित एस0बी0डी0 मे संशोधन के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	प्र0–6विविध–16/2010 – 4879(s)	05.04.2010	101
34	बिहार लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण नियमावली–2009।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना	अधिसूचना	प्र0–6/नियम/07/2008–14470 (s)	09.12.2009	105
35	Standard Bidding Document में निहित Clause of Contract के Clause -1A के प्रावधान में संशोधन किये जाने के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	प्र0–6 निविदा–150/08/11172(s)	08.10.2009	111
36	संवेदकों द्वारा आंवटित कार्य के निष्पादन में विलंब किये जाने अथवा समय के अनुपात में कार्य नहीं करने अथवा कार्य लंबित रखने की स्थिति में उन्हें अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	प्र0–6/विविध (कार्य)–66/2009–2366 (s)	06.07.2009	113

37	संवेदक द्वारा आवंटित कार्य को प्रारम्भ नहीं करने अथवा अधूरा छोड़ने अथवा पूरा करने में अतिशय विलम्ब करने के कारण निविदा से वंचित किये जाने के संबंध में ।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	प्र0–6 / द0वि0–नियम–03– 2 / 2004–3719(s)	20.04.2009	114
38	एक करोड़ रूपये एवं इसके उपर के कार्यों के निविदा(एस0बी0डी0) के आधार पर प्राप्त निविदा के तकनीकी बिड के निश्पादन हेतु विभागीय मार्ग निर्देश।	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	पत्र	1 / पी0एम0सी0 / विविध / 629 / 2003–335	06.03.2009	116
39	विभागीय पत्रांक मो0–4–कार्य–10–1217 / 98–1148 पटना दिनांक 11.10.1999 को निरस्त किये जाने के संबंध में । (मजदूरों पर आधारित मिट्टी कार्य के अनुरूप राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी कार्य का दर अनुमोदन के संबंध में)	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।	पत्र	यो0मो0–4–कार्य–10–11 15 / 97–1883 एवं प्रसंगाधीन पत्र अनु0–1 गंडक सेल / 4–10 / 2005 / – 53 दिनांक 12.03.2007 अनु0–2 Report of committee constituted vide WRD-GOB letter no.-GC/ vividh -(4) – 10/2003- 133 dated-07.07.2006 अनु0–3 गंडक पुन0 सेल (5)–4 / 2006–31 दि0 13.02.2007 अनु0–4 पथ निर्माण विभाग का पत्रांक–प्र0–06 / नियम–03–06 / 2006–6762(एस) दिनांक 30.06.2006	26.12.2008	120
40	जल संसाधन विभाग के एक करोड़ से दो करोड़ रूपये तक की लागत वाले कार्यों की निविदा (तकनीकी बिड) में प्री–क्वालीफिकेशन के लिए मापदंड।	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	पत्र	1 / पी0एम0सी0 / विविध / 629 / 2003–2374	26.12.2008	137
41	राज्य के किसी एक विभाग के द्वारा कालीकृत / दंडित किये गये ठिकेदार को दूसरे विभाग में कार्य से वंचित किये जाने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	अधिसूचना	पत्रसं0–11 / अन्य विविध–44 / 08–3167 अनु0–1.पथ निर्माण विभाग का पत्रांक–प्र0–6 / नियम–03–04 / 02–13211(s) दिनांक.16.10.2008 अनु0–2.पथ निर्माण विभाग का पत्रांक– प्र0–06 / नियम–03–04 / 2002–5737 दिनांक. 07. 05.2007	12.11.2008	138
42	कार्य विभागों में 2.00 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में एस0बी0डी0 लागू करने के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।	संकल्प	प्र0–06 / नियम–02 / 08 –3451(s)	12.05.2008	147

43	F2 एकरारनामा के अंतर्गत निविदाओं में Bitumen Price Neutralisation को लागू किये जाने के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।	संकल्प	प्र0–06/नियम–02/08–3943(s)	18.03.2008	148
44	राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।	संकल्प	प्र0–06/नियम/03–03/2001–1399(s) सरकार के संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक–11/विविध–31/08–1270 दिनांक–28.04.2008	31.01.2008	151
45	बिहार ठिकेदारी नियमावली–2007 के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	प्र0–06/नियम/03–04/02– फोल्डर/326(s)	22.01.2008	156
46	दिनांक–01.10.2007 को जारी अनुसूचित दर पुस्तिका के प्रावधानों के विरूद्ध कतिपय आवश्यक मार्ग निर्देश	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	पत्र सं0–370 अनु0–1 अनुसूचित दर निर्धारण समिति संह अभियंता प्रमुख (मध्य) का प्रस्तावना दिनांक 1.10.2007 अनु0–2 दिनांक 07.02.2007 को संयोजक सह आयुक्त एवं सचिव पथ निर्माण विभाग पटना की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–13 दिनांक 13.02.2007	01.11.2007	157
47	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार अनुसूचित दर पर राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 06.09.2007 की बैठक में लिये गये निर्णय का प्रेषण।	पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार पटना	पत्र	मू0नि0(पथ)22/07–108 (अनु0) अनु0–जल संसाधन विभाग, पटना के प्रस्तावित अनुसूचित दर पर राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 6.9.07 कि बैठक में लिया गया निर्णय ।	19.09.2007	166
48	पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1399 (एस) दिनांक– 31.01.2008 तथा अधिसूचना ज्ञापांक–13590 (एस) दिनांक– 13.12.2011 द्वारा अधिसूचित सरकार के निर्णय के अनुपालन के संबंध में । (अनियोजित अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।)	पथ निर्माण विभाग, पटना	पत्र	प्र0–6/नियम–03–04/02 (फोल्डर) 4144 (E) अभियंता प्रमुख(मध्य) जल संसाधन विभाग का ज्ञापांक–598, दिनांक–14.08.2012	10.07.2012	172
	Standard Bidding Document के आधार पर प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	प्र0–04/द0बि0–नियम–03–08/06 अंश–2106(s)	21.01.2007	174

50	राज्य के बाहर निर्गत बैंक गारंटी के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	प्र0–04 / द0बि0–नियम–03–08 / 04 अंश–3518(E)	28.11.2006	175
51	परिमाण विपत्र के किसी मद की मात्रा 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की जॉच हेतु समिति का गठन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	आदेश	आ0सं0मो04–कार्य0पी0 404 / 03–1034	21.09.2006	176
52	कार्य विभागों के लिए एस0बी0डी0 (यथा अनुलग्नक–1) को अनुमोदित करते हुए वर्तमान में प्रयुक्त F2 एकरारनामा प्रपत्र के बदले रूपयें में पॉच करोड़ से अधिक के लागत वाली परियोजनाओं हेतु इसे लागू करने के संबंध में।	पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।	संकल्प	1 / वि0–12 / 2003–9545(s)	12.08.206	177
53	अल्पकालीन / अल्पकालीन कार्यों के लिए निविदा सूचना के प्रकाशन के संबंध में।	मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	पत्रांक–पी0एम0सी0–2 (5) 09 / 05– 1482	13.07.2006	181
54	एक करोड़ से उपर के कार्यों में Joint Venture (संयुक्त उपक्रम) के क्रम में अतिरिक्त शर्तें।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	पी0एम0सी0–2–(1)मोति –54 / 2002 पार्ट–iii –गंडक सेल–86	04.05.2006	182
55	सरकारी क्रय में क्रयादेश देने से पहले वाणिज्य कर विभाग में निबंधन की बाध्यता।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	एम.4 35 / 2002 (खंड) अभियंता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक–सं0–11 / विविध–1–170 08 / 2005–. 68– दि0 2.3.2006	–	181
56	Bihar Enlistment of Contractors Rules-1992 की कंडिका–15 एवं 16 का अनुपालन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1 / पी0एम0सी / विविध / 629 / 2003–33(GC)	10.02.2006	185
57	प्री क्वालीफिके न के लिए मापदंड के क्रम में स्थिति स्पश्ट करने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1 / पी0एम0सी / विविध / 629 / 2003–34(GC)	10.02.2006	186
58	कार्य ठेकेदारों द्वारा आपूरित / व्यवहृत खनिजों के विरूद्ध विपत्र के साथ प्रपत्र एम0 और प्रपत्र एन0 समर्पित करने की अनिवार्यता के संबंध में।	खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	पत्रांक–136 / एम0–पटना अभियंता प्रमुख (उत्तर,) जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक–314दिनांक 15.02.06	18.01.2006	188
59	एक करोड़ से कम लागत वाले कार्यों के लिए प्री–क्वालीफिकेशन के लिए मापदंड।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1 / पी0एम0सी / विविध / 629 / 2003–90	16.01.2006	189
60	निविदा आमंत्रण लिफाफे में द्वि लिफाफा पद्धति का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1 / पी0एम0सी / विविध / 629 / 2003–1979	08.12.2005	190
61	जल संसाधन विभाग में एक करोड रूपये से अधिक राशि की निविदा में सदृश्य कार्यों की परिभाषा के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1 / पी0एम0सी / विविध / 629 / 2003–796	24.05.2005	191
62	जल संसाधन विभाग में एक करोड रूपये से अधिक राशि की निविदा में सदृश्य कार्यों की परिभाषा के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1 / पी0एम0सी / विविध / 629 / 2003–534	09.04.2005	192

63	जल संसाधन विभाग में एक करोड रूपये से अधिक राशि की निविदा में सदृश्य कार्यों की परिभाषा के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी/विविध/629/2003–122	02.02.2005	193
64	निर्देशक क्रय एवं परिवहन की सभी संचिकाएं विभाग अध्यक्ष की हैसियत से अभियंता प्रमुख, आन्तरिक सलाहकार की हैसियत में संयुक्त सचिव के माध्यम से ही आयुक्त एवं सचिव के समक्ष उपस्थापित किये जाने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	कार्यालय आदेश	पत्रांक–13/1C पटना	18.01.2005	194
65	जल संसाधन विभाग में राज्य के बाहर ख्याति प्राप्त संवेदक/कंपनी को विभागीय निविदाओं में भाग लेने हेतु विशेष दिशा निर्देश में आंशिक संशोधन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी/विविध/629/2003–01	01.01.2005	195
66	एक करोड़ से अधिक राशि की निविदा निष्पादन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी/विविध/629/2003–2312	30.10.2004	197
67	जल संसाधन विभाग में राज्य के बाहर ख्याति प्राप्त संवेदक/कंपनी को विभागीय निविदाओं में भाग लेने हेतु विशेष दिशा निर्देश में आंशिक संशोधन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी/विविध/629/2003–2187	08.10.2004	198
68	जल संसाधन विभाग में राज्य के बाहर ख्याति प्राप्त संवेदक/कंपनी को विभागीय निविदाओं में भाग लेने हेतु विशेष दिशा निर्देश में आंशिक संशोधन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी/विविध/629/2003–1840 अनु0–मानक निविदा सूचना का प्ररूप	31.08.2004	199
69	एकरारनामा की शर्तों के अनुरूप विभागीय हित में कार्रवाई करने तथा निर्माण कार्यों के लिए अवधि विस्तार के स्वीकृति के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	मो0–4–कार्य–वि0–1497/2001–1749	09.08.2004	204
70	जल संसाधन विभाग में राज्य के बाहर ख्याति प्राप्त संवेदक/कंपनी को विभागीय निविदाओं में भाग लेने हेतु विशेष दिशा निर्देश में आंशिक संशोधन ।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी/विविध/629/2003–931	07.05.2004	205
71	दो लिफाफे वाले निविदाओं के निष्पादन की प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	बाढ(मो0)सि0–निविदा–02/2003 (अंश)–493 अनु0–निविदा सूचना प्रमाण पत्र का प्रारूप	14.02.2004	206
72	विभाग के स्तर पर निविदा समिति के विचारार्थ निविदादाताओं से दर वार्ता नहीं करने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	बाढ(मो0)सि0–38/2003–475	12.02.2004	204
73	संवेदक/फर्म/कंपनी द्वारा समर्पित निविदा को मान्यता देने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	11/विविध/5–21006/03–689	11.02.2004	210
74	निविदा के मामले में चरित्र प्रमाण–पत्र के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	सं0–11/मुक–4–14006/03–139 अनु0–घोषण पत्र का प्रारूप	15.01.2004	211

75	जल संसाधन विभाग में राज्य के बाहर के ख्याति प्राप्त संवेदक/कंपनी को विभागीय निविदाओं में भाग लेने हेतु विशेष दिशा निर्देश।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना का पत्र संख्या–2436	13.09.2003	212
76	संवेदकों/एजेंसियों को आवंटित कार्य समय पर पूरा नहीं करने पर अवधि विस्तार करने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	मो0–2–सिवान(टेन्डर)60/2001– 2252	26.08.2003	214
	(3) योजनाओ का कार्यान्वयन, समय वृद्धि, सिंचाई आदि					
1	दायित्व समिति की कार्य प्रणाली एवं लंबित दायित्व के भुगतान के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	बाढ़(मो0)सि0वि0–70/12– 575–3340	13.12.2013	216
2	जल संसाधन विभाग में आवश्यकतानुसार भाड़े पर निजी वाहन लिये जाने हेतु दर निर्धारण के संबंध में !	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	रोकड़ शाखा/वाहन–1–05/2008–5648 अनु0–1.पत्रांक–शाखा/वाहन–1–05/2008–5648 दिनांक 25.10.2013 2. 26.08.2013 को विभागीय क्रय समिति एवं वाहन एजेन्सी/वाहन मालिकों से सहमति प्राप्त करने हेतु बैठक की कार्यवाही !	25.10.2013	218
3	नहरो पर हुए अतिक्रमन को हटाने तथा नहर बाँधों को असामाजिक तत्वों द्वारा काटे जाने/क्षतिग्रस्त किये जाने के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	मो0–2 वीरपुर/पूर्णियाँ (विविध)–04/2013–939	29.07.2013	220
4	नहर बाँधों पर हो रहे टूटान के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	मो0–2/विविध–158/2001–भाग–1 –849	11.07.2013	221
5	सहभागिता सिंचाई कार्यक्रम के सफल संचालन के उद्देश्य के लिए सलाहकार समिति का गठन ।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	अधिसूचना	सिं–को0–177/2010–280	05.06.2013	222
6	वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में आधरभूत संरचना के विकास हेतु सरकारी विभागों द्वारा वन भूमि पर कराये जाने वाले जनोपयोगी विकास कार्यों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के तहत 5.00 हे0 वन भूमि के अपयोजन की समान्य स्वीकृति के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	1/पी0एम0सी0/विविध/877/ 2012–437 अनु0–1. पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक -सं0– वन भूमि 6/2011–235 (E)/प0व0 दिनांक 2.05.13 अनु0–2. Ministry of Home Affairs (Naxals-Management Division), New Delhi, Govt. of India का पत्रांक– No.-18015/54/2010-NM-iv, New Delhi दिनांक - 10.04.2013	20.05.2013	225

				अनु0–3. Govt. of India Ministry of Environment and Forest(Fc) Division का पत्रांक– F.No.-11-9/98 दिनांक–10.12.2012 अनु0–4. पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक– वन भूमि 24/2012–474 दिनांक 30.08.2012		
7	नहर एवं नदी तटबंध के बाहरी स्लोप पर वृक्षारोपण के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	1/पी0एम0सी0/विविध/907/ 2012–317	08.04.2013	241
8	दायित्व समिति की कार्य प्रणाली एवं लंबित दायित्व के भुगतान के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	बाढ़ (मो0)सि0वि0–70/12–575	20.03.2013	243
9	गुण नियंत्रण से संबंधित।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	आदेश	1/पी0एम0सी0/विविध/484/ 2000 पार्ट–ii, 20	04.01.2013	245
10	गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से संबंधित जॉच उपकरणों के क्रय के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	आदेश	1/पी0एम0सी0/विविध/484/ 2000 पार्ट– ii, 24	04.01.2013	246
11	Ehancement of power of the state government for the sanction flood control, drainage and water logging scheme.	Planing Commission, New Delhi	पत्र	No.16(12)/1/2003-WR	29.06.2012	247
12	नदियों के विभिन्न पारामीटरों के निर्धारण के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	आदेश	पत्रांक–बाढ़(मो0)सि0वि0–45–06/(अंश–2)–848, पटना	26.03.2012	254
13	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सड़कों के निर्माण, उन्नयन, रख–रखाव, जीर्णोद्धार आदि की जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग को सौंपने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	1/पी0एम0सी0/विविध/812/2009–299 अनु0–ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक मु0अ0–4–PMGSY–5–1220/09–5385 दिनांक 28.8.2009	31.03.2011	256
14	जल संसाधन विभाग के अधीन नहर पुनर्स्थापन, बाढ़ नियंत्रण, बाँध सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु मनरेगा की योजना से कार्य कराने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	पत्रांक–बाढ़(मो0)सि0वि0–01/2011/600. पटना .	08.03.2011	259
15	प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्य एवं बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	बाढ़(मो0)सि0–101/87 – अंश–iv–2726	11.12.2010	260
16	डी0पी0आर0 कोषांग पटना को "बाढ़ प्रबंधन सूचना सुधार निदेशालय पटना" के रूप में नामित किये जाने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	अधिसूचना	5/डी0–4–10–01/2007 (खण्ड–II/2010)–1039	30.06.2010	261

17	बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोड़ में प्रत्येक योजनाओं की लागत का 1% (एक प्रतिशत) सेस के रूप में जमा करने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	पत्रांक–1/पी0एम0सी0/विविध/805/2008–600, पटना	22.06.2010	262
18	जल संसाधन विभाग के अर्न्तगत योजनाओं का सर्वेक्षण एवं विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	अधिसूचना	संख्या–5/डी0–4–10–01/07–551 अभियंता प्रमुख (मध्य) पटना– का ज्ञापांक–10/मध्य– पटना। दिनांक–04.05.2010	29.03.2010	263
19	निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ कुल निर्माण लागत का 1%(Cess) उपकर जमा करने के संबंध में।	श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	संचिका सं0–बी0सी0डब्लू0सी0–01/2009, श्र0सं0–35	05.01.2010	270
20	आगामी बाढ़ वर्ष 2010 के पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्य एवं बाढ़ संघर्शात्मक कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	बाढ(मो0)सिं0–101/87 – अंश–iv –2323	26.09.2009	273
21	नरेगा से कराये जाने वाले कार्यों के अनुश्रवण हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	आदेश	ज्ञापांक– गंडक पुर्नस्थापन सेल/विविध (5)7/2007 पार्ट–ii, 525, पटना	21.08.2009	274
22	जल संसाधन विभाग के नहरों पर पक्की सड़क का निर्माण के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	गंडक सेल/कार्यक्रम–(2)–2/ 2005–224	22.11.2007	280
23	राजस्व एवं भूमि सुधार के अंतर्गत स्थित सभी जमींदारी बाँधों के रख–रखाव एवं मरम्मति का कार्य जल संसाधन विभाग को स्थानांतरण के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	बढ़ (मो0) सिं0 वि0–03/2006–442	10.02.2006	281
24	राजस्व एवं भूमि सुधार के अंतर्गत स्थित सभी जमींदारी बाँध के रख– रखाव एवं मरम्मति का कार्य जलं संसाधन विभाग को स्थानांतरण के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	बाढ़(मो0) सिं0 वि0–03/2006–443	10.02.2006	282
25	राजस्व एवं भूमि सुधार के अंतर्गत स्थित सभी जमींदारी बाँध के रख–रखाव एवं मरम्मति का कार्य जलं संसाधन विभाग को स्थानांतरण के संबंध में।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	9/सी0 जमीदारी बाँध–05 /06–94	02.02.2006	283
26	निर्माण कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय स्वामित्व की कटौती के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक– 1534	21.12.2005	284
27	लघु खनिजों पर Royalty की कटौती के संबंध में।	महालेखाकार(कार्य), पटना	पत्र	अर्द्ध सरकारी पत्रांक–कार्य –1/20/05–06/1170	12.12.2005	285
28	आगामी बाढ के दौरान तटबंधों की सुरक्षा एवं सुचनाओं के प्रेषण के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	बाढ–(मो0सिं0–11/2005–1174	24.05.2005	286
29	निर्माण कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय स्वामित्व की कटौती के संबंध में।	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	1/अ0प्र0–12–01/2005–605	12.03.2005	297

30	प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पूर्व प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों एवं बाढ़ की अवधि में कराये जाने वाले बाढ़ संघषात्मक कार्यों के संबंध में अनुदेश एवं "बाढ़ तिथिक्रम" का प्रेषण।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	बाढ़ (मो0) सिं0–वि0–36/2002–2508 अनु0– Flood Calender	11.10.2004	299
	(3) (क) दायित्व संबंधी मामलों के निष्पादन के संबंध में					
1	दायित्व संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु समिति का गठन ।	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।	कार्यालय आदेश	बाढ़ (मो) सिं0वि0–70/12–576	20.3.13	306
2	न्यायालय से संबंधित दायित्व के मामले का निष्पादन ।	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	पत्र	विशेष सचिव का पत्रांक– 578 अधीक्षण अभियन्ता उड़नदस्ता अंचल–2, पटना का ज्ञापांक– 1584, दिनांक– 14.7.2010	13.7.2000	307
3	दायित्व समिति का कार्यकाल विस्तार के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	पत्र	गो0 कार्य/10–789/92–832	8.9.1995	308
4	राज्य के विभागीय योजनाओं के दायित्व संबंधी मामलों के निष्पादन हेतु प्रत्येक मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र में गठित समितियों के कार्यकाल के विस्तार के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	पत्र	मो04–कार्य–10–789/92–1233	28.10.94	309
5	राज्य के विभिन्न योजनाओं के दायित्व संबंधी मामलों के निष्पादन हेतु प्रत्येक मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र में गठित समितियों के कार्यकाल के विस्तार के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	पत्र	मो0–2/बैठक–1964/94–31	11.1.1995	311
6	योजनाओं में दायित्व संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र के लिए समिति का गठन।	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	कार्यालय आदेश	मो0 16–9/90–230	7.3.1992	313
	(4) भू–अर्जन					
1	जल संसाधन विभाग की योजनाओं के लिए भू–अर्जन हेतु अधियाचनायें जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को भेजने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	पत्र. सं0–17/भू0–04–01/13–466	4.03.2013	316
2	भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विभिन्न चरणों पर की जाने वाली कार्यवाही तथा अर्जनाधीन/अर्जित भूमि मुआवजा भुगतान हेतु समय सीमा निर्धारण के संबंध में।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू–अर्जन निदेशालय)	पत्र	पत्रांक–15/डी0एल0ए0 नीति(मुआवजाभुगतान)–07/ 2010– 2635 अनु0–भू–अर्जन (सम्पूर्ण प्रक्रिया)	8.11.2012	318
3	बिहार भू–अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2007 के अन्तर्गत स्वेच्छा से भूमि देने के संबंध में	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू–अर्जन निदेशालय) बिहार सरकार, पटना	पत्र	15/डी.एल.ए.नीति (पुनर्वास)–07/2008–803/रा0	22.05.2008	323
4	जल ससाधन विभाग के अन्तर्गत बागमति तटबंध/बाँध विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार, सरकार, पटना।	संकल्प	ज्ञापांक–17/पू0–5–12 / 98–2391	31.03.2008	325

5	बिहार भू–अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनर्वास नीति–2007 के अर्न्तगत स्वेच्छा से भूमि देने के संबंध में।	राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग (भू–अर्जन निदेशालय), बिहार सरकार, पटना।	पत्र	15/डी0एल0ए0 नीति (पुर्नवास)– 07/2006–1455/रा0	21.06.2007	327
6	मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियों को भू–अर्जन अधिनियम के अर्न्तगत मुआवजा के भुगतानार्थ उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।	राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग (भू–अर्जन निदेशालय), बिहार सरकार, पटना।	पत्र	15/डी0एल0ए0 नीति – 04/04–1456/रा0 निदेशक भु–अर्जन एवं पुर्नवास, जल संसाधन विभाग का ज्ञापांक–17/विविध –11–04/2006–2599 दिनांक– 23.07.2007	21.06.2007	328
7	बिहार भू–अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनर्वास नीति–2007	भूमि सुधार आयुक्त सह आयुक्त एवं सचिव, बिहार सरकार, पटना ।	संकल्प	ज्ञापांक–15/डी0 एल0ए0 नीति (पुनर्वास) 07/06–395/रा0 निदेशक, भु–अर्जन एवं पुर्नवास, जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक–17/विविध –11–04/2006–515 दिनांक–26.02.07	19.02.2007	330
			(5) स्थापना			
1	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियों के सेवान्त लाभ के भुगतान के पूर्व बकाया रहित प्रमाण–पत्र की मांग किये जाने के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।	पत्र	पत्रांक– 5/पी0–2–20–9/2013–2727	25.10.2013	334
2	जल संसाधन विभाग, बिहार के अभियंत्रण समवर्ग के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिए कार्यकारी प्रभार समिति के गठन के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।	आदेश	ज्ञापांक–5/पी01–10–04/ 2013–1932 अनु0– 1–शुद्धि पत्र ज्ञापांक 1094 दिनांक 10.08.09 संयुक्त सचिव प्रबंधन । 2–शुद्धि पत्र–5/पी0–1–10–14/2001–1368 जल संसाधन विभाग, पटना – दिनांक 6.06.2008 3–संकल्प–5/पी–1–10 – 14/2001 जल संसाधन विभाग, पटना–6205 दिनांक 30.07.2003 4–बिहार बजट संख्या–47 दिनांक 29.11.1990, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का संकल्प सं0 315 दिनांक 05.02.1990 5–अधिसूचना कामिक एवं प्रशासनिक विभाग	22.07.2013	336

				का पत्रांक–7 / पी0एम0सी0 –708 / 98– 2950 दिनांक 09.05.2003			
3	ए0सी0पी0 के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मियों को एम0ए0सी0पी0एस0 2010 के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए कालावधि के संबंध में।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	3–ए–2वे0पु0–18 / 2009 (अंश)–5152–वि0	21.05.2013	343	343
4	संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	संकल्प	ज्ञापांक–3 / एम0–63 / 2012 (खंड) सा0प्र0 8025 / पटना सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक– 01 / स्था0वि0 –28–02 / 2012–3300	21.5.2013	345	345
5	प्रवेश वेतनमान PB-2+4800 ग्रेड पे में नियुक्ति के उपरांत 4 वर्षों की सेवा पुरी करने पर PB–3+5400 ग्रेड पे में उत्क्रमण एम0ए0सी0पी0एस0, 2010 के तहत वित्तीय उन्नयन माने जाने के संबंध में।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	3–ए–2 वो0 पू0–18 / 2009 (अंश)– 5153 वि0	21.05.2013	347	347
6	राज्य कर्मियों के निलम्बन के पश्चात् पुनः स्थापित किए जाने वर सेवा का निरूपण तथा वेतन–भत्ता की अनुमान्यता आदि के विनिश्चय की प्रक्रिया के संबंध में।	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	3 / एम0–91 / 2011–सा 0प्र0–7876 सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक– 01 / स्था0– वि0–28–02 / 2013–3301 दिनांक–18.06.2013	20.05.2013	349	349
7	उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सभी कार्य विभागों में कार्यपालक अभियंता, कनीय प्रशासनिक स्तर का पदसोपान, स्वीकृत किये जाने के संबंध में।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।	संकल्प	3–ए–2वे0–पु–10 / 2010 / – 5003 वि0	16.05.2013	351	351
8	नई पेंशन प्रणाली से अच्छादित राज्यकर्मियों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश भुगतान के संबंध में।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	वि0 (27) पे0 को 47 / 2013 –600 सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक–01 / स्था0वि0– 28–03 / 2012–3248 दि0 17.06.13	02.05.2013	353	353
9	भौलिक नियमावली के नियम 22(1) ए (1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के संबंध में।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	3ए–2–वे0पु0–06 / 2013 –3637 / वि0	10.04.2013	355	355
10	राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन की निकासी के संबंध में।	वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार सरकार पटना	पत्र	प्रधान सचिव, वित्त विभाग का पत्रांक– 3 / 2012–274–2S सरकार के अवर सचिव,	14.03.2013	356	356

				जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक– 01/स्था0–वि0–28–03 / 2012–1915 दिनांक– 09.04.2013		
11	वित्त विभाग के संकल्प सं0–630 दिनांक– 21.01.2010 की कंडिका–7 (बी) (ii) के संबंध में।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	3ए–02/वे0पू0–03/2010/2424	11.03.2013	358
12	वार्षिक गोपनीय अभियुक्तियों के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करने हेतु विशेष चरित्री अभिलेखित करने के संबंध में।	सामान्य प्रशासन, बिहार, सरकार, पटना।	पत्र	3/एम0–77/2012 सा0– 1836 सरकार के अवर सचिव जल संसाधन विभाग , पटना का ज्ञापांक–01/स्था0 वि0–28–02/20012–993 दिनांक–25.02.2013	01.02.2013	359
13	विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	22/नि0सि0 (दर0) –16–02/05–1377	10.11.2011	362
14	सरकारी सेवकों की प्रोन्नतियों पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा कार्मिक गोपनीय अभियुक्तियों का वर्गीकरण (बेंचमार्क) के अनुसार विचारण।	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	3/एम–45/2011–2671 जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का ज्ञापांक–01/स्था0 बि0–28–12/2009–5804 दिनांक–16.09.2011	24.08.2011	362
15	सरकारी राशि के क्षति/गवन की राशि की वसूली के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	आदेश	22/नि0सि0 (भाग 0) –09–11/98–961, पटना	04.08.2011	365
16	प्रत्येक शपथ पत्र पर अधिवक्ता कल्याण मुद्रांक चिपकाने के संबंध में	विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	ए0/नोट–45/91–4994 /जे0 सहायक विधि पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, का ज्ञापांक–18/मु/01–03 / 09–5103 दिनांक– 16.08.2011	08.07.2011	366
17	सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, एवं अपील) नियमावली में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक अनुसरण करने के संबंध में।	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	3/एम0–91–/2011–1893, पटना।	14.06.2011	367
18	राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए कोटि–वेतन (Grade-Pay) आधारित कालावधि का निर्धारण ।	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	11/वि.4–का0 ला0 नि0/छू0–03/2001– सा0 प्र0– 1800	09.06.2011	373
19	सरकारी सेवकों की प्रोन्नतियों पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का वर्गीकरण (वेंच मार्क) के अनुसार विचारण ।	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार	पत्र	3/एम0–45/2011–1605	24.05.2011	376

20	सरकारी सेवकों की प्रोन्नतियों पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का वर्गीकरण (वेंच मार्क) के अनुसार विचारण ।	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार	पत्र	3/एम0–45/2011–922	30.03.2011	377
21	संचिका उपस्थापन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	कार्यालय आदेश	का. आ0 सं0 1/वि0–119/94–162, पटना अनु0–व्यवस्था सूची –संचिका उपस्थान का स्तर	19.08.2010	379
22	कनीय/वरीय लेखा लिपिकों के वेतन मान के संबंध में	वित्त विभाग, प्रशाखा–3ए बिहार सरकार, पटना	पत्र	3 ए,2वे0पु0–10/90–8320 सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक–3/स्था0 मुक–49/08–1106 दिनांक–24.08.2010	03.08.2010	382
23	राज्य के सभी मुख्यालयों एवं राजधानी पटना के सरकारी आवासीय भवनों के मानक किराये का निर्धारण।	भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	जी0/बी0डी0–01–20–132/09– 5014(भ) सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग का ज्ञापांक–1/स्था0 वि0/28–63/2007–4502 दिनांक– 13.08.2010	02.07.2010	385
24	सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा वार्षिक गोपनीय अभियुक्तियों का अवलोकन अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभियुक्तियों के लिए प्रमाण–पत्र के संबंध में।	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	3/एम0–64/2009–21081 सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक–1/स्था–वि0–28– 12/09–3389 दिनांक– 22.06.2010	31.05.2010	387
25	कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु समिति के गठन के संबंध में।	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय)	पत्र	10/स0क0यौ0उ0–1074/99–114 सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग का पत्रांक–1/स्था0–वि0–28/ 11/2009–3826 दिनांक– 14.07.2010	27.05.2010	389
26	माननीय सांसदों एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने एवं उन्हें सौजन्यता प्रदर्शित करने के संबंध में।	संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	सं0 का0–01/वि0 मं0–02–37/2007–655 सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक–1/स्था0वि0–28–36/08–2886 दिनांक– 25.05. 2010	10.05.2010	391
27	बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन)	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार	अधिसूचना	3/एम–64/2008का0–666	10.02.2010	392

	नियमावली, 2010	विभाग, बिहार सरकार, पटना ।				
28	माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं/अपील आवेदनों हेतु तथ्य विवरणी तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	18/मु0–1–03/09–141	15.01.2010	397
29	तदर्थ पोन्नति अथवा कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभार दिये जाने के क्रम में रोस्टर क्लियरेंस करने तथा संभावित रिक्तियों की गणना प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील की स्थिति के आधार पर करने के संबंध में ।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना ।	पत्र	11/आ02–आ0सी0–07/2008 का0 – 302	14.01.2010	398
30	वित्त विभाग के संकल्प सं0–242 पें0 को0 दिनांक–12.02.2008 द्वारा भविष्य निधि से अस्थायी/स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में स्पष्टीकरण	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	वि–27–विविध–1/06 (खंड) 786 पैं0 को0– सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–1/स्था0 वि0–28–10/2008–5005, पटना। दिनांक–	11.06.2008	400
31	सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरूद्ध निलम्ब/अनुशासनिक/ आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत ।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	3/एम0 1–49/2001 का0–1607	25.03.2008	401
32	85वाँ संबिधान संशोधन के आलोक में अनूसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की परिणामी वरीयता की तिथि का निर्धारण एवं प्रोन्नति में वरीयता का लाभ देने के संबंध में।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना ।	पत्र	11/आ02–आ0सी0–08 / 2007 का0– 745	05.02.2008	403
33	राज्य सरकार के कार्यालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली और कार्यालय अवधि में परिवर्तन के संबंध में।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	संकल्प	ए 3/एम0–09/2006का0–4754 सरकार के अवर सचिव जल संसाधन विभाग का ज्ञापांक–स्था0वि028–10 – 2008–788 दिनांक– 31.01.2008	31.12.2007	405
34	संकल्प संख्या–1557 दिनांक– 25.10.2006 की कंडिका 2/(ii) में आंशिक संशोधन के संबंध में।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग का ज्ञापांक–1/एस0/वि–28– 10/2008–787दि0 31.01.2008	18.12.2007	407
35	संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	पत्र	एम0–078/2005/का0–4467 सरकार के अवर सचिव का ज्ञापांक–1 वि0–137/2006–160, पटना दिनांक– 7.01.2008	17.12.2007	408
36	सेवाकाल में लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	पत्र	3/सी0–148/07 का0–4263 सरकार के अवर सचिव का ज्ञापांक–1/पि0–37–15	04.12.2007	409

				9 दिनांक 7.01.2008		
37	सेवा निवृत होने वाले कर्मियों को अव्यवहृत अवकाश के बदले छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद राशि के भुगतान के हेतु परिलब्धियों की गणना के संबंध में।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	पी0सी0–224/02–7744 / बि0–71 सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक– 1/बि0–137/2006–54 03 दिनांक–13.12.2007	22.11.2007	410
38	राज्य सरकार के सेवी वर्ग को स्वीकृत किये जाने वाले मोटरकार अग्रिम की राशि की अधिसीमा में अभिवृद्धि तथा कम्प्यूटर की पात्रता सीमा में संशोधन के संबंध में।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।	संकल्प	प्रा0 ए0/अग्रिम (वि0)–01/2007–1497 सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग का ज्ञापांक–1/वि0–137/ 2006–56 दिनांक– 07.01.2008	15.11.2007	411
39	जल एवं भूमि प्रबंधक संस्थान वाल्मी में वाहय सेवा शर्तो पर प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कमचारियों को प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप अनुमान सुविधा प्रदान करने के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार पटना	पत्र	1/पी0एम0सी0/विविध/ 536/2001–925	05.11.2007	413
40	सरकारी सेवकों को प्रोन्नतियों पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का अवलोकन ।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	सी0आर0को0–118/07 का0–10570	24.10.2007	415
41	सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरूद्ध निलंबन/ अनुशासनिक /आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदशी सिद्धान्त–विभागीय प्रोन्नति समिति का निष्कर्श मुहरबंद लिफाफे में रखे जाने पर एतद् संबंधी रिक्ति को भरने के संबंध में ।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना ।	पत्र	3/एम0–033/07 का0–3259	26.09.2007	416
42	राज्य सरकार की विभिन्न संवांओं/संवर्गों पदो आदि में प्रोन्नति के लिए वैतनमान् आधारित कालावधि व्यवस्था का अंगीकरण–कालावधि की गणना के संबंध में	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।	संकल्प	पत्रांक अस्पष्ट	19.06.2007	418
43	योजनाओं के अनुश्रवण कार्य को प्रभावी करने हेतु नई व्यवस्था के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	अधिसूचना	सं0–5/डी0–4–10–01/ 2007–1002	07.06.2007	419
44	जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना के सर्वेक्षण अनुसंधान, परियोजना, सूत्रण, गुण नियंत्रण आदि कार्यों को सम्पादित करने हेतु सुदृढ़ करने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	अधिसूचना	5/डी0–4–10–01/ 2007–1003	07.06.2007	421
45	बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–1 के पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में ।	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।	पत्र	1/वि0–54/2005– 8373 अनु0– विधि विभाग से प्राप्त परामर्श की अभिप्रमाणित छाया प्रति।	19.07.2006	424

46	मोटर गाड़ियों के असामान्य जीवन, साधारण बदलाव एवं मरम्मत मद में अतिरिक्त राशि का प्रत्यायोजन	वित्त विभाग,	पत्र	एस–4–18 / 2006–4082 (वि0) (2) सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक– 01 / वि0–137 / 06– 4480 दिनांक–16–09–2006	24.06.2006	427
47	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के संदर्भ में।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	ब005 / बी0एस0बी0–02 / 05–331	28.04.2006	434
48	कनीय अभियंताओं के सेवा से संबंधित अभिलेख अद्यतन करने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	9 / स्था011–1110 / 06–1046	06.03.2006	435
49	सरकारी सेवकों के पदस्थापन / स्थानांतरण के संबंध में।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	पत्र	3 / का0–198 / 2005–ए0–175 सरकार के अवर सचिव का ज्ञापांक–01 / वि0–133 / 2005–733 दिनांक– 16.02.2006	17.01.2006	436
50	भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के संबंध में ।	वित्त विभाग ।	पत्र	3ए–4–प्रो0–03 / 2003–7020	24.12.2005	437
51	मुख्यालय / कार्यस्थल छोड़ कर अन्यत्र प्रस्थान करने हेतु अनुमति के संबंध में।	जल संसाधन विभाग	पत्र	6 / एम0–1–81 / 2005–4475	24.12.2005	440
52	कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि मद में काटी गयी राशि के भुगतान हेतु आवटन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग	पत्र	1 / पी0एम0सी0 / विविध / 644 / 2003–1488	14.12.2005	441
53	लापता सरकारी सेवक / पेंशनर के आश्रितों को सेवा निवृत लाभों की स्वीकृति के विधि एवं प्रक्रिया का निर्धारण के संबंध में।	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	प्र0–6–पा0 वि0– (27) पे0 का0–15 / 05–1959 सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना का ज्ञापांक–1 / वि0–1001 / 2002 अंश–275 दिनांक–18.01.2006	31.08.2005	442
54	केन्द्रीय रूपांकण, पटना के द्वारा रूपांकण संबंधी स्वीकृति के संबंध में।	जल संसाधन विभाग	आदेश	6 / पी02–06 / 2005–3640	16.08.2005	443
55	सेवा पुस्त निबंधित डाक से भेजने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	आदेश	5 / पी0 2–20–77 / 02–1848	27.07.2005	444
56	राजस्व प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियंता को खाता संचालन के प्राधिकार के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, (राजस्व निदेशालय) बिहार सरकार, पटना	आदेश	आयुक्त एवं सचिव का पत्रांक– 447 अनु0– विघटन के पश्चात् उप–समाहर्त्ता के कार्यालय के प्रतिस्थानी कार्यालय की सूची ।	17.05.2005	445
57	सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–8858 / 99 के संबंध में (दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को अनुमान्य दैनिक मजदूरी भुगतान करने के संबंध में)	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	तार्किक आदेश	सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग का ज्ञापांक–4 / मुक–5–110 – 99–1116	07.05.2005	448

58	वेतनवृद्धि रोकने की सजा के प्रभाव के संबंध में।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।	पत्र	3/एम–46/2004का–3644	30.04.2005	450
59	विभागीय अनुसचिवीय पदाधिकारियों द्वारा प्रारूप अनुमोदन के संबंध में	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पीत पत्र	आयुक्त एवं सचिव का पत्रांक– 348	05.10.2004	451
60	मृत/सेवा निवृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन पावनाओं के भुगतान में विलम्ब के कारण व्याज का सृजन	जल संसाधन विभाग, पटना	पत्र	7/सी0/–09–1076/03–2600	26.05.2004	451
61	आरोप से संबंधित सभी संचिकाएँ विभागीय निगरानी कोषांग से निष्पादित किये जाने के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, पटना।	आदेश	5/पी0–1–108/2000–1172	02.04.2004	453
62	सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरूद्ध निलम्बन/अनुशासनिक /आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	3/एम.1–49/2001–का0 9270	17.12.2003	455
63	राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गों/पदों के पदाधिकारियों/कर्मियों को दी जाने वाली प्रोन्नति की प्रक्रिया का सरलीकरण– मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग आदि से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन की अधियाचना के संबंध में।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	3/एम.1–10/2002–7979	06.11.2003	457
64	बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2002	वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना	अधिसूचना	ज्ञापांक–1730 वि0	05.03.2003	458
65	सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरूद्ध निलम्बन/अनुशासनिक /आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	3/एम.1–49/2001–7457	11.09.2002	462
66	राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गों/पदों के पदाधिकारियों/कर्मियों के वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति अभिलेख के संबंध में ।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	पत्रांक अस्पष्ट	09.09.2002	468
67	राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए वेतनमान आधारित कालावधि की व्यवस्था ।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	11/वि04–काला0नि0/छू0–03/2001–280 सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग का ज्ञापांक– 11/वि0–101/2002– दिनांक 27.07.2002	05.07.2002	469

68	विभागीय प्रोन्नति समिति में तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लोक उपक्रमों में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित समितियों/उच्च स्तरीय चयन समितियों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारियों का मनोनयन।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	7/पी0एम0सी0–3–103 / 90(खंड) का0–25	02.01.1991	472
69	विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन–समिति के अध्यक्ष के संबंध में।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	7/पी0एम0सी0–3–101 / 88 का0–5305	16.05.1990	478
70	विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन तथा उनकी कार्य–प्रणाली के निरूपण के संबंध में।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	7/पी0एम0सी0–3–101 / 88 का0–2653	28.02.1989	479
71	बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य–सीमन) विनियमावली, 1957 में अतिरिक्त विनियम समाविष्ट करने के संबंध में ।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	अधिसूचना	7/पी0एम0सी0–3–101 / 88 का0–1174	24.01.1989	481
72	राज्य सरकार के कतिपय स्तर तक के राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण ।	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	2/पी0एम0/87–4561 का0	22.05.1987	488
73	प्रोन्नति के पूर्व निगारी विभाग से प्राप्त स्वच्छता प्रमाण–पत्र की मान्यता की अवधि ।	मंत्रिमंडल(निगरानी) विभाग, बिहार सरकार, पटना ।	पत्र	नि0वि0–4445/85–4609	01.11.1985	491
74	कार्य विभागों में चारित्रियों को सुचारू रूप से रखने एवं अनुपलब्ध चारित्रियों के लिए विशेष चारित्री प्राप्त करने के संबंध में ।	मुख्य सचिव का कार्यालय, बिहार सरकार, पटना ।	पत्र	नि0–1–16941/180–532	11.02.1981	492
		6. प्रशिक्षण				
1	प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वाल्मी की संकाय सदस्यों की जवाबदेही के संबंध में।	निदेशक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारी शारीफ, पटना।	कार्यालय आदेश	का0 आ0 संख्या–07/वाल्मी, पटना। ज्ञापांक–308	16.04.2013	493
2	राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत सभी कार्य विभागों के अभियंत्रण संवर्ग के लिए एशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण विशय वस्तु (Course Contents) तैयार करने के संबंध में।	निदेशक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारी शारीफ, पटना।	पत्र	ज्ञापांक–305	16.04.2013	495
3	जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना शासी पर्षद (Governing Council) के पुर्नगठन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	संकल्प	सरकार के संयुक्त सचिव(प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक–912	15.04.2013	497
4	सभी कार्य विभागों के अभियंत्रण संवर्ग के लिए प्रशिक्षण हेतु राज्य संचालन समिति के गठन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	आदेश	1/पी0एम0सी/प्रशिक्षण / 28/2012–231	18.03.2013	499

5	वाल्मी अंतर्गत अनिवार्य प्रशिक्षण में संशोधन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	पत्र	1/पी0एम0सी0/पी0 एम0 डी0–3/19/99/ भाग–ii –821	01.08.2006	501
	7. अन्यान्य					
1	बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम –04(ख) के प्रावधानों के तहत अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग को निबंधन पदाधिकारी नामित किये जाने के संबंध में ।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	आदेश	ज्ञापांक–11/अन्य विविधि–44/08–3825	15.07.2013	504
2	मुख्य मंत्री शोध, अध्ययन एवं मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना। (संकल्प संख्या–484, दिनांक–27.12. 2011 का प्रतिस्थानी संकल्प)	योजना एवं विकास विभाग (मूल्यांकन निदेशालय) बिहार सरकार, पटना	संकल्प	संकल्प संख्या–ii–08(मू0 कार्य)/2010–484	10.04.2012	505
3	In exercise of the power conferred by Article 162 of the constitution of India about settlement of canal/chat land of Water Resources Department for agricultural purposes.	Water Resources Department, Govt. of Bihar, Patna	Notification	SO NO. – 21/WAD-8-01/2006-276	13.07.2010	513
4	सिंचाई प्रणालियों की बेंच मार्किंग हेतु विभागीय पत्रांक–991, दिनांक–23.06.2006 द्वारा गठित कोर ग्रुप में संशोधन के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	अधिसूचना	1/पी0एम0सी0/विविध /500/2001– भाग–1–629	24.07.2007	516
5	विभागीय जमीन/चार्ट की निर्धारित नये दर से बन्दोबस्ती नहीं करके पुराने दर से बन्दोबस्त करने के कारण हुई राजस्व की क्षति की वसूली दोशी पदाधिकारियों से करने के संबंध में।	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	पत्र	21/वाद–8–06/05–818	25.10.2005	517

(1)
योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

का॰आ॰सं॰-1/पी॰एम॰सी॰/629/2003-589 / पटना, दिनांक-04.07.2013

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश सं॰-1/पी॰एम॰सी॰/विविध/61/2005-1118 पटना, दिनांक 22.10.2008 से यह निदेशित है कि योजना एवं गैर योजना मद की योजनाओं के जो प्रस्ताव विभागीय स्थायी वित्त समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाना है, उसके संलेख पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

उपरोक्त संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह महसूस किया गया कि विभागीय मंत्री द्वारा अनुमोदित संलेख पर विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा समीक्षा कार्यपालक पद्धति के निर्धारित पद वरीयता क्रम के अनुकूल नही है। अतः निदेशानुसार कहना है कि विभागीय स्थायी वित्त समिति के समक्ष उपस्थापित किये जाने वाले संलेख प्रारूप पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता नही होगी, बल्कि यह संलेख प्रारूप विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव से अनुमोदित होगा । परन्तु योजना प्राधिकृत समिति/ गैर योजना व्यय समिति/ प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष उपस्थापित किये जाने वाले संलेख के मामले में संलेख प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन पूर्ववत अनिवार्य होगा।

कृपया प्रासंगिक कार्यालय आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय। अन्य निदेश यथावत रहेंगे।

ह॰/-

(सुमीर कुमार चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियत्रण)

ज्ञापांकः– 589 पटना, दिनांकः- 04.07.2013

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 96वि0(2) दिनांक 03.01.2008 एवं जल संसाधन विभाग का का0आ0सं0-1113 दिनांक 22.10.2008 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/-

(सुमीर कुमार चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियत्रण)

ज्ञापांकः- 589 पटना, दिनांकः- 04.07.2013

प्रतिलिपिः- महामहिम राज्यपाल, बिहार के सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त/ आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग/ आयुक्त एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ अभियंता प्रमुख (उत्तर) एवं (मध्य)/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ मोनिटरिंग संगठन के सभी अधीक्षण अभियंता/ संयुक्त सचिव(प्रबंधन)/ (अभियंत्रण)/ जल संसाधन विभाग के सभी मुख्य अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/-

(सुमीर कुमार चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियत्रण)

बिहार सरकार

<u>मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग</u>

सं॰-मं॰मं॰-01/आर॰-14/2008-733/

प्रेषक,

अफजल अमानुल्लाह
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

<u>सभी प्रधान सचिव/सचिव</u>
<u>सभी विभागध्यक्ष</u>

पटना-15, दिनांक- 20 मई, 2010

विषयः- मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख भेजे जाने के संबंध में।

प्रसंगः- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का पत्रांक-422 दिनांक 04.03.2006

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया निदेश किया जाय। प्रासंगिक पत्र द्वारा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख भेजे जाने के मामले में विस्तृत मार्गदर्शन संसूचित किये गये थे एवं तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया गया था (प्रतिलिपि संलग्न)।

मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख भेजे जाने के मामले में सम्प्रति यह अनुभव किया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद् की बैठक प्रारंभ होने के समय तक भी संलेख प्रस्ताव प्राप्त होते रहते है जिसके कारण प्रस्तावित विषय के उपस्थापन में अनवाश्यक हड़बड़ी एव परेशानी का सामना करना पड़ता है। संबंधित संचिका एवं संलेख का अघ्ययन पूरी तौर पर नही हो पाता है तथा किसी बड़ी भूल होने की संभावना से भी इनकार नही किया जा सकता।

अतः सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि सामान्यतः मंत्रिपरिषद् की बैठक प्रत्येक मंगलवार को होती है, इसलिए विभिन्न विभागों से मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले संलेख प्रस्ताव प्रत्येक शुक्रवार को 12.00 बजे दिन तक निश्चित रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को हस्तगत कराए जायँ। अपवाद स्वरूप ही यथेष्ट कारण रहने पर, इसके बाद संलेख प्रस्ताव स्वीकार किये जा सकते है बशर्ते कि इन कारणों का उल्लेख संचिका में स्पष्ट किया गया हो।

कृपया इस मार्गदर्शन का दृढ़ता से पालन किया जाय।

विश्वासभाजन
ह॰/-
(अफजल अमानुल्लाह)
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन (सिं॰) विभाग

ज्ञापांक 1/स्था0-वि0-28-13/09-3386/पटना, दिनांकः-22.06.10

प्रतिलिपिः- मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सानुलग्नक सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः- यथोक्त ।

ह॰/-
(मोहन चौधरी)

सरकार के अवर सचिव

पत्रांक-एम.4-53/2007-96 वि.(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक- 03.01.08

संकल्प

विषय:- योजना एवं गैर-योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या- 602 दिनांक-20.03.07 द्वारा वित्तीय मामलों में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। इसके अनुसार गैर योजना मद में 5.00 करोड़ रूपये तक लागत वाली एवं योजना मद में 10.00 करोड़ रूपये तक लागत वाली योजनाओं की स्वीकृति प्रशासी विभाग द्वारा दी जा सकती है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा गैर योजना मद में प्रत्यायोजन के फलस्वरूप विभागों में गैर योजना मद की स्कीमों की समीक्षा एवं स्वीकृति तथा योजना मद मे पूर्व में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5685 दिनांक 08.10.05 द्वारा योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में उक्त तिथि के बाद किये गये संशोधनों को समेकित करने के लिये नया आदेश निर्गत करने की आवश्यकता को देखते हुए गैर योजना एवं योजना मद में चालू एवं नयी योजना मंे स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन करने संबंधी मामले पर सम्यक विचारोपरान्त योजना एवं गैर योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु निम्नांकित व्यवस्था लागू होगी:-

3. समीक्षा समितियाँ **(Appraisal Committees)** रू-

(क) विभागीय स्थायी वित्त समिति: -

विभाग में योजना एवं गैर योजना मद की स्कीमों की समीक्षा हेतु विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव की अध्यक्षता में विभागीय स्थायी वित्त समिति (Standing Finance Committee) रहेगी जिसमें निम्न सदस्य होगे:-

(क)	विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव	-	अध्यक्ष
(ख)	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य
(ग)	योजना संबंधी प्रशाखा के संयुक्त सचिव/ उप सचिव	-	सदस्य

प्रधान सचिव/ सचिव यदि चाहें तो योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग तथा किसी अन्य विभाग के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित कर सकते है।

(ख) योजना प्राधिकृत समितिः-

योजना मद की स्कीमों की समीक्षा के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में योजना प्राधिकृत समिति वर्तमान की तरह निम्न प्रकार रहेगी:-

(क)	विकास आयुक्त	-	अध्यक्ष
(ख)	प्रधान सचिव, वित्त/ अपर वित्त आयुक्त	-	सदस्य

(ग) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग - सदस्य सचिव

(घ) संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव - सदस्य

(च) संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य

(ग) गैर-योजना व्यय समिति:-

गैर-योजना मद में स्कीमों की समीक्षा के लिए प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में निम्न प्रकार समिति होगी:-

(क) प्रधान सचिव, वित्त विभाग - अध्यक्ष

(ख) अपर वित्त आयुक्त - सदस्य

(ग) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग - सदस्य

(घ) विभागीय प्रधान सचिव/सचिव - सदस्य

(च) संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य

(घ) प्रशासी पदवर्ग समिति:-

गैर योजना मद में पद सृजन एवं वाहनों के क्रय संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा के लिए सचिव की अध्यक्षता में वर्तमान की तरह निम्न समिति होगी:-

(क) मुख्य सचिव - अध्यक्ष

(ख) विकास आयुक्त - सदस्य

(ग) प्रधान सचिव, वित्त विभाग - सदस्य

(घ) अपर वित्त आयुक्त - सदस्य सचिव

(ड़) प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग - सदस्य

(च) प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव - सदस्य

4. समीक्षा एवं स्वीकृति की शक्तियाँः

(क) योजना मद में नई स्कीमः-

क्र.सं	स्कीम की लागत	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार
1	2.5 करोड़ तक*	प्रशासी विभाग	विभागीय सचिव
2	2.5 करोड़ से 10.00 करोड़ तक*	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री
3	10.00 करोड़ से 20.00 करोड़ तक*	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री
4	20.00 करोड़ से अधिक*	प्राधिकृत समिति	मंत्रिपरिषद्
5	नये स्वायत्त संगठन के अधिष्ठापन के संबंध में।	प्राधिकृत समिति	मंत्रिपरिषद्

.

(2) गैर योजना मद में नई स्कीमः-

क्र.सं.	स्कीम की लागत	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार
1	1.00 करोड़ तक*	प्रशासी विभाग	विभागीय सचिव
2	1.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक*	विभागीय स्थायी वित्त समिति	विभागीय मंत्री
3	5.00 करोड़ से अधिक*	गैर योजना व्यय समिति	मंत्रिपरिषद्
4.	नये स्वायत्त संगठन के अधिष्ठापन के संबंध में।	गैर योजना व्यय समिति	मंत्रिपरिषद्

* – यदि स्कीम में किसी नये पद के सृजन या पद के उत्क्रमण अथवा नये वाहन के क्रय का प्रस्ताव शामिल हो, तो ऐसा प्रस्ताव योजना मद के मामले में प्राधिकृत समिति एवं गैर योजना मद के मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के द्वारा ही की जायेगी।

(ग) निवेश पूर्व कार्य आदि (**Pre-investment activity**) पर व्यय **:-**

योजना एवं गैर योजना मद में विस्तृत संभाव्यता/ परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी जैसे निवेश पूर्व कार्यो के लिए प्रत्यायोजन निम्न प्रकार होगाः–

क्र.सं.	योजना की लागत	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार
1	20 लाख रुपये तक की लागत पर विस्तृत संभाव्यता/परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी एवं निवेश पूर्व कार्यो के लिए (निवेश पूर्व कार्यो में प्रतिवेदन हेतु विस्तृत अध्ययन शामिल होगा लेकिन भूमि अधिग्रहण/अन्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था शामिल नहीं होगी) ।	विभागीय सचिव	विभागीय मंत्री
2	शेष मामलों में	योजना स्कीम- योजना प्राधिकृत समिति गैर-योजना स्कीम- गैर योजना व्यय समिति	मंत्रिपरिषद

5. पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृतिः-

(i) स्कीम की मूल लागत चाहे जो भी हो, मात्र वैधानिक लेवी/करों विनियम दरों तथा मूल्य दरों में वृद्धि के कारण स्कीम की लागत में वृद्धि का अनुमोदन प्रशासी विभाग विभागीय मंत्री की स्वीकृति से कर सकेंगे।

(ii) 20 करोड़ से कम लागत की योजना स्कीम तथा 5 करोड़ से कम लागत की गैर योजना स्कीम के फनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जायेगीः-

क्र.सं.	लागत में वृद्धि	योजना की लागत	स्वीकृति प्राधिकार
1	20 प्रतिषत तक	योजना स्कीम- योजना एवं विकास विभाग गैर-योजना स्कीम- वित्त विभाग	विभागीय मंत्री
2	20 प्रतिषत से अधिक	योजना स्कीम- योजना प्राधिकृत समिति गैर-योजना स्कीम- गैर योजना व्यय समिति	विभागीय मंत्री

(iii) 20 करोड़ से अधिक लागत की योजना स्कीम तथा 5 करोड़ से अधिक लागत की गैर योजना स्कीम के फनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जायेगीः-

क्र.सं.	पुनरीक्षण संख्या	लागत में वृद्धि	समीक्षा प्राधिकार	स्वीकृति प्राधिकार
1	प्रथम फनरीक्षण	10 प्रतिषत तक	योजना स्कीम- योजना एवं विकास विभाग गैर-योजना स्कीम- वित्त विभाग	विभागीय मंत्री
2		10 प्रतिषत से 20 प्रतिषत तक		विभागीय मंत्री तथा वित्त मंत्री
3		20 प्रतिषत से अधिक	योजना स्कीम- योजना प्राधिकृत समिति गैर-योजना स्कीम- गैर योजना व्यय समिति	मंत्रिपरिषद्
4	द्वितीय फनरीक्षण या उससे अधिक	5 प्रतिषत तक	योजना स्कीम- योजना एवं विकास विभाग गैर-योजना स्कीम- वित्त विभाग	विभागीय मंत्री
5		5 प्रतिषत से अधिक	योजना स्कीम- योजना प्राधिकृत समिति गैर-योजना स्कीम- गैर योजना व्यय समिति	मंत्रिपरिषद्

6. योजना एवं गैर योजना मदों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, केन्द्र चालित योजना एवं वाह्य सम्पोषित योजना प्रक्षेत्र में चालू तथा नई स्कीमें:-

(क) <u>केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्र चालित चालू स्कीमः-</u> यदि ऐसी स्कीम के राज्यांश के लिए योजना उद्व्यय (योजना मद) एवं बजट में उपबंध उपलब्ध हो, तो प्रत्येक वर्ष अलग से प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी । प्रशासी विभाग केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इन स्कीमों का क्रियान्वयन करेगा। प्रशासी विभाग योजना उद्व्यय (योजना मद) एवं बजट उपबंध के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के समानुपातिक राशि विमुक्त करने के लिए सक्षम होगा। यदि ऐसी योजना स्कीम के लिए योजना स्कीम के लिए योजना उद्व्यय (योजना मद)/बजट उपबंध उपलब्ध नही हो तो, प्रशासी विभाग योजना एवं विकास विभाग से उद्व्यय प्राप्त कर (योजना मद) एवं बजट में बिहार आकस्मिकता निधि/पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान करा कर ही राशि विमुक्त करेगा। इसी प्रकार यदि गैर योजना स्कीम के लिए बजट उपबंध न हो, तो बिहार आकस्मिकता निधि/पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान कराकर राशि विमुक्त की जायेगी।

(ख) <u>केंद्र द्वारा प्रायोजित अथवा केंद्र चालित नयी स्कीमः-</u> नयी स्कीमों के क्रियान्वयन एवं उनके लिए राज्यांश की विमुक्ति संबंधी निर्णय योजना स्कीम के मामले में योजना एवं विकास विभाग एवं वित्त विभाग तथा गैर योजना स्कीम के मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर लिए जायेगें।

7. राज्य योजना एवं गैर योजना क्षेत्र की चालू स्कीमें -

राज्य योजना एवं गैर योजना क्षेत्र की चालू स्कीमों के लिये प्रत्येक वर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी। इसके लिये योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की लागत के अंतर्गत संबंधित वर्ष के लिए योजना उद्व्यय (योजना मद) तथा बजट उपबंध के अंतर्गत राशि विमुक्त करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा। योजनाओं का क्रियान्वयन एवं राशि की विमुक्ति प्रशासी विभाग द्वारा योजना के संबंध में सरकार की मूल स्वीकृति एवं अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर यदि छात्रवृत्ति की दर में कोई परिवर्तन नही है, तो प्रतिवर्ष योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और इसे चालू योजना की श्रेणी में ही मानते हुये बजट उपबंध के अन्तर्गत राशि विमुक्त की जा सकती है।

8. जिन मामलों में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम समीक्षा प्राधिकार (प्राधिकृत समिति, गैर योजना व्यय समिति, प्रशासी पदवर्ग समिति) की अनुशंसा के पश्चात् प्रशासी विभाग आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से संलेख सीधे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के माध्यम से मंत्रिपरिषद् के सम्मुख रखेगा। परन्तु राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) निर्गत एवं संसूचित करने के लिए वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 6974 वि0(2) दिनांक 25.09.07 के अनुसार कार्रवाई की जाय। अन्य स्वीकृति प्राधिकार

(विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री, वित्त मंत्री) के अनुमोदन के पश्चात् प्रशासी विभाग स्कीम की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृत्यादेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत एवं संसूचित कर सकेगा। राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में यह भी अंकित रहना आवश्यक है कि योजना में व्यय किस शीर्ष/उपशीर्ष से विकलनीय है तथा एक अलग कंडिका में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा कि योजना के अनुमोदन के संबंध में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार का अनुमोदन किस संचिका के किस पृष्ठ पर किस तिथि को प्राप्त किया गया है। इसी तरह वित्त विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति/डायरी नम्बर/संचिका एवं पृष्ठ संख्या भी अलग कंडिका में स्पष्ट रहे । यदि किसी प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में अलग कंडिका में स्पष्ट रहे। यदि किसी प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में राशि की विमुक्ति की भी स्वीकृति अंकित की जाती है, तो निधि की उपलब्धता, फनर्विनियोग/ बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति संबंधी पत्रांक अंकित रहना आवश्यक होगा। प्रशासी विभाग योजना मद में निर्गत स्वीकृत्यादेश की प्रति योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग दोनो को और गैर योजना मद में निर्गत स्वीकृत्यादेश की प्रति वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। निर्गत स्वीकृत्यादेशों के आधार पर कोषागार/उप कोषागार से निकासी से पूर्व महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है या नही, यह वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि॰(2) दिनांक- 05.10.07 द्वारा निर्धारित है। अतः बेहतर होगा कि स्वीकृत्यादेश में ही अंकित कर दिया जाय कि महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है या नही।

9. उल्लेखनीय है कि जहां योजना उद्व्यय नही है अथवा बजट में उपबंध नही है, वहां योजना उद्व्यय के लिए योजना एवं विकास विभाग तथा बिहार आकस्मिकता निधि/फनर्विनियोग के लिए वित्त विभाग की अलग से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी अर्थात् योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति तो की जा सकेगी लेकिन राशि की विमुक्ति योजना उद्व्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

10. योजना एवं गैर योजना मद में स्कीमें उतनी ही ली जाएं जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष में व्यय बजट उपबंध/योजना उद्व्यय के अन्तर्गत हो। नई स्कीम लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि फरानी स्कीमें अधूरी नही रह जायें और उनके लिए आवश्यकतानुसार राशि कर्णांकित कर दी गई है।

11. उपर्युक्त प्रत्यायोजित शक्तियांे का उपयोग सरकार द्वारा निर्गत सामान्य मितव्ययिता परिपत्रों एवं अन्य सामान्य निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

12. SecLAN व्यवस्था लागू हो जाने पर प्रशासी विभाग कंडिका-8 में वर्णित स्वीकृत्यादेश की प्रतियाँ संबंधित विभागों को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन/ई-मेल पर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करेगें ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक-एम.4-53/2007- 96 वि०(2) पटना, दिनांक - 03.01.2008

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/ सरकार के सभी विभाग/ विभागध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या मो0 2(8)-54/2000-954 / पटना, दिनांक - 13.06.2007

विषयः- केन्द्रीय सहायता (।ण्ण्ठण्च्) के तहत कार्यान्वयनाधीन वृहत एवं बहुद्देशीय सिंचाई योजनाओं के फनरीक्षित प्राक्कलन पर केन्द्रीय जल आयोग/योजना आयोग को सहमति प्रदान करने हेतु समर्पित करने के लिए जाँचोपरान्त अनुशंसा देने के निमित्त स्थायी समिति का गठन।

जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 27/10/2007-PR दिनांक 25.04.2007 एवं योजना आयोग, भारत सरकार के पत्रांक 16 (12)/2003-WR दिनांक 18.05.2004 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय सहायता (A. I. B. P.) के तहत कार्यान्वयनाधीन वृहत एवं बहुद्देशीय सिंचाई योजनाओं की लागत राशि में पुनरीक्षण की आवश्यकता की जाँच करने तथा अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया जाय, जिसमें वित्त/योजना/ जल संसाधन विभाग के सचिव सदस्य के रूप में होगे। इस स्थायी समिति की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय जल आयोग/ योजना आयोग द्वारा वृहत एवं बहुद्देशीय सिंचाई योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर सहमति प्रदान करने पर विचार किया जायेगा ।

2. जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एवं योजना आयोग उक्त पत्र में निहित निर्णय के आलोक में वृहत एवं बहुद्देशीय सिंचाई योजनाओं की लागत राशि में फनरीक्षण की आवश्यकता

की जाँच कर अनुशंसा देने हेतु सरकार के अनुमोदनोपरान्त निम्नरूपेण एक स्थायी समिति का गठन किया जाता हैः-

1. सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
2. सचिव/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
3. सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

यह स्थायी समिति वृहत एवं बहुद्देशीय सिंचाई योजनाओं की लागत राशि में वृद्धि के कारणों का तार्किक विश्लेषण कर अपनी अनुशंसा समर्पित करेगी । स्थायी समिति उक्त अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन को केन्द्रीय जल आयोग/ योजना आयोग को वांछित कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा ।

4. यह आदेश तुरन्त लागू होगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिये बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(ई० श्याम नंदन प्रसाद)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञाप संख्याः- 954 / पटना, दिनांक 13.06.2007

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(ई० श्याम नंदन प्रसाद)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञाप संख्याः- 954 / पटना, दिनांक 13.06.2007

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ योजना एवं विकास विभाग/ जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/-
(ई० श्याम नंदन प्रसाद)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञाप संख्याः- 954 / पटना, दिनांक 13.06.2007

प्रतिलिपिः- मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग/ सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1,2,3,4 जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/-
(ई० श्याम नंदन प्रसाद)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्र संख्या- सी.एस.-1/ए.-1-107/99-1647
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक,

अशोक कुमार चौहान,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव
सभी सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

पटना- 15, दिनांकः- 11 सितम्बर, 2006 ई

विषयः- मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संलेख एवं प्रेस नोट भेजने के संबंध में ।

प्रसंगः- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग का पत्रांक 422 दिनांक 04.03.06 एवं पत्रांक 1301 दिनांक 21.07.06 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रांक द्वारा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख भेजने तथा प्रेस नोट प्रेषित करने हेतु आदेश संसूचित किए गए थे, परन्तु संलेख भेजने की प्रक्रिया के आदेश में निहित अनुदेश का पालन नही किया जा रहा है जिससे मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रक्रियागत कार्रवाई करने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है । साथ ही यह स्पष्ट किया जाना है कि संलेख की प्रति सम्प्रति स्वच्छ एवं पठनीय नही रहती जिससे आवश्यक कार्रवाई करने में भी कठिनाई होती है

जहां तक प्रेस नोट प्रेषित करने की बात है, संलेख के साथ नही भेजे जाने से प्रेस ब्रीफिंग में अद्योहस्तक्षरी को दिक्कतें हो रही है । आप अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा लोक हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा रहे है एवं सरकार चाहती है कि आम जनता को इसकी समुचित जानकारी हो सके । प्रेस नोट की एक आत्मभारीत तथ्यात्मक विवरणी निश्चित रूप से संलेख के साथ भेजी जाय ।

अतः संलेख पूर्व से संसूचित निदेश के अनुसार आठ दिन पूर्व या अति विशेष परिस्थिति में तीन दिन पूर्व मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।

कृपया भविष्य में उपर्युक्त दिशा-निदेश का अनुपालन सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अशोक कुमार चौहान)

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

ज्ञाप सं॰-सी॰एस॰-1/ए॰-1-107/99-1647 पटना-15, दिनांक 11 सितम्बर, 06

प्रतिलिपि - माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/ सभी मंत्रीगण के आप्त सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

(अशोक कुमार चौहान)

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संचिका सं॰- सी॰सी॰ (3)-01/2006 - 1301

प्रेषक,

अशोक कुमार चौहान,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव
सभी सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

पटना- 15, दिनांक:- 21 जुलाई, 2006 ई

विषयः- मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु भेजे जानेवाले संलेख के साथ एक ''प्रेस नोट'' भेजने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा रहे है । सरकार यह चाहती है कि आम जनता को इसकी समुचित जानकारी प्राप्त हो सके । मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद स्वीकृत प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रेस इलेक्ट्रोनिक मिडिया को स्वीकृत प्रस्तावों की संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, जो यथेष्ठ नही होता है । इतना ही नही सरकार के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से भी निर्णयों की जानकारी दिया जाना अपेक्षित है ।

2. अतः यह आवश्यक हो गया है कि संबंधित विभाग संबंधित संलेख प्रस्ताव के संबंध में एक आत्मभारीत तथ्यात्मक विवरण के साथ "प्रेस नोट" भी संलग्न कर भेजा करे । ताकि प्रेस ब्रिफिंग तथ्यात्मक हो सके तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को भी इसके प्रचार-प्रसार हेतु समुचित विवरणी प्राप्त हो सके ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अशोक कुमार चौहान)

सरकार के सचिव

(2)
निविदा आमंत्रण एवं निस्तार

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविधा/629/2003-131

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० एस० के० चटर्जी

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)

जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक- 31.02.2014

विषयः— दो करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के SBD के आधार पर प्राप्त निविदा के मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप के संदर्भ में clarification।

प्रसंगः— विभागीय पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/विविध/629/2003-536 पटना दिनांक- 13.06.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि जल संसाधन विभाग के पत्रांक-1/पी०एम०सी० /विविध/629/2003-536 दिनांक 13.06.2013 के माध्यम से दो करोड़ रु० से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए SBD के आधार पर प्राप्त की जाने वाली निविदा हेतु निविदा आमंत्रण सूचना का मॉडल प्रारूप निर्गत किया गया है । जल संसाधन विभाग में हाल में जो कतिपय निविदाएँ प्राप्त हुई है, उनमें कई तरह के परिवाद प्राप्त हो रहे हैं एवं विभिन्न प्रमंडलों के स्तर पर इस मॉडल प्रारूप का विशलेषण अलग-अलग ढंग से किया जा रहा है, जिसके चलते निविदा निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ।

अतएव स्पष्ट किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निर्गत मॉडल निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप की कंडिका-26 के तहत संलग्न किये जाने वाले शपथ पत्र (Affidavit) को विभागीय पत्रांक 1/पी०एम०सी०/विविध/629/2003-536 दिनांक 13.06.2013 के साथ परिशिष्ट-3 के रूप में संलग्न शपथ पत्र (Affidavit) के रूप में समावेशित एवं तदनुसार संशोधित कर दिया गया है । इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक अ०प्र०(मध्य)-एस०बी०डी०- 08/2011-141/मध्य दिनांक 25.11.2011 को इस हद तक उत्क्रमित माना जाय । साथ ही कंडिका-26 में पत्रांक दिनांक के रूप में पत्रांक 536 दिनांक 13.06.2013 पढ़ा जाए ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एस० के० चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक- 1/PMC/विविध/629/2003-130

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक- 3.02.2014

विषयः— जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन की पद्धति को सुदृढ़ एवं कारगर बनाने के संबंध में ।

महाशय,

जल संसाधन विभाग की चालू योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान प्रायः देखा जा रहा है कि अतिरिक्त कार्य मद, एकरारित कार्य मदों में वृद्धि, यांत्रिक विधि द्वारा मिट्टी तथा निर्माण सामग्रियों की ढलाई का लीड प्लान/समय वृद्धि तथा डिवाटरिंग की स्वीकृति समय पर नहीं दिये जाने के कारण योजनाओं की प्रगति पर कुप्रभाव पड़ रहा है एवं निर्धारित समय पर कार्यान्वयनाधीन योजनाओं को पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है । इस संबंध में राज्यस्तरीय बैठकों में भी अनेकों बार मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु निदेशित किया गया है परन्तु इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है ।

उक्त के आलोक में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्राक्कलनों का निर्माण एवं स्वीकृति विस्तृत सर्वेक्षण एवं समुचित आकलन के आधार पर बौरा एरिया प्लान/डिस्पोजल प्लान संलग्न करते हुए किया जाय, ताकि एकरारित मदों से विचलन/नये कार्य मदों का सृजन नहीं हो एवं लीड प्लान/समय वृद्धि की स्वीकृति के अभाव में भुगतान में विलम्ब नहीं हो । यदि अपरिहार्य स्थिति में एकरारित मदों में विचलन/नये कार्य मदों की स्थिति बनती है अथवा लीड प्लान/समय वृद्धि तथा डिवाटरिंग की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो इसका पूर्वानुमान एवं पूर्व आकलन कर लिया जाय । तदनुसार लोक निर्माण संहिता/एकरारनामा में प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत सक्षम प्राधिकार (अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता/मुख्यालय) से स्वीकृति की स्थिति में संबंधित प्राधिकार तुरन्त लिखित आदेश निर्गत करेंगे । संबंधित कार्यपालक अभियंता एतद संबंधी पस्ताव एक सप्ताह के अन्दर अधीक्षण अभियंता के स्तर पर समर्पित करेंगे । यदि अधीक्षण अभियंता पन्द्रह दिनों के भीतर प्राप्त प्रस्ताव का कारण सहित निष्पादन नहीं करते हैं, तो यह उनके स्तर पर कदाचार (Misconduct) माना जायेगा। इसी प्रकार मुख्य अभियंता अपने स्तर पर अधीक्षण अभियंता से प्राप्त प्रस्तावों को पन्द्रह दिनों के अन्दर कारण सहित निष्पादित करेंगे अन्यथा यह उनके स्तर पर कदाचार (Misconduct) माना जायेगा । मुख्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का निष्पादन एक माह के अन्दर कर दिया जायेगा अन्यथा यही प्रक्रिया मुख्यालय के अभियंत्रण संवर्ग पर भी लागू रहेगा ।

बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यों के मामले में बाढ़ के पूर्व कराये गए बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के लिए अतिरिक्त मद/एकरारित मद में वृद्धि/लीड/समय वृद्धि की स्वीकृति कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियन्ता अपने-अपने सक्षमता के अन्तर्गत 10 जुलाई तक निश्चित रूप से सम्पादित कर लेंगे । यदि उसकी स्वीकृति विभागीय स्तर पर अपेक्षित है तो 15 जुलाई तक

मुख्यालय में प्रस्ताव समर्पित कर दिया जाय । अन्यथा यह उनके स्तर पर कदाचार (Misconduct) माना जायेगा । इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव की स्वीकृति मुख्यालय के द्वारा अंतिम रूप से प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से एक माह की भीतर दे दिया जायेगा । अन्यथा मुख्यालय स्तर पर विलम्ब करने वाले अभियंत्रण सम्वर्ग के पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे ।

इसी प्रकार बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के मामले में मौनसून अवधि के दौरान कराये गए कार्यों से संबंधित अंतिम प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियन्ता के द्वारा निश्चित रूप से 22 अक्टूबर तक मुख्यालय में समर्पित कर दिया जायेगा अन्यथा यह उनके स्तर पर कदाचार (Misconduct) माना जायेगा । क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव की स्वीकृति मुख्यालय के द्वारा प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर दे दिया जायेगा अन्यथा मुख्यालय स्तर पर विलम्ब करने वाले अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवाद होंगे ।

क्षेत्रीय मुख्य अभियंता इस पत्र की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ कनीय अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव ।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
संकल्प

विषयः- राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में ।

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1399 (एस) दिनांक- 31.01.2008 द्वारा ₹ 20.00 लाख तक का कार्य आरक्षित किये जाने के संदर्भ में अधीक्षण अभियंताओं को चिन्हित कर अनियोजित अभियंताओं के लिए आरक्षित किया जाना है, जिसके अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग में गैर योजना शीर्ष में उपबंधित राशि का 15% एवं अन्य कार्य विभाग के कार्य अंचलों द्वारा योजना/गैर योजना शीर्ष में 15% कार्य कर्णांकित कर आरक्षित किया जाना है जिसके कारण कतिपय कार्यालयों द्वारा "स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी-04" के स्वरूप में आने के बाद अनियोजित अभियंताओं के लिए कार्य को आरक्षित इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसकी राशि ₹ 25.00 लाख से कम है जबकि "स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी" एवं "अनियोजित अभियंता श्रेणी" दोनों अलग-अलग है । पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-4144 (ई०) दिनांक-10.07.2012 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है । फिर भी उत्पन्न विरोधाभाष को दूर करने के लिए विभागीय संकल्प सहपठित ज्ञापांक संख्या-1399 (एस) दिनांक- 31.01.2008 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:—

(i) अनियोजित अभियंताओं के लिए निर्धारित प्रपत्र-"क" एवं प्रपत्र "ख" में "निबंधन संख्या-अ०प्र०/श्रेणी-3 (तृतीय)...../वर्ष पथ" की जगह पर "निबंधन संख्या-अ०प्र०/अनियोजित अभियंता...../वर्ष पथ होगा" ।

(ii) कंडिका-3 में "अधीक्षण अभियंता ₹ 20 (बीस) लाख रुपये तक की राशि के कार्यो को अनियोजित अभियंताओं के लिए चिन्हित कर सुरक्षित करेंगे" की जगह "अधीक्षण अभियंता ₹ 25 (पच्चीस) लाख रुपये से ऊपर एवं ₹ 50 (पच्चास) लाख तक के कार्यो को अनियोजित अभियंताओं के लिए चिन्हित कर सुरक्षित करेंगे" ।

(iii) यह निबंधन नियमावली "अनियोजित अभियंता श्रेणी निबंधन नियमावली" कहलायेगी ।

ह०/-
(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक- प्र०-6/नियम-03-04/02 (फोल्डर)- /पटना,
दिनांक .....

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह0/-
(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक- प्र०-6/नियम-03-04/02 (फोल्डर)- /पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक- प्र०-6/नियम-03-04/02 (फोल्डर)- / पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, सभी कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, सभी कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/सभी विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के सचिव (प्रा०), पथ निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(प्रत्यय अमृत)
सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

सं०स० 5/का०क्षे०-10-03/2013-1930/18.7.2013

<u>आदेश</u>

विभाग पत्रांक 529 दिनांक 13.06.2013 के अनुसार 10 (दस) करोड़ रुपये के लागत से अधिक लागत वाले योजना का तकनीकी-अनुमोदन तथा प्रावैधिक (तकनिकी) स्वीकृति का अधिकार मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध पटना में निहित रहेगा ।

इस प्रयोजनार्थ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध पटना का पुर्नगठन निम्न प्रकार किया हैः—

"वर्तमान में मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना के नियंत्राणाधीन संयुक्त निदेशक जल विज्ञान निदेशालय पटना को अधीनस्थ प्रमण्डलों के साथ (इन कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित) यथा स्थिति मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध पटना के नियंत्रणाधीन किया जाता है। स्पष्टतः इन कार्यालयों पर अब मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं आयोजन, पटना का नियंत्रण नहीं रहेगा ।

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकरण एवं शोध पटना के नियंत्रणाधीन पूर्व से कार्यरत अन्य अंचलों के अतिरिक्त उक्त जल विज्ञान निदेशालय, पटना भी कार्यशील रहेगा ।"

2. उक्त प्रयोजनार्थ विभिन्न अंचलों के अधीन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तकनीकी जाँच/योजनाओं के प्राक्कलन के तकनीकी अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्य क्षेत्र निम्नप्रकार होगाः—

(क) जल विभाग निदेशालय, पटना द्वारा जल विज्ञान आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण के साथ-साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जाँच एवं वांछित सुधार का कार्य भी किया जायगा । अर्थात, जल विज्ञान निदेशालय, पटना को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जाँच का दायित्व भी सौंपा जाता है। यह पूर्व से आवंटित कार्यभार के अतिरिक्त होगा।

(ख) बाढ़ परिक्षेत्र से संबंधित कटाव निरोधक योजनाओं की तकनीकी अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति बाढ़ नियंत्रण रूपांकण अंचल, पटना के माध्यम से किया जायेगा । यह पूर्व से आवंटित कार्यभार के अतिरिक्त होगा।

(ग) अन्य परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति निम्नप्रकार केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, पटना के वर्तमान अंचलों के द्वारा किया जायेगा-

(i) नहर एवं नहर संरचना रूपांकरण अंचल, पटना- बाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर, सिवान, समस्तीपुर

(ii) बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल, पटना- पटना, गया, औरंगाबाद, डिहरी, एवं भागलपुर

(iii) डैम सुरक्षा प्रकोष्ठ, पटना- दरभंगा, बीरपुर, पुर्णियाँ

यह पूर्व से आवंटित कार्यभार के अतिरिक्त रहेगा

3. उपरोक्त के अनुरूप प्रमण्डलों/अवर प्रमण्डलों (कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता) के बीच विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/योजनाओं का प्राक्कलन का वितरण मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा आवश्यकता के अनुसार तात्कालीक कार्य-भार को देखते हुए किया जायेगा ।

4. उपरोक्त पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

5. इस संबंध में पूर्व से निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेगें ।

6. यह आदेश तुरत प्रभावी होगा ।

ह०/-
(सुशील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक स० 5/का०क्षे०-10-03/2013-1930 पटना/दिनांक-18.7.2013

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुशील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक स० 5/का०क्षे०-10-03/2013-1930 पटना/दिनांक-18.7.2013

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/सभी अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता, बिहार/सभी विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी एम०आई० सेल को डाटा संधारण हेतु/प्रभारी कम्प्युटर कोषांग के साइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(सुशील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/विविध/629/2003-528

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

प्रेषक,

ई०एस०के० चटर्जी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक - 13.06.2013

विषयः— दो करोड़ रुपये एवं दो करोड़ रुपये से कम लागत वाले कार्यो के लिए Pre-qualification हेतु माप-दण्ड।

प्रसंगः— विभागीय पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/629/2003-90 पटना, दिनांक 16.01.2006

महाशय,

प्रासांगिक पत्र द्वारा एक करोड़ रुपये से कम लागत वाले कार्यो हेतु माप-दण्ड निर्धारित किया गया था । इस बीच मँहगाई वृद्धि के कारण इसे अब दो करोड़ रुपये के लागत वाले कार्यो

तक के लिए विस्तारित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है । अतएव दो करोड़ रुपये एवं दो करोड़ रुपये से कम लागत वाले कार्यो के निविदा हेतु Pre-qualification का माप-दण्ड निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:—

(1) विभाग के समुचित श्रेणी में निबन्धित हो, तत्संबंधी अद्धतन निबंधन प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया हो।

(2) निविदा-सूचना में अंकित अग्रधन की राशि समुचित रूप में समर्पित किया गया हो ।

(3) निम्न आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित किया गया हो ।

"I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing."

उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित दस्तावेज प्रथम लिफाफा (pre-qualification Bid/Technical Bid) में जमा करना होगा । सिर्फ प्रथम लिफाफा अर्थात उपरोक्त माप-दण्डों के आधार पर योग्य पाए जानेवाले निविदादाताओं का, दूसरा लिफाफा (Financial Bid/Price Bid) खोला जाएगा । अयोग्य निविदादाताओं का दूसरा लिफाफा (Financial Bid/Price Bid) जस-का-तस सम्बन्धित निविदादाताओं को वापस कर दिया जाएगा ।

पूर्व में निर्गत प्रासांगिक पत्र सहित विभागीय पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/629/2003-2374 दिनांक 26.12.2008 निरस्त किया जाता है । यह आदेश तुरत प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एस०के०चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/629/2003- 529

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

प्रेषक,

ई० सुमीर कुमार चटर्जी

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग,

बिहार ।

पटना, दिनांक - 13.06.2013

विषयः— बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम- 292, 293 एवं 294 के अनुसार परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन एवं प्रावैधिक स्वीकृति के संबंध में दिशा निदेश ।

प्रसंगः— पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-1/बी-12/2003 (पार्ट) 5452(S) दिनांक-26.5.2006

महाशय,

बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधान के अनुसार कार्यपालक अभियंता को 3.5 लाख रुपये, अधीक्षण अभियंता को 70 लाख रुपये तक के परियोजना तथा मुख्य अभियंता को बिना किसी सीमा के तकनीकी अनुमोदन एवं प्रावैधिक स्वीकृति देने का अधिकार प्रदत्त है । वृहद योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान ऐसा पाया जा रहा है कि कुछ आवश्यक मद को तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इन आवश्यक मदों को अतिरिक्त मद के रूप में शामिल कर परियोजना को पूरा करना पड़ता है। परिमाणस्वरूप परियोजनाओं की लागत राशि में वृद्धि होती है एवं इसके पुनरीक्षण की भी आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति के मद्देनजर कार्य के व्यापक हित में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि बड़ी परियोजनाओं के प्राक्कलन की जाँच मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण संगठन, पटना के स्तर पर किया जाये। तदनुसार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1/बी०-12/2003 (पार्ट)-5452(S) दिनांक 26.5.2006 के आलोम में परियोजनाओं के तकनीकी अनुमोदन तथा प्रावैधिक स्वीकृति का अधिकार निदेशानुसार निम्नरूपेण विकेन्द्रित किया जाता हैः—

(क) बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधान के अनुरूप कार्यपालक अभियंता को 3.5 लाख रुपये तथा अधीक्षण अभियंता को 70.00 लाख रुपये तक की परियोजना का तकनीकी अनुमोदन तथा प्रावैधिक स्वीकृति देने का अधिकार होगा ।

(ख) क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को 10.00 करोड़ रुपये तक के परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति देने का अधिकार होगा ।

(ग) 10.00 करोड़ रुपये के लागत से अधिक के परियोजना का तकनीकी अनुमोदन तथा प्रावैधिक स्वीकृति का अधिकार मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण संगठन, पटना में निहित रहेगा। इस परियोजनार्थ केन्द्रीय रूपांकण संगठन, पटना आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेगें।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए तथा अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाए ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुमीर कुमार चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/629/2003- 530

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० सुमीर कुमार चटर्जी

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

पटना, दिनांक - 13.06.2013

विषयः— अतिरिक्त मद के अन्तर्गत कार्य कराने के संबंध में ।

महाशय,

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त मद के रूप में बड़ी राशि का कार्य कराया जाता है, जिसके चलते कार्य की लागत राशि में काफी वृद्धि हो जाती है । अतिरिक्त मद में कराये गये कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव मुख्यालय में भेजा जाता है, जिसमें यह प्रमाण-पत्र अंकित नहीं रहता है कि इस अतिरिक्त मद अथवा एकरारित मद में वृद्धि के लिए कार्य कराने के पूर्व इन्जीनियर इन्चार्ज/सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

अतएव अतिरिक्त मद/एकरारित मद में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव जो मुख्यालय में समर्पित किये जाते हैं, उसमें इस आशय का प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न किय जाय कि अतिरिक्त मद/एकरारित मद में वृद्धि के तहत कार्य कराने के पूर्व आदेश सक्षम पदाधिकारी के द्वारा प्रदान किया गया ।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए तथा अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाए ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/629/2003- 531

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० सुमीर कुमार चटर्जी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

पटना, दिनांक - 13.06.2013

विषयः— निविदा आमंत्रण सूचना के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये निदेशानुसार कहना है कि जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदा सूचना का आमंत्रण प्रायः कार्यपालक अभियंता के स्तर से किया जाता है, जिसमें निविदा की शर्तो के निर्धारण में कई तरह की विसंगतियाँ दृष्टिगोचर हो रही है । इन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता महसूस की जा ही है ।

अतएव सम्यक समीक्षोपरांत निविदा आमंत्रण सूचना में एकरूपता लाने के उद्देश्य से आवश्यक है कि वैसे कार्य जिनका निविदा निस्तार विभागीय निविदा समिति के स्तर पर अपेक्षित है, उन मामलों में निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने के पूर्व निविदा अभिलेख, एन०आई०टी० एवं बी०ओ०क्यू० की जाँच संबंधित योजना एवं मोनिटरिंग अंचल से करा ली जाए एवं तदोपरांत ही निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की जाय । कार्यहित के विशेष प्रकृति के निविदाओं में मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग के कार्यालय से निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुमीर कुमार चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/629/2003- 532

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० सुमीर कुमार चटर्जी

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग,

बिहार ।

पटना,

दिनांक - 13.06.2013

विषयः— निविदा आमंत्रण हेतु ग्रुप निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि परियोजना के कार्य को क्षेत्रीय अभियंताओं के स्तर से खण्ड-खण्ड में बाँटकर निविदा आमंत्रित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप परियोजना के विभिन्न अवयव के कार्यो को निर्धारित समय पर पूरा करना संभव नहीं हो पाता है ।

अतएव किसी परियोजना के लिए निविदा/कोटेशन कितने टुकड़ों में मांगी जाय, इसका निर्धारण वही पदाधिकारी करेंगे, जो उस पूरे कार्य की निविदा/कोटेशन निस्पादन के लिए सक्षम हैं।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए तथा अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाए ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुमीर कुमार चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/629/2003- 533

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० सुमीर कुमार चटर्जी

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग,

बिहार ।

पटना,

दिनांक - 13.06.2013

विषयः— आमंत्रित निविदा का वित्तीय वीड खोलने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि तकनीकी वीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के उपरांत क्षेत्रीय मुख्य अभियंता आमंत्रित निविदाओं का वित्तीय वीड अपने स्तर से खोल कर इसे विभागीय निविदा समिति के विचारार्थ उपस्थापित करते हैं । कई मामलों में जहाँ एक से अधिक संवेदक के द्वारा निविदा में समान दर अंकित किये जाते हैं वहाँ मुख्य अभियंता द्वारा लॉटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन भी कर लिया जाता है । साथ ही जहाँ निविदादाता से दर वार्त्ता की आवश्यकता होती है मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से दर वार्त्ता कर विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित करते हैं। इस बीच कभी-कभी तकनीकी वीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर कई परिवाद भी प्राप्त होते हैं । फलतः प्राप्त परिवाद की जाँच में समय लगने के चलते कार्यावंटन में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी वीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के उपरांत विभागीय निविदा समिति की सहमति प्राप्त कर ही सफल निविदाकार के वित्तीय वीड को संबंधित मुख्य अभियंता के स्तर पर खोला जायेगा एवं तदोपरांत विभागीय निविदा समिति के विचारार्थ उपस्थापित किया जायेगा ।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए तथा अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाए ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/629/2003- 534

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० सुमीर कुमार चटर्जी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

पटना, दिनांक - 13.06.2013

विषयः— बाढ़ सुरक्षात्मक/बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए समय वृद्धि के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समय वृद्धि की स्वीकृति के मामले मुख्यालय में प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रायः समय वृद्धि के औचित्य हेतु इन्जीनियर इन्चार्ज अथवा सक्षम प्राधिकार का लिखित आदेश संलग्न नहीं रहता है, जिसके अभाव में यह स्थापित नहीं हो पाता है कि निर्धारित अवधि पर कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ एवं निर्धारित समय के उपरान्त कार्य जारी रखने का आदेश किस स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रदान किया गया ।

अतएव भविष्य में समय वृद्धि हेतु मुख्यालय में समर्पित किये जाने वाले सभी प्रस्ताव में इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय कि निर्धारित अवधि बीतने के पश्चात् इन्जीनियर इन्चार्ज अथवा किस सक्षम पदाधिकारी के द्वारा संवेदक को कार्य जारी रखने का आदेश दिया गया है, साथ ही समय वृद्धि का पूर्ण औचित्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाय ।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाय तथा अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/विविध/629/2003- 535

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० सुमीर कुमार चटर्जी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक - 13.06.2013

विषयः— क्षेत्रीय स्तर पर निष्पादित निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्रों के निस्तार के संबंध में निर्गत दिशा निदेश में संशोधन के संबंध में ।

प्रंसगः— विभागीय पत्रांक-मो०-4-कार्य-पी-339/06 पार्ट-III - 160 पटना दिनांक 25.01.2007

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक विभागीय पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर निष्पादित निविदाओं के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्रों के निस्तार के संबंध में दिशा-निदेश निर्गत है। इस निर्गत दिशा-निदेश में कतिपय संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

अतएव निष्पादित निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद के निस्तार हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जाती हैः—

(क) जब मुख्य अभियंता के स्तर पर निष्पादित निविदा के विरूद्ध कोई परिवाद प्राप्त होता है, तो विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति द्वारा इस पर विचार किया जाएगा, जिसमें निविदा से सम्बद्ध मुख्य अभियंता सभी कागजातों के साथ उपस्थित होंगे । विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति की अनुशंसा पर अंतिम निर्णय विभागीय प्रधान सचिव एवं आवश्यकतानुसार विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

(ख) मुख्य अभियंता से नीचे स्तर पर निष्पादित निविदा पर जब परिवाद प्राप्त होंगे, तो संबंधित विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति के समक्ष मुख्य अभियंता अपने सुस्पष्ट मंतव्य प्रतिवेदित करते हुए सभी कागजातों को रखेंगे तथा निविदा निष्पादन करने वाले पदाधिकारी के साथ उपस्थित होंगे ।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए तथा अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाए ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(एस० के० चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक — 535, पटना/दिनांक- 13.06.13

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख (उत्तर/मध्य), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 1/2/3/4 एवं बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग,

पटना/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(एस० के० चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/विविध/629/2003-536

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० एस० के० चटर्जी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक - 13.06.2013

विषयः— दो करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यो के SBD के आधार पर प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु निर्गत विभागीय दिशा-निर्देश के संबंध में ।

प्रंसगः— विभागीय पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/629/2003-335 पटना, दिनांक 06.03.2009

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा एक करोड़ रुपये एवं इसके उपर के कार्यो के लिए SBD के आधार पर प्राप्त होने वाले निविदाओं के तकनीकी बीड के निष्पादनार्थ विभागीय मार्गनिर्देश पूर्व से निर्गत है । इस निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में निविदाओं के तकनीकी बीड के निष्पादन में कठिनाईयों एवं प्राप्त होने वाले परिवादों के मद्देनजर तथा बिहार लोक निर्माण संहिता के कतिपय कंडिकाओं में पुनरीक्षण हो जाने के कारण विभागीय स्तर से पूर्व में निर्गत दिशानिर्देश में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

2. विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि SBD के आधार पर दो करोड़ रुपये से उपर के कार्यो के लिए प्राप्त होने वाले निविदाओं के निष्पादन में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएः—

(क) प्रथम प्रक्रमः— यह प्रक्रम निविदाओं के तकनीकी बीड में सफल होने के लिए अनिवार्य होगी । इस प्रक्रम पर असफल पाये जाने वाले निविदाकारों के तकनीकी बीड प्रारंभ में अस्वीकृत होगा एवं किसी भी हालत में विचारणीय नहीं होगा । इस प्रक्रम में निम्न बिन्दु सम्मिलित होंगे:—

(i) Registration (IFB & NIT)

(ii) Earnest Money (ITB-cl-16 & IFB)

(iii) Experience: Similar Nature of Work Executed {ITB-cl-4.5(A) (b)} (Financial value)

(iv) Turn Over {ITB-cl-4.5(A)(a)}

(v) Legal Identity-Affidavit {Section-2 -sl-2.1(i)}

(ख) द्वितीय प्रक्रमः— इस प्रक्रम पर SBD के तहत eligibility criteria के निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में निविदाकारों को Clarification & Modification का अवसर दिया जायेगा एवं इस क्रम में उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जाएगी जो निविदा प्राप्ति की तिथि के पूर्व के होंगे । निविदा प्राप्ति के बाद की तिथि के कागजातों/अभिलेखों की अनुमान्यता किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी।

(i) Technical Personnel {ITB-Cl-4.5(B)(b)}

(ii) Key Plant & Equipment {ITB-Cl-4.5(B)(a)}

(iii) Experience in terms of quantity {ITB-Cl-4.5(A)(c)}

(iv) Bid capacity {ITB-Cl-4.7}

(v) Programme of construction {ITB-Cl-4.3&4.5(B)(a)}

(vi) Labour Licence

(vii) Power of Attorney {ITB-Cl-4.2(iv)}

(viii) Liquid asset & Credit Facility

(ग) Litigation History, Investment Ability, Tender validity Period एवं Non association with departmental officials के अन्तर्गत SBD के प्रावधानों को पूरा करने/पालन करने में जाँच की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई संवेदक निविदा देता है (डालता है) तो यह माना जाएगा कि वे इन शर्त्तो को पूरा करते हैं । यदि बाद में पता चलता है कि वे इन शर्त्तो को पूरा नहीं करते हैं तो इसके आधार पर उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके लिए उनके विरूद्ध विभाग में लागू निबंधन नियमावली के अन्तर्गत कार्रवाई किया जा सकेगा ।

(घ) Proposal of Sub-Contract {ITB-Cl-4.2(iii)}:— जब सम्वेदक प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक राशि के कार्यांश को किसी एक सब-कन्ट्रैक्टर से कराने का प्रस्ताव देता है तो सब-कन्ट्रैक्टर के योग्यता आदि की जाँच करनी होगी । यदि सब-कन्ट्रैक्टर की योग्यता से विभाग संतुष्ट नहीं हो पाता है तो सम्वेदक को अपना प्रस्ताव वापस लेना होगा एवं उस भाग के कार्य को भी निविदादाता को स्वयं करने को तैयार होना पड़ेगा अन्यथा माना जायेगा कि निविदादाता कार्य कराने से भाग रहे हैं एवं उनका Earnest Money जब्त कर लिया जायेगा ।

(च) Joint Venture:- Joint Ventrue के रूप में निविदा में भाग लेने हेतु पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक प्रो०-6/नियम-02/2010-8131(S), पटना दिनांक 24.07.2012 में अंकित शर्त्तो (परिशिष्ट-प्) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

(छ) निविदा आमंत्रण सूचना में एकरूपता रखने के उद्देश्य से निविदा आमंत्रण सूचना का Model Draft परिशिष्ट- (2) के रूप में संलग्न है ।

(ज) एस०बी०डी० के Section-2 के तहत शपथ (Affidavit) संलग्न करने हेतु संशोधित शपथ पत्र (Affidavit) प्रारूप परिशिष्ट (3) के रूप में संलग्न है ।

(झ) कार्यानुभव के तहत Common एवं Major item of work के लिए ही अनुभव की मांग की जाए ना कि Minor item के लिए ।

उपरोक्त वर्णित मार्गनिर्देशों को आमंत्रित निविदाओं की शर्त्तो में शामिल करने हेतु सभी मुख्य अभियंता अपने-अपने प्रक्षेत्रों में सुनिश्चित करेंगे । यह दिशा निर्देश निर्गत तिथि से लागू मानी जाएगी । प्रासंगिक पत्र से निर्गत मार्गनिर्देश की अन्य कंडिकाएँ विलोपित समझा जाए ।
अनु०- यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(एस० के० चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक — 536
पटना/दिनांक- 13.06.2013

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख (उत्तर/मध्य)/सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग संगठन/
अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(एस० के० चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-1/स्था०-10/2013 363 त०प०को०
बिहार सरकार
निगरानी विभाग
तकनीकी परीक्षक कोषांग,
बैरक सं०-3, मुख्य सचिवालय, पटना ।

प्रेषक,

अजय नायक,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/

प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी ।

पटना, दिनांक 11.4.13

विषयः- निविदित दर की न्यूनतम सीमा के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि पथ निर्माण विभाग ने निगरानी विभाग से अनुरोध किया था कि वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में अभियंत्रण कार्याे के कार्यान्वयन की पद्धति से संबंधित विषयक मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 की कंडिका-14 जो कि "बिल ऑफ क्वांटिटी में वर्णित राशि से 15 प्रतिशत से कम की निविदा दर आमान्य होगी । इस शर्त्त को निविदा/कोटेशन की नोटिस में स्पष्ट करना आवश्यक होगा" एवं पत्रांक 2347 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका-6(ग) के संशोधन पर विचार किया जाय ।

उक्त के आलोक में निगरानी विभाग के पत्रांक 246 दिनांक 11.03.2013 से सभी कार्य विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों की एक बैठक दिनांक 21.03.2013 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी। आयोजित बैठक में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि-

(क) मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 की कंडिका-14 तथा पत्रांक 2347 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका-6(ग) को वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में विलोपित किया जाय ।

(ख) वर्त्तमान में अनुसूचित दर प्रकाशन एवं कार्य विभागों का नोडल विभाग पथ निर्माण विभाग है । अतः निविदित्त दर की न्यूनतम अधिसीमा कितनी हो इस संबंध में पथ निर्माण विभाग अपने स्तर से सभी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करे । निगरानी विभाग के स्तर से संबंधित विषयक, जो प्रस्ताव एवं मंतव्य प्राप्त हुए हैं उन्हें निगरानी विभाग के स्तर से पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय ।

(ग) यह भी निर्णय लिया गया कि ओभर हेड चार्जों के विषमताओं एवं अनुसूचित दर के विषमताओं के संदर्भ में पथ निर्माण विभाग के स्तर से कार्रवाई की जाय ।

अतः वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कंडिका-"क" के निर्णय के आलोक में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 की कंडिका-14 तथा पत्रांक 2347 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका-6(ग) को विलोपित किया जाता है । उपरोक्त कंडिका-"ख" एवं "ग" के संबंध में पथ निर्माण विभाग के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई किया जाना है ।

अनुरोध है कि इसकी सूचना अपने अधीनस्थ सभी निगम/बोर्ड/निदेशालय एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अजय नायक)
प्रधान सचिव

पत्रांक- 382
दिनांक-29.04.2013

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (यांत्रिक सहित) निदेशक, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई सेल, पटना/संयुक्त निदेशक, एफ०एम०आई०एस०सी०, अनिसाबाद, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, पटना/अवर सचिव काडा, पटना को सूचनार्थ एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(धीरेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (मध्य)
जल संसाधन विभाग, पटना ।

पत्रांक: 07/सू०प्रा०-191/2010-441

बिहार सरकार

सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक- 08.04.2013

विषयः- e-Tendering/e-Procurement प्रणाली में निविदा प्रपत्र का मूल्य, विड प्रासेसिंग फीस एवं अग्रधन की राशि e-Payment विधि से प्राप्त किये जाने के संबंध में ।
[Submission of the Tender Paper/BOQ/Bid Processing Fee & Earnest Money through e-Payment Gateway under e-Tendering/e-Procurement System-reg.]

वित्त विभाग के संकल्प-सह-पठित ज्ञपांक-एम०-4-11/09-5188 वि० (2) दिनांक 15.06.2009 द्वारा राज्य में ₹ 25.00 लाख से अधिक की निविदायें e-Tendering/e-Procurement के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था लागू की गई है, जिसकी जिम्मेवारी सूचना प्रावैधिकी विभाग को सौंपे जाने के साथ-साथ उक्त प्रक्रिया के सम्पादन हेतु स्टेट नोडल एजेन्सी बेल्ट्रॉन को राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत किया गया है । e-Tendering/e-Procurement प्रणाली में e-Payment की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पूर्व की पारम्परिक व्यवस्था के अनुरूप निविदाओं के परिमाण विपत्र का मूल्य (बैंक ड्राफ्ट के रूप में) तथा अग्रधन की राशि (यथा निदेशित बैंक गारन्टी, पासबुक आदि के रूप में) जमा करने हेतु संबंधित संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि को कार्य से संबंधित कार्यालय में जाने की बाध्यता बनी रहती है। जिस कारण से e-Tendering/e-Procurement प्रणाली से

निष्पादित की जाने वाली निविदाओं हेतु निरूपित उद्देश्य की प्राप्ति शत्-प्रतिशत नहीं हो पाता है । इस कारण पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा e-Tendering/e-Procurement प्रणाली में निविदा प्रपत्र का मूल्य, विड प्रोसेसिंग फीस एवं अग्रधन की राशि e-Payment विधि से प्राप्त करने के प्रावधान को बिहार लोक निर्माण संहिता की नियम-161(क) एवं 161(ख) के रूप में समाहित करने तथा तद्नुसार बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता एवं Procurement of Civil Works हेतु उपलब्ध Standard Bidding Document की सुसंगत नियमों में भी उपर्युक्त प्रावधान को सम्मिलित किये जाने हेतु निर्णय पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना ने अपने संकल्प-सह-पठित ज्ञापांक- प्र०-6/ निविदा-(उ०बि०)- 01/2006-9535(एस) दिनांक 23.08.2011 द्वारा लिया है ।

2. उक्त निर्णय के फलस्वरूप e-Tendering/e-Procurement प्रणाली में e-Payment की व्यवस्था लागू किये जाने पर परिमाण विपत्र का मूल्य, अग्रधन की राशि इत्यादि जमा करने हेतु निविदाओं से संबंधित परिमाण विपत्र का मूल्य/अग्रधन की राशि आदि जमा करने हेतु संवेदक को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी । संबंधित संवेदक e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के माध्यम से वांछित परिमाण विपत्र का मूल्य/अग्रधन की राशि इत्यादि सुगमतापूर्वक जमा कर पायेंगे ।

3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि e-Tendering/e-Procurement प्रणाली में e-Payment को बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि०, बेल्ट्रॉन, पटना के माध्यम से लागू किया जाय । (e-Tendering/e-Procurement प्रणाली हेतु e-Payment से संबंधित दिशा-निर्देश संलग्न)।

4. उक्त प्रक्रिया का क्रियान्वयन निम्न रूप में किया जायेगा:—

(i) **BSEDC Processing Fee:-** निविदा आमंत्रण के क्रम में निविदाकारों को e-Payment Mode के लिए निर्धारित शुल्क बेल्ट्रॉन के बैंक खाते में जमा करना होगा, जो कि (Non-Refundable) अप्रत्यर्पणीय होगा ।

(ii) **Form/BOQ Fee**:- निविदा हेतु Form/Bill of Quantity (BOQ) शूल्क e-Payment Mode के माध्यम से देय होगा, जिसे संबंधित विभाग बेल्ट्रॉन के Tender Fee Pool Account में हस्तांतरित करेंगे । Fee/BOQ हेतु निर्धारित शूल्क एक बार निविदाकार के द्वारा जमा करा दिया जाता है तो उसे वापस नहीं किया जायेगा ।

(iii) **EMD Payment Option**:- किसी भी निविदा में अग्रधन की जमा राशि को e-Payment Mode/ Physical Mode/Manual Payment System में प्रदान किया जा सकता है ।

 Physical Mode of Submission:- यदि कोई निविदाकार Physical Mode के माध्यम से अग्रधन की राशि जमा कराना चाहता है तो सर्वप्रथम e-Procurement के मूल Website पर जा कर NSC/KVP/FD/Term Deposit Pass Book/BG इत्यादि को स्कैन कर के दस्तावेज को जमा करा सकता है ।

- वर्त्तमान में अग्रधन की राशि विभाग जिस कार्यालय के द्वारा प्राप्त करने की कार्रवाई कर रहा है । उस चिन्हित कार्यालय हेतु के समय तक उक्त मूल दस्तावेज की हार्ड कॉपी को निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस तक समर्पित किया जा सकता है ।
  - **e-Payment Mode**:- यदि कोई निविदाकार e-Payment के माध्यम से अग्रधन की राशि जमा कराना चाहता है तो उसे उक्त राशि को बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि०, पटना खाते में Debit Card/Credit Card/RTGS/NEFT एवं Internet Banking के माध्यम से जमा करना होगा, जिसे स्टेट नोडल एजेन्सी संबंधित विभाग के केन्द्रीय खाते में हस्तांतरित करेगा ।
  - **Process for Refund of EMD**:- निविदा प्राधिकारी ई.-निविदा प्रणाली में संबंधित निविदा के लिए Online मोड में निविदा निष्पादन की प्रक्रिया को पूरा करेगा।
  - तत्पश्चात् निविदा प्राधिकारी अग्रधन की राशि की वापसी के लिए प्रत्येक निविदा के साथ ई.-निविदा प्रणाली में उपलब्ध लिंक के माध्यम से सूचना उत्पन्न करेगा ।
  - इस सूचना की एक प्रति चयनित/अधिकृत बैंक, विभाग के नोडल पदाधिकारी तथा स्टेट नोडल एजेन्सी बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना को निविदा प्राधिकारी के द्वारा ईमेल के माध्यम से जानकारी हेतु उपलब्ध कराया जायेगा ।
  - निविदा प्राधिकारी द्वारा उत्पन्न रिपोर्ट के अनुसार निविदा प्राधिकारी नीचे उल्लेख किये गये प्रक्रिया का पालन करेंगे ।
  - **If the EMD received vide e-Payment**:- अग्रधन की राशि वापसी के लिए निविदाकार विभाग के नोडल अधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी को सूचित करेंगे । जिसके आधार पर विभाग के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी बेल्ट्रॉन के चयनित/अधिकृत बैंक खाते में से अग्रधन की राशि की वापसी हेतु निविदाकारों के पक्ष में सूचित करेंगे। विभाग से सूचना प्राप्त होने के बाद चयनित/अधिकृत बैंक प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई करते हुए ईमेल के माध्यम से वापसी संबंधी कार्रवाई कर विभाग को सूचित करेगा ।

5. अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में e-Tendering/e-Procurement प्रणाली में निविदा प्रपत्र का मूल्य, विड प्रोसेसिंग फीस एवं अग्रधन की राशि e-Payment विधि से प्राप्त करते हुए निविदा BOQ Fee/अग्रधन जमा करने की राशि/बेल्ट्रॉन का Bid Processing Fee को e-Payment Mode में निम्नांकित माध्यमों से जमा किया जा सकता है:—

- Internet Payment Getway (Credit/Debit Card)
- Internet Banking
- NEFT/RTGS

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

बिहार राज्पाल के आदेश से

ह०/-

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: 07/सू०प्रा०-191/2010-441 पटना, दिनांक 08.04.13

प्रतिलिपि: (अनुलग्नक सी०डी०सहित) उप सचिव, ई.-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी पाँच सौ प्रतियों को सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने के कृपा की जाय ।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: 07/सू०प्रा०-191/2010-441 पटना, दिनांक 08.04.13

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: 07/सू०प्रा०-191/2010-441 पटना, दिनांक 08.04.13

प्रतिलिपि: सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/ सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: 07/सू०प्रा०-191/2010-441 पटना, दिनांक 08.04.13

प्रतिलिपि: प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना/वरीय परामर्शी (SeMT)/परामर्शी (SeMT), सूचना प्रावैधिकी विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक: 07/सू०प्रा०-191/2010-441

पटना, दिनांक 08.04.13

प्रतिलिपि: माननीय मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/सभी मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-277 पटना, दिनांक— 15.04.2013

प्रतिलिपिः— अभियंता प्रमुख (उत्तर)/अभियंता प्रमुख (मध्य)/सभी मुख्य अभियंता (याँत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 1,2 एवं 3 /अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मोनिटरिंग/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री उपलब्ध निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०ः- यथावत ।

ह०/-

(राकेश कुमार)

अवर सचिव,

कमांड क्षेत्र विकास निदेशालय

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

e-Payment System for e-Tendering Process for the submission of the BSEDC Processing Fee, Tender/BOQ Fee and Earnest Money Deposit (EMD)

After the implementation of e-payment system the BSEDC Service will be paid sperately by each bidder for each tender. So in case of e-Payment bidder have to update three links in the e-Procurement Portal for every tender he wishes to participate.

1. **For BSEDC Service Charge**:- It will include the service tax also.

   Pay the BSEDC Service Charge as follows:-

   - Click on the update Tender Processing Fee Detail Link.

   If a bidder wishes to pay through card then:-

   - Click on link "Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card)".
   - Then click on pay now button after which he will select the card type (i.e. Master or Visa).
   - After selecting the card he will get the fields Card Number, Expiry Date, Security Code for updating. After updating bidder will click on "Pay Now" button.
   - Then he has to enter the "Secure Code" and click on submit button. After this the payment will be credit into the BSEDC Processing Fee account and bidder will get the reference no. which will also automatically update in the Tender Processing Fee Detail link of the respective Tender.

   If a bidder wishes to pay through Internet Banking then:-

   - Click on link "Internet Banking".
   - Then click on pay now button after which he will be directed to Selected / Authorised Bank Internet banking Portal.
   - Then the bidder will login with his Internet Banking User-ID and Password. Then again he will verify the payment detail and click on Pay button.
   - After this he will have to authenticate/validate the transaction.
   - Once the bidder will validate the transaction the payment will be processed and credited into BSEDC Processing Fee account and bidder will get the reference

no. which will also automatically update in he Tender Processing Fee Detail link of the respective Tender.

If a bidder wishes to pay through NEFT/RTGS then:-

- Bidder will generate the challan by clicking on link "NEFT/RTGS Challan" link.

If a bidder wishes to pay through Internet Banking then :-

- Click on link "Internet Banking".
- Then click on pay now button after which he will be directed to Selected / Authorised Bank Internet banking Portal.
- Then the bidder will login with his Selected/Authorised Bank Internet Banking User-Id and Password. Then again he will verify the payment detail and click on Pay button.
- After this he will have to authenticate/validate the transaction.
- Once the bidder will validate the transaction the payment will be processed and credited into BSEDC Tender Fee Pool account and bidder will get the reference no. which will also automatically update in the Tender Fee Detail link of the respective Tender.

If a bidder wishes to pay through NEFT/RTGS then:-

- Bidder will generate the challan by clicking on link "NEFT/RTGS Challan" link.

  Note:- The challan will contain the account number (some of the last digit of this account no. vary according to the tender for which bidder is wishing to participate) so for every tender bidder gets the link for the generation of the challan through the respective tenders only. Based on this account no. it will identified from the report that for which tender which bidder has made the payment.
- Then bidder will take the challan print out and fill it accordingly and after which he has to visit the bank during the banking hours for the payment.
- The banker will provide the "Refrence No." to the bidder in the bidder challan copy.

- Then the bidder will login in to the e-Tendering portal and update the below mentioned field by clicking on "Tender Fee Details"
  - Update the fields there i.e. Mode of Payment is selected from the options.
  - Enter the REF No. provided by the banker
  - Enter the Date.

Amount is reflected automatically as described by the tendering authority during the time of online tender creating.

- Once the bidder will make the payment at the Bank it will deposited into the BSEDC Tender Fee Pool account as per RBI described time line on real times basis.

Note:- The challan will contain the account number (some of the last digit of this account no. vary according to the tender for which bidder is wishing to participate) so for every tender bidder gets the link for the generation of the challan through the respective tenders only. Based on this account no. it will identified from the report that for which tender bidder has made the payment.

- Then bidder will take the challan print out and fill it accordingly and after which he has to visit the bank during the banking hours for the payment.
- The banker will provide the "Reference No." to the bidder in the bidder challan copy.
- Then the bidder will login in to the e-Tendering portal and update the below mentioned field by clicking on "Tender Processing Fee Details"
  - Updated the fields there i.e. Mode of Payment is selected from the options.
  - Enter the REF No. provided by the banker
  - Enter the Date

Amount is reflected automatically as described by the tendering authority during the time of online tender creating.

- Once the bidder will make the payment at the Bank it will deposited into the BSEDC Processing Fee account as per RBI described time line on real time basis.

The same is the process for OTC, in this bidder have to click on OTC Challan Link in spite of NEFT RTGS Challan Link.

2. For Tender/BOQ FEE :-

Pay the Tender/BOQ Fee as follows:-

- Click on the update Form Fee Detail Link.

If a bidder wishes to pay through Card then :-

- Click on link "Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card)".
- Then click on pay now button after which he will select the card type (i.e. Master or Visa).
- After selecting the card he will get the fields Card Number, Expiry Date, Security Code for the updating. After updating bidder will click on "Pay Now" button.
- Then he has to enter the "Secure Code" and click on submit button. After this the payment will be credit into the BSEDC Tender Fee Pool account and bidder will get the reference no. which will also automatically update in the Tender Fee Detail link of the respective Tender.

If a bidder wishes to pay through Internet Banking then:-

- Click on link "Internet Banking".
- Then click on pay now button after which he will be directed to Selected/Authorised Bank Internet banking Portal.
- Then the bidder will login with his Selected/Authorised Bank Internet Banking User-ID and Password. Then again he will verify the payment detail and click on Pay button.
- After this he will have to authenticate/validate the transaction.
- Once the bidder will validate the transaction the payment will be processed and credited into the respective department account and bidder will get the reference no. which will also automatically update in EMD Detail link of the respective Tender.

If a bidder wishes to pay through NEFT/RTGS then:-

- Bidder will generate the challan by clicking on link "NEFT/RTGS challan" link.

Note:- The challan will contain the account number (some of the last digit of this account no. vary according to the tender for which bidder is wishing to participate) so for every tender bidder gets the link for the generation of the challan through the respective tenders only. Based on this account no. it will identified from the report that for which tender which bidder has made the payment.

- Then bidder will take the challan print out and fill it accordingly and after which he has to visit the bank during the banking hours for the payment.
- The banker will provide the "Reference No." to the bidder in the bidder challan copy.
- Then the bidder will login in to the e-Tendering portal and update the below mentioned field by clicking on "EMD Details"
  - Update the fields there i.e. Mode of Payment is selected from the options.
  - Enter the REF No. provided by the banker
  - Enter the date.

Amount is reflected automatically as described by the tendering authority during the time of online tender creating.

- Once the bidder will make the payment at the Bank it will deposited into the respected department account as per RBI described time line on real time basis.

The same is the process with OTC in this bidder have to click on OTC Challan Link in spite of NEFT RTGS Challan Link.

Note:- This Tender/BOQ fee will be transferred to the respective department central account on the next day of the payment received in BSEDC Pool account. For this the user departments have to provide their Bank Account No. in which this payment received is required to be deposited.

3. **For EMD:-** The payment for EMD can be exercised through any mode i.e. manual payment system as going at present according to PWD prescribed code or may also be paid through e-Payment as described below.

In case of manual payment system:-

Scan the original hard copy and upload in the e-Procurement website to the respective tender after login through their e-Tendering user-id.

- Click on the update EMD Details Link.
- Update the fields there i.e. Mode of Payment is selected from the options.
- Enter the DD/REF No.
- Enter the Date
- Amount is reflected automatically as described by the tendering authority during the time of online tender creating.

The original had copy of the EMD, which may be a DD/NSC/KVP/BG or any other mode as prescribed under PWD code, is submitted in the office within the next working day before tender opening time.

In case of e-Payment system;-

- Click on the update EMD Detail Link.

If a bidder wishes to pay through Card then:-

- Click on link "Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card)".
- Then Click on pay now button after which he will select the card type (i.e. Master or Visa.)
- After selecting the card he will get the field Card Number, Expiry Date, Security Code for the updating. After updating bidder will click on "Pay Now" button.
- Then he has to enter the "Secure Code" and click on submit button. Afer this payment will be credit into the respective department account (for this the user departments need to open a account with Selected/Authorised Bank) and bidder will get the reference no. which will also automatically update in EMD Detail link of the respective Tender.

The same is the process with OTC in this bidder have to click on OTC Challan Link in spite on NEFT RTGS Challan Link.

Note:- For this the user departments need to open the account with Selected/ Authorised Bank for complete automated process i.e. for the collection of EMD and its refunding (to unsuccessful bidder) after the award of the tender to the successful bidder or if the tender is cancelled due to some reason.

Refund of BSEDC Processing Fee and Tender/BOQ Fee:-

Once the BSEDC Processing Fee or Tender/BOQ Fee is deposited by the bidder then the fee will be non refundable whether the bidder don't participate for the tender or he withdraw from the tender.

Refund of EMD:-

- The tendering authority will complete the process of awarding of the tender in online mode, to the respective bidder in the e-Tendering system.
- Then the tendering authority has to generate the report for the EMD refund through the link available with each tender in the e-Tendering system.
- This report will be sent by tendering Authority through e-Mail to Selected/Authorised Bank and Department Nodal Officer with a copy to BSEDC (for information).
- As per the report generated by the tendering authority, the tendering authority will follow the below mentioned process.

If the EMD received vide physical mode:-

- The department officer has to refund the EMD by the same process as it is now.

If the EMD received vide e-Payment:-

- The tendering authority has to inform for the refund of the EMD to its department nodal officer/authorized signatory through system auto generated e-Mail.
- Based on the report received through e-Mail by tendering authority, the Nodal officer will instruct Selected/Authorised Bank for the refund of the EMD amount of the respective bidder through e-mail.
- Based on the information received, Selected/Authorised Bank will match the report received from the department and the received e-mail from the e-Tendering application and then the refund of the EMD should be processed.
- Selected/Authorised bank will provide the refund information to the respective department and BSEDC Ltd.

Online verification of BSEDC Processing Fee, Tender/BOQ Fee and EMD by the tendering authority:-

After opening of the tender the tendering authority will generate the BSEDC Processing Fee report, Tender/BOQ Fee report and EMD report through the e-Procurement Portal based on which the tendering authority will verify the BSEDC Processing Fee, Tender/BOQ Fee and EMD in e-Tendering portal for each of the participated bidder and process further.

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्र संख्या-

/पटना, दिनांक—

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख (मध्य)
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

विषयः— निविदा निस्तार में नियमों के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निविदाओं का निस्तार बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अधीन निर्धारित वित्तीय सीमा के आधार पर संबंधित प्राधिकार द्वारा किया जाता है । मुख्य अभियंता, डिहरी के परिक्षेत्राधीन निविदाओं के निस्तार के संबंध में परिवाद में उल्लेखित आरोपों के जांचोपरांत दिनांक-30.01.2013 को निविदा समिति के समक्ष यह मामला प्रकाश में आया कि तकनीकी बीड में सफल संवेदकों में से कुछ संवेदकों को उनके अनुरोध पर मात्र अग्रधन की राशि जब्त करते हुए

निविदा वापस लेने की अनुमति दी गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि निविदा उल्लेखित न्यूनतम दर से उच्च दर पर निविदाओं का आवंटन किया गया था जो निविदा के स्थापित नियमों एवं निविदा द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर कार्य आवंटन के प्रावधान के विरूद्ध है जिसके कारण निविदाएं रद्द कर दी गई तथा दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया ।

अतएव सभी मुख्य अभियंताओं को यह निदेशित किया जा रहा है कि ऐसे सभी मामलों की समीक्षा कर ली जाय और वस्तुस्थिति से विभाग को अवगत कराया जाय । साथ ही भविष्य में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाय । यदि किसी कारणवश संवेदक द्वारा मानक निविदा अभिलेख के आई०टी०बी० नियम- 16.6(ए) के अधीन बीड वापस भी लिया जाता है तो उनकी अग्रधन की राशि जब्त करते हुए उनके विरूद्ध कालीकरण की कार्रवाई की जाएगी और निविदा में प्राप्त सभी वित्तीय बीड खोले जाऐंगे तथा न्यूनतम उद्धृत दर पर ही निविदा आवंटित की जाएगी।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देश का तत्काल पालन किया जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(धीरेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक- 13/मध्य
पटना, दिनांक- 31.01.13

प्रतिलिपिः— अभियंता प्रमुख (उत्तर)/मुख्य अभियंता (यो० एवं मो०)/अधीक्षण अभियंता (यो० एंव मो०), अंचल सं०-1/2/3 एवं बाढ़, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(धीरेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (मध्य)

संचिका संख्या-1/पी०एम०सी०/विविध/812/2009-भाग-1-1000/

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री सुमीर कुमार चटर्जी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग, बिहार ।
निदेशक,
क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय
अवर सचिव,
कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय

पटना, दिनांक - 21/12/2012

विषयः— Royalty मद में कटौती की गई राशि के साथ व्यवहृत खनिजों की विवरणी भेजने के संबंध में।

प्रसंगः— खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक 2860 दिनांक 19.10.2012 तथा अधिसूचना सं० 244, 245 एवं 250 दिनांक 27.01.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के प्रासांगिक पत्र एवं अधिसूचना द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन कृपया दृढ़ता से कराना सुनिश्चित किया जाय —

(1) जल संसाधन विभाग के सभी कार्यालय जो स्वामित्व मद में कटौती करते हैं, उन्हें कटौती के राशि के चेक/ड्राफ्ट के साथ-साथ व्यवहृत लघु खनिज का प्रकार, मात्रा एवं कटौती की दर का ब्यौरा अनिवार्य रूप से संबंधित जिला खनन कार्यालयों को उपलब्ध करायेंगे ।

(2) खान एवं भूतत्व की अधिसूचना 244, 245 एवं 250 दिनांक 27.01.2012 (छायाप्रतियाँ संलग्न) से लघु खनिजों का नया दर प्रभावी है । अतः सभी लघु खनिजों के स्वामित्व (Royalty) की कटौती नये दर से की जाय ।

अनु०- यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्रांक-प्र०-6/द०बि०नियम-03-02/2004-11960(S) पटना, दिनांक- 12.11.12

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
प०नि०वि० (रा०उ०प० उपभाग सहित)
सभी अधीक्षण अभियंता,
प०नि०वि० (रा०उ०प० अंचल सहित)
सभी कार्यालय अभियंता,
प०नि०वि० (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)

विषयः— पथ कार्य के निविदा शर्त में संशोधन के संबंध में ।

प्रसंगः— विभागीय पत्रांक-4919(एस) अनु० दिनांक- 13.05.2006 में यथा प्रावधानित निविदा कार्य हेतु चरित्र प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि निविदा हेतु विभागीय पत्रांक-680 (एस) दि० 23.01.2006 द्वारा निविदा शर्त्तो का निर्धारण किया गया है । निविदा शर्त्तो में व्यक्तिगत/पार्टनरशीप फर्म एवं प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के निविदाकारों को उनके सभी पार्टनर/शेयर होल्डर सहित के लिए अन्य शर्त्तो के साथ चरित्र प्रमाण-पत्र भी संलग्न किये जाने का प्रावधान किया गया था । पुनः विभागीय पत्रांक-4919 (एस) दि० 13.05.2006 द्वारा व्यक्तिगत् निविदाकार के अलावे पार्टनरशीप फर्म अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के मामले में केवल मैनेजिंग पार्टनर/प्रबंध निदेशक का आद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना है ।

उल्लेखनीय है कि राज्य में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9545 (एस) दिनांक-12.08.2006 द्वारा 5 (पांच) करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए SBD लागू किया गया है । पुनः विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3451 (एस) दिनांक- 12.03.08 द्वारा 5 (पांच) करोड़ की सीमा को कम करते हुए 2 (दो) करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं में SBD लागू किया गया है ।

State SBD के प्रावधानों में चरित्र प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करने की अनिवार्यता नहीं है परन्तु NIT एवं Eligibility criteria for receiving tender के विशेष शर्त में निविदा के साथ चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करने का निर्देश है । इस संबंध में यह देखा जा रहा है कि निविदाकारांे को चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करने में कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण निविदाकार ससमय निविदाएँ Download नहीं कर पाते हैं ।

अतः कार्यहित में सम्यक विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार सभी प्रकार के निविदाओं में निविदाकारों के लिए चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न किये जाने की अनिवार्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है ।

यह आदेश वर्त्तमान निविदाओं जिसका मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है पर भी लागू होगा तदनुसार उक्त विभागीय पत्र संख्या-4919 (एस) अनु० दि०-13.05.2006 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

ज्ञापांक- प्रा०-6/द०बि०नियम-03-02/2004-11960 (S) पटना, दिनांक- 12.11.12

प्रतिलिपिः— सभी प्रधान सचिव/सचिव निगरानी विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)
सचिव

पत्रांक- 997 पटना, दिनांक-20.12.2012

प्रतिलिपिः— सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, निदेशक-वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना, संयुक्त निदेशक FMISC संयुक्त सचिव(बजट), जल संसाधन विभाग, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनि० अंचल 2/3/4 एवं बाढ़ नियंत्रण यो० एवं मो० अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(धीरेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (मध्य)

बिहार सरकार

<u>योजना एवं विकास विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

विषयः- राज्य में चालू कब्रिस्तानों की घेराबंदी योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियंताओं को कार्यकारी एजेंसी नामित करने एवं जिला पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंताओं को योजनाओं की क्रमशः प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने के संबंध में ।

राज्य में कब्रिस्तानों की घेराबंदी अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण राज्य योजना है जो सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है ।

2. पूर्व में कब्रिस्तान घेराबंदी का दायित्व जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के साथ संयुक्त रूप से था। साथ ही कार्यकारी एजेंसियों के संबंध में व्यवस्था यह थी कि इसका कार्यान्वयन किसी भी सरकारी अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जा सकेगा । अनेक कार्यकारी एजेंसियों के रहने के कारण कब्रिस्तान की घेराबन्दी योजना के कार्यान्वयन में आशानुकूल सफलता नहीं मिल पा रही थी ।

3. राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का कार्य अब स्थानीय क्षेत्र विकास संगठन के माध्यम से कराया जाय ।

4. चूँकि कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य स्तर पर सुरक्षा, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं विधि व्यवस्था से जुड़ी हुई योजना है, अतः इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर पूर्ववत जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक उत्तरदायी रहेंगे । योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए निर्धारित शक्ति एवं समय सीमा हेतु निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किये जाते हैंः—

1. प्रशासनिक स्वीकृतिः

प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अधिसीमा

प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग	दो करोड़ से ऊपर
प्रमंडलीय आयुक्त	पच्चास लाख से ऊपर दो करोड़ रु० तक
जिला पदाधिकारी	पच्चास लाख तक

2. तकनीकी स्वीकृति:

प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अधिसीमा
मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	दो करोड़ से ऊपर
अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन संबंधित कार्य अंचल	पच्चास लाख से ऊपर दो करोड़ रु० तक
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन संबंधित कार्य अंचल	पच्चास लाख तक

3. योजनाओं पर प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु समय सीमा:—

प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी	प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु समय सीमा
प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग	पंद्रह कार्यकारी दिवस
प्रमंडलीय आयुक्त	दस कार्यकारी दिवस
जिला पदाधिकारी	सात कार्यकारी दिवस
मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	पंद्रह कार्यकारी दिवस
अक्षीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	दस कार्यकारी दिवस
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	सात कार्यकारी दिवस

5. कार्यकारी एजेंसियों का दायित्व होगा कि वे कार्य स्थलों का नियमित दौरा करें तथा सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित कार्यावधि एवं दिशा निर्देशों के साथ गुणवत्ता पूर्ण हो ।

6. उपर्युक्त दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(विजय प्रकाश)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो०3/मु०क्षे०वि०यो०-37/2012-4511 /यो०वि०, पटना, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपिः— महालेखकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो०3/मु०क्षे०वि०यो०-37/2012-4511 /यो०वि०, पटना, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार/ सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो०3/मु०क्षे०वि०यो०-37/2012-4511 /यो०वि०, पटना, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक 9810 दिनांक 07.11.2012 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो०3/मु०क्षे०वि०यो०-37/2012-4511 /यो०वि०, पटना, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपिः— मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार

<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

पत्रांक- सी०सी०-1056/11- 2860/एम०, पटना, दिनांक- 19.10.12

प्रेषक,

के०पी० रामय्या,

प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रधान/सचिव/सचिव, वित्ता विभाग/भवन निर्माण विभाग/

पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सिंचाई विभाग/

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अभियंता प्रमुख

भवन निर्माण/पथ निर्माण/ग्रामीण विकास विभाग/

सिंचाई विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

विषयः— स्वामित्व मद में कटौती की गई राशि के साथ व्यवहृत खनिजों की विवरणी भेजने के संबंध में ।

प्रसंगः— विभागीय पत्रांक 1731/एम० दिनांक 1.8.11 एवं 2038/एम० दिनांक 25.10.10

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि निर्माण कार्यो में लघु खनिजों का उपयोग संवेदकों द्वारा किया जाता है । व्यवहृत लघु खनिजों के संबंध में बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40 (10) के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाती है । विभागीय पदाधिकारियों से विमर्श के क्रम में सूचना प्राप्त हुई है कि कार्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्वामित्व मद में कटौती की गई राशि संबंधित जिला खनन कार्यालयों में भेजा जाता है । परन्तु किस लघु खनिज से कितने स्वामित्व की कटौती की गई है, इसकी विवरणी नहीं भेजी जाती है ।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि निम्न विन्दुओं का अनुपालन दृढ़ता से कराना सुनिश्चित किया जायः—

1. सभी कार्य विभाग के कार्यालय जो स्वामित्व मद में कटौती करते हैं, उन्हें कटौती के राशि के चेक/ड्राफ्ट के साथ-साथ व्यवहृत लघु खनिज का प्रकार, मात्रा एवं कटौती की दर का ब्यौरा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगें ।

2. दिनांक 27.1.12 (प्रतिलिपि संलग्न) से लघु खनिजों का नया दर प्रभावी है । सभी लघु खनिजों के स्वामित्व की कटौती नये दर से की जाय ।

अनुलग्नकः— यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान सचिव

अधिसूचना

एस०ओ०सं० 250 एम०, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम सं० 67, 1957) की धारा-15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26 (1) (क) और (ख) की क्रमशः अनुसूची प् एवं प्प् में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो तुरत प्रवृत्त होगाः—

संशोधन

उक्त नियमावली में,

1. विद्यमान अनुसूची प्, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथाः—

अनुसूची ।

[नियम 26 (1) (क) द्रष्टव्य]

अनिवार्य लगान

अवधि	अनिवार्य लगान की दर (रुपये में)

1	2
पट्टा की सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रति वर्ष की दर	30,000 रु० प्रति एकड़ प्रति वर्ष

2. विद्यमान अनुसूची प्प् निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः—

अनुसूची II

[नियम 26 (1) (ख) द्रष्टव्य]

स्वामिस्व (रॉयल्टी)

क्र० सं०	खनिज का नाम	प्रति घन मीटर दर (रुपये में)
1	2	3
1	(क) किसी भी नाम से यथा परिभाषित बोल्डर, ग्रेवेल शिंगिल अथवा पत्थर (ख) नीलामी द्वारा बंदोबस्त पत्थर	100=00 नीलामी की दशा में नीलामी की राशि
2	(क) निर्माण प्रयोजनों में व्यवहृत साधारण बालू (ख) नीलाम घाटों का साधारण बालू	50=00 नीलामी की दशा में नीलामी की राशि
3	ईंट बनाने की मिट्टी (400 मानक ईंट के समतुल्य)	11=60 (एस०ओ०सं० 244, दिनांक 27-01-12 द्वारा प्रख्यापित)
4	साधारण मिट्टी-मिट्टी जिसका उपयोग रानीगंज खपड़ा, वाणिज्यिक कार्यों, यथा बांध, सड़क, भवन आदि के निर्माण या उसे समतल करने अथवा अन्य वाणिज्यिके कार्यों के लिए किया जाता हो ।	22=00
5	निर्माण सामग्री के रूप में व्यवहृत चूने के विनिर्माण के लिए भट्ठे में काम आनेवाला लाईम शेल, चूना पत्थर और कंकड़ तथा बटन के विनिर्माण में व्यवहृत लाईम शेल ।	110=00
6	मोरम	55=00
7	केवल गोला मिल (बॉल मिल) के प्रयोजनार्थ व्यवहृत केल्सेडोनी गुटिका (पेबल) ।	73=00
8	कंकड़युक्त पहाड़ी मिट्टी (ग्रैंडुलर अर्थ)	55=00
9	भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ या सड़क बनाने के काम में आनेवाला क्वार्टजाईट	73=00

10	रेह मिट्टी	26=00
11	शोरा (साल्ट पीटर)	29=00
12	स्लेट और शेल जब उनका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाय	73=00
13	मुल्तानी मिट्टी (फुलर्स अर्थ)	95=00
14	चक्की (ग्राइनडिग) पत्थर सहित घरेलू बर्तन बनाने के काम में आनेवाला पत्थर	36=00
15	प्रति सैकड़ा स्टोन सेट्स तथा पत्थर ईंट (स्टोन ब्रिक्स)	73=00
16	पत्थर चूर्ण (स्टोन डस्ट)	विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि
17	ग्रेनाईट (सजावट पत्थर के रूप में उपयोग होने पर) प्रति सैकड़ा (i) 60 से०मी० से अधिक के ब्लॉक के लिये । (ii) 60 से०मी० से कम के ब्लॉक के लिए ।	 545=00 273=00
18	अन्य सभी खनिज	बिक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत राशि

टिप्पणी I बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 या अन्यथा में किसी विरूद्ध बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, नीलामी की राशि के समतुल्य से अधिक पत्थर का उत्खनन एवं प्रेषित किये जाने पर, बंदोवस्तधारी अधिक उत्खनित पत्थर की मात्रा के लिए अतिरिक्त स्वामिस्व (रॉयलटी) का भुगतान करेगा ।

टिप्पणी II नीलामी की राशि के समतुल्य बालू की मात्रा से अधिक बालू के निकाले जाने और प्रेषित किये जाने पर, बंदोबस्तधारी अधिक निकाले गए बालू की मात्रा के लिए अतिरिक्त स्वामिस्व (रॉयलटी) का भुगतान करेगा ।

12/वी०/मु० 70-2/03
बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
सरकार के उप सचिव

एस०ओ०- 250 एम०, का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

12/वी०/मु० 70-2/03
बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

सरकार के उप सचिव

S.O. No. 250/M, In exercise of the power conferred by Section 15 of the Mines & Mineral (Development and Regulation) Act. 1957 (Act no. 67 of 1957), The Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in schedule I & II of Rule 26(1) (a) & (b) respectively of Bihar Minor Mineral concession Rule, 1972 which shall come into force with immediate effect:-

AMENDMENTS

In the said Rules :-

1. Existing schedule I shall be substituted by the following, namely :-

Schedule I

[see Rule 26(1)(a)]

Dead Rent

Period	Rate of dead rent (In Rs.)
1	2
Rate per year for entire period of lease	30,000 per acre per year

2. Exiting Schedule II shall be substituted by the following, namely :-

Shedule II

[see Rule 26(1) (b)]

Royalty

Sr. No.	Name of minerals	Rate per cubic meter in Rupees
1	2	3
1.	(a) Boulder, Gravel, Shingle or stone as defined by name whicherver (b) Stone settled by way of auction	100=00 In case of auction the amount of auction
2.	(a) Ordinary sand used for construction purpose (b) Ordinary sand of auctioned ghats	50=00 In case of auction the amount of acution
3.	Brick earth (equivalent to 400 standard bricks)	11=60 (S.O. No. 244, Dated 27-01-12)
4.	Ordinary clay-clay which is used for manufacturing of Raniganj tiles, commercial works which is used for construction of embankment, Road, Building or levelling the same of used for other commerical works.	22=00

5.	Lime shell, Lime stone and kankar used in kilns for manufacturing of lime used as construction material and Lime shall used for manufacture of bottons.	110=00
6.	Mooram	55=00
7.	Chalcedony Pebbles used for Boll Mill purpose only	73=00
8.	Granduler earth	55=00
9.	Quartzite used for the purpose of Building Construction or for making road	73=00
10.	Reh Mitti	26=00
11.	Saltpetre	29=00
12.	Slate and shell when used for making Building material	73=00
13.	Fullers earth	95=00
14.	Stone used for making household utensils including grinding stone	36=00
15.	Stone sets and Stone Bricks per hundred	73=00
16.	Stone dust	10 Percent Account of sale price
17.	Granite (In case of use for decorating stone) per hundred (i) Block more than 60 cm. (ii) Block les than 60 cm.	 545=00 273=00
18.	All other minerals	25 Percent of sale price

Note :- (I) Notwithstanding any thing contained repugnant in Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 or otherwise, the settlee shall pay the extra Royalty for the excess quantity of extracted and dispacthed stone more than the equivalent auction amount.

Note :- (II) The settlee shall pay the extra Royalty for the excess quantity of extracted and dispatched sand more than the equivalent auction amount.

12/B/MU 70-2/03

By the order of Governor of Bihar

Sd/-
Deputy Secretary to Government

ज्ञापांक 12/वी०/मु० 70-2/03 250 /एम०, दिनांक 27.1.12
प्रतिलिपिः— अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ प्रेषित करते हुये उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 500 प्रतियाँ बिहार राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कराने हेतु राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को भेजी जाय तथा उसकी प्रतियाँ विभाग को उलब्ध करायी जाय ।

ह०/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 12/वी०/मु० 70-2/03 250 /एम०, दिनांक 27.1.12
प्रतिलिपिः— सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अपर निदेशक/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग/सभी खनिज विकास पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग/सभी खान निरीक्षक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>
<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक-27.1.12

एस०ओ०सं०- 245 /एम०, बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य के अन्तर्गत स्थित विभिन्न क्षेत्रों में असैनिक निर्माण कार्य की स्थिति, जनसंख्या स्थिति, औद्योगिक निर्माण कार्य की स्थिति, शहरीकरण की अवस्था एवं औद्योगिक विकास की गति को ध्यान में रखते हुये बिहार के राज्यपाल के पूर्व की अधिसूचना एस०ओ०सं० 27 दिनांक 24.03.2001 का संशोधन करते हैं एवं विभिन्न क्षेत्रों को श्रेणियों में विभाजित करते हुये प्रत्येक स्थायी चिमनी एवं बंगला ईंट भट्ठों के लिये ईंटों की संख्या और उस पर ईंट भट्ठा मालिकों/ईंट मिट्टी हटाने वालों द्वारा प्रति भट्ठा प्रति वर्ष राज्य सरकार को देय समेकित स्वामिस्व की राशि निर्धारित करते हैं जो निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई हैः—

<u>तालिका</u>

क्रमांक	क्षेत्र की श्रेणी	जिला का नाम तथा क्षेत्र	क्षमता स्तंभ 3 में दिखाये गये क्षेत्र में स्थित प्रति स्थायी चिमनी अथवा बंगला ईंट भठ्ठा के निर्मित ईंट	स्वामिस्व प्रति भट्ठा प्रति वर्ष देय स्वामित्व की राशि जो स्तंभ 4 में निर्धारित ईंट की संख्या पर देय है (रुपये में)
1	2	3	4	5
1	I	पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, जिलों का शहरी क्षेत्र	45 लाख ईंट	130500/- रु०
2	II	अन्य शहरी क्षेत्र	35 लाख ईंट	101500/- रु०
3	III	ग्रामीण क्षेत्र	25 लाख ईंट	72500/- रु०
4	IV	बंगला भट्ठा	1 (एक लाख) ईंट	4350/- रु०

2- यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

टिप्पणी I - समेकित स्वामित्व का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा, यथाः—

(I) प्रथम किस्त - कुल देय स्वामिस्व राशि का 50 प्रतिशत भट्ठा आरंभ करने के पूर्व,
तथा

(II) द्वितीय किस्त - कुल राशि का शेष 50 प्रतिशत 31 मार्च के पूर्व ।

(III) भट्ठेदारों द्वारा कुल देय स्वामिस्व का भुगतान अगर एक मुस्त कर दिया जाता है तो कुल भुगतेय स्वामिस्व पर 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।

(IV)

टिप्पणी II - "शहरी क्षेत्र" से अभिप्रेत किसी नगर निगम या नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थानीय सीमा के भीतर के क्षेत्रों से है और, यथास्थिति, उस नगर निगम या नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति की सीमा रेखा से चार किलोमीटर की बाहरी दूरी की भीतर पड़ने वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं ।

टिप्पणी III - अव्यवसायिक, व्यक्तिगत उपयोग हेतु बंगला भट्ठा में निर्मित ईंट / ईंट मिट्टी पर कोई स्वामिस्व भुगतेय नहीं होगा ।

4/बी०मु०20-22/09
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

एस०ओ०सं०- 245 / एम०, पटना, दिनांक- 27.1.12 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किय जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

4/बी०मु०20-22/09

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

S.O.No. 245 / M, 27.1.12 In exercise of the power conferred by rule 26(A) of the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 and having regard to position population, position of Urbanisation and pace of industrial growth in different areas of the State, the Governor of Bihar is pleased to amend the previous notification S.O. No. 27 dated 24 March 2001 and reclassify such areas to determine the number of bricks per fixed kiln and Bangla Bhatta and consolidated amount of royalty to be paid thereon by brick kiln owner/brick earth remover per kiln per annum to the State Government for different areas as shown in the table below:-

TABLE

Sl. No.	**Categories of areas**	**Name of district and areas**	**Capacity- fixed no. for the manufactured bricks for fixed kiln and Bangla Bhatta situated in areas in areas shown in column 3**	**Royalty-amount of royalty payable per kiln per annum on number of brick fixed in column 4(In Rupees)**
1	2	3	4	5
1	I	Urban areas of Patna, Muzaffarpur Bhagalpur, Gaya, Darbhanga districts	45 lakhs bricks	130500/-

2	II	Other urban areas	35 lakhs bricks	101500/-
3	III	Rural Areas	25 lakh bricks	72500/-
4	IV	Bangla Bhatta	1 (One lakh) bricks	4350/-

2. This notification will come into force from date of issue.

Note- (I) Consolidated royalty shall be paid in two installments, namely:-

(i) First installment- 50% of the total payable royalty amount before commencement of kilk and

(ii) Second installment- Rest 50% of total amount before the 31st March.

(iii) If the payment of total amount of payable royalty is made in one lumpsun by a kiln owner in the first installment itself, then 5% rebate shall be given on the total payable royalty.

Note- (II) "Urban areas" means the areas within the local limits of a Municipality or Municipal Corporation or Notified area Committee and also includes the area falling within 4 kms outside the boundary limits of such Municipal Corporation or Municipality or Notified area Committee as the case may be;

Note- (III) No royalty shall be payable on bricks/brick earth manufactured in Bangla Bhatta for non-commercial, Personnel consumption.

4/B. Mu. 20-22/09

By the order of the Governor of BIhar

Sd./-

Joint Secretary to Government

ज्ञापांक-4/बी०मु०20-22/09- 245 /एम०, पटना, दिनांक - 27.1.12

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

2- उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4/बी०मु०20-22/09- 245 /एम०, पटना, दिनांक - 27.1.12

प्रतिलिपिः— सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4/बी०मु०20-22/09- 245 /एम०, पटना, दिनांक - 27.1.12

प्रतिलिपिः— उप सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना को 150 (एक सौ पच्चास) प्रतियाँ तथा उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को 250 (दो सौ पच्चास) प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2- उनसे अनुरोध है कि खानें एवं खनिजें (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28(3) के अनुसार इस अधिसूचना को चालू सत्र में पटल पर रखने की कृपा की जाय ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4/बी०मु०20-22/09- 245 /एम०, पटना, दिनांक - 27.1.12

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि (न्याय) विभाग / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक - 27.01.12

एस०ओ०सं०- 244 /एम०, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम सं० 67, 1957) की धारा-15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26(1) (ख) की अनुसूची- II में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो तुरंत प्रवृत्त होगीः—

संशोधन

1- उक्त नियमावली, 1972 में, विद्यमान अनुसूची- II का क्रमांक 3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:—

3	ईंट बनाने की मिट्टी (प्रति 400 मानक ईंट के समतुल्य)	11.60

2- यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

4/बी०मु० 20-22/09

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

एस०ओ०सं०- 244 /एम०, पटना, दिनांक - 27.1.12 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

4/बी०मु० 20-22/09

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

2- उनसे अनुरोध है कि खानें एवं खनिजों (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28(3) के अनुसार इस अधिसूचना को चालू सत्र में पटल पर रखने की कृपा की जाय ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-4/बी०मु०20-22/09- 244 / एम०, पटना, दिनांक- 27.01.12

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग / सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि (न्याय) विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972

39. Penalty for filing wrong returns or maintaining-incorrect accounts or for failure to issue challan.

(1) If any lessee or permit-holder files wrong returns or maintains incorrect accounts, [1][or fails to issue challans] he shall be liable to a penalty of a sum up to [2][Rs. 2000/k-] and shall also be liable to have his mining lease terminated or quarry permits cancelled, provided that before final orders are passed by the [3][Collector or Competent Officer], he shall be given a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(2) If any lessee or permit holder fails to file the returns as specified in rule 33 (3) within the prescribed period he shall be liable to pay as penalty a sum of [2][Rs. 20] [4][subject to maximum of rupees two thousand and five hundred] after expiry of the prescribed date during the period the lessee or permit holder fails to furnish the required return.

[5][x x x x]

[2][(3) If any lessee/kpermit-holder fails to display signboard as prescribed in rule 33(5) he shall be liable to penalty of a sum of Rs. 1000/k-]

40. Penalty for unauthorised extraction and removal of minor minerals–

[2][(1) Whoever is found to be extracting or removing minor minerals or on whose behalf such extraction or removal is being made he be an agent, a manager, an

employee or a contractor or a sub-lessee, otherwise than in accordance with these Rules, shall be presumed to be party to the illegal removal of the minor mineral and every such person shall be punishable with simple imprisonment which may extend to six months or with find, which may extend to rupees five thousand or with both.]

(2) Whenever any person is found extracting or removing or transporting minor minerals in contravention of the provisions of these rules, the 3/k5 [Competent Officer or Deputy Director (Mines) or Additional Director (Mines) or Director of Mines] may seize the minor minerals together with all tools and equipments used in committing such offence.

(3) The [5][Competent Officer or Deputy Director (Mines or Additional Director (Mines) or Director of Mines] who has seize the minor minerals or the tools and equipments under sub-rule (2), may release the same on the execution by the claimant thereof of a bond for the production of the property so released, if and when so required before the Court having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made.

(4) The [5][Competent Officer or Deputy Director (Mines) or Additional Director (Mines) or Director of Mines] may, without orders from a Magistrate, and without a warrant, arrest any person who is found extracting or removing or transporting minor minerals in contravention of these rules.

(5) The [5][Competent Officer or Deputy Director (Mines) or Additional Director (Mines) or Director of Mines] making an arrest under sub-rule (4) of these rules shall within 24 hours of the arrest, take or send the person arrested before the Magistrate having jurisdiction in the case along with a complaint in writing regarding the offence committed by the person.

(6) The [6][Competent Officer or Deputy Director (Mines) or Additional Director (Mines) or Director of Mines] may release the person arrested on his executing a bond to appear before the Magistrate having jurisdiction in the case if and when so required.

(7) If any driver of any carrier while carrying minor minerals fails to furnish the Challan in Form "F" or rtefuses inspection of such Challan by the Competent Officer or [7][Director of Mines or Additional Director of Mines or Deputy Director of Mines] or Director (Mines) or Collector or Commissioner or any officer authorised by the Collector, he shall be punishable with simple imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(8) [8][Whoever removes minor mineral without valid lease/kpermit or on whose behalf such removal is made otherwise than in accordance with these Rules he be an agent, Manager, contractor or a sub-lessee, shall be presumed to be a party to the illegal removal of the minor mineral and shall be liable to pay [9][the price thereof and the Government may also recover from such person rent, royalty or taxes as the case may be, for the period during which the land was occupied by such person without any lawful authority] without prejudice to other action being taken against him under these Rules or any other law for the time being in Force.]

[10][(9) Notwithstanding anything contained in rule 40 (8) hereinbefore whosoever, under the terms of an agreement other than an agreement under these rules at any times has received or receives cost of minor mineral/kmaterial including royalty under the terms of the said agreement shall deposit that royalty which is included in such cost of mineral /k material in the manner prescribed in rule 43 hereinafter, within seven days from the date of receipt of such cost of mineral/kmaterial.

Any royality received as such by such person before the commencement of this rule shall be deposited by him within fifteen days from the date of commencement of this rule:

Provided that if a sum equal to the royalty included in the cost of mineral/kmaterial so received has already been paid or deposited prior to receipt of cost of the mineral/kmaterial including royalty by him he shall not be required to deposit the royalty said above:

Provided further that any royalty payable under this rule, if not paid when due be recovered with interest @ 15 percent per annum as an arrear sum of public demand.

[10][(10) To prevenet evasion of royalty it is provided that works contractor shall purchase the minerals from lessee/kpermit holder and authorised dealers only and no Works Department shall receive the bill which the works contractors submit to recover cost etc. of mineral used by them in completion of the works of the Works Department under any agreement from the works contractor if the said bill is not accompanied by an affidavit in Form 'M' with particulars in Form 'No' of these rules alongwith a photo copy of the said affidavit and particulars. It shall be the duty of the officer who receives or on whose behalf the said bill is received to send the photo copy of the Affidavit and particulars to the District Mining Officer/kAssistant Mining Officer/kAssistant Mining Officer within whose jurisdiction the mineral was allegedly purchased, for verification.

If contents of the said affidavit on verification by the concerned District Mining Officer/kAssistant Mining Officer is found to be false either wholly or partly it shall be presumed that the concerned mineral was obtained by illegal mining and in that event the said District Minning Officer/kAssistant Minning Officer shall take action as prescribed in these rules against the maker of the said affidavit:

Provided that if the works contractor deposits or pays the royalty in respect of the mineral so consumed/ksupplied by him as shown in the aforesaid affidavit and particulars the said District Mining Officer/kAssistant Mining Officer in this discretion may not take action as prescribed in this rule.

Explanation – For the purpose of this rule –

(i) "Works Department" means departments of the Central or State Government including Company, Corporation, Undertakings, Autonomous body of the Government engaging works contractors for any kind of construction on its behalf.

(ii) "Works Contractor" means an individual, a firm, a company, an association or body of individuals who under an agreement, with the works Department work for the said Department.

Comments & Case-law

[The provisions of sub-rule (8) of Rule 40 was earlier available in sub-rule (4) of Rule 26 of the Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972. Sub-Rule(4) of Rule 26 was omitted by S.O. no. 1133 dated 19.8.1978 and with minor alternations was added as sub-rule (8) to Rule 40. Sub-rule (8) along with Sub-rule (1) was again omitted by S.O. no. 262 dated 5.3.1983. However, by S.O. no. 305 dated 26.3.1985, sub-rule (8) with minor alternations was again inserted as sub-rule (8) of Rule 40.

The term "royalty" has not been defined either in the Mines Act or in the Mines & Mineral (Regulation & Development) Act or in the Mineral Consession Rules. The term "royalty" has to be given a general meaning. "Royalty" is a payment made to a landowner by the lessee of the mine in return for the privilege of working it. It is different from rent; is a kind of levy in proportion to the minerals worked. "Royalty" thus according to the concession Rules is compulsory exaction and recoverable in the event of non-payment of arrears of land revenue. The world "royalty" occuring in Rule 26(4) [Rule 40(8)] in view of the amendment by S.O. 305, dated 26.3.1985] will, therefore, refer to only those persons who are bound by the lease or persons acting on their behalf and not those who might have utilised the materials extracted by lessee or persons acting under him. If the consumers of minor minerals instead of the lessee is held liable in view of the world "on whose behalf such removal or use is made" as appearning in Rule 26 [now Rule 40 (8) in view of amendment by S.O. 305 dated 26.3.1985], it would be stretching the provisions of the Rules too far. The liability of payment of rent or royalty on the lessee and for their default, the consumer cannot be held liable. *Tata Engineering & Locomotive Co. Ltd. vs. The District Mining Officer,* 1981 BBCJ 149: 1981 PLJR 86 : 1981 BRLJ 47.

See also *Dayanand Prasad Sinha & Co. vs. State of Bihar* (C.W.J.C. no. 4198 of 1984 disposed of on 31.8.1984.)

Royality is payable only to grantor or lessor on the basis of working of the property leased. A contractor working under the Indian Oil Corporation cannot be subjected to payment of royalty and cess by deducting the same from his bills under him by the State Government to work minerals. Where it is found that some persons are extracting the minor minerals in violation of the provisions of the Mines & Minerals (Regulation & Development) Act, The adequate remedy has been provided in the Act itself as well as penal provision in the Consession Rules. *B.K. Sinha & R. K. Sinha vs. State of Bihar*, 1987 PLJR 920.

Rule 40(1) provides that whosoever is found to be extracting minor minerals or on whose behalf such extraction or removal is being made (be he an agent , a manager, an employee or a contractor or sub-lessee, otherwise than in accordance with the Bihar Rules, 1972, shall be presumed to be a party to the illegal extraction of minor minerals. *Monghyr constructions vs. State of Bihar,* 1992 (1) PLJR 44.

–Rules 40(8) and (10)–these rules have been framed with a view to regulate mining leases and to check unauthorised evasion of royalty and illegal mining and it is difficult to hold them ultra vires to section 15 or 21 of the Mines & Minerals (Regulation & Development) Act– the State Government is competent to ensure that royalty is paid for

the minerals being used in execution of works. *M/ks Madhusudan Choudhary vs. State of Bihar, 1996 (1) PLJR 723.*

–Rules 40 (8) and (10)– if the contractors are allowed to retain the amount of royalty to which admittedly in law they are not entitled, would naturally bring to them unjust enrichment and it would be really a travesty of judicial process as it cannot lend its assistance for collection of illegal body. *ibid.]*

41. Offence cognizable upon written complaints–

No Court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under these rules and no Court shall take cognizance of any offence under these rules, except upon a complaint made in writing by the [11][Competent Officer or Deputy Director of Mines or [12][Additional Director of Mines or Director of Mines] or any other Officer empowered by the Government].

42. Compounding of offence–

The Competent Officer may, with the approved of the [13][Collector, compound a case instituted against any person.

[11][Where a case has been instituted by the Deputy Director of Mines2] or Additional Director of Mines or Director of Mines or any other officer empowered by the Government] may, with the approval of the Commissioner, compound a case instiuted against any person.]

---

1. Ins. by S.O. 867 dated 21.8.1972.
2. Subs. by S.O. 305 dated 26.3.1985.
3. Subs. for "Collector" by S.O. 847 dated 21.8.1985.
4. Subs. by S.O. 199 dated 2.3.1988.
5. Omitted by S.O. 305 dated 26.3.1985.
6. Subs. by S.O. 305 dated 26.3.1985.
7. Subs. by S.O. 861 dated 11.7.1983.
8. Ins. by S.O. 1133 dated 19.8.1978 and Omitted by S.O. 262 dated, 5.3.1983 and again ins. by S.O. 305dated 26.8.1985.
9. Subs. by S.O. 199 dated 3.3.1988.
10. Ins. by S.O. 1063 dated 16.10.1989.
11. Subs. by S.O. 1133 dated 19.8.1978.
12. Ins. by S.O. 305 dated 26.3.1986.
13. Subs. for "Commissioner" vide S.O. 867 dated 21.8.1972.

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्रांक-प्र०-6/नियम-02/2010- 8131(S) पटना, दिनांक- 24.7.2012

प्रेषक, परिशिष्ट-I

प्रत्यय अमृत,

सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना ।

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना ।

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना ।
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना ।
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना ।
निगरानी विभाग, बिहार, पटना ।
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः- Standard Bidding Document आधारित निविदाओं में Joint Venture के रूप में भाग लेने हेतु Joint Venture के शर्तों के उपबंध के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य में लागू Standard Bidding Document के Instruction to Bidders Chapter के कंडिका-4.4 में रुपये 10.00 करोड़ से अधिक प्राक्कलित राशि के निविदाओं में संवेदकों द्वारा Joint Venture के रूप में भाग लेने का प्रावधान है किन्तु Joint Venture के लिए Criteria एवं Guideline का उपबंध नहीं होने के कारण इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती रही है ।

तदनुसार सम्यक विचारोपरांत एवं सरकार के अनुमोदनोपरांत Standard Bidding Document में Joint Venture के लिए सामान्य Criteria एवं Guideline तथा Format for joint venture agreement का प्रावधान निम्नवत् किया जाता हैः-

Criteria for Joint venture participating in the bids for procurement of civil works.

1. Bids from joint venture are only allowed for the works having estimated cost more than 10.00 cr. Bids submitted by a joint venture (JV) of not more than a total of three firms as partners shall comply with the following requirments :–

1.1 There shall be a Joint Venture Agreement (Refer Annexure 1) specific for the contract package between the constituent firms, indicating clearly, amongst other things, the proposed distribution of responsiblilities both financial as well as technical for execution of the work amongst them. For the purpose of this clause, the most experienced lead partner will be the one defined. A copy of the Joint Venture agreement in accordance with requirements mentioned in Annexure-I shall be necessarily submitted with the bid.

1.1.1 Alternatively, a letter of intent to execute a JV in the event of successful bid shall be signed by all partners of JV and submitted with the bid together with a copy of the proposed agreement. Pursuant to the foregoing, the JV shall include among other things, the joint venture's objectives, the proposed management structure, the contribution of each partner of joint venture operation, the commitment of the partners to joint and several liability for due performance, recourse/ksanctions within

the joint venture in the event of default or withdrawal of any partner and arrangements for providing the required indemnities.

1.1.2 The JV so formed shall also have to be registered with the concerned department after issue of LOA but before the agreement.

1.2 The bid, and in the case of the succesful bidder, the form of agreement, etc, shall be signed and/kor executed in such a manner as may be required for making it legally binding on all partners (including operative parts of the ensuing contract in respect of Agreement of Arbitration, etc). On award of work, the Form of Agreement and Contract Documents shall be signed by all partners of the Joint Venture to conclude Contract Agreement.

1.3 Lead partner shall be nominated as being partner-in-charge; and this authorization shall be evidenced by submitting a power of attorney signed by the legally authorized signatories of all the partners.

1.4 The partner-in-charge shall be authorized to incur liabilities and to receive instruction for and on behalf of the partners of the Joint venture, whether jointly or severally and entire execution of the Contract (including payment) shall be carried out exclusively through the partner-in-charge. A copy of the said authorization shall be furnished with the bid.

1.5 All partners of the Joint Venture shall be liable jointly and severally for the execution of the contract in accordance with contract terms, and a relevant statement to this effect shall be included in the authorization mentioned under sub clause (1.3) above as well as in the Form of tender and the Form of Agreement (in case of a successful bidder).

1.6 In the event of default, all the partners of the Joint Venture will retain the full and undivided responsibility for the performance of their obligation under the contract and/kor for satisfactory completion of the works.

1.7 The bid submitted shall include all the relevant information as required under the provisions of sub-clause 4.5 of ITB and furnished separately for each partner. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure personnel to be employed on contract work as per Annexure II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirement.

1.8 The bank guarantee/kother suitable instrument in shape of bid security shall be issued in the name of JV and pledged in favor of employer.

2. Each partner of the JV must produce:

2.1 The Permanent account number (PAN) of Income Tax

2.2 An affidavit though 1st class Executive Magistrate that the information furnished with the bid documents is correct in all respect; and

2.3 Such other certificates as defined in the Appendix to ITB. Failure to produce the certificates shall make the bid non-responsive.

3. Each bidder must demonstrate :—

3.1 Availability for construction work, either owned, or on lease or on hire, of the key equipment stated in the Appendix to ITB including equipments required for establishing field laboratory to perform mandatory test, and those stated in the Appendix to ITB. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure I of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirement.

3.2 Availability for construction work of technical personnel as stated in the Appendix to ITB. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure I of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirment.

3.3 The joint venture must satisfy collectively the criiteria laid down in para 3.1 & 3.2 above.

3.4 Liquid assets and/kor credit facilities, net of other contractual commitments and exclusive of any advance payments which may be made under the Contract, of no less than the amount specified in the Appendix to ITB.

3.5 The bidder must not have in his employment.

3.5.1 The near relations (defined as first blood relations, and their spouses, of the bidder or the bidder's spouse) of persons. The bidder must produce an affidavit stating that the near relations of the following departmental officers are not in his employment:

JE/kAE/kEE/kSE/kCE/kE-in-C & Divisional Accountant of an works department of Bihar State.

3.5.2 Without Government permission, any person who retired as gazetted officer within the last two years of the rank and from the departments. The bidder must produce an affidavit stating the names of the retired gazetted officer (if any) in his employment who retired within the last two years with the following rank from the departments listed below:

JE/kAE/kEE/kSE/kCE/kE-in-C & Divisional Accountant of any works department of Bihar State.

In case there is no such person in his employment, his affidavit should clearly state this fact.

4. To qualify for a package of contracts made up of this and other contracts for which bids are invited in the Notice Inviting Tender, the bidder must demonstrate having experience and resources sufficient to meet the aggregate of the qualifying criteria for the individual contract.

5. If bidder is joint venture, the partners would be limited to three (including lead partner). Joint venture firm shall jointly and severally responsible for completion of the project. Joint venture must fulfil the following minimum qualification requirement.

5.1 The lead partner shall meet not less than 50% (fifty percent) of qualification criteria given in sub-clause 4.2, 4.5 A, 4.5 B, 4.7 & 4.8 of ITB.

5.2 Each of the remaining partners shall meet not less than 25% (Twenty five percent) of all the qualifying criteria given in sub-clause 4.2, 4.5 A, 4.5 B, 4.7 & 4.8 of ITB.

5.3 However in case one of the joint ventures partner is proposed to be included primarily to provide financial strength to the joint venture, such joint venture partner shall have to commit to provide liquidity support to the project to the extent of 10% of the value of contract.

5.4 The joint venture must also collectively satisfy the subject of the criteria of clause 4.2, 4.5 A, 4.5 B, 4.7 and 4.8 of ITB for this purpose the relevant figures for each of the partners shall be 100% or more.

5.5 In the event that the Employer has caused to disqualify under clause 4.8 of ITB and the constitutions stated below all of the Joint Venture partners will be disqualified.

5.6 Joint venture applicants shall provide a certified copy of the Joint venture Agreement in demonstration of the partners undertaking joint and several liabilities for the performance of any contract entered into with the bid.

5.7 The available bid capacity of the JV as required under clause 4.7 of ITB below will be applied for each partner to the extent of his proposed participation in the execution of the work. The total bid capacity available shall be more than estimated contract value.

The available bid capacity will be calculated as under

Assessed Available Bid capacity = (A*N*M-B)

Where

A = Maximum value of civil engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the rate of 8 percent a year) taking into account the completed as well as work in progress.

N = Number of years prescribed for completion of the works for which bids are invited.

M = 3

B = Value, at the current price level, of existing commitments and on-going works to be completed during the period of completion of the works for which bids are invited.

Note: The statements showing the value of existing commitments and on-going works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed

should be countersigned by the Engineer in charge, not below the rank of an Executive Engineer or equivalent.

6. Sub-contractor's (duly authorized) experience and resources shall be taken into account in determining the bidder's compliance with the qualifying criteria. The sub contractor's role may be verified by the employer.

7. Qualification of a joint venture does not necessarily qualify any of its partners individually or as a partner to any other joint venture. In case of dissolution of a joint venture, each one of the constituents firms may qualify if they meet all the qualification requirements subject to the written approval of the Employer.

8. The resciding of contract of a joint venture on account of reasons other than non-performance, such as most experienced partner of joint venture pulling out, court direction leading to breaking up of a joint venture before the start of work, which are not attributable to the poor performance of the contractor will, however, not affect the qualification of the individual partners.

विश्वासभाजन
ह०/-
(प्रत्यय अमृत)
सचिव

पत्रांक-प्र०-6/नियम-02/2010-
पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- सभी अभियंता प्रमुख, सभी कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, सभी कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य विभाग एवं सभी कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(प्रत्यय अमृत)
सचिव

Annexure-1

Format for Joint Venture Agreement

If the application is made by a joint venture of two or more firms (limited to three firms), the evidence of clear mandate (i.e., in the form of respective Board Resolution duly

authenticated by competent authority) by such two or more firms willing to form Joint Venture among themselves for the specified projects should accompany duly recognizing their respective authorised signatories signing for and on behalf of the respective Firms for the purpose of forming the Joint Venture. A certified copy of power of attorney to the authorized representatives, signed by legally authorized signatories of the all the firms of the joint venture shall accompany the application. The JV agreement shall be signed by the authorized representative of the Joint Venture. The JV Agreement shall need to be submitted consisting but not limited to the following provsions:–

a. Name, style and project (s) specific JV with head Office address.
b. Extent (or Equity) of participation of each party in the JV.
c. Commitment of each party of furnish the Bond money (i.e., Bid Security, performance security and security for Mobilisation Advance) in proportion to his participation in the JV.
d. responsibility of each partner of JV (in terms of Physical and Financial involvement).
e. Working capital arrangement of JV
f. Operation of separate bank account in the name of JV to be operated by at least one foreign partner and one local partner. In case of JV among local partners, all the partners are required to operate.
g. Provision for cure in case of non-performance of responsibility by any party of the JV.
h. Provision that NEITHER party of the JV shall be allowed to sign, pledge, sell or otherwise dispose all or part of its respective interest in JV to any party including existing partner (s) of the JV The Employer derives right for any consequent action (including blacklisting) against any or all JV partners in case of any breach in this regard.
i. Management Structure of JV with details.
j. Lead partner to be identified who shall be empowered by the JV to incur liabilities on behalf of JV.
k. Parties/kfirms committing themselves to the Employer for jointly and severally responsible for the intended works.
l. The Power of Attorney shall be duly notarized.
m. Any relevant detail.

परिशिष्ट-2

<u>निविदा आमंत्रण सूचना का मॉडल प्रारूप (समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु)</u>

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

----- प्रमंडल -----

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या ----------

(केवल ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)

1. कार्य का विवरण -

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	अग्रधन की राशि (लाख रु० में)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यपर्णीय रुपया)	कार्य समाप्ति की अवधि

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक

3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक..... से दिनांक ..... के 3.00 बजे अपराह्न ..... तक

(सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)

4. प्री-बीड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि : दिनांक..... 3.00 बजे अपराहन में ..... कार्यालय में ।

5. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक ..... समय 3.00 बजे अपराहन।

(सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)

6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक ..... 3.30 बजे अपराहन।

(सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)

7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जाएगी ।

(सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)

8. निविदा खोलने का स्थान : www.eproc.bihar.gov.in पर

9. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन

10. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, ...

प्रमंडल, ...

11. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है ।

कार्यपालक अभियंता

..... प्रमंडल, ...

<u>निविदा आमंत्रण सूचना का माडल प्रारूप</u>

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

----- प्रमंडल -----

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या ----------

(केवल ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)

1. कार्य का विवरण –

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	अग्रधन की राशि (लाख रु० में)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यपर्णीय रुपया)	कार्य समाप्ति की अवधि

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक

3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक..... से दिनांक ..... के 3.00 बजे अपराह्न ..... तक

(सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)

4. प्री-बीड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि : दिनांक..... 3.00 बजे अपराहन में ..... कार्यालय में ।

5. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक ..... समय 3.00 बजे अपराहन।

(सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)

6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक ..... 3.30 बजे अपराहन।

(सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)

7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जाएगी ।

(सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)

8. निविदा खोलने का स्थान : www.eproc.bihar.gov.in पर

9. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन

10. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, ...

प्रमंडल, ...

11. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा । यह उन्हें वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

12. निविदा मात्र वेबसाईट पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है ।

13. (क) परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, ... प्रमंडल ..... के पदनाम निर्गत हो, को स्वीकार किया जायेगा । मूल बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, ... प्रमंडल ..... / अधीक्षण अभियंता, ... अंचल ...../ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ... के कार्यालय में दिनांक .....को 3.00 बजे अपरार् तक जमा किया जाना है । ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(ख) अग्रधन की राशि अनुसूचित बैंक फिक्स डिपाजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो/अनुसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट/डाकघर का बचत पासबुक एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा/राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बाण्ड/राज्य विकास)ण प्रमाण पत्र अथवा बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता/वित्त नियमावली में प्रावधानित किसी भी रूप में कार्यपालक अभियंता, ... प्रमंडल, ... के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित कर अथवा एक करोड़ से अधिक के कार्य के लिए बैंक गारन्टी जो बिड के मान्य अवधि तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से निर्गत हो । (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना होगा), इसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता, ...प्रमंडल ...../ अधीक्षण अभियंता, ... अंचल, .../मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ... के कार्यालय में दिनांक ..... के 3.00 बजे अपरार् तक अवश्य जमा किया जाना है । ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा ।

14. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रोनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करंेगे । अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
15. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा । अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
16. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ट संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके । सभी प्रलेख में Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाए, अन्य Format में upload documents के Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
17. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की क्वूदसवंक Download ability/visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
18. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा । अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें ।
19. बीड प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तिथि को 12.00 बजे रात्रि से निविदा डालने के निर्धारित समय के पूर्व यदि www.eproc.bihar.gov.in का लगातार 2 घंटे से अधिक समय के लिए सर्वर डाउन होने की स्थिति में निविदा डालने की तिथि स्वतः अगले दिन के लिए निर्धारित समय तक विस्तारित हो जाएगी ।
20. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी ।
21. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है । ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई-टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई भवन, पटना (0612-2235241) एवं सहायता कक्ष, एम/22, प्रथम तल्ला, बैंक आफ इण्डिया भवन, रोड नं०-25, श्रीकृष्णा नगर, पटना से दूरभाष संख्या-9939035696 एवं 0612-2545306 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।
22. निविदित दर, Serious unbalanced rate होने की स्थिति में, Additional Performance Guarantee पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रंाक 3376 (E) दिनांक 17.08.2010 के अनुसार जमा करना होगा ।

23. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है । तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायगी ।

24. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा ।

25. SBD के ITB की कंडिका 4.5(A)(C) के प्रावधानों के लिए वांछित कार्यानुभव की मात्रा के निर्धारण हेतु सदृश्य कार्यानुभव की मान्यता के संबंध में जल संसाधन विभाग के पत्रांक 81 दिनांक 2.2.12 की मान्यता दी जायेगी ।

26. जल संसाधन विभाग का पत्रांक-536 दिनांक 13.6.13 का अनुपालन अनिवार्य होगा । इसमें प्रावधानित शपथ-पत्र निविदा के साथ जमा करना आवश्यक होगा ।

27. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लाटरी के माध्यम से किया जायगा।

कार्यपालक अभियंता

..... प्रमंडल, ...

परिशिष्ट- 3

AFFIDAVIT

1. I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing.

2. The undersigned also hereby certifies that neither our firm M/s ---------- has been black listed nor has abandoned any work in any government department, India nor any contract awarded to us for such works have been resinded, during last five years prior to the date of this bid.

3. The undersigned hereby authorises and request(s) and bank, person, firm or corporation for furnish pertinent information deemed necessary and requested by the Department to verify this statement or regarding my (our) competence and general reputation.

4. The undersigned understand and agrees that further qualifying information may be required and agrees to furnish any such information at the request of the Department project implementing agency.

5. The undersigned also hereby certifies that our firm M/s ---------- is not able to disqualify under the provisions made in Clause 3.3 & 4.8 of ITB under Section (1) of SBD.

6. I, the undersigned to here by undertake that our firm M/s ---------- would invest a minimum cash up to 25% of the value of the work during implementation of the contract.

(Signed by an Authorized Officer of the Firm)

Title of Officer
Name of Firm
Date :

पत्रांकः- परि०/भवन-07/2012 3525

बिहार सरकार

निगरानी विभाग,

सूचना भवन, पटना ।

प्रेषक,

नवीन कुमार
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक- 11.06.2012

विषयः- समाचार पत्रों में निविदा का प्रकाशन नियमानुसार कराने के विषय में ।

महाशय,

निविदा के उचित प्रसारण एवं निविदाकर्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा लाने हेतु निविदा का प्रकाशन समाचार-पत्रों में नियमानुसार होना आवश्यक है । इस संदर्भ में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 के भाग-2 के अधीन निम्नांकित निर्देशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

(क) कंडिका-3 में निर्देश है कि जिला गजट एवं समाचार पत्रों को स्पष्ट रूप से लिखा जायगा कि किस तिथि तक वे विज्ञप्ति निकालें और उसके बाद न छापें । उक्त तिथि निविदा/कोटेशन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व होनी चाहिए, परन्तु आवश्यकतानुसार इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है । दूसरी ओर, लोक निर्माण विभागीय संहिता की कंडिका-159 में अंकित है कि निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन तथा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बीच आकस्मिक परिस्थिति में भी 10 दिन से कम अन्तर नहीं होना चाहिये, किंतु इस अवधि को अधीक्षण अभियंता की पूर्वानुमति से कम

कियाजा सकता है । इससे स्पष्ट है कि निविदा विज्ञप्ति के प्रकाशन एवं निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बीच में कम-से-कम 10 दिन (अथवा यदि पूर्वानुमति प्राप्त कर इस अवधि को कमतर किया गया तो उक्त कमतर अवधि) का अंतर रखा जाना है । अतः, जब गजट / समाचार पत्रों को निविदा प्रकाशन के लिये भेजा जाय तो निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये और यह तिथि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से कम-से-कम 10 दिन (अथवा यदि पूर्वानुमति प्राप्त कर इस अवधि को कमतर किया गया तो उतने दिन) पूर्व होना चाहिये । साथ ही, यह भी स्पष्ट निर्देश दिया जाना चाहिये कि प्रकाशन की निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में निविदा का प्रकाशन नहीं किया जाय ।

(ख) कंडिका-4 में निर्देश है कि यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्ति की तिथि को बढ़ाना पड़े, जिसमें एक कारण निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन निर्धारित तिथि तक नहीं होना भी हो सकता है, तो इसकी भी सूचना उस समाचार पत्र में प्रकाशित की जाय जिसमें मूल निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हो अथवा होने वाली हो । इस सूचना प्रकाशन के लिये भी उप-कंडिका-(क) के अनुसार प्रक्रिया अपनायी जाय ।

(ग) कंडिका-5 में निर्देश है कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उपर्युक्त कंडिका-3 एवं 4 को ध्यान में रखकर विज्ञप्ति प्रकाशित करवायेंगे । यदि कंडिका-3 के आलोक में निर्धारित तिथि तक विज्ञापन छपने की संभावना नहीं हो तो उसकी सूचना, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग विज्ञापनकर्ता को तुरंत भेजेंगे ताकि निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पहले उन्हें यह सूचना प्राप्त हो जाय और वैसी स्थिति में विज्ञापनकर्ता निर्धारित तिथि को निविदा नहीं खोलेंगे और निविदा तिथि को बढ़ाने हेतु विज्ञप्ति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रकाशनार्थ भेजेंगे ।

देखा गया है कि अनेक मामलों में विज्ञापन प्रकाशन संबंधी उपर्युक्त निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है। इसका मूल कारण है कि निविदा जारी करने वाले कार्यालयों द्वारा विज्ञप्ति समयनुसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को नहीं भेजी जाती । निविदा विज्ञप्ति का समुचित रूप से प्रकाशन सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त निर्देशों के अतिरिक्त निम्नांकित निर्देशों का भी अनुपालन किया जाए:

(क) निविदा जारी करने वाला कार्यालय निविदा विज्ञप्ति सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को निविदा प्रकाशन के लिए निर्धारित तिथि से कम-से कम पाँच दिन पूर्व प्राप्त करा दे ।

(ख) यदि निर्धारित तिथि पर विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं होने की सम्भावना सम्बंधी सूचना, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से प्राप्त होती है तो निविदा जारी करने वाले कार्यालय द्वारा तुरंत निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने हेतु विज्ञप्ति सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को भेजा जाना चाहिये और ध्यान रखा जाना चाहिये कि यह अनुरोध सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से कम-से-कम पाँच दिन पूर्व प्राप्त हो जाए ।

आप सभी से अनुरोध है कि भविष्य में निविदा के प्रकाशन हेतु उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/ई०टेंडरिंग/818/2009- 81/ पटना, दिनांक 02.02.2012

प्रेषक,

जय किशोर
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

विषयः- S.B.D. के Instruction to Bidders (ITB) की कंडिका 4.5 (A) (c) के प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित कार्यानुभव (Experience in terms of quantities) हेतु सदृश कार्यानुभव के निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि S.B.D. के ITB की कंडिका 4.5 (A) (C) के प्रावधानों के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग में निविदित असैनिक कार्य हेतु आमंत्रित निविदा के तकनीकी बिड के मूल्याकण में कार्य मदों के लिए वांछित कार्यानुभव के निर्धाण हेतु सदृश कार्यानुभव की मान्यता निम्नलिखित सूची के अनुसार दी जाएगी –

क्र०	निविदिता मुख्य कार्यमद	इकाई	मान्य सदृश कार्यानुभव
1	Earth work	M^3	E/W in excavation and filling

2	Brick crating	M^3	Brick crating/Boulder crating
3	Brick pitching/soling	M^2	Brick pitching/Brick soling/Brick crating/Brick work in cement mortor/Boulder pitching
4	Boulder pitching	M^3	Boulder pitching/Bouler crating/Boulder Masonary
5	P.C.C. (Plain Cement Concrete)	M^3	P.C.C./R.C.C. (Rainforced cement concrete)
6	Road work (Non Bituminous)	M^3	Granular sub-base/Water Bound Macadam/Water Mix Macadam
7	Road work (Bituminous)	M^3	Bituminous Macadam/Semi Dense Bituminous concrete/Bituminous concrete/ Asphalt Road work
8	Road work (Tack/Seal/ Prime Coat)	M^2	Tack Coat/Prime Coat/Seal Coat/ Bituminous Macadam/Semi Dense Bituminous/Bituminous concrete
9	Brick Tiles/Brick, lining	M^2	Concrete/Brick Tiles/Brick, lining/ Brick work
10	Geo bag laying work	M^3	E.C. bag laying/N.C./Geo bag/Boulder crating work
11	Porcupine	M^3	R.C.C./porcupine

उक्त सदृश कार्यानुभव पत्र निर्गत की तिथि से मान्य होगा ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(जय किशोर)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/ई०टैंडरिंग/818/2009- 81 / पटना, दिनांक- 02/02/2012

प्रतिलिपि- मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख (मध्य/उत्तर)/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना / अवर सचिव, कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग/ निदेशक, क्रय, भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/4/बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/सिंचाई मोनिटरिंग अंचल/उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग/एफ०एम०आई०एस० सेल, जल संसाधन विभाग, पटना/एम०आई०एस०, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

कार्यपालक अभियंता, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेब-साईट पर पोस्ट करने हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(जय किशोर)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

बिहार सरकार

<u>पथ निर्माण विभाग</u>

<u>अधिसूचना</u>

संख्या-प्रा०-6/नियम-03-04/2002 13589 (S)/ पटना, दिनांक 13.12.11

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अन्तर्गत श्रेणी 1, 2 एवं 3 में निबंधित संवेदक पूरे राज्य में निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम है । सरकार की मंशा है कि रुपये 25.00 लाख रुपये से कम लागत के कार्यो को स्थानीय स्तर (जिला स्तर) पर निबंधित संवेदकों से कराया जाय एवं रुपये 25.00 लाख से कम लागत के कार्यो से निबंधित श्रेणी 1, 2, एवं 3 के संवेदकों को अलग रखा जाय । तद्नुसार पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-5737 (एस) दिनांक-07.05.2007 द्वारा निर्गत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007, तथा जो पत्र संख्या-13211 अनु० दिनांक-16.10.2008 द्वारा राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों के लिये लागू है, में संशोधन के साथ निम्नलिखित उपबंध किये जाते हैं:-

(2) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-2 में श्रेणी-03 के बाद "श्रेणी-04" जोड़ा जाता है । यह श्रेणी "स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी" कहा जायेगा । श्रेणी-4 के अन्तर्गत निबंधित संवेदक 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख) तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिये सक्षम होंगे ।

(3) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-03 में श्रेणी-03 तथा श्रेणी-03 के लिए विहित निबंधन शुल्क के बाद श्रेणी-04 और श्रेणी-04 के लिये निबंधन शुल्क- 5000.00 (पाँच हजार) रुपये जोड़ा जाता है ।

(4) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-04 की उप कंडिका-ख तथा उप कंडिका-ग के बाद क्रमशः उप कंडिका-घ, उप कंडिका-घ तथा उप कंडिका-च के रूप में निम्न को जोड़ा जाता है:-

(घ) श्रेणी-04 के निबंधन हेतु कार्यपालक अभियंता से अन्यून किसी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किये गये हो, निबंधन पदाधिकारी होंगे ।

(घ) श्रेणी-04 में संवेदक का निबंधन बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी एक जिला के लिये निबंधित होंगे, और उनका कार्य क्षेत्र वही जिला का क्षेत्र होगा, और वे उस जिले के अन्तर्गत 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये एवं उससे कम की राशि के लिये अन्य सरकारी विभागों/निकायों में कार्य करने के लिये योग्य माने जायेंगे ।

(च) 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये तक के कार्यो के निविदा में श्रेणी-04 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे अर्थात् अन्य श्रेणी-1, 2, 3 में निबंधित संवेदक 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये एवं उससे कम के कार्यो की निविदा में भाग नहीं ले सकेगें ।

(5) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-05 की उप कंडिका-"घ" तथा उप कंडिका-"च" के बाद क्रमशः उप कंडिका- "छ" तथा उप कंडिका- "ज" के रूप में निम्न को जोड़ा जाता है:-

(छ) इच्छुक व्यक्ति / संवेदक जिस जिला के लिये निबंधन कराना चाहेंगे वे उसी जिला के अन्तर्गत स्थित पथ निर्माण विभाग के पथ प्रमंडल में निबंधन हेतु विहित आवेदन (निबंधन शुल्क सहित) जमा करेंगे ।

(ज) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट "कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग ..... (संबंधित स्थान विशेष) के पक्ष में भुगतेय हो ।

उपर्युक्त के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक- प्र०-6/नियम-03-04/2002 13590 (S) /पटना, दिनांक 13.12.11

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटले मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- प्र०-6/नियम-03-04/2002 13590 (S) /पटना, दिनांक 13.12.11

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को आगामी बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि उसकी एक हजार गजट प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह०/-

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- प्र०-6/नियम-03-04/2002 13590 (S) /पटना, दिनांक 13.12.11

प्रतिलिपिः- सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, सभी विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी निकाय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(राजकिशोर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- प्र०-6/नियम-03-04/2002 13590 (S) /पटना, दिनांक 13.12.11

प्रतिलिपिः- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित) पथ निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(राजकिशोर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

<u>आदेश</u>

स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी (श्रेणी-04) में जिलावार ठीकेदारों का निबंधन करने हतु निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग को अधिकृत किया जाता है । जिला तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, निम्नवत् होगें ।

क्र०सं०	**जिला का नाम**	**अधिकृत कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल का नाम**
1	अररिया	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, अररिया ।
2	औरंगाबाद	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०-1, पथ निर्माण विभाग, औरंगाबाद।
3	बाँका	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, बाँका ।
4	बेगूसराय	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, बेगूसराय ।
5	भागलपुर	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर
6	भोजपुर	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भोजपुर ।
7	बक्सर	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, बक्सर ।
8	दरभंगा	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा ।
9	पूर्वी चम्पारण	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
10	पश्चिमी चम्पारण	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पश्चिमी

		चम्पारण बेतिया।
11	गया	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०-1, पथ निर्माण विभाग, गया ।
12	गोपालगंज	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, गोपालगंज ।
13	जमुई	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, जमुई ।
14	जहानाबाद (अरवल सहित)	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०-1, पथ निर्माण विभाग, जहानाबाद।
15	कैमूर	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भभुआ ।
16	कटिहार	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, कटिहार ।
17	खगड़िया	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, खगड़िया ।
18	किशनगंज	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, किशनगंज ।
19	लखीसराय	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय ।
20	मधेपुरा	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, मधेपुरा ।
21	मधुबनी	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, मधुबनी ।
22	मुंगेर	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, मुंगेर ।
23	मुजफ्फरपुर	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०-1, पथ निर्माण विभाग, मुजफ्फरपुर।
24	नालन्दा	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, नालन्दा ।
25	नवादा	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, नवादा ।
26	पटना	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना ।
27	पूर्णियाँ	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पूर्णियाँ ।
28	रोहतास	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, रोहतास
29	सहरसा	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, सहरसा ।
30	समस्तीपुर	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, समस्तीपुर
31	शेखपुरा	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, शेखपुरा ।
32	सीतामढ़ी (शिवहर सहित)	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, सीतामढ़ी ।

33	सिवान	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, सिवान ।
34	सारण	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, छपरा ।
35	सुपौल	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, सुपौल ।
36	वैशाली	कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, हाजीपुर

ह०/-
(राजकिशोर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक-अ०प्र० (मध्य)-एस०बी०डी०-08/2011- 141 /मध्य

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

प्रेषक,

जय किशोर,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक- 25.11.2011

विषयः- मानक निविदा अभिलेख (SBD) की कंडिका 3.3 एवं कंडिका 4.8 के अनुपालन हेतु निर्धारित पक्रिया ।

महाशय,

मानक निविदा अभिलेख (SBD) की कंडिका 3.3 एवं कंडिका 4.8 में निम्न प्रावधान है:-

3.3 Bidders shall not be under a declaration of ineligibility for delay, failure or corrupt and fraudulent practices by any of the State Govt. or Central Govt. of Public Undertaking or any Autonomous Body.

4.8 Even though the bidders meet the qualifying criteria, they are subject to be disqualified if they have:-

(क)made misleading or false representation in the forms, statements and attachments submitted in proof of the qualification requirements; and/or

(ख) have record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the contract, inordinate delays in completion, litigation history, or financial failures etc; and / or

(ग) participated in the previous bidding for the same work and had quoted unreasonably high bid prices and could not furnish rational justification to the employer.

यदि संवेदक की निविदा अन्य सभी अर्हताओं पर योग्य हो तो भी इस कंडिका के प्रावधान के पूरा नहीं करने पर उनका तकनीकी बीड रद्द किया जा सकता है । ऐसा देखा जा रहा है कि संवेदकों द्वारा कार्य आवंटन प्राप्त कर निर्धारित लक्ष्य की प्रगति नहीं की जा रही है और कार्य के संपादन में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है। फिर भी बीड कैपासीटी के आधार पर संवेदक को अन्य कार्य आवंटित हो जाता है और इससे योजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है ।

अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में कंडिका 4.8 (ख) के संबंध में निदेशानुसार निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

1. निविदा सूचना में यह कंडिका जोड़ा जायेगा कि संवेदक द्वारा एस०बी०डी० के सेक्शन-1 की कंडिका 4.8 के प्रावधान के अधीन योग्य होने का प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट से निर्गत शपथ-पत्र निविदा के साथ समर्पित किया जायेगा ।

2. वैसे संवेदक जिन्हें कार्य, पूर्व से आवंटित है, में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 80 प्रतिशत से कम की प्रगति की गयी है, को विभिन्न कार्य प्रमण्डलों से गुण-दोष के आधार पर Defaulter घोषित करने की अनुशंसा प्राप्त कर संबंधित मानिटरिंग अंचलों द्वारा समीक्षोपरांत विभागीय अनुमोदन प्राप्त कर Defaulter (अगली निविदा में भाग लेने से वंचित) घोषित करने संबंधी आदेश निबंधन के प्रभारी अभियंता प्रमुख के स्तर से निर्गत किया जायेगा । Defaulter घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें अगली निविदाओं में भाग लेने से Debar किया जायेगा ।

3. एस०बी०डी० की कंडिका 3.3 एवं कंडिका 4.8 के अन्य दो बिन्दुओं यथा उपरोक्त (क) एवं (ग) के संबंध में भी Defaulter (अगली निविदा में भाग लेने से वंचित) घोषित करने हेतु कार्रवाई उपरोक्त प्रक्रियानुसार की जायेगी ।

4. Defaulter (अगली निविदा में भाग लेने से वंचित) का आदेश निर्गत होने के उपरान्त वैसे सभी संवेदकों को अगली निविदा में भागल लेने से रोक लागू रहेगा जब तक विभाग द्वारा पुनः उन्हें Defaulter सूची से विलोपित नहीं किया जाता ।

5. इस आदेश की प्रति, वेबसाइट पर डाली जाय एवं सभी Defaulter संवेदकों की सूची सभी कार्य विभागों को भेजते हुये विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से डाली जाय ।

ह०/-

(जय किशोर)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-10-विविध-4/11-2233

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

जय किशोर

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

सचिव

बिहार पब्लिक वक्र्स कान्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आरबीट्रेशन ट्रिब्यूनल

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 18.11.11

विषयः- बिहार पब्लिक वक्र्स कन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आरबीट्रेशन ट्रिब्यूनल बिहार, पटना के समक्ष जल संसाधन विभाग के वादों की पैरवी हेतु विद्वान अधिवक्ताओं के बीच वादों का बंटवारा ।

प्रसंगः- विधि विभाग का पत्र 5671 दिनांक - 27.07.11

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विधि विभाग के ज्ञाप पत्र 5671 दिनांक 27.07.11 के द्वारा बिहार पब्लिक वक्र्स कान्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आरबीट्रेशन ट्रिब्युनल के समक्ष जल संसाधन विभाग से संबंधित वादों की पैरवी हेतु तीन विद्वान अधिवक्ताओं का पैनल किया गया है, जिनके नाम निम्नवत् हैः-

1. श्री आलोक रंजन
2. श्री कृष्ण नारायण झा
3. सुश्री कुमारी अमृता

2. उपरोक्त विद्वान अधिवक्ताओं के बीच जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित वादों को बिहार पब्लिक वक्र्स कान्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आरबीट्रेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष रखने हेतु जल संसाधन विभाग के 13 (तेरह) मुख्य अभियंता परिक्षेत्रों को निम्न रूप से वितरित किया जाता है:-

(i) श्री आलोक रंजन- मुख्य अभियंता, बीरपुर, पूर्णियां, भागलपुर, समस्तीपुर

(ii) श्री कृष्णा नारायण झा- मुख्य अभियंता (यांत्रिक) पटना, गया, डिहरी, औरंगाबाद

(iii) सुश्री कुमारी अमृता- मुख्य अभियंता, पटना, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, सीवान, दरभंगा

3. जल संसाधन विभाग के बिहार पब्लिक वक्र्स कान्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आरबीट्रेशन ट्रिब्यूनल में लंबित कुल 28 वादों को निम्नरूप से वितरित किया जाता है ।

क्र०	अधिवक्ता का नाम	मुख्य अभिंयता का परिक्षेत्र	वाद का विरण
1.	श्री आलोक रंजन	1. समस्तीपुर	1. टाईटिल सूट 31/08-श्री हरि किशोर शर्मा 2. टाईटिल सूट 04/2000 श्री नन्द किशोर मिश्र बनाम राज्य सरकार 3. टाईटिल सूट 03/08/02/97 हुसैन एंड कम्पनी 4. टाईटिल सूट 82/10-आर० के० कंस्ट्रक्शन 5. टाईटिल सूट 03/09-शिवदानी कंस्ट्रक्शन प्रा०लिमिटेड 6. टाईटिल सूट 01/09 7. टाईटिल सूट 02/09
		2. वीरपुर	1. टाईटिल सूट 01/2000 मेसर्स महाबीर कंस्ट्रक्शन 2. टाईटिल सूट 37/11 मेसर्स सिंहेश्वर बिल्डर्स
		3. पूर्णियाँ	1. टाईटिल सूट 24/11 सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार 2. टाईटिल सूट 25/11 मु० सुलेमान बनाम राज्य सरकार
2.	श्री श्रीकृष्ण नारायण झा	1. भागलपुर	1. टाईटिल सूट 28/11 चित्रगुप्त कंस्ट्रक्शन बनाम राज्य सरकार 2. टाईटिल सूट 51/11 चित्रगुप्त कंस्ट्रक्शन बनाम राज्य सरकार
		2. गया	1. टाईटिल सूट 42/11, 43/11 मेसर्स अनिल शर्मा बनाम राज्य सरकार
		3. औरंगाबाद	1. टाईटिल सूट 27/10 टैक्समैको को लिमिटेड बनाम राज्य सरकार 2. टाईटिल सूट 130/10 मेसर्स बी०के० सिंह बनाम राज्य सरकार
		4. डिहरी	1. टाईटिल सूट 17/11 अनिल सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य
		5. दरभंगा	1. टाईटिल सूट 03/03, 04/03 ओम बजरंग कम्पनी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य 2. टाईटिल सूट 162/10 नव निर्माण बिहार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम राज्य सरकार 3. टाईटिल सूट 154/10 हुसैन एण्ड कम्पनी लि० बनाम राज्य सरकार एवं अन्य 4. टाईटिल सूट 05/98 टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य
3.	सुश्री कुमार अमृता	1. मुजफ्फरपुर	1. टाईटिल सूट 243/93, 245/95 एस०एस० बिल्डर्स चंडीगढ़ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य

		2. वाल्मीकिनगर	1. टाईटिल सूट 2/97 अपील संख्या 251/98 मेसर्स इन्दू कंस्ट्रक्शनस बनाम राज्य सरकार एवं अन्य 2. मनीसूट 161/94 एसियाटिक आक्सीजन एण्ड एसिटिलीन कम्पनी प्रा० लिमिटेड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य 3. मनीसूट 01/08 इन्दु कंस्ट्रक्शन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य 4. मनीसूट 1/97, 2/97, 1/08, 2/10 इन्दु कंस्ट्रक्शन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य
		3. सीवान	1. रि०केस 106/10 राम प्रवेश राय इस्टेट प्रा०लि० बनाम राज्य सरकार 2. 11/08 मेसर्स शांति कंस्ट्रक्शन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य

नये आगत वादों की पैरवी कंडिका-2 की वितरण प्रक्रिया के अनुसार ही की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(जय किशोर)

संयुक्त सचिव (अभियन्त्रण)

ज्ञाप संख्या- 2233 / पटना, दिनांक- 18.11.11

प्रतिलिपि - सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञाप पत्र 5671 दिनांक 27.7.11 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि इसकी सूचना अपने स्तर से भी संबंधित अधिवक्ताओं को देने की कृपा की जाय ।

ह०/-

(जय किशोर)

संयुक्त सचिव (अभियन्त्रण)

ज्ञाप संख्या- 2233 / पटना, दिनांक- 18.11.11

प्रतिलिपि - सभी मुख्य अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि इस पत्र की प्रति अपने परिक्षेत्राधीन सभी अंचलों/प्रमंडलों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

ह०/-

(जय किशोर)

संयुक्त सचिव (अभियन्त्रण)

ज्ञाप संख्या- 2233 / पटना, दिनांक- 18.11.11

प्रतिलिपि - अवर सचिव, प्रभारी, प्रशाखा-10 एवं 11, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-10 एवं 11, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(जय किशोर)
संयुक्त सचिव (अभियन्त्रण)

अभियंता प्रमुख का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग

पत्रांक-प्र० 6/द०वि०यिम०-03-08/2006 (अंश)- 2676 (S) पटना, दि०- 30.5.11

प्रेषक,

बबन राम,
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः- SBD के आई०टी०वी० की कंडिका-4.5 (बी०) एवं सी० के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- बाढ़ (मो०) सि० पि०-32/94 (अंश-III)- 252 दिनांक- 27.01.11 से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में विचारोपरान्त सूचित करना है कि SBD के ITB की कंडिका-4.5 (बी०) एवं (सी०) के समान प्रकृति के कार्य का उल्लेख है । यह पूर्णतः प्रशासी विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि किसी कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है और उन्हें उसके सम्पादन हेतु किस समान प्रकृति के लिए किस कार्य का अनुभव की आवश्यकता है ।

इस तरह के अनेक ऐसे मद के कार्य है, तो अलग-अलग विभाग के लिए अलग-अलग प्रकृति समान कार्य के समतुल्य होते हैं । अतः इस पर कार्यहित में निर्णय लोक प्रशासी विभाग के अधिकार क्षेत्र में है लेकिन NIT में उसका पूर्व उल्लेख आवश्यक है ।

विश्वासभाजन
ह०/-
अभियंता प्रमुख
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्रांक - प्र०6/01-विविध-12/03- 3407 3407 (S) पटना, दिनांक- 18.3.11

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार ।
सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार ।
सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (रा० उ० प० सहित) बिहार ।

विषयः- SBD की कंडिका-4.8 के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

ऐसा देखा जा राह है कि निविदाओं के निष्पादन के क्रम में तकनीकी मूल्यांकन समिति के द्वारा किसी भी संवेदक को तकनीकी रूप से सफल घोषित करने के पूर्व सिर्फ उनकी बीड capacity का मूल्यांकन किया जाता है तथा मूल्यांकन के क्रम में उनके लंबित कार्यो के poor performance इत्यादि को शामिल नहीं किया जाता है। SBD की कंडिका-4.8 में निम्नांकित बातें अंकित हैं:-

Even though the bidders meet the above qualifying criteria, they are subject to be disqualified if they have:
made misleading or false representations in the forms, statements and attachments submitted in proof of the qualification requirements; and/or
have record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the contract, inordinate delays in cmpletion, litigation history, or financial failures etc; and or participated in the previous bidding for the same work and had quoted unreasonably high bid prices and could not furnish rational justification to the employer.

SBD की उपरोक्त कंडिका-4.8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिन संवेदकों के द्वारा कार्य लेकर सक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं की जा रही है या कार्य आवंटित होने के बाद कार्य शुरू नहीं किया जाता है या एकरारनामा में अत्यधिक विलंब किया जाता है वैसे संवेदकों की अगली निविदा के तकनीकी मूल्यांकन में असफल घोषित करना है । SBD आधारित सभी निविदाओं के निष्पादन के क्रम में इस कंडिका का अनुपालन भी आवश्यक है । यथा कई ऐसे मामले देखे गये हैं जिसमें संवेदक के द्वारा पूर्व आवंटित कार्यो की प्रगति धीमी रहती है, परन्तु बीड capacity valuation के आधार पर नये कार्य आवंटित हो जाते हैं, जिससे पूर्व आवंटित कार्य के साथ-साथ नव आवंटित कार्य भी प्रभावित होते हैं ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

(i) जिन संवेदकों के द्वारा पूर्व आवंटित कार्यो की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 80 प्रतिशत से कम हो उन्हें अन्य योग्यता रखने के बावजूद SBD clause-4.8 में वर्णित प्रावधान के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन में असफल घोषित किया जाय ।

(ii) कई संवेदक यदि पूर्व आवंटित कार्य को बिना किसी Justified reason के छोड़कर चले गये हों, तो ऐसे संवेदक को भी अगले निविदा के तकनीकी मूल्यांकन में असफल घोषित किया जाय ।

(iii) भविष्य में किसी योजना के लिए निविदा आमंत्रित करने हेतु NIT में इस शर्त को जोड़ दिया जाय कि संबंधित संवेदक इस आशय का एक प्रतिशपथ पत्र दायर करेंगे कि वे SBD की कंडिका-4.8 में अंकित प्रावधान के अनुरूप अयोग्य नहीं है ।

(iv) जिन योजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा तकनीकी मूल्यांकन शेष हो ऐसे निविदाओं के निष्पादन में तकनीकी मूल्यांकन के समय तकनीकी मूल्यांकन समिति, मुख्यालय स्थित अनुश्रवण कोषांग से एक प्रतिवेदन प्राप्त करेगी कि संबंधित संवेदक पूर्व आवंटित कार्य में लक्ष्य के अनुरूप क्या प्रगति की गई है । इस प्रतिवेदन की समीक्षा उपर कंडिका (i) में अंकित शर्त के आलोक में की जायेगी तथा यदि अनुश्रवण कोषांग से यह प्रतिवेदन प्राप्त होता है कि संबंधित संवेदक के द्वारा पूर्व आवंटित कार्य में लक्ष्य के अनुरूप 80 प्रतिशत से कम प्रगति की गई है तो संबंधित संवेदक को निविदा के तकनीकी मूल्यांकन में असफल घोषित किया जाय ।

विभाग की मंशा है कि तकनीकी मूल्यांकन के समय SBD की कंडिका- 4.8 का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक- 3407 (S) पटना, दिनांकः- 18.3.11

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(प्रत्यय अमृत)

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय,
<u>पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना</u>

पत्र सं०- प्र०6/1/बी०-12/2003 3740 (E) पटना, दिनांक - 8-9-2010

प्रेषक,

अभियन्ता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार ।
सभी अभियन्ता प्रमुख, सभी कार्य विभाग, बिहार ।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/
बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, पटना
अधीक्षक अभियन्ता, प०नि०विभाग,
मुख्यालय निरूप अंचल, सभी सदस्य राज्य स्तरीय
अनुसूचित दर निर्धारण समिति/अनुश्रवण ।

विषयः- एस०बी०डी० के कतिपय प्रावधान के **clarification** के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपुर्यक्त विषयक विभागीय पत्रांक- 3376 (ई०) अनु० दिनांक 17.8.10 की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ अनुलग्नक की जा रही है ।

अनु०- यथोक्त

विश्वासभाजन
ह०/-
अभियन्ता प्रमुख
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना

पत्रांक- प्र०6/1/बी०-12/2003- 3376(E) पटना, दिनांकः- 17.8.2010

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग,
सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग,
सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग,
(रा०उ०प० उपभाग सहित)

विषयः- S.B.D. के कतिपय प्रावधान के clarification के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि कार्यो की प्रगति की समीक्षा के दौरान क्षेत्रिय पदाधिकारियों द्वारा S.B.D. के प्रावधानों के अन्तर्गत आमंत्रित निविदाओं में कार्यो के कार्यान्वयन में कतिपय बिन्दुओं पर विरोधाभाष महसूस किये जाने के संबंध में विभाग से clarification का अनुरोध किया जाता रहा है । फलस्वरूप इन तथ्यों पर विभागीय तकनीकि समिति द्वारा विचार किया गया और तद्नुसार समिति द्वारा समर्पित अनुशंसाओं के आलोक में निम्न निर्णय लिए गए हैं-

1. <u>Price Adjustment</u>

राज्य एस०बी०डी० के अन्तर्गत प्राप्त निविदा के एकरारनामा जिसकी कार्यावधि 18 महीनो से कम है अर्थात उन पर एस०बी०डी० का Clause 10 CA लागू है, में अगर अपरिहार्य कारणवश सरकार द्वारा समय वृद्धि देने के फलस्वरूप इसकी कार्यावधि 18 माह से अधिक बढ़ जाती है तो उस मामले में भी संवेदक को विस्तारित अवधि तक समय वृद्धि दी जायेगी तथा उस पर भी एकरारनामा के Clause 10 CA ही लागू रहेगा ।

उसी तरह SBD (NH) (जिसके अन्तर्गत 12 माह तक कोई Price escalation देने का प्रावधान नहीं है) के अधीन कराये जा रहे कार्य में अगर समयवृद्धि देने के फलस्वरूप कार्य अवधि 12 माह से अधिक हो जाती है SBD (NH) के Clause-47.1 (a) के अन्तर्गत 12 माह के बाद extended period में कराये गये कार्य लिए ही Price Adjustment दिया जा सकता है ।

ज्ञात हो कि एस०बी०डी० के Clause 10 CA ..... में एक साथ 10 CA एवं 10 CC लागू करने में मनाही है ।

2. <u>Bill of Quantity (BOQ)</u> <u>का अद्यतन दरों से **Update** करना</u>

अद्यतन परिमाण विपत्र के संबंध में यह बात सामने आयी कि अनेकों कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा जो परिमाण विपत्र तैयार किया जाता है वह अद्यतन सामग्रियों यथा बिटुमेन Labour Cost के आधार पर अद्यतन नहीं किया जाता है ।

अतः इस संबंध में निर्णय लिया गया कि अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निर्माण सामग्रियों एवं श्रम दर को परिमाण विपत्र अनुमोदित करते समय उसे तदनुसार अद्यतन करा लिया जाय ।

3. <u>BOQ का Cost, Earnest Money की तरह Schedule Bank के माध्यम से प्राप्त करना</u>

अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य प्राप्त करने के संबंध में यह पाया गया कि SBD के Clause 16.1 के अनुसार अग्रधन की राशि Nationalized अथवा Schedule Bank से प्राप्त करने का प्रावधान है । जबकि कहीं-कहीं कार्यपालक अभियंताओं द्वारा अपने NIT में मात्र Nationalized बैंक का ही बैंक ड्राफ्ट BOQ के cost हेतु प्राप्त करने का उल्लेख किया जाता है । इससे संवदेकों में संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः यह निर्णय लिया गया कि अग्रधन राशि के तरह ही BOQ का Cost Nationalized बैंक के साथ-साथ Schedule Bank का लिया जाय ।

4. <u>Serious Unbalanced Rate के लिए Additional Performance Guarantee लेना</u>

समीक्षा में यह बात प्रकाश में आयी कि आये दिन संवेदकों द्वारा Serious Unbalanced कम दर अपनी निविदा में उद्धत किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्य को समय पर गुणवत्ता के साथ सभी मदों सहित पूर्ण कराने की संशय बनी रहती है । State SBD के Clause 27.4 एवं NH

(SBD) के Clause 29.5 में इस बात का उल्लेख है कि अगर कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से Serious Unbalanced कम दर अपनी निविदा में उद्धत किया जाता है तो उनसे लिखित रूप से मद का विस्तृत दर विशलेषण प्राप्त किया जाय कि वे इस कार्य को कैसे सम्पादित करायेंगे तथा Serious Unbalanced दर के लिए संवेदक से Additional Performance की मांग की जाय ।

इस संबंध में कार्यपालक अभियंताओं द्वारा विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गई है, कि Additional Performance Guarantee किस दर से संवेदकों से ली जाय । अतः निर्णयानुसार निम्नलिखित तरीके से Additional Performance Guarantee ली जाय ।

(i) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए 0.25% Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्धत दर के लिए ली जाय ।

(ii) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 10 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए 0.5% Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्धत दर के लिए ली जाय।

(iii) परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए संवेदक से एक प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत कम उद्धत दर के लिए ली जाय ।

उदाहरणस्वरूप

(a) 3% कम उद्धत दर के लिए Additional Performance Guarantee 3×0.25 अर्थात 0.75%

(b) 7% कम उद्धत दर के लिए Additional Performance Guarantee 5×0.25+2×0.5=2.25%

(c) परिमाण विपत्र से 15 प्रतिशत कम उद्धत दर के लिए 5×0.25+5×0.5+5×1.00=8.75%

5. अग्रधन एवं B.O.Q. की राशि का Hard Copy प्राप्त करना

समीक्षा के दौरान पाया गया कि अनेकों कार्यपालक अभियंता द्वारा अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मुल्य की राशि की हार्ड कापी निविदा प्राप्ति के एक दिन पहले मांगी जाती है जिसके फलस्वरूप विवाद की स्थिति पैदा होती है । इस प्रकार के उत्पन्न विवादों के आलोक में कई मामले न्यायालय में लम्बित हैं । समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य की हार्ड कापी निविदा प्राप्ति की तिथि के अगले कार्य दिवस के 3.00 बजे अपराहन तक निश्चित रूप से संवेदक द्वारा जमा कर दी जाय, अन्यथा इस पर विचार नहीं किया जायेगा एवं इस आशय की सूचना NIT में भी प्रकाशित कर दी जाये ।

6. Unconditional Bank Guarantee प्राप्त करना

प्रायः यह देखा जा रहा है कि संवेदक द्वारा जो बैंक गारंटी समर्पित की जाती है वह एस०बी०डी० के विहित प्रपत्र के अनुरूप नहीं होकर उसमें बैंक द्वारा कुछ Modification या सशर्त

बना दिया जाता है । समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस तरह का सशर्त (Conditional) बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जाय ।

7. G-Appendix to ITB अधीन

प्रायः यह देखा जा रहा है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा निविदा अभिलेख के साथ G-Appendix to ITB में दिये गये Clause के अनुसार खाली जगहों को नहीं भरकर Website पर load किया जाता है जिसके फलस्वरूप संवेदक द्वारा सही ढंग से नहीं भरा जाता है और मामला पंचीदा हो जाता है । इस संबंध में निर्णय हुआ कि तीनों उपभाग के सचिव (प्रा०) इस परिशिष्ठ "जी" को तैयार कर अपने अधीनस्थ कार्यपालक अभियंताओं को प्रशिक्षण देंगे ताकि भविष्य में किसी तरह की गलती न हो ।

8. Standard NIT तैयार करना

समीक्षा में राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के सचिव (प्रा०) एवं श्री महेश प्रसाद, कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे अन्य उपभाग के सचिव (प्रा०) से सम्पर्क स्थापित कर एक मानक NIT का प्रारूप तैयार करें । जिसका अनुपालन सभी कार्य प्रमण्डलों में किया जा सके ।

9. निविदा को एक ही स्तर पर खोला जाना

समीक्षा के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि निविदा कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभिंयता एवं मुख्य अभियंता के स्तर पर एक साथ खोली जाती है । परन्तु तीनों व्यक्तियों का अपने मुख्यालय एक समय उपस्थित नहीं रहने के फलस्वरूप निविदा खोलने में अधिक विलम्ब होता है चूँकि अब निविदा E-Tendering के माध्यम से होती है जहाँ Tempering की संभावना क्षीण है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि निविदा कार्यपालक अभियंता के स्तर पर ही खोली जाय और इसकी सूचना दूरभाष पर अविलम्ब एक घंटे के अन्तर्गत अपने अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को दे दी जाय ।

उपर्युक्त प्रस्तावों में सचिव, पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(बबन राम)

अभियंता प्रमुख

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

पत्रांक 3/वि०उ०प०-2-60/2008- 3160 पटना, दिनांक- 15.07.10

प्रेषक,

आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त (प्रशासन),
सभी संयुक्त आयुक्त (अपील),
सभी संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण),
सभी अंचल प्रभारी ।

विषयः- बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 41 एवं नियमावली के नियम 29 के तहत संविदा कार्य पर कर कटौती से संबंधित माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय ।

महाशय,

दिनांक 21.05.2010 को माननीय पटना उच्च न्यायालय की दो बेंच की खंडपीठ द्वारा रिट याचिका CWJC No. 1385ध2006ए 17061ध2008 एवं अन्यान्य के मामले में निर्णय दिया गया है कि बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 41 एवं बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली 2005 के नियम 29 के प्रावधान पूर्णतः संवैधानिक हैं । इस प्रकार उक्त धारा एवं नियम के तहत की जाने वाली कर कटौती भी विधिसम्मत् हैं ।

न्याय निर्णय की कंडिका 48 एवं अंतिम कंडिका का अंश निम्नवत् हैं-

48. It is not a provision which can be stated that the owner would act ex meromotu (that is to say, from one's own impulse or accord). It is because there is immense guidance and mechanism which does control and govern the deduction. It can be stated with ceritiude that applying the principal of exnaturale, that from the very nature of the case, it is clear as day, that the provision does provide a machinery. It cannot be conceived that there would be a preassessment prior to the assessment as the learned Senior Counsel for the petitioners would submit. The provision lays a clear postulate that a certificate can be obtained from the Deputy Commissioner, Commerical Taxes or the Assistant Commissioner, Commerical Taxes or the Commercial Taxes Officer, in-incharge of the concerned circle. True it is, in Larsen and Toubro Ltd. & Ors. (supra), the Jharkhand High Court did not think it to be an adequate machinery. With due respect and all the humility at our command, we are been provided in the Act and Rules. The Deputy Commissioner, Commerical Taxes or the Assistant Commissioner, Commercial Taxes or the Commerical Taxes Officer, In-charge of the concerned Circle have been authorized to give certificates which part is taxable and which is not. We really perceive no difficulty as to how a contractor cannot really satisfy anyone or the said authorities to have a prime facie view on the same. Needless to emphasize, the certificate issued would be subject to assessment. The colossal grievance that has been put forth by the learned Senior Counsel for the petitioners that the provsion is unworkable as well as arbitrary cannot be given acceptation as there is adequate mechanism and the provision is reasonably and acceptably workable.

What is to be seen is whether the provision in its very nature imposes such tax what is not permissible to be levied by the State Legislature. The dictum in Steel Authority of India Ltd. (supra), Neptha Jhakri Jt. Venture (supra) And M/s Bhawani Cotton Mills Ltd. (supra) are distinguishable as the provisions under assail were different.

(Last Para) - In view of our preceding analysis we conclude and hold that Section 41 of the VAT Act and Rule 29 of the VAT Rules are intra vires. Inevitably, the result is the dismissal of the writ petitions which we direct. In the facts and circumstances there shall be no order as to costs.

चूँकि माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 41 एवं नियम 29 के प्रावधानों को पूर्णतः संवैधानिक माना है अतः संविदा कार्य में लगने वाले मालों पर 4% से कम दर पर कटौती करने के अन्य अन्तरिम आदेश स्वतः समाप्त हो गये हैं ।

उल्लेखनीय है कि बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 41(2) के परन्तुक के तहत दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा कार्य अग्रिम पर कर की कटौती तबतक नहीं होगी जबतक कि उक्त अग्रिम विक्रय मूल्य का हिस्सा नहीं हो जाता है । उसी तरह से 41(2) के परन्तु के (a) (b) एवं (c) में निहित प्रावधानों के अनुरूप भी स्त्रोत पर कर कटौती नहीं करने का प्रावधान है । बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली 2005 के नियम 29 (2) के परन्तुक में वर्णित राशि पर भी स्त्रोत पर कर कटौती नहीं होगी। इनको छोड़कर शेष स्थितियों में संविदा कार्य के लिये किये जा रहे भुगतान पर 4% की दर से कर की अनिवार्य रूप से कटौती करने का दायित्व संवेदक को भुगतान करने वाले प्राधिकारी पर है ।

विभिन्न कार्य विभागों जिनपर संवेदक के विपत्रों से किये गये संविदा कार्य के भुगतान के समय कर की कटौती करने का दायित्व है, को भी माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय से अवगत करावें । इस न्याय निर्णय से अवगत कराने के पश्चात् आशा की जाती है कि सभी कार्य विभागों द्वारा सही रूप से कर कटौती की जा सकेगी ।

दर से कर की अनिवार्य रूप से कटौती करने का दायित्व संवेदक को भुगतान करने वाले प्राधिकारी पर है।

विभिन्न कार्य विभागों जिनपर संवेदक के विपत्रों से किये गये संविदा कार्य के भुगतान के समय कर की कटौती करने का दायित्व है, को भी माननीय उच्च न्यायालय के इस न्याय निर्णय से अवगत करावें । इस न्याय निर्णय से अवगत कराने के पश्चात् आशा की जाती है कि सभी कार्य विभागों द्वारा सही रूप से कर कटौती की जा सकेगी ।

बहुत से कार्य विभागों के समक्ष संवेदकों द्वारा कर कटौती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अन्तरिम आदेशांे की प्रतिलिपियाँ उपस्थापित करते हुए 4% से कम दर पर कर की कटौती करायी गयी थी । ऐसे मामलों में भी 4% कर की राशि एवं वस्तुतः कटौती राशि की अन्तर राशि की भी कटौती कराकर कोषागार में जमा करायी जाय ।

ह०/-
आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक - 3166 पटना, दिनांक - 15.07.10

प्रतिलिपिः- सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लो०स्वा०अभि० विभाग/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/लघु सिंचाई विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना

पत्रांक-बाढ़(मो०)सिं०-30/10-1257

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

प्रेषक,

ई० अजीत कुमार समैयार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता/
सभी अधीक्षण अभिंयता/
सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग ।

पटना, दिनांक- 06.05.10

विषयः- निविदा निष्पादन की प्रक्रिया को सरल बनाने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

विभाग के द्वारा कई प्रकार के निर्माण कार्यो का कार्यान्वयन किया जाता है । इन योजनाओं/कार्यो का निर्माण खुली निविदा के माध्यम से होता है । विभाग के दायित्व के आलोक में बड़ी संख्या में निविदाओं का निष्पादन किया जाना आवश्यक होता है । ऐसी परिस्थिति में यह

आवश्यक है कि निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी हो तथा इस प्रक्रिया में अनावश्यक बिलम्ब न हो ।

2. समय-समय पर जन-प्रतिनिधियों, संवेदकों, नागरिकों एंव अन्य महानुभावों से निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं । उनकी भी यह चिन्ता होती है कि निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में बहुधा अतिशय बिलम्ब होता है तथा निष्पादन के विभिन्न चरणों में अपेक्षित पारदर्शिता का कभी-कभी अभाव होता है।

3. अतः आवश्यक है कि निविदा निष्पादन की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं खुला बनाया जाये तथा उसमें हो रहे बिलम्ब को कम-से-कम किया जाये ।

4. इस संबंध में निदेशानुसार निम्नांकित निदेश संसूचित किया जाता हैः-

(i) निविदा निष्पादन के क्रम में जिस स्तर पर जितना समय निर्धारित किया जाता है, उतनी समय सीमा के अधीन ही उस प्रक्रिया का निष्पादन सुनिश्चित किया जाये ।

(ii) निविदा की तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड खोले जाने की सूचना सभी निविदा दाताओं को निश्चित रूप से दी जानी चाहिए, ताकि वे यदि चाहें तो उस समय स्वयं उपस्थित हो सकें।

(iii) निविदाओं की तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित निविदा दाताओं की उपस्थिति में खोली जाये एवं उनकी उपस्थिति एक पंजी में दर्ज की जाये तथा उनका हस्ताक्षर प्राप्त किया जाये ।

(iv) तकनीकी बिड का मूल्यांकन एवं उसपर निर्णय बिड खुलने की तिथि से तीसरे दिन निश्चित रूप से प्रारंभ कर दिया जाये और सभी आवश्यक कागजात एवं प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर लिये जाये । यदि निविदाओं की संख्या कम हो तो तकनीकी बिड पर निर्णय बिड खुलने की तिथि को भी सम्पन्न किया जा सकता है।

(v) तकनीकी बिड पर आवश्यक निर्णय लेने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्तर्गत वित्तीय बिड खोला जाये और सभी सफल निविदा दाताओं को सूचित करते हुए, वित्तीय बिड पर विचार कर निविदा आवंटित करने की कार्रवाई की जाये ।

(vi) यदि न्यूनतम बिड वाले निविदा दाता से किसी बिन्दु पर विमर्श या वार्ता करनी आवश्यक हो तो वित्तीय बिड खुलने के पश्चात् उसी दिन कर ली जाये । उसे बाद की तिथि के लिये स्थगित नहीं किया जाये ।

5. निविदाओं के तकनीकी बिड का निष्पादन निम्नांकित प्रकार से किया जायेगा -

(क) वैसी निविदायें जिनकी राशि अधीक्षण अभियंता की वित्तीय सक्षमता (रु०-70.00 लाख तक) के अधीन हो-

(i) निविदा के तकनीकी बिड पर निर्णय एक समिति के द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नांकित होगा

- अधीक्षण अभियंता
- अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार
- संबंधित कार्यपालक अभियंता

(ii) बिड की तकनीकी मूल्यांकण से संबंधित लिये गये निर्णय की एक कार्यवाही बनेगी, जिसमें निर्णय तथा निर्णय की पृष्ठभूमि का कारण एवं सार दर्ज रहेगा । यदि किसी निविदा दाता की बोली खारिज होती है तो उसका कारण उल्लिखित किया जायेगा।

(iii) कार्यवाही पर अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार का हस्ताक्षर होगा तथा वह योजना के अभिलेख का स्थायी हिस्सा रहेगी ।

(ख) मुख्य अभियंता की वित्तीय सक्षमता (रु० 70.00 लाख से रु० 350.00 लाख तक) में आने वाली निविदा -

(i) इस प्रकार की निविदाओं के तकनीकी बिड को खोला जाना एवं उनका मूल्यांकण एक समिति के द्वारा किया जायेगा । इस समिति का स्वरूप निम्नांकित होगा:

- मुख्य अभियंता
- संबंधित मुख्य अभियंता के सचिव (प्रा०)
- संबंधित अधीक्षण अभियंता

नोट- यदि किसी प्रक्षेत्र में मुख्य अभियंता के सचिव (प्रा०) का पदस्थापन नहीं हो तब संबंधित कार्यपालक अभिंयता ।

(ii) शेष प्रक्रिया उपरोक्त कंडिका- 5- (क) (ii) एवं (iii) के अनुसार निरूपित होगी। सिर्फ इस मामले में इस समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे ।

(ग) रु० 350.00 लाख से उपर की निविदायें जिनका निष्पादन निविदा समिति के माध्य से होता है -

(i) ऐसी निविदाओं के तकनीकी बिड की जाँच एवं उनका निष्पादन एक तकनीकी समिति के माध्मय से होगा, जिसका स्वरूप निम्नांकित होगाः-

- असम्बद्ध अभियंता प्रमुख
- मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग
- संबंधित मुख्य अभियंता
- संबंधित अधीक्षण अभियंता
- संबंधित अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय

(ii) शेष प्रक्रिया उपरोक्त कंडिका- 5 (क) (ii) के अनुरूप की जायेगी । कार्यवाही पर इस समिति के सदस्यों का हस्ताक्षर होगा ।

(iii) विभागीय निविदा समिति के समक्ष्ज्ञ उपस्थापित की जाने वाली एकल निविदा तथा क्रय समिति से संबंधित मामले में भी यही व्यवस्था लागू रहेगी ।

6. वित्तीय बिड को खोलने एवं उसके निष्पादन में निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जाये -

(i) किसी निविदा की तकनीकी बोली के निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर वित्तीय बोली पर निर्णय लिया जायेगा ।

(ii) वित्तीय बोली पर निर्णय के समय सक्षम स्तर पर हुई तकनीकी समिति के निर्णय की कार्यवाही उपलब्ध रहेगी ।

(iii) वित्तीय बोली पर विचारण की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना सभी सुयोग्य निविदा दाताओं को दी जायेगी ।

(iv) वित्तीय बोली के निर्णय की एक कार्यवाही निश्चित रूप से बनाई जायेगी, जो अभिलेख का हिस्सा रहेंगी ।

7. उपरोक्त निदेशों के अनुसरण से निविदा निष्पादन में बिलम्ब कम होगा तथा प्रक्रिया भी पारदर्शी हो जायेगी । यह अपेक्षा की जाती है कि सभी स्तर पर उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ताकि विभागीय कार्यो में अपेक्षित प्रगति लायी जा सकें ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अजीत कुमार समैयार)

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

<u>पथ निर्माण विभाग</u>

पत्रांकः प्र०6/विविध-16/2010- 4879 पटना, दिनांक- 5.4.10

सप्रेषक,

प्रत्यय अमृत

चिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव

जल संसाधन विभाग,

बिहार, पटना ।

विषयः- लोक निर्माण के कार्यों हेतु निर्धारित एस०बी०डी० में संशोधन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1/पी०एस०सी०/विविध/ई-टेंडरिंग/818/2009-09 दिनांक 06.01.2010 द्वारा एस०बी०डी० में यथा उपबंधित प्रावधानों के संबंध में विचार हेतु प्रस्तावित कतिपय बिन्दुओं के संबंध में जल संसाधन विभाग के तकनीकी पदाधिकारियों के साथ दिनांक 10.02.2010 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसकी समीक्षा कृपया जल संसाधन विभाग में कराकर विभागीय प्रतिक्रिया मंतव्य, यदि कोई हो, तो उससे शीघ्र इस विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय ।

अनु०- यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी०एम०सी०/ई-टेंडरिंग/818/2009 के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत लोक निर्माण के कार्यो हेतु निर्धारित एस०बी०डी० में संशोधन के विषय पर आहुत बैठक दिनांक 10.2.10 की कार्यवाही ।

(A) बैठक में सर्वसम्मति से निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी ।

(1) प्रस्ताव में कंडिका 1(क) अन्तर्गत प्रेस नोट में PWD 1 निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका-(3-4) को अंकित किया जायेगा । अर्थात प्रेस नोट में यह वाक्यांस अंकित रहेगें। "Cost of BOQ and Earnest money will be applicable on the approved amount of B.O.Q. only" तथा 16.1 में .....Bid security in the amount as shown in column 4 of the table of IFB for this particular work के स्थान पर निम्नवत् होंगे ..... Bid Security as indicated in Bid document of IFB for this particular works.....

(2) प्रस्ताव के कंडिका-1 (ख) अन्तर्गत Invitation for Bid (IFB) अन्तर्गत प्रेस नोट के कंडिका-9 में Instruction to Bidder (ITB) के कंडिका 16.1 यथा संसोधित उपरोक्त कंडिका-1 से प्रतिस्थापित की जायेगी ।

(3) प्रस्ताव के कंडिका-1 (ग) अन्तर्गत सर्वसम्मति से तय हुआ कि ITB के कंडिका 31.2 में अंकित द्वितीय विकल्प (b) acceptable to the employer के अधीन जल संसाधन विभाग द्वारा अभिंयता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 03-08/06 अंश 3518 (ई) दिनांक 28.11.06 के अनुरूप भी अन्य मापदण्ड निर्धारित किया जा सकती है । जहाँ तक पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक 150/08-11172(एस) दिनांक 8.10.09 जो 8% Security Deposit को Bank Guarantee के बदलने से संबंधित है कि सन्दर्भ में विचारोपरान्त निर्णय हुआ कि यह समसमायिक स्थिति के अनुरूप है ।

(4) प्रस्ताव-1 (ग) अधीन ही निर्णय हुआ कि I.T.B. के कंडिका 16.1(d), 31.2 एवं प्रेस नोटिस के क्रमांक-9(प्रस्ताव कंडिका 1(क) के अन्तर्गत सुधार प्रस्ताव कार्यवाही के क्रमांक 1 के अधीन एवं Section-3 के Clause IA को प्रस्ताव संख्या "ग" के परिपेक्ष्य में एवं कार्यवाही के क्रमांक 3 के अधीन संशोधित समझा जाए।

(5) प्रस्ताव के कंडिका- "2" अन्तर्गत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Turn over के Indexing में समरूपता हेतु मंत्रालय, द्वारा निर्धारित 10% की दर को ही लिया जाना उचित होगा।

(6) प्रस्ताव के कंडिका "4" अन्तर्गत एस०बी०डी० के I.T.B. के कंडिका 4.2 (i) 4.3 (g) एवं 4.5 B(c) में credit lines/Letter of credit/certificates from Banks for meeting for the funds requirement etc. usually the equivalent of the estimated cash flow for 3 month in peak construction period को Delete किया जाए ।

(7) प्रस्ताव के कंडिका "5" अन्तर्गत 4.3(i) को ज्यादा प्रभावकारी बनाने हेतु आवश्यकता के सन्दर्भ में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि Section-2 अन्तर्गत 1.5 और 1.6 पर required format अन्तर्गत कार्रवाई हो तथा Section-6 का उपयोग किया जाए ।

(8) प्रस्ताव के कंडिका 6 अन्तर्गत सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि एस०बी०डी० में निर्धारित ITB के कंडिका 22.4(ii) के अनुरूप ही कार्रवाई की जाए ।

(9) S.B.D. के I.T.B. अन्तर्गत Clause-4.4 के संदर्भ में सर्वसम्मति से तय हुआ कि Bids from Joint Venture above than 50 crore are acceptable in a way mentioned below:-

4.1 Joint Ventures

4.1.1 Joint Ventures may be permitted to bring together the resources (physical, financial, personnel) that may be difficult within the structure of one partner. However, Joint Ventures should be (i) permitted only if the size of the contract exceeds a certain specified value (Rs. 50 crore), and (ii) limited to only three partners. JV should not be in name only, with a view to enhancing the prospect of contract award.

4.1.2 Joint venture must comply with the following requirments:-

(a) Name and style of Project-specified JV, with head office address;

(b) Management structure of JV with details;

(c) Extent of participation of each party in the JV;

(d) Name of Lead partner and empowerment to him by the JV to attend negotiations and incur liablities on behalf of JV;

(e) Commitment of each party to furnish the Bid Security. Performance Security, Security for mobilzation advance in proportion in their respective share;

(f) Responsibility of each partner of JV, including personnel, plant & equipment;

(g) Working Capital arrangement of JV;

(h) Opening of separate bank account in the same of JV, to be operated at least by one foreign and one local partner (in case of JV between two local partners, both the partners are required to operate);

(i) Provision of remedy, in case of non-performance of responsibility by any party;

(j) Parties/firms committing themselves to the Employer (Department) for being jointly and severally responsible for the intended works; and

(k) Power of Attorney to be duly notarized from the country of origin of the foreign partner for his part.

(l) Qualifying criteria for Joint Venture.

The Joint Venture should fulfill the criteria specified as follow:

(I) Qualifying factors to be met collectively: (i) average annual turn over from construction; (ii) particular construction experience and key production rates; (iii) construction cash flow for the subject contract; (iv) personnel capabilities; and (v) equipment capabilities.

(II) Qualifying factors for Lead Partner: (i) general construction experience; (ii) particular construction experience, (iii) average annual turn over from construction, financial capability to meet cash flow requirement of subject contract - in proportion to their partnership in JV (iv) but not less than of 50% of the respective limits prescribed for individual contractors may be accepted; (v) adequate sources to meet financial commitments on other contracts; (vi) financial soundness, and (vii) no adverse past performance litigation history.

(III) Qualifying Factor for Other Partner: same as for Lead Partner except that for the factors specified in (v) (iv) above, a lower limit of 25% may be accepted instead of 50%.

As proposed by Road Construction Department on E-tendering issue:

(1) As per conventional procedure, the BOQ's are sold and received and opened at three places. In case of E-tendering the tender documents as posted on Web Site which is downloaded by the intending tenderers and it is submitted on the Web Site itself. But through PKI and User Id-Pass work, the tenders

are opened by three levels of officers i.e. Executive Engineer, Superintending Engineer & Chief Engineer. It is being observed that due to various engagements of the SE's & Chief Engineer Level officrs the tendering opening is being delayed so address this issue it is proposed that the tender be opened by Executive Engineer and Superintending Engineer only.

(2) In the E-tendering process the cost of B.O.Q and the earnest money is physically deposited in the office of E.E., S.E. & C.E. before opening date and time of tender. In this process the confidentiality of participations of tenders are not maintained as other en-tending tenderers get the before hand information regarding the participations by others. It is so proposed that the Bank draft for the cost of B.O.Q. and the cost of earnest money may be deposited till the next day of submission of bid up to working hour of the date of opening the tender.

बिहार

पथ निर्माण विभाग

बिहर लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण नियमावली-2009

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-प्र०6/नियम-07/2008 14470(S) पटना, दिनांक 9.12.09

बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यमस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम-2008 की धारा-21 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ।

भाग-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ:-

(1) यह नियमावली बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण नियमावली 2009 कहलायेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह निर्गम की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. परिभाषाऐं:-

(1) जबतक कि कोई बात विषय या प्रसंग के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम 2008 ।

(ख) "माध्यस्थम् नियमावली" से अभिप्रेत है कार्य संविदा का वह खण्ड जिसमें वर्तमान अथवा भविष्य में होने वाले मतभेदों को निपटारा हेतु सुपुर्द करना निर्दिष्ट हो ।

(ग) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार ।

(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण का अध्यक्ष ।

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है न्यायधिकरण का सदस्य ।

(च) "विवाद" से अभिप्रेत है कार्य अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित संविदा के अन्तर्गत कार्य का निष्पादन पूर्णतः अथवा अंशतः करने अथवा नहीं करने जिसमें संविदा विखण्डित करना भी शामिल है, से उत्पन्न होने वाले किसी दावे से संबंधित कोई मतभेद ।

(छ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ।

(ज) "न्यायाधिकरण" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधिन गठित बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण ।

(झ) "फीस" से अभिप्रेत है माध्यस्थम् हेतु अनुमान्य/चुकाये गये शुल्क ।

(त) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली से उपाबद्ध प्रपत्र ।

(थ) "स्टाम्प" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा विहित कोई स्टाम्प ।

भाग - 2

3. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति:-

(1) अधिनियम की धारा-3 में यथा विहित अर्हता प्राप्त व्यक्ति को अध्यक्ष तथा सदस्य के पद पर राज्य सरकार नियुक्त करेगी ।

(2) अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल-अधिनियम की धारा-4 के अधीन यथाविहित ।

4. अध्यक्ष तथा सदस्य को भुगतेय वेतन और भत्ते तथा अन्य सुविधाएँ:-

(1) न्यायाधिकरण में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वे सेवा में हों अथवा सेवा से सेवानिवृत हों, उन्हें भुगतेय अंतिम वेतन एवं भत्ते देय होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पर पुनरीक्षित वेतन एवं भत्ते देय होंगे, परन्तु यदि अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश हों तो वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमान्य वेतन एवं भत्ते के हकदार होंगे ।

(2) न्यायाधिकरण के सदस्य के पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वे सेवा में हों अथवा सेवा से सेसवानिवृत हों, उन्हें भुगतेय अंतिम वेतन एवं भत्ते देय होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पर पुनरीक्षित वेतन एवं भत्ते देय हांेगे ।

(3) अध्यक्ष तथा सदस्य के पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि सेवानिवृत हों, उन्हें देय पेंशनादि की राशि (रूपांतरण के अंश सहित) घटा कर, वेतनादि देय होगा ।

(4) अध्यक्ष तथा सदस्य को, कार्यकाल समाप्ति के उपरान्त राज्य सरकार के प्रावधानों के अनरूप, अर्जित अवकाश के समतुल्य छुट्टी वेतन भुगतेय होगा, परन्तु उनकी पूर्व सेवा एवं न्यायाधिकरण में कार्यकाल, दोनों सेवा अवधियों में अर्जित अवकाश के लिए भुगतान अधिकतम 300 दिनों के लिए होगा ।

5. छुट्टीः-

(1) अध्यक्ष के अवकाश की स्वीकृति के लिए उच्च न्यायालय के नियमों के अधीन यदि वे सेवानिवृत न्यायाधीश हों तो वे स्वंय सक्षम होंगे । यदि वे सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे तो यह अधिकार राज्य सरकार के नियमों के निहित होगा ।

(2) सदस्य/सदस्यों के अवकाश स्वीकृति के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार होंगे ।

6. सामान्य भविष्य निधिः-

(1) अध्यक्ष एवं सदस्यों को यदि वे सेवानिवृत हों, तो सेवानिवृति के समय धारित पद के अनुरूप भविष्य निधि की सुविधा देय होगी ।

7. परिवहन सुविधा:-

(1) अध्यक्ष तथा सदस्य को परिवहन हेतु वाहन अनुमान्य होगा ।

8. यात्रा भत्ता/मकान किराया भत्ता/चिकित्सा क्षतिपूर्ति भत्ता:-

(1) राज्य सरकार की यात्रा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता नियमावली के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके वेतनमान के अनुरूप यात्रा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता की सुविधा देय होगी, परन्तु यदि अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश हों तो वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमान्य मकान किराया भत्तें के हकदार होंगे ।

(2) अध्यक्ष एवं सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियें के अनुसार चिकित्सा क्षतिपूर्ति भत्ता की सुविधा अनुमान्य होगी ।

9. अन्य प्रावधानः-

(1) अध्यक्ष अथवा सदस्य के सेवा शर्तो के विषय में, ऐसी कोई बात या प्रावधान जो इस नियमावली में विहित नहीं हो, उस पर राज्य सरकार का निर्णय मान्य होगा ।

10. नियमों को शिथिल करने की शक्ति:-

(1) राज्य सरकार को नियमों/प्रावधानों को, किसी मामले, अंशतः या पूर्णतः संशोधित करने या शिथिल करने की शक्ति होगी ।

<u>भाग-3</u>

11. न्यायाधिकरण के कर्मचारी वृन्द:-

(1) न्यायाधिकरण के लिये एक सचिव तथा अन्य राजपत्रित पदाधिकारी/अराजपत्रित कर्मी होंगे, जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार युक्त/प्रतिनियुक्त कर सकेगी ।

12. न्यायाधिकरण का सचिव:-

(1) राज्य सरकार सचिव की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार बिहार प्रशासनिक सेवा अथवा न्यायिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारी/बिहार प्रशासनिक सेवा अथवा बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी को सचिव पद पर प्रतिनियुक्त कर सकेगी, जो बिहार सरकार में संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव पंक्ति का पदाधिकारी या राज्य सरकार के उप सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर से सेवा निवृत पदाधिकारी होगा ।

(3) सचिव के पद पर नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र होने तक, जो की पहले हो, होगी । लेकिन विशिष्ट अनुभव एवं योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए उम्र में शिथिलीकरण का अधिकार राज्य सरकार में निहित रहेगा ।

(4) सचिव के पद पर नियुक्त/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी वहीं समान वेतन-भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त करेगा, जो वह नियुक्ति के पूर्व धारित पद पर प्राप्त कर रहा हो अथवा सेवानिवृति के समय प्राप्त कर रहा था तथा भविष्य में समय-समय पर पुनरीक्षित अनुमान्य वेतन एवं भत्ते पाने का हकदार होगा ।

(5) सेवानिवृत व्यक्ति के सचिव पद पर नियुक्त होने की स्थिति में उसे देय वेतन भत्ता आदि में से पेंशन आदि की राशि घटा कर भुगतेय होगी ।

(6) सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति के मामले में वे अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक सचिव के पद पर कार्यरत रह सकते हैं । परन्तु इसमें विशिष्ट अनुभव एवं योग्यता के दृष्टिगत शिथिलीकरण का अधिकार राज्य सरकार में निहित रहेगा ।

13. सचिव की सेवा की अन्य शर्तें-

(1) सचिव की सेवा की अन्य शर्ते वही होंगी, जो उसकी पंक्ति के राज्य सरकार के समकक्ष पदाधिकारी की है । यदि सेवानिवृत व्यक्ति की नियुक्ति सचिव के पद पर की जाती है, तो उसकी अन्य सेवा शर्ते वही होगी, जो उसके द्वारा सेवानिवृति के समय धारित पद के लिए निर्धारित थी।

14. अन्य राजपत्रित / अराजपत्रित पदाधिकारी एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी:- राज्य सरकार निम्नलिखित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति उपलब्धता के अनुसार करेगी -

(1) एक उप सचिव जो सचिवालय सेवा संवर्ग का पदाधिकारी होगा ।

(2) एक अवर सचिव जो सचिवालय सेवा संवर्ग का होगा ।

(3) न्यायाधिकरण के न्यायिक कार्यो में सहयोग करने के लिए एक उप निबंधक (न्याय) का पद रहेगा, जिसपर बिहार न्यायिक सेवा या पटना उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत सदृश्य स्तर के पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी ।

(4) चार उच्चवर्गीय लिपिक, जिनमें दो पेशकार तथा दो आशुटंकक पंक्ति के होंगे ।

(5) चार निम्नवर्गीय लिपिक ।

(6) छः चतुर्थवर्गीय कर्मी ।

15. उक्त नियम 14 में विहित पदाधिकारियों/कर्मियों का आवंटन/प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार कर सकेगी ।

16. (1) उक्त नियम 14 में विहित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की वरीयता अथवा प्रोन्नति अथवा सेवा शर्त का आधार वही होगा जो उनके मूल नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत उनके समकक्ष पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों के लिए उनके नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा तय की गई है।

(2) उक्त नियम 14 में विहित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को वही वेतनादि तथा अन्य लाभ प्राप्त होंगे जो वे अपने नियुक्ति विभाग में प्राप्त करने के हकदार होते हैं ।

17. (1) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने दावों के निकासी के लिए स्वंय व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी होंगे । न्यायाधिकरण के अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा अन्य प्रकार के भुगतान के लिए व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी की शक्तियाँ सचिव में निहित रहेगी ।

(2) न्यायाधिकरण से संबंधित सभी का भुगतान सीधे न्यायाधिकरण द्वारा किया जायेगा ।

(3) न्यायाधिकरण में विचारण के लिए जिन बोर्ड/निगमों का उल्लेख अधिनियम के प्रावधान में होगा, उन्हीं के मामलों के सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण सक्षम है ।

18. नियंत्रण एवं अनुशासन:-

(1) न्यायाधिकरण के सभी पदाधिकारी तथा स्थापना के सभी कर्मी अध्यक्ष के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में रहेगें परन्तु यदि अध्यक्ष चाहें, तो सचिव को यह अधिकार एवं दायित्व सौंप सकेंगे ।

19. दण्डात्मक कारवाई:-

(1) न्यायाधिकरण के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत, किसी अपराध के लिए राज्य सरकार/नियुक्ति विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी, परन्तु लघु दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को होगी ।

(2) यदि सेवानिवृत व्यक्ति को न्यायाधिकरण के सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें राज्य सरकार (पथ निर्माण विभाग) पदच्युत कर सकेगी ।

20. अपीलः-

(1) स्थापना का कोई भी पदाधिकारी/कर्मी न्यायाधिकरण की अनुशंसा पर, उनके विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्रवाई के विरूद्ध न्यायाधिकरण के माध्यम से अपील दाखिल कर सकेगा ।

भाग-4

21. धारा-9 की उपधाराः-

(1) के अधीन न्यायाधिकरण में दायर किये जाने योग्य विवाद/विवादों के निमित साक्ष्य, दस्तावेज और फीस दाखिल करने की शर्तें वही होंगी जो माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1996 में विहित है, अथवा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः प्रा०6/नियम-07/2008 14471(S) पटना, दिनांक - 9.12.09

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः प्रा०6/नियम-07/2008 14471(S) पटना, दिनांक - 9.12.09

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचना तथा बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः प्रा०6/नियम-07/2008 14471(S) पटना, दिनांक - 9.12.09

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष, बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण, बैरक संख्या-15, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः प्रा०6/नियम-07/2008 14471(S) पटना, दिनांक - 9.12.09

प्रतिलिपिः- सभी प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः- Standard Bidding Document में निहित clause of contract के clause 1A के प्रावधान में संशोधित किये जाने के संबंध में ।

1. राज्य सरकार के निर्णयानुसार पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक 9545(S) दिनांक 12.08.06 द्वारा पथ निर्माण के परियोजना हेतु Standard Bidding Document की व्यवस्था लागू है। SBD में निहित clause of contract के clause 1A के अनुसार Security Deposit 8% Running Bills से काटे जाने का प्रावधान है ।

2. संवेदकों द्वारा समय-समय पर माँग की जाती रही है कि Running Bill से काटे गये Security Deposit को उन्हें Bank guarantee से replace करने की छूट दी जाए । इस मामले में तर्क दिया जाता रहा है कि running bill से काटे जाने वाली Security Deposit की राशि को Defect liability से 28 दिन अधिक तक valid Bank Guarantee within State से replace करने से उनके कार्यशील पूंजी में बढ़ोत्तरी होगी एवं 10% राशि Security Deposit के रूप में जमा भी रहेगा ।

3. उपर्युक्त तथ्यों पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा विचार किया गया एवं तदनुसार अनुशंसा सरकार के निर्णयार्थ समर्पित की गई ।

4. अतः सम्यक विचारोपरान्त SBD में निहित Clause of Contract के Clause 1A को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है ।

"CLAUSE 1A
Recovery of Security Deposit.

The person/persons whose tender (s) may be accepted (hereinafter called the contractor) shall permit Government at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct a sum at 8% (eight percent) from the gross amount of each running bill till full amount of security deposit 10% (ten percent) of agreement value or value of work (whichever is higher) is reached. If value of work exceeds the agreement value, security deposit (10%) will be recovered for the exceeded work.

All compensations or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising there from, or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by Government on any account whatsoever and in the event of his Security Deposit being reduced by reason of any such deduction on sale as aforesaid, the contractor shall within 10 days make good in cash or fixed deposit receipt tendered by the State Bank of India or by Scheduled Banks or Government Securities (if deposited for more than 12 months) endorsed in favour of the Engineer-in-Charge, any sum or sums which may have been deducted from, or raised by sale of his security deposit or any part thereof. The security deposit shall be collected from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and earnest money at the time of tenders will be treated a part of the Security Deposit."

If the contractor desires to replace the Security Deposit deducted at the rat e of 8% from running bills wholly or partly by a Bank Guarantee, he will make written request for the same and he will be permitted to do so with a valid Bank Guarantee of any scheduled Bank within the State, valid upto 28 days or more after the Defect liability period of the work in question. The Bank Guarantee will be verified by the concerned departmental officer before it is accepted.

5. यह सुविधा सभी कार्य विभागों को प्राप्त होगी ।

6. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

7. उक्त प्रस्ताव में वित्त/विधि विभाग की सहमति प्राप्त है ।

<u>आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में</u> प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं जानकारी हेतु भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

ज्ञापांकः प्र.6/निविदा-150/08 11172(S) पटना, दिनांक - 8.10.09

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

ज्ञापांकः प्र.6/निविदा-150/08 11172(S) पटना, दिनांक - 8.10.09

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि राजपत्र की 1000 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

ज्ञापांकः प्र.6/निविदा-150/08 11172(S) पटना, दिनांक - 8.10.09

प्रतिलिपिः- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव, सभी विभाग/सभी कार्य विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

ज्ञापांकः प्र.6/निविदा-150/08 11172(S) पटना, दिनांक - 8.10.09

प्रतिलिपिः- अभि० प्रमुख/सभी मुख्य अभि०/सभी अधी० अभि०/अभि० प्रमुख के सचिव (प्रा०)/सभी का०अभि०/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

ज्ञापांकः प्र.6/निविदा-150/08 11172(S) पटना, दिनांक - 8.10.09

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय,

पथ निर्माण विभाग

बिहार, पटना ।

पत्रांक- प्र०6/विविध(कार्य)-66/2009 2366 पटना, दिनांक 6.7.09

प्रेषक,

रामध्यान राम

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग ।

विषयः- संवेदकों द्वारा आवंटित कार्य के निष्पादन में विलम्ब किये जाने अथवा समय के अनुपात में कार्य नहीं करने अथवा कार्य लंबित रखने की स्थिति में उन्हें अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-3987 (एस) अनु० दिनांक 28.4.09 का कृपया स्मरण किया जाय । SBD के सामान्य निदेश की कंडिका-3.3 एवं 4.8 में निहित प्रावधानों के आलोक में अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने संवेदकों की सूची विभागीय पत्रांक-1504 (ई) अनु० दिनांक 30.4.09 तथा पत्रांक-1641 (ई) अनु० दिनांक 14.05.09 द्वारा प्रसारित की गयी है ।

2. उक्त विभागीय पत्रांक-3987 (एस०)अनु० दिनांक 28.4.09 के संबंध में ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि इसमें निहित तथ्यों का अर्थ अलग-अलग रूप में लिया जा रहा है इसके कारण अनुपालन में एकरूपता नहीं रहेगी। विभागीय पत्रांक- 3719 (एस) दिनांक 20.4.09 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अधीनस्थ पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि SBD का उक्त प्रावधान प्राप्त किये जाने वाले निविदाओं अथवा प्राप्त निविदाओं के तकनीकी वीड के निष्पादन के दौरान निविदा से वंचित संवेदकों को असफल घोषित किया जाय ।

3. अतः अनुरोध है कि प्राप्त किये जाने वाले निविदा अथवा निर्णय हेतु लंबित निविदाओं में निविदा में भाग लेने से वंचित संवेदकों को निविदा/कार्य आवंटित नहीं किया जाय ।

अनु०- यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(रामध्यान राम)
अभिंयता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार सरकार
<u>पथ निर्माण विभाग</u>

पत्रांक- प्र०6/द०बि०-नियम-03-02/2004- 3719 (S) पटना, दिनांक- 20.04.2009

पत्रांक,

आर० के० सिंह
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग
(रा०उ०प० उपभाग सहित)

विषयः- संवेदक द्वारा आवंटित कार्य को प्रारम्भ नहीं करने अथवा अधूरा छोड़ने अथवा पूरा करने में अतिशय विलम्ब करने के कारण निविदा से वंचित किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय आदेश ज्ञापांक-2131 (एस) दिनांक 13.3.09 तथा पत्रांक- 818(ई) दिनांक 17.3.09 का अवलोकन किया जाय । आपको निदेश दिया गया है कि वैसे संवेदकों जिनके द्वारा आवंटित कार्य को एकरारनामा के अनुसार निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी 80% से कम कार्य किया गया है अथवा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है अथवा कार्य में अतिशय विलम्ब किया गया है, उन्हें अन्य किसी भी निविदा में भाग लेने से तबतक वंचित किया जाय जबतक वे लंबित कार्य पूरा नहीं कर लेते हैं। इस आलोक में इस प्रकार के दोषी संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में विभिन्न कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं के आधार पर अभियंता प्रमुख के कार्यालय में पंजी संधारित की जा रही है । इस ओदश के निर्गत होने के एक माह के पश्चात् तथा उसके बाद पुनः प्रत्येक तीन-तीन माह के अन्तराल पर अभियंता प्रमुख के स्तर से ऐसे संवेदकों की सूची परिचालित की जायेगी, जिनमें संवेदक का नाम/पता तथा संबंधित लंबित कार्य का नाम जिसके कारण संवेदकों को अग्रतर किसी निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया है, अंकित रहेगा । यदि तीन माह के अन्दर किसी अन्य विलम्बकारी संवेदक की सूचना प्राप्त होती है तो अभियंता प्रमुख के स्तर से अलग से इस सम्बन्ध में संसूचित किया जायेगा । किसी भी निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन के दौरान उपरोक्त परिचालित सूची से यह मिलान कर लिया जायेगा कि संबंधित संवेदक निविदा देने से debarred तो नहीं है और यदि उक्त संवेदक debarred हैं तो उसे तकनीकी बीड में असफल घोषित कर दिया जायेगा ।

2. निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों से इस आशय की घोषणा भी प्राप्त किया जाय कि उन्हें किसी आवंटित कार्यो में defaulter घोषित किया गया है या नहीं । इसके अनुपालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना में यह उपबंध किया जाय कि- "निविदाकारों द्वारा defaulter के संबंध में घोषणा पत्र निविदा के तकनीकी वीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथ उनका निविदा रद्द कर दिया जाएगा ।"

3. संबंधित मुख्य अभियंता निविदा के तकनीकी वीड मूल्यांकन शीट में विलम्बकारी संवेदक के सम्बन्ध में सूचना अंकित करेगें । इसे मूल्यांकन शीट का एक अंग माना जाए ।

4. किसी भी संवेदक को तबतक निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं समझा जायेगा जबतक वे जिस कार्य/कार्यों में defaulter घोषित किये गये हैं उन सभी को complete नहीं कर दें ।

कृपया उपर्युक्त निदेशों का का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः प्र.6/द०बि०-नियम-03-02/2004 3719 (S) दिनांक 20.4.09

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/ अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण् निगम लि० बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः प्र.6/द०बि०-नियम-03-02/2004 3719 (S) दिनांक 20.4.09

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख के सचिव(प्रा०), पथ निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/629/2003- 335

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

प्रेषक,

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग ।

पटना, दिनांक- 6.3.2009

विषयः- एक करोड़ रुपये एवं इसके उपर के कार्यो के निविदा (SBD के आधार पर प्राप्त निविदा) के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु विभागीय मार्ग-निर्देश ।

प्रसंगः- पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 1/वी०-12/2003-9545 (S) दिनांक 12.8.06, पत्रांक 2106 (S) दिनांक 20.01.07, पत्रांक 3451 (S) दिनांक 12.3.08 तथा विभागीय पत्रांक 2374 दिनांक 26.12.08 ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि विषयांकित श्रेणी की निविदाओं के तकनीकी बीड में सम्वेदकों को योग्य होने हेतु अनेक मापदंडों/शर्तो को पूरा करना पड़ता है, जिनकी संख्या प्रायः 20 है । इस कारण निविदाओं के निष्पादन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । अतएव इन्हें लागू किए जाने की रूप रेखा निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है । इन बिन्दुओं को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है-

(A) Compulsory Requirements

(B) Other Compulsory Requirments

(C) Further Examination if required

(D) Subsidiary Requirments

(A) Compulsoryy Requirments:- इसके अन्तर्गत वैसे बिन्दुओं को रखा जाय जिसमें SBD की ITB कंडिका 22.4(ii) के अन्तर्गत Clarification & Modification का अवसर नहीं दिया जाय । ये बिन्दु निम्न हैं-

(1)	Registration	(IFB & NIT)
(2)	Earnest Money	(ITB-Cl.- 16 & IFB)
(3)	Sales tax Clearance	{NIT-Cl.-1.1 (a)}
(4)	Labour Licence	{NIT-Cl.-1.1 (c)}

(Note:- Item (3) & (4) have to be submitted after LOA in case of agencies out of State i.e. not registered in Bihar.)

(5)	Turn-Over	{ITB-Cl.-4.5 (A) (a)}
(6)	Experience:- Similar work executed	{ITB-Cl.-4.5 (A) (b)}
(7)	Key plant & Equipment	{ITB-Cl.-4.5 (B) (a)}
(8)	Technical Personnel	{ITB- Cl.-4.5 (B) (b)}
(9)	Affidavit	{Section 2-Sl.-2.1 (i)}

(B) Other Compulsory Requirements :- इसके अन्तर्गत वैसे बिन्दुओं को रखा जाय जो आवश्यक तो है, परन्तु जिसमें Clarification & Modification का अवसर द्वितीय प्रक्रम पर दिया जाय, जिसमें सम्वेदकों को अतिरिक्त अनुपूरक कागजात जमा करने का अवसर भी दिया जाय। परन्तु, कागजात/प्रमाण-पत्र निविदा प्राप्ति की तिथि के पूर्व का हो । निविदा प्राप्ति के बाद के कागजात/प्रमाण-पत्र की मान्यता नहीं दी जाय। ये बिन्दु निम्न हैं -

(10) Experience in terms of quantity {ITB-Cl.-4.5 (A) (c)}

(11) Bid Capacity {ITB-Cl.-4.7)

(12) Programme of Construction {ITB-Cl.-4.3 (1) & 4.5 (B)(a)}

(13) Power of atterney {ITB-Cl.4.2(iv)}

(C) Further examination in necessary:-इसके अन्तर्गत वैसे बिन्दु रखे जाय जो कतिपय निविदाताओं के मामलों में ही लागू होगा, जिनकी जाँच बाद में किया जाना बेहतर है, (अर्थात, तकनीकी बीड में सशर्त-योग्य घोषित हो जाने के बाद परन्तु वित्तीय बीड खुलने के पहले) ये बिन्दु/स्थितियाँ निम्न हैं-

(14) Proposal of Sub-Contract {ITB-Cl.-4.2 (iii)}:- जब सम्वेदक प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक राशि के कार्यांश को किसी एक सब-कन्ट्रैक्टर से कराने का प्रस्ताव देता है तो सब-कन्ट्रैक्टर के योग्यता आदि की जाँच करनी होगी । यदि सब-कन्ट्रैक्टर की योग्यता से विभाग संतुष्ट नहीं हो पाता है तो सम्वेदक को अपना प्रस्ताव वापस लेना होगा एवं उस भाग के कार्य को भी निविदादाता को स्वंय करने को तैयार होना पड़ेगा अन्यथा माना जायेगा कि निविदादाता कार्य कराने से भाग रहे हैं एवं उनका Earnest Money जब्त कर लिया जायेगा ।

(15) Joint-Venture {ITB-Cl.-4.4} :- निविदादाता यदि Joint-Venture है तो इसके सभी पार्टनर को सभी तकनिकी मापदंडो/शर्तो को यथा आवश्यक अलग-अलग पूरा करना होगा । इसकी जाँच तभी की जाय जब Joint-Venture as a whole तकनिकी बीड में योग्य घोषित कर दिया जाय ।

इस प्रकार इस कंडिका के अन्तर्गत निविदादाता असफल होता है, उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जाय ।

(D) Subsidiary Requirements:- इसके अन्तर्गत इस प्रकार के बिन्दु रखे जाय जिनकी जाँच की आवश्यकता नहीं है, विकल्प के रूप में इन्हें NIT की शर्तों में शामिल किया जाय । यदि कोई सम्वेदक निविदा देता (डालता) है तो यह माना जायेगा कि वे इन शर्तों को पूरा करते हैं । यदि बाद में पता चलता है कि वे इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो इसके आधार पर उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी बल्कि इसके लिए उनके विरूद्ध विभाग में लागू निबंधन नियमावली के अन्तर्गत कार्रवाई किया जा सकेगा । इस प्रकार का शर्त NIT में शामिल कर तकनिकी बीड पर विचार के समय इनकी जाँच से बचा जाय और इन्हें तुलनात्मक विवरणी से हटाया जाय । ये बिन्दु निम्न हैः-

(16) Litigation History :- {ITB-Cl.-4.3 (j):- यदि निविदादाता विस्तृत विवरणी नहीं देता है तो यह समझा जाएगा कि वह Litigation से मुक्त है ।

(17) Liquid asset & Credit facility:- {ITB-Cl.- 4.5(B) (c), 4.3 (g) & 4.2(i):- यदि निविदादाता तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो यह माना जायेगा कि उनके पास यथाआवश्यक Liquid asset & credit facility उपलब्ध है ।

(18) Investment ability:- {ITB-Cl.-4.2 (ii)}:- यदि निविदादाता तत्संबंधी अंडरटेकिंग संलग्न नहीं करते हैं तो भी यह माना जायेगा कि वे प्राक्कलित लागत का वांछित प्रतिशत की राशि को इनभेस्ट करने को तैयार हैं ।

(19) Tender Validity Period :- {ITB-Cl.- 12.1(v) & ITB- Cl.-15:- यदि निविदादाता तत्संबंधी अंडरटेकिंग संलग्न नहीं करते है तो भी उनका Tender Validity Period; SBD एकरारनामा के लिए एक सौ बीस दिन और एफ-2 एकरारनामा के लिए एक सौ अस्सी दिन ही माना जायेगा ।

(20) Non Association with Department Officials:- {ITB-Cl.-3.2}:- निविदादाता तत्संबंधी अंडरटेकिंग नहीं संलग्न करते हैं तो भी यहा माना जायेगा कि "उनका कोई निकट संबंधी संबंधित प्रमंडल में अभियन्ता अथवा प्रमंडलीय लेखापाल के रूप में पदस्थापित नहीं है (अधीक्षण अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता सहित) जो कार्य के आवंटन एवं कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकें" ।

<u>तकनिकी बीड के निष्पादन में निम्न प्रक्रम रखे जायः-</u>

प्रथम प्रक्रमः- प्रथम प्रक्रम पर निर्णय लेते समय SBD की ITB कंडिका 22.4(ii) के अन्तर्गत किसी भी बिन्दु पर Clarification & Modification का अवसर नहीं दिया जाय । यदि एक भी योग्य सम्वेदक मिल जाय तो तकनिकी बीड पर निर्णय ले लिया जाय।

द्वितीय प्रक्रमः- यदि प्रथम प्रक्रम पर एक भी योग्य सम्वेदक नहीं मिले तो SBD की ITB कंडिका 22.4(ii) के अन्तर्गत Clarification & Modification का अवसर मात्र B वर्ग के बिन्दुओं (Other Compulsory Requirments) पर दी जाय जिसमें अतिरिक्त अनुपूरक कागजात/प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जा सकते हैं, परन्तु वे कागजात/प्रमाण-पत्र निविदा प्राप्ति के पूर्व का हो । यदि एक भी योग्य सम्वेदक मिल जाए तो तकनिकी बीड पर निर्णय ले लिया जाय ।

तृतीय प्रक्रमः- यदि द्वितीय प्रक्रम पर एक भी योग्य निविदादाता नहीं मिले तो कार्य अनुभव व आवश्यक न्यूनतम मात्रा (बिन्दु-10) को आधी कर दी जाय । यदि एक भी योग्य

निविदादाता मिल जाय तो तकनिकी बीड पर निर्णय ले लिया जाय अन्यथा कार्य को यथा आवश्यक (यथा उपर्युक्त) विखंडित कर पुर्ननिविदा की जाय ।

विशेष प्रक्रमः- यदि प्रथम प्रक्रम अथवा द्वितीय प्रक्रम अथवा तृतीय प्रक्रम पर योग्य पाए गए सम्वेदक द्वारा Proposal for Sub-Contract (more than 10% of Estimated Cost) दिया गया है अथवा सम्वेदक Joint-Venture है तो वित्तीय बीड खोलने से पहले इन बिन्दुओं पर विस्तृत जाँच करना आवश्यक है । इसमें योग्य पाए जाने के बाद ही उनका वित्तीय बीड खोला जाय अन्यथा नहीं।

उपर्युक्त प्रावधानों को विभाग की निविदाओं में लागू किया जाय तथा इन्हें निविदा की शर्तों/निविदा कागजात (ITB) में शामिल किया जाय ।

यह आदेश निर्गत की तिथि के बाद आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं पर लागू होगा । मुख्य अभियन्ता इसकी प्रति प्रत्येक विभागीय अभियन्ताओं को उपलब्ध करायेंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राम चन्द्र प्रसाद सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञाप संख्या- 335 / पटना, दिनांक - 6.3.2009

प्रतिलिपि अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)/सभी अधीक्षण अभियन्ता (मोनिटरिंग)/अधीक्षण अभियन्ता उड़नदस्ता, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(राम चन्द्र प्रसाद सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक- यो० मो०-4-कार्य-10-1115/97- 1883

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

प्रेषक,

ई० सुरेन्द्र प्रसाद सिंह,

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता,

जल संसाधन विभाग,

बिहार ।

पटना, दिनांक - 26-12-2008

विषयः- विभागीय पत्रांक- मो०-4-कार्य-10-1217/98- 1148 पटना, दिनांक 11.10.99 को निरस्त किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

वर्ष 1999 में राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी कार्य का दर विश्लेषण उपलब्ध नहीं था । फलतः मुख्य अभियन्ता, डेहरी के पत्रांक- 2838 दिनांक 5.8.99 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में मजदूरों द्वारा मिट्टी कार्य में कम्पैक्शन को शामिल करते हुए, मजदूरों पर आधारित दर विश्लेषण के अनुरू राजस्थानी टै[a]क्टर द्वारा मिट्टी कार्य के लिए दर अनुमोदित किया गया था । सीमित समय में अधिक मिट्टी कार्य कराने के लिये यह निणर्य आवश्यक हो गया था । इस क्रम में विषयांकित पत्र निर्गत किया गया था ।

उक्त प्रयोजनार्थ विधिवत् दर विश्लेषण विकसित किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक 247-गं. से. दिनांक 15.10.05 (पत्रांक 133- गं. से. दिनांक 7.7.06 द्वारा पुर्नगठित) द्वारा एक तकनीकि समिति का गठन किया गया जिसका प्रतिवेदन पत्रांक 53-गं. से. दिनांक 12.3.07 द्वारा प्राप्त हुआ । इन दर विश्लेषणों को दिनांक 1.10.07 से लागू विभागीय अनुसूचित दर पुस्तिका के मद संख्या-5.1.44, 5.1.45, 5.1.46 एवं 5.1.47 के रूप में राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा विधिवत स्वीकृत किया गया, जिससे विषयांकित पत्र स्वतः निष्प्रभावी हो गया।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में विभागीय विषयांकित पत्रांक 1148 दिनांक 11.10.99 को अनुसूचित दर पुस्तिका के प्रकाशन की तिथि दिनांक 1.10.07 से (भूतलक्ष्मी प्रभाव से) विधिवत निरस्त किया जाता है।

अधीनस्थ अभियन्ताओं को इसकी जानकारी दी जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुरेन्द्र प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक- गंडक सेल/विविध- (4)- 10/2005

प्रेषक,

ई० राज कुमार सिंह,

मुख्य अभियन्ता,

जल संसाधन विभाग, पटना सह- अध्यक्ष, समिति स्वासांगिक पत्र द्वारा गठित ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

जल संसाधन विभाग,

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक.....

विषयः- ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी कार्य कराये जाने हेतु दर विश्लेषण का प्रतिवेदन ।

प्रसंगः- विभागीय कार्यालय आदेश संख्या- गंडक पुनस्र्थापन सेल/निविदा-(5)-1/2004-247 दिनांक- 15.10.2005 एवं 133 दिनांक- 7.7.06

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय से संबंधित प्रतिवेदन दर विश्लेषण के साथ समर्पित किया जा रहा है जिसमें निम्न शामिल हैं:-

(1) Shorter lead:- 15 मीटर से कम लीड के लिए, जहाँ ढुलाई के साधन की आवश्यकता नहीं (By excavator & spreader), का दर विश्लेषण ।

(2) Shorter lead:- 15 मीटर से 100 मीटर (महत्तम लीड 150 मीटर तक) के बीच लीड का दर विश्लेषण (By Tractor with bucket/Tractor with leveller) ट्रैक्टर के उपयोग दर के साथ ।

(3) Longer lead:- 150 मीटर से 3.00 (By Excavator, Tipper and Spreadr) लीड का दर विश्लेषण ।

विभाग इसे आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभागीय-अनुसूचित-दर-निर्धारण-समिति को विचारार्थ प्रेषित करना चाहेगा ।

अनु०- यथोक्त (कुल नौ पृष्ठों में मूल में)

विश्वासभाजन

ह०/-

(राम कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता (सह अध्यक्ष)

ज्ञाप संख्या- 53 / पटना, दिनांक - 12.03.2007

प्रतिलिपिः- अभियन्ता प्रमुख (मध्य) / अभियन्ता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन पटना को प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ सभी अनुलग्नकों सहित प्रेषित ।

अनु०:- यथोक्त ।

ह०/-

(राम कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता (सह अध्यक्ष)

REPORT OF COMMITTEE CONSTITUTED VIDE WRD, GOB LETTER NO-G.C./VIVIDH-(4)-10/05-133 DATED 07-07-06 FOR PREPARATION OF ANALYSIS OF SCHEDULE RATE OF EARTH WORK BY (RAJSTHANI) TRACTOR.

The meeting of this Committee were held on 11.8.06 and 05.9.06. And the matter has been discussed in detail. A team of this Committee has taken field observations whatever possible by inspecting the earthwork going on in Saran Embankment in between 100 Km to 116 Km. The inspection report of the team has been made available to all members. The analysis prepared previously has been interpolated and corrected as per these field obervations and distributed among the members. The comments and suggestions of the members have been again incorporated in this report and the analysis finally prepared enclosed herewith. The report of the Committee is as follows:-

(1) The rate analysis submitted by Chief Engineer, WRD, Dehri vide his letter no. 2838 dated 05.8.99 is merely for particular situation of haulage path (distance traversed in one cycle) ranging from 45-90m by Leveller type Rajasthani tractors. But it is

declared as 100 m lead, (perpendicular distance from C.G. of the embankment to C.G. of pit) which was not logical.

Thus the letter issued by the department- No. Mo.4-Karj-10-1217/98-1148, Patna dated 11.10.99 was an approximation and not logical.

(2) The speed of tractor has been taken as 6 Km/hr. in the format or carriage of materials by Technical Examination Cell, which should be lower for lower leads. By field observations the speed of tractors in earthwork have been found in between 5 Km/hr for 15 m lead and 9 Km/hr for 150 m lead.

(3) The lead is classified in two categories as shorter lead and longer lead (as per Technical Examination Cell and practice prevailing in the deptt. at present) these are follows:-

Shorter Lead

If the pit exists in between the bank and the parallel line at a shortest distance of 150 m from the centre of the bank, the lead is called shorter lead, and it is measured as perpendicular distance from C.G. of the bank to the C.G. of the pit.

[Note:- If the track path is considered as shorter lead, then verification of lead will not be possible after execution of the work, therefore the shorter lead is considered as vectoral distance C.G. to C.G.]

Longer lead

If the pit does not exist in between the bank and the parallel line at a shortest distance of 150 m from the centre of the bank (in other words it exists outside this strip of 150 metre) the lead is called longer lead and it is measured along the track path of the vehicle or half of the haulage path (i.e. half of the distance travelled in one cycle of run.)

(4) The construction of dhalas is necessary for the movement of the tractor, (up and down to the embankment) so the effect of the cost involved in dhalas should be added in rate and then the rate will be applicable for all lifts. The economical spacing of dhalas has been analysed which will increase with the increase in lead. It has been found in between 15 m to 54 m but in field it has been observed in between 30 m to 90m. The average cost involvement in dhala comes near by to 10% (Ten percent) only.

(5) The Earth work by Rajasthani tractor is economical and it is in practice for shorter leads only i.e. 15 m to 100 m. Earthwork by Rajashtani tractor will not be economical for longer leads due to lower capacity per trip. Therefore, it should be used for shorter leads only, where lead should be taken as C.G-to-C.G and perpendicular to the bank and where the track path may not be taken as lead.

(6) Two types of tractor (30-35 HP) have been used in earthwork- i.e. Leveler type without tyres and bucket type with tyres of capacities (compacted earth) 0.26 cubic metre and 0.60 cubic metre respectively.

(7) The speed of both type tractors are found almost the same.

(8) Bucket type tractor is found unable in coming down from the bank without help of dhala where as leveler type tractor is found capable in it. Leveler type tractor can return at any place without dhala.

Therefore, the haulage path for the bucket type tractor will be 2 (L+S) and for Leveler type tractor it will be 2(L+0.25 S) where

L = Lead and

S = Spacing of dhalas

The returning of tractor will be trouble some and will take much time & will finally enhance the rate.

(9) Leveler type tractor is able in spreading and clod breaking whereas the bucket type cannot do so. So the cost of spreading as per MoSRTH data book by D 80 – Dozer has been taken as Rs. 3000 (Use rate per hour) for 300 m^3. Cost of spreading & clod breaking by leveler type tractor comes slightly higher than it.

(10) It is observed that an equal and constant time of 60 seconds is taken in every cycle except running time in both type tractors. The difference is that in leveler type tractor, it is mainly time taken in spreading whereas in bucket type tractor, it is mainly time taken in loading.

(11) As per analysis submitted by Chief Engineer, Dehri vide his letter no. 2838 dated 05.8.99, the output of tractor in cutting is 162m^3 per day. It is based on observations in some how tough soil in south Bihar but the soil in North Bihar as comparatively softer. Therefore, the capacity of the tractor in cutting is considered as double i.e. 324 m^3 per day. And therefore rate analysed is applicable for all types of ordinary soil.

(12) For finishing & slope dressing some mazdoors must be engaged. Here it is taken as one mazdoor per hundred cubic metre.

(13) During field observations it was found some disturbences also in the movement of tractors, which causes abnormal time in movement. Such type of observation is not considered directly. For these casualities MoWR considers an efficiency of 80% in analysis (as per Report of committee on Cost Control by MoWR) and the same is considered here.

(14) After analysis it is found that in shorter lead, Rajasthani tractor with bucket is economical than leveler type tractor.

(15) For longer lead tractor with trolly (Dala) is being used in the department which is somehow uneconomical and use of truck is far uneconomical than it; because of much more time involved in loading and unloading which reduces nos. of trips per day.

(16) The same analysis will be applicable in desilting of canal because.
(a) The earth found in desilting may not be kept in disturbed conditions heither & theirther, it should be well arranged as spoil banks in proper porfiles & shape along with provisions of drain-system, such that the land engaged will be useful afterward and it will not harmful to envoirnment, (b) Provision for earth cutting is made here, which will be necessary even in desilting of canals.

(17) If portion of bank is used as dhala, then the length of dhala will not be a part of lead and therefore haulage-path will be more which causes enhancement of rate. Therefore dhala is considered perpendicular to the bank to become part of lead. Only half cost of dhala is considered here because it will be easy to be reused in bank itself. It has been assessed approximately 10% only.
In case of old work (restoration, raising and widening and repair & maintanance) the quantity will be lesser and comparetively with higher lift, and so the proportional cost of Dhala will be more. Where was in new construction work, the problem of layout plan & profiles and public-interferances will be more, may cause disturbances in progress of work. Therefore, the same analysed rate will be applicable to both cases. The rate of removal of such dhalas is included in analysed rate.

(18) At first analysis of rate for shorter lead E/W by Rajasthani tractor has been prepared as per parameters available in prevailing schedule of rate in Tirhut Division and then it is interpolated & corrected as per analysis submitted by Chief Engineer, Dehri

letter no. 2838 dated 5.8.99. The committee thought over this analysis and suggested field verification of it.

Accordingly field observations have been taken in Saran Embankment on 20.2.07 under leadership of Chief Engineer, Mechanical, Patna. The analysis prepared previously in office for shorter lead discussed above has been interpolated & corrected as per these field observations. All members of the committee have supported and found it most suitable for submission before the department for further action in course of its implementation.

In analysis submitted by Chief Engineer, Dehri vide letter no. 2838 dated 05.08.99; nos. of trips per day has been taken as 240 with an output of 41 cubic metre for 45 to 90 m haulage path. But here these are taken as approx 285 and 59 cubic-metre respectively.

(19) For shorter lead analysis in tabler form for lead from 15 m to 100 m is enclosed herewith (for both bucket type and leveler type tractors) the department may consider it for implementation.

(20) In longer lead earthwork may be done with the help of excator, tipper, spreader and few mazdoors for finishing. An analysis in tabler form for lead 500 m to 3 Km has been enclosed herewith based on parameters taken from Cost Control by MoWR and data book of MoSRTH. The department may consider it for implementation.

(21) For shortest lead i.e. below 15 m, analysis is enclosed herewith (Earth work by excavator and spreader) which may be used in lower level canal & embankment (like Minor, sub-minor, Jamindari-bundh, pynes etc) where tipper is not needed, based on Data book of MOSRT&H. The department may consider it for implementation.

Enclosures: (Analysis) Pages I to IV & V (Five Page)

Sd./-
Er. Nalin Kumar sinha
Member-cum,
Assistant Engineer
Gandak Rest. Cell,
WRD, Patna

Sd./-
Er. Arun Kumar
Member-cum,
Assistant Engineer
Planning & Monitering Circle-3
WRD, Patna

Sd./-
Er. Sushil Kumar Singh
Member-cum,
Executive Engineer
Gandak Rest. Cell
WRD, Patna

Sd./-
Er. Kritnandan Singh
Member-cum,
Executive Engineer
Planning & Monitoring
Circle-2
WRD, Patna

Sd./-
Er. S. A. Kabir
Member-cum,
Executive Engineer
Flood Control&Planning
Monitoring Circle
WRD, Patna

Sd./-
Er. K. N. Lal
Member-cum,
Chief Engineer (Mech.)
Patna
WRD, Patna
WRD, Patna

Sd./-
Er. R.K. Singh
Chairman-cum Chief Engineer,
Patna, Sinchai Bhawan

Anisabad

ANALYSIS OF E/W BY TRACTOR (RAJSHTANI) 30 HP WITH BUCKET (DOLI) EXCLUSIVE OF OVERHEAD CHARGES & CONTRACTOR'S PROFIT

For shorter Lead, Lead should be taken C.G. to C.G. perpendicular to the Bank, Maximum Lead up-to 150 meter

CAUTION:- TRACK PATH MAY NOT BE TAKEN AS LEAD

Lead in Km L	Speed (Km/hr) V	Time for loading, unloading etc (hr) t	Specing of Dhalas (Km) S	Capacity per Trip cub metre e	Haulage Path (distance travelled in one cycle) 2 (L+S)	Time of run per trip 2(L+S)/V	Time per cycle (hr) 2(L+S)/V+t	Nof of trips=N =8V/(2L+2S+Vt)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.015	5.00	0.0167	0.03	0.6	0.09	0.018	0.035	230.55
0.03	5.67	0.0167	0.04	0.6	0.14	0.025	0.041	193.28
0.055	6.33	0.0167	0.05	0.6	0.21	0.033	0.050	160.40
0.08	7.00	0.0167	0.06	0.6	0.28	0.040	0.057	141.09
0.01	7.67	0.0167	0.07	0.6	0.34	0.044	0.061	131.09

Output per day with 80% efficiency= 0.80*N*e	Use Rate of Tractor Tr	Cost per Cubic Metre =Tr/Ne	Proportional cost of Dhala	Cost of Dhala per cubic meter	Add for cutting Tr/324	Add for spreading Rs. 3000/300 M^3	Add for finsishing and dressing one mazdoor/ 100M^3 Rs. 3000/300 M^3	Total Co Cel (12+14 15+16+1
10	11	12	13	14	15	16	17	18
110.66	1637	14.79	0.10	1.48	5.05	10.00	0.75	32.07
92.77	1637	17.65	0.10	1.76	5.05	10.00	0.75	35.21
76.99	1637	21.26	0.10	2.13	5.05	10.00	0.75	39.19
67.72	1637	24.17	0.10	2.42	5.05	10.00	0.75	42.39
62.92	1637	26.07	0.10	2.60	5.05	10.00	0.75	44.42

Item of Work:- Earth work by tractor with leveller or scrapper or bucket with spreader (Tractor-Levellor or Tractor - Dozer) in canal or flood embankment or dhar all types of work like filling and making of bank or embankment of earth free from logs, roots or any other gradients, desiting of canal bed and dhar in proper profile with dressing and finishing including new construction, repair or restoration in ordinary soil including cutting, loading, carriage from pit to bank or embankment, unloading, spreading, clod-breaking and laying in layers and construction & removal of dhalas property with lead of .....* meter (lead will be considered as perpendicular distance from C.G. of pit to C.G. of bank or embankment) and with all lifts all complete job as per approved design, specification and direction of E/I (mode of measurement will be sectional measurement of compacted earth excluding dhala).

Sd./-
Er.Nalin Kumar Sinha
Member-cum-Assistant Engineer,
Gandak Rest, Cell
WRD, Patna

Sd./-
Er. Arun Kumar
Member-cum-Assistant Engineer,
Planning & Monitering Circle-3
WRD, Patna

Sd./-
Er. Sushil Kumar Sing
Member-cum-Assistant Engineer,
Gandak Rest, Cell
WRD, Patna

Sd./-
Er. Kritnandan Singh
Member-cum-Assistant Enginee
Planning & Monitering Circle-2
WRD, Patna

Sd./-
Er. S. A. Kabir
Member-cum-Executing Engineer,
Flood Control & Planning Monitoring Circle
WRD, Patna

Sd./-
Er. K.N. Lal
Member-cum-Chief Engineer (Mech)
WRD, Patna

Sd./-
Er. R.K. Singh
Chairman-cum-Chief Engineer, Pa
Sinchai Bhawan, Anisabad

ANALYSIS OF E/W BY TRACTOR (RAJSHTANI) 30 HP WITH LEVELLER (FATKARA)
EXCLUSIVE OF OVERHEAD CHARGES & CONTRACTOR'S PROFIT

For shorter Lead, Lead should be taken C.G. to C.G. perpendicular to the Bank, Maximum Lead up-to 150 meter

CAUTION:- TRACK PATH MAY NOT BE TAKEN AS LEAD

Lead in Km L	Speed (Km/hr) V	Time for loading, unloading and spreading (hr) t	Specing of Dhalas (Km) S	Capacity per Trip cub metre=e	Haulage Path (distance travelled in one cycle) 2 (L+S/2)	Time of run per trip (2L+S/2)/V	Time per cycle (hr) (2L+S/2)/V+t
1	2	3	4	5	6	7	8
0.015	5.00	0.0167	0.03	0.260	0.045	0.0090	0.0257
0.030	5.67	0.0167	0.04	0.260	0.080	0.0141	0.0308
0.055	6.33	0.0167	0.05	0.260	0.135	0.0213	0.0380
0.080	7.00	0.0167	0.06	0.260	0.190	0.0271	0.0438
0.100	7.67	0.0167	0.07	0.260	0.235	0.0306	0.0473

No of trips=N =8V/(2L+S/2+Vt)	Output per day with 80% efficiency = 0.80*N*e	Use Rate of Tractor Tr	Cost per Cubic Metre =Tr/Ne	Add 10% for Dhala or say effect of Lift	Add for cutting Tr/324	Add for finsishing & dressing etc, 1Maz/ 100	Total Cost Col (12+14+ 15+16)
9	10	11	12	13	14	15	16
311.28	64.75	1637	25.28	2.53	5.05	0.75	33.61
259.66	54.01	1637	30.31	3.03	5.05	0.75	39.14
210.38	43.76	1637	37.41	3.74	5.05	0.75	46.95
182.47	37.95	1637	43.13	4.31	5.05	0.75	53.25
168.99	35.15	1637	46.57	4.66	5.05	0.75	57.03

Item of Work:- Earth work by tractor with leveller or scrapper or bucket with spreader (Tractor-Levellor or Tractor - Dozer) in canal or flood embankment or dhar all types of work like filling and making of bank or embankment of earth free from logs, roots or any other gradients, desiting of canal bed and dhar in proper profile with dressing and finishing including new construction, repair or restoration in ordinary soil including cutting, loading, carriage from pit to bank or embankment, unloading, spreading, clod-breaking and laying in layers and construction & removal of dhalas properly with lead of ..... *meter (lead will be considered as perpendicular distance from C.G. of pit to C.G. of bank or embankment) and with all lifts all complete job as per approved design, specification and direction of E/I (mode of measurement will be sectional measurement of compacted earth excluding dhala).

Sd./-
Er.Nalin Kumar Sinha
Member-cum-Assistant Engineer,
Gandak Rest, Cell
WRD, Patna

Sd./-
Er. Arun Kumar
Member-cum-Assistant Engineer,
Planning & Monitering Circle-3
WRD, Patna

Sd./-
Er. Sushil Kumar Sing
Member-cum-Executive Engineer,
Gandak Rest, Cell
WRD, Patna

Sd./-
Er. Kritnandan Singh
Member-cum-Executive Er
Planning & Monitering Ci
WRD, Patna

Sd./-
Er. S. A. Kabir
Member-cum-Executing
Engineer,
Flood Control & Planning
Monitoring Circle
WRD, Patna

Sd./-
Er. K.N. Lal
Member-cum-Chief Engineer (Mech)
WRD, Patna

Sd./-
Er. R.K. Singh
Chairman-cum-Chief Engineer, Pa
Sinchai Bhawan, Anisabad

Analysis of E/W by Excavator, Tipper & Spreader exclusive of overhead charges and contractor profit
For Longer Lead (pit beyond 150 metre from centre of bank i.e. perpendicular distance from Centre of Bank to nearest Boundary of Pit will be more than 150 metre)
Half of the distance travelled in one cycle i.e. half of haulage Path i.e. Track Path may be taken as Lead
Based on Cost Control By MoWR & Data Book of MOSRT & H

Lead in Km=L*	Cost of Cutting & Loading by Excavator one M^3 Capacity=Rs. 1050/60 M^3	Average Speed on Kutcha track Km/hr.=V	Average haulage path (Distance) in one cycle (D) in Km.	Haulage Time in minute (Time taken in one cycle of run)= 60d/V	Loading Time one minute per M^3	Unloading & Turning Time in minute	Total Time per trip in minute Col (5+6+7) =T
1	2	3	4	5	6	7	8
0.15-05	17.5	10	0.65	3.90	5.5	3.3	12.7
0.5-1.0	17.5	10	1.5	9.00	5.5	3.3	17.8
1.0-1.5	17.5	10	2.5	15.00	5.5	3.3	23.8
1.5-2.0	17.5	10	3.5	21.00	5.5	3.3	29.8
2.0-2.5	17.5	10	4.5	27.00	5.5	3.3	35.8
2.5-3.0	17.5	10	5.5	33.00	5.5	3.3	41.8

No. of Trip per hour taken as 50 minutes N=50/T	Output per hour with 80% efficiency Q = 0.80* N*5.5	Use Rate per hour of Tipper 5.5 M^3 Capacity=Tr	Carriage cost per M^3Tr/Q	Cost of Spreading by D80 Dozer= Rs. 3000/300 M^3	Add 5% for haul road mainterance 5% for processing and 2% for extra labour for finishing = 12% of colum (2+12+13	Total Cost Col (2+12+ 13+14)
9	10	11	12	13	14	15
3.937	17.323	250	14.43	10.00	5.03	46.96
2.809	12.360	250	20.23	10.00	5.73	53.45
2.101	9.244	250	27.05	10.00	6.56	61.09
1.678	7.383	250	33.86	10.00	7.36	68.73
1.397	6.145	250	40.68	10.00	8.18	76.36
1.196	5.263	250	47.50	10.00	9.00	84.00

Item of Work:- Earth work by mechnical means with help Excavator, Tipper and Spreader in canal or flood embankment or dhar all types of work like filling and making of bank or embankment of earth free from logs, roots or any other gradients, desilting of canal bed and dhar in proper profile with dressing and finishing including new construction, repair or restoration in ordinary soil including cutting, loading, carriage from pit to bank or embankment, unloading, spreading, clod-breaking and laying in layer properly with lead of ..... km to .....*Km. (lead will be considered as track path i.e. half of distance travelled in one cycle i.e. half of haulage path from pit to bank or embankment. Pit will be beyond 150 meter from centre of bank i.e. percpendicular distance from centre of bank to nearest boundary of pit will be more than 150 meter) and with all lifts all complete jobs as per approved design, specification and direction of E/I (mode of measurement will be sectional measurment of compacted earth).

Sd./-
Er.Nalin Kumar Sinha
Member-cum-Assistant Engineer,
Gandak Rest, Cell
WRD, Patna

Sd./-
Er. Arun Kumar
Member-cum-Assistant Engineer,
Planning & Monitering Circle-3
WRD, Patna

Sd./-
Er. Sushil Kumar Sing
Member-cum-Executive Engineer,
Gandak Rest, Cell
WRD, Patna

Sd./-
Er. Kritnandan Sin
Member-cum-Executive
Planning & Monitering
WRD, Patna

Sd./-
Er. S. A. Kabir
Member-cum-Executing
Engineer,
Flood Control & Planning
Monitoring Circle
WRD, Patna

Sd./-
Er. K.N. Lal
Member-cum-Chief Engineer (Mech)
WRD, Patna

Sd./-
Er. R.K. Singh
Chairman-cum-Chief Engineer, Pa
Sinchai Bhawan, Anisabad

USE RATE OF TRACTOR 30 HP HEAVY DUTY WITH LEVELLER/BUCKET/TROLLEY I-HIRE CHARGE OF TRACTOR PER DAY

(A)	COST OF TRACTOR WITH TYRES AND SCRAPPER	
	1. Cost of diesel tractor with tyres and scrapper	Rs. 369010.00
	2. Cost of 6 no. tyres	Rs. 38500.00
(B)	DEPRECIATION	
	1. Cost of diesel tractor with tyres and scrapper	Rs. 369010.00
	2. Deduct cost of 6 nos tyres	Rs. 38500.00
	3. Total	Rs. 330510.00
	4. Salvege value 20% of (3)	Rs. 66102.00
	5. Total investment	Rs. 264408.00

	6. Economic life in hrs: 12000 hrs		
	7. Depriciation per day	Rs. 22.03	(a)
	8. Storage charge @ 1% of (a)	Rs. 0.22	(b)
	9. Intrest per hr @ Rs. 12.50% per annual for one year on cost of tractor (330510+66102)×0.5×0.125×1/2400	Rs. 10.33	(c)
	Total depreciation a+b+c	Rs. 32.58	(i)
(C)	OPERATION CHARGE PER HOUR		
	1. Reparing charge @ 150% of depreciation (a)	Rs. 33.05	(d)
	2. Cost of types and tubes 6 nos (tyre life in hrs=3600 hrs)	Rs. 38500.00	
	3. Depreciation per hr. 26900.00/3600	Rs. 10.69	(e)
	4. Reparing cost 50% of depreciation (e)	Rs. 5.35	(f)
	5. Total operation charg per hr: (d+e+f)	Rs. 49.09	(ii)
(D)	ANNUAL ROAD TAX AND INSURANCE		
	Charge : 8 hrs		
	1. Road tax per year	Rs. 5600.00	
	2. Insurance charge per year	Rs. 5536.00	
	3. Total (1+2)	Rs. 11136.00	
	4. Cost per hour (taking life to be one year 2400 hrs) 11136.00/2400	Rs. 4.64	(iii)
(E)	Establishment cost per hrs.		
	1. Driver 1no @ Rs. 98.00	Rs. 98.00	
	2. Khalashi 1no @ Rs. 68.00	Rs. 68.00	
	3. Total	Rs. 166.00	
	4. Cost per hour (8 hrs working hrs) Rs. 166.00/8	Rs. 20.75	(iv)
(F)	Total hire charges per hr : (1+11+111+1V)	Rs. 107.07	
(G)	Hire charge per day : 105.35 × 8	Rs. 856.52	

II-POL

Diesel Consumption per hour = 2/3 of (0.5×BHP×C×4.5)/8.26 lit.= 2.75 lit
(Consider C for tractors = 0.50)
Consumption of Diesel per day = 22 lit.
cost of fuel (Diesel) = 22×Rs. 33.50 per lit.=Rs. 737 per day
M. Oil = 2% of 22 lit = 0.44 lit
Cost of M. Oil = 0.44 × Rs. 100 per lit = Rs. 44 per day
Total fuel cost per day = 737+44=781
Total I+II=
Use rate of Tractor per day with fuel
= Rs. 856 + Rs. 781 = Rs. 1637 per day

Sd./-
Er.Nalin Kumar Sinha
Member-cum-Assistant Engineer,
Gandak Rest, Cell
WRD, Patna

Sd./-
Er. Arun Kumar
Member-cum-Assistant Engineer,
Planning & Monitering Circle-3
WRD, Patna

Sd./-
Er. Sushil Kumar Sing
Member-cum-Executive Engineer,
Gandak Rest, Cell
WRD, Patna

Sd./-
Er. Kritnandan Singh
Member-cum-Executive Engineer,
Planning & Monitering Circle-2
WRD, Patna

Sd./-
Er. S. A. Kabir
Member-cum-Executing Engineer,
Flood Control & Planning Monitoring Circle
WRD, Patna

Sd./-
Er. K.N. Lal
Member-cum-Chief Engineer (Mech)
WRD, Patna

Sd./-
Er. R.K. Singh
Chairman-cum-Chief Engineer, Patna,
Sinchai Bhawan, Anisabad

Item of work:-

Earth work by excavator and spreader or tractor-leveller in lower level cannal or flood embankment or dhar (like, Minor, sub minor, Jamindari bundh, pynes etc where tipper is not neaded) all type of work like filling and making of bank or embankment of earth free from logs roots or any other gradients desilting of canal bed and dhar in proper profile with dressing and finishing including new construction, repair or restoration in ordinary soil including cutting, loading and unloading placing on bank or embankment, spreading, clod braking and laying in layers properly with lead below 15 meter and with all lifts all complete job as per approved, specification and direction of E/I (mode of measurement will be sectional measurement of compacted earth)

Analysis as per Data book of MOSRT & H

(a) Cost of cutting, loading, unloading & placing by excavator 1 M^3 capacity
Use rate of Rs. 1050 per hour for 60 M3 output, cost per M3 = Rs. 17.50

(b) Cost of spreading by D- 80 Dozer
Use rate Rs. 3000 per hour for 300 M3 output, cost per M3 = Rs. 10.00

(c) For dressing & finishing
1 Mazdoor for 100M3 i.e. Rs. 75.00 for 100 M3 cost per M3 = Rs. 0.75

Total Rupees/M3= 28.25

Without overhead charges and C.P.

Sd./-
Er.Nalin Kumar Sinha
Member-cum-Assistant Engineer,
Gandak Rest, Cell
WRD, Patna

Sd./-
Er. Arun Kumar
Member-cum-Assistant Engineer,
Planning & Monitering Circle-3
WRD, Patna

Sd./-
Er. Sushil Kumar Sing
Member-cum-Executive Engineer,
Gandak Rest, Cell
WRD, Patna

Sd./-
Er. Kritnandan Singh
Member-cum-Executive Engineer,
Planning & Monitering Circle-2
WRD, Patna

Sd./-
Er. S. A. Kabir
Member-cum-Executing
Engineer,
Flood Control & Planning
Monitoring Circle
WRD, Patna

Sd./-
Er. K.N. Lal
Member-cum-Chief Engineer (Mech)
WRD, Patna

Sd./-
Er. R.K. Singh
Chairman-cum-Chief Engineer, Patna,
Sinchai Bhawan, Anisabad

राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी कार्य का दर विश्लेषण तैयार किए जाने के प्रयोजनार्थ विभागीय पत्रांक- 247 दिनांक 15.10.2005/133 दिनांक 7.7.2006 द्वारा गठित समिति की एक टीम द्वारा सारण तटबंट पर मिट्टी कार्य का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन:-

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना के निदेशानुसार दिनांक 20.02.07 को श्री के० एन० लाल, मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) पटना की अध्यक्षता में श्री सुशील कुमार सिंह, कार्यपालक अभियन्ता, गंडक सेल एवं श्री नलिन कुमार सिन्हा, सहायक अभियन्ता, गंडक सेल की टीम द्वारा राजस्थानी ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी कार्य के दर विश्लेषण को अंतिम रूप प्रदान करने के उद्देश्य से सारण तटबंध के 100 कि.मी. से 116 कि.मी. का निरीक्षण किया गया, साथ में संबंधित प्रमंडल से अवर प्रमंडल पदाधिकारी श्री कपिल मुनि सिंह भी उपस्थित रहे । स्थल पर निम्न जानकारियाँ प्राप्त हुईः-

(1) स्थल पर दो प्रकार के राजस्थानी ट्रैक्टर (30-35 एच.पी. का) द्वारा-मिट्टी कार्य कराते हुए पाया गया (क) फटकारा टाईप (Leveller type) एवं (ख) डोली टाईप (Bucket type) जिनकी क्षमता निम्न प्रकार पाया गया:-

फटकारा का आयतन = 78×(9+11+16)/3×(18+24)/2=78×12×21 घन ईंच

= 11.375 घनफीट

रिक्तियाँ घटकार संघनित मात्रा = 0.80×11.375 = 9.1 घनफीट = 0.26 घनमीटर

डोली का आयतना = 70 (32+26)/2 × (24+20)/2 = 70×29×22 घन ईंच

= 25.84 घनफीट

रिक्तियाँ घटाकर संघनित मात्रा = 0.80 × 25.84 = 20.67 घनफीट = 0.60 घनमीटर

फटकारा लगा हुआ ट्रैक्टर मिट्टी बिछाने एवं ढ़ेला तोड़ने (spreading & Clod breaking) का काम स्वयं करता हुआ पाया गया, जबकि डोली लगा हुआ ट्रैक्टर से मिट्टी बिछाने एवं ढ़ेला तोड़ने के लिए अलग से फटकारा टाईप ट्रैक्टर लगाना पड़ रहा है ।

(2) फटकारा लगा हुआ ट्रैक्टर से बिना मिट्टी बिछाते हुए कार्य कराया गया तो पाया गया कि

55 मीटर लीड (हालेज पाथ 135 मीटर लगभग) के साथ

5 चक्कर में लगा समय = 6 मिनट 30 सेकेन्ड

इसलिए 1 चक्कर में लगा समय = 1 मिनट 18 सेकेन्ड = 0.0216 घंटा

चाल = 0.135/0.0216 = 6.25 कि.मी. प्रति घंटा

(3) पुनः फटकारा लगा हुआ ट्रैक्टर से मिट्टी बिछाते हुए कार्य कराया गया तो पाया गया कि

55 मीटर लीड (हालेज पाथ 135 मीटर लगभग) के साथ

4 चक्कर में लगा समय = 9 मिनट 15 सेकेन्ड

इसलिए 1 चक्कर में लगा समय = 2 मिनट 19 सेकेन्ड = 0.0385 घंटा

(4) फटकारा लगा हुआ ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी बिछानाः-

उपर्युक्त क्रमांक - 3 में से क्रमांक-2 को घटाने पर मिट्टी बिछाने का लागत निम्न प्रकार निकाला गया:-

0.26 घनमीटर मिट्टी बिछाने में लगा समय = 0.0385-0.0216 =0.0169 घंटा = 1 मिनट लगभग

8 घंटा की मात्रा = 8×60×0.26 = 124.8 घनमीटर

लागत प्रति घनमीटर = 1637/124.8 = 13.00 रुपया

MoSRT Data book के आधार पर D-80- Dozer के द्वारा प्रति घंटा 3000 रुपया में 300 घनमीटर मिट्टी बिछाने के आधार पर यह दर 10.00 रुपया प्रति घनमीटर होता है, जो लिया जा सकता है।

(5) फटकारा लगे ट्रैक्टर को मिट्टी बिछाते हुए कार्य कराया गया तो पाया गया कि:-

150 मीटर लीड (हालेज पाथ 340 मीटर लगभग) के साथ 3 चक्कर में लगा समय = 10 मिनट 5 सेकेन्ड

अतः 150 मीटर लीड के साथ 1 चक्कर में लगा समय = 3.36 मिनट = 0.056 घंटा

मिट्टी बिछाने में लगा समय को छोड़कर एक चक्कर में लगा समय = (0.056-0.0167) घंटा

चाल = 0.340/(0.056-0.0167) = 8.70 कि.मी0./घंटा

(6) डोली लगे ट्रैक्टर को बौरो-पिट में ही लगातार 5 बार (Loading & unloading) मिट्टी भरने एवं खाली करने का कार्य कराकर समय नोट किया गया और इसे 5 मिनट 15 सेकेन्ड पाया गया अर्थात Loading & unloading में प्रायः 1 मिनट अर्थात् 0.0167 घंटा लगता हुआ पाया गया।

(7) 55 मीटर लीड (हालेज पाथ 220 मीटर) के साथ डोली लगा ट्रैक्टर का 5 चक्कर में लगा समय नोट किया गया जिसे 15 मिनट 10 सेकेन्ड पाया गया, अर्थात् 1 चक्कर में लगा समय 3 मिनट 2 सेकेन्ड अर्थात् 0.051 घंटा पाया गया, अर्थात् Loading & unloading छोड़कर 0.034 घंटा पाया गया

यहाँ गति = 0.220/0.034 = 6.4 कि.मी./घंटा

पुनः 155 मीटर लीड के साथ (हालेज पाथ 475 मीटर) डोली लगा ट्रैक्टर के 3 चक्कर में लगा समय नोट किया गया, जिसे 13 मिनट पाया गया, अर्थात् 1 चक्कर में लगा समय 4.33 मिनट अर्थात् 0.072 घंटा पाया गया (अर्थात् Loading & unloading छोड़कर 0.055 घंटा पाया गया)

यहाँ गति = 0.475/0.055 = 8.64 = 9 कि.मी./घंटा

(8) स्थल पर ढाला का अंतराल 30 मीटर से 90 मीटर के आस-पास पाया गया । अर्थात् पूर्व में कलित अंतराल का प्रायः दोगुना पाया गया अर्थात् ढाला का लागत प्रायः आधा आयेगा अर्थात् इसे कुल लागत का 10% लिया जा सकता है ।

(9) फटकारा लगे ट्रैक्टर मिट्टी के साथ हमेशा ढाला के सहारे बंधि पर चढ़ता हुआ पाया गया, जबकि बाँध पर से कहीं भी उतरने में सक्षम पाया गया ।

जहाँ L = लीड और S = ढाला अंतराल है ।

डोली लगे ट्रैक्टर हमेशा ढाला के सहारे बाँध पर चढ़ता हुआ पाया गया, इसके लिए ढाला के अलावे अन्यत्र कहीं भी उतरना सम्भव नहीं पाया गया ।

अर्थात् हालेज पाथ 2(L+S) लिया जाना चाहिए

जहाँ L = लीड और S = ढाला अंतराल है ।

(10) उत्तरी बिहार में मिट्टी दक्षिणी बिहार की काली मिट्टी की अपेक्षा सामान्यताः मुलायम है । सोन प्रणाली में प्रति ट्रैक्टर 162 घनमीटर प्रति आठ घंटा जुताई कार्य पाया गया है । इस प्रकार पुरे राज्य के लिये औसत आउटपुट इसका दोगुना लिया जा सकता है ।

(11) उपर्युक्त परीक्षण के दौरान ट्रैक्टरों को कई बार फंस कर रूकते हुए भी देखा गया जिसमें असामान्य समय लग गया, जिनके पठनों को अस्वीकार्य मानते हुए अंकित नहीं किया गया । इसके लिए दर विश्लेषण में प्रावधान आवश्यक प्रतीत होता है ।

(12) इन प्रतिफलों के आधार पर पूर्व में तैयार किए गए दर विश्लेषण को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ।

निरीक्षण प्रतिवेदन समिति के विचारार्थ समर्पित किया जा रहा है ।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(नलिन कुमार सिन्हा)	(सुशील कुमार सिंह)	(के० एन० लाल)
सहायक अभियन्ता	कार्यपालक अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)
गंडक सेल, पटना ।	गंडक सेल, पटना ।	ज. स. वि., पटना ।

पत्रांक - गंडक सेल/विविध-(4)-10/2005-52 दिनांक- 6-03-2007

प्रतिलिपिः 0181 समिति के अध्यक्ष-सह-मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना एवं समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(सुशील कुमार सिंह)

कार्यपालक अभियन्ता,

गंडक सेल, पटना ।

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

संख्या- गंडक पुनस्र्थापन सेल-(5)-4/2006- 31 पटना, दिनांक - 13-2-2007

<u>कार्यालय आदेश</u>

पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या- 1/बी-12/2003-5762 (S) we पटना, दिनांक 5.6.06 द्वारा बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम सं० 103 के अन्तर्गत बिहार राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ उपस्थापन हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार की ओर से दर निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लेने के उद्देश्य से विभागीय अनुसूचित-दर-निर्धारण समिति का गठन निम्नवत किया जा रहा हैः-

1.	अभियन्ता प्रमुख (मध्य) जल संसाधन विभाग, पटना	अध्यक्ष
2.	अभियन्ता प्रमुख (उत्तर) जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
3.	मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
4.	निदेशक क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य-सचिव

निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना अपने सभी मानव संसाधनों का उपयोग उपरोक्त प्रयोजनार्थ करेंगे, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के स्वीकृतार्थ उपस्थापित किये जानेवाले सभी विभागयी प्रस्तावों को तैयार करायेंगे, विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ उपस्थापित करेगें तथा निर्माण कार्यो के कार्यान्वयन में दर संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के समक्ष विभागीय प्रस्ताव अध्यक्ष के हस्ताक्षर से उपस्थापित किए जायेंगे ।

यह आदेश तुरत प्रभावी होगा ।

ह०/-
(श्यामनन्दन प्रसाद)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, पटना ।

ज्ञाप संख्या- 31 / पटना, दिनांक 13-02-2007

प्रतिलिपि समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(श्यामनन्दन प्रसाद)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञाप संख्या- 31 / पटना, दिनांक 13-02-2007

प्रतिलिपि बिहार राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक-सह- आयुक्त एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(श्यामनन्दन प्रसाद)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञाप संख्या- 31 / पटना, दिनांक 13-02-2007

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियन्ता / सभी अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी प्रतिलिपि सभी अधीनस्थ अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाय ।

ह०/-
(श्यामनन्दन प्रसाद)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र सं०- प्र०6/नियम-03-06/06 6702 (S) दिनांक 30.6.06

प्रेषक,

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
सचिव, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना
सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार, पटना
सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः- राज्य स्तरीय अनुसूचित दस-निर्धारण समिति के गठन के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पथ निर्माण विभाग के संकल्प यह पठित ज्ञापांक 5762 (एस) अनु० दिनांक 5.6.2006 द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 103 में संशोधन किया गया है । उक्त संशोधित नियम के आलोक में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है ।

(1)	अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग	संयोजक
(2)	अभियंता प्रमुख, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, ग्रमीण विकास विभाग	सदस्य
(3)	अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग	सदस्य
(4)	अनियमत्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(5)	अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	सदस्य
(6)	मुख्य अभिंयता, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना	सदस्य
(7)	अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग	सदस्य

2. अभियंता प्रमुख का पद रिक्त रहने के स्थिति में विभागीय सचिव द्वारा नामित/प्राधिकृत मुख्य अभियंता राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के सदस्य/संयोजक के रूप में दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

3. क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति जो प्रमंडल बार व तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) द्वारा पूर्व में ही गठित है, का अस्तित्त्व यथावत बरकरार रहेगा ।

4. क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, सामाग्रियों के दर एवं दर-विलेषण तैयार कर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के समक्ष, अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मो० आरिफ आलम)

सरकार के अपर सचिव,

पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक- 6762 (S) दिनांक- 30.6.06

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ग्राम्य अभियंत्रण संगठन(ग्रामीण विकास विभाग) भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/मुख्य अभियंता बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना एवं अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(मो० आरिफ आलम)

सरकार के अपर सचिव,

पथ निर्माण विभाग

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक- 1/PMC/विविध/629/2003-2374

प्रेषक,

ई० सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

संयुक्त सचिव (अभि०)

जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग,

बिहार । पटना, दिनांक- 26.12.2008

विषयः- जल संसाधन विभाग के 1 (एक) करोड़ रुपये से 2 (दो) करोड़ रुपये तक के लागत वाली कार्यों की निविदा (तकनीकी बीड) में प्री-क्वालीफीकेशन के लिए मापदंड ।

प्रसंगः- पत्रांक- 1/PMC/विविध/629/2003-798 दिनांक 24.05.05

महाशय,

वर्तमान में (क) एक करोड़ रुपये से कम, (ख) एक करोड़ रुपया से दो करोड़ रुपया तक एवं (ग) दो करोड़ रुपया से उपर के कार्यो के लिए तकनीकी बीड में प्री-क्वालीफीकेशन के लिए अलग अलग मापदंड लागू है; जो क्रमशः विभागीय पत्रांक 90 दिनांक 16.1.06, 798 दिनांक 24.5.05 एवं पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 9545 (एस०) 12.8.06 (12.3.08 द्वारा संशोधित) द्वारा प्रतिपादित है । वर्तमान में विभागीय पत्रांक 798 दिनांक 24.5.05 के उपयोग में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

विचारोपरान्त विभागीय पत्रांक 798 दिनांक 24.5.05 को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया एवं 1(एक) करोड़ रुपये से 2 (दो) करोड़ रुपये तक के लागत वाले कार्यो की निविदा (तकनीकी बीड) में प्री-क्वालीफीकेशन के लिए निम्नांकित मापदंड संबंधी नियम संसूचित किया जाता हैः-

(i) एस०बी०डी० (पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 9545 (एस०) दिनांक 12.08.06 द्वारा लागू) के तकनीकी बीड के माप दंडों को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया । एस०बी०डी० के प्रावधान मात्र निविदा के आमंत्रण एवं निष्पादन तक लागू किए जाएगें, जबकि एकरारनामा (Clauses of Contract) बिहार लोक निर्माण विभाग एकरारनामा प्रपत्र फार्म एफ-2 (Excluding Clause-23) के अनुकूल होगा।

(ii) विषयांकित प्रयोजनार्थ एस०बी०डी० का Invitation for Bid (press- Notice), Instruction to Bidder, Qualification information, Notice inviting tender (PWD-1 General rules and directions एवं conditions of contract को उपयोग में लाया जायेगा, जिसमें परफौरमेंस गारन्टी पाँच प्रतिशत, एवं निविदा की मान्य अवधि एक सौ अस्सी दिन परन्तु सबलेटींग की छूट नहीं होगी।

(iii) निविदा कागजात में एकरारनामा की विशेष शर्तें (with contract data) परिमाण विपत्र, ड्राईंग आदि सक्षम प्राधिकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप संलग्न किया जायेगा, जिसमें विभागीय नियमों एवं अनुदेशों का ध्यान रखा जायगा ।

यह आदेश पत्र निर्गत किए जाने के बाद आमंत्रित सभी निविदाओं पर प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुरेन्द्र प्रसाद सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि०)

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

पत्र सं०-11/अन्य विविध-44/08 3167 / पटना, दिनांक 12.11.08

<u>अधिसूचना</u>

पथ निर्माण विभाग के पत्र संख्या- प्रा०-6/नियम-03-04/02-13211(एस०) 16.10.08 के द्वारा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (जो पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-सं० प्र०-6/नियम-03-04/2002- 5737 (एस०) दिनांक- 7.5.07 द्वारा लागू किया गया है) के अनुरूप अपने विभाग के अधीन संवेदकों का निबंधन करेंगे । राज्य के किसी एक विभाग के द्वारा कालीकृत/दंडित किये जाने पर संवेदक अन्य विभागों में भी कार्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सम्बन्धित दंड जल संसाधन विभाग के सम्वेदकों पर भी लागू होगा ।

सरकार के उक्त निर्णय के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग में पूर्व से लागू बिहार इंलिस्टमेंट आफ कान्ट्रैक्टर रूल्स 1992 को विलोपित किया जाता है । पथ निर्माण विभाग में

लागू उक्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 जल संसाधन विभाग में भी लागू किया जाता है ।

इस प्रयोजनार्थ पथ निर्माण विभाग के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में, जहाँ भी पथ निर्माण विभाग अंकित है, उसे जल संसाधन विभाग समझा जाय साथ ही पथों एवं पुलों मे जल संसाधन विभाग के कार्यों को भी शामिल समझा जाए तथा इसके क्रमांक- 9 में प्रावधानित समय-सीमा को अगले छः माह तक विस्तारित समझा जायेगा ।

अन्य प्रावधान यथावत् रहेगा ।

यह निर्गत की तिथि से लागू समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुरेन्द्र प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3167 /पटना, दिनांक- 12.11.08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 का आगामी बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि उसकी 100 प्रतियाँ जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह०/-

(सुरेन्द्र प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3167 /पटना, दिनांक- 12.11.08

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ सभी अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/ सभी कार्यपालक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(सुरेन्द्र प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3167 /पटना, दिनांक- 12.11.08

प्रतिलिपि- सचिव, सभी कार्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(सुरेन्द्र प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र सं०-प्र०-6/नियम-03-04/02 13211 (S) पटना दिनांक - 16.10.08

प्रेषक,

आर० के० सिंह,
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

विषयः- पथ निर्माण विभाग द्वारा अंगीकृत संशोधित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 को राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों में लागू किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य सरकार द्वारा पथ निर्माण विभाग, बिहार में अधिसूचना संख्या- 5737 (एस) दिनांक- 07.05.2007 द्वारा लागू संशोधित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (प्रति संलग्न) को राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी कार्य विभाग पथ निर्माण विभाग के उक्त नियमावली के अनुरूप अपने विभाग के अधीन संवेदकों का निबंधन करेंगें । राज्य के किसी एक

विभाग के द्वारा कालीकृत/दण्डित किये जाने पर संवेदक अन्य विभागों में भी कार्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे / संबंधित दण्ड के अधीन कार्य प्राप्त करने की अर्हता रखेंगे ।

अनु०- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आर०के० सिंह)

प्रधान सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार सरकार

<u>पथ निर्माण विभाग</u>

<u>अधिसूचना</u>

संख्या-प्र०-6/नियम-03-04/2002 5737 (S) / पटना, दिनांक- 07.05.07

पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या ए2/नियम-3-01/97-4009 (एस) दिनांक- 28 जून 1997 को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा पंजीकृत बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 को जान साधारण की जानकारी हेतु एतद द्वारा प्रकाशित की जाती है ।

<u>नियम</u>

1. (i) यह बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 कहलायेगी ।

   (ii) यह नियमावली प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. ठीकेदारों को पथों एवं पुलों के निर्माणार्थ निम्नलिखित श्रेणी में निबंधित किया जायेगा:-

   श्रेणी 1: 3.50 करोड़ रुपये से ऊपर के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

   श्रेणी 2: 70 लाख रुपये से 3.5 करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

   श्रेणी 3: 70 लाख रुपये से कम तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

3. उपर्युक्त श्रेणियों के लिए निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगाः-

   श्रेणी 1: 2.00 लाख रुपये

   श्रेणी 2: 1.00 लाख रुपये

   श्रेणी 3: 25 हजार रुपये

4. (क) निबंधन 5 वर्षो के लिए अनुमान्य होगा । इस अवधि के दौरान श्रेणी दो एवं तीन में पंजीकृत संवेदक यदि चाहें तो श्रेणी एक में अतिरिक्त शुल्क जमा कर निबंधित हो सकते हैं । ऐसा करने पर उनकी निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वतः रद्द समझा जाएगा ।

(ख) अभियंता प्रमुख अथवा मुख्य अभियंता से अन्यून किसी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किये गये हों, निबंधन पदाधिकारी होंगे ।

(ग) उपरोक्त तीनों श्रेणियों के पंजीकृत संवेदक सम्पूर्ण बिहार में कहीं भी निविदा डालने के लिये सक्षम होंगे ।

5. पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कागजात संवेदक को जमा करनी होगी:-

(क) प्रपत्र 'क' में आवेदन पत्र

(ख) PAN रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति ।

(ग) आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य (Address Proof)

(घ) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट "अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना" के पक्ष तथा पटना में भुगतेय हो ।

(च) यदि पार्टनरशीप या लोक सीमित कंपनी हो तो उसका निबंधन प्रमाण पत्र, अंशधारियों के नाम तथा पार्टनरशीप डीड/कम्पनी बाई लॉ की प्रति ।

6. सरकारी सेवा से हटाये गये व्यक्ति, संवेदकों के स्वीकृत सूची से हटाये गये व्यक्ति, पदावनत किये गये संवेदक, निलंबित सरकारी सेवक एवं न्यायालय से दोषी पाये गये व्यक्ति को किसी फर्म के सदस्य एवं व्यक्तिगत आवेदक होने की स्थिति में उनका निबंधन/नवीकरण नहीं किया जायेगा ।

7. नवीकरणः- पाँच वर्ष की अवधि के बाद पुनः कंडिका 3 में दिये गये शुल्क को जमा कर नवीकरण करायी जा सकेगा । नवीकरण के लिये आवेदन पत्र निबंधन समाप्त होने के एक माह पूर्व दिया जाना होगा।

8. नवीकरण हेतु आवेदन देने के लिए अनुग्रह अवधि निबंधन समाप्ति हो जाने की तिथि से एक माह तक होगी ।

9. पथ निर्माण विभाग के विभिन्न श्रेणी में वर्तमान निबंधित ठीकेदारों को संशोधित निबंधन नियमावली के निर्गत होने की तिथि से छः माह के अन्दर अपने निबंधनों का नवीकरण कराना होगा जिसके लिए उन्हें नवीकरण का निबंधन शुल्क जमा करना हेागा और ऐसा नहीं करने पर उनके निबंधनों की विधि मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी । उनसे यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वे संशोधित नियमावली में अपेक्षित कागजातों को जमा करें और संशोधित नियमावली की शत्र्तो को पूरा करें।

जिन संवेदकों के पुराने निबंधन नियमावली के अन्तर्गत निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन लंबित हैं, उनके द्वारा संशोधित नियमावली के जिस श्रेणी में निबंधन/नवीकरण कराना चाहते हों उस श्रेणी की राशि तथा पूर्व में जमा की गई चालान की राशि का अंतर जमा करना होगा ।

10. आवेदन पत्रः- इच्छुक संवेदकगण परिशिष्ट- 'क' में उल्लिखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगे। विभाग द्वारा परिशिष्ट- 'ख' में उल्लिखित निबंधन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा ।

11. काली सूची तथा निलंबन:-

(क) व्यक्तिगत रूप से ठीकेदार या निबन्धित फर्म के किसी साझीदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से किसी कदाचार के कारण पथ निर्माण विभाग के किसी श्रेणी में निबंधित ठीकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जा सकेगा अथवा निश्चित अवधि के लिये निलंबित किया जा सकेगा अथवा अपने श्रेणी से नीचे के श्रेणी में पदावनत (Demote) किया जा सकेगा:-

(i) संबद्ध विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार ।

(ii) एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक ।

(iii) निविदा कागजातों की प्राप्तियाँ, निविदा कागजातों का प्रस्तुतीकरण या उसे संबद्ध कोई कार्य करते समय सरकारी कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिये ।

(iv) ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग)

(v) संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये।

परिशिष्ट - "क"

ठीकेदारों के निबंधन/नवीनकरण के लिये आवेदन पत्र का प्रपत्र:-

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम उसकी राष्ट्रीयत, जन्म तिथि एवं पूरा पता-
2. मुख्तारनामा धारण करने वाले व्यक्ति का नाम और उसकी राष्ट्रीयता । मुख्यतारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय ।
3. साझीदारों के नाम, उसकी राष्ट्रीयता
4. श्रेणी जिसमें सूचीकरण कराना चाहते हैं
5. क्या आवेदक या उसका कोई साझीदार या शेयर धारक का नाम काली सूची में दर्ज है, अथवा निलंबित है

आवेदक का अभिप्रमाणित

आवेदक के पावर ऑफ आटोर्नी धारण करने वाले व्यक्ति की अभिप्रमाणित फोटो

या पूर्व में निलंबित हुआ है अथवा काली सूची में दर्ज हुआ है ।

6. निबंधन शुल्क जमा करने के संबंध में विवरणी

बैंक ड्रॉफ्ट संख्या एवं दिनांक - मूल्य

बैंक का नाम -

टिप्पणी -

(1) ठीकेदार वैसे अंचल में निविदा दाखिल करने के हकदार नहीं होंगे जिसमें उनके नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियन्ता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं । किसी ठीकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन निबंधन सूची से नाम हटाने के लिये पर्याप्त होगा ।

(2) नजदीकी संबंधी पद से अभिप्रेत है पति/पत्नी/माता/पिता/भाई अथवा बहन ।

(3) मैं / हमलोग प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि मेरा / हमलोगों का / के नाम ठीकेदार / ठेकेदारों के रूप में विभाग में अभी किसी वर्ग में निबंधित नहीं है ।

तिथि - आवेदक का हस्ताक्षर और पता

महत्वपूर्ण सूचनाएँ:-

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करें ।

1. PAN कार्ड की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित ।

2. आवेदन पत्र में चिपकायी गयी फोटो को भी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित करायें।

3. Address Proof

4. बैंक ड्राफ्रट मूल में संलग्न करें ।

5. यदि मुख्तारनामा है तो उसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।

उपर्युक्त के बिना निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

<u>कार्यालय उपयोग के लिए</u>

उपर्युक्त संवेदक

श्री .....

पता:- .....

.....

श्रेणी:- .....

का निबंधन दिनांक ..... से ..... तक के लिए रुपये .....

(डिमांड ड्रॉफ्ट संख्या ..... दिनांक ..... बैंक का नाम .....) में किया गया ।

उपर्युक्त संवेदक के मुख्तारनामा के संबंध में दर्ज किया गया कि उपर्युक्त संवेदक श्री / मेसर्स

. ..... द्वारा श्री / मेसर्स ..... पता ..... को पावर ऑफ अटार्नी प्रदान किया गया है ।

दिनांकः- सक्षम पदाधिकारी /
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

परिशिष्ट- "ख"

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

<u>निबंधन प्रमाण-पत्र</u>

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

आवेदक के पावर ऑफ आटोर्नी धारण करने वाले व्यक्ति की अभिप्रमाणित फोटो

श्री .....

पता .....

.....

को श्रेणी ..... में अवधि दिनांक ..... से ..... तक के लिए पथ निर्माण विभाग के संवेदक के रूप में निबंधित किया जाता है ।

दिनांकः- सक्षम पदाधिकारी /
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-03-04/2002 5738 (S) / पटना, दिनांक 07.05.07

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को अगामी बिहार राजपत्र के असाधरण अंक में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि उसकी एक हजार गजट प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-03-04/2002 5738 (S) / पटना, दिनांक 07.05.07

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / सभी मुख्य अभियंता / प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-03-04/2002 5738 (S) / पटना, दिनांक 07.05.07

प्रतिलिपिः- सरकार के आयुक्त एवं सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष, 1. वित्त विभाग, 2. माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग, 3. उच्च शिक्षा विभाग, 4. कृषि/कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग, 5. पथ निर्माण विभाग, 6. गृह (आरक्षी)/गृह कारा/गृह (नागरिक सुरक्षा)/गृह (विशेष)/गृह (होमगार्ड)/गृह (अग्नि सेवा)/गृह (सैनिक कल्याण निदेशालय) विभाग, 7. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, 8. उद्योग विभाग, 9. ईख विभाग, 10. स्वास्थ्य विभाग, 11. जल संसाधन विभाग, 12. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, 13. गबन निर्माण विभाग, 14. आवास विभाग, 15. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, 16. सहकारिता विभाग, 17. लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, 18. ग्रामीण विकास विभाग, 19. ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायती राज, 20. मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समनवयन विभाग, 21. मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, 22. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, 23. राजभाषा विभाग, 24. निबंधन विभाग, 25. नागरिक विमानन विभाग, 26. उर्जा विभाग, 27. उत्पाद एवं गद्य निषेद्य विभाग, 28. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, 29. वित्त (राष्ट्रीय बचत) विभाग, 30. वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग, 31. वन एवं पर्यावरण विभाग, 32. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, 34. आपदा प्रबंधन विभाग, 35. विधि विभाग, 36. खान एवं भूतत्व विभाग, 37. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 38. संसदीय कार्य विभाग, 39. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, 40. योजना एवं विकास विभाग, 41. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, 42. परिवहन विभाग, 43. नगर विकास विभाग, 44. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 45. पर्यटन विभाग, 46. लघु सिंचाई विभाग, 47. कल्याण विभाग, 48. कला संस्कृति एवं युवा विभाग, 49. राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः- कार्य विभागों में 2.00 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में Standard Bidding Document को लागू करने के संबंध में ।

1. राज्य के सभी कार्य विभागों में पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 9545 (एस) दिनांक 12.08.2006 द्वारा सरकार के निर्णयानुसार 5.00 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं के लिए Standard Bidding Document (S.B.D.) लागू किया गया है । 5.00 कोड़ से कम की लागत के परियोजनाओं के लिए एफ 2 एकरारनामा प्रपत्र लागू है ।

2. Standard Bidding Document राष्ट्रीय मानक का Bidding Document है जिसमें Conditions of Contract का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है ताकि अत्याधुनिक तकनीक आधारित यंत्र-संयंत्रों से निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुए त्वरित गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इन Contract Conditions के आधार पर dispute की संभावना कम रहती है तथा संवेदकों को भी कार्य करने में सहुलियत मिलती है । इन Contract Conditions को 5.00 करोड़ के नीचे के कार्यो पर भी लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

3. सम्यक विचारोपरांत Standard Bidding Document व्यवस्था 2.00 करोड़ से ऊपर के Contract पर लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

4. उक्त प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, पटना का अनुमोदन प्राप्त है ।

5. उक्त प्रस्ताव में वित्त विभाग / विधि विभाग की सहमति प्राप्त है ।

ओदशः- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं जानकारी हेतु भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-02/08 3451 (S) पटना, दिनांक 12.03.08

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-02/08 3451 (S) पटना, दिनांक 12.03.08

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-02/08 3451 (S) पटना, दिनांक 12.03.08

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-02/08 3451 (S) पटना, दिनांक 12.03.08

प्रतिलिपि - अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-02/08 3451 (S) पटना, दिनांक 12.03.08

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार

<u>पथ निर्माण विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

विषयः- F2, एकरारनामा के अन्तर्गत निविदाओं में Bitumen Price Neutralization को लागू किये जाने के संबंध में ।

पथ निर्माण कार्य हेतु बिटुमेन सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख सामाग्री/अवयव है । Periodic Renewal (PR) तथा Improvement of Riding Quality Programme (IRQP) में Bitumen का मूल्य पूरे कार्य के मूल्य का लगभग 35 से 40 प्रतिशत होता है एवं चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में Bitumen का मूल्य पूरे कार्य के मूल्य का 25 से 30 प्रतिशत तक होता है । विगत महीनों में बिटुमेन के मूल्य में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण निर्माण कार्य कुप्रभावित हो रही है । ऐसी स्थिति में सरकार यदि निर्माण कार्य, बढ़े हुए बिटुमेन एवं अन्य सामग्रियों की दर पर पुनः निविदा करेगी तो, इससे सरकार को समय तथा अधिक वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा ।

2. एक 2 एकरारनामा के तहत वर्तमान स्थिति में बिना विटुमेन Bitumen price neutralization के अगर संवेदक कार्य करेगा तो उसके लिये कार्य करना संभव नहीं होगा ।

3. अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार अब वर्तमान में चल रहे अथवा भविष्य में किए जाने वाले एफ 2 contract document के तहत कार्यो के लिए एस० बी० डी० में उपबंधित Bitumen price neutralization के उपबंध को लागू किया जाता है । विटुमेन के दर में बढ़ोतरी/घटोत्तरी के neutralization का सामंजन Standard Bidding Document के Clause 10 C.A./10 C.C. में निरूपित फॉर्मूला यथा

$K_b = 0.85 \times P_b/100 \times R \times (B_1-B_0)/B_0$

K_b = Increase or decrease in the cost of work during the month under consideration due to changes in rates for bitumeen.

R = Total value of the work.

B_0 = The office retail price of bitumen at the I.O.C. depot at nearest centre on the 28 days prior to the date of opening of bids.

B_1 = The official retail price of bitumen of I.O.C. depot at nearest centre for the 15th days of the month under consideration.

P_b = Percentage of bitumen component of the work.

के अनुसार बढ़ोत्तरी / घटोत्तरी का सामंजन किया जायेगा ।

4. वैसे कार्य, जिनके लिये पूर्व प्रावधान के अनुसार F2 एकरारनामा पर निविदा प्राप्त कर लिये गये हैं और निविदा अनुमोदन की प्रक्रिया में है अथवा निविदा अनुमोदित है अथवा F2 एकरारनामा आधारित कार्य प्रगति पर है, के लिए निर्णयानुसार कार्य से संबंधित संवेदक से दावा (claim) प्राप्त होने पर Bitumen के दर में बढ़ोत्तरी का Neutralization उक्त उपबंधित फार्मूला के अनुसार प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा । इसमें Bitumen का base दर निविदा के अनुमोदन की तिथि को लागू प्राधिकृत Bitumen का दर होगा ।

5. उक्त प्रावधान उन्हीं एकरारनामा पर लागू होगा जो समय-सीमा के अन्तर्गत चल रहा हो अथवा जिनके लिये समयवृद्धि सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत हो ।

6. उक्त प्रावधान मात्र Bitumen पर ही लागू होगा ।

7. यह आदेश राज्य निधि से कराये जा रहे कार्यो पर ही लागू रहेगा ।

8. उपर्युक्त निर्णय में वित्त विभाग / विधि विभाग की सहमति प्राप्त है ।

9. आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार बिहार, पटना को सूचना एवं जानकारी हेतु भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार,पटना

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-02/08 3943 (S) पटना, दिनांक - 18.03.08

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार,पटना

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-02/08 3943 (S) पटना, दिनांक - 18.03.08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार,पटना

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-02/08 3943 (S) पटना, दिनांक - 18.03.08

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार,पटना

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-02/08 3943 (S) पटना, दिनांक - 18.03.08

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख-सह-अवर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय स्थिति सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार,पटना

ज्ञापांक-प्र०-6/नियम-02/08 3943 (S) पटना, दिनांक - 18.03.08

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार,पटना

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः- राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में ।

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के ज्ञाप संख्या-254 दिनांक 24.02.1986 द्वारा अनियोजित अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान करने के संबंध में निदेश था । वर्ष 1986 में निर्गत निदेश एवं बीस वर्षो से अधिक अन्तराल में विकास कार्यो के क्रियान्वयन में हुए परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी कार्य विभागों में अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था । सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है किः-

(1) अनियोजित अभियंताओं को कार्य विभाग के अन्तर्गत ठीकेदारी निबंधन श्रेणी- 3 (तृतीय) के तहत् निबंधन कराना होगा ।

(2) अनियोजित अभिंयता किसी भी कार्य विभाग के अन्तर्गत एक कार्य अंचल में कार्य ले सकेंगे और वही अंचल उनका कार्यक्षेत्र होगा ।

(3) अधीक्षण अभियंता 20 (बीस) लाख रुपये तक की राशि के कार्यो को अनियोजित अभियंताओं के लिए चिन्हित कर सुरक्षा करेंगे । इस हेतु पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंताओं द्वारा अपने अंचलाधीन गैर-योजना शीर्ष में उपबंधित राशि का 15 (पन्द्रह) प्रतिशत कार्य कर्णांकित किया जायेगा । अन्य कार्य विभाग के कार्य अंचलों द्वारा योजना/गैर-योजना शीर्ष में 15 (पन्द्रह) प्रतिशत कार्य कर्णांकित किए जायेंगे।

(4) अधीक्षण अभियंता/अनियोजित अभियंताओं के बीच कार्य का बंटवारा उनके बीच समिति निविदा के माध्यम से करेंगे । अनियोजित अभियंताओं की निविदा में मात्र वित्तीय निविदा प्राप्त की जायेगी । कार्य चालू अनुसूचित दर से अधिक दर पर आवंटित नहीं किये जायेंगे।

(5) जिस कार्य अंचल के लिए अनियोजित अभियंता पंजीकृत नहीं होंगे उनमें कार्यो का आरक्षण (Reservation) नहीं होगा ।

(6) यदि निविदा देने वाले से अधिक सफल अनियोजित अभियंताओं का उद्धत/अंकित दर समान होगा तो निविदा का आवंटन उनके बीच लाटरी द्वारा किया जायेगा ।

(7) यदि दो बार आमंत्रित निविदा में अनियोजित अभियंता से निविदा प्राप्त नहीं होता है अथवा उनसे अनुमान्य दर पर निविदा प्राप्त नहीं होता है तब तीसरी बार खुली निविदा की जायेगी ।

(8) अनियोजित अभियंताओं से आवंटित कार्य के विरूद्ध अग्रधन की राशि मात्र एक प्रतिशत ली जायेगी जिसमें बैंक गारण्टी भी अनुमान्य होगी । जमानत की शेष 9 (नौ) प्रतिशत उनके चालू विपत्र से कटौती की जायेगी ।

(9) अनियोजित अभियंता 3.50 करोड़ का कार्य पूरा करने का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें सामान्य संवेदक समझा जायेगा तथा उन्हें उपरोक्त सुविधायें नहीं दी जायेंगी और उन्हें अन्य ठीकेदारों की तरह माना जायेगा ।

(10) अनियोजित अभियंता के निविदा देते समय यह शपथ-पत्र (Affidavit) देना होगा कि उन्होंने कहाँ से और किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा वे अब तक अनियोजित हैं । शपथ-पत्र गलत पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

(11) आवेदन पत्रः- इच्छुक अनियोजित अभियंता परिशिष्ट-क में उल्लिखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगे। विभाग द्वारा परिशिष्ट - ख में उल्लिखित निबंधन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा ।

नोटः- तद्नुसार कार्य विभाग अनियोजित अभियंताओं को अपने विभाग के अन्तर्गत निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' अलग से निर्गत करेंगे ।

ओदशः- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः- प्र०-6/नियम-03-03/2001- 1399 (S) पटना, दिनांक 31.03.08

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना का सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः- प्र०-6/नियम-03-03/2001- 1399 (S) पटना, दिनांक 31.03.08

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः- प्र०-6/नियम-03-03/2001- 1399 (S) पटना, दिनांक 31.03.08

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, सभी कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियन्ता, सभी कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०/सभी विभाग/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के सचिव (प्रा०), पथ निर्माण विभाग/माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव (प्रा०), पथ निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 11/विविध-31/08-1270 दिनांक- 28.4.08

प्रतिलिपिः- अनु०परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के साथ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उक्त संकल्प के अनुपालन की अद्यतन स्थिति से विभाग को अविलम्ब अवगत कराया जाय ।

3. उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभि० एवं कार्यपालक अभि० को निर्देशित कर दें।

अनु०- यथावत्

ह०/-

संयुक्त सचिव

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

परिशिष्ट - 'क'

(केवल पथ निर्माण विभाग के व्यवहार्थ)

अनियोजित अभियंताओं के निबंधन/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम
   उनकी राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं पूरा पताः-

आवेदक का अभिप्रमाणित

2. शैक्षणिक योग्यता:-
   (डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)
3. अंचल जिसमें सूचीकरण कराना चाहते हैं:-
4. निबंधन शुल्क जमा करने के संबंध में विवरणीः-
   बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक ..... मूल्य .....
   बैंक का नाम:-

टिप्पणी:-

1. अनियोजित अभियंता वैसे अंचल में निबंधन कराने के हकदार नहीं होंगे जिसमें उनके नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के

रूप में कार्यरत हैं । इस शर्त का उल्लंघन निबंधन सूची से नाम हटाने के लिए पर्याप्त होगा ।

2. नजदीकी संबंधी पद से तात्पर्य है पति / पत्नी / माता / पिता / भाई अथवा बहन ।

3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरा नाम ठीकेदार के रूप में विभाग/अन्य कार्य विभाग में अभी किसी वर्ग में संवेदक / फर्म / प्रा० लि० कम्पनी में साझीदार के रूप में निबंधित नहीं है ।

तिथि:-

आवेदक का हस्ताक्षर और पता

<u>महत्वपूर्ण सूचनायें</u>

आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न करें:-

1. PAN कार्ड की छायाप्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित ।
2. आवेदन पत्र में चिपकायी गयी फोटो जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।
3. Address Proof जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो ।
4. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित ह ।
5 नियोजित नहीं है एवं संवेदक के किसी श्रेणी में निबंधित नहीं है, के संबंध में शपथ-पत्र ।
6. 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट, जो अवर सचिव (लेखा) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को पदनाम से हो तथा जो स्थानीय बैंक में भुगतेय हो, मूल रूप से संलग्न करें ।

उपर्युक्त के बिना निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

<u>कार्यालय उपयोग के लिए</u>

उपर्युक्त अनियोजित अभियंता

श्री .....

पताः- .....

.....

.....

का श्रेणीः अ०प्र०/श्रेणी-03 (तृतीय) ..... का कार्यक्षेत्र / अंचल ..... के लिये निबंधन दिनांक .... से ..... तक के लिए (डिमांड ड्राफ्ट सं० ..... दिनांक ..... रुपये ..... बैंक का नाम ..... के विरूद्ध) किया गया ।

दिनांक:-

सक्षम पदाधिकारी /
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

परिशिष्ट - 'ख'

पत्रांकः- ..... दिनांकः- .....

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

अनियोजित अभियंता का निबंधन प्रमाण-पत्र

श्री .....

पता .....

.....

.....

आवेदक का
अभिप्रमाणित

को श्रेणी अ०प्र०/श्रेणी-03 (तृतीय) .....का कार्यक्षेत्र/कार्य अंचल ..... के लिए अवधि दिनांक ..... से ..... तक के लिए पथ निर्माण विभाग के अधीन सूचीकृत/निबंधित किया जाता है ।

दिनांक .....

(आवेदक का हस्ताक्षर)

सक्षम पदाधिकारी /
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह- विशेष सचिव का कार्यायल

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

पत्र सं०- प्र०6/नियम-03-04/02 (फोल्डर) 326 (F) पटना, दिनांक - 22.01.08

प्रेषक,

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग ।
सभी अधीक्षक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग ।
सभी कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग ।
(राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित)

विषयः- बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषय पर निर्माण विभाग, बिहार के अन्तर्गत ठीकेदारों के निबधंन हेतु लागू बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-2 में निहित उपबंध के आलोक में क्षेत्रीय स्तर पर कहीं-कहीं यह प्रश्न उठा है कि श्रेणी 01 एवं श्रेणी-02 में निबंधित

संवेदक अपने श्रेणी से नीचे की श्रेणी में निविदा नहीं डाल सकते हैं । इस प्रकार की आशंकायें निर्मूल है । श्रेणी 01 में निबंधित ठीकेदार अथवा श्रेणी 02 में निबंधित ठीकेदार को नीचे के श्रेणी में निबंधित ठीकेदार का पात्रता स्वतः प्राप्त रहता है । अतः उच्च श्रेणी में निबंधित ठीकेदार अपने श्रेणी से नीचे के श्रेणी में निविदा डालने हेतु योग्य माने जायेंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर-आयुक्त-सह-
विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञांप सं०- 326 (F) पटना, दिनांक 22.01.08

प्रतिलिपिः- मुख्यालय से संबंधित सभी तकनीकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

अभियन्ता प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञांप सं०- 326 (F) पटना, दिनांक 22.01.08

प्रतिलिपिः- सभी मुख्य अभियंता, जनसंसाधन विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस पत्र की प्रतिनिधि अपने अधीनस्थ सभी अ०अ०/का०अ० को प्रसारित किया जाय ताकि इस नियमावली के अंतर्गत निबंधित सभी संवेदकों के द्वारा डाले गये निविदाओं के निष्पादन में इसका ..... से पालन हो सके ।

ह०/-

अभियन्ता प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

पत्रांक- 370

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० उमा शंकर सिंह,

अध्यक्ष,

विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-

अभियन्ता प्रमुख (मध्य)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता,

जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक - 01.11.2007

विषयः- दिनांक 1.10.07 को जारी अनुसूचित दर पुस्तिका के प्रावधानों के विरूद्ध कतिपय आवश्यक मार्ग निदेश ।

महाशय,

दिनांक 1.10.07 को जारी अनुसूचित दर पुस्तिका के प्रावधानों के विरूद्ध कतिपय आवश्यक मार्ग निर्देश निम्न प्रकार दिए जा रहें हैं:-

1. मिट्टी कार्य के कुछ मदों में यथा मद संख्या- 5.1.26, 5.1.35, 6.1.15, 6.1.23, 7.1.9 आदि में ट्रक द्वारा ढुलाई कर मिट्टी कार्य किये जाने का दर प्रावधानित है । दिनांक 19.6.2007 को सम्पन्न विभागीय अनुसूचित दर की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि "चूँकि याँत्रिक साधन से मिट्टी ढुलाई कर कार्य कराने में ट्रक द्वारा ढुलाई कर कार्य कराना सर्वाधिक मँहगा पड़ता है," अतः जल संसाधन विभाग अन्तर्गत याँत्रिक साधन से मिट्टी कार्य ट्रक द्वारा नहीं किये जाय । अतएव् इन कार्य मदों यथा मद संख्या- 5.1.26, 5.1.35, 6.1.15, 6.1.23, 7.1.9 आदि का उपयोग नहीं किया जाय।
2. अगर याँत्रिक साधन से मिट्टी कार्य कराने की आवश्यकता हो तो सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर याँत्रिक साधन द्वारा विकल्प के रूप में टिपर से मिट्टी कार्य करायें जाय । अतएव मद संख्या 5.1.46, 6.1.27, 7.1.42 आदि का उपयोग किया जाय ।
3. पुनः मद संख्या- 5.1.44 (जिसमें डोलीयुक्त राजस्थानी ट्रैक्टर का प्रावधान है) एवं मद संख्या- 5.1.45 (जिसमें फटकारायुक्त राजस्थानी ट्रैक्टर का प्रावधान है) में से न्यूनतम दरवाले मद को उपयोग किया जाय।
4. वर्तमान में निविदायें Finished Rate (सामग्री आपूर्ति सहित) पर किया जाना है जिसमें Overhead Charges सहित 20 (बीस) प्रतिशत सम्वेदक लाभ दिया जाना है ।
   (i) परिस्थितिवश अभी भी विभागीय सामग्री निर्माण कार्य में लगे सम्वेदक को निर्गत करना पड़ सकता है (यदि सामग्री पूर्व से विभाग के पास उपलब्ध हो) । यदि Finished Rate पर निविदा के विरूद्ध सम्वेदक को विभाग द्वारा निर्माण सामग्री निर्गत किया जाता है तो वैसे स्थिति में वसूली (Recovery) सामग्री के दर पर 18 (अठारह) प्रतिशत शामिल कर प्रावधानित किया जाय ताकि विभागीय सामग्री पर सामग्री की सुरक्षा के विरूद्ध सम्वेदक को मात्र 2 (दो) प्रतिशत का सम्वेदक लाभ ही प्राप्त हो सके ।
   (ii) श्रम दर की निविदा में निर्माण में लगे सम्वेदकों को विभागीय सामग्री पर कोई सम्वेदक लाभ देय नहीं होगा ।
   (iii) यदि परिस्थितिवश निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति ली जाती है तो सामग्री आपूर्ति की निविदा में सामग्री के दर पर मात्र 10 (दस) प्रतिशत सम्वेदक लाभ का प्रावधान किया जाय ।

5. विभाग द्वारा निर्गत अनुसूचित दर पुस्तिका का यह प्रथम संस्करण है, जिसमें त्रुटियाँ सम्भावित है, जिसका गहन अध्ययन सभी Users (खासकर क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता) कर लेंगे । और उनसे अनुरोध होगा कि वे त्रुटियों को उपयोग / भुगतान का आधार नहीं बनाएँगे तथा त्रुटियों से विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को अवगत करायेंगे । सरांश और विश्लेषण में यदि विभेद दृष्टिगोचर हो तो, विश्लेषण को ही प्राथमिकता देंगे ।

6. इसकी प्रति कनीय अभियन्ताओं सहित सभी अभियन्ताओं को तत्काल उपलब्ध कराने की जबावदेही संबंधित मुख्य अभियन्ता की होगी ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(उमा शंकर सिंह)

अभियन्ता प्रमुख (मध्य)

ज्ञाप संख्या / पटना, दिनांक

प्रतिलिपि अध्यक्ष एवं सभी सदस्य, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, पटना को सूचनार्थ प्रषित ।

ह०/-

(उमा शंकर सिंह)

अभियन्ता प्रमुख (मध्य)

ज्ञाप संख्या - 370 / पटना, दिनांक 02.11.2007

प्रतिलिपि अभियन्ता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1 / 2 / 3 / बाढ़ को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(उमा शंकर सिंह)

अभियन्ता प्रमुख (मध्य)

<u>प्रस्तावना</u>

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 103 के संशोधन के आलोक में बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प-सह-पठित ज्ञापांक 01/बी. 12-2003-5762 (S) WE पटना, दिनांक 05.06.2006 की कंडिका 2(iii) में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित दर, दर विश्लेषण तथा सामग्रियों का दर निर्धारण, पथ निर्माण विभाग के संयोजन में गठित राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा किया जायगा । इसी क्रम में यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार के प्रत्येक कार्य विभाग में अनुसूचित दर का निर्धारण केन्द्र सरकार में संबंधित मंत्रालय में लागू प्रावधानों के आधार पर किया जायेगा।

इसी के अनुपालन में जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा अनुसूचित दर / दर विश्लेषण तैयार करने एवं अनुशंसाओं के साथ प्रस्तावों को राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने हेतु पत्रांक- गंडक पुनर्स्थापन सेल (5)-4/206-31, पटना, दिनांक

13.02.2007 द्वारा विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्य इस प्रकार से हैं:-

1. अभियन्ता प्रमुख (म०), जल संसाधन विभाग, पटना - अध्यक्ष
2. अभियन्ता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, पटना - सदस्य
3. निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधधन निदेशालय जल संसाधन विभाग, पटना - सदस्य-सचिव

जल संसाधन विभाग, पटना के विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की दिनांक 16.08.2007 की बैठक में Government of India, Ministry of Irrigation के द्वारा प्रकाशित "Report of Committee on Cost-Control of River Valley Projects-Vol-II (Jan 1981)" के प्रावधानों के अनुरूप Over Head & Contractors Profit के रूप में Analysis of Rate में Prime Cost का 20% (बीस प्रतिशत) प्रावधान करने का निर्णय लिया गया । इस अनुशंसा में Prime Cost के लिए उपयोगी दर विश्लेषण उपलब्ध नहीं है । फलतः Prime Cost के लिए तकनीकी परीक्षक कोषांग के Chapter 8, 9 एवं 10 के Formate को अपनाने का निर्णय लिया गया । साथ में कुछ मदों का दर-विश्लेषण, जो पूर्व से तकनीकी परीक्षक कोषांग के दर-विश्लेषण में शामिल नहीं था, को भी यथोचित रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार जल संसाधन विभाग, पटना के लिए अनुसूचित दर/ दर विश्लेषण तैयार कर विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के अध्यक्ष-सह-अभियन्ता प्रमुख (म०), जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा पत्रांक 291 दिनांक 20.08.07 के माध्यम से राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया ।

जल संसाधन विभाग, बिहार के द्वारा समर्पित उक्त प्रस्ताव पर अर्थात्, अनुसूचित दर पर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 06.09.07 की बैठक में निर्णय लिया गया जो में ई० शिवदर्शन राम, अभियन्ता प्रमुख-सह-संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक मु०नि०(पथ)22/07-108 (अनु०), पटना दिनांक 19.09.07 के द्वारा सभी संबंधित सदस्यों को निर्गत किया गया ।

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के पत्रांक 108 (अनु०) दिनांक 19.09.07 द्वारा निर्गत निर्णय के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के लिए अनुसूचित दर/दर विश्लेषण का प्रथम संस्करण तैयार करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी गयी हैः-

1. जल संसाधन विभाग के River Valley / Irrigation & Flood Control से संबंधित कार्य मदों के Analysis of Rate में Over Head & Profit के रूप में Prime Cost का 20% (बीस प्रशित) का प्रावधान किया गया है ।

निर्णयानुसार Contractors Over Head & Profit (20% of Prime Cost) के अंतर्गत Contractor Profit के अतिरिक्त उक्त Report के अनुसार निम्नलिखित Elements को सम्मिलित माना जायगा:-

(i) Enabling Work such as Ramps, Work Sheds, Water Supply, Electrification Arrangements, Plant Foundation and Erection etc

(ii) Emoluments of managerial land clerical staff

(iii) General establishment watch and ward, sanitary and mess etc

(iv) Local conveyance

(v) Travelling expenses

(vi) Medical and sanitation

(vii) Social Welfare

(viii) Office expenses and

(ix) Share of head Office expenses

2. जल संसाधन के River Valley / Irrigation of Flood control से संबंधित कार्य मद के दर विश्लेषण में Prime Cost के लिए तकनीकी परीक्षक कोषांग के Chapter 8, 9, एवं 10 के Formate को अपनाया गया है । Sundries एवं LS को 20% (बीस प्रतिशत) व of Prime Cost में ही सम्मिलित माना गया है ।

3. Prime Cost मे राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वार अधिसूचित निर्माण सामग्री दर एवं Plant एवं Machinary के Usage Rate को अपनाया गया है । जिस Plant एवं Machinary का Usage Rate अधिसूचित नहीं है उसे Cost Control Volume-II में अपनाये गये Format में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा लघु सिंचाई विभाग के लिए स्वीकृत Format के अनुसार संशोधन कर अपनाया गया है ।

4. Carriage of Material के लिए MOSRT & H Based पथ निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित) के लिए लागू अद्यतन अनुसूचित दर के Chapter-I को अपनाया गया है ।

5. श्रमदर को राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, के पत्रांक 90 (अनु) दिनांक 16.8.07 के अनुसार Prime Cost में लिया गया है । (Schedule I & II).

6. यदि जल संसाधन विभाग द्वारा पथ निर्माण, भवन निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्य, विद्युत कार्य आदि कराया जाता है, तो क्रमशः संबंधित विभाग यथा- पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विद्युत बोर्ड आदि में लागू दर एवं दर विश्लेषण का जल संसाधन विभाग द्वारा हुबहू पालन किया जायगा ।

7. मिट्टी कार्य, संपीडन, मिट्टी बाँध पर घास लगाई का कार्य Bamboo Roll, Tree branches Spur, Sheet Pile को उखाड़ने आदि कार्य से संबंधित मदों के विभागीय प्रस्ताव

पर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के पत्रांक 108(अनु०) दिनांक 19.09.07 के अनुसार "राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा उक्त कार्य मदों के दर विश्लेषण को औपबंधिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है । चूँकि ये कार्य मद Non-Schedule Item है, अतः ये 'Under observation' की श्रेणी में रखे जायेगें। इन कार्य मदों को एक "विशेष चिन्ह (*)" देते हुए इसका उल्लेख अनुसूचित दर पुस्त में किया गया है और इन कार्यमदों के Performance से संबंधित Report क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त कर समिति को समय-समय पर अवगत कराया जायगा" । इसके अनुपालन के क्रम में इस अनुसूचित दर पुस्त में उक्त कार्यमदों को "' का विशेष चिन्ह दिया गया है । जिन कार्य मदों के सामने "' विशेष चिन्ह अंकित है, का प्रयोग यदि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है, तो उन क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उक्त कार्य मदों के Performance Report तैयार कर विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के समक्ष उपस्थापित करना अनिवार्य होगा । Performance Report तैयार करने में उपयोग में लाए जा रहे उक्त कार्यमदों के तकनीकी पक्ष एवं Prime Cost के भिन्न-भिन्न अवयवों (Components) के विषय में कार्यस्थल पर Observation निश्चित रूप से अंकित किए जायें । विभिन्न परिक्षेत्रों से Performance Report प्राप्ति के पश्चात् विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति समीक्षोपरान्त इन मदों को स्थायी रूप से अनुसूचित दर / दर विश्लेषण में सम्मिलित करने हेतु या कार्यमद के भिन्न-भिन्न Components में संशोधन करने हेतु इसे सदस्य-सह-अभियन्ता प्रमुख (म०), जल संसाधन विभाग के माध्यम से राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति के समक्ष रखा जायेगा ।

8. प्रस्तुत अनुसूचित दर विश्लेषण में सीमेंट / ईंट का दर Patna Urban के लिए लागू दर को व्यवहार में लाया गया है । Coarse sand के खदान के दर को व्यवहार में लाया गया है ।

9. समिति के निर्णयानुसार सक्षम पदाधिकारी निर्माण कार्य क्षेत्र के जोन के अनुसार ही सीमेंट / ईंट / बालू के निर्धारित दर का प्रयोग करेंगे और इसके अनुसार दर में अंतर की राशि को प्राक्कलन में जोगे या घटायेंगे ।

10. रायल्टी (Royalty) का प्रावधान खनन विभाग की अधिसूचना संख्या-पटना 290 दिनांक 19.04.06 के अनुसार किया गया है ।

11. राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के पत्रांक 108 (अनु०) पटना दिनांक 19.09.07 के निर्णय में VAT को Contractors Over Head and Profit (20%) of Prime Cost के अंतर्गत Contractors Profit में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह क्रमांक 1 में घेषित Elements के बाहर है।

12. विश्लेषण दर में सभी तरह के Taxex, Royalty एवं Contractors Over Head & Profit (20% of Prime Cost) शामिल हैं ।

13. The maximum lead to be considered as per TEC Norms is as follows-

(i) For local sand 3 KM with 1 KM, Kuchcha

(ii) For brick 8 KM with 1 KM Kuchcha

(iii) For coarse sand, stone metal, stone chips, moorum, stone boulder, bitumen as per actual lead without provision of Kuchcha lead.

14. याँत्रिक साधन से मिट्टी कार्य (30/35 एच.पी. ट्रैक्टर के द्वारा) के लिए लीड (Lead) की गणना, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक GC/VIVIDH-(4) 10/05-133 दिनांक 07.07.06 द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन (प्रति संलग्न) में वर्णित विधि के द्वारा किया जायेगा ।

15. इस दर विश्लेषण पुस्तिका में Stone Boulder, मेटल, ग्रेवेल, चिप्स, बालू, मुरम का दर श्रोत पर लिया गया है । संबंधित सक्षम पदाधिकारी उस क्षेत्र के लिए अनुमोदित खदान से कार्य-स्थल Plant Site से इसके Carriage का प्रावधान करेंगे ।

बिहार लोक निर्माण की कंडिका 103 के संशोधन के पश्चात् विभाग द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की दिनांक 06.09.07 की बैठक में लिए गए निर्णय (पत्रांक 108 अनु०, पटना दिनांक 19.09.07) के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के River valley, Irrigation एवं Flood Control से संबंधित कार्य मदों के लिए अनुसूचित दर का यह प्रथम संस्करण है । यद्यपि यह सभी सदस्यों की देख-रेख में तैयार किया गया है, फिर भी ऐसी संभावना है कि इस अनुसूचित दर को तैयार करने में कुछ त्रुटि रह गई हो और व्यवहार में लाने के क्रम में दृष्टिगोचर हो सकती है, ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि उन त्रुटियों को विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की जानकारी में अविलंब दी जाय ताकि सम्यक विचारोपरांत उन त्रुटियों का समुचित निराकरण किया जा सके । सभी Users (खासकर विभागीय क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ताओं) को यह परामर्श दिया जाता है कि उनके द्वारा संबंधित कार्यमद के दर विश्लेषण एवं विशिष्टि का गहन अध्ययन अवश्य ही कर लिया जाय ।

जल संसाधन विभाग, बिहार के लिए वर्तमान अनुसूचित दर के प्रथम संस्करण को तैयार करने तथा उसे प्रभावी बनाने में निम्नलिखित पदाधिकारियों के द्वारा भरपूर लगन एवं परिश्रम से कार्य किया गया है, विभाग इनके सहयोग के लिए इनकी सराहना करती है ।

1. ई० सुशील कुमार सिंह, कार्यपालक अभियन्ता
2. ई० मृत्यंजय सिंह, उप निदेशक
3. ई० अरुण कुमार, सहायक अभियन्ता

4. ई० शान्ति रंजन शर्मा, सहायक अभियन्ता

5. ई० रमेश प्रसाद सिंह, सहायक अभियन्ता

6. ई० संजय रमण, सहायक अभियन्ता

7. ई० नलिन कुमार सिन्हा, सहायक अभियन्ता

8. ई० अश्विनी कुमार, सहायक अभियन्ता

राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति के सभी सदस्यों के साथ-साथ विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के सभी सदस्यों द्वारा इस अनुसूचित दर पुस्तिका के प्रथम संस्करण के वर्तमान रूप में लाने और उनके सहयोग तथा रचनात्मक सुझावों के लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ । अंत में, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री अशोक कुमार सिन्हा के प्रति मैं विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के सभी सदस्यों एवं सहयोगी अभियन्ताओं की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जो इस प्रथम संस्करण के प्रकाशन हेतु मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देते रहे हैं।

यह अनुसूचित दर आज दिनांक 01.10.2007 से प्रभावी किया जाता है ।

पटना

दिनांक - 1.10.2007

ह०/-

(उमाशंकर सिंह)

अध्यक्ष

अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-

अभियन्ता प्रमुख (मध्य)

जल संसाधन विभाग

सिंचाई भवन, पटना ।

<u>दिनांक 07.02.2007 को संयोजक-सह-आयुक्त एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक की कार्यवाही ।</u>

<u>उपस्थितिः-</u>

1. श्री अरूण कुमार सिंह	आयुक्त एवं सचिव
2. श्री वीरेन्द्र कुमार	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
	अभियन्ता प्रमुख,
	तकनीकी परीक्षण कोषांक,
	मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग,
	बिहार, पटना ।
3. श्री मदन कुमार	अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव,

	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना ।
4. श्री अवधेश प्रसाद सिंह	सदस्य-सह-परियोजना संयोजक, नलकूप प्रभाग (लघु सिंचाई विभाग), बिहा, पटना ।
5. श्री प्रमोद बिहारी अस्थाना	मुख्य अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

1. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभी उपस्थित पदाधिकारियों को बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका-103 में हुई संशोधन के बारे में पुनः विस्तार से जानकारी दी गई । अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अपने विभाग से संबंधित भारत सरकार में प्रचलित एवं अपनाए गए विशिष्टियों के अनुरूप अपने-अपने विभाग का अनुसूचित दर यथाशीघ्र अद्यतन कर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को उपलब्ध कराया जाय ।
2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता प्रमुख द्वारा बताया गया कि राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा जो सूचनाएँ मांगी गयी है उसे तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा । समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से प्राप्त दर विश्लेषण को मंतव्य देने हेतु राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाय ।
3. Non Schedule Item के संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित अधीक्षण अभियंता Basic Rate के आधार पर दर निर्धारण करेंगे एवं इसे विभागीय सचिव के माध्यम से अनुसूचित दर निर्धारण समिति को भेजेंगे । विभागीय सचिव द्वारा यह परामर्श दिया जायेगा कि उक्त Item को स्थायी रूप से Schedule Item में शामिल किया जाय अथवा नहीं । जब तक Scheduled Rate Committee द्वारा प्रस्तावित दर अनुमोदित नहीं होता है तब तक अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रस्तावित दर पर कार्य कराया जा सकेगा।
4. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त दर विश्लेषण की तकनीकी जाँच हेतु एक उप समिति (Sub Committee) का गठन किया जाय जिसमें संबंधित विभागों से कम से कम कार्यपालक अभियंता के स्तर से एक पदाधिकारी को संबंधित विभाग मनोनित करें ।

बैठक में अन्य विभागों द्वारा अनुसूचित दर निर्धारण हेतु सूचनाएँ नहीं समर्पित की गई है जिसके फलस्वरूप संशोधित संकल्प के आलोक में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अनुसूचित दर प्रकाशित करना संभव नहीं हो रहा है । अतः संयोजक-सह-आयुक्त एवं सचिव द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन विभागों से वांछित सूचनाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं, उन्हें पुनः

स्मरित किया जाय ताकि ससमय उन विभागों से संबंधित निर्गत संकल्प का अनुपालन करते हुए अनुसूचित दर प्रकाशित किया जा सके ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों के सहयोग के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(आर० के० सिंह)
संयोजक
राज्य स्तरीय अनु० दर निर्धारण समिति
-सह-आयुक्त एवं सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः- 13 पटना/दिनांक- 13.02.07

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
संयोजक
राज्य स्तरीय अनु० दर निर्धारण समिति
सह-आयुक्त एवं सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

पत्रांक - मु० नि० (पथ) 22/07- 108 (अनु०) दिनांक - 19.09.07

प्रेषक,

ई० शिवदर्शन राम
अभियंता प्रमुख-सह
संयोजक,
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

1. अभियंता प्रमुख
   ग्रामीण कार्य विभाग, सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना ।
2. अभियंता प्रमुख

जल संसाधन विभाग, सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना ।

3. अभियंता प्रमुख
   लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार,
   पटना ।
4. अभियंता प्रमुख
   तकनीकी निरीक्षक कोषांग मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना ।
5. अभियंता प्रमुख
   भवन निर्माण विभाग, सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना ।
6. परियोजना संयोजक
   नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन विभाग) सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना ।
7. मुख्य अभियंता (असैनिक)
   बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
8. मुख्य अभियंता
   ऊर्जा विभाग, सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना ।

विषयः- जल संसाधन विभाग, बिहार के अनुसूचित दर पर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 06.09.2007 की बैठक में लिये गये निर्णय का प्रेषण ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रस्तावित अनुसूचित दर पर दिनांक 06.09.2007 की बैठक में लिए गए निर्णय की प्रति आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है ।

अनु०ः- यथोक्त (तीन पृष्ठों में)

विश्वासभाजन

ह०/-

(ई० शिवदर्शन राम)

अभियंता प्रमुख-सह

संयोजक,

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रस्तावित अनुसूचित दर पर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 06.09.2007 की बैठक में लिए गए निर्णयः-

संयोजक महोदय द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 103 के संशोधन के आलोक में दिनांक 20.08.2007 की बैठक में सदस्य सह अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 291 दिनांक 20.08.2007 के द्वारा उनके विभाग से संबंधित अनुसूचित दर पुस्त पर सदस्यों से विस्तार से विचार विमर्श किया गया । उपस्थित सदस्यों से विचारोपरान्त इस संबंध में सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-

(a) बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 103 के आलोक में जल संसाधन विभाग बिहार पटना के द्वारा केन्द्र सरकार में इनसे संबंधित मंत्रालय में लागू प्रावधानों को लागू किया जाना है । इस संदर्भ में सदस्य सह अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग द्वारा बतलाया गया कि केन्द्र सरकार में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्माण कार्य का संपादन नहीं किया जाता है और न ही इस प्रकार का कोई उपक्रम केन्द्र के पास है जो जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित कार्य का सम्पादन करता हो ।

चर्चा में क्रम में अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग के Government of India, Ministry of Irrigation के द्वारा प्रकशित "Report of Committee on cost control of river valley projects Vol II (Jan 1981)" की प्रति प्रस्तुत की गई । इस Report के पृष्ठ सं०-8 एवं 9 पर Contractor's Over head & Profits के संबंध में कंडिका 6.18 में चर्चा की गई है । इसके आधार पर Over Heads & Contractor's Profit के रूप में Analysis of rate esa Prime Cost का 20% का प्रावधान करने की अनुशंसा की गई है। सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जल संसाधन विभाग के River Valley, Irrigation and Flood Control से संबंधित कार्य मदों में केन्द्र के मंत्रालय की अनुशंसा के आलोक में Analysis of rate esa Over head & Profit के रूप में Prime Cost का 20% प्रावधान किया जाय ।

निर्णयानुसार Contractor's Over head & Profit (20% of Prime Cost) के अंतर्गत Contractor Profit के अतिरिक्त उक्त Report के अनुसार निम्नलिखित Elements को सम्मलित माना जायेगा ।

(i) Enabling work such as ramps work sheds, water supply electrification arrangements, plant foundation and erection etc.

(ii) Emoluments of managerial and clerical staff.

(iii) General establishment watch & ward, sanitary & mess etc.

(iv) Local conveyance

(v) Travelling expenses

(vi) Medical & sanitation

(vii) Office expenses and

(ix) Share of head office expenses.

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि rate analysis में शामिल cost of material, cost of labour & cost of plant & machinery को Prime Cost माना जायेगा ।

(b) सदस्य सह अभियंता प्रमुख (मध्य) द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि जल संसाधन विभाग से संबंधित कार्यमदों के लिये केन्द्र सरकार के मंत्रालय के पास कोई Format उपलब्ध नहीं है । अतः जल संसाधन के River Valley, irrigation & Flood Control से सबंधित कार्य मद के दर विश्लेषण में Prime Cost के लिये तकनीकी परीक्षक कोषांग के Chapter 8, 9 एवं 10 के Format को अपनाया जाय । Sundries एवं L.S. को 20% of prime cost में ही सम्मलित समझा जाय । विचारोपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को समिति द्वारा पारित किया गया ।

(c) Prime Cost में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अधिसूचित निर्माण सामग्री दर एवं Plant एवं Mechinery के Usege Rate को अपनाने का निर्णय लिया गया । श्रम दर के रूप में श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रकाशित दर को अपनाने का निर्णय लिया गया । इस क्रम में निर्णय लिया गया कि किसी निर्माण सामग्री का दर एवं Plant & Mechinery का Usage Rate राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत नहीं रहने के स्थिति में सदस्य सह अभियंता प्रमुख (मध्य) जल संसाधन विभाग उसका दर साक्ष्य के साथ राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु अलग से उपस्थापित करेंगे ।

(d) Carriage of materials के लिये MORT&H Based पथ निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित) के लिये लागू अद्यतन अनुसूचित दर के Chapter I को अपनाने का निर्णय लिया गया।

(e) यदि जल संसाधन विभाग द्वारा पथ, भवन, लोक स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित कार्य कराया जाता है तो उस कार्य से संबंधित विभाग का अद्यतन अनुसूचित दर व्यवहार में लाया जायेगा।

(f) सदस्य सह अभियंता प्रमुख (मध्य) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि

(i) मिट्टी कार्य से संबंधित कार्यमदों को उनके विभाग द्वारा अक्टूबर 2005 में गठित समिति द्वारा इसके विस्तृत सैद्धांतिक प्रायोगिक अध्ययन एवं विश्लेषण के पश्चात प्रतिवेदित विस्तृत दर विश्लेषण को विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा समीक्षापरान्त उपयोगी एवं यथोचित पाया गया । अतः इसे प्रस्तावित अनुसूचित दर पुस्त में शामिल किया है ।

(ii) मिट्टी कार्य संपीडन एवं मिट्टी बाँध पर घास लगाई के कार्य से संबंधित दर विश्लेषण के Prime Cost में त०प०को० द्वारा पूर्व के दर विश्लेषण में आंशिक संशोधन कर उसे अधिक उपयोगी एवं Technically Sound बनाया गया है।

(iii) Bamboo Roll, Tree branches Spur एवं Sheet Pile को उखाड़ने आदि के कार्य हेतु दर विश्लेषण हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा उपयोग में लाये जा रहे Format को अपनाया गया है।

उक्त कंडिका में वर्णित (i), (ii) एवं (iii) के संदर्भ में सदस्यों द्वारा विस्तार से विचार विमर्श किया गया । इस संदर्भ में अभियंता प्रमुख (मध्य) सह सदस्य जल संसाधन विभाग द्वारा सदस्यों को सूचित किया गया कि जल संसाधन विभाग के पत्रांक-गंडक पुनर्स्थापन सेल (5)-4/206-31 पटना दिनांक 13/02/2007 द्वारा गठित विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा उक्त कार्यमदों से संबंधित दर विश्लेषण पर विस्तार से विचार-विमर्श एवं इसे तकनीकी पहलुओं पर पूर्ण विचारोपरान्त ही राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में सर्वसम्मति से सदस्यों के विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए-

"राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा उक्त कंडिका के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यमदों के दर विश्लेषण को औपबंधिक रूप से स्वीकृति प्रदान करती है। चूँकि ये कार्यमद Non Schedule Item है अतः ये कार्यमद दर विश्लेषण "Under Observation" की श्रेणी में रखे जायेंगे । सदस्य सह अभियंता प्रमुख (मध्य) जल संसाधन विभाग द्वारा इन कार्यमदों को एक "विशेष चिन्ह" देते हुए इसका उल्लेख अनुसूचित दर पुस्त के प्रस्तावना में किया जायेगा और इन कार्यमदों

के Performance से संबंधित Report अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इसके तकनीकी पक्ष एवं कार्यमद के Prime Cost के भिन्न-भिन्न Components के विषय में कार्यस्थल पर उनके Observations अंकित किये जायेंगे । विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति समीक्षोपरान्त सदस्य सह अभियंता प्रमुख के माध्यम से इसे राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के समक्ष रखेगी ।

(g) उक्त निर्णय के आलोक में जल संसाधन विभाग द्वारा एक अनुसूचित दर Format पुस्त प्रकाशित की जायेगी । इसकी एक-एक प्रति सभी सदस्यों एवं पाँच प्रति राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(h) सदस्य सह अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग उक्त निर्णय के आधार पर अनुसूचित पर पुस्त मुद्रित कराकर इसकी एक-एक प्रति समिति के सदस्य एवं पाँच प्रति राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

ह०/-
(ई० ब्रजभूषण प्रसाद सिंह)
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-मुख्य अभियंता (असै०)
बिहार राज्य बिजली बोर्ड
बिहार, पटना।

ह०/-
(ई० उमाशंकर सिंह)
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ह०/-
(ई० अवधेश प्रसाद सिंह)
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-परियोजना संयोजक
नल कूप प्रभाग, लघु जल संसाधन
विभाग, बिहार, पटना।

ह०/-
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-मुख्य अभियंता प्रमुख
तकनीकी परीक्षक कोषांग,
निगरानी विभाग, बिहार, पटना।

ह०/-
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख
ऊर्जा विभाग,
बिहार, पटना।

ह०/-
(ई० मदन कुमार)
सदस्य
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख
लोक स्वास्थ्य अभिंयत्रण विभाग
बिहार, पटना।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(ई० किशोर रंजन सिन्हा)	(ई० रामध्यान राम)	(ई० शिवदर्शन राम)
सदस्य	सदस्य	संयोजक
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण	राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण	राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख	समिति-सह-अभियंता प्रमुख	समिति-सह-अभियंता प्रमुख
भ०नि०वि०	ग्रामीण कार्य विभाग,	पथ निर्माण विभाग
निगरानी विभाग, बिहार, पटना ।	बिहार, पटना ।	बिहार, पटना ।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक- प्र०-6/नियम-03-04-/02 (फोल्डर)- 4144 /पटना, दिनांक- 10.07.12

पे्रषक,

बबन राम,

अभियंता प्रमुख

सेवा मेें,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग

सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निमार्ण विभाग

सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग

(रा०उ०प० उपभाग सहित) ।

विषयः- पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 1399 (एस) दि०- 31.01.2008 तथा अधिसूचना ज्ञापांक- 13590 (एस) दि०- 13.12.2011 द्वारा अधिसूचित सरकार के निर्णय के अनुपालन व संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कहना है कि पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 1399 (एस) दिनांक- 31.01.2008 द्वारा राज्य के अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने हेतु सरकार के निर्णय को संसूचित किया गया है । जबकि पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक- 13590 (एस) दि०- 13.12.2011 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली- 2007 में संशोधन के साथ स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी (श्रेणी-04) का उपबंध

किया गया है । उक्त दोनों नियमावलियाँ भिन्न-भिन्न है और दोनों एक दूसरे से न तो अच्छादित है और ना ही एक दूसरे से प्रभावित या कुप्रभावित होती है । इसके बावजूद विभिन्न स्तरों से स्पष्टीकरण हेतु परिवाद/आवेदन प्राप्त हो रहे हैं ।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि संकल्प ज्ञापांक- 1399 (एस) दिनांक- 31.01.2008 द्वारा ससूचित अनुदेश केवल अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं के निबंधन एवं उनको निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान करने हेतु प्रक्रिया विहित है। नियमावली में यह स्पष्ट है कि पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंताओं द्वारा अंचलाधीन गैर-योजना शीर्ष में उपबंधित राशि का 15 प्रतिशत कार्य अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं के लिए कर्णांकित किया जाना है और उनके अंचल के लिए निबंधित/ सूचिबद्ध अनियोजित अभियंताओं को सीमित निविदा के आधार पर कार्य का आवंटन किया जाना है । उसी प्रकार अन्य कार्य विभागों द्वारा योजना/गैर योजना श्ीार्ष में उपबंधित राशि के आलोक में उक्त प्रक्रिया अपनाई जानी है । नियमावली में यह भी विहित है कि 20.00 लाख रुपये तक की सीमा का कार्य इन अनियोजित अभियंताओं को आवंटित किया जाना है और जब अनियोजित अभियंता 3.50 करोड़ तक के नियमित कार्य कर सकेंगे ।

स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी के अन्तर्गत जिला स्तरीय कार्य हेतु निबंधित संवेदकों को 25.00 लाख रुपये तक की निविदा आवंटित किया जाना है । इस अनुदेश के आलोक में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी के निबंधित संवेदकों को जब 25.00 लाख रुपये तक का कार्य आवंटित किया जाना है तब अनियोजित अभियंताओं को 20.00 लाख रुपये का कार्य आवंटित किस प्रकार होगा? अतः इसे पुनः स्पष्ट किया जाता है कि दोनों नियमावलियाँ भिन्न हैं । अनियोजित अभियंताओं को अंचल स्तर पर 15 प्रतिशत कार्य सुरक्षित कर उसके बीच से कार्य का आवंटन सीमित निविदा के आधार पर इन्हें किया जाना है जबकि स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी के संवेदकों को सामान्य निविदा के माध्यम से कार्य का आवंटन होना है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त नियमावलियाँ राज्य सरकार के निर्णय से अच्छादित है और राज्य के सभी कार्य विभागों के लिए तद्नुसार प्रभावी है । फलस्वरूप इसका अनुपालन पथ निर्माण विभाग एवं राज्य के अन्य सभी कार्य विभाग/निकायों द्वारा समान रूप से किया जाना है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(बबन राम)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक- प्रा०-6/नियम-03-04-/02 (फोल्डर)-4144/पटना, दिनांक- 10.7.12

प्रतिलिपि- सभी अभियंता प्रमुख सभी कार्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(बबन राम)

अभियंता प्रमुख

पत्रांक- 598, पटना, दिनांक- 14.08.2012

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग निदेशक, वाल्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(देवी रजक)

अभियंता प्रमुख (मध्य)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग।

पत्रांक-प्र०6/दि०वि०-नियम-03-08/06(अंश) 2106 (S) पटना/दिनांक - 21.01.07

प्रेषक,

आर०के०सिंह,
आयुक्त एवं सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभिंयता, पथ निर्माण विभाग ।
सभी अधीक्षण अभिंयता, पथ निर्माण विभाग ।
सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, (रा०उ०प० सहित)

विषयः- Standard Bidding Document के आधार पर प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के संबंध में।

महाशय,

पाँच करोड़ से ऊपर की राशि के लिए प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के लिए Standard Bidding Document (S.B.D.) लागू है । (S.B.D.) के Instructions to Bidders Chapter के कंडिका 4.5 A में Qualifying Criteria उल्लेखित है । विभाग के पत्र संख्या-1/वि-12/2003- 13437 (एस), पटना दिनांक 30.11.2006 द्वारा कंडिका 4.5 A के उपकंडिका (b) में वर्णित समरूप कार्य संबंधित मापदण्ड को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है ।

इस संदर्भ में कंडिका 4.5 A के उप कंडिका (c) में Bidders द्वारा सम्पादित एक वर्ष में किये गये कार्यो के न्यूनतम मात्रा संबंधित विवरणी का उल्लेख है । साथ ही कंडिका 4.5 A के उप कंडिका (c) में विभाग से संवेदक द्वारा किसी एक वर्ष में विभिन्न मदों में की गई न्यूनतम

कार्य मात्रा निर्धारित करनी है । यह मार्ग दर्शन है कि निर्धारित न्यूनतम मात्रा सामान्यतः संभावित उच्चतम निर्माण गति का 80 प्रतिशत रखी जानी चाहिए, परन्तु न्यूनतम मात्रा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

2. इस राज्य में स्वीकृत कार्य के अनुपात में संवेदक की संख्या बहुत कम है तथा इस राज्य में Construction Capacity बढ़ाने की आवश्यकता है । इसके लिए राज्य के छोटे संवेदक को हो रहे कार्यो में भागीदारी बढ़ाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ।

अतः इस विषय पर सम्यक विचारोपरांत S.B.D. की कंडिका 4.5 A (c) के अंतर्गत में किसी एक वर्ष में मदवार सम्पादित किये गये न्यूनतम कार्य मात्रा संभावित उच्चतम कार्य गति के 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है । जहाँ संवेदकों की अत्याधिक कमी हो वहाँ संबंधित कार्यपालक अभियंता इसे कम भी कर सकते हैं ।

भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के Bid Document में तदनुसार प्रावधान किया जाय एवं उसका उल्लेख Appendix to ITB में अंकित किया जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(आर०के० सिंह)
आयुक्त एवं सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव का कार्यालय

<u>पथ निर्माण विभाग</u>

पत्रांक-प्र०6/द०वि०-नियम-03-08/06 अंश- 3518 (E) दिनांक- 28.11.06

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग ।
मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग ।
सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल ।

विषयः- राज्य के बाहर निर्गत बैंक गारंटी के संबंध में ।

निदेशानुसार कहना है कि बहुत सारे Bidder द्वारा बिहार राज्य के बाहर के बैंक में निर्गत बैंक गारंटी Bank Guaranty Performance Security के रूप में जमा किया जा रहा है । इस संबंध में स्टैण्डर्ड बिडींग डाक्यूमेंट में कंडिका 3.1.2 में प्रावधान है कि इम्पलायर को जिस रूप में Performance Security acceptable है इसे माना जा सकता है ।

उक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में निदेश दिया जाता है कि अगर कोई बिहार राज्य के बाहर के बैंक में निर्गत Bank Guarantee करते है तो उसे स्वीकार किया जाय । बैंक गारंटी का सत्यापन निर्गत बैंक से निश्चित रूप से करा लिया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

अभियंता प्रमुख के सचिव

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

आ०सं० मो० 4 कार्य० पी०-404/03 / पटना, दिनांक

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षित बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 292, 293 एवं 294 के प्रावधान में दी गयी व्यवस्था के अनुसार एकरारनामा से संबंधित परिमाण विपत्र के किसी मद की मात्रा में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा क्रमशः 25 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत तक की ही वृद्धि की जा सकती है । मुख्य अभियंता की शक्ति से अधिक वृद्धि होने पर प्रशासी विभाग का अनुमोदन आवश्यक है ।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत संचालित कार्यो में स्थल की आवश्यकता के अनुसार किसी मद में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की जाँच हेतु एक समिति गठित की जाती है जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

1.	संबंधित अभियंता प्रमुख	अध्यक्ष
2.	मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग	सदस्य
3.	संबंधित प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता	सदस्य
4.	संबंधित अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता जो गुण नियंत्रण के प्रभारी हैं	सदस्य

उपर्युक्त समिति इस तरह के मामले मे जाँचकर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा जिसके आधार पर निर्णय आयुक्त एवं सचिव के स्तर पर लिया जायेगा । परन्तु यह प्रत्यायोजिरा शक्तियाँ कुल योजना के प्रशासनिक स्वीकृति सीमा के 10% अधिक के अन्दर ही होगी । इसके आगे वत्र्तमान प्रक्रिया के अनुसार सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त की जायेगी ।

ह०/-

(श्याम नन्दन प्रसाद)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

आ०सं०- 1034 /पटना, दिनांक - 21.04.06

प्रतिलिपि माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/अभियन्ता प्रमुख (मध्य)/(उत्तर), सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग एवं सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(श्याम नन्दन प्रसाद)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

बिहार सरकार

पथ निमार्ण विभाग

संकल्प

विषयः- कार्य विभागों के लिए स्टैण्डर्ड बीडिंग डाक्यूमेंट (यथा संलग्न अनुलग्नक-I) को अनुमोदित करते हुए वर्तमान में प्रयुक्त एफ-2 एकरारनामा प्रपत्र के बदले रुपये 5 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं हेतु इसे लागू करने के संबंध में ।

1. बिहार सरकार के अधीन कार्य विभागों द्वारा किसी भी लागत की परियोजनाओं के लिए कोई Conditions of Contract का Document नहीं है । मात्र एक एकरारनामा प्रपत्र (एफ-2) व्यवहार में लाने का प्रावधान है । इसी एफ-2 एकरारनामा प्रपत्र में निविदादाताओं/संवेदकों के लिए संक्षिप्त तौर पर General rules and direction for the guidance of the contractors तथा conditions of contract की विवरणी है । समय-समय पर तकनीकी परीक्षण कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के निर्देश पर कई प्रावधान संशोधित / सम्मिलित किए गए हैं । आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों द्वारा इसे supplement करने हेतु special conditions of contract निरूपित करते हुए इसे एफ-2 एकरारनामा के साथ व्यवहार में लाये जा रहे हैं ।

2. तकनीकी आधुनीकीकरण, अत्याधुनिक एवं अत्यधिक क्षमता वाले यंत्र-संयत्रों की उपलब्धता, आर्थिक उदारीकरण एवं सार्वभौमीकरण के कारण बड़ी लागत वाली परियोजनाओं के लिए एक मानक Bidding Document की आवश्यकता है जिसमें Conditions of Contract विस्तार पूर्वक दिया गया हो ताकि अत्याधुनिक तकनीक आधारित यंत्र-संयंत्रों से निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए त्वरित गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो । वर्णित परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि एक Standard Bidding Document निरूपित करते हुए इसे बड़ी लागत राशि वाली परियोजनाओं हेतु व्यवहार में लाया जाए । इस संबंध में विभागीय संकल्प सं0- 2676 (एस) अनु० दिनांक 15.05.2005, जिसके माध्यम से बिहार लोक निर्माण संहिता के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन / विलोपितकरण / सन्निहितकरण किया गया है, में निर्देश था कि संशोधित एकरारनामा प्रारूप तैयार किया जाय तथा वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त कर इसे लागू किया जाय ।

3. उपर्युक्त के आलोक में Standard Bidding Document तैयार किया गया है तथा इस पर वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त की गई है । उपरोक्त Standard Bidding Document परिशिष्ट-1 पर संलग्न है । वर्तमान में प्रयुक्त एफ-2 एकरारनामा प्रपत्र के बदले रुपये 5 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

4. 5 करोड़ लागत से कम की परियोजनाओं के लिए संशोधित बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार टू बीड सिस्टम के आधार पर (यथा पहले टेकनीकल बीड, तत्पश्चात् qualify होने पर फाइनेन्सियल बीड के मूल्यांकन के आधार पर) एफ-2 एकरारनामा प्रपत्र पर ही नियमानुसार अनुमोदित यथाआवश्यक अन्य शर्तें / प्रावधानों के अधीन विभाग द्वारा पूर्ववत् एकरारनामा कराते हुए परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा ।

5. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

अनु०ः- यथोक्त ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः- 1/बी०-12/2003 9545 (S) दिनांक - 12.08.06

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

अनु०- यथोक्त

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः- 1/बी०-12/2003 9545 (S) दिनांक - 12.08.06

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / वित्त आयुक्त, बिहार सरकार, को सूचनार्थ समर्पित।

अनु०- यथोक्त

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः- 1/बी०-12/2003 9545 (s) दिनांक - 12.08.06

प्रतिलिपिः- सरकार के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, 1. वित्त विभाग, 2. माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग, 3. उच्च विभाग, 4. कृषि / कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग, 5. पथ निर्माण विभाग, 6. गृह (आरक्षी) / गृह (कारा) / गृह (नागरिक सुरक्षा)/गृह (विशेष) / गृह (होमगार्ड)/ गृह (अग्निरक्षा सेवा)/गृह (सैनिक कल्याण निदेशालय) विभाग, 7. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, 8. उद्योग विभाग, 9. ईख विभाग, 10. स्वास्थ्य विभाग, 11. जल संसाधन विभाग, 12. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, 13. भवन निर्माण विभाग, 14. आवास विभाग, 15. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, 16. सहकारिता विभाग, 17. लोक स्वाथ्य एवं अभियंत्रण विभाग, 18. ग्रामीण विकास विभाग, 19. ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायती राज, 20. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, 21. मंत्रिमडल (निगरानी) विभाग, 22. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, 23. राजभाषा विभाग, 24. निबंधन विभाग, 25. नागरिक विमानन विभाग, 26. उर्जा विभाग, 27. उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग, 28. खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, 29. वित्त (राष्ट्रीय बचत) विभाग, 30. वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग, 31. वन एवं पर्यावरण विभाग विभाग, 32. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, 33. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, 34. आपदा प्रबंधन विभाग, 35. विधि विभाग, 36. खान एवं भूतत्व विभाग, 37. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 38. संसदीय कार्य विभाग, 39. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, 40. योजना एवं विकास विभाग, 41. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, 42. परिवहन विभाग, 43. नगर विकास विभाग, 44. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 45. पर्यटन विभाग, 46. लघु सिंचाई विभाग, 47. कल्याण विभाग, 48. कला संस्कृति एवं युवा विभाग, 49. राजस्व पार्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

अनु०- यथोक्त

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः- 1/बी०-12/2003 9545 (S) दिनांक - 12.08.06

प्रतिलिपिः- सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

अनु०- यथोक्त

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः- 1/बी०-12/2003 9545 (S) दिनांक - 12.08.06

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव / सभी मुख्य अभियंता / अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के सचिव (प्रावैधिक) / सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / सभी

उप सचिव / उप सचिव-सह-निगरानी पदाधिकारी एवं पथ निर्माण विभाग के मुख्यालय स्थित सभी अन्य पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

अनु०- यथोक्त

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः- 1/बी०-12/2003 9545 (S) दिनांक - 12.08.06

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 100 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ।

अनु०- यथोक्त

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna 800015
मुख्य सचिवालय, पटना- 800015
Tel : 0612&2223804
Fax: 0612&2222085

जी० एस० कंग

पत्रांक-पी०एम०एसी०-2 (5)09/05 ...../दिनांक- 13 जुलाई, 2006

सेवा में,

सचिव,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- अल्पकालीन/आपातकालीन कार्यो के लिए निविदा सूचना के प्रकाशन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सम्प्रति सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा निविदा प्राप्ति की निर्धारित तिथि से 21 दिन पूर्व निविदा सूचना प्राप्त होने पर ही इसका प्रकाशन कराया जाता है । इस प्रावधान के चलते जल संसाधन विभाग में कतिपय कटाव निरोधक कार्य/नहरों के सम्पोषण संबंधी आपातकालीन प्रकृति के कार्यो को अविलम्ब कार्यान्वित कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इस बिन्दु पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अल्पकालीन/ आपातकालीन कार्यो के लिए निविदा सूचना निविदा कागजात की बिक्री के प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व भी प्राप्त होने पर इसका प्रकाशन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा कराया जाय । निविदा प्रकाशन के विज्ञापन में इस प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(जी०एस० कंग)

ज्ञापांक - 1482 / पटना, दिनांक 13 जुलाई, 2006

प्रतिलिपि- सचिव, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख (उत्तर / मध्य) सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । संबंधित मुख्य अभियंताओं को निर्देश है कि अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को इस पत्र की प्रतिलिपि वांछित कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा देंगे ।

ह०/-
(जी०एस० कंग)

पत्रांक- P.M.C. 2-(1)-मोति-54/2002-पार्ट-III गंडक सेल- 86

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री देवी रजक,

अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता,

जल संसाधन विभाग, बिहार

पटना, दिनांक - 4/05/2006

विषयः- एक करोड़ से उपर के कार्यो में Joint Venture (संयुक्त उपक्रम) के क्रम में अतिरिक्त शर्तें।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यो की निविदा में संयुक्त उपक्रमों (Joint Venture) को शामिल होने की अनुमति है, परन्तु इससे संबंधित स्पष्ट निदेश का अभाव महसूस किया जा रहा था । फलतः संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) के क्रम में निम्न अतिरिक्त शर्तें लागू किए जाने का निर्णय लिया गयाः-

(1) Joint Ventures must comply with the following requirements:

(a) The following data of each member of the joint venture will be added together to meet the collective qualifying criteria:

1. Average annual turnover; and
2. Construction experience

(b) Each partner must satisfy the following criteria individually:

1. Sales Tax Clearance Certificate;
2. Non-Blacklisting Criteria; and
3. Registration Criteria

(c) The lead partner shall meet the following qualifying criteria in proportion to their partnership in JV but not less then 26%.

1. Average annual turnover; and
2. Construction experience

(d) Other partners shall meet the following qualifying criteria in proportion to their partnership in J.V.

1. Average annual turnover and

2. Construction experience

(2) Others :

(i) One of the partners (will be lead partner), who is responsible for performing a key function in this contract, shall be nominated as being in charge during the pre-qualification / bidding periods and during contract execution.

(ii) All the partners of joint venture shall be, jointly and severally liable, during the bidding process and execution of the contract.

(iii) The payment s under the contract will only be made to the JV and not to the individual partners.

इन अतिरिक्त शर्तों को विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना में शामिल किया जाय । इसकी प्रति अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता / कार्यपालक अभियन्ता को उपलब्ध कराने की जबावदेही मुख्य अभियन्ता की होगी ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(देवी रजक)

अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

ज्ञाप संख्या - 86 / पटना, दिनांक 4.5.2006

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 1/ 2/ 4/ 5/ बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल / अधीक्षण अभियन्ता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(देवी रजक)

अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

पत्र संख्या-एम.4.35/2002 (खण्ड)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

आलोक वर्धान चतुर्वेदी,
अपर वित्त आयुक्त (व्यय) ।

सेवा में,

सदस्य, राजस्व पर्षद/उपाध्यक्ष, योजना पर्षद ।
अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/विकास आयुक्त, बिहार, पटना ।
सभी विभागों के आयुक्त-सह-सचिव/सचिव ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।
उप विकास आयुक्त ।

विषयः- सरकारी क्रय में क्रयादेश देने से पहले वाणिज्य-कर विभाग में निबंधन की बाध्यता ।

महाशय,

पूर्व में बिहार वित्त नियमावली में यह प्रावधान था कि प्रत्येक निविदा में यह प्रावधान रहेगा कि बिहार में स्थित औद्योगिक ईकाई और राज्य के बाहर उत्पादनरत ईकाई के कॉरपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय, एजेंट, प्राधिकृत डीलर, जो बिहार राज्यांतर्गत वाणिज्य कर विभग के अन्तर्गत निबंधित हैं, ही निविदा में भाग ले सकेंगे।

इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य यही था कि ऐसे सरकारी क्रय में वाणिज्य-कर (अब मूल्य वर्द्धित कर) की वंचना नहीं हो और वाणिज्य-कर राज्य को प्राप्त हों ।

विभिन्न विभागों द्वारा इस संबंध में कठिनाई व्यक्त की गई है कि इस प्रावधान के कारण राज्य के बाहर के प्रख्यात मानक आपूर्तिकर्ता निविदा में भाग नहीं ले पाते हैं क्योंकि किसी एक निविदा में मात्र भाग लेने के लिये ही राज्य के वाणिज्य-कर विभाग में निबंधित कराना उनके लिये औचित्यपूर्ण नहीं लगता है ।

इस दृष्टिकोण से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 05 में उक्त प्रावधानों को हटा दिया गया है।

लेकिन राजस्व के दृष्टिकोण से इस विषय पर समेकित विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि निविदा में भाग लेने के लिये राज्य के वाणिज्य-कर विभाग में निबंधित होना आवश्यक नहीं है लेकिन निविदा में सफल होने पर क्रयादेश तभी दिया जायेगा जब सफल आपूर्तिकर्ता राज्य के वाणिज्य-कर विभाग में निबंधित हो ।

ह०/-
(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञाप संख्या-11/विविध-1-17008/2005- 68 / पटना, दिनांक - 2.3.2006

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वित्त विभाग के इस आदेश की प्रति अपने सभी अधीनस्थों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

ह०/-
(देवी रजक)

अभियंता प्रमुख (उ०)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-1 / पी.एम.सी. / विविध / 629 / 2003 - 33 (GC)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री देवी रजक,
अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक - 10.2.2006

विषयः- बिहार इनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स रूल्स, 1992 की कंडिका 15 (पन्द्रह) एवं 16 (सोलह) का अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

ऐसा पाया जा रहा है कि बिहार इनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स रूल्स, 1992 की कंडिका 15 (पंद्रह) एवं 16 (सोलह) का अनुपालन समुचित रूप में नहीं हो पा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न अनुदेशों का पालन आवश्यक है ।

(1) सम्वेदकों के आईडेन्टीटी कार्ड को वर्ष 2003-04 से प्रारम्भ कर अद्यतन कर दिया जाय, जिसके लिए अखबार में सूचना प्रकाशित कर सम्वेदकों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है ।

(2) सम्वेदकों का कम से कम वर्ष 2003-04 से प्रारम्भ कर अद्यतन आईडेन्टीटी कार्ड की प्रति निविदा के साथ जमा करायी जाए, इसके अभाव में सामान्यतः सम्वेदकों को कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा । तत्संबंधी शर्त विस्तृत निविदा सूचना / निविदा कागजात में शामिल किया जाय।

(3) एकरारनामा करने वाले पदाधिकारी, एकरारनामा हस्ताक्षरित करने के साथ तत्संबंधी अभियुक्ति सम्वेदक के आईडेन्टीटी कार्ड में अंकित करना सुनिश्चित करेगें, जिसमें कार्य पूरा किए जाने की तिथि अवश्य अंकित की जाय ।

(4) समान न्यूनतम दर की दशा में लौटरी द्वारा निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में Bihar enlistment of Contractors Rules 1992 की कंडिका 16 (सोलह) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

मुख्य अभियन्ता अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को इससे अवगत करा देंगे ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(देवी रजक)
अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

ज्ञाप संख्या - 33 (GC) / पटना, दिनांक 10.2.2006

पतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 1 / 2 / 4 / एवं बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल / उड़नदस्ता अंचल, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(देवी रजक)
अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

पत्रांक-1 / पी.एम.सी. / विविध / 629 / 2003 - 34 (GC)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री देवी रजक,

अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता,

जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक - 10.2.2006

विषयः- प्री-क्वालीफिकेशन के लिए माप-दण्ड के क्रम में स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 1 / पी.एम.सी. / विविध / 629 / 2003-1979 दिनांक 08.12.05 एवं 90 दिनांक 16.01.06

महाशय,

अधीक्षण अभियन्ता, सोन उच्चस्तरीय नहर अंचल, औरंगाबाद के पत्रांक- 132 दिनांक 20.01.06 के द्वारा उठाये गये कुछ बिन्दुओं पर स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जा रही है ।

(1) लेबर लाईसेंसः- इसे प्री-क्वालीफिकेशन माप-दण्ड का आवश्यक अंग नहीं बनाया जा सकता है । एकरारनामा के पूर्व अद्यतन लेवर लाईसेंस जमा करने का शर्त विस्तृत निविदा सूचना अथवा निविदा कागजात में शामिल किया जाय।

(2) आचरण प्रमाण पत्रः- इसे प्री-क्वालीफिकेशन माप-दण्ड का आवश्यक अंग नहीं बनाया जा सकता है । सिर्फ वैसे सम्वेदक जिनका नवीकरण दिनांक 15.01.04 के पूर्व में हो चुका है, से विभागीय पत्रांक- 11/मुक०-4-14006/03- 140 दिनांक 15.01.04 के अनुपालन में आचरण से संबंधित शपथपत्र जमा कराये जाने का शर्त विस्तृत निविदा सूचना अथवा निविदा कागजात में शामिल किया जाय ।

(3) निबंधनः- Bihar Enlistment of Contractors Rules,1992 की कंडिका 2(iii) के आधार पर सम्वेदक जिस श्रेणी में निबंधित है, उससे एक श्रेणी नीचे तक की निविदा में भाग ले सकते हैं । समुचित श्रेणी में यह स्वतः शामिल है ।

(4) Bihar Enlistment of Contractors Rules, 1992 की कंडिका 16 (सोलह) को प्री-क्वालीफिकेशन माप-दण्ड का आवश्यक अंग नहीं बनाया जा सकता है । परन्तु कार्य आवंटित करते समय कार्य आवंटन पदाधिकारी इसका यथासम्भव अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

मुख्य अभियन्ता अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को इससे अवगत करा देंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(देवी रजक)

अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

ज्ञाप संख्या- 34 (GC) / पटना, दिनांक 10.2.2006

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, सोन उच्चस्तरीय नहर अंचल, औरंगाबाद को उनके पत्रांक 132 दिनांक 20.01.06 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(देवी रजक)

अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

ज्ञाप संख्या- 34 (GC) / पटना, दिनांक 10.2.2006

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 1/ 2 / 4 / एवं बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल / उड़नदस्ता अंचल, सिंचाई भवन, पटना को प्रासंगिक पत्रों की छाया प्रति के साथ् सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुः- यथावत

ह०/-

(देवी रजक)

अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
पत्रांक- 136 /एम०, पटना, दिनांक - 18.01.06

प्रेषक,

अजित कुमार,
खान आयुक्त-सह-सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव,
बिहार

विषयः- कार्य ठीकेदारों द्वारा आपूरित / व्यवहृत खनिजों को विरूद्ध विपत्र के साथ प्रपत्र एम० और प्रपत्र एन० समर्पित करने की अनिवार्यता के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान खनन एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना सं०एस०ओ० 1063 दिनांक 16.10.89 द्वारा संशोधित बिहार गौण खनिज समनुदान नियमावली, 40 (10) की ओर आकृष्ट करते हुये कहना है कि कार्य ठीकेदारों द्वारा आपूरित / व्यवहृत खनिजों यथा बोल्डर स्टोन, पेटल, स्टोन चिप्स / बालू / मोरम इत्यादि के विरूद्ध ठीकेदारों से प्रपत्र एम० एवं प्रपत्र एन० प्राप्त करना अनिवार्य है । इसके अभाव में संबंधित विपत्र का भुगतान नहीं किया जाना है । परन्तु विभाग को ऐसी सूचना मिली है कि विभिन्न कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा इस नियम का अनुपाल नहीं किया जा रहा है। फलतः न केवल संवेदकों द्वारा चोरी के बोल्डर, स्टोन चिप्स एवं अन्य लघु खनन पदार्थो के उपयोग को बढ़ावा मिलता है बल्कि सरकारी राजस्व की भी क्षति होती है। कार्य में उपयोग किये जा रहे स्टोन चिप्स, बोल्डर एवं अन्य लघु खनन पदार्थो के विरूद्ध भुगतान बिना प्रपत्र एम० और प्रपत्र एन० प्राप्त किये नहीं जायेंगे । इसे कार्य विभागों से संबंधित मुख्य अभियंता सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियंता संवेदक के चेकों पर यह प्रमाण पत्र अंकित करेंगे कि आपूरित /व्यवहृत खनिजों के विरूद्ध प्रपत्र एम० और प्रपत्र एन० प्राप्त कर लिया गया है । इस प्रमाण पत्र के अभाव में कोषागार पदाधिकारी द्वारा चेक पारित नहीं किया जायेगा ।

अनुरोध है कि पत्र की प्रति अपने स्तर से मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता यथा कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेंगे ताकि आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन हो।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अजित कुमार)
खान आयुक्त सह सचिव

ज्ञापांक- 136 /एम., पटना, दिनांक- 18.01.06

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि आपूरित / व्यवहृत खनिजों के विरूद्ध प्रपत्र एम० और प्रपत्र एन० प्राप्ति से संबंधित उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र के बिना कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत वैसे चेकों को पारित नहीं किया जाय।

ह०/-

खान आयुक्त सह सचिव

ज्ञापांक- 314 / पटना, दिनांक - 15.02.06

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के अधीन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि इस पत्र की प्रतिलिपि अपने स्तर से अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध कराते हुए आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

ह०/-

(ई० देवी रजक)

अभियंता प्रमुख (उत्तर)

पत्रांक-1/पी० एम० सी०/विविध/629/2003 - 90

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री देवी रजक,

अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग, बिहार

दिनांक 16.01.2006

विषयः- एक करोड़ से कम लागत वाले कार्यो के लिए प्रीक्वालीफिकेशन के लिए माप-दण्ड ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक-1/पी० एम० सी०/विविध/629/2003- 1979 दिनांक 8.12.05

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के क्रम में कहना है कि एक करोड़ से कम लागतवाले कार्यो की निविदा हेतु प्रीक्वालीफिकेशन का माप-दण्ड निम्न प्रकार होगा:-

(1) निविदादाता के द्वारा अद्यतन बिक्री कर सफाया प्रमाण पत्र समर्पित किया गया हो ।

(2) विभाग में समुचित श्रेणी मे निबंधति हों, तत्संबंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित किया गया हो।

(3) निविदा सूचना में अंकित अग्रधन की राशि समुचित रूप में समर्पित किया गया हो ।

उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित दस्तावेज प्रथम लिफाफा (प्रीक्वालीफिकेशन बीड/ टेकनीकल बीड) में जमा करना होगा । सिर्फ प्रथम लिफाफा अर्थात् उपरोक्त माप-दण्डों के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं का दूसरा लिफाफा (फाईनानसियल बीड/प्राईस बीड) खोला जायेगा । अयोग्य निविदादाताओं का दूसरा लिफाफा (फाईनानसियल बीड/प्राईस बीड) जस का तस संबंधित निविदादाताओं को वापस कर दिया जायेगा ।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(देवी रजक)
अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

पत्रांक-1 पी०एम०सी०/विविध/629/03 - 1979

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० देवी रजक,
अभियन्ता, प्रमुख (उत्तर)
जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, दरभंगा ।

पटना, दिनांक- 8.12.05

विषयः- निविदा आमंत्रण में द्विलिफाफा पद्धति का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या 2676 दिनांक 15-5-2005 के द्वारा पुनरीक्षित बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 158 "ए" के अनुसार आमंत्रित की जानेवाली निविदाओं में द्विलिफाफा पद्धति का पालन करना है । आपके परिक्षेत्राधीन आमंत्रित निविदाओं में इस नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । आपके परिक्षेत्राधीन आमंत्रित निविदा सूचनाओं में ऐसा देखा जा रहा है कि 1.00 (एक) करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यो के लिए द्विलिफिाफा पद्धति का पालन किया जा रहा है एवं 1.00 करोड़ रुपये से कम लागत वाले कार्यो में इस पद्धति का पालन नहीं किया जा रहा है जो पुनरीक्षित बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 158 "ए" के सर्वथा विपरीत है ।

अतः निदेश दिया जाता है कि पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या 2676 दिनांक 15.5.05 के द्वारा प्रख्यापित बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 158 "ए" का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(देवी रजक)
अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

पत्रांक - 1979 / पटना, दिनांक - 8.12.05

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह०/-
(देवी रजक)
अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
पत्रांक 1/पी.एम.सी. /विविध/629/2003-796 पटना, दिनांक - 24.05.2005

प्रेषक,

ई० श्याम नन्दन प्रसाद,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

विषयः- जल संसाधन विभाग में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि की निविदा में सदृश कार्यो की परिभाषा के संबंध में।

महाशय,

मानक निविदा सूचना में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि के कार्य में प्री-क्वालीफिकेशन वीड में सफल घोषित होने के लिए कार्य की प्राक्कलित राशि का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत का सदृश कार्य कराने या प्रगति में रहने का शर्त रखा गया है । ऐसा देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सदृश कार्य का अलग-अलग व्याख्या कर निर्णय लिया जाता है, जिसके चलते विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के निर्णय में एक रूपता नहीं रह जाती है एवं इसके चलते वैधिक समस्यायें भी उत्पन्न हो सकती है । सदृश कार्य के वर्गीकरण को विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/629/2003-122 दिनांक 2.2.05 एवं 534 दिनांक 9.4.05 द्वारा स्पष्ट करते हुए दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है, **परन्तु अभी भी कुछ बिन्दुओं पर भ्रम पैदा हो रहा है । अतः सदृश कार्य के वर्गीकरण के संबंध में विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/629/2003-122 दिनांक 2.2.05 एवं 534 दिनांक 9.4.05 को विलोपित किया जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से** स्पष्ट किया जाता है ।

सदृश कार्य के अनुभव में कोई भी संरचना निर्माण-कार्य के अनुभव को स्वीकार किया जाय। सभी असैनिक संरचनाओं के निर्माण कार्य को सदृश माना जाय एवं मात्र निम्नांकित भेद किया जायः-

भेद-1 नदी के बीच बराज, वीयर, डैम, स्पीलवे, वृहत् साईफन, बड़ा गाईड बांध एवं लम्बे पुल आदि कार्यो के लिए सदृश की संज्ञा वही होगी जो इस तरह के नदियों के नियंत्रण कार्यो से संबंधित रहा हो । इसमें अलग-अलग वर्गीकरण नहीं किया जायेगा । इसमें भेद-2 के कार्य अनुभव को मान्यता नहीं दी जाएगी।

भेद-2 पथ, नहर, तटबंधों तथा जल निकासी योजनाओं एवं इसके पुनस्र्थापन कार्य के अन्तर्गत मिट्टी कार्य, संरचना कार्य, तटबंध के उपरी सतह पर पक्कीकरण के कार्य को

एक तरह का सदृश कार्य माना जाय । इसमें भेद-1 के कार्य अनुभव को मान्यता दी जाएगी ।

पक्की सड़क कार्य हेतु आवश्यक कार्य अनुभव के अतिरिक्त यह विशेष शर्त होगा कि "पक्की सड़क का कार्य उन्हीं को दिया जायगा, जिसके पास हाट मिक्स प्लान्ट उपलब्ध हो ।"

विश्वासभाजन

ह०/-

(श्याम नन्दन प्रसाद)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-1/पी० एम० सी०/विविध/629/2003 - पटना, दिनांक 2005

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री देवी रजक,

अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग,

बिहार, पटना ।

विषयः- जल संसाधन विभाग में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि की निविदा में सदृश कार्यो की परिभाषा के संबंध में।

महाशय,

मानक निविदा सूचना में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि के कार्यो में प्री-क्वालीफिकेशन वीड में सफल घोषित होने के लिए कार्य की प्राक्कलित राशि का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत का सदृश कार्य कराने या प्रगति में रहने का शर्त रखा गया है । ऐसा देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सदृश कार्य का अलग अलग व्याख्या कर निर्णय लिया जाता है जिसके चलते विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियांे के निर्णय में एक रूपता नहीं रह जाती है एवं इसके चलते वैधिक समस्यायें भी उत्पन्न हो सकती है । अतः सदृश कार्य के वर्गीकरण के संबंध में विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी. / विविध/629/2003-122 पटना दिनांक 2.2.05 द्वारा निर्गत निदेशों की और स्पष्ट करने हेतु विषयांकित पत्र में निम्नांकित तीसरी कंडिका जोड़ते हुए संशोधित किया जाता है ।

सदृश कार्य के अनुभव में कोई भी संरचना निर्माण-कार्य का अनुभव स्वीकार किया जाय । सभी असैनिक संरचनाओं के निर्माण कार्य को सदृश माना जाये एवं मात्र निम्नांकित भेद किया जायः-

1. पक्की सड़क का कार्य उन्हीं को दिया जाय जिसके पास हौट-मिक्स प्लान्ट उपलब्ध हो ।
2. नदी के बीच बराज, वीयर, डैम, स्पीलवे, वृहत साईफन, बड़ा गाईड बांध एवं लम्बे पुल आदि कार्यो के लिए सदृश की संज्ञा वही होगी जो इस तरह के नदियों के नियंत्रण कार्यो से संबंधित रहा हो । इसमें अलग-अलग वर्गीकरण नहीं किया जाय ।
3. नहर, तटबंधों तथा जल निकासी योजनाओं एवं इसके पुनस्र्थापन कार्य के अन्तर्गत मिट्टी कार्य, संरचना कार्य, तटबंध के उपरी सतह पर पक्कीकरण का कार्य जो उपरोक्त कंडिका (2) से अलग है, को एक तरक का सदृश कार्य माना जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-
(देवी रजक)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक - 534 / पटना, दिनांक - 9.4.2005

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल - 1, 2, 3, 4, 5 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को सूचनार्थ ।

ह०/-
(देवी रजक)
अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक-1/पी.एम.सी. / विविध/629/2003- /पटना, दिनांक -

प्रेषक,

ई० देवी रजक,
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- जल संसाधन विभाग में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि की निविदा में सदृश कार्यों की परिभाषा के सम्बंध में।

महाशय,

मानक निविदा सूचना में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि के कार्यों में प्री-क्वालीफिकेशन वीड में सफल घोषित होने के लिए कार्य की प्राक्कलित राशि का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत का सदृश कार्य कराने या प्रगति में रहने का शर्त रखा गया है । ऐसा देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सदृश कार्य का अलग-अलग व्याख्या कर निर्णय लिया जाता है जो उचित नहीं है । अतः सदृश कार्य के अनुभव के संबंध में निदेशानुसार निम्नलिखित निर्णय संसूचित किये जाते हैंः-

1. सड़क का कार्य उन्हीं को दिया जाय, जिसके पास हौट-मिक्स प्लान्ट उपलब्ध हो । सदृश कार्य के अनुभव में कोई भी संरचना निर्माण कार्य के अनुभव स्वीकार किया जाय ।

सभी असैनिक संरचनाओं के निर्माण कार्य को सदृश माना जाय एवं मात्र निम्नांकित भेद किया जायः-

2. नदी के बीच बराज, वीयर, डैम, स्पीलवे, बृहत् साईफन, बड़ा गाईड बांध एवं लम्बे पुल आदि, कार्यों के लिए सदृश की संज्ञा वही होगी जो इस तरह के नदियांे के नियंत्रण कार्यों से संबंधी रहा हो । इसमें अलग-अलग वर्गीकरण नहीं किया जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-

(देवी रजक)
अभियंता प्रमुख

पत्रांक- 122 / पटना, दिनांक - 2.2.05

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 1, 4, 5, गंडक सेल एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(देवी रजक)
अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन(सिं०) विभाग ।</u>

पत्रांक- 13/प्ब् पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2005

<u>कर्यालय आदेश</u>

निदेशक, क्रय एवं परिवहन की सभी संचिकाएँ विभागाध्यक्ष की हैसियत में अभियंता प्रमुख, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की हैसियत में संयुक्त सचिव के माध्यम से ही अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किये जायेंगे। कोई भी संचिका अधोहस्ताक्षरी को सीधे उपस्थापित नहीं किये जायेंगे ।

निविदा समिति द्वारा दिये गये आपूत्रि आदेशों के विचलन में या इसके अतिरिक्त कोई भी आपूत्रि आदेश बिना उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार अधोहस्ताक्षरी के आदेश प्राप्त किये बिना निर्गत नहीं किये जायेंगे एवं अगर किये जाते हैं तो इसके लिए संबंधित पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे । उपरोक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इधर देखा गया है कि विभाग द्वारा निविदा आमंत्रण के संबंध में निर्गत परिपत्रों के विपरित एवं गत वर्ष अनुमोदित निविदा आमंत्रण सूचना के प्रारूपों के विपरित मनमाने ढंग से उनमें फेर-बदल कर दिया गया है। उदाहरणस्वरूप राज्य वाणिज्यकर विभाग में निबंधन के संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि बाहर के अन्य राज्यों में निबंधित निविदा दाता भी निविदाओं में भाग ले सकेंगे । परन्तु एल०ओ०आई० के निर्गत होने के बाद एवं आपूत्रि आदेश के पूर्व वे बिहार वाणिज्यकर विभाग में निबंधन प्राप्त कर सकें इसका उद्देश्य यह था कि अधिकांश निविदा दाता निविदाओं में भाग लें एवं प्रतिस्पर्धा बनी रहे एवं न्यूनतम दर प्राप्त हो सके । इस संबंध में विभाग के द्वारा एक परिपत्र भी निर्गत है । परन्तु इसके विपरित इस वर्ष निर्गत निविदा सूचना में इसे हटा दिया गया । निविदा सूचना निर्गत होने के बाद यह तथ्य सामने आया ।

मेरे द्वारा कार्यहित में अनुमोदित विशिष्टियों में मेरे बिना पूर्व अनुमति के निविदा आमंत्रित करने का प्रयास किया गया एवं अंतिम क्षणों में मेरे द्वारा इस पर रोक लगाया गया ।

भविष्य में सभी विभागीय कार्यों के लिए एक मानक निविदा सूचना तैयार कर तीन दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा एवं इसके बाद ही निविदा आमंत्रण को कार्रवाई की जायेगी।

अह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

ह०/-

(वी० जयशंकर)

आयुक्त एवं सचिव

पत्रांक- 1/पी.एम.सी. / विविध / 629 /2003 - 01

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता,

जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक - 01.01.2005

विषयः- जल संसाधन विभाग में राज्य के बाहर के ख्यातिप्राप्त संवेदक / कम्पनी को विभागीय निविदाओं में भाग लेने हेतु विशेष दिशा-निर्देश में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 2436 दिनांक 13.9.03, पत्रांक 931 दिनांक 7.5.04, पत्रांक 1840 दिनांक 31.8.04 एवं पत्रांक 2187 दिनांक 08.10.04 ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि विभागीय पत्रांक 1840 दिनांक 31.8.04 के द्वारा 1 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यो के लिए संसूचित मानक निविदा आमंत्रण सूचना के प्रारूप में कंडिका-19 (प्रथम प्रक्रम) को निम्नवत पढ़ा जायः-

प्रथम प्रक्रम- इस प्रक्रम पर निविदादाताओं (व्यक्तिगत संवेदकों, फर्मो, पार्टनरशिप फर्मों, संयुक्त उपक्रमों) का औसत वार्षिक टर्न ओभर विगत तीन वर्षो में ..... रुपये से कम नहीं हो एवं उनके द्वारा कम से कम प्राक्कलित राशि के 50 प्रतिशत राशि का सदृश कार्य पूरा करने अथवा प्रगति में रहने पर योग्य माना जायेगा । (विगत तीन

वर्षो का यह अभिप्रेत होगा कि निविदा सूचना प्रकाशन के वित्तीय वर्ष अथवा उसके पिछले वित्तीय वर्ष को भी छोड़कर उसके पूर्व के तीन लगातार वित्तीय वर्ष । उदाहरणार्थ अगर निविदा सूचना प्रकाशन वर्ष 2004-05 में होता है तो उपरोक्तानुसार वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 (यदि उपलब्ध हो तो) अथवा 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03)

तदनुसार कंडिका-18 (पप) को भी संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(वी जयशंकर)

आयुक्त एवं सचिव

मानक निविदा आमंत्रण सूचना के प्रारूप में कंडिका-19 का प्रथम प्रक्रमः-

	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
प्रथम प्रक्रम	इस प्रक्रम पर निविदादाताओं (व्यक्तिगत संवेदकों, फर्मो, पार्टनरशिप फर्मो, संयुक्त उपक्रमों) का औसत वार्षिक टर्न ओभर विगत तीन वर्षो में ..... रुपये से कम नहीं हो एवं उनके द्वारा कम से कम प्राक्कलित राशि के 50 प्रतिशत राशि का सदृश कार्य पूरा करने अथवा प्रगति में रहने पर योग्य माना जायेगा । (विगत तीन वर्षो का यह अभिप्रेत होगा की निविदा सूचना प्रकाशन के वित्तीय वर्ष एवं उसके पिछले वित्तीय वर्ष को छोड़कर, उसके पूर्व के तीन लगातार वित्तीय वर्ष । कारण यह है कि बीते वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा को अध्यतन कर विधिवत अंकेक्षण कराने के लिये विभिन्न अधिनियमों में समय निर्धारित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही किया जाता है । उदाहारणार्थ अगर	इस प्रक्रम पर निविदादाताओं (व्यक्तिगत संवेदकों, फर्मो, पार्टनरशिप फर्मो, संयुक्त उपक्रमों) का औसत वार्षिक टर्न ओभर विगत तीन वर्षो में ..... रुपये से कम नहीं हो एवं उनके द्वारा कम से कम प्राक्कलित राशि के 50 प्रतिशत राशि का सदृश कार्य पूरा करने अथवा प्रगति में रहने पर योग्य माना जायेगा । (विगत तीन वर्षो का यह अभिप्रेत होगा की निविदा सूचना प्रकाशन के वित्तीय वर्ष को भी छोड़कर उसके पूर्व के तीन लगातार वित्तीय वर्ष । उदाहरणार्थ अगर निविदा सूचना प्रकाशन वर्ष 2004-05 में होता है तो उपरोक्तानुसार **वर्ष 2001-02,**

	निविदा सूचना प्रकाशन वर्ष 2004-05 में होता है तो उपरोक्तानुसार वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 में)	**2002-03 एवं 2003-04 (यदि उपलब्ध हो तो)** अथवा 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03)

तदनुसार कंडिका-18(ii) को भी संशोधित समझा जाए

पत्रांक- 1/पी.एम.सी. / विविध / 629 /2003 - 2312

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्याम नन्दन प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग ।

पटना, दिनांक - 30.10.2004

विषयः- एक करोड़ से अधिक राशि की निविदा निष्पादन के संबंध में ।

महाशय,

जल संसाधन विभाग के अधीन एक करोड़ से अधिक की निविदा द्वि लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की जाती है, जिसका तकनीकी बीड संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा खोलकर इस पर निर्णय भी उनके द्वारा ली जाती है । इसमें सफल निविदाकारों के प्राईस बीड मुख्य अभियंताओं द्वारा खोलकर विभाग को प्रस्तुत की जाती है जिस पर निर्णय विभागीय निविदा समिति लेती है। निदेशानुसार सूचित करना है कि इस प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी बीड पर निर्णय भी विभागीय निविदा समिति करेगी ।

अतः अनुरोध है कि एक करोड़ से अधिक की निविदा का नियमानुसार तकनीकी बीड खोलकर उस पर निर्णय हेतु विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

उक्त निर्णय की सूचना अपने स्तर से अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को दे देंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(श्याम नन्दन प्रसाद)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक- 1/पी.एम.सी. / विविध / 629 /2003 - 2187 / पटना, दिनांक - 8.10.04

प्रेषक,

श्याम नन्दन प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग,

बिहार ।

विषयः- जल संसाधन विभाग में राज्य के बाहर के ख्याति प्राप्त संवेदक/कम्पनी को विभागीय निविदाओं में भाग लेने हेतु विशेष दिशा-निर्देश में आंशिक संशोधन के सम्बंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 2436 दिनांक 13.9.03, पत्रांक 931 दिनांक 7.5.04 एवं पत्रांक 1840 दिनांक 31.8.04

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि विभागीय पत्रांक 1840 दिनांक 31.8.04 के द्वारा 1.00 करोड़ से अधिक के कार्यो के लिए संसूचित मानक निविदा आमंत्रण की सूचना प्रारूप में निविदादाता की न्यूनतम योग्यता का स्पष्ट उल्लेख करने की आवश्यकता महसूस की गयी । तदनुकूल कंडिका 17 के बाद नयी कंडिका के रूप में निम्नलिखित कंडिका 18 जोड़ी जाती है ।

"कंडिका-18, प्री-क्वालीफिकेशन हेतु न्यूनतम योग्यताः-

सिर्फ वही निविदादाता (व्यक्तिगत संवेदकों, फर्मो, पार्टनरशीप फर्मो, संयुक्त उपक्रमों), जो निम्न योग्यता रखते हों, निविदा देने के लायक होंगे:-

(I) जिनके द्वारा कम से कम प्राक्कलित राशि के 30 प्रतिशत राशि का सदृश कार्य पूरा किया गया हो अथवा प्रगति में हो ।

(II) जिनका विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओभर प्रथम प्रक्रम के लिए निर्धारित टर्न ओभर के 75 प्रतिशत से कम न हो । वर्ष 2004-05 में प्रकाशित होने वाले निविदा के लिए विगत तीन वर्र्षों का अभिप्रेत वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 होगा ।

यदि निविदादाता इन क्षमताओं को पूरा नहीं करता है तो उनकी निविदा अमान्य मानी जाएगी।

पूर्व की कंडिका 18 से 21 तक के प्रावधान पूर्ववत रहेंगे, सिर्फ उनकी कंडिका संख्या परिवर्तित होकर 19 से 22 तक हो जायगी ।

उपर्युक्त के अनुसार संशोधित मानक निविदा का प्रारूप हिन्दी और अंग्रेजी में आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जाती है ।

प्रासांगिक पत्रांे को इस हद तक संशोधित समझा जाए ।

अनुरोध है कि सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से अविलम्ब प्राप्त करा देंगे।

अनु०- यथापरोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(श्याम नन्दन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक- 1 पी०एम०सी०/विविध/629/2003

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

सिंचाई भवन, पटना

प्रेषक,

वी० जयशंकर
आयुक्त एवं सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
बिहार

दिनांक -.....

विषयः- जल संसाधन विभाग में राज्य के बाहर के ख्याति प्राप्त संवेदक / कम्पनी को विभागीय निविदाओं में भाग लेने हेतु विशेष दिशा निर्देश में आंशिक संशोधन के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 2436 दिनांक 13.09.03 एवं 931 दिनांक 7.5.2004

महाशय,

प्रासांगिक पत्र द्वारा निर्गत दिशा निर्देश को व्यवहार में आने के बाद निम्न संशोधनों को आवश्यक समझा गया:-

1. विभागीय पत्रांक 2436 दिनांक 13.9.03 के कंडिका 2 में एक करोड़ से उपर के कार्यो की निविदा में निविदाकार को जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ शासित राज्य के किसी भी कार्य विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधित होना चाहिए ।
2. प्री क्वालीफिकेशन बीड के आधार पर योग्य निविदाकारों का चयन निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में वर्गीकृत कर किया जायेगाः-

   प्रथम प्रक्रमः- इस प्रक्रम पर निविदादाताओं (व्यक्तिगत संवेदको, फार्मो, पार्टनरशिप फर्मो, संयुक्त उपक्रमों) का औसत वार्षिक टर्न ओभर विगत तीन वर्षो में ..... रुपये से कम नहीं हो एवं उनके द्वारा कम से कम प्राक्कलित राशि के 50% राशि का सदृश कार्य पूरा करने अथवा प्रगति में रहने पर योग्य माना जायेगा। (विगत तीन वर्षो का यह अभिप्रेत होगा कि निविदा सूचना प्रकाशन के वित्तीय वर्ष एवं उसके पिछले वित्तीय वर्ष को छोड़कर उसके पूर्व के तीन लगातार वित्तीय वर्ष। कारण यह है कि बीते वित्तीय वर्ष के लेखा-जोखा को अद्यतन कर विधिवत अंकेक्षण कराने के लिए विभिन्न अधिनियमों में समय निर्धारित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही किया जाता है । उदाहरणार्थ अगर निविदा सूचना प्रकाशन

वित्तीय वर्ष 2004-05 में होता है तो उपरोक्तानुसार वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 में)

द्वितीय प्रक्रमः- यदि प्रथम प्रक्रम के आधार पर कोई निविदादाता योग्य नहीं हो पाता है तो द्वितीय प्रक्रम के निविदादाताओं को जिनका टर्न ओभर प्रथम प्रक्रम के निर्धारित टर्न ओभर का 87.5 प्रतिशत एवं प्राक्कलित राशि के 40 प्रतिशत राशि का सदृश कार्य पूरा करने अथवा प्रगति में रहने पर योग्य माना जायेगा।

तृतीय प्रक्रमः- यदि प्रथम प्रक्रम एवं द्वितीय प्रक्रम के आधार पर कोई निविदादाता योग्य नहीं हो पाता है अथवा मात्र एक निविदादाता योग्य हो पाता है तो तृतीय प्रक्रम के निविदादाताओं को जिनका टर्न ओभर प्रथम प्रक्रम के निर्धारित टर्न ओभर का 75 प्रतिशत एवं प्राक्कलित राशि के 30 प्रतिशत राशि के सदृश कार्य पूरा करने अथवा प्रगति में रहने पर योग्य माना जायेगा ।

3. निविदाकार को सदृश कार्य के पूरा करने या प्रगति में होने का सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

4. (I) एक करोड़ से कम राशि के सड़क निर्माण कार्यों की निविदा में जल संसाधन विभाग (बिहार) के साथ साथ लोक निर्माण विभाग (बिहार) के समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक भी निविदा में भाग ले सकते हैं ।

(II) सभी श्रेणी के सड़क निर्माण कार्य की निविदा में पहले बड़ हाट मिक्स प्लान्ट रखने वाले निविदाकार को, उसके बाद मिनी हाट मिक्स प्लान्ट वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जायेगी । उपरोक्त की अनुपलब्धता की स्थिति में साधारण मशीन रखने वाले निविदाकार की निविदा पर भी विचार किया जा सकता है ।

5. निविदा निष्पादन के दौरान निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जायेगा, जिसके विरूद्ध विभाग में कालीकरण की कार्रवाई चल रही हो अथवा कार्य कलाप संदेहास्पद हो ।

प्रासांगिक पत्रों को इस हद तक संशोधित समझा जाय । इस आधार पर मानक निविदा सूचना का प्रारूप आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

अनु०:- यथावत् ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(वी० जयशंकर)

आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक- 1840 /पटना, दिनांक 31.8.04

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 1, 2, 4, 5, एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अधीक्षण अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2,
पटना ।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार
निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-

1.	विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता, ...
2.	निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथि	.....
3.	प्रि-बीड कन्फरेन्स की तिथि, समय एवं स्थान	..... मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ...
4.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	.....
5.	निविदा खुलने की तिथि एवं समय	.....
6.	निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय	1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ... 2. अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटिरिंग अंचल, सिंचाई भवन, पटना। ..... 3. अधीक्षण अभियंता, ... 4. कार्यपालक अभियंता, ...

		.....
7.	निविदा प्राप्ति का स्थान	क्रमांक 6 के सभी कार्यालय

8. कार्य की विवरणी:-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रुपये में)	अग्रधन की राशि (लाख रुपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य रु	कार्य पूरा करने की अवधि
1.	.....	.....	.....	.....	.....

9. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है।

10. निविदा सूचना में उल्लेखित अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/डाकघर सावधि जमा पास बुक/किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी निविदा दस्तावेज के साथ जो कार्यपालक अभियंता ..... के नाम पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित होगा, संलग्न करना होगा । बिहार राज्य के बाहर के किसी बैंक की बैंक गारन्टी देने की स्थिति में निविदाकार को विस्तृत निविदा सूचना (जिसे संबंधित कार्यालय में देखा जा सकता है) एवं निविदा दस्तावेज के अनुसार एकरारनामा करने के पूर्व बिहार राज्य में स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के शाखा की बैंक गारन्टी देना होगा ।

11. एक करोड़ से उपर के कार्यो की निविदा में निविदाकार को जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ शासित राज्य के किसी भी कार्य विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधित होना चाहिए ।

12. निविदा दस्तावेज, निविदा सूचना में अंकित मूल्य रुपये 10,000 (दस हजार) नकद/बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी स्थिति में लौटायी नहीं जायेगी, भुगतान करने पर ही निर्गत किया जायेगा ।

13. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

14. कार्य का एकरारनामा पी.डब्लू.डी. फार्म एफ-2 पर की जाएगी ।

15. किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं की बिना कारण बताये हुए रद्द करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।

16. निविदाकार से अनुरोध है कि निविदा डालने के पूर्व कार्यस्थल से अवगत हो लें ।

17. निविदाकार को निविदा दो मुहरबंद लिफाफों नं.-1 एवं नं.-2 जिसमें क्रमशः प्री क्वालीफिकेशन बीड एवं प्राइस बीड रहेगा, को समर्पित करना होगा । निविदा खुलने की तिथि को क्रमांक 6 में उल्लेखित संबंधित कार्यालयों में मात्र प्री क्वालीफिकेशन बीड वाले

लिफाफे को ही खोला जायेगा। प्री-क्वालीफाई करने वाले निविदाकारों के दूसरे लिफाफा जिसमें प्राइस बीड रहेगा को बाद में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ... के द्वारा दी जाने वाली सूचना के अनुसार खोली जायेगी ।

18. प्री क्वालीफिकेशन बीड के आधार पर योग्य निविदाकारों का चयन निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में वर्गीकृत कर किया जायेगाः-

प्रथम प्रक्रमः- इस प्रक्रम पर निविदादाताओं (व्यक्तिगत संवेदको, फर्मो, पार्टनरशिप फर्मो, संयुक्त उपक्रमों) का औसत वार्षिक टर्न ओभर विगत तीन वर्षो में ..... रुपये से कम नही हो एवं उनके द्वारा कम से कम प्राक्कलित राशि के 50% राशि का सदृश कार्य पूरा करने अथवा प्रगति में रहने पर योग्य माना जायेगा । (विगत तीन वर्षो का यह अभिप्रेत होगा कि निविदा सूचना प्रकाशन के वित्तीय वर्ष एवं उसके पिछले वित्तीय वर्ष को छोड़कर उसके पूर्व के तीन लगातार वित्तीय वर्ष। कारण यह है कि बीते वित्तीय वर्ष के लेखा-जोखा को अद्यतन कर विधिवत अंकेक्षण कराने के लिए विभिन्न अधिनियमों में समय निर्धारित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही किया जाता है । उदाहरणार्थ अगर निविदा सूचना प्रकाशन वित्तीय वर्ष 2004-05 में होता है तो उपरोक्तानुसार वर्ष 2000-01, 2001-02, एवं 2002-03 में)

द्वितीय प्रक्रमः- यदि प्रथम प्रक्रम के आधार पर कोई निविदादाता योग्य नहीं हो पाता है तो द्वितीय प्रक्रम के निविदादाताओं को जिनका टर्न ओभर प्रथम प्रक्रम के निर्धारित टर्न ओभर का 87.5 प्रतिशत एवं प्राक्कलित राशि के 40 प्रतिशत राशि का सदृश कार्य पूरा करने अथवा प्रगति में रहने पर योग्य माना जायेगा ।

तृतीय प्रक्रमः- यदि प्रथम प्रक्रम एवं द्वितीय प्रक्रम के आधार पर कोई निविदादाता योग्य नहीं हो पाता है अथवा मात्र एक निविदादाता योग्य हो पाता है तो तृतीय प्रक्रम के निविदादाताओं को जिनका टर्न ओभर प्रथम प्रक्रम के निर्धारित टर्न ओभर का 75 प्रतिशत एवं प्राक्कलित राशि के 30 प्रतिशत राशि के सदृश कार्य पूरा करने अथवा प्रगति में रहने पर योग्य माना जायेगा ।

(ii) कार्यों के कार्यान्वयन एवं प्रतिवेदित टर्नओभर की सम्पुष्टि के लिये निविदाकार को अपना वार्षिक लेखा जो निबंधित चार्टर एकाउन्टेन्ट से आडिट कराया गया हो, की प्रति प्री क्वालीफाइंग बीड के साथ जमा करना होगा ।

(iii) निविदाकार को अद्यतन सेल टैक्स स्वच्छता प्रमाण पत्र सम्बंधित अधिकारी से प्राप्त कर देना होगा। कार्य आवंटन की स्थिति में निविदाकार को बिहार राज्य के वाणिज्यकर कार्यालय में निबंधित रहना आवश्यक है।

(iv) निविदाकार को सदृश कार्य को पूरा करने या प्रगति में होने का सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

19. (i) एक करोड़ से कम राशि के सड़क निर्माण कार्यों की निविदा में जल संसाधन विभाग (बिहार) के साथ साथ लोक निर्माण विभाग (बिहार) के समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक भी निविदा में भाग ले सकते हैं।

(ii) सभी श्रेणी के सड़क निर्माण कार्य की निविदा में पहले बड़े हाट मिक्स प्लान्ट रखने वाले निविदाकार को, उसके बाद मिनी हाट मिक्स प्लान्ट वाले निविदाकार को

प्राथमिकता दी जायेगी । उपरोक्त की अनुपलब्धता की स्थिति में साधारण मशीन रखने वाले निविदाकार की निविदा पर भी विचार किया जा सकता है ।

20. निविदा निष्पादन के दौरान निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जायेगा, जिसके विरूद्ध विभाग में कालीकरण की कार्रवाई चल रही हो अथवा कार्य कलाप संदेहास्पद हो ।

21. पूर्ण जानकारी के लिए निविदाकार द्वारा अधोहस्ताक्षरी या अधीक्षण अभियंता ..... दूरभाष संख्या ....., मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ... दूरभाष संख्या ..... किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है । अतिरिक्त विवरण एवं शर्तें विस्तृत निविदा सूचना में देखा जा सकता है ।

कार्यपालक अभियंता,
.....
.....

पत्रांक-मो०-4-कार्य-डी०-1497/2001-

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्याम नन्दन प्रसाद
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग ।

पटना, दिनांक-.....

विषयः- एकरारनामा की शर्तों के अनुरूप विभागीय हित में कार्रवाई करने तथा निर्माण कार्यो के लिये अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में ।

महशय,

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि एकरारनामा के अवधि विस्तार हेतु सभी छोटे-बड़े मामलें को विभाग में स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है जिससे संवेदकों को लम्बे समय तक काटी गयी राशि का भुगतान नहीं हो पाता है तथा कार्य की प्रगति पर भी प्रभाव पड़ता है । कई बार तो तीन-चार वर्ष बाद मामले विभागीय स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं ।

अतः इस संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सम्यक विचारोपरान्त जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत विभागीय पत्रांक-96/1सी. दिनांक- 28.5.2001 की कंडिका-3 (ड.) को निरस्त किया जाता है तथा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

1. निर्माण कार्यो के एकरारनामें में निर्माण कार्यो के रद्द करने, समय के अनुपात में कार्य न करने पर लगाये जाने वाले दण्ड, सुरक्षित जमा जप्त करने इत्यादि से संबंधित कंडिकाओं को विभाग के हित में लागू करने हेतु ससमय आवश्यक कार्रवाई का अनुपालन अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि कार्यो की प्रगति एवं समाप्ति समयानुसार हो सके ।

2. यदि अपरिहार्य कारणवश कार्यो की समाप्ति समय पर न हो पाये तो पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त तथा उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर ही मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा परिचारित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या-948 दिनांक 16.07.1986 की कंडिका- 8.1.7.(छ) के आलोक में मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख द्वारा समय वृद्धि दी जाय अथवा पूर्व में दी गयी समय वृद्धि का अवधि विस्तार किया जाय ।

परन्तु विभागीय स्तर पर आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा निष्पादित निविदाओं के लिए समय वृद्धि एवं उसका अवधि विस्तार विभागीय सहमति से पूर्ववत दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(श्याम नन्दन प्रसाद)

संयुक्त सचिव

पत्रांक- /पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय राज्यमंत्री, जल संसाधन के आप्त सचिव/आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(श्याम नन्दन प्रसाद)

संयुक्त सचिव

पत्रांक- 1749 /पटना, दिनांक - 9.8.04

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग,पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/4/5 एवं अधीक्षण अभियंता (बाढ़ मोनिटरिंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(श्याम नन्दन प्रसाद)

संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक-1/पी.एम.सी./विविध/629/2003-931

प्रेषक,

वी. जयशंकर

आयुक्त एवं सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

पटना, दिनांक- 7.5.04

विषयः- जल संसाधन विभाग में राज्य के बाहर के ख्याति प्राप्त संवेदक/कम्पनी को विभागीय निविदाओं में भाग लेने हेतु विशेष दिशा निर्देश में आंशिक संशोधन ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 2436 दिनांक 13.9.03

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत दिशा निर्देश को व्यवहार में आने के बाद निम्न संशोधनों को आवश्यक समझा गया ।

1. प्रासंगिक पत्र की कंडिका 6 में दस करोड़ रुपये से उपर के कार्यो के लिए टर्न ओभर, कार्य के मूल्य का कम से कम 15 प्रतिशत रखा जाय, लेकिन इसे न्यूनतम 2.00 करोड़ रुपये से कम न रखा जाय ।

2. प्रासंगिक पत्र की कंडिका 9 को पुर्नस्थापन/आधुनिकीकरण कार्य के साथ-साथ सभी प्रकार के कार्यो पर लागू किया जाय अर्थात सभी कार्यो में मिट्टी कार्य एवं संरचना कार्य को सम्मिलित करते हुए एक साथ निविदा आमंत्रित किया जाए ।

3. प्रासंगिक पत्र में सदृश कार्यो के अनुभवः- प्रासंगिक पत्र में संवेदक के कार्य अनुभव के बारे में कोई दिशा निर्देश शामिल नहीं था, जिसे आवश्यक समझा गया । निविदादाता की निविदा से सम्बंधित कार्य के प्राक्कलित राशि के पचास प्रतिशत अथवा इससे अधिक मूल्य के सदृश कार्य को पूर्ण करने अथवा प्रगति में होने का अनुभव आवश्यक होगा, जिससे संबंधित प्रमाण पत्र संवेदक निविदा के साथ जमा करेगा ।

प्रासंगिक पत्र को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(वी. जयशंकर)
आयुक्त एवं सचिव

पत्रांक- /पटना दिनांक - 7.5.04

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 1, 4, 5, एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(इन्दु भूषण प्रसाद)
अधीक्षण अभियंता

पत्रांक-बाढ़ (मो०) सिं० निविदा-02/2003 (अंश)-493

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० एस. पी. चैधरी,
अभियंता प्रमुख (उत्तर)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/
डी.पी.टी./मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग/
अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग-1, 2, 4, 5 एवं बाढ़,
जल संसाधन विभाग ।

पटना, दिनांक- 14.02.2004

विषयः- दो लिफाफे वाले निविदाओं के निष्पादन के प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक बाढ़ (मो०) सिं०निविदा-02/2003(अंश)-273 दिनांक- 24.01.04

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के साथ एक आदेश फलक प्रपत्र संलग्न किया गया था जिसमें यह निदेशित था कि एक करोड़ से ऊपर दो लिफाफे वाले निविदाओं जिसका निर्णय मुख्यालय में लेना है, उनके तुलनात्मक विवरणी के साथ एक आदेश फलक को मूल में सलग्न किया जाय ।

निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न आदेश फलक के स्थान पर इस पत्र के साथ संलग्न आदेश फलक को मूल में तुलनात्मक विवरणी के साथ संलग्न किया जाय । इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय । निर्धारित प्रक्रिया का विचलन के लिए सक्षम पदाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

अनु०- यथोक्त

विश्वासभाजन
ह०/-
(एस. पी. चैधरी)
अभियंता प्रमुख (उत्तर)

<u>निविदा संबंधी प्रमाण-पत्र (रु० 100.00 लाख से अधिक)</u>

कार्य का नाम एवं ग्रूप संख्याः-

दिनांक (1) ..... प्रमंडल ..... के अन्तर्गत एजेण्डा सं०- ..... के ग्रुप सं० ..... के तहत ..... स्थल ..... कार्य की राशि ..... है । विभागीय निदेशानुसार दो लिफाफे की पद्धति से दिनांक ..... को निविदा आमंत्रित की गई । प्रथम लिफाफा प्री क्वालीफीकेशन बीड के लिए कुल ..... अदद प्राप्त हुआ जिसे संबंधित कार्यपालक अभियंता के स्तर से दिनांक ..... को विवरणी तैयार कर मुख्य अभियंता कार्यालय को दिनांक ..... को प्राप्त हुए । मैं ..... मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ... ने अपने स्तर से इसकी पूर्ण जांच किया जिसके अनुसार स्थिति निम्न प्रकार हैः-

<u>निविदा की शर्ते</u>

अग्रधन की वांछित राशि (राशि लाख रु० में)	वांछित वार्षिक टर्न औभर (राशि लाख रु० में)	चार्टेड एकाउन्टेन्ट का अंकेक्षित विवरणी
1	2	3

<u>निविदा अनुसार वास्तविक स्थिति</u>

संवेद का नाम	जमा अग्रधन की राशि (लाख रु० में)	टर्न औभर (राशि लाख रु० में)	चार्टेड एकाउन्टेंट का अंकेक्षित विवरणी	संलग्न है/संलग्न नहीं
1	2	3	4	5
1. मेसर्स.....		वर्ष..... वर्ष..... वर्ष..... औसत		

(क) अमान्य तकनीकी बीड की विवरणीक्रमांक संवेदक का नाम

1.
2.
3.
-

(ख) मान्य तकनीकी बीड की विवरणी क्रमांक संवेदक का नाम

1.
2.
3.
-

अतएव उपरोक्त ..... मान्य तकनीकी निविदाओं के फाइनेंसियल बीड खोलने हेतु संबंधित सवेदकों को दिनांक.....को (पूर्वाह्न/अपराह्न)..... बजे मुख्य अभियंता..... के कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहने हेतु निबंधित डाक से आमंत्रित किया जाय ।

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, ...

दिनांक (2) निर्णय लेकर उपर्युक्त विवरण के मान्य तकनीकी बीड से संबंधित संवेदकों का ..... अदद फाईन्सियल बीड के लिफाफों को मैं ..... मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग ..... में दिनांक ..... को खोला जिसमें निम्नलिखित संवेदक उपस्थित हुए ।

क्रमांक संवेदक क नाम निविदित दर उपस्थित संवेदक का हस्ताक्षर एवं तिथि

अतएव ..... मान्य संवेदकों को दिनांक- ..... को (पूर्वाह्न/अपराह्न) ..... बजे दर वार्ता हेतु मुख्य अभियंता ..... के कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहने हेतु निबंधित डाक से आमंत्रित किया जाय ।

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, ...

दिनांक (3) आज दिनांक ..... को तुलनात्मक विवरणी के आधार पर आवश्यकतानुसार संवेदक से मैं ..... मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ... ने दिनांक ..... को दवार्ता किया जिसकी विवरणी निम्न प्रकार हैः-

क्रमांक संवेदक का नाम निविदित दर वार्तालापित दर उपस्थित संवेदक का ह
एवं तिथि

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, ...

दिनांक (4) उपर्युक्त कार्रवाई के बाद सम्यक रूप से जांचोपरान्त निविदा संबंधी सभी कागजातों को अनुशंसा के साथ निविदा समिति के निर्णय हेतु विभाग को पत्रांक- ..... दिनांक- ..... के द्वारा दिनांक ..... को प्राप्त कराया जा रहा है ।

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, ...

पत्रांक- बाढ़ (मो०)सिं०-38/2003- 475

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री एस० पी० चैधरी,
अभियंता प्रमुख (उत्तर) ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
पटना / डिहरी / सिवान / वाल्मीकीनगर / मुजफ्फरपुर /

दरभंगा / समस्तीपुर / बीरपुर / पूर्णियाँ / भागलपुर / औरंगाबाद ।

/ पटना, दिनांक- 12.02.04

विषयः- विभाग के स्तर पर निविदा समिति के विचारार्थ निविदादाताओं से दर वार्ता नहीं करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक 5.2.04 को आहूत विभागीय निविदा समिति की बैठक में मुख्य अभियंता, डिहरी एवं समस्तीपुर से सम्बन्धित निविदाओं पर हुए विमर्श में मुख्य अभियंताओं द्वारा बताया गया कि पूर्व में विभागीय स्तर पर निविदा समिति के निदेश पर निविदादाताओं से दर वार्ता की जाती थी, किन्तु अब नहीं किया जा रहा है । इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि अब विभाग के स्तर पर दर वार्ता नहीं किया जायेगा ।

निदेश है कि विभागीय निविदा समिति के स्तर से विचारार्थ निविदाओं में यदि दर वार्ता की आवश्यकता हो तो मुख्य अभियंता स्वंय अपने स्तर से दर वार्ता कर निविदा स्वीकृति हेतु अनुशंसा के साथ विभाग में समर्पित करेंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एस० पी० चैधरी)

अभियंता प्रमुख (उत्तर)

पत्र सं०- 11/विविध-5-21006/03-689

बिहार सरकार

जल संसाधन (सिंचाई) विभाग

प्रेषक,

श्री श्यामनन्दन प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक- 11.2.2004

विषयः- सम्वेदक फर्म / कम्पनी द्वारा समर्पित निविदा को मान्यता देने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि ऐसे दृष्टान्त विभाग के समक्ष आये हैं कि वैसे संवेदकों के निविदा पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है जिन्होंने अपने

निबंधन का नवीकरण करने हेतु विभाग में समयान्तर्गत सभी वांछित कागजात समर्पित कर दिया है । उक्त कागजातों की जाँचोपरान्त निबंधन समिति की निर्धारित बैठक में विचारार्थ रखने में

विलंब होने की संभावना रहती है जिसके कारण संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित होना पड़ता है ।

अतः इस संबंध में कहना है कि विभागीय विभिन्न श्रेणियों के वैसे संवेदक जिन्होनें समयान्तर्गत अपने निबंधन का नवीकरण हेतु सभी वांछित कागजात, निर्धारित शुल्क के साथ चालान सहित विहित प्रपत्र में आवेदन अगर विभाग अथवा संबंधित अंचल/प्रमंडल में समर्पित कर दिया है एवं स्वीकार कर लिया गया तो उनके द्वारा दिये गये निविदा को उक्त कारणों से अमान्य नहीं किया जाय ।

इसके लिए निविदा के साथ संवदेक नवीकरण हेतु समयान्तर्गत जमा किये गये आवेदन का प्रमाण पत्र एवं चालान की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करेंगे ।

अनुरोध है कि इस आशय की सूचना अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी दी जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 689 पटना, दिनांक - 11.2.2004

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना / योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, 1, 2, 3, 4 एवं 5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 689 पटना, दिनांक - 11.2.2004

प्रतिलिपि- निदेशक, क्रय एवं परिवहन/भू-अर्जन एवं पुर्नवास को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-11/मुक० 4-14006/03- 139

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री श्याम नन्दन प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग ।

पटना, दिनांक- 15.01.04

विषयः- निविदा के मामले में चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि जिन प्रकाशित निविदाओं में अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र लेने का शर्त रखा गया है तथा निविदा प्राप्त नहीं हुआ है वैसे मामले में शुद्धि पत्र प्रकाशित कर अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का शर्त हटाने का निर्देश अधीनस्थ पदाधिकारियों को देते हुए एक आदेश परिचालित करने की कृपा की जाय कि निविदा सूचना में अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र का शर्त नहीं रखा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(श्याम नन्दन प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 139 पटना, दिनांक- 15.01.04

प्रतिलिपि- निदेशक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान/ क्रय एवं परिवहन/ भूअर्जन एवं पुनर्वास / सभी अधीक्षक अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियन्ता / सभी निबंधन अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(श्याम नन्दन प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

<u>घोषणा पत्र</u>

1. मैं/हम शपथ पूर्वक ब्यान देता हूँ/देते हैं कि -
   मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी थाने में दर्ज नहीं है और न ही कोई अपराधिक मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन है ।
2. मेरे/हमारे द्वारा यह भी प्रतिज्ञित लिया जाता है कि यदि कार्य मुझे/हमारे फर्म से आवंटित होता है, तो कार्यान्वयन के दौरान विभागीय पदाधिकारियों / कर्मियों के साथ मेरा /हमारा अर्थात मेरे/हमारे प्रतिनिधियों का व्यवहार शिष्ट एवं सोम्य रहेगा ।

उपर्युक्त कंडिका-1 में गलत सूचना देने का दोषी पाय जाने अथवा कंडिका-2 में प्रभारी अभियंता को मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार के प्रतिकूल आचरण को सूचना प्राप्त होने और इसे जाँचोपरांत सही पाये जाने पर मेरा / हमारा एकरारनामा रद्द किया जा सकता है तथा निबंधन पदाधिकारी द्वारा निबंधन रद्द कर मुझे / हमारे फर्म को कालीकृत किया जा सकता है । इस दंड के विरूद्ध मैं/हमारा फर्म किसी न्यायालय में कोई दावा प्रस्तुत नहीं करुंगा/करेगा ।

गवाह का हस्ताक्षर एवं पता

संवेदक / फर्म के प्रत्येक पार्टनर का हस्ताक्षर

पत्र संख्या-2436...../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

वी. जयशंकर,
आयुक्त एवं सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक - 13.9.2003

विषयः- जल संसाधन विभाग में राज्य के बाहर के ख्यातिप्राप्त संवेदक / कम्पनी को विभागीय निविदाओं में भाग लेने हेतु विशेष दिशा निर्देश ।

महाशय,

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि निविदा सूचना में अंकित शर्तों के अनुसार राज्य के बाहर के ख्यातिप्राप्त संवेदक/कम्पनी निविदा में भाग नहीं ले पाते हैं जिससे उनके अनुभव का लाभ नहीं मिल पाता है तथा कार्य भी कालबद्ध रूप में कार्यान्वित नहीं हो पाता है । विभागीय निविदाओं में राज्य के बाहर के ख्यातिप्राप्त संवेदक/कम्पनी भी भाग ले सकें, इसके लिए विभागीय स्तर पर विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिए गये:-

1. एक करोड़ रुपये से अधिक राशि की निविदा दो लिफाफे पद्धति से किया जाय ।
2. जल संसाधन विभाग बिहार या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या भारत सरकार के किसी कार्य विभाग या किसी राज्य सरकार या केन्द्र शासित राज्य में निबंधित संवेदक भी निविदा दे सकते हैं ।
3. निविदा हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र / डाक घर सावधि जमा के अतिरिक्त बैंक गारंटी के माध्यम से अग्रधन की राशि स्वीकार किये जाने का प्रावधान निविदा सूचना में सम्मिलित किया जाय । यह शर्त रखा जाय कि अग्रधन की राशि हेतु बैंक गारंटी किसी भी राष्ट्रीय बैंक का निविदा के साथ दिया जा सकता है परन्तु कार्य आवंटन के पश्चात एवं एकरारनामा के पूर्व इसके स्थान पर बिहार राज्य में अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के शाखा में निर्गत बैंक गारंटी प्राप्त कर जमा करना होगा ।
4. जमानत की राशि के रूप में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/डाक घर सावधि जमा के अतिरिक्त बिहार राज्य में अवस्थित किसी राष्ट्रीय बैंक के शाखा से निर्गत बैंक गारंटी भी स्वीकार होगा ।
5. बिक्री कर के सम्बन्ध में बिहार में निबंधित होने के शर्त के बदले जहाँ निबंधित हो, वहाँ के प्रमाण पत्र या कर-भुगतान के आधार पर निविदा में भाग लेने दिया जाय परन्तु एकरारनामा के पूर्व संवेदक को बिहार में निबंधन कराना अनिवार्य होगा ।
6. दस करोड़ रुपये सीमा तक के कार्यो में यह शर्त रखा जायेगा कि वही निविदादाता निविदा में भाग लेंगे जिसका प्रकाशन की तिथि से पूर्व के तीन वित्तीय वर्षो में औसत प्रतिवर्ष टर्न-आभर कम से कम प्रस्तावित कार्य के मूल्य के 20 प्रतिशत से कम नहीं रहा हो । दस

करोड़ रुपये से ऊपर के कार्यो में टर्न-ओभर कार्य के मूल्य के कम से कम 15 प्रतिशत रखा जाय ।

7. एक करोड़ से ऊपर के कार्यो की निविदा सूचना राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी में प्रकाशित होना सुनिश्चित किया जाय।

8. F_2 एकरारनामा में कंडिका-23 का विलोपन सुनिश्चित किया जाय ।

9. पुनस्र्थापन/ आधुनिकीकरण कार्य में मिट्टी कार्य एवं संरचना कार्य को सम्मिलित करते हुए एक साथ निविदा आमंत्रित किया जाय ।

10. जल संसाधन विभाग के कार्य एवं कार्यालय प्रायः सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं जहाँ बैंकों की शाखाएँ नहीं है जिससे बैंक ड्राफ्ट क्लियरेंस में समय लग जाता है । अतएव यह निर्णय लिया गया कि परिमाण विपत्र का मूल्य नगद के अतिरिक्त बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी स्वीकार कर परिमाण विपत्र निर्गत कर दिया जाय परन्तु तुलनात्मक विवरणी तैयार करते समय तक बैंक ड्राफ्ट का नगदीकरण हो जाना चाहिए अन्यथा उनकी निविदा रद्द समझा जायगा।

11. विस्तृत निविदा सूचना के साथ विभाग में संवदेक के निबंधन हेतु निर्गत संकल्प की प्रति संलग्न करते हुए यह शर्त भी जोड़ा जायेगा कि यह एकरारनामा इस संकल्प के निहित शर्तो से भी प्रभावी होगा। जिससे इस संकल्प के अनुसार भी आवश्यकता पड़ने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सके ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(वी० जयंशकर)

आयुक्त एवं सचिव

पत्र संख्याः- मो०-2-सिवान (टेन्डर) 60/2001 - 2252

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

वी. जयशंकर,
आयुक्त एवं सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक - 26.8.2003

विषयः- संवेदकों/एजेंसियों को आवंटित कार्य समय पर पूरा नहीं करने पर अवधि विस्तार के सम्बन्ध में ।

महाशय,

प्रायः देखा जाता है कि किसी कार्य विशेष के लिए निर्धारित कार्यावधि में कार्य सम्पन्न हेतु कोई ठोस कालबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया जाता है और कार्य पूरा करने के लिए औचित्य पूर्ण अवधि का

निर्धारण नहीं किया जाता है और एकाएक किसी कारण विशेष संवेदकों/एजेंसियों के समक्ष समय पर कार्य नहीं होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए समय विस्तार हेतु आवेदन पत्र देना पड़ता है । समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने से विहित लक्ष्य की प्राप्ति तो नहीं ही होती है, साथ ही साथ सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार बढ़ता है, जो सरकारी राजस्व की हानि ही कही जा सकती है । इसके लिए अनेकों निदेश/ अनुदेश निर्गत है, फिर भी इसपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है । यहाँ तक कि प्रपत्र एफ-2 की कंडिका 5 एवं 12 ए के प्रावधानों को भी प्रायः अनदेखी किया जाता है । अगर कार्यक्रम समुचित रूप में बनाया गया होता और कार्य को पूरा करने के लिए औचित्यपूर्ण अवधि निर्धारित की जाती है तो निर्धारित अवधि में इस कार्य को पूरा करने के लिए सभी पहलुओं पर विचार कर लिया गया होता यथा विभाग को जो सामग्रियाँ निर्गत करनी है वे कब तथा कहाँ से उपलब्ध होंगी तद्नुसार उन्हें समय पर प्राप्त करना सुनिश्चित किया गया होता । वैसी स्थिति में संवेदक भी अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यो को समय सीमा के अन्दर पूरा करने हेतु योजनावद्ध तरीके से कार्य करते । फिर भी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाय, जिसके कारण निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार कार्य सम्पन्न होने में बाधा सम्भावित हो जाय तो इसके लिए भी पहले से ही सचेष्ट होने की आवश्यकता है ताकि कम से कम समय बर्बाद किये जल्द से जल्द कार्य को कराया जा सके ।

इस आलोक में यद्यपि प्रपत्र एफ-2 की कंडिका-5 में यह उल्लिखित हैं कि सम्भावित

व्यवधान पर अग्रदृष्टि रखते हुए व्यवधान के 60 दिनों के अन्दर सम्यक प्रस्ताव संवेदक द्वारा प्रभारी अभियन्ता को दिया जाय । साथ ही साथ उक्त प्रपत्र एफ-2 की कंडिका 12 ए में विभागीय सामग्रियों की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में 30 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र देने का उल्लेख है । कार्य समाप्ति की अवधि में 6 माह से अधिक के लिए विस्तार की स्वीकृति हेतु विभागयी सहमति आवश्यक है ।

उपरोक्त निदेशों/अनुदेशों का पालन क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दृढ़तापूर्वक नहीं किया जाता है और कार्य समाप्ति की निर्धारण अवधि के बहुत बाद अवधि विस्तार हेतु आवेदन पत्र विभाग में स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं, अनुशंसा करने वाले पदाधिकारी मात्र औपचारिकता निभाते हैं, कार्य बाधित होने का ठोस औचित्य अंकित नहीं किया जाता एवं संवेदक द्वारा अवधि विस्तार हेतु आवेदन देने एवं इसे सक्षम पदाधिकारी के पास भेजने में काफी विलम्ब किया जाता है । कार्य वाधित होने में विभाग द्वारा निर्गत की जाने वाली सामग्रियों यथा सिमेन्ट या छड़ आदि की अनुपलब्धता मुख्य कारण अंकित किए जाते हैं । अगर ये सामग्रियाँ अनुपलब्ध थी तो पूर्व योजना के अनुसार इन्हें उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयास किए गए, प्रतिफल क्या हुआ, इसका कोई वर्णय नहीं होता फलतः सारा मामला संदिग्ध हो जाता है कि क्या वास्तव में इन सामग्रियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य वाधित हुआ या कोई अन्य कारण था । अनुशंसा करने वाले यह भी विचार नहीं करते कि प्रस्ताव की अस्वीकृति की स्थिति में ऐसे प्रमाण अंकित युक्त अनुशंसा पत्रों

के आलोक में विभाग की स्थिति न्यायालय में क्या होगी । ऐसे औचित्यविहीन आवेदन पत्र एवं अनुशंसा अमान्य होगी एवं अगर इससे कोई न्यायिक विवाद उत्पन्न होता है तो इसके लिए अनुशंसा करने वाले पदाधिकारी ही पूर्णतः उत्तरदायी होंगे ।

उपरोक्त के आलोक में निदेश है कि कार्य को पूरा करने के लिए औचित्यपूर्ण अवधि का निर्धारण किया जाए, प्रपत्र एफ-2 की कंडिका-5 एवं 12 ए में उल्लिखित अवधि का पालन दृढ़तापूर्वक किया जाय एवं संवेदक से अवधि विस्तार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रभारी अभियन्ता द्वारा अवधि विस्तार का प्रस्ताव अपनी औचित्यपूर्ण अनुशंसा सहित वास्तव में व्यवधान उत्पन्न होने की तिथि से प्रपत्र एफ-2 में विहित अवधि को ध्यान में रखते हुए कार्य समाप्ति की निर्धारित अवधि के अन्दर ही स्वीकृति के लिए सक्षम पदाधिकारी के समक्ष निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय । निविदा प्रपत्र में विशेष शर्त अंकित की जाय कि अपरिहार्य स्थिति में अगर समय वृद्धि की आवश्यकता हो तो कार्य समाप्ति की अवधि के पूर्व ही एतदर्थ आवेदन पत्र सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा एवं अनुमति प्राप्त कर ही आगे कार्य कराया जायेगा ।

उपरोक्त निदेशों का उल्लघन करने वाले एवं विलम्ब से अवधि विस्तार का प्रस्ताव बिना पूर्ण औचित्य के अनुशांसित करने एवं अग्रसारित करने वाले दंडित होंगे ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(वी० जयशंकर)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापाक- 2252 /पटना, दिनांक - 26.8.2003

प्रतिलिपिः- अभियन्ता प्रमुख (उत्तर) / (मध्य) / संयुक्त सचिव, बजट/प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, पटना / मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 1, 4, 5 एवं बाढ़, पटना / निदेशक, क्रय एवं परिवहन जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(इन्दु भूषण प्रसाद)
अधीक्षण अभियन्ता,
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2,
जल
संसाधन विभाग, पटना ।

(3)
योजनाओं का कार्यान्वयन, समय वृद्धि आदि

पत्र सं०-बाढ़ (मो०) सि०वि०-70/12-575-3346

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

सिंचाई भवन, पटना

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

अभियंता प्रमुख (उत्तर/मध्य),
सभी मुख्य अभियंता
अधीक्षण अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 01/02/03/बाढ़(मो०)/उड़नदस्ता
अंचल-पटना
एवं अन्य सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता
जल संसाधन विभाग, बिहार

पटना, दिनांक- 13.12.2013

विषयः- दायित्व समिति की कार्य प्रणाली एवं लंबित दायित्व के भुगतान के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक बाढ़ (मो०) सि०वि० 70/12-575, दिनांक- 20.03.2013

महाशय,

विभाग को लंबित दायित्व से मुक्त करने के लिए कतिपय निर्देश दिए जाते रहे हैं । लंबित दायित्वों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से प्रासंगिक पत्र द्वारा निदेश निर्गत किये गये थे । इस पत्र में आवंटन की कमी, कोषागार में भुगतान पर रोक और चेक को कोषागार द्वारा कतिपय कारणों से पारित नहीं करने के कारण लंबित भुगतान को दायित्व की संज्ञा देते हुए दायित्व के विचारार्थ रखे जाने का निर्देश है ।

बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के कंडिका 303-(c) में स्पष्ट प्रावधान है कि "Money indisputably payable should never be left unpaid."

उक्त आलोक में चालू योजनांतर्गत विगत वर्षो में निधि की कमी के कारण लंबित देय भुगतान एवं चालू या पूर्ण हो चुकी योजनाओं में विगत वर्ष कोषागार में चेक के पारित नहीं होने के कारण लंबित भुगतान के मामलों को दायित्व समिति की सीमा से मुक्त किया जाता है ।

पूर्व निर्गत प्रासंगिक पत्र को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

पत्र सं०-रोकड़ शाखा/वाहन-1-05/08-5648

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

अभियंता प्रमुख (मध्य एवं उत्तर),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
सभी अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

/पटना, दिनांक- 25.10.13

विषयः- जल संसाधन विभाग में आवश्यकतानुसार भाड़े पर निजी वाहन लिये जाने हेतु दर निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि जल संसाधन विभाग में वाहनों की कमी के फलस्वरूप कार्यहित में आवश्यकतानुसार भाड़े पर निजी वाहन लिये जाने के लिए निविदा के माध्यम से विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा पर दर अनुमोदन किया गया । विभाग द्वारा अनुमोदित दर की छाया प्रति संलग्न है । यह दर दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगा ।

अतः अनुरोध है कि विभाग के अनुमोदित दर या समाहर्त्ता द्वारा जिले के लिए कोई दर निर्धारित हो तो, दोनों में न्यूनतम दर के आलोक में कार्यहित में आवश्यकतानुसार विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए भाड़े पर निजी वाहन लेने की कार्रवाई की जा सकती है ।

अनु०- संलग्न

विश्वासभाजन
ह०/-
(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में वातानुकूलित/अवातानुकूलित न्यूनतम दर पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु दि०-26.08.13 को विभागीय क्रय समिति एवं वाहन एजेन्सी/ वाहन मालिकों से सहमति प्रदान करने हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाहीः-

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में आवश्यकतानुसार वातानुकूलित/अवातानुकूलित भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा में प्राप्त दर के आधार पर न्यूनतम दर पर वाहन उपलब्ध कराने की सहमति हेतु दि०-26.08.13 के अपराह्न 4.00 बजे विभागीय क्रय समिति एवं वाहन एजेन्सी/ वाहन मालिकों की

निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग के कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए । विभागीय क्रय समिति के सभी सदस्य उपस्थित हुए ।

2. विचारोपरान्त विभागीय क्रय समिति के द्वारा वातानुकूलित/अवातानुकूलित वाहन उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित न्यूनतम दर पर वाहन मालिकों से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गयाः-

वातानुकूलित-वाहन

क्रमांक	वाहन का प्रकार एवं नाम	4 घंटे/40 कि०मी०	8 घंटे/60 कि०मी०	12 घंटे/80 कि०मी०	प्रति कि०मी०	रात्रि विश्राम दर	न्यूनतम कि०मी०
1	इण्डिगो	533/-	1102/-	1320/-	8/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
2	स्वीफट डिजायर	533/-	1196/-	1550/-	8/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
3	एस 4	900/-	1300/-	1600/-	9/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
4	स्कार्पियो	667/-	1215/-	1542/-	11/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
5	इन्डिका	700/-	1100/-	1120/-	8/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
6	तावेड़ा	900/-	1275/-	1370/-	10/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
7	टाटा सूमो	900/-	1300/-	1440/-	10/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
8	इनोभा	733/-	1365/-	1792/-	13.70/प्रति कि.मी.	200/-	200/-

अवातानुकूलित-वाहन

क्रमांक	वाहन का प्रकार एवं नाम	12 घंटे/80 कि०मी०	प्रति कि०मी०	रात्रि विश्राम दर	न्यूनतम कि०मी०
1	इण्डिगो	1240/-	8/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
2	स्वीफट डिजायर	1394/-	8/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
3	एस 4	1394/-	9/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
4	स्कार्पियो	1440/-	10/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
5	इन्डिका	894/-	7/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
6	तावेड़ा	1370/-	10/प्रति कि.मी.	150/-	200/-
7	टाटा सूमो	1194/-	9/प्रति कि.मी.	150/-	200/-

ह०/-
(विनोद कुमार सिन्हा)
अवर सचिव (प्रभारी लेखा)
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना

ह०/-
(मोहन पासवान)
अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना

ह०/-
(रघुनाथ प्रसाद)
निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना

पत्रांक - मो०2-वीरपुर/पूर्णियाँ(विविध) 04/2013-939

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी

बिहार ।

पटना, दिनांक- 29.07.2013

विषयः- नहरों पर हुए अतिक्रमण को हटाने तथा नहर बाँधों को असामाजिक तत्वों द्वारा काटे जाने/ क्षतिग्रस्त किए जाने के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत है कि बाढ़ अवधि में नदी तटबंधो की सुरक्षा के साथ-साथ नहर बाँधों की भी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना जल संसाधन विभाग का प्रमुख दायित्व है । इस महत्वपूर्ण कार्य में लगे अभियन्ताओं को प्रशासनिक सहायोग (विशेषकर असमाजिक तत्वों/ग्रामीणों द्वारा तटबंधों को काटे जाने की स्थिति में) से ही वांछित उदेद्श्य की प्राप्ति संभव है ।

खरीफ पटवन के दौरान नहर बाँधों को काटकर ग्रामीण भाग के जल जमाव को दूर किऐ जाने अथवा अनाधिकृत रूप से नहर बाँधो को काटकर सिंचाई किए जाने की सूचनाएँ मुख्यालय में प्राप्त होती रहती है । इसके कारण सरकारी परिसम्पत्तियों के नुकसान के साथ सिंचाई कार्य भी बाधित हो जाता है एवं नहरों को अनवाश्यक रूप से पुनर्स्थापित करने में सरकारी राशि का व्यय करना पड़ता है । इस विषय में आपके स्तर से स्थानीय प्रशासन को निदेशित किए जाने की आवश्यकता है ताकि सम्भावित बिन्दुओं पर सशस्त्र बल से गश्ती कराकर इसपर नियंत्रण किया जा सके ।

दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दू है नहरों पर अतिक्रमण । ग्रामीणों द्वारा नहर बाँधों एवं कतिपय नहर के स्लोप में भी अतिक्रमण कर झोपड़ी का निर्माण कराया गया है । इससे नहर बाँधों में रैट होल्स इत्यादि की सम्भावनाएँ बढ़ती है एवं बाँधों की टूटने की सम्भावनाए प्रबल हो जाती है ।

उक्त के क्रम में अनुरोध है कि अपने स्तर से अभियान चलाकर नहरों पर हुए अतिक्रमण को दूर किया जाय तथा नहरों के काटे जाने/ अनाधिकृत रूप से सिचाई करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लाने हेतु कार्रवाई की जाय ताकि कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सके ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अरूण कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 939 / पटना, दिनांक:- 29.07.2013

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश है कि नहरों पर हुए अतिक्रमण तथा कटान के सम्भावित बिन्दुओं के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी को अपने स्तर से अवगत कराते हुए व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर सशस्त्र बल से गश्ती करायी जाय । किसी भी स्थिति में खरीफ पटवन कार्य बाधित नही होनी चाहिए ।

ह०/-

(अरूण कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

पत्रांक - मो02-विविध- 158/2001-भाग-I 849

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
दरभंगा/ सिवान/ समस्तीपुर/ वीरपुर/ पूर्णियाँ/
वाल्मीकिनगर/ मुजफ्फरपुर/ डिहरी/ गया/
औरंगाबाद/ पटना/ भागलपुर

पटना, दिनांकः- 11.07.2013

विषयः- नहर बाँधों पर हो रहे टूटान के संबंध में ।

महाशय,

प्रायः देखा जा रहा है कि खरीफ पटवन के दौरान विशेषकर नहर बाँधों के यत्र-तत्र टूटने की सूचना मुख्यालय में प्राप्त हो रही है । फलतः किसानों की फसलों की बर्बादी, सिंचाई बाधित होने तथा नहरों को अनावश्यक रूप से पुनर्स्थापित करने में सरकारी राशि का व्यय हो रहा है । यह तो निश्चित है कि नहर बाँधों पर आकस्मिक रूप से टूटान नही होता है, अपितु टूटान का कारण नहर फाटकों के सही संचालन नही होने तथा बांधो की देख-रेख में लापरवाही किया जाना है । अतः यह आवश्यक हो गया है कि किसी भी नहर बांध पर टूटान होने की जिम्मेवारी निर्धारित की जाय।

इस दृष्टिकोण से सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि जिस अवर प्रमंडल के अधीन टूटान प्रतिवेदन होता है उसके सहायक अभियन्ता एवं संबंधित कनीय अभियन्ता को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया जायेगा । साथ ही साथ संबंधित कार्यपालक अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी एवं मुख्य अभियन्ता के चारित्री मे प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जायेगी ।

ह०/-
(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
<u>अधिसूचना</u>

संचिका सं०-सिं० को०-177/2010-280 पटना,
दिनांक-05.06.2013

विभागीय संकल्प संख्या 25/2002-279/पटना, दिनांक-31.07.2003 के द्वारा बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 (बिहार अधिनियम-II 1998) की धारा 46 के अन्तर्गत सहभागिता सिंचाई कार्यक्रम के सफल संचालन के उद्धेश्य से विभिन्न विभागों, विशेषज्ञों तथा कृषकों के बीच समन्वय स्थापित करने एवं नीति-निर्धारण हेतु एक राज्यस्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया था, जिसका पुनर्गठन विभागीय संकल्प सं०-सिं० को० 23/2003-पार्ट 11-439 पटना, दि०-06.07.2004 द्वारा किया गया है । राज्य में वर्ष 1997 से चल रहे इस कार्यक्रम के अनुभवों के आधार पर कृषक समितियों (जिन्हें नहर प्रणालिया अंतरित किया गया है या किया जाना है) के सुदृढ़ीकरण एवं कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु परामर्श देने के

लिये एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया जाता है । गठित सलाहकार समिति के सदस्य निम्नवत् होंगेः-

I. अभियंता प्रमुख (मघ्य), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्ष

II. डा० राजेश्वर मिश्र, अवकाश प्राप्त प्राघ्यापक एवं समाजशास्त्री - विशेषज्ञ

III. श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर, रीडर, वाल्मी, पटना - सदस्य

IV. श्री वाल्मीकी शर्मा, सचिव, पालीगंज वितरणी कृषक समिति, पटना - सदस्य

V. श्री शम्भू राय, सचिव, नैनी उप वितरणी कृषक समिति, छपरा - सदस्य

VI. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना - सदस्य सचिव

2. सलाहकार समिति का मुख्य कार्य, सहभागिता सिंचाई से संबंधित वर्तमान में लागू नियम-कानूनों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अपेक्षित बदलाव के लिये अनुशंसा करना, कृषक समितियों के अभिलेखों का अध्ययन कराना एवं जाच कर विभाग के माघ्यम से कृषक समिति को अपेक्षित सुझाव देना होगा ।

3. जल संसाधन विभाग का सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कोषांग (सम्प्रति सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना) इस समिति के लिये मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा । इस समिति को आवश्यकतानुसार अनुसचिवीय कर्मियों की सेवा तथा स्टेशनरी आदि की सुविधायें अघीक्षण अभियंता, सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना के स्तर से उपलब्ध करायी जायेगी ।

4. सलाहकार समिति के कार्य हेतु संबंधित आकड़ों के विश्लेषण तथा आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग के वेबसाईट पर सामग्रियों को प्रसारित करने के कार्य में जल संसाधन विभाग का सूचना प्रबंधन प्रणाली कोषांग (MIS Cell) सहयोग करेगा ।

5. समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर या अघ्यक्ष द्वारा यथावश्यक अनुमोदित तिथि पर होगी ।

6. समिति के विशेषज्ञ सदस्य, डा० राजेश्वर मिश्र, अवकाश प्राप्त प्राघ्यापक ए० एन० सिन्हा इंस्टीच्यूट, पटना एवं समाजशास्त्री को समिति की बैठक के दिन बैठक में भाग लेने हेतु उनके पटना आवास से आने-जाने की व्यवस्था विभागीय स्तर से की जायेगी । बैठक में भाग लेने के क्रम में उन्हें अन्य किसी प्रकार का मानदेय अनुमान्य नही होगा ।

7. कृषक प्रतिनिधियों को समिति की बैठक वाले दिन बैठक में भाग लेने हेतु नियमानुसार विभाग द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा । मानदेय के लिये अलग से कार्रवाई किया जायेगा ।

8. समिति के गठन पर विभागीय सहमति प्राप्त है ।

9. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

<u>आदेशः-</u>

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रति बिहार गजट के अगले अंक मे सर्वसूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

ह०/-

(सुमीर कुमार चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

जल संसाधन विभाग

ज्ञाप सं०- सि० को०-177/2010-280 पटना, दिनांकः- 05.06.2013

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना, बिहार को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग

ज्ञाप सं०- सि० को०-177/2010-280 पटना, दिनांकः- 05.06.2013

प्रतिलिपिः- विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/ सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग/ निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/ क्षेत्रीय निदेशक, कृषि शोध संस्थान, लोहिया नगर, पटना-20/ ई० श्री के० एन० लाल, अवकाश प्राप्त अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/ सचिव, सेन्टर फाॅर प्रोमोटिंग सस्टनेबुल लाईवलीहुड (सी०पी०एस०एच०), एम०आई०जी०-205, कंकड़बाग, पटना-800020/ सचिव, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीच्यूट बी०एस०आई०, डी०सी० काॅलनी, बोरिंग रोड पाटलीपुत्रा, पटना- 800013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग

ज्ञाप सं०- सि० को०-177/2010-280 पटना, दिनांकः- 05.06.2013

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख (उत्तर/मध्य), जल संसाधन विभाग, पटना/ डॉ० राजेश्वर मिश्र, अवकाश प्राप्त प्राध्यापक एवं समाजशास्त्री/ श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर, रीडर, वाल्मी, पटना/ श्री बाल्मिकी शर्मा सचिव, पालीगंज वितरणी कृषक समिति, पालीगंज, पटना/श्री शम्भू राय, सचिव, नैनी उप वितरणी कृषक समिति, छपरा/ अधीक्षण अभियंता, सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग

ज्ञाप सं०- सि० को०-177/2010-280 पटना, दिनांकः- 05.06.2013

प्रतिलिपिः- माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ विश्ष

सचिव, जल संसाधन विभाग/ सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग/ जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-1/PMC/विविध/877/2012-437

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार
अभियंता प्रमुख (मध्य)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक -20.05.2013

विषयः- **वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु सरकारी विभागों द्वारा वन भूमि पर कराये जाने वाले जनोपयोगी विकास कार्यो के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 5.00 हे० तक वन भूमि के अपयोजन की सामान्य स्वीकृति के संबंध मे ।**

प्रसंगः- **पर्यावरण एवं वन विभाग का पत्रांक-वन भूमि-6/2011-235 (ई०) दिनांक 02.05.2013**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण एवं वन विभाग का प्रासंगिक पत्र (छाया प्रति संलग्न) भेजते हुए सूचित करना है कि आधारभूत संरचना के विकास हेतु सरकारी विभागों द्वारा वन भूमि पर कराये जाने वाले जनोपयोगी कार्यो के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 5.00 हे० तक वन भूमि के अपयोजन की सशर्त सामान्य स्वीकृति केन्द्र सरकर द्वारा जिन जिलों के लिए प्रदत्त की गयी है, उनमें बिहार के 9 जिले- औरंगाबाद, अरवल, नवादा, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, सीतामढ़ी एवं पं० चम्पारण शामिल है।

2- पर्यावरण एवं वन विभाग के संकल्प सं० 474 दिनांक 30.08.2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इन मामलों में वन भूमि अपयोजन की अनुमति देने का अधिकार नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) बिहार, पटना को प्रत्यायोजित किया गया है ।

अनुरोध है कि वामपंथ उग्रवाद प्रभावित (L.W.E.) राज्य के इन 9 जिलों में भारत सरकार द्वारा चिन्हित जन कल्याणकारी कार्यो के लिए 5 (पाच) हेक्टेयर तक वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सशर्त सामान्य स्वीकृति के आलोक में अपने अधीन सभी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु०:- यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/-

(धीरेन्द्र कुमार)

अभियंता प्रमुख (मघ्य)

ज्ञापांक-437 पटना, दिनांक- 20.05.2013

प्रतिलिपिः- सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/ प्रभारी कम्प्यूटर सेल, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०- यथोक्त

ह०/-

(धीरेन्द्र कुमार)

अभियंता प्रमुख (मघ्य)

पत्र सं० वन भूमि 6/2011-235 (ई०)/प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

गिरीश कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

<u>प्रधान सचिव/ सचिव,</u>

ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग,

भवन निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लघु सिचाई विभाग/ उर्जा विभाग/

ग्रामीण विकास विभाग/ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ शिक्षा विभाग

पटना, 15 दिनांक- 02.05.2013

विषयः- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु सरकारी विभागों द्वारा वन भूमि पर कराये जाने वाले जनोपयोगी विकास कार्यो के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् 5.00 हे० तक वन भूमि के अपयोजन की सामान्य स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में भारत सरकार, गृह मंत्रालय (नक्सल प्रबंधन डिवीजन) के पत्रांक 18015/54/2010-एन-एम-IV दिनांक- 10.04.2013 की छाया प्रति अनु. सहित संलग्न कर भेजते हुए सूचित करना है कि देश के वामपंथ अग्रवाद प्रभावित 82 जिलों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु

सरकारी विभागों द्वारा वन भूमि पर कराये जाने वाले जनोपयोगी कार्यो के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 5.00 हे० तक वन भूमि के अपयोजन की सशर्त सामान्य स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी है । इन मामलों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत 5 हे० तक वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है। पर्यावरण एवं वन विभागीय संकल्प संख्या 474(ई०) दिनांक 30.08.2012 द्वारा इन मामलों में वन भूमि अपयोजन की अनुमति देने का अधिकार नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को प्रत्यायोजित किया गया है ।

भारत सरकार द्वारा चिन्हित देश के 82 वामपंथ उग्रवाद प्रभावित (L.W.E.) जिलों में बिहार के 9 जिले (औरंगाबाद, अरवल, नवादा, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, सीतामढ़ी एवं पं० चम्पारण) शामिल है।

अनुरोध है कि वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्य के इन 9 जिलों में भारत सरकार द्वारा चिन्हित जन कल्याणकारी कार्यो के लिए 5 हे० तक वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सशर्त सामान्य स्वीकृति के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

गिरीश कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव ।

No. 18015/54/2010-NM-IV
Government of India
Ministry of Home Affarirs
(Naxal Managment Division)
*****

North Block, New Delhi,
Dated 10 th April, 2013

To,

The Principal Secretary (Forests),
Government of Andhra Pradesh, Bihar,
Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh,
Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh & West Bengal.

Sub.: General Approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Departments involving not more than 5.00 hectare of forest land in LWE affected areas.

Sir/ Madam,

I am directed to refer to the Ministry of Environment & Forest letter No. 11-9/98-FC dated 13-05-2011 and 10.12.2012 on the above mentioned subject, wherein in the Ministry of Environment and Forests accorded general approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure of 13 categories, specified in the Ministry's above referred letter dated 13.05.2011, by Government departments involoving not more than 5.00 hac for forest land, in each case in 82 IAP districts.

2. Further, the Ministry of Environment and Forests have decided to extend the said general approval to all categories of public roads and for quarrying of materials used in

construction of public roads vide letter dated 1st February, 2013 (copy enclosed). Also, the copy of the Ministry of Environment and Forests letter dated 16th June, 2011 conveying that no compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted in accordance with the said general approval dated 13.05.2011 shall be insisted upon is enclosed for information and necessary action.

Encl: As above

Yours faithfully
sd/-
(K.S.Kusala Kumar)
Deputy Secretary to the Govt. of India

Tele: 23092506

Copy alongwith a copy each of the enclosures forwarded to the Home Secretary/ DGP, Government of Andhra Pradesh, Bihar, Chhatisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh & West Bengal.

F.No. 11-9/98-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110510
Dated 13th May, 2011

To,

The Principal Secretary (Forests),
All States/ Union Territory Governments except Jammu and Kashmir

Sub:- General approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of public utility infrastructure by Government Departments involoving not more than 5.00 ha of forest land in each case in 60 Left Wing Extremism affected districts- ***reg.***

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 03.11.2010, wherein this Ministry accorded General approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for certain activities to be carried out by the Government Departments involoving not more than 2.00 ha of forest land, and to say that this Ministry has received requests from various states government to increase the threshold limit for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Department in 60 (sixty) Left Wing Extremism affected districts identified by the Planning Commission and the Ministry of Home Affairs from 2.00 ha of forest land in each case to 5.00 ha of forest land in each case. The Ministry of Home Affaris and the Planning Commission have also supported the said demand.

Accordingly, I am directed to say that in partial modification of this Ministry's said letter of even number dated 03.11.2010, to facilate expeditious creation of the critical public utility infrastructure in 60 (sixty) Left Wing Extremism affected districts, the existing general approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Department is further relaxed to diversion of not more than 5.00 ha of forest land in each case, in these districts. The activities covered under the General approval are as below:

1. Schools,
2. Dispensaries / Hospitals,
3. Electrical and Telecommunication Lines,
4. Drinking Water,
5. Water/ Rain Water Harvesting Strctures,
6. Minor Irrigation Canal,
7. Non Conventional Sources of Energy,
8. Skill up Gradation/ Vocational Training Certer,
9. Power Sub- stations,
10. Rural roads,
11. Communication Posts,
12. Police establishments like Police Stations/ Outposts/ Border Outposts/ Watch Towers in sensitive area (identified by Ministry of Home Affairs) and
13. Underground laying of optical fibre cables, telephone lines & drinking water supply lines.

The General Approval shall be subject to fulfillment of the following conditions:

(i) It shall be applicable to only 60 Left Wing Extremism affected districts identified by the Planning Commission and the Ministry of Home Affairs (List enclosed)

(ii) All the terms and conditions stipulated by this Ministry in its letters of even number dated 03.01.2005 and 11.09.2009, wherein this Ministry accorded general apporval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for creation of the public utility infrastructure by Government Departments.

(iii) All the terms and conditions stipulated by this Ministry in its letters of even number dated 16.10.2000 and 08.04.2009, wherein this Ministry accorded general apporval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for undrground laying of optical fiber cables, telephone lines and drinking water supply lines,

(iv) The State Governmets shall realize cost of cost to raise compensatory afforestation and NPV at the rates as applicable in each case as per the guidelines issued by this Ministry and transfer the same to the Ad-hoc CAMPA.

(v) A copy of the each approval accorded by the State/UT Government under the general approval shall by endorsed to the concerned Regional office of the Ministry and the CEO, Ad-hoc CAMPA for their information and record.

(vi) The State/Government shall follow the procedure for processing such cases stipulated in the Forest (Conservation) Rule, 2003.

(vii) The instant general approval is not applicable to the diversion of forest land in protected areas.

(viii) The each State/UT Government shall submit the six monthly reports for the period ending on 30th June and 31st December Containing details of all forest land diverted under the general approval accorded by this Ministry along with the status of the actual utilization of the forest land so diverted for the stated purpose; and

(ix) The general approval shall be valid till 31.12.2015

Encl. As above

Your's faithfully

sd/-

(H.C.Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forest

Copy to:-

1. The Director, Prime Minister's Office, New Delhi for kind information.
2. The Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat, New Delhi.
3. The Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
4. The Member-Secretary, Planning Commission, New Delhi.
5. The Secretary, Ministry of Rural Development, New Delhi.
6. The Secretary, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.
7. All PCCFs / Nodal Officers, all State/UT Government except Jammu and Kashmir.
8. All Regional Officers, Ministry of Environment & Forests.
9. Director General of Police, All State/UT Government except Jammu and Kashmir.
10. All Assistant Inspector General of Forests in Forest Conservation Division,MoEF.
11. Dy. Secretary, R.O (HQ) Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
12. File No.- 2-1/2003-FC
13. Guard File.

Sd/-

(H.C.Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forests

State-Wise List of Sixty Left Wing Extremism Affected Districts Identified by the Planning Commission and the Ministry of Home Affairs.

Sl. No.	State	District
1.	Andhra Pradesh	Khammam

2.		Adilabad
3.	Bihar	Aurangabad
4.		Arwal
5.		Nawada
6.		Jehanabad
7.		Gaya
8.		Rohtas
9.		Jamui
10.	Chhattisgarh	Bastar
11.		Bijapur
12.		Jashpur
13.		Kawardha
14.		Koriya
15.		Dantewada
16.		Kanker
17.		Narayanpur
18.		Rajnandgaon
19.		Surguja
20.	Jharkhand	Garhwa
21.		Gumla
22.		Hazaribagh
23.		Koderma
24.		Latehar (N)
25.		Ramgarh
26.		Saraikela (N)
27.		Simdega (N)
28.		Pachim Singhbhum
29.		Purbi Singhbhum
30.		Bokaro
31.		Chatra
32.		Lohardaga
33.		Palamu
34.	Madhya Pradesh	Balaghat
35.		Anuppur
36.		Dindori

37.		Mandla
38.		Seoni
39.		Shahdol
40.		Sidhi
41.		Umaria
42.	Maharashtra	Gadchiroli
43.		Godiya
44.	Orissa	Debgarh
45.		Gajapati
46.		Rayagada
47.		Sambalpur
48.		Malkangiri
49.		Balangir
50.		Kalahandi
51.		Kandhamal
52.		Kendujhar
53.		Koraput
54.		Mayurbhanj
55.		Nabarangapur
56.		Nuapada
57.		Sonapur
58.		Sundargarh
59.	Uttar Pradesh	Sonbhadra
60.	West Bengal	Medinipur West

F.No. 11-9/98-FC

Government of India

Ministry of Environment and Forests

(FC Division)

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110510
Dated 10th December, 2012

To,

The Principal Secretary (Forests),

All States/ Union Territory Governments except Jammu and Kashmir

Sub:- General approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of public utility infrastructure by Government Departments involoving not more than 5.00 hectares of forest land in each case in 60 Left Wing Extremism (LWE) affected districts- *reg.*

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 13.05.2011 read with this Ministry's letter of even number dated 16.06.2011, on the above mentioned subject, wherein this Ministry accorded general approval under Section-2 of the Forest (Converstion) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure of 13 categories, specified in this Ministry' said letter dated 13.05.2011, by Government Department involoving not more than 5.00 hectares of forest land in each case in 60 Left Wing Extremism (LWE) affected districts identified by the Planning Commission and the Ministry of Home Affairs for implemenation of the Integrated Action Plan (IAP) and to say that the said general approval is extented to the additional 22 disticts identified by the Planning Commission and the Ministry of Home Affairs for implemenation of the IAP. Details of the said 22 districts is annexed.

The general approval to the above-indicated 22 districts shall be subject to fulfillment of the conditions stipulated by this Ministry in its letters of even number dated 13.05.2011 read with this Ministry's letter of even number dated 16.06.2011.

Your's faithfully
Sd/-
(H.C.Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Director, Prime Minister's Office, New Delhi for kind information.

2. The Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat, New Delhi.

3. The Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi.

4. The Member-Secretary, Planning Commission, Government of India, New Delhi.

5. The Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi.

6. The Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, New Delhi.

7. All PCCFs / Nodal Officers, all State/UT Government except Jammu and Kashmir.

8. All Regional Officers, Ministry of Environment & Forests.

9. Director General of Police, All State/UT Government except Jammu and Kashmir.

10. All Assistant Inspector General of Forests in Forest Conservation Division,MoEF.

11. Director, Regional (Headquarters) Ministry of Environment & Forests, New Delhi.

12. File No.- 2-1/2003-FC

13. Guard File.

Sd/-

(H.C.Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forests

Annexure

Details of Additional 22 Left Wing Extremism Affected Districts Identified By the Ministry of Home Affairs and Planning Commission for Implementation of Integrated Action Plan (IAP)

Sl. No.	State	District
IAP-II		
1.	Andhra Pradesh	Vishakhapatnam

2.	Andhra Pradesh	East Godavari
3.	Andhra Pradesh	Warangal
4.	Andhra Pradesh	Karimnagar
5.	Andhra Pradesh	Srikakulam
6.	Andhra Pradesh	Vizianagaram
7.	Bihar	Munger
8.	Bihar	Kaimur
9.	Jharkhand	Khunti
10.	Jharkhand	Ranchi (Rural)
11.	Jharkhand	Giridih
12.	Odisha	Ganjam
13.	Odisha	Nayagarh
14.	Odisha	Jajpur
15.	Uttar Pradesh	Chandauli
16.	Uttar Pradesh	Mirzapur
17.	West Bengal	Bankura
18.	West Bengal	Purulia
IAP-III		
1.	Bihar	Sitamarhi
2.	Bihar	West Champaran
3.	Madhya Pardesh	Chindwara
4.	Madhya Pradesh	Singrauli

F.No. 11-9/98-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110510
Dated 1st February, 2013

To,

The Principal Secretary (Forests),
All States/ Union Territory Governments

Sub:- General approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Departments involoving not more than 5.00 hectares of forest land in each case in 60 Left Wing Extremism (LWE) affected districts- ***reg.***

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 13.05.2011 and 10.12.2012 read with this Ministry's letter of even number dated 16.06.2011, on the above mentioned subject, wherein this Ministry accorded general approval under Section-2 of the Forest (Converstion) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure of 13 categories, specified in this Ministry' said letter dated 13.05.2011, by Government Department involoving not more than 5.00 hectares of forest land in each case in 82 Left Wing Extremism (LWE) affected districts identified by the Planning Commission and the Ministry of Home Affairs for implemenation of the Integrated Action Plan (IAP). The 13 categories of infrastructure projects covered by the said general approval include rural roads.

This Ministry has received representation from State Governments and Ministries in the Central Government to extend the said general approval to all categories of roads. This Ministry has also received representations to extend the said approval to quarrying of materials used in construction of public roads.

The matter has been examined in its entirety in considerable depth by this Ministry and after careful consideration, this Ministry hereby decides to extend the said general approval to all categories of public roads and quarrying of materials used in construction of public roads.

The general approval for roads other than rural roads and quarrying of materials used in construction of public roads shall be subject to fulfillment of the conditions stipulated by this Ministry in its letters of even number dated 13.05.2011 and 10.12.2012 read with this Ministry's letter of even number dated 16.06.2011.

This issues with approval of the Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Environment and Forests.

Yours' faithfully
Sd/-
(H.C.Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.
2. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, New Delhi.
3. The Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat, New Delhi.
4. The Member Secretary, Planning Commission, Government of India, New Delhi.
5. The Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi.
6. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
7. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
8. All Regional Offices, Ministry of Environment & Forest.
9. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF.
10. All Assistant Inspector General of Forests Conservation Division, MoEF.
11. Director, R.O (HQ), Ministry of Environment & Forest, New Delhi.
12. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
13. Sr. PPS to the Secretary, Environment and Forests.
14. Sr. PPS to the Director General of Forests & Special Secretary, MoEF.
15. Guard File.

Sd/-

(H.C.Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forests

F.No. 11-9/98-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110510
Dated 16th June, 2011

To,

The Principal Secretary (Forests),
All States/ Union Territory Governments except Jammu and Kashmir

Sub: General approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Departments involoving not more than 5.00 hectares of forest land in each case in 60 Left Wing Extremism (LWE) affected districts- *reg.*

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 13.05.2011. wherein this Ministry in partial modification of its earlier letter of even number dated

03.11.2010 further relaxed the existing general approval under Section-2 of the forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Departments from 2.00 ha of forest land in each case to 5.00 ha of forest land in each case in 60 (sixty) Left Wing Extremism (LWE) affected districts and to say that in partial modification of the condition indicated as sl. No. (ii) and (iv) at page-2 of the said letter dated 13.05.2011 no compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted in accordance with the said general approval shall be insisted upon.

I am further directed to say that all those proposals where decision on diversion of forest land could be taken by the State Governmnet in accordance wih the said general approval, but have already been submitted to this Ministry or its Regional Offices and the decision on-diversion of forest land indicated in these proposals has not been taken by the Ministry or its Regional Officers so far, will be returned back to the respective State/ UT Government for taking decision in accordance with the said general approval.

Yours' faithfully
Sd/-
(H.C.Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Director, Prime Minister's Office, New Delhi for kind information.
2. The Secretary, (Coordiantion), Cabinet Secretariat, New Delhi.
3. The Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
4. The Member Secretary, Planning Commission, New Delhi.
5. The Secretary, Ministry of Rural Development, New Delhi.
6. The Secretary, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

संख्या: वन भूमि 24/2012- 474 (ई०) पटना 15 दिनांक- 30.08.2012

1. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक-11-9/98-FC दिनांक- 03.01.2005 के द्वारा वनों के ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने वाले निम्नांकित जनोपयोगी विकास कार्यो के लिए 1.00 हे० तक वन भूमि के अपयोजन की सामान्य स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत् प्रदत्त की गयी है ।

(i) स्कूल
(ii) डिस्पेन्सरी/ अस्पताल
(iii) विद्युत एवं संचार लाईन
(iv) पीने के पानी की व्यवस्था
(v) जल/ वर्षा जल हार्वेस्टिंग ढ़ाँचा
(vi) लघु सिंचाई नहरें
(vii) गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत
(viii) कुशलता उन्नयन/ व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
(ix) विद्युत सब-स्टेशन
(x) संचार पोस्ट
(xi) गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन/ आउट पोस्ट/ बार्डर आउटपोस्ट/ वाच टावर ।

इन मामलों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत् राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के अपयोजन से संबंधित स्वीकृति आदेश निर्गत् किया जाता है । सम्प्रति यह सामान्य स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पत्र के दिनांक-11.09.2009 द्वारा दिनांक-31.12.2013 तक विस्तारित की गयी है ।

2. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक-11-9/98-FC दिनांक- 13.05.2011 द्वारा वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) प्रभावित देश के 60 जिलों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु सरकारी विभागों द्वारा कराये जाने वाले जनोपयोगी कार्यो हेतु 5.00 हे० तक वन भूमि के अपयोजन की सशर्त सामान्य स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत् दिनांक-31.12.2015 तक प्रदत्त की गयी है । इस जनोपयोगी कार्यो में कंडिका-1 पर अंकित कुल ग्यारह कार्यो के अतिरिक्त ग्रामीण सड़क का निर्माण एवं भूमिगत आप्टिकल फाइबर के बिल/ टेलीफोन लाईन/पीने के पानी की सप्लाई लाईन के लिए वन भूमि अपयोजन शामिल है । भारत सरकार द्वारा चिन्हित देश के 60 एल०डबलू०ई० जिलों में बिहार राज्य के 7 जिले औरंगाबाद, अरवल, नवादा, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई शामिल है।)

3. बिहार राज्य में इन सरकारी विभागों द्वारा कराये जाने वाले जनोपयोगी विकास कार्यो के लिए 1 हे० तक एवं एल०डबलू०ई० जिलों में 5.00 हे० तक वन भूमि अपयोजन में मामलों के त्वरित निष्पादन के लिये, वन भूमि अपयोजन की अनुमति देने का अधिकार नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) बिहार को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

4. उपर्युक्त कार्यो के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत 1 हे० तक एवं एल०डबलू०ई० जिलों में 5 हे० तक वन भूमि के अपयोजन की शक्ति निम्नांकित शर्तों के तहत् नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया हैः-

(i) सरकारी विभागों द्वारा कराये जाने वाले केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित जनोपयोगी विकास कार्यो के लिए ही 1.00 हे० तक एवं एल०डबलू०ई० जिलों में 5.00 हे० तक वन भूमि का अपयोजन नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा किया जा सकेगा ।

(ii) इन जनोपयोगी विकास कार्ये की स्वीकृति आवश्यकता आधारित होगी ।

(iii) वन भूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी ।

(iv) प्रयोक्ता एजेन्सी वन (सरंक्षण) नियमावली, 2003 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में परियोजना प्रस्ताव नोडल पदाधिकारी वन (संरक्षण) को समर्पित करेंगे । नोडल पदाधिकारी वन (संरक्षण) द्वारा इन मामलों में वन (संरक्षण) नियमावली, 2003 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा ।

(v) प्रत्येक परियोजना के लिए हे० 50 वृक्षों से अधिक पातन नहीं होना चाहिए ।

(vi) परियोजना क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यप्राणी आश्रयणी/ सुरक्षित क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए ।

(vii) संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी यह आकलन करेंगे कि परियोजना के लिए न्यूनतम वन भूमि का अपयोजन हो ।

(viii) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) प्रधान मुख्य वन संरक्षक का अनुशंसा प्राप्त करने के उपरांत ही अपयोजन की स्वीकृति देंगे ।

(ix) नाभिक पदाधिकारी (वन संरक्षण) इन मामलों में प्रदत्त स्वीकृति आदेश की एक प्रति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, एक प्रति मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एडहाॅक कैम्प एवं एक प्रति पर्यावरण एवं वन विभाग को भेजेंगे ।

(x) नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) प्रत्येक वर्ष की 30 जून एवं 31 दिसम्बर तक का छमाही प्रतिवेदन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करायेंगे । इस प्रतिवेदन में इन मामलों में अपयोजित वन भूमि एवं उसका अपयोजन जिस उद्देश्य से हुआ है, उसके अनुपालन की स्थिति अंकित होगी।

(xi) अपयोजित होने वाले वन क्षेत्र में पातित किये जाने वाले वृक्षों के दुगेने संख्या में वनरोपण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना खर्च पर किया जायेगा । वनरोपण स्थल का चयन संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा ।

(xii) अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिए क्षतिपूरक वन रोपण की राशि, एन०पी०भी० (विभागीय संकल्प संख्या-513 (ई०), दिनांक-27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर) प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूलनीय होगी, जो एडहाक-कैम्प फण्ड में जमा किया जायेगा ।

(xiii) सरकारी विभागों द्वारा किये जाने वाले जनोपयोगी कार्यो के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य स्वीकृति आदेश पत्रांक-11-9/98- FC दिनांक-03.01.2005, 11.09.2009 एवं भूमिगत आप्टिकल के बिल/ टेलिफोन लाईन/ पीने के पानी की सप्लाई लाईन के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-9/98- FC दिनांक-16.10.2000 एवं 08.04.09 तथा एल०डब्लू०ई० जिलों के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक-11-9/98- FC दिनांक-03.01.10 एवं 13.05.11 द्वारा निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के तहत् अपयोजन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी जायेगी ।

(xiv) यह स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई अवधि के अंतर्गत वैध होगी ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

ह०/-
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-24/12 - 474 (ई०)/ प०व०, पटना-15, दिनांक-30.08.12

प्रतिलिपिः- ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि मुद्रित गजट की 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

ह०/-
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-24/12 - 474 (ई०)/ प०व०, पटना-15, दिनांक-30.08.12

प्रतिलिपिः- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-24/12 - 474 (ई०)/ प०व०, पटना-15, दिनांक-30.08.12

प्रतिलिपिः- सभी विभाग/ सभी विभागाघ्यक्ष/ मुख्यमंत्री सचिवालय/ उप मुख्य (पर्यावरण एवं वन विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/ सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ सभी मुख्य वन संरक्षक/ सभी वन संरक्षक/ सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/ नोडल पदाधिकारी(वन संरक्षण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-24/12 - 474 (ई०)/ प०व०, पटना-15, दिनांक-30.08.12

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 17.08.2012 में मद संख्या-06 के रूप में सम्मिलित प्रस्ताव की स्वीकृति के अनुपालन के क्रम में प्रेषित ।

ह०/-
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

पत्रांक-1/पी.एम.सी./विविध/907/2012-317

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस०के० चटर्जी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक-08.04.2013

विषयः- नहर एवं नदी तटबंध के बाहरी स्लोप पर वृक्षारोपण के संबंध मे ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबध में सूचित करना है कि नहर एवं नदी तटबंध के बाहरी स्लोप (Outer Slope) पर वृक्षारोपण के संबंध में दिनांक 26.03.2013 को मुख्य सचिव, बिहार की अघ्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति की एक समीक्षा बैठक हुयी ।

2. उक्त सम्पन्न समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग तथा पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के पदाधिकारियों के बीच हरियाली मिशन के तहत वृक्षारोपण एवं प्रजाति चयन के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर सर्वसम्मति से आम सहमति बनी यथा -

(क) भारतीय मानक विशिष्टि I.S-11532/1995 की कंडिका (2.8.1) के अनुसार "The Planting of trees on embankments should not be permitted because their roots tend to loosen the structures of the embankment when shaken by wind storm which inturn, cause cracks & leakage."
केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग, भारत सरकार के स्तर से निर्गत तटबंध मैनुअल (Embankment Mannual) की कंडिका 4.15 के अनुसार ‘‘नदी तटबंध के साइड स्लोप एवं कंट्री साइड में टो से 20 फीट तक की दूरी तथा रीभर साइड में 10 फीट तक की दूरी को सभी प्रकार को वृक्षो (मात्र लघु घास को छोड़कर) से मुक्त रखा जाना है ।’’

(ख) बाहरी स्लोप का निचला भाग जहाँ समतल जमीन से मिलता है वहाँ पानी रिसने की समस्या रहती है । पैतृक विभाग द्वारा वहाँ इसे रोकने/विनियमित करने के लिए लगभग तीन-चार फीट चैड़ाई में आवश्यकतानुसार संरक्षण का निर्माण किया जाता है । इसलिए वांध के इस भाग में वृक्ष नहीं लगाये जायेंगे ।

(ग) बांध के नीचे के चाट की भूमि पर वृक्षारोपण का पूर्व से निर्णय है । यहॉ जमीन की उपलब्धाता एवं कोटि के अनुसार उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण पर इस शर्त के साथ सहमति बनी कि इसपर वन संरक्षण अधिनियम लागू नही होगा ।

(घ) नहरों के बीच में स्वतः उगने वाले पेड़ों को तथा बाढ़ जैसे आपातकालीन स्थिति में पेड़ों को पातित कर जिला प्रशासन की देख-रेख मे वनागार में पहुँचाने का अधिकार जल संसाधन विभाग को सुरक्षित रहेगा ।

<u>प्रजाति का चयन -</u>

(क) नदी तटबंध के चार्ट लैंड एवं नहर तटबंध के बाहरी स्लोप के निचले 50 प्रतिशत भू-भाग पर ऐसी प्रजाति के पौधों के रोपण की जा सकती है जिनकी परिपक्कता अवधि कम होती है, तथा जिनकी जड़ों का फैलाव ज्यादा नही होता है। इस श्रेणी में शीशम, गम्हार, सागवान, सेमल, कदम्ब, करंज, आवला, सहजन, बास, बवूल, यूकेलिप्टस, बैर आदि प्रजाति के पौधों का रोपण किया जा सकता है।

(ख) तटबंध के ऐसी जगह पर जहॉ मृदा क्षरण की समस्या ज्यादा होने की संभावना होती है वहॉ विशेषकर मृदा संरक्षण रोकने वाली झाड़ीदार प्रजातिया यथा बॉस फलेमेजिया, टरैर्फोसिया, करंज, ऑवला, वाइटैकस, सैलेकस, सहजन एवं विभिन्न प्रकार के घास लगाये जा सकते है ।

3. इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग के शिविरों, निरीक्षण भवनों इत्यादि के परिसर में वृक्षारोपण किया जा सकता है।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि वृक्षारोपण से संबंधित सरकारी भूमि का विस्तृत ब्यौरा अपने प्रक्षेत्रों से संबंधित वन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए एवं उपर्युक्त वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । इस दिशा निर्देश की प्रति कृपया अपने स्तर से अपने अधीनस्थ अंचलों/ प्रमंडलों को देते हुए निर्देश का अनुपालन सुनिश्ति कराया जाए ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एस०के० चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक - 317पटना, दिनांक- 08.04.2013

प्रतिलिपि- सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

ह०/-

(एस०के० चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक - 317पटना, दिनांक- 08.04.2013

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख (उत्तर/मघ्य)/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल संख्या-2,3,4 एवं बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल एवं सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(एस०के० चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-बाढ़ (मो०) सिं०वि०-70/12-575

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० नेगी,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

अभियन्ता प्रमुख (उत्तर/मघ्य)

सभी मुख्य अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सं०-1, 2, 3 बाढ़ (मो०) अन्य सभी

अधीक्षण अभियन्ता

सभी कार्यपालक अभियन्ता

जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक- 20.03.13

विषयः- दायित्व समिति की कार्य प्रणाली एवं लंबित दायित्व के भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका घ्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पूर्व में कई विभागीय परिपत्रों/ पत्रों द्वारा दिये गये निदेशों के आलोक में विभाग को दायित्व मुक्त हो जाना चाहिये था । किन्तु यह देखा जा रहा है कि अभी भी क्षेत्रीय स्तर से दायित्व संबंधी भुगतान के मामले प्राप्त हो रहे है एवं न्यायालय द्वारा कई दायित्व संबंधी मामलों पर कतिपय निदेश प्राप्त हो रहे है जिसका ससमय अनुपालन नहीं होने पर विभाग को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है । इस स्थिति से निपटने एवं विभाग को दायित्व मुक्त करने हेतु आपका सजग एवं प्रतिबद्ध होना आवश्यक है ।

2. उल्लेखनीय है कि ऐसे मामलों को ही दायित्व की संज्ञा दी जाय, जिन मामलों में कार्य कराया जाना संदिग्ध नहीं हो तथा कार्य के भौतिक एवं अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध हो अन्य मामलों को दावों की श्रेणी में रखा जाय । दावों के निबटारे हेतु अलग से वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित है । दायित्व की संज्ञा मात्र वैसे मामलों को दी जाय जिसमें कार्य निर्विवाद हो और अंश भुगतान हो चुका हो तथा आवंटन की कमी, कोषागार में भुगतान पर रोक और चेक को कोषागार द्वारा कतिपय कारणों से पारित नही किया जा सका हो ।

3. सभी कार्य प्रमंडल अपने मुख्य अभियंता के माध्यम से हर वर्ष 15 मई तक वित्तीय वर्ष के ऐसे सभी मामलों की सूची, कारण दर्शाते हुए संबंधित अभियन्ता प्रमुख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे जिन मामलों मेे विगत वित्तीय वर्ष में कार्य हुआ हो, परन्तु भुगतान नही हो सका (कारण सहित) । इसके लिये सभी मापीपुस्त (MB) की पूर्णतः जाँच (Scrutiny) कर लिया जाय एवं यदि मापपुस्त (MB)में कोई ऐसी प्रवृष्टि (entry) हो जिसका भुगतान नही हुआ हो तो तथाकथित कार्य की स्थलीय जाँच कार्यपालक अभियन्ता स्वयं करेंगे एवं तत्संबंधी प्रमाण-पत्र देंगे कि उपरोक्त कार्य वास्तविक रूप से कराया गया है अथवा प्रवृष्टि जाली है । जाली प्रवृष्टि पाये जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियन्ता नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई करेंगे एवं मुख्य अभियन्ता के माध्यम से मुख्यालय को प्रतिवेदन करेंगे । ऐसे मामलों में उड़नदस्ता के द्वारा जाँच भी करायी जायेगी ।

4. जल संसाधन विभाग के अधीन बाढ़ संबंधी कार्यो, जो नदी के कटाव एवं व्यवहार के कारण पूर्णतः या आंशिक क्षतिग्रस्त हो गये हो अथवा नदी में विलीन हो जाने के कारण स्थलीय जाँच संभव नही हो सकता है, की पुष्टि उपलब्ध अभिलेख-यथा कार्य के दौरान कराये गये विडियोग्राफी, फोटोग्राफी, निरीक्षण प्रतिवेदन, गुणवत्ता जांच प्रविवेदन, बेतार संवाद, प्रगति प्रतिवेदनों आदि के आधार पर गहन समीक्षा कर की जाय । कार्य स्थल पर उपलब्ध नही होने पर तिथिवार लिये गये फोटोग्राफी, निरीक्षण प्रतिवेदन, तथा प्रतिदिन के बेतार सम्वाद द्वारा प्रगति प्रतिवेदन में प्रतिवेदित मात्रा में न्यूनतम पर ही विचार करेगी और इस संबंध में कार्य कराये जाने से संबंधित प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता के माध्यम से पूर्ण संतुष्ट होने बाद दायित्व समिति के समक्ष रखेंगे और दायित्व समिति पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात् अपनी अनुशंसा समर्पित करेगी । दायित्व समिति, जिन मामलों में स्थल पर किये गये तथाकथित कार्य को नही पाता है या अभिलेखीय जाँच से संतुष्ट नही है तो वैसे मामलों को सकारण अस्वीकृत करते हुए एवं इस हेतु जिम्मेदार पदाधिकारी/ कर्मचारी/ संवेदक को चिन्हित करते हुए अनुशंसा प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगा ।

5. दायित्व समिति का यह भी दायित्व है कि संवेदक के दायित्व की भी जांच करें संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक द्वारा ससमय कार्य नहीं कराये जाने से विभाग को हुई क्षति, बाढ़ संघर्षात्मक कार्य पर संवेदक की लापरवाही के कारण किये गये व्यय आदि पर भी विचार किया जायेगा ।

6. जिन मामलों को दायित्व समिति पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात् भुगतान योग्य पाता है, उनके लंबित भुगतान हेतु नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए भुगतान की कार्रवाई ससमय की जाय।

7. 15 मई के पश्चात् समर्पित होने वाले विगत वर्ष के दायित्व संबंधी मामलों पर संबंधित मुख्य अभियंता विलंब से भेजने के कारण भी अंकित करते हुए विलंब के लिये जिम्मेदार कर्मियों को भी चिन्हित करेंगे।

उपर्युक्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए हर हाल में विभाग को दायित्व से मुक्त करना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एस० के० नेगी)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/484/2000 पार्ट-II 20 पटना, दिनांक-04.01.2013

<u>आदेश</u>

विभागीय आदेश संख्या-1/पी०एम०सी०/विविध/484/2000-455 दिनांक 20.05.2008 को विलोपित करते हुए कार्यहित में विभागीय आदेश सं०-1/पी०एम०डी०/3/18/99/1284 दिनांक 18.10.02 के द्वारा निर्गत आदेश को निम्नवत् पुनर्स्थापित किया जाता हैः-

1. जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में गुण नियंत्रण के कार्य को कारगर ढंग से करने हेतु बड़े-बड़े कार्य जैसे बाध (मिट्टी, कंक्रीट एवं मैसनरी) बराज, स्पिलवे, आउटलेट, हेड रेगुलेटर एवं नहर की बड़ी-बड़ी संरचनायें जिसकी लागत एक करोड़ रूपये से अधिक है, वैसे कार्यो के गुण नियंत्रण का भार एवं उत्तदायित्व मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपाकण एवं शोध के अधीन शोध एवं प्रशिक्षण अंचल अन्तर्गत शोध संस्थान, खगौल, पटना को सौंपा जाता है ।

2. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत वैसे सभी कार्य जिसकी लागत एक करोड़ रूपये तक हो, के गुण नियंत्रण संबंधी कार्य का भार एवं उत्तरदायित्व क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के अधीन कार्यरत गुण नियंत्रण अंचल/ प्रमंडल का होगा ।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा ।

ह०/-
(एस०के०चटर्जी)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/विविध/484/2000 पार्ट-II.20पटना, दिनांक-04.01.2013

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभगा/ अभियंता प्रमुख(उत्तर) एवं (मघ्य)/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षण कोषांग (मंत्रिमंडल निगरानी विभाग)/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंत्रण, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4 एवं बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/ सिंचाई अंचल, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(एस०के०चटर्जी)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/484/2000 पार्ट-II - 24

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस०के०चटर्जी

संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता

जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक - 04.01.2013

विषयः- गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से संबंधित जाॅच उपकरणों के क्रय के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि सभी मुख्य अभियंताओं के स्तर पर गुण नियंत्रण से संबंधित प्रयोगशालाओं में जांच उपकरणों का क्रय योजनाओं के Work contingency के अन्तर्गत भारित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एस०के०चटर्जी)

संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

No. 16(12)/1/2003-WR
Planning Commission
(WR Division)

Yojana Bhavan, Sansad Marg,
New Delhi, Dated 29th June, 2012

To,

The Chief Secretary
Government of
(As per list)

Sub: Enhancement of powers of the State Governments for the Sanction of flood control, drainage and anti-water logging scheme.

Sir,

As the State Governments are aware, the investment approval of the Planning Commission to new flood control and drainage schemes having inter state/international ramifications has been a pre-requisite for their inclusion and funding in the States Plan. The Planning Commission's letter nos. 16(12)/1/99-WR dated 09.09.2003 and 16 (12)/1/2005-WR dated 8.11.2005 lays down the procedure for submission and examination of such flood control, drainage and anti-water logging projects.

2.0 Vide Planning Commission letter no.16(12)/1/99-WR dated 09.09.2003 the powers of the State Government to sanction flood control schemes on inter state Rivers were enhanced to Rs. 7.5 crore and the schemes with estimated cost more than Rs. 7.5 crore were required to be accorded investment clearance by the Planning Commission for inclusion in the state plan on the recommendations of the CWC/GFCC/Advisory Committee of MoWR as the case may be. Further, vide Planning Commission letter no.16(12)/1/2005-WR dated 08.11.2005 it was decided that the approval of the State Flood Control Board will be required only for flood management (including drainage and anti water logging) schemes costing above Rs. 30 crore. With a view to delegate more powers to the State Governmnets, the issue was reviewed in the Planning Commission and it has been decided by the Deputy Chairman, Planning Commission that the flood control, drainage, anti water logging project which are on inter-state rivers and tributaries will be sanctioned and included in the plan as per the procedure detailed below:-

(a) Schemes costing upto Rs. 12.50 crore.

(b) Schemes costing more than Rs. 12.50 crore and not exceeding Rs. 25.00 crore and

(c) Schemes costing more than Rs.25.00 crore.

Accordingly and in supersession of the relevant instructions contained in the earlier letter dated 09.09.2003 and 08.11.2005 cited above, the procedure for submission of such schemes by the States and their examination at the Centre and consideration by

the Advisory committee for consideration of techno-economic viability of major, medium irrigation, flood control and multipurpose project proposals under Ministry of Water Resources (called hereafter as Advisory Committee) will be, with immediate effect, as follows:

2.1 Schemes costing upto Rs. 12.50 crore

2.1.1 The Schemes proposed by the Flood Control Department will be sanctioned by the State Government concerened on the recommendation of the State Technical Advisory Committee, for their inclusion in the Annual Plan & Five year plan of the State Government.

2.1.2 Schemes other than those in the Ganga Basin which, in the opinion of any member of the State Technical Advisory Committee have inter-State implications, should be got examined and cleared by the Central Water Commission (CWC) before they are sanctioned by the State Government. Schemes in the Ganga Basin which, in the opinion of any member of the State Technical Advisory Committee, have inter-State implications should be got examined and got cleared by the Ganga Flood Control Commission (GFCC). Schemes which, in the opinion of any member of the State Technical Advisory Committee have international implications should be got cleared by the Ministry of Water Resources before they are sanctioned by the State Government concerned.

2.1.3 The Schemes under the following categories may be sanctioned by the State Governments.

(a) Raising and strengthening of existing embankments,

(b) Retired lines for existing embankments,

(c) Investigations of flood control, drainage, anti-water logging and anti-sea erosion works,

(d) Raising of villages.

Refernce of the schemes under the above categories to the State Technical Advisory Committee will not be necessary. A schematic report of tghe schemes of category(b) above should be sent by the State Governments to the Ministry of Railways and to the Ministry of Surface Transport (Road Wing) for information.

2.1.4 The sanction of schemes by the State Governments would be subject to the financial provisions that may be made available from year to year. The schemes need not be referred to the Planning Commission for approval. A list of schemes sanctioned by the State Governments together with the information in the proforma in Statement "A" in respect of each scheme should be supplied by the State Government, soon after sanctioning the scheme, to the CWC and the Planning Commission. Where the schemes relate to the Ganga basin, the above information will be furnished to the GFCC and the

Ministry of Water Resources also. In case of schemes relating to the Indus-Basin, the above information should be supplied to the Ministry of Water Resources also.

2.1.5 All emergent schemes costing upto Rs. 35 lakhs each to be carried out during the flood season which do not have inter-departmental/inter-state/international aspects and which do not affect the highways and the railways may be santioned by the State Governments on the recommendation of the State Chief Engineer.

2.2 Schemes costing more than Rs. 12.50 crore and not exceeding Rs. 25.00 crore.

2.2.1 The scheme will be processed as follows:

(i) The schemes prepared by the Flood Control Departments which are on inter State rivers and tributaries will be processed through the State Technical Advisory Committee and will be submitted to the CWC (for schemes in basins other than Ganga basin) and to the GFCC (for schemes in Ganga basin) in enclosed Statement "B"

(ii) All these schemes will be examined by the CWC and the GFCC as the case may be.

(iii) On the recommendation of the CWC/GFCC as the case may be,the approval of these schemes for inclusion in Plan will be processed by teh Planning Commission.

2.2.2 Schemes with international implications will follow similar procedure as in para 2.2.1 except that State Government will obtain specific clearance of the MOWR before they are recommended by the CWC/GFCC for approval of the Planning Commissions in the manner indicated in para 2.2.1 (iii)

2.2.3 The following categories of embankment schemes may be considered as having inter-state implications:

(a) Such of the schemes which lie in or extend to a limit of 8km from the border, on an inter-State river which does not flow down to any other State, but whose effect may extend in the upper State.

(b) Embankment schemes which are on rivers or tributaries which flow down to another State.

2.2.4 The following categories of embankment schemes may be considered as having international implications:

(a) Embankment schemes on the Indus river system.

(b) Embankment schemes in certain estuaries creeks affecting the adjoning estuaries in another country.

(c) Embankment schemes on rivers or tributaries which fall into parent rivers such as Ganga or Brahmaputra following ultimately into another country.

2.2.5 The following categories of schemes in the Ganga and Brahmaputra river basins which are prima-facie free from possible international repercussions need not be referred to the Ministry of Water Resources for clearance.

(a) Raising and strengthening of existing embankments.

(b) Drainage schemes comprising excavation of new drains and or provisionof sluices in the various existing embankments.

(c) Schemes for channel improvement and closing of spill, well away from the Border.

(d) River trianing schemes sufficiently away from the border.

(e) Anti-erosion schemes sufficiently away from the border.

2.3 Schemes costing more than Rs. 25.00 crore

In case of schemes, each costing more than Rs. 25.00 crore, detailed project reports have to be prepared by the Flood Control Departments and processed in the same manner as indicated under Section 2.2 above and, there after, the project reports will be sent by the State Governments to the CWC (to the GFCC in the case of schemes in the Ganga basin) for detailed examination with a copy to the Planning Commission and,where required , to the Ministry of Water Resources. The CWC/GFCC will process the schemes for consideration of the Advisory Committee. The schemes after the acceptance of the Advisory Committee will be considered for investment approval of the Planning Commission. However, for schemes costing Rs. 30.00 crore or more, the approval of the State Flood Control Board would be necessary.

3.0 Modification and Revision of Schemes

3.1 The procedure mentioned hereunder will be followed in respect of flood control, drainage, anti-water logging schemes which undergo modification and/or revision subsequent to their approval on account of a change in their scope and/ or a change in their estimated cost.

3.2 If the scope of the scheme involoving inter-State/ internatonal aspects requires a modification/ revision resulting in an increase in the cost of more than 10% but the revised cost of the scheme still continues to be Rs. 25.00 crore or less, such modifications should be intimated by the State Government to the CWC (GFCC, in the case of schemes in

Ganga basin) and the Ministry of Water Resources and the Planning Commission, for review and clearance/ approval as required. Where, however, the revised cost is more than Rs. 25.00 crore the revised estimate should be processed in the maner as indicated in Section 2.3 above for consideration of the Advisory committee of the Ministry of Water Resources and investment approval by the Plannig Commission.

3.3 In the case of a scheme involving a change in its estimated cost only, if the revised cost of the scheme is Rs. 25.00 crore or less, irrespective of the percentage increase in cost, only the increase in cost and the main reasons there of need be intimated. Where, however, the revised cost is more than Rs. 25.00 crore, if the revision results in an increase in the cost of more than 10% or Rs. 2.50 crore, whichever is less, the revised estimate should be processed in the manner as indicated in Section 2.3 above for consideration of the Advisory Committee of the Ministry of Water Resources and investment approval by the Planning Commission. This procedure will also be followed in the case of schemes involviong a change in scope.

3.4 This is subject to obtaining the requisite administrative and statutory clearances by the competent authority as may be needed for processing a scheme under the procedure laid down hitherto.

3.5 In this connection, the Planning Commission wish to reiterate that no work or any flood control, drainage and anti-water logging scheme would be undertaken by the State Governments unless the schemes are approved in accordance with the procedure laid down in the paragraphs above. In the case of schemes which undergo modification and revision subsequent to their approval, the information required to be submitted to the CWC, the GFCC and the Planning Commission under para 3.0 above should be submitted well in advance so that the approval for the revised scheme is obtained from the Planning Commission before any additional commitments are made in respect of them.

4.0 This has a concurrence of Deputy Chairman, Planning Commission.

Your's faithfully
Sd/-
(Avinash Mishra)
Jt. Adviser(WR)

Encl: Proforma "A" & "B"

STATEMENT "A"

PROFORMA IN WHICH INFORMATION IS REQUIRED TO BE FURNISHED BY THE STATE GOVERNMENT IN RESPECT OF FLOOD CONTROL, DRAINAGE, ANTI-WATER LOGGING AND ANTI-SEA EROSION SHCEMES COSTING LESS THAN Rs. 12.50 CRORE EACH SANCTIONED BY THE STATES.

1. Name of the Scheme (attach index map)
2. Name of the river, river basin and district in which the schemes is situated.
3. Name of scheme-whether new embankments, raising and strengthening of existing embankment, drainage, anti-erosion, town protection etc. along with typical drawing of the components proposed.
4. Length of embankment of drainage channels.
5. Estimated cost with price level
6. Area benefited/population benefitted.
7. Damage details of the area for last 3 years.
8. Date of sanction of the scheme and scheduled date of completion.
9. Whether inter-State/international aspect of the scheme, if any, has been examined by the State Techincal Advisory Committee and, where necessary, clearance of the CWC/GFCC and the Ministry of Water Resources has been obtained.
10. Status of requisite administrative/ statutory clearance.

STATEMENT "B"

PROFORMA IN WHICH INFORMATION IS REQUIRED TO BE FURNISHED BY THE STATE GOVERNMENT IN RESPECT OF FLOOD CONTROL, DRAINAGE, ANTI-WATER LOGGING AND ANTI-SEA EROSION SHCEMES COSTING LESS THAN Rs. 25.00 CRORE BUT MORE THAN RS. 12.50 CRORE EACH.

1. Name of the Scheme (attach index map)
2. Abstract of cost, including foreign exchange components, if any.
3. Skeleton reports along with typical drawing of the components proposed.

4. Area and population which will get protected by the project.

5. Damage details of the area for last 3 years.

6. (i) Betterment levy or flood cess, if any, proposed for the area to be protected from floods or water logging or sea erosion.

   (ii) Anticipated revenue therefrom

7. (a) Benefit cost ratio

   (b) Cost per ha. of area protected.

8. The extent to which people's participation is envisaged for the execution of the schemes and in what form.

9. Whether inter-State/international aspect of the scheme, if any, has been examined by the State Techincal Advisory Committee and, where necessary, clearance of the CWC/GFCC and the Ministry of Water Resources has been obtained.

10. Status of requisite administrative/ statutory clearance.

11. Target date of completion.

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. Secretary (WR)
2. Secretary, Deptt. of North East Region, Vigyan Bhawan
3. Commissioner (ER)/ Indus/Projects/PP
4. Chairman, CWC
5. Member (RM)/ Member (WP&P)
6. CE, PAO/CE, FM/CE, FCD
7. Chairman, GFCC — 3 copies
8. Ministry of Finance,Deptt. of Expenditure, Plan Finance Section, New Delhi — 5 copies
9. Ministry of Railways — 10 copies
10. Ministry of Transport (Road Wing) — 10 copies
11. Chairman, Brahmaputra Board, Guwahati — 10 copies
12. <u>All State Governments/UTs</u>
    (a) Secretary, Planning — 5 copies
    (b) Secretary, Water Resouces/Flood control Deptt. — 5 copies
    (c) Chief Engineer,Water Resources/ Flood Control Deptt. — 5 copies

Copy also for kind information to

13. PS to DCH/PS to MoS (Plg.)/PS to all Members

14. PPS to Secretary (Planning Commission)

15. Adviser (PAMD) Adviser (SP-NE)

Sd/-
(Avinash Mishra)
Joint Adviser (WR)

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

पत्रांक- बाढ़(मो०)सिं०वि०-45/06(अंश-2)-848, / पटना, दिनांक-26.03.12

<u>आदेश</u>

निदेशानुसार राज्य के नदियों के विभिन्न पारामीटरों का निर्धारण तथा आंकड़ा संग्रह कर गणितीय माॅडल तैयार करने हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सूचना सहायक केन्द्र, पटना को नामित करते हुए पूर्व निर्धारित कार्यो के अतिरिक्त मोडलिंग से सम्बद्ध कार्यो की निम्नरूपेण जिम्मेवारी निर्धारित की जाती हैः-

कार्यालय का नाम	निर्धारित कार्य
मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	(i) आकडे संग्रहण करने का कार्य-
	(क) नदियों के जलपथ में निर्मित संरचनाओं का सेलीयन्ट फीचर प्राप्त करना ।
	(ख) केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय से नदियों के विभिन्न स्थलों का गेज, डिस्चार्ज आंकड़ा प्राप्त करना ।
	(ग) जिला सांख्यिकी कार्यालय से वर्षापात्, भूमि उपयोग एवं क्रौप पैटर्न एवं बाढ़ से हुई क्षति का आंकड़ा प्राप्त करना।
	(ii) केन्द्रीय जल आयोग, दिल्ली एवं गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आधार पर

		नदियों का आड़ीकाट तैयार करना ।
	(iii)	नदियों के विभिन्न स्थलों पर गेज एवं डिसचार्ज स्टेशन स्थापित करना एवं आंकड़ा संग्रह की व्यवस्था करना ।
	(iv)	नदियों के विभिन्न स्टेज पर सेडीमेंट लोड के विश्लेषण के लिये सैम्पल का संग्रह करना एवं उसकी जाँच शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, खगौल से कराना ।
	(v)	जल विज्ञान निदेशालय अंतर्गत दो उपनिदेशक है जिनमें से एक को गेज एवं जलश्राव आंकड़े संग्रहण करने तथा दूसरे को सेडीमेंट विश्लेषण हेतु आंकड़े एकत्रित करने के लिए कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर कार्य संपादन करना ।
	(vi)	जल विज्ञान निदेशालय द्वारा गेज/डिस्चार्ज स्थलों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार चिन्हित करने तथा पुराने स्टेशनों को पुनर्स्थापित करने का कार्य का कार्यान्वयन।
संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सूचना सहायक केन्द्र, पटना	(i)	गणितीय प्रतिमान (मैथेमेटिकल माडलिंग) कार्य हेतु प्रशिक्षित अभियंताओं द्वारा विभिन्न नदियों का मैथेमेटिकल मा ॅडलिंग का कार्य।
	(ii)	0.5 मी० इंटर्भल पर कन्टुर्स मैप तैयार करना ।

2. मैथेमेटिकल मोडलिंग कार्य हेतु प्राथमिकता अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी ।
3. कार्य का पाक्षिक अनुश्रवण प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा एवं संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबन्धन सुधार सहायक केन्द्र, अनीसाबाद, पटना उनके माध्यम से आवश्यकतानुसार विभागीय अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
4. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक- बाढ़(मो०)सिं०वि०-45/06(अंश-2)-848, / पटना, दिनांक-26.03.12

प्रतिलिपि- मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख (मध्य)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ मुख्य अभियंता, जलविज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, पटना/ संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान/ मुजफ्फरपुर/ वाल्मीकीनगर/ समस्तीपुर/बीरपुर/पूर्णिया /भागलपुर/पटना/डिहरी/गया /औरंगाबाद/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटिरिंग अंचल, सिंचाई भवन, पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजन एवं मोनिटिरिंग अंचल-1/2/3 एवं 4 सिंचाई भवन, पटना/ अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, सिंचाई भवन, पटना/ संभी संयुक्त सचिव/ सभी अवर सचिव प्रबंधन कोषांग सहित, जल संसाधन विभाग, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-20,21,29 एवं 31, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/812/2009-299

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

जय किशोर
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग

पटना, दिनांक- 31.03.2011

विषयः- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सड़कों के निर्माण उन्नयन, रख-रखाव जीर्णोद्धार आदि की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग को सौंपने के संबंध में ।

प्रसंगः- ग्रामीण कार्य विभाग का संकल्प सं० ज्ञापांक- मु०अ०-4-PMGSY-5-1220/09-5385 दिनांक 28.08.2009 ।

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित राष्ट्रीय उच्च पथ एवं पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व को सड़कों के इतर सभी सड़कों के निर्माण, पुनर्निमाण, उन्नयन एवं रख-रखाव का दायित्व ग्रामीण कार्य विभाग को सौंपा गया है । अतः निदेशित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की सूची ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराकर समय-समय पर उनसे मरम्मति का अनुरोध किया जाय । सूची का एक प्रति मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग को भी प्रेषित की जाय ।

इस तरह के सड़कों के निर्माण/उन्नयन आदि कार्यो में नहर के रूपांकित सेक्शन एवं संरचनाओं में किसी प्रकार का परिमार्जन या प्रतिस्थापन नहीं हो इसका सतत् घ्यान रखें ।

इसकी सूचना अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भी दे दी जाय ।

अनु०- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-
जय किशोर
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-299 / पटना, दिनांक-31.03.2011

प्रतिलिपिः- सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

ह०/-
जय किशोर
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-299 / पटना, दिनांक-31.03.2011

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/4 बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/सिंचाई मोनिटरिंग, अंचल, पटना को सूचनार्थ समर्पित ।

अनु० यथोक्त ।

ह०/-
जय किशोर
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-मु०अ०-4-PMGSY-5-1220/09

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक .....

विषयः- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों मे अवस्थित सड़कों के निर्माण, उन्नयन, रख-रखाव, जीर्णोद्धार आदि की जिम्मेवारी ग्रामीण कार्य विभाग को सौंपने के संबंध में ।

ग्रामीण कार्य विभाग के जिम्मे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव का दायित्व सौंपा गया है । इसके अतिरिक्त समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के अन्य कार्य भी सरकार के द्वारा विभाग को सौंपे जाते है।

2. पथ निर्माण विभाग के जिम्मे राज्य में अवस्थित (i) राष्ट्रीय उच्च पथ (National Highway) (ii) राज्य उच्च पथ (State Highway) (iii) एवं मुख्य जिला पथ (Main District Road) के निर्माण एवं रख-रखाव का दायित्व है । इन तीन प्रकार के सड़कों की प्रकृति एवं स्वरूप स्पष्ट है तथा इनके निर्माण एवं रख-रखाव का दायित्व भी स्पष्ट रूप से निर्धारित है ।

3. पथ निर्माण विभाग को सौंपी गयी सड़कों के अलावे जो सड़कें बचती है वे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें है। इनमें निम्नांकित प्रकार की सड़कें सम्मिलित है:-

(i) ग्रामीण कार्य विभाग (पूर्व में ग्राम्य अभियंत्रण संगठन) की सड़कें ।
(ii) ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अधीन निर्मित सड़कें ।
(iii) जिला परिषद की सड़कें ।
(iv) ग्रामीण कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के अधीन बनई गयी सड़कें (कच्ची, खरंजा सहित) ।

(v) विधायक/विधान परषिद सदस्य योजना के अधीन निर्मित सड़कें ।

(vi) अन्य मदों से निरूपित एवं विकसित सड़कें ।

(vii) अवशेष ग्रामीण पथ ।

4. उपरोक्त कंडिका-3 में वर्णित सड़कों के निर्माण एव रख-रखाव के संबंध में समेकित नीति का अभाव रहा है । जो सड़कें ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के रूप में पूर्व से चिन्हित है एवं जो सड़कें PMGSY, MMGSY, NABARD राज्य योजना आदि के अधीन निर्मित हुई है या निर्माणाधीन है, उनका निर्माण एवं रख-रखाव तो ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है । परन्तु अन्य प्रकार की सड़कों के बारे में स्पष्ट दायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है। इसके चलते ऐसी सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव की समस्या बनी रहती है और इन सड़कों के जीर्णोद्धार, रख-रखाव एवं मरम्मति की कार्रवाईयां प्रभावित होती है । ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सभी प्रकार की सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु एक समेकित नीति बनाकर स्पष्ट दायित्व निर्धारण करना आवश्यक है ताकि एक विभाग के द्वारा इन कार्यो का निष्पादन हो सके ।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया किः-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित वैसी सभी सड़कें जो राष्ट्रीय उच्च पथ एवं पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व की सड़कों से इतर हों, के निर्माण, पुर्ननिर्माण, उन्नयन एवं रख-रखाव का दायित्व ग्रामीण कार्य विभाग का होगा ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित सभी प्रकार की सड़कें, जो पहले किसी भी विभाग या निकाय के द्वारा या किसी भी योजना से निर्मित रही हों, के आवश्यकतानुसार निर्माण एव रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग की होगी ।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों की वैसी सभी सड़कें जो अभी किसी भी विभाग, निकाय के द्वारा या योजना के अधीन नहीं ली गयी हों के निर्माण, रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग की होगी ।

(iv) ऐसी सभी सड़कों के आवश्यकतानुसार निर्माण, उन्नयन, जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग की होगी ।

(v) इन सभी प्रकार की सड़कों में यथा आवश्यक पुलों/पुलिया आदि का भी समावेश रहेगा ।

(vi) अन्य विभागों/निकायों/अन्य योजनाओं से निर्मित एवं अवशेष सड़कों के निर्माण, रख-रखाव के लिए राज्य सरकार अलग से राशि की व्यवस्था विभाग के बजट में करेगी । सड़क कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-मु०अ०-4-PMGSY-5-1220/09 / पटना, दिनांक-28.08.09

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-मु०अ०-4-PMGSY-5-1220/09-5385 / पटना, दिनांक-28.08.09

प्रतिलिपिः- सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव एवं सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक -बाढ़ (मो०)सिं०वि०-01/2011- 600

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अफजल अमानुल्लाह,
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
संतोष मैथ्यू,
प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक
अभियंता, (जल संसाधन विभाग)

पटना, दिनांक- 08.03.2011

विषयः- जल संसाधन विभाग के अधीन नहर पुनस्र्थापन, बाढ़ नियंत्रण, बाँध सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु मनरेगा की योजना से कार्य कराने के संबंध में।

महाशय,

आप सभी अवगत है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी एक्ट (मनरेगा) के तहत रोजगार माँगने वाले कार्डधारियों को 100 दिनों का रोजगार देने की बाध्यता कानूनन है।

2. मनरेगा की योजनाओं का कार्यान्वयन त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकारी एजेंसियों के साथ-साथ लाईन विभाग द्वारा भी किया जाना हैं । कटिहार जिले में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल काढ़ागोला द्वारा 9 बड़ी-बड़ी योजनायें वर्ष 2010-11 में कटाव रोकने के लिए ली गई एवं सफलतापूर्वक उनका कार्यान्वयन हुआ। इन योजनाओं का चयन जिला परिषद कटिहार द्वारा किया गया। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल ने योजना तैयार की एवं तदनुरूप उन्हें प्रशासनिक स्वीकृति के साथ राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया। मस्टर रॉल संधारित करने एवं जॉब कार्ड में प्रविष्टि आदि के लिए पंचायत रोजगार सेवक एवं पी.टी.ए. की सेवा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को उपलब्ध कराई गई । पूर्ण समन्वय एवं आपसी सहयोग से कटिहार में सफलता पूर्वक 1.81 करोड़ रूपये की योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ ।

3. विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नहर/कैनाल के डीसिल्टेशन, बाँध उन्नयन, कटाव रोकने हेतु स्पर निर्माण इत्यादि एवं अन्य कटाव निरोधक कार्य का कार्य जिसमें मजदूरी एवं सामग्री अनुपात क्रमशः 60:40 है अथवा मजदूरी का अंश 60 प्रतिशत से अधिक है, के लिये याजना तैयार करने हेतु प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी विशेष रूप से

इस विषय पर बैठक आहूत करेंगे । मुख्य अभियंता /अधीक्षण अभियंता सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता के साथ बैठक कर शीघ्र उन कार्यो को चिन्हित करेंगें एवं प्राक्कलन तैयार करेंगें जहाँ मिट्टी कार्य मूल रूप से होना है अथवा मजदूरी एवं सामग्री अनुपात 60:40 है। प्रत्येक जिले में वर्ष 2011-12 में योजना की उपलब्धता को देखते हुए 10-15 करोड़ तक की योजनाएँ पर कार्य किया जा सकता है।

4. अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि इस संबंध में शीघ्र बैठक आहुत की जाय एवं 2011-12 कार्य योजना/योजनाओं की सूची तैयार की जाय और तद्नुसार आवश्यक कार्य आरंभ किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-	ह०/-
(संतोष मैथ्यू)	(अफजल अमानुल्लाह)
प्रधान सचिव	प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग।	जल संसाधन विभाग।

पत्रांक -बाढ़ (मो०)सिं० - 101/87-अंश-IV 2726

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर/भागलपुर/पटना/
वीरपुर/वाल्मिकीनगर/मुजफ्फरपुर/पूर्णियां/सिवान/
डिहरी/औरंगाबाद/गया।

पटना, दिनांक-11.12.2010

विषयः- प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्य एवं बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्यों की निविदा लोक निर्माण विभाग के कंडिका-169 A के अनुसार सामग्री सहित फिनिस्ड दर पर आमंत्रित करना सुनिश्चित करेंगें, जिससे कि कार्यों को ससमय सम्पन्न कराया जा सके ।

2. बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए विभागीय सामग्रियों यथा ई०सी० बैग, नायलन क्रेट, बी०ए० वायर एवं जी०टी० फिल्टर की आपूर्ति पूर्व की भांति निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना के माध्यम से की जायेगी।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अशोक कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

पत्रांकः-2726 /पटना, दिनांक - 11.12.10

प्रतिलिपिः- निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कटाव निरोधक कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों को छोड़कर विभागीय पत्रांक-6311 दिनांक-02.08.2003 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप अन्य सामग्रियों यथा हल्की एवं भारी गाड़ी, विद्युत सामग्री, फोटो कॉपियर, चालित मशीन, यांत्रिक पूर्जे इत्यादि का क्रय भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना द्वारा की जाती रहेगी।

ह०/-
(अशोक कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

संख्या-5/डी०-4-10-01/ 2007 (खण्ड-II/2011)- 1039 पटना, दिनांक- 30.6.30

<u>अधिसूचना</u>

अधिसूचना संख्या-5/डी०-4-10-01/ 2007-551 दिनांक-29.03.2010 के क्रम में समयक विचारोपरांत विभाग ने निम्न अतिरिक्त प्रावधान करने का निर्णय लिया हैः-

(क) उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका (4) के क्रमांक-5 के द्वारा डी०पी०आर० कोषांग, पटना को "बाढ़ प्रबंधन सूचना सुधार सहायता निदेशालय पटना" के रूप में नामित किया गया था । इस कार्यालय को मुख्य सचिव, बिहार के स्तर पर लिए गये निर्णय के अनुसार "बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र" पटना के रूप में नामित किया जाता है।

(ख) तत्कालीन मुख्य अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण कार्यालय में स्वीकृत 4 सहायक अभियंता का पद यथावत मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन के कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

(ग) अन्वेषण एवं प्रो०प्री० प्रमण्डल (मध्य) पटना के कार्यालय में मात्र 2 कनीय अभियंताओं का पद स्वीकृत था जिसे बढ़ाकार 4 पद किया जाता है।

(घ) अधिसूचना सं०-1003 दिनांक-07.06.2007 से उप निदेशक-1 जल विज्ञान एवं योजना आयोजन का पद मुख्य अभियंता, जल विज्ञाान एवं योजना आयोजन से स्थानान्तरित कर, उप निदेशक-1 शोध एवं गुणवत्ता प्रबंधन निर्धारण वाल्मी की रूप में किया गया था, को पूर्ववत अवस्था में लाते हुए अधिसूचना सं०-551 दिनांक-29.03.2010 से गठित मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन के कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(अशोक कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांकः-1039 / पटना, दिनांकः-30.6.10/

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(अशोक कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांकः-1039 / पटना, दिनांकः-30.6.10/

प्रतिलिपिः- मान्नीय मंत्री, जल संसाधन के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/कार्मिक एवं प्र० सुधार विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख/ सभी मुख्य अभियंता /सभी संयुक्त सचिव/सभी अवर सचिव/सभी संबंधित अंचलीय / प्रमण्डलीय कार्यालय, जल संसाधन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संबंधित कोषागार पदाधिकारी, प्रभारी एम०आई० सेल को डाटा संधारण हेतु एवं प्रभारी कम्प्यूटर से को बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-
(अशोक कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

पत्रांक - 1/पी०एम०सी०/विविध/805/2008 - 600

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० देवी रजक,
अभियंता प्रमुख (मध्य)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (जल संसाधन विभाग)
अवर सचिव, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, पटना

पटना, दिनांक-22.06.2010

विषयः- बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में प्रत्येक योजनाओं की लागत का 1% (एक प्रतिशत) ''सेस'' के रूप में जमा करने के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 1/पी०एम०सी०/विविध/805/2008-988 दिनांक-28.10.09 एवं 140 दिनांक-18.02.2010

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्माण कार्यों की लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर संवेदक के विपत्र से काटकर बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भेजे जाने हेतु निदेश दिया गया है। इस हेतु सभी निविदाओं में इसका उल्लेख किया जाना एवं संवेदक के साथ होने वाले निर्माण कार्य के प्रत्येक अनुबंध में इसका प्रावधान करने का निदेश पूर्व में संसूचित है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-मु०नि० (पथ)-37 (अनु) दिनांक-13.05.2010 तथा पत्रांक- प्र० 6/ नियम-10/2008-746 दिनांक-25.02.2010 की प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि निर्माण कार्यो के लिये संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) लेबर 'सेस' की राशि काट कर श्रमिक कल्याण बोर्ड को भेजे जाने के मद्देनजर निर्माण कार्य के मूल्य का 1% (एक प्रतिशत), की दर 'सेस' की राशि प्राक्कलन में जोड़कर उसकी प्रावैधिक स्वीकृति अथवा प्रशासनिक स्वीकृति दी जाय और 1% 'सेस' का भुगतान कल्याण बोर्ड को जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०ः-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(देवी रजक)

अभियंता प्रमुख (मध्य)।

पत्रांक- 600 पटना, दिनांक- 22.6.2013

प्रतिलिपिः- सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल को प्रासंगिक पत्रों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया विभागीय निदेश के आलोक में 1% 'सेस' का भुगतान श्रमिक कल्याण बोर्ड को किया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में कराये गये ऐसे निर्माण कार्य के प्राक्कलन में 1% (एक प्रतशित) लेबर 'सेस' का प्रावधान नहीं था तथा जिसका 1% 'सेस' काटे बिना संवेदक को अंतिम विपत्र की राशि का भुगतान किया जा चुका है, से संबंधित अंतिम विपत्र की भुगतेय राशि के आधार पर निर्माण कार्यो का 1% 'सेस' का आकलन करते हुए आवंटन हेतु समेकित प्रस्ताव श्रम संसाधन विभाग के पत्रांक-35 दिनांक-05.01.10 की कंडिका-3 (ख) के आलोक में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(देवी रजक)

अभियंता प्रमुख (मध्य)।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संख्या-5/डी०- 4-10-01/07- 551 पटना, दिनांक- 29.3.10

अधिसूचना

जल संसाधन विभाग के अन्तगत योजनाओं का सर्वेक्षण एवं इसका विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य मुख्य अभियंता, समग्र योजना के अधीन किया जाता था। इसके अधीन अंचल एवं प्रमंडलीय कार्यालय कार्यरत थे। मंत्रिपरिषद के दिनांक- 19.03.98 की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में 2 मुख्य अभियंता 14 अंचल एवं 63 प्रमण्डलों को ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तानांतरित कर दिया गया तथा इनका कार्यभार मुख्य अभियंता, पी०पी० सेल पटना को हस्तानांतरित किया गया। इसके अधीन 4 निदेशालय रखे गये थे। वर्ष 2007 में गया परिक्षेत्र में बड़ी योजनाओं के प्राप्त होने तथा इनके त्वरित कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से मुख्य अभियंत, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन को मुख्य अभियंता गया,

के रूप में परिर्वतित करते हुए स्थानान्तरित किया गया तथा 4 निदेशालय में से 1 निदेशालय को मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग के अन्तर्गत तथा शेष 3 निदेशालय को निदेशक (मुख्य अभियंता) वाल्मी के नियंत्रण में इस उद्देश्य से रखा गया कि वाल्मी एक स्वशासी निकाय है। अतएव इनके द्वारा समग्र योजनाओं की तैयारी तथा विस्तृत योजना प्रतिवेदन को बेहतर रूप में अन्य एजेन्सियों से सहायता प्राप्त कर तैयार किया जा सकेगा। परन्तु विभिन्न योजनाओं के तैयार किये जा रहे डी.पी.आर. एवं जल संसाधन विभाग में बाढ़, सिंचाई तथा जल निस्सरण के क्षेत्र में अग्रिम योजनाओं की भारी कमी को देखते हए यह आवश्यक समझा जा रहा है कि मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन को पुनः गठित किया जाय। इसी उद्देश्य से पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं की व्यवस्था में संशोधन करते हुए मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन प्रभाग जिसमें मुख्य अभियंता, का कार्यालय, जल विज्ञान निदेशालय, 3 योजना अन्वेषण एवं प्रो० प्री० अंचलों का कार्यालय तथा 11 प्रमण्डलों का गठन किया जाय। संगठात्मक ढंचा परिशिष्ट-क के रूप में संलग्न है।

2. विश्व बैंक द्वारा बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली योजना का आर्थिक सम्पोषण प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान में डी.पी.आर. कोषांग के संयुक्त निदेशक के प्रभार में तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभियंताओं से चलाया जा रहा है। परन्तु इसकी महत्ता को देखते हुए बाढ़ प्रबंधन सूचना सुधार सहायता निदेशालय का गठन डी.पी.आर. कोषांग के नाम परिर्वतन से किया जाता है। उक्त निदेशालय सीधे अभियंता प्रमुख (उ०) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।

3. वर्ष 2007 में योजना मोनिटरिंग अंचल-5 को सुषुप्ता अवस्था में रखते हुए इसका कार्य योजना एवं अन्वेषण अंचल, पटना को हस्तांतरित किया गया था। योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-5 के पास अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं एवं नदियों के जोड़ने का जैसे महत्व को देखते हुए पूर्व के निर्गत अधिसूचना को संशोधित करते हुए योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-5 को पुर्नजिवित करते हुए इसे योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-4 के रूप में नामित किया जाता है।

4. उपर्युक्त के आलोक में विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन के पश्चात निम्न के अनुसार नये कार्यालय का नाम एवं मुख्यालय स्तंभ 4 में तथा स्वीकृत पदों की विवरणी (संलग्न परिशिष्ट के अनुसार) स्तंभ 7 में अंकित हैः-

क्र० सं०	वर्तमान कार्यालय का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान में तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्री पदाधिकारी	अधिसूचित होने के पश्चात् कार्यालय का नाम एवं मुख्यालय	तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्री पदाधिकारी	अभ्युक्ति	स्वीकृत बल की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	मु० अभि० शोध एवं प्रशिक्षण, खगौल	अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग	मु० अभि० जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना।	अभि० प्रमुख (मध्य) जल संसाधन विभाग		परिशिष्ट 1

2	परियोजना मूल्यांकन कोषांग, पटना।	निदेशक (मु०अभि०), वाल्मी, पटना।	जल विज्ञान निदेशालय, पटना।	मु० अभि० जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना।	वि० अधि सं०-5/डी-4-10-01/07-1003, दिनांक-7.6.2007 के क्रमांक-3 को संशोधित करते हुए	परिशिष्ट 2
3	योजना अण्वेषण एवं प्रोजेक्ट, प्रीपरेशन अंचल, पटना।	मु०अभि० योजना एवं मोनिटरिंग, पटना।	योजना अण्वेषण एवं प्रोजेक्ट, प्रीपरेशन अंचल, पटना।	वही	वि० अधि सं०-5/डी-4 10-01/07-1002, दिनांक-7.6.2007 के कंडिका-5 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए	परिशिष्ट 3
4	योजना रूपांकण अंचल, मुजफ्फरपुर	मु०अभि० मुजफ्फरपुर	योजना अण्वेषण एवं प्रोजेक्ट, प्रीपरेशन अंचल, मुजफ्फरपुर	वही		परिशिष्ट 4
5	डी.पी.आर., कोषांग, पटना।	निदेशक (मु०अभि०), वाल्मी, पटना। मुजफ्फरपुर	बाढ़ प्रबंधन सूचना सुधार सहायता निदेशालय, पटना	अभि० प्रमुख (उ०) जल संसाधन विभाग, पटना	वि० अधि सं०-1003 दिनांक-7.6.2007 के क्रमांक-1 को संशोधित करते हुए	परिशिष्ट 5
6	अपर निदेशक, सिंचाई अन्वेषण संस्थान, खगौल, पटना।	मुख्य अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण, खगौल	योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपेरेशन अंचल, गया।	मु० अभि० जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना।	वि० अधि सं०-1097 दिनांक-28.6.2007 के क्रमांक - 1 एवं 6 को संशोधित करते हुए अ०अ०/का०अ० का पद वापस लेते हुए।	परिशिष्ट 6
7	योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल- 5, पटना।	सुषुप्ता अवस्था में है।	योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल-4, पटना।	मु० अभि० योजना एवं मोनिटरिंग, पटना।	वि० अधि सं०-1097 दिनांक-28.6.2007 के क्रमांक-2 को संशोधित करते हुए अ०अ० का पद वापस लेते	परिशिष्ट 7

					हुए।	
8	उप निदेशक-1, परियोजना मूल्यांकन, पटना	संयुक्त निदेशक, परियोजना मूल्यांकन, वाल्मी	उप निदेशक, जल विज्ञान प्रमंडल, (उ०), पटना	जल विज्ञान निदेशालय, पटना/मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना।	वि० अ० सं०-1003 दिनांक-7.6.2007 के क्रमांक-8 को संशोधित करते हुए।	परिशिष्ट 8
9	उप निदेशक-2, परियोजना मूल्यांकन, पटना	वही	जल विज्ञान प्रमंडल, (मध्य), पटना	वही	वि० अ० सं०-1003 दिनांक-7.6.2007 के क्रमांक-9 को संशोधित करते हुए।	परिशिष्ट 9
10	अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, पूर्णियाँ	अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल/मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग पटना	अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, (उत्तर) पटना।	योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, पटना/मुख्य अभियंता जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	वि० अ० सं०-1002 दिनांक-7.6.2007 के क्रमांक-5 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए ।	परिशिष्ट 10
11	अन्वेशण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, पटना	वही	योजना अन्वेशण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, (मध्य) पटना।	वही	वही	परिशिष्ट 11
12	रूपांकण प्रमंडल सं०-2, दरभंगा	मुख्य अभियंता, दरभंगा	योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, दरभंगा।	योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, मुजफ्फरपुर/ मुख्य अभियंता जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना		परिशिष्ट 12
13	रूपांकण प्रमंडल सं०-3, पूर्णियाँ	मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ	योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, पूर्णियाँ	वही		परिशिष्ट 13
14	गंडक रूपांकण	मुख्य अभियंता,	योजना अन्वेषण	वही		परिशिष्ट

	प्रमंडल सं०-2, मोतिहारी	वाल्मिकीनगर	एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, मोतिहारी।			14
15	वैज्ञानिक गुण नियंत्रण प्रमंडल सं०-3, सिवान	अ०अ०/मु०अ०, सिवान	योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, सीवान	वही		परिशिष्ट 15
16	पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खजौली	मुख्य अभियंता, दरभंगा	योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, नालंदा	योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, गया/मु०अभि०, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना।		परिशिष्ट 16
17	योजना एवं रूपांकण प्रमंडल सं०-2, मुजफ्फरपुर	मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर	योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, जमूई।	वही		परिशिष्ट 17
18	कार्यपालक अभियंता प्रशिक्षण प्रमंडल सं० 1, खगौल	मुख्य अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण, खगौल	योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल, डिहरी।	वही	अ० सं०-1097 दिनांक-28.6.07 के क्रमांक-4 को संशोधित कर का० अभि० को वापस लेते हुए ।	परिशिष्ट 18
19	मु०अभि०, केन्द्रीय रूपांकण, पटना	अभीयंता प्रमुख (मध्य), पटना	मु०अभि०, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, पटना	अभीयंता प्रमुख (मध्य), पटना		परिशिष्ट 19
20	संयुक्त निदेशक, (अधीक्षण अभियंता) शोध एवं गुणवत्ता निर्धारण, प्रबंधन पटना	निदेशक (मु०अभि०), वाल्मी, फुलवारी शरीफ, पटना।	शोध एवं प्रशिक्षण, अंचल, पटना	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, पटना	वि० अधि सं०-1003 दिनांक-7.6.07 के क्रमांक -2 को संशोधित करते हुए।	परिशिष्ट 20
21	उप निदेशक 2 शोध एवं गुणवत्ता निधारण प्रबंधन, खगौल, पटना	संयुक्त निदेशक, शोध एवं गुणवत्ता निधारण प्रबंधन, वाल्मी, फुलवारी शरीफ, पटना	शोध एवं प्रशिक्षण, प्रमंडल सं०-1, खगौल	अधी०अभि०, शोध एवं प्रशिक्षण, अंचल, पटना/ मु० अभि० केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, पटना	1003 दिनांक-7.6.2007 के क्रमांक-7 को संशोधित करते हुए।	परिशिष्ट 21
22	उप निदशेक 2 प्रमंडल सं०-2, सिंचाई	मु०अभि०, शोध एवं प्रशिक्षण, खगौल, पटना	शोध एवं प्रशिक्षण, प्रमंडल 2, खगौल	वही		परिशिष्ट 22

	गवेषण संस्थान, खगौल, पटना।					
23	उप निदेशक प्रमंडल सं०-3, सिंचाई गवेषण संस्थान, खगौल, पटना ।	वही	शोध एवं प्रशिक्षण, प्रमंडल 3, खगौल, पटना	वही		परिशिष्ट 23
24	योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल 2, पटना	योजना एवं मोनिटरिंग अंचल 1, पटना/ मु० अभि० योजना एवं मोनिटरिंग, पटना	योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं०-19, पटना	योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-4/ मु० अभि०, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना	1002 दिनांक-7.6.2007 के कंडिका-6 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए।	परिशिष्ट 24

6. मुख्य अभियंता, शोध सिंचाई गवेषण संस्थान, खगौल, पटना का पद रूपान्तरित होने के उपरान्त अब सिंचाई गवेषण संस्थान खगौल, पटना का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध पटना के अधीन होगा। सिंचाई गवेषण संस्थान, खगौल, पटना द्वारा संपादित किये जा रहे कार्य यथावत मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में संपादित किए जाऐंगे। संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट-ख के रूप में संलग्न है।

7. अधिसूचना सं०-1097, दिनांक-28.06.07 से अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-5 का पद अभियंता प्रमुख (मध्य) के सचिव (प्रावै०) के रूप में स्थांतरित किया गया था जिसे वापस किया जाता। अधिसूचना सं०-1002, दिनांक-7.6.07से कार्यपालक अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-19, पटना को प्रमण्डल-2 के नाम से योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1 के अधीन तथा कार्यपालक अभियंता प्रमण्डल-18 एवं 20 को योजना अण्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीप्रेशन अंचल, पटना के नियंत्रण से स्थानान्तरित किया गया था उसे भी वापस लिया जाता है। उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं से पूर्व की व्यवस्था पुनः बहाल की जाती है। फलस्वरूप तत्कालीन योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-5, पटना का अब योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-4, पटना के नाम से जाना जाएगा।

8. इस अधिासूचना के अन्तर्गत कोई भी नए पद या कार्यालय का सृजन नहीं किया गया है, मात्र रूप परिवर्तन से नई व्यवस्था निर्मित की गई हैं । इस अधिसूचना में सन्निहित आदेश के अधीन किसी भी पद को अतिरेक अथवा समाप्त नहीं किया है तथा किसी कर्मी के छटनी का प्रावधान भी नहीं है ।

9. पूर्व की भाॅति इस संगठन के अधीन अभियंत्रण संवर्ग के सभी पदों पर नियमानुसार विशेष वेतन देय होगा । पद्नाम के परिवत्र्तन से यह प्रभावित नहीं होगा ।

10. अंचलीय/प्रमण्डलीय कार्यालय साज सज्जा सहित रूपांतरित /स्थानान्तरित होंगे। इनके स्थानीय अभिलेख आदि का प्रभार एवं कार्यक्षेत्र परिशिष्ट-23 पर अंकित कार्यालय को हस्तान्तरित होगा ।

11. रूपांतरित/ स्थानान्तरित कार्यालय को नए स्थान पर कार्यालय हेतु स्थान की व्यवस्था संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा की जाएगी। इन कार्यालयों में पदस्थापित कर्मियों के लिए आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर सिंचाई शिविरों में स्थान आवंटित किया जाएगा।

12. सम्बन्धित कार्यालयों का वित्त विभाग से नया कोषागार अधिसूचित होने तक वेतनादि का भुगतान पूर्ववत व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगा । कोषागार निर्धारित होने के उपरांत नये नाम से आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा।

13. स्थानान्तरण होने वाले पदों पर कार्यरत कर्मियों को नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा तत्काल प्रभाव से नव सृजित कार्यालयों में योगदान हेतु विरमित किया जाएगा ।

14. यह अधिसूचना दिनांक-01.4.2010 से प्रभावी होगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(ओम प्रकाश अम्बरकर)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक-551 / पटना, दिनांक- 29.3.10

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(ओम प्रकाश अम्बरकर)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक- 551 / पटना, दिनांक- 29.3.10

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव जल संसाधन बिहार/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/कार्मिक एवं प्र० सुधार विभाग, बिहार,पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/सभी अवर सचिव/सभी संबंधित अंचलीय / प्रमण्डलीय कार्यालय, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रभारी एम०आई० सेल को डाटा संधारण हेतु एवं प्रभारी कम्प्यूटर सेल को बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित। ।

ह०/-
(ओम प्रकाश अम्बरकर)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक-102 / मध्य / पटना, दिनांक- 04.5.10

प्रतिलिपिः- श्री विनोद कुमार वर्मा, सचिव (प्रावैधिक), श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता-1, अभियंता प्रमुख (मध्य कोषांग), जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय कार्रवाई का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

ह०/-
(देवी रजक)
अभियंता प्रमुख (मध्य)

जल संसाधन विभाग, पटना।

संचिका सं०बी०सी०डब्लू०सी०-01/2009 श्र0सं०- 35

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना।

सेवा में,

1. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ पशु एवं मत्स्य संसाधान विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार, पटना/ जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
2. अभियंता प्रमुख-सह-सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
3. सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना/ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना/परिवहन विभाग, पटना/ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना /कल्याण विभाग (समाज कल्याण सहित) बिहार, पटना/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना/खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।
4. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन गांधी मैदान, पटना/ बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि०/बिहार राज्य जल पर्षद/ पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, गांधी मैदान, पटना।
5. आयुक्त एवं सचिव, ग्राम्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ नगर विकास विभाग, बिहार, पटना।
6. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आवास बोर्ड, बिहार, पटना/ बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग, पटना/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना।
7. अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, पटना/ बिहार राज्य खेल प्राधिकरण /बिहार रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा), सोन भवन, पटना।
8. क्षेत्रीय विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, सोन कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट अथारिटी, पटना।
9. निदेशक-सह-सचिव, नागरिक विमानन विभाग, बिहार, पटना।
10. कारा महानिरीक्षक, गृह (कारा विभाग), पटना।
11. प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, सुल्तान पैलेस, पटना।
12. सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
13. सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 05.1.10

विषयः- निर्माण श्रमिको के कल्यार्थ कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत (1%) उपकर (Cess) जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कृपया प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्धसरकारी पत्र सं०-बी०सी०डब्लू०सी०-01/2008-922, दिनांक-21.02.08 का स्मरण करें। जिसके द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे निर्माण कार्य के कुल लागत का एक प्रतिशत 'सेस' निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने हेतु बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा किया जायं परन्तु राज्य सरकार के विभाग जो निर्माण कार्य कराते हैं, के द्वारा 'सेस' जमा नहीं किया गया है, जो उचित नहीं हे।

इस संबंध में निम्न उल्लेखनीय तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता हैः-

1. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए वर्ष 1996 में दो केन्द्रीय अधिनियम बनये गये, जो सम्पूर्ण देश में लागू है।

   (क) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा

   (ख) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

   राज्य सरकार द्वारा प्रथम अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 बनाया गया है, जबकि द्वितीय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमावली में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है।

2. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 4/एफ 1-302/2006, श्र०नि०-865, दिनांक-18.02.08 द्वारा बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्य निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाना है, जिसके लिए निधि का उपबंध केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अर्द्ध सरकारी निकाय एवं निजी क्षेत्र में चलने वाले निर्माण कार्य से कुल संबंधित लेखा वर्ष में किए गए निर्माण लागत का एक प्रतिशत 'सेस' संग्रह करके चलाना है।

   ''निर्माण कार्य'' से तात्पर्य भवन, सड़क, गली रेलवे हवाईपट्टी, सिंचाई, नाली निर्माण, विद्युत उत्पादन हेतु इन्फास्ट्रक्चर का निर्माण, उत्पादन एवं वितरण, जल प्रदाय, तेल एवं गैस प्रदाय, वायरलेस, रेडियो, टेलीफोन, पुल, पुलिया, टावर, कुलिंग टावर, ट्रांसमीसन टावर और ऐसे सभी कार्यो से है जो समुचित सरकार द्वारा निर्धारित है, इसके अधीन रिहायशी भवन निर्माण जिसकी लागत 10 लाख से अधिक है, भी शामिल है। परन्तु इसके अधीन कारखाना अधिनियम तथा खदान अधिनियम के तहत हो रहे निर्माण कार्य शामिल नहीं है।

3. समाचार पत्रों में लगातार श्रम संसाधन विभाग के उपरोक्त कल्याण बोर्ड द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 'सेस' जमा करने का अनुरोध किया जा रहा हे, परन्तु राज्य सरकार के निर्माण कार्य कराने वाले विभागों द्वारा 'सेस' जमा नहीं किया जा रहा है, जो उपरोक्त दोनों अधिनियमों के अंतर्गत दंडनीय है। इसके अंतर्गत 'सेस' जमा करने का दायित्व जिस पदाधिकारी का है उस पर अभियोजन चलाया जा सकता है तथा 'सेस' संबंधित विभाग से कुल लागत का एक प्रतिशत के जगह दो प्रतिशत जमा करने का भी प्रावधान है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निम्न निर्देश दिया जात है, जिसको अपने विभाग के वरीय पदाधिकारियों/ अभियंता प्रमुख एवं मुख्य अभियंता को अवगत करा दें:-

(क) सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यों में वर्तमान में निर्माण श्रमिको को नियोजित करनेवाले सभी ठेकेदार अपनी-अपनी स्थापनाओं को उपरोक्त वर्णित प्रथम अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत अविलंब पंजीकृत करा लें और भविष्य में भी आरंभ होनेवाले सभी निर्माण कार्य मामले में भी इसी प्राकर पंजीयन कराते रहें। इस प्रयोजन हेतु राज्य के सभी जिलों के श्रम अधीक्षक निबंधन पदाधिकारी घोषित हैं ।

(ख) उपरोक्त द्वितीय अधिनियम के तहत निर्माण कार्यों पर देय उपकर की दर, भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक-26.09.96 द्वारा निर्माण लागत का एक प्रतिशत निर्धारित किया है। बिहार राज्य में लेखा वर्ष 2007-08 से ही 'सेस' देय है। अतः लेखा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 एवं 2009-10 में आपके द्वारा निर्माण कार्यों में व्यय किये गये कुल राशि का एक प्रतिशत का उपबंध कर कल्याण बोर्ड में जमा करें तथा भविष्य में प्रत्येक विभाग संवेदकों को भुगतान के समय अग्रिम 1% 'सेस' काट कर ही भुगतान करें तथा काटे गये रकम को कल्याण बोर्ड में जमा करें। 'सेस' की राशि को क्रास्ड डिमांड ड्राफ्रट द्वारा संयुक्त श्रमायुक्त-सह-सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग के नाम से जो एस०बी०आई, बेली रोड, पटना में देय हो, द्वारा भेजें। इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग के श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त को भी अपने क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत क्रमशः 'उपकर संग्रहक' एवं 'निर्धारण पदाधिकारी' नियुक्त किया गया हैं' उपकर' (Cess) जिले में पदस्थापित उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक के कार्यालय में भी क्रास्ड डिमाड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जा सकता है, जो संयुक्त श्रमायुक्त-सह-सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम से एस०बी०आई०, बेली रोड, पटना में देय हो। पटना में अवस्थित प्रतिष्ठानों द्वारा क्रास्ड चेक द्वारा भी 'सेस' जमा किया जा सकता है।

(ग) प्रत्येक निविदा में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि कुल प्राक्कलित राशि में से वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत निर्माण श्रमिकों के लिए 'सेस' के रूप में देय है, जो बिल के भुगतान के समय अग्रिम रूप में संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा काट कर कल्याण बोर्ड में जमा किया जायेगा।

मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Writ Petition (Civil) No. - 318 of 2006 के प्रसंग में लगातार उपरोक्त अधिनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा रही है 'सेस' निर्धारित अवधि में जमा नहीं करना मान्नीय उचचतम न्यायालय (Supreme Court) के आदेशों की अवहेलना है, जिसके लिए 'सेस' भुगतान हेतु जिम्मेवार पदाधिकारी पर Contmpt of Court भी चलाया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगें।

उपरोक्त विषय के संबंध में विशेष जानकारी श्रमायुक्त-सह-अध्यक्ष एवं संयुक्त श्रमायुक्त-सह-सचिव, बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, विकास भवन, पटना तथा उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक से भी प्राप्त किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि आप अपने अधीन पदस्थापित अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अथवा अन्य प्रभारी पदाधिकारी को उपरोक्त प्रसंग में आवश्यक अनुपालन का निर्देश देने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन
ह०/-
मुख्य सचिव
बिहार सरकार

पत्रांक -बाढ़ (मो०)सिं० - 101/87-अंश-IV- 2323

बिहार सरकार

जल संसाधान विभाग

प्रेषक,

ई० राजेशवर दयाल,
अभियंता प्रमुख (उत्तर)

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भागलपुर / मुजफ्फरपुर / सिवान / समस्तीपुर / डिहरी /
वाल्मिकीनगर / पूर्णियां / वीरपुर / पटना / औरंगाबाद / गया।

पटना, दिनांक-26.09.09

विषयः- आगामी बाढ़ वर्ष 2010 के पूर्व कराये जाने वाले कटाव निराधक कार्य एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंधा में कहना है कि वर्ष 2010 बाढ़ के पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्यों की निविदा लोक निर्माण विभाग के कंडिका-169 A के अनुसार सामग्री सहित फिनिस्ड दर पर आमंत्रित करना सुनिश्चित करेंगें, जिससे कि कार्यों को ससमय सम्पन्न कराया जा सके ।

2. बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए विभागीय सामग्रियों यथा ई०सी० बैग, नायलन क्रेट, बी०ए० वायर एवं जी०टी० फिल्टर की आपूर्ति पूर्व की भांति निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधान निदेशालय, पटना के माध्यम से की जायेगी।

विश्वासभाजन
ह०/-
(राजेश्वर दयाल)
अभियंता प्रमुख (उ०)

पत्रांकः-2323 पटना, दिनांक- 26.09.09

प्रतिलिपि:- निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

2. कटाव निरोधक कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों को छोड़कर विभागीय पत्रांक-6311 दिनांक-02.08.2003 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप अन्य सामग्रियों यथा हल्की एवं भारी गाड़ी, विद्युत सामग्री, फोटो कॉपियर, चालित मशीन, यांत्रिक पूर्जे इत्यादि का क्रय भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना द्वारा की जाती रहेगी।

ह०/-
(राजेश्वर दयाल)
अभियंता प्रमुख (उ०)

बिहार सरकार

<u>जल संसाधान विभाग, पटना</u>

<u>आदेश</u>

विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि जल संसाधन विभाग के मिट्टी एवं साधारण पक्का कार्य से जुड़े कार्यो यथा बाढ़ तटबंध का रेज्ड पलेट फार्म (100 फीट X 10 फीट का) प्रति कि०मी०, ग्राम सुरक्षात्मक कार्य, माईनर-सब-माईनर का कार्य, जमींदारी बांधों का जिर्णोधार कार्य, 100 घनसेक तक जल निस्सरण कार्य एवं अन्य कार्यों का कार्यान्वयन नरेगा से कराने का प्रस्ताव है।

इस विभागीय निर्णय के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु श्री डी०पी० सिंह, अधीक्षण अभियंता, योजना, अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रोपेरेशन अंचल, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। श्री मनोज कुमार, उप-निदेशक (मध्य) सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना, श्री अशोक कुमार अग्रवाल, सहायक अभियंता एवं श्री अजित प्रसाद देव, सहायक अभियंता, सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना इस कार्य में नोडल पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेंगें।

ह०/-
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञापांकः-गण्डक पुनस्थापन सेल/विविध (5) 7/2007 पार्ट-II-525 / पटना, दिनांक 21.08.09

प्रतिलिपिः- श्री डी०पी० सिंह, अधीक्षण अभियंता, योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, पटना, श्री मनोज कुमार, उप निदेशक (मध्य) /श्री अशोक कुमार अग्रवाल सहायक अभियंता, श्री अजित प्रसाद देव, सहायक अभियंता सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना/ मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग, पटना/ अधीक्षण अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, 2, 3 एवं अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, पटना

अध्याय - 12

जल संसाधन विभाग के कार्यो के कार्यान्वयन हेतु मार्ग निर्देश

(1) कार्यो का वर्गीकरणः- जल संसाधन विभाग के कार्यो को इस प्रयोजनार्थ निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाय।

(i) सिंचाई प्रणाली में सिंचाई नाली का निर्माणः-

(क) जल संसाधन विभाग का निम्नतर संरचना आउटलेट के निम्न प्रवाह में मौजूद नाला को सिंचाई-नाली (Field channel) कहा जाता है, जिससे पानी कृषकों के खेतों में निःसृत होता है। ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र की अपेक्षा इन सिंचाई नालियों का विस्तार काफी छोटा होता है। कच्चा सिंचाई नाली निर्मित किया जाना है।

(ख) आवश्यकतानुसार कमाण्ड -क्षेत्र-विकास-प्राधिकार के कार्यपालक अभियन्ता प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए पंचायत को प्रस्ताव उपलब्ध करायेगें। ग्राम पंचायत इसकी प्रशासनिक स्वीकृति नियमानुसार प्रदान करेगा।

(ग) पंचायत यदि किसी स्थल पर यह कार्य को कराना चाहेगा तो प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति स्वयं प्रदान करेगा। कार्यान्वयन हेतु काडा की स्वीकृति अथवा अनापत्ति अथवा अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु संबंधित विभाग को अवश्य सूचित करें ताकि दो विभाग या एजेंसी द्वारा एक ही योजना पर कार्य नहीं हो।

(घ) दोनों ही अवस्थाओं में कार्य का कार्यान्वयन, नापी एवं भुगतान पंचायत स्वयं करेगा। कार्यो के निरीक्षण/देख-रेख की पूर्ण जवाबदेही पंचायत की होगी, परन्तु काडा के पदाधिकारी भी समय-समय पर स्थल निरीक्षण करते रहेगं तथा तकनीकी प्रावधानों के बिन्दु पर पंचायत के तकनीकी सहायक को आवश्यक परामर्श देते रहंेगे जिससे कार्य उपयोगी हो सके । पंचायत के तकनीकी सहायक काडा के अभियन्ताओं के परामर्श का पालन करेगें और इसकी सूचना कमाण्ड-क्षेत्र-विकास-प्राधिकार को उपलब्ध करायेगें।

तकनीकी प्रावधानों से संबंधित आवश्यक निदेश इस प्रयोजनार्थ संलग्न है

अनुलग्नक- 1-1

(ii) जमीन्दारी - तटबंधः-

(क) जमीन्दारी-तटबंध बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा, सिंचाई आवश्यकताओं एवं आवागमन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

(ख) इसके लिए जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियन्ता प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए पंचायती-संस्था के समुचित स्तर पर प्रस्ताव उपलब्ध करायेगें। ग्राम पंचायत इसकी प्रशासनिक स्वीकृति नियमानुसार प्रदान करेगी। ग्राम पंचायत यदि किसी कार्य को कराना चाहती है तो इसका प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति नियमानुसार स्वयं प्रदान करेगी। इस प्रकार इसके लिये जल संसाधन विभाग से अनापित्त प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) दोनों ही अवस्थाओं में कार्य का कार्यान्वयन, नापी एवं भुगतान ग्राम पंचायत स्वयं करेगा। कार्यो के निरीक्षण/देख-रेख की पुर्ण जवाबदेही ग्राम पंचायत का होगा, परन्तु जल संसाधन

विभाग के पदाधिकारी नियमित निरीक्षण करते रहेगें तथा तकनीकी प्रावधान के पालन पर ग्राम पंचायत का ध्यान आकृष्ट करेगें ताकि कराया गया कार्य उपयोगी हो सके। इस प्रकार इसके लिये जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नही होगी।

(घ) कोई जमीन्दारी-तटबंध यदि पूर्णतः किसी एक पंचायत के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित है तो इसका प्राक्कलन/प्रस्ताव जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियन्ता पंचायत को उपलब्ध करायेगें। पुनः यदि कोई जमीन्दारी-तटबंध एक से अधिक पंचायत के कार्य क्षेत्र मे पड़ता है, एवं एक से अधिक पंचायत समिति के कार्य क्षेत्र में स्थित है तो इसका प्राक्कलन/प्रस्ताव उप विकास आयुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा और इसको जिला परिषद से पारित कराकर कार्य शुरू किया जायेगा । इस प्रकार इसके लिये जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(च) जमीन्दारी-तटबंध में स्लुईस आदि पक्का संरचना भी जगह-जगह पर मौजूद रहते है, परन्तु पक्का संरचनाओं का कार्य तकनीकी रूप से जटिल होने के कारण इनका कार्य पंचायती संस्थाओं द्वारा नहीं कराया जायेगा अर्थात् पंचायती संस्थाएँ जमीन्दारी तटबंधों को मात्र मिट्टी-कार्य करा सकेंगी। इस प्रकार इसके लिये जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(छ) कुछ जंमीदारी बांध आहर-पईनों परंपरागत रूप से सिंचाई व्यवस्था का अंश है जिनके पुनर्स्थापन/ मरम्मति की जिम्मेदारी लघु जल संसाधन विभाग को है। उक्त जमींदारी बांधों के कार्यान्वयन के पूर्व लघु जल संसाधन विभाग से विमर्श कर योजना बनायी जाय। इस प्रकार इसके लिये जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

तकनीकी प्रावधानों से संबंधित आवश्यक निदेश इस प्रयोजनार्थ संलग्न है।

अनुलग्नक-2

(iii) उप-लघु-नहर एवं लघु-नहर/100 घन सेक से कम जलश्राव का जल निःस्सरण कार्यः-

(क) इसके लिये जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियन्ता प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए ग्राम पंचायत के समुचित स्तर पर प्रस्ताव उपलब्ध करायेगें। ग्राम पंचायत इसकी प्रशासनिक स्वीकृति नियमानुसार प्रदान करेगा। पंचायती-संस्था यदि किसी कार्य को कराना चाहती है तो इसका प्रस्ताव जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियन्ता को उपलब्ध करायेगी, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियन्ता समीक्षोपरान्त/आवश्यकतानुसार विभागीय मुख्य अभियन्ता से सहमति प्राप्त करेगें एवं तद्नुरूप प्राक्कलन (यथा-आवश्यक संशोधित) की तकनीकी स्वीकृति समुचित स्तर से प्राप्त कर अनापत्ति-प्रमाण-पत्र के साथ ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा देगें। ग्राम पंचायत इसकी प्रशासनिक स्वीकृति नियमानुसार प्रदान करेगा।

(ख) दोनों ही अवस्था में कार्य का कार्यान्वयन, नापी एवं भुगतान ग्राम पंचायत स्वयं करेगा। कार्यो के निरीक्षण/देख-रेख की जवाबदेही मुख्यतः ग्राम पंचायत की होगी, परन्तु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी को इसके निरीक्षण हेतु विशेष चैकसी बरतनी होगी, चूँकि ये कार्य तकनीकी रूप में अपेक्षाकृत विशिष्ट एवं जटिल है। जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय अभियन्ता को तकनीकी प्रावधानों के पालन पर पंचायती संस्थाओं का ध्यान ससमय आकृष्ट कराना होगा ताकि कराया गया कार्य उपयोगी हो सके।

(ग) कोई नहर एवं जल निःस्सरण नाला यदि पूर्णतः किसी एक पंचायत के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित है तो इसका प्राक्कलन/प्रस्ताव जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता पंचायत को उपलब्ध करायेगें। पुनः यदि कोई नहर एवं जल निःस्सरण नाला एक से अधिक पंचायत के कार्य क्षेत्र में पड़ता है एवं कोई नहर एवं जल निःस्सरण नाला एक से अधिक पंचायत-समिति के कार्य-क्षेत्र में स्थित है तो इसका प्राक्कलन/प्रस्ताव उप विकास आयुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा ओर उसे जिला-परिषद् से पारित कराकर कार्यारंभ कराया जायेगा।

(घ) नहर एवं जल निःस्सरण नाला में पक्का संरचना भी जगह-जगह पर मौजूद रहते है, परन्तु पक्का संरचनाओं का कार्य तकनीकी रूप से जटिल होने के कारण इनका कार्य पंचायती संस्थाओं द्वारा नहीं कराया जायेगा अर्थात् पंचायती संस्थाएँ कोई नहर एवं जल निःस्सरण नाला का मात्र मिट्टी-कार्य करा सकेंगी।

(iv) अन्यान्य कार्य:-

उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य विशेष यदि जल संसाधन विभाग अथवा ग्रामीण विकास विभाग का नजर आये तो वैसे योजना के परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) को जल संसाधन विभाग बनाकर उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक को सौंपेगा और जिला कार्यक्रम समन्वयक इसे कार्यान्वयन हेतु जिला परिषद से अनुमोदन प्राप्त करेगा। इसके लिए एन.आर.ई.जी.ए. की अधिनियम की धारा-14 (3बी) में प्रावधान हैं।

(2) जल संसाधन विभाग द्वारा प्राक्कलन की तैयारी एवं तकनीकी स्वीकृति:-

उपरोक्त कार्यों के लिए जल संसाधन विभाग के अभियन्ता प्राक्कलन की तैयारी एवं तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग में लागू नियमों, श्रम-दर एवं प्रति मजदूर दिवस लागू कार्य-क्षमता के अनुरूप करेगें।

अनुः- यथोक्त।

अनुलग्नक 1

<u>सिंचाई नाली निर्माण हेतु तकनीकी प्रावधान</u>

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि सिंचाई का जल प्रत्येक खेत तक पहुँच सके और इसी आशय के साथ सिंचाई सृजन की परिकल्पना भी की जाती है। परन्तु सृजित क्षमता एवं उपयोगी क्षमता के बीच में अन्तर आ जाता है और यह अन्तर नहर के आउटलेट से खेतों तक सिंचाई नाली के निर्माण नहीं होने के कारण होता है, फलतः जल का समुचित प्रबंधन नहीं हो पाता कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों द्वारा इन सिंचाई नालियों का निर्माण किया जाता है, परन्तु इस शीर्ष के अन्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधन को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि सिंचाई नाली का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बिहार के अन्तर्गत कराया जाय।

उपर्युक्त के आलोक में निम्न मार्गदर्शिका के अनुसार सिंचाई नाली निर्माण में निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन किया जायः-

(1) सिंचाई नाली निर्माण करने के पूर्व उस वितरण प्रणाली से पटवन किये जाने वाले खेतों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर उसका रेखाकंन ग्राम नक्शे पर किया जाय।

(2) प्रत्येक सिंचाई नाली निर्माण मात्र उक्त नहर प्रणाली के वैधानिक रूप से स्थापित आउटलेट से ही प्रारम्भ कर निर्मित किया जाय।

(3) सिंचाई नाली के तल का आकलन सिंचाई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा पटवन किये जानेवाले खेतों का स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाय ताकि गुरूत्व प्रवाह से जल का बहाव संभव हो सके। इस हेतु सामान्यतः नाली का स्लोप 1:2000 रखा जाय।

(4) सिंचाई नाली के तल की चैड़ाई 1 फीट, जल की गहराई 1 फीट 3 ईंच, फी बोंड 6 ईंच अर्थात् कुल गहराई 1 फीट 9 ईंच तथा भीतरी साईड स्लोप 1:0.5, रखा जाय। दोनों बाँध का शीर्ष चैड़ाई 1 फीट और बाँध साइड स्लौप 1:1 निर्मित किया जाय । वाध के शीर्ष तथा बाहरी स्लोप पर घास भी लगा दिया जाय।

(5) सिंचाई नाली के खुदाई से प्राप्त मिट्टी का उपयोग इसके बाँधों के उच्चीकरण व सुदृढ़ीकरण में किया जाय। अतिरिक्त मिट्टी की आवश्यकता अगल-बगल के खेतों से काट कर पूरा किया जा सकता है।

(6) बाँध की भराई की मिट्टी की कुल मात्रा का 90% संघनित भुगतेय मात्रा ली जाय। पुनः खंता नापी एवं बाँध नापी दोनों में न्यूनतम मात्रा के अधार पर भुगतान किया जाय।

(7) सिंचाई नाली का रेखांकण खेतों के आरी से होकर किया जाय एवं प्रत्येक खेत के लिए आउटलेट का प्रावधान भी किया जाय।

(8) याजनाओं का कार्यान्वयन पूर्ण होने पर इसका आवश्यक रख-रखाव/मरम्मति भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कराया जाय।

अनुलग्नक 3.2

जल संसाधन विभाग, बिहार

जमींदारी बांध निर्माण/मरम्मति हेतु तकनीकी प्रावधान

जमींदारी बाँधों का निर्माण प्रारम्भ में जमींदारों के द्वारा गांवों को बाढ़ से सुरक्षा/सिंचाई करने के लिए बनाया गया था। इसका रख-रखाव भी जमीन्दारों द्वारा किया जाता रहा है। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद इन बांधों को रख-रखाव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा किया जाने लगा । फरवरी, 2006 में इसके मरम्मति का दायित्व जल संसाधन विभाग को सरकार द्वारा सौंप दी गई।

जमींदारी तटबंधों का उपयोग बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं आवागमन अथवा इनके संयुक्त प्रयोजन हेतु किया जाता है।

<u>जमींदारी बाँध का निर्माण/मरम्मति के कम में निम्न बिन्दुओं का पालन किया जाय</u>

(1) जमींदारी बाँधों को गांव के नक्शे पर दर्शाया जाय ओर प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जाय। बाँध की नदी से दूरी नक्शे नक्शे पर अवश्य दर्शाया जाय।

(2) जमींदारी बाँध का आड़ी-काट एवं लम्ब-काट कार्य के पूर्व 30 मीटर के अन्तराल पर लिया जाय।

(3) तदनुसार दो लगातार सेक्शन के क्षेत्रफल के औसत को बीच की दूरी (30 मीटर) से गुणा कर इस बीच की मात्र निकाली जाय, इस प्रकार की मात्रओं का योगफल कार्य के पूर्व की कुल मात्र होगी।

(4) जमींदारी बाँध का रूपांकित सेक्शन उपलब्ध भूमि के अनुसार सीमित करते हुए ग्रामिणों से विमर्श कर निर्धारित किया जाय (सामान्तः इसकी शीर्ष चैड़ाई 3 मीटर और साईड स्लोप 1:2 रखा जा सकता है)। पुनः उन्हीं बिन्दुओं पर रूपांकित सेक्शन (30 मीटर अंतराल पर) निर्धारित किया जाय एवं क्रमांक-3 की तरह पुनः कुल रूपांकित मात्र निकाली जाय।

(5) कुल रूपांकित मात्र (क्रमांक-4) एवं कार्य के पूर्व की मात्र (क्रमांक-3) का अन्तर मिट्टी कार्य की प्राक्कलित मात्रा होगी, जिसके आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जाय।

(6) पुनः कार्य कराने के बाद (पोस्ट सेक्शन) आड़ी काट उन्ही बिन्दुओं (30 मीटर अंतराल पर) पर लिया जाय एवं क्रमांक-3 की तरह पुनः कार्य के बाद की कुल मात्र निकाली जाय।

(7) कार्य के बाद (क्रमांक-6) की मात्र में से कार्य के पूर्व (क्रमांक-3) की मात्र धराई जाय, जिसका 90 % संधनित मात्रा होगी।

(8) खंता नापी का उपयोग भी किया जा सकता है, बशर्ते कि शुद्धता का ख्याल रखा जाय।

(9) मिट्टी कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व बाँध पर से तथा बौरो एरिया (खंता) से घास/पौधा आदि को हटाकर साफ कर लिया जाय तथा बाँध के सतह को प्रायः एक-दो ईंच गहराई तक कोड़नी कर दी जाय।

(10) बाँध पर डाले गए मिट्टी के ढेलो को लकड़ी के पट्टा आदि से तोड़ कर बैठाया जाय, तोड़ने के बाद ढ़ेलो का व्यास किसी हालत में तीन ईंच से अधिक नहीं रखा जाय, ताकि बाँध में रिक्तियाँ कम हो।

(11) मिट्टी कार्य के बाद शीर्ष पर दोनों किनारे एक-एक मीटर में तथा दोनों साईड स्लोप में घास बिछाने का कार्य किया जाय ताकि वर्षा से बचाव हो सके।

(12) जमींदारी बाँध के जिस ओर जल को जमा करना है अथवा जिस ओर जल प्रवाहित होना है उधर बाँध के टो से 3 मीटर छोड़कर ही मिट्टी काटी जाय। पुनः दूसरी ओर जिधर जल संग्रहित नहीं किया जाना है (कंट्री-साईड) से मिट्टी नहीं काटी जाय (कोई विकल्प नहीं रहने की स्थिति में बाँध के टो (तल) से 15 मीटर छोड़कर मिट्टी काटी जा सकती है)।

(13) समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसकी मरम्मति भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कराया जाय।

(14) बाँध का मिट्टी कार्य पूर्ण कराकर जल संसाधन विभाग को सूचित किया जाय ताकि जल संसाधन विभाग संरचनाओं के निर्माण की दिशा में कार्रवाई कर सके।

पत्रांक- गंडक सेल/ कार्यक्रम-(2)-2/2005- 224

बिहार सरकार,

<u>जल संसाधन विभाग</u>

प्रेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

श्री दीपक कुमार,
आयुक्त एवं सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पटना, दिनांक-22.11.2007

विषयः- जल संसाधन विभाग के नहरों पर पक्की सड़क का निर्माण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक-30.10.2007 को आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग के नहरों पर आवश्यकतानुसार पक्की सड़क का निर्माण किया जा सकता है जिसमें निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैः-

(1) पक्की सड़क निर्माण में आवश्यकतानुसार मिट्टी कार्य भी शामिल कर लिया जाय अर्थात् नहर तटबंध का रूपांकित तल/सेक्शन प्राप्त कर लिया जाय (जिसमें टुटे भाग यदि कोई हो तो उसकी मरम्मति भी शामिल कर लिया जाय।

(2) नहर तटबंध, सड़क सहित पर जल संसाधन विभाग का अधिकार सुरक्षित रहेगा अर्थात् जल संसाधन विभाग इसमें आवश्यकतानुसार फेर बदल कर सकेगा।

(3) इस प्रकार के निर्माण की पूर्व सूचना ससमय क्षेत्रीय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग को दी जायेगी ताकि दोहरे भुगतान की सम्भावना नहीं रहे।

उपर्युक्त के क्रम में विषयांकित प्रयोजनार्थ जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अशोक कुमार सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या- 224 / पटना, दिनांक-22.11.2007

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(अशोक कुमार सिन्हा)
प्रधान सचिव।

पत्रांक-बाढ़ (मो०) सिं०वि०-3/2006- 442 दिनांक - 10.2.2006

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री श्यामनन्दन प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
सिवान/बाल्मीकिनगर/समस्तीपुर/पूर्णियां/बीरपुर/
मुजफ्फरपुर/भागलपुर/डिहरी/पटना/औरंगाबाद।

विषयः- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत स्थित सभी जमींदारी बांधों का रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य जल संसाधन विभाग को हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संकल्प ज्ञापांक-9/सै जमीन्दारी बांध- 05/06-34 (व) रा0 पटना-15 दिनांक-02.02.06

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। अतः अपने परिक्षेत्राधीन जिलों में सम्बन्धित प्रमंडलों को संबंधित जिला पदाधिकारी से सभी जमींदारी बांधों की पूर्ण सूची (खाता, खेसरा एवं रकवा सहित) प्राप्त करने हेतु निदेशित किया जाय। यह कार्य युद्ध स्तर पर की जाय ताकि दो दिनों के अन्दर विभाग को सूची उपलब्ध हो सके साथ ही जिन प्रमंडलों को जिलावार कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है कि सूची आज ही फैक्स से विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अनुः-यथावत्।

विश्वासभाजन
ह०/-
(श्यामनन्दन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- 442 / पटना, दिनांक- 10.02.2006

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता को सभी जमींदारी बांधों की पूर्ण सूची खाता, खेसरा एवं रकवा सहित उपलब्ध कराते हुये इसकी एक प्रति अभियंता प्रमुख (उत्तर) को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाय।

ह०/-

(श्यामनन्दन प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक-बाढ़ (मो०) सिं०वि०-03/2006-443 पटना दिनांक- 10.02.2006

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री श्यामनन्दन प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

पटना/नालंदा/गया/शेखपुरा/लखीसराय/मुजफ्फरपुर/

पश्चिम चम्पारण(बेतिया)/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/सीतामढ़ी/

शिवहर/वैशाली (हाजीपुर)/ सारण/सिवान/गोपालगंज/दरभंगा/मधुबनी/

समस्तीपुर/बेगूसराय/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल/पूर्णियां/कटिहार/अररिया/

किशनगंज/भागलपुर/बांका/मुंगेर/जमुई/खगड़िया/भोजपुर/रोहतास

(सासाराम)/बक्सर/कैमूर (भभुआ)/नवादा/औरंगाबाद/जहानाबाद/अरवल।

विषयः- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत स्थित सभी जमींदारी बांधों का रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य जल संसाधन विभाग को हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

प्रसंगः- बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभागः संकल्प ज्ञापांक-9/सै जमीन्दारी बांध-05/06-34 (व) रा0 पटना-15 दिनांक-02.02.06

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि प्रासंगिक संकल्प के आलोक में सभी जमींदारी बांधों की पूर्ण सूची (खाता, खेसरा एवं रकवा सहित) उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को अलग से निदेशित किया जा रहा है कि वे अपने अधीनस्थ सम्बन्धित प्रमंडलो के कार्यापालक अभियंता को सूची प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत कर दें।

अनुः-यथावत्।

विश्वासभाजन

ह०/-

(श्यामनन्दन प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक- 443 पटना, दिनांक-10.02.2006

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-

(श्यामनन्दन प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

विषयः- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत स्थित सभी जमींदारी बांधों का रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य जल संसाधन विभाग को हस्तांतरण के संबंध में ।

बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि की उन्नति से राज्य समृद्ध एवं खुशहाल हो सकता है। कृषि के लिये जल संसाधनों का सृजन एवं संरक्षण अतिआवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दिनांक-24.01.06 को विभागीय संलेख ज्ञापांक-39 (एस०) दिनांक-23.01.06 में दिये गये प्रस्ताव को मद संख्या-25 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत स्थित सभी जमीन्दारी बांधों का रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित किया जाय।

2. मंत्रिमंडल के उक्त निर्णय के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत स्थित सभी जमीन्दारी बांधों को जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है।

3. जल संसाधन विभाग द्वारा जमीन्दारी बांधों का अपने विशिष्ट तकनीकी अनुभव एवं बजटीय उपबंध के तहत रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य किया जायेगा। इससे बाढ़ एवं सुखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत मिल सकेगा। साथ ही साथ इन जमींदारी बांधों के जीर्णोदार होने से राज्य की सिंचाई क्षमता में वृद्धि तो होगी ही साथ ही कृषि उत्पादकता पर भी इसका साकारात्मक प्रभाव होगा।

4. जल संसाधन विभाग सिंचाई श्रोतों को विकसीत कर आम किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगा। किसानों को दी जाने वाली यह सुविधा निःशुल्क रहेगा।

5. इस परिपत्र के निर्गत होने के पश्चात यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।

6. राजस्व एवं भूमि सुधार के अन्तर्गत स्थित सभी जमीन्दारी बांधों, जिसकी पूर्ण सूची (खाता, खेसरा एवं रकवा सहित) सभी संबंधित समाहर्ता जल संसाधन विभाग को एक माह के अन्दर उपलब्ध करायेगा।

7. जमीन्दारी बांधों का स्वामित्व पूर्ववत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही रहेगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों /सभी अपर समाहर्ताओं/सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/सभी भूमि सुधार उप-समाहर्ताओं तथा सभी अंचलाधिकारियों को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(जी० एस० दत्त)
आयुक्त एवं सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः- 9/सै जमीन्दारी बांध- 05/06 रा०, पटना-15 दिनांक-

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबा, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में शीघ्र प्रकाशनार्थ एवं उसकी कम से कम एक हजार प्रतियां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह०/-
(जी० एस० दत्त)
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांकः- 9/सै जमीन्दारी बांध- 05/06 - 940 रा०, पटना-15 दिनांक-2.2.06

प्रतिलिपिः- आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(जी० एस० दत्त)
आयुक्त एवं सचिव।

पत्रांक- 1534

प्रेषक,

इ० ब्रज भूषण प्रसाद सिंह,
मुख्य अभियंता (मोनिटरिंग)
जल संसाधन विभाग,
सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत।

पटना, दिनांक-21.12.05

विषयः- निर्माण कार्यो में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय स्वामित्व (Royalty) की कटौती के सम्बन्ध में।

प्रसंगः- उप महालेखाकार (कार्य), पटना का अर्द्धसरकारी पत्रांक कार्य-1/20/05-06/1170 दिनांक-12.12.05

महाशय,

उप महालेखाकार (कार्य), पटना के उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति अनुलग्नक के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया पत्र एवं अनुलग्नक में यथावर्णित निदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक

किया जाय एवं निर्माण कार्यो में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय स्वामित्व (Royalty) की कटौती नियमानुसार सुनिश्चित की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुः-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ब्रज भूषण प्रसाद सिंह)

मुख्य अभियन्ता।

पत्रांक- 1534 पटना, दिनांक-21.12.2005

प्रतिलिपिः- श्री अमिताभ प्रसाद, उप महालेखाकार (कार्य), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800001 को उनके प्रसंगिक पत्र के क्रम में को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ब्रज भूषण प्रसाद सिंह)

मुख्य अभियन्ता।

पत्रांक- 1534 पटना, दिनांक-21.12.2005

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2,4 बाढ़ मोनिटरिंग एवं निदेशक काडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ब्रज भूषण प्रसाद सिंह)

मुख्य अभियन्ता।

उप-महालेखाकर (कार्य),

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800001

Deputy Account General (works),
Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800001

अमिताभ प्रसाद,

ना. ले एवं ले. प. सेवा

अर्द्धसरकारी पत्रांक-कार्य-1/20/05-06/1170

दिनांकः- 12.12.2005

प्रिय महोदय,

निर्माण कार्यों में व्यवहृत किये गये लघु खनिजों पर देय स्वामित्व (Royalty) की कटौती संबंधी गामीण विकास विभागीय पत्रांक-1/अ०प्र०-12-01/2005/605, दिनांक-12 मार्च 2005 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि इसी प्रकार का निर्देश आप अपने स्तर से जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों हेतु भी परिचालित करने की कृपा करें ताकि सरकारी राजस्व की क्षति को बचाया जा सके।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इसी प्रकार के मामले जिसमें फार्म एम० एवं एन० प्राप्त किये बिना/ जाली फार्म एम० एवं एन० के आधार पर बोल्डर, बालु आदि लघु खनिजों की प्राप्ति एवं उसके ढुलाई भाड़ा संबंधी प्रारूप कंडिका आपको भेजी गई थी। अतएव ऐसे मामलों को न्यूनतम सीमा में लाने हेतु उक्त उल्लेखित निर्देश आपके स्तर से निर्गत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

कृप्या पत्र प्राप्ति स्वीकृति के साथ परिचालित आदेश की छायाप्रति मुझे भेजी जाय। कृप्या इसे अग्रता दी जाय।

भवदीय

अनुलग्नकः- यथा उपरोक्त। ह०/-

श्री भी० जयशंकर, भा०प्र०से०
आयुक्त सह सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार,
सिंचाई भवन,
पटना - 800001

पत्रांक-बाढ़ (मो०)सि० 11/2005 - 1174

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० देवी रजक,
अभियंता प्रमुख (उत्तर)

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
सिवान/मोतिहारी/मुजफ्फरपुर/वीरपुर/डिहरी/समस्तीपुर/पूर्णियाँ/दरभंगा/
भागलपुर/पटना।

पटना, दिनांक- 24.05.2005

विषयः- अगामी बाढ़ के दौरान तटबंधों की सुरक्षा एवं सूचनाओं के प्रेषण के सम्बंध में ।

महाशय,

बाढ़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि अपने अपने परिक्षेत्र से सम्बन्धित बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो को सुनिश्चित रूप से सम्पादन करने हेतु विभिन्न व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाय। इसके लिए संलग्न परिशिष्टों में विभिन्न बिन्दुओं के उपर निदेश दिये गये है। परिशिष्ट ''क'' के प्रमुख बिन्दुओं में संवेदनशील स्थलों को पहचान कर संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करना, पंजी संधारण की व्यवस्था, विशेष दल का गठन, सामग्रियों की व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों की श्रेणियों के अनुसार पहचान, उसकी बचाव तथा विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों के माध्यम से मुख्यालय को प्रगति से अवगत कराने हेतु प्रपत्र के सम्बंध में उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त निदेशों के तहत विभिन्न प्रतिवेदनों को समर्पित करने में यह ध्यान रखा जाय कि किसी प्रकार का एक प्रतिवेदन और दूसरे प्रतिवेदन के माधयम से प्राप्त सूचनाओं में कोई भिन्नता नहीं रहे । विगत वर्ष के प्रतिवेदन में यह पाया गया कि एक प्रकार के प्रतिवेदन को समेकित करने पर जो आंकड़े

आयें वे दूसरे प्रकार के प्रतिवेदन से भिन्न थे। बेतार संवाद से जो सूचनाये दी जाती थी वे कई मामलों में दैनिक प्रतिवेदन/साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन/पाक्षिक प्रतिवेदन एवं मासिक प्रतिवेदन से भिन्न हुआ करती थी । इन सभी प्रतिवेदनों के माध्यम से प्राप्त प्रगति में गत वर्ष जिस प्रकार का अन्तर परिलक्षित हुआ, यह सर्वथा अवांछनीय है । इसके लिए प्रत्येक स्तर पर ऐसी सतर्कता वरती जाय कि प्रतिवेदन में कोई अंतर नहीं होने पावें।

प्रतिवेेदन प्राप्त होने का जो समय निर्धारित है उसी के अनुसार प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय। ऐसा देखा गया है कि पिछले वर्ष बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो तथा इस वर्ष चल रहे कटाव निरोधक कार्यो का प्रगति प्रतिवेदन समय के अनुसार नहीं प्राप्त हो रहे है, जिसके कारण प्रगति को समेकित करने में कठिनाई होती है । इस पर विशेष ध्यान देना सभी स्तर के क्षेत्रीय पदाधिकारियों का निजी दायित्व है एवं इसके लिए अधीनस्थ पदाधिकारियों को सतर्क करना चाहेंगे । प्रतिवेदन यदि समय से प्राप्त नहीं होता है तो इसकी वैद्यता संदिग्ध हो जाती है। ऐसे प्रतिवेदन को अमान्य भी किया जा सकता है।

अतः समय की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा जाय और इसके प्रति सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को सचेत कर दिया जाय।

विभिन्न कार्यों से संबंधित एवं अनुदेशों के तहत जहाँ पंजी संधारण का निदेश प्राप्त है, उसकी सुव्यवस्थित रूप से संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। ऐसा पाया गया कि जब कभी पंजी संधारण के सम्बन्ध में जाँच हुए है, उसे ठीक तरीके से संधारित नहीं पाया गया है। मुख्यालय अथवा उच्चाधिकारी के निरीक्षण के दौरान इन पंजियों की जाँच कराई जाय, जिससे कि पता चले कि पंजी का संधारण ठीक से हो रहा है अथवा नहीं।

बाढ़ अवधि में वितंतु संयंत्रों की सुनिश्चित संचालन एवं त्वरित संवाद प्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि बेतार संयंत्रों का समुचित रूप से रख-रखाव किया जाय। इसके लिए वायरलेस आपरेटर, बैटरी की व्यवस्था, वितंतु कक्ष के प्रभारी दल का गठन आदि के संबंध में निदेश विस्तृत रूप से दिया जा रहा है, जिसे परिशिष्ट ''ख'' पर देखा जा सकता है। इस परिशिष्ट में उल्लेखित सभी बिन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना उनका नीजी दायित्व होगा। यह आवश्यक है कि सुनिश्चित संचार व्यवस्था की निरंतरता में कोई बाधा उत्पन्न न हों।

आपके परिक्षेत्र में वितंतु सेट स्थापित करने के संबंध में एक सूची संलग्न है, जिसे परिशिष्ट ''ग'' पर देखा जा सकता है। इससे स्पष्ट होगा कि आपके यहाँ वायरलेस सेट यंत्र कितने स्थापित है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति के उपर दिये गये निदेशों को दुढ़तापूर्वक पालन करते हुए अगामी बाढ़ से उत्पन्न संभावित खतरे से निपटने के लिए सत्त जागरूकता की आवश्यकता है। आशा की जाती है कि इस पर सभी स्तर के पदाधिकारी चुस्त एवं चैकस रहेंगे।

अनु०: यथावत्

विश्वासभाजन

ह०/-

(देवी रजक)

अभियंता प्रमुख (उत्तर)

परिशिष्ट- ''क''

आगामी बाढ़ के दौरान तटबंधों की सुरक्षा एवं सूचनाओं के प्रेषण संबंधी निदेश

1. संवेदनशील स्थलों की पहचान/सूची

अपने परिक्षेत्र के सभी संवेदनशील, एवं अति विशेष संवेदनशील बिन्दुओं की सूची विभाग को प्रेषित करने की कृपा करें, जिसके लिये पूर्व में भी कई बार स्मरित किया जाता रहा है।

2. संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करना

इस व्यवस्था के तहत न्यूनतम समय में भी संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों से विभाग को नदी के आक्रमण की सही स्थिति की जानकारी उपलब्ध हो सके, इसके लिए दूरभाष, हाट लाईन तथा पर्याप्त संख्या में वितंतु सेट उपलब्ध कराये गये है, जिसकी सूची परिशिष्ट ''ग'' पर एवं संचालन निदेश परिशिष्ट ''ख'' पर देखा जाय।

3. पंजी संधारण

पूरे तटबंध की नियमित रूप से निगरानी हेतु संवेदनशील/विशेष संवेदनशील/अति संवेदनशील स्थलों की विशेष निगरानी की व्यवस्था की जाय, ताकि यह स्थल उपेक्षित न रह जायें एवं आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई की जा सके । जिन स्परों/संरचनाओं पर नदी सटकर बह रही है तथा स्थल संवेदनशील हैं वहां 24 घंटे निगरानी रखने हेतु प्रत्येक स्पर/तटबंध के 3-4 कि.मी. पर 8-8 घंटे के प्रत्येक पाली के लिए दो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी या वर्क सरकार रखे जायें, जो 2-2 घंटे पर अपने क्षेत्र के तटबंध एवं स्थित संरचनाओं पर निगरानी रखेंगे। इस टोली द्वारा एक पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक पाली स्थल/ संरचना का खैरियत अंकित करेगा । निरीक्षण पदाधिकारी इस पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे । ऐसे स्थलों का निरिक्षण दिन में दो बार कनीय अभियंता द्वारा एक बार सहायक अभियंता द्वारा किया जाऐगा । प्रभारी कार्यपालक अभियंता एक दिन बीच डालकर निरीक्षण करेंगे । प्रत्येक स्तर से किसी भी खतरे की स्थिति में अविलंब वरीय पदाधिकारी को सूचना निकटतम संचार माध्यम से दी जायेगी ।

4. सामग्रियों की व्यवस्था

बाढ़ सामग्रियों की पर्याप्त व्यवस्था तथा इनकी आवश्यक स्थलों पर तीब्रता से ढुलाई करने की व्यवस्था तैयार रखी जाये ताकि आवश्यकता के समय कार्यस्थल पर बाढ़ सामग्रियों की कमी न होने पाये। इसके लिए कार्यपालक अभियंता, स्तर के एक पदाधिकारी को इसका प्रभार बनाया जाय, जिनके अधीन आवश्यकतानुसार सहायक अभियंता/कनीय अभियंता प्रतिनियुक्त किये जायें।

संवेदनशील स्थलों की श्रेणी निम्न प्रकार से निर्धारित की जाय एवं इसकी सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करने हेतु निम्न प्रकार से विशेष दल का गठन किया जायेगा ताकि बाढ़ की विभिषिका का सामना करने के लिए त्वरित कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा सके।

(क) रिस्क श्रेणी-''ए''

इस श्रेणी के अन्तर्गत तटबंध एवं संरचना के वैसे स्थल आयेंगे जहाँ पर नदी का कटाव संरचना/तटबंध के दो अथवा स्लोप पर आरंभ हो गया हो, जिससे संरचना/तटबंधा के क्षतिग्रस्त होने तथा उनके संबंधित खतरे की स्थिति उत्पन्न हो गई हो।

इस श्रेणी के स्थलों पर कटाव शुरू होते ही मुख्य अभियंता तुरंत स्थल निरीक्षण करेंगे तथा आवश्यक बाढ़ संर्घषात्मक कार्य कराने संबंधी निदेश देते हुए अविलम्ब मुख्यालय को सूचना देंगे । साथ ही वहाँ 24 घंटे निगरानी के लिए विशेष दल ए को प्रतिनियुकत करने की कार्रवाई करेंगे। इस श्रेणी के विशेष दल में एक अधीक्षण अभियंता के अधीन तीन कार्यपालक अभियंता एवं छः सहायक अभियंता/कनीय अभियंता स्तर के पदाधिकारी होंगे। एक कार्यपालक अभियंता के अधीन दो सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की टीम 8-8 घंट की पाली में ऐसे स्थलों पर कार्यरत रहेंगे। बाढ़ संर्घषात्मक कार्यों का संपादन मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता के देख-रेख में किया जायेगा जिसकी सूचना प्रतिदिन मुख्यालय को दी जायेगी। तीन दिनों से अधिक बाढ़ संर्घषात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्यालय में गठित टीम ए अविलंब उक्त स्थल के लिए प्रस्थान करेंगी।

(ख) <u>रिस्क श्रेणी-''बी''</u>

इस श्रेणी के अन्तर्गत तटबंध एवं संरचना के वैसे स्थल आयेंगे जहाँ पर यह महसूस हो कि नदी संरचना/तट बंध से कुछ दूर पर है, परन्तु इसकी कटाव की तीव्रता इस प्रकार से हो कि यदि इसे अविलंब नहीं रोका जायेगा तो संरचना/तटबंध के निकट शीघ्र पहुँचकर स्थिति को नाजुक बना दे सकती है।

इस श्रेणी के स्थलों पर यदि नदी का दबाव बढ़ता है तो अधीक्षण अभियंता तुरंत उसका निरीक्षण करेंगे तथा आवश्कतानुसार बाढ़ संर्घषात्मक कार्य कराने संबंधी निदेश देंगे। जिसकी सूचना अविलम्ब मुख्य अभियंता एवं मुख्यालय को देंगे। साथ ही 24 घंटे निगरानी के लिए विशेष दल बी को प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई करेंगे। इस श्रेणी के विशेष दल में एक कार्यपालक अभियंता के अन्तर्गत तीन सहायक अभियंता एवं छः कनीय अभियंता स्तर के पदाधिकारी रहेंगे। एक सहायक अभियंता के अधीन 2 कनीय अभियंता की टीम 8-8 घंटे की पाली में ऐसे स्थलों पर कार्यरत रहेंगे। बाढ़ संर्घषात्मक कार्यों का संपादन अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के देख-रेख में किया जायेगा जिसकी सूचना प्रतिदिन मुख्य अभियंता के द्वारा मुख्यालय को दी जायेगी। उक्त स्थलों पर तीन दिनों से अधिक बाढ़ संर्घषात्मक कार्यो की आवश्यकतानुसार नियंत्रित करेंगे। लगातार सात दिनों से अधिक बाढ़ संर्घषात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्यालय में गठित टीम बी अविलंब उक्त स्थल के लिए प्रस्थान करेंगी।

(ग) <u>रिस्क श्रेणी-''सी''</u>

इस श्रेणी के अन्तर्गत वैसे स्थल आयेंगे जहाँ नदी अभी संरचना/तटबंध से काफी दूर है, परन्तु नदी कटाव कर रही है, जिससे वर्तमान में कोई खतरा तो नहीं है, फिर भी इसकी रोकना भविष्य के लिए आवश्यक हेै ताकि साधारण बाढ़ संर्घषात्मक कार्य किए जाने से स्थल की सुरक्षा हो सके।

इस श्रेणी के अन्तर्गत संवेदनशील स्थलों पर यदि नदी का दबाब बढ़ता है तो कार्यपालक अभियंता तुरंत उसका निरीक्षण करेंगे तथा आवश्कतानुसार बाढ़ संर्घषात्मक कार्य कराने संबंधी निदेश देते हुए इसकी सूचना अविलम्ब अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता एवं मुख्यालय को देंगे । साथ ही दिन रात निगरानी के

लिए विशेष दल "सी" को प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई करेंगे। इस श्रेणी के विशेष दल में तीन सहायक अभियंता एवं छः कनीय अभियंता स्तर के पदाधिकारी रहेंगे। ताकि 8-8 घंटे की पाली में एक सहायक अभियंता एवं दो कनीय अभियंता कार्य स्थल पर तैनात किये जा सके। ऐसे स्थलों पर दो दिनों से अधिक बाढ़ संर्घषात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में अधीक्षण अभियंता अविलंब स्थल की निरीक्षण कर बाढ़ संर्घषात्मक कार्य को नियंत्रित करेंगे तथा उसकी सूचना मुख्य अभियंता / मुख्यालय को देंगे। लगातार पाँच दिनों से अधिक बाढ़ संर्घषात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्य अभियंता अविलंब स्थल का निरीक्षण कर बाढ़ संर्घषात्मक कार्य को नियंत्रित करेंगे तथा उसकी सूचना मुख्यालय को देंगे। आवश्क समझें तो मुख्य अभियंता स्तर पर गठित टीम- "बी" की उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्त करें ताकि बाढ़ संघर्षात्मक कार्य पर सत्त निगरानी रखा जा सके।

इस प्रकार तटबंधों के प्रभारी कार्यपालक अभियंताओं की आकस्मिक स्थिति में सहायता पहुँचाने हेतु उपरोक्त तीन विशेष दल पूरी अवधि में मुख्य अभियंता मुख्यालय में गठित रहेगा तथा सक्षम पदाधिकारी का आदेश पाते ही स्थल विशेष जहाँ उनके आकस्मिक सेवा की आवश्यकता होगी, प्रस्थान कर जायेगा। इन दलों का गठन अविलंब मुख्य अभ्यिंता करते हुए इसकी सूचना मुख्यालय को देंगे। सभी विशेष दलों के साथ एक जीप स्वतंत्र रूप से कार्यरत रहेगा ताकि सूचना प्राप्त होते ही विशेष दल के सदस्य तुरंत कार्य स्थल की ओर कूच कर सकें। इसी प्रकार विभागीय मुख्यालय में भी विशेष दल "ए" एवं "बी" का गठन किया गया है, जिसे आवश्कतानुसार सक्षम पदाधिकारी के निदेशानुसार स्थल विशेष को भेजा जायेगा।

7. <u>आकस्मिक परिस्थिति हेतु ट्रक/ ट्रैक्टर की उपयोगिता</u>

बाढ़ अवधि में एक ट्रक प्रत्येक मुख्य अभियंता के मुख्यालय में एक जेनेरेटर, पेट्रोमेक्स या एमरजेन्सी लाईट, टार्च, फोल्डिंग टेबुल, कुर्सी, छाता, बरसाती आदि न्यूनतम सामग्रियाँ जिसे सुसज्जित रखने का प्रस्ताव है, जिसे मुख्य अभियंता के आदेश पर आवश्यकतानुसार आकस्मिक परिस्थिति में स्थल विशेष पर भेजा जायेगा।

विभिन्न बाढ़ सामग्रियों को सुरक्षित भंडार से आपातकालीन स्थलों पर आवश्कतानुसार ढुलाने के लिए वाहनों की व्यवस्था तुरंत करने में कठिनाइ होती है। इसके लिए प्रत्येक प्रमंडल में एक एक ट्रैक्टर भाड़े पर तैयार रखा जाए।

8. <u>मुख्यालय को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन</u>

(क) बाढ़ अवधि में कार्यपालक अभियंता द्वारा मुख्यालय को भेजी जाने वाली दैनिक सूचनाएँ--

पिछले दिन के प्रातः 8 बजे से प्रतिवेदित तिथि के प्रातः 8 बजे तक की सूचना 10 बजे तक मुख्यालय (पटना) में पहुँच जाना चाहिए।

(ख) नदी के जलस्तर, जलश्राव इत्यादि को अंकित करते हुए तटबंध का खैरियत प्रतिवेदन

(ग) अनुशंसित/अनुमोदित नामांकन प्रस्तावों को सूचना

(i) स्थल का नाम एवं लोकेशन

(ii) संवेदक का नाम एवं रेजिस्ट्रेशन

(iii) नामांकन की राशि

(iv) कार्यमद का विवरण

(v) कार्य अवधि

उपर्युक्त सूचना की प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/ आयुक्त एवं अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता को भेजी जाय।

9. <u>विभिन्न प्रमत्रों में प्रगति प्रतिवेदन</u>

(क) बाढ़ संघर्षातमक कार्यों का दैनिक प्रगति प्रतिवेदनः-

(i) कार्य स्थल का लोकेशन एवं नाम

(ii) प्रतिवेदन की तिथि

(iii) संवेदक का नाम/विभागीय कार्य

(iv) कार्यमद का विवरण

(v) कराये गये कार्य की मदवार विवरणः-

कार्यालय का नाम	पूर्व तिथि तथा कराये गये कार्य की मात्रा/राशि	प्रतिवेदित तिथि का कराये गये कार्य की मात्रा/राशि	कुल कार्य की मात्रा/राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

इस विवरणी के अन्तगत सामग्रियों की आपूर्ति, ढुलाई और अन्यान्य मद जैसे पेट्रोमेक्स, झोपड़ी, चापाकल इत्यादि का उल्लेख किया जाय।

(ख) बाढ़ अवधि में कार्यपालक अभियंता द्वारा मुख्यालय को भेजी जाने वाली साप्ताहिक सूचनाएँ:-

1. प्रत्येक माह के 7,15,23 एवं मासान्त तक की सूचना मुख्यालय (पटना) को क्रमशः 9,17,25 एवं अगले माह के 2 तारीख तक प्रेषित किया जाय।

प्रतिवेदित सप्ताह में अनुशंसित/अनुमोदित नामांकन प्रस्तावों की सूचनाः-

(i) संवेदक का नाम

(ii) आवंटित कार्य की विवरणी

(iii) आवंटित कार्यों की राशि

2. प्रतिवेदित सप्ताह में विभिन्न स्थलों पर सामग्रियों की आपूर्ति एवं खपत की विवरणीः-

स्थल का लोकेशन एवं नाम	सामग्रियों का नाम	पूर्व अवशेष मात्रा	अन्य स्थल (नाम अंकित	डी.टी.पी. के आदेश के तहत	स्थानीय आदेश के तहत संवेदक	कुल मात्रा/राशि	कार्य में खपत मात्रा/राशि	अवशेष मात्रा/राशि

			करें) से दुलाई कर लायी गयी मात्रा/राशि	आपूरित मात्रा/राशि	द्वारा आपूरित मात्रा/राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. प्रतिवेदन सप्ताह में विभिन्न स्थलों पर कराये गये कार्य की संवेदकवार/मदवार विरणीः-

स्थल का लोकेशन एवं नाम	संवेदक का नाम	कार्य मद का नाम	पूर्व सप्ताह तक कराये गये कार्य की मात्रा/राशि	प्रतिवेदित सप्ताह में कराए गए कार्य की मात्रा/ राशि	कुल कार्य की मात्रा/राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

(ग) बाढ़ अवधि में अधीक्षण अभियंता द्वारा मुख्यालय को भेजी जाने वाली पाक्षिक सूचनाएँ:-
(प्रत्येक माह के 15 तारीख एवं मासान्त तक की सूचना क्रमशः 17 तारीख एवं अगले माह के 2 तारीख तक मुख्यालय को भेजी जाय)

(1) तटबंधों की स्थिति पर समीक्षात्मक टिप्पणी, निरीक्षण प्रतिवेदन ।

(2) प्रतिवेदित पखवारा में अनुशंसित/अनुमोदित नामांकन प्रस्तावों की सूचना -

(i) संवेदक का नाम

(ii) आवंटन की स्थिति

(iii) आवंटित कार्यों की विवरणी

(iv) आवंटित कार्यों की राशि

4. प्रतिवेदित पखवारा में विभिन्न स्थलों पर कराये गये कार्य की संवेदकवार/ मदवार विवरणीः-

स्थल का लोकेशन एवं नाम	संवेदक का नाम	कार्य मद का नाम	पूर्व पखवारा तक कराये गये कार्य की मात्रा/राशि	प्रतिवेदित माह में कराए गए कार्य की मात्रा/ राशि	कुल कार्य की मात्रा/राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

(घ) बाढ़ अवधि में मुख्य अभियंता द्वारा मुख्यालय को भेजी जाने वाली पाक्षिक सूचनाएँ:-
(प्रत्येक माह के 15 तारीख एवं मासान्त तक की सूचना मुख्यालय को क्रमशः 17 तारीख एवं अगले माह के 2 तारीख तक मुख्यालय को भेजी जाय)

(1) नामांकन संबंधीः-

प्रमंडल का नाम	प्रमंडल द्वारा स्वीकृत नामांकन प्रस्ताव			अंचल द्वारा प्रस्तावित नामांकन प्रस्ताव			मुख्यालय को समर्पित नामांकन प्रस्ताव				पिछले पखवारे में नामांकन की सं० एवं तिथि
	संवेदक का नाम	नामांकन की सं०	नामांकन की राशि	संवेदक का नाम	नामांकन की सं०	नामांकन की राशि	पिछले पखवारे में नामांकन की सं० एवं तिथि	संवेदक का नाम	नामांकन की सं०	नामांकन की राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(i) संवेदनशील स्थलों पर बाढ़ का प्रभाव एवं कराए गए कार्य पर टिप्पणी

(ii) निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रति

(iii) निधि की आवश्यकता

5. बाढ़ अवधि में मुख्य अभियंता द्वारा मुख्यालय को भेजी जाने वाली मासिक सूचनाएँ:-

(प्रत्येक माह के 15 ता० तक की सूचना मुख्यालय को 20 ता० तक भेजी जाए)

(i) आवश्यकतानुसार अति संवेदनशील स्थलों पर कटाव एवं कराये गये कार्य का सूचक मानचित्र।

(ii) प्रतिवेदित अवधि में विभिन्न स्थलों पर कराए गए कार्य की संवेदनशील/मदवार विवरणीः-

प्रमंडल का नाम	स्थल का लोकेशन एवं नाम	संवेदक का नाम एवं पता	कार्यमद का नाम	पूर्व माह तक कराये गये कार्य की मात्रा/राशि	प्रतिवेदित माह में कराए गए कार्य की मात्रा/राशि	कुल कार्य की मात्रा/राशि
1	2	3	4	5	6	7

(च)बाढ़ अवधि के पश्चात् 25 अक्टूबर तक मुख्यालय (विभाग) को प्रेषित की जाने वाली बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो का ब्योरा) जो मुख्य अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित हो । प्रमंडल का नाम सहित ।

क्र.	कार्यस्थल का नाम	संवेदक का नाम	कार्यावंटन का प्रसंग	विभाग को प्रेषित कार्यावंटन सूचना का प्रसंग	एकरारनामा		
					सं०	दिनांक	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि	संवेदक द्वारा किये गये कार्य का	तत्सम्बन्धी माप-पुस्त की सं० एवं पृष्ट जहाँ	कनीय अभियंता द्वारा मापी प्रविष्टि की	मापी की जाँच का प्रतिशत

				कार्य का माप एवं मुल्यांकन अंकित है।	तिथि		
	नाम	मात्रा	राशि			सहायक अभियंता द्वारा	कार्यपालक अभियंता द्वारा
9	10	11	12	13	14	15	16

भुगतान की गई राशि	बकाया भुगतान की राशि	बेतार संवाद का प्रसंग जिससे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराए जाने की सूचना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को दी गयी।	तकनीकी स्वीकृति की प्रसंग	व्यवहार की गई सामग्री की विवरणी जो पहले से विभाग में उपलब्ध था।		तकनीकी स्वीकृति की प्रसंग	कराए गये कार्य अभी बकाया है अथवा नहीं।	अभियुक्ति
				मात्रा	राशि			
17	18	19	20	21	22	23	24	25

नोटः- सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता उपरोक्त सभी निदेश का दृढ़तापूर्वक पालन एवं विहित प्रपत्र में सूचनाओं के प्रेषण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई निहित समय सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

परिशिष्ट- ख

<u>बाढ़ अवधि में वितंत यंत्रों की स्थापना, सुनिश्चित संचालन एवं त्वरित संवाद प्रेषण के सम्बंध में निदेश ।</u>

1. <u>वायरलेस आपरेटर एवं बैटरी की व्यवस्था</u>

मुख्यालय द्वारा अनेकों दिए गये निदेश के बावजूद जिन स्थानों पर वेतार संयंत्र स्थापित है, उसका भी सही रूप से रख-रखाव नहीं कियाा जा रहा है । ऐसा आये दिन देखा गया है कि कहीं पर बैटरी का अभाव है तो कहीं बेतार चालक नहीं है, जहाँ कहीं ये दोनों चीज है वहाँ से भी सुनिश्चित रूप से संवाद प्रेषण नहीं हो पा रहा है । यह एक दुखद बात है । पूर्व में यहाँ से कई निदेश दिये गए हैं कि अपने परिक्षेत्र के लिए समादेष्टा से सम्पर्क कर होमगार्ड के वितंतु चालकों भूतपूर्व सैनिक वायरलेस आपरेटर या प्रशिक्षित वायरलेस आॅपरेटर को आवश्यकतानुसार विहित प्रक्रिया के तहत दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखा जाय । किसी भी मुख्य अभियंता से अभी तक इस आलोक में कोई भी सुदृढ़ कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है । आशा की जा रही है कि आपके स्तर से इस तरह की व्यवस्था अवश्य ही की जा चुकी होगी । इसी प्रकार वितंतु से संबंधित अन्य उपकरणों जिसकी व्यवस्था आपके स्तर से की जा सकती है, यथा बैटरी, बी०बी०एन्टिना, बैटरी किल्प, वायर, एन्टिना पोस्ट आदि उसकी व्यवस्था कर ली गई होगी ।

2. वितंतु का सुनिश्चित संचालन, संवाद प्रेषण एवं प्राप्ति के लिए एक ऐसे दल/पदाधिकारी को इस कार्य के लिए दायित्व सौंपा जाय जो अपने सूझ-बूझ से क्षेत्र के सभी घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कर रखें तथा मुख्यालय को तत्संबंधी संवाद प्रेषित करें । यथा जब कभी उनसे मुख्यालय द्वारा सूचना मांगी जाय तो अविलम्ब सूचना उपलब्ध करावें । इसके लिए यह भी आवश्यक है कि क्षेत्र के अन्य संबंधित पदाधिकारी, जो बाढ़ से जुड़े हैं, अपने-अपने स्तर से वितंतु सेवा को संवाद उपलब्ध कराने हेतु हर स्तर के पदाधिकारियों को हमेशा सजग करना आवश्यक है ताकि कम्यनिकेशन गैप नहीं होने पावे । इस व्यवस्था के तहत् पदाधिकारी के अन्दर जागरूकता उत्पन्न करना भी आवश्यक है ताकि आपके अधीन स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष/ वितंतु कक्ष के प्रभारी हर क्षण अपने कार्य के प्रति सतर्क रहें ।

आपके क्षेत्र हेतु वितंतु सेट स्थापित करने के सम्बन्ध में एक सूचनी परिशिष्ट ''ग'' पर रखी गई है, जिससे स्पष्ट होगा कि आपके यहाँ वर्तमान में कितने सेट स्थापित है ।

दिनांक 15.6.05 से सभी सेटों के द्वारा प्रतिदिन निर्धारित समयानुसार संवाद प्रेषण एवं प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। यदि उपरोक्त कार्रवाई में किसी प्रकार की शिथिलता होगी तो आपकी निजी जिम्मेवारी होगी । क्षेत्र में स्थापित सभी वितंतु चालक प्रतिदिन 15.6.05 से पटना बेतार कक्ष से प्रातः 8 बजे सम्पर्क करेंगे एवं अपनी उपस्थिति बतायेंगे ।

परिशिष्ट-ग के साथ मुख्य अभियंता परिक्षेत्र में स्थापित स्थायी/अस्थायी वितन्तु केन्द्रों की सूची संलग्न है । आवश्यकतानुसार बाढ़ अवधि में अस्थायी स्थापित वितन्तु यंत्रों के संबंध में मुख्यालय को सूचित करते हुये मुख्य अभियंता स्तर पर स्थानान्तरित कर स्थापित करवा लेंगे ।

ऐसे स्थल जहाँ पर वितन्तु यंत्र लगाना आवश्यक है, और संलग्न सूची में नहीं जोड़ा गया है, मुख्य अभियंता स्तर से आवश्यकता दर्शाते हुये माँग करेंगे ।

4. <u>पदाधिकारियों / कर्मचारियों के नामों की सूची</u>

जिन-जिन कार्योलयों एवं स्थलों पर विंततु सेट/हाट लाईन/दूरभाष स्थापित है या होना है वहाँ पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष का गठन होना आवश्यक है । गठित बाढ़ नियंत्रण कक्षों के प्रभारी एवं पाली अधिकारियों के नाम एवं पदनाम के साथ अविलम्ब विभाग को अवगत करावें । विभाग द्वारा कभी भी औचक रूप से उनकी उपस्थिति की जानकारी वेतार/हाटलाईन/दूरभाष पर ली जा सकती है। यदि वे पदाधिकारी / कर्मचारी उपस्थित नहीं पाये जायेंगे तो उनके उपर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी । इस कार्य के लिए बाढ़ नियमावली में दर्शाये गये निदेशों का दृढ़ता से पालन करते हुए सम्बन्धित पंजी का संधारण भी सुनिश्चित कर लें ।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना मुख्य अभियंता का निजी दायित्व है एवं दिये गये निदेशों में किसी प्रकार का ढिलाई नहीं बरती जायेगी । सुनिश्चित संचार व्यवस्था की निरंतरता में कोई बाधा नहीं हो इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है ।

<u>विभागीय वितन्तु यंत्रों की सूची</u>

1.	कुल एच० एफ० वितन्तु यंत्र	60 अदद	
	क- एल०एच०पी०-219	20 अदद	
	ख- पी०एस०बी०-53	17 अदद	टोटल 60 अदद
	ग- कोडान- 8528	2 अदद	
	घ- पी०एल० केनूड़	6 अदद	

घ- बैरट- 530 15 अदद

उपरोक्त में से (7) अदद एच०एफ० वितन्तु यंत्र संलग्न सभी सामानों के साथ निम्नानुसार झारखण्ड राज्य में-

क- जमशेदपुर	1 एल	
ख- मंडल	1 एल	
ग- मोहम्मदगंज	1 एल	
घ- तेनुघाट	1 एल	टोटल 7 अदद
घ- बरहेट	1 एल	
च- रहैला	1 एल	
छ- राँची	1 एल	

बिहार राज्य में कुल कार्यरत एच० एफ० सेट- 53 अदद

2.	कुल भी०एफ० वितन्तु यंत्र	64 अदद
	क- चैलेंजर	14 अदद
	ख- मेल्ट्रान	10 अदद
	ग- ट्रान्सीवरस	30 अदद
	घ- हैन्ड हैल्ड	10 अदद

इनमें से जमशेदपुर (झारखंड राज्य) में - 4 बिहार राज्य में कुल कार्यरत भी०एच० वितन्तु यंत्र-60

नोट- विवरणी मुख्य अभियंता परिक्षेत्र के साथ संलग्न ।

<u>स्थापित वितन्तु यंत्रों की विवरणी</u>

	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	**स्थापित वितन्तु यंत्रों का प्रकार**	
1.	बीरपुर	एच० एफ०	भी०एच०एफ०
1.	मुख्य अभियंता कार्यालय बीरपुर	1(सी)	1(टी)
2.	मुख्य अभियंता कार्यालय बीरपुर	1(टी)	-
3.	बराह क्षेत्र (नेपाल)	1(पी)	-
4.	कोशी बराज भीमनगर	1(पी)	1(टी)
5.	जमालपुर	1(पी)	-
6.	निर्मली	1(पी)	-
7.	सुपौल	1(पी)	-
8.	सहरसा	1(पी)	-
9.	सुपौल (अतिरिक्त)	1(पी)	-
10.	सुपौल (अतिरिक्त)	1(टी)	-
11.	कुशहा (17 के.एम.)	-	1(टी)
12.	राजवासा (27 के.एम.)	-	1(टी)
13.	जोगनिया (2.25 के. एम.)	-	1(टी)

14.	मुख्य अभियंता बीरपुर मोबाईल	-	1(टी)
15.	अधीक्षण अभियंता बराज मोबाईल	-	1(टी)
	कुल	10	7
2.	समस्तीपुर		
1.	मुख्य अभियंता कार्यालय समस्तीपुर	1(टी)	1(टी)
2.	झंझारपुर	1(पी)	-
3.	दरभंगा	1(टी)	1(टी)
4.	बेगुसराय	1(टी)	1(एम.)
5.	खगड़िया	1(पी)	-
6.	रोसड़ा	1(पी)	-
7.	हथौड़ी	-	1(टी)
8.	धमौन (चाँदपुर)	1(पी)	-
9.	अमरपुर मोबाईल	-	1(एम)
	कुल	7	6
3.	सीवान		
1.	मुख्य अभियंता कार्यालय सीवान	1(टी)	1(टी)+(1सी)
2.	पडरौना	1(एल)	1(टी)+4(1सी)
3.	भीतहा	1(एल)	-
4.	गोपालगंज	1(एल)	-
5.	महाराजगंज	-	1(टी)
6.	छपरा	1(पी.एल.)	-
	कुल	5	3+5(1सी)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक / पार्षद योजना एवं कोशी कांति योजना का कार्य)

पत्रांक-1/अ०प्र०-12-01/2005- 605 /पटना, दिनांक- 12 मार्च, 2005

प्रेषक,

सुधीर कुमार राकेश
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, ग्रा०अ०सं० उपभाग
सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा०आ०सं०, कार्य अंचल
सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा०अ०सं०, कार्य प्रमंडल,
सभी कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल, ग्रा०अ०सं०,
सभी कार्यपालक अभियंता, मिट्टी अन्वेषण प्रमंडल, ग्रा०अ०सं०,
सभी प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी

विषयः- निर्माण कार्यों में व्यवहृत किये गये लघु खनिजों पर देय स्वामित्त्व (Royalty) की कटौती के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ऐसा ज्ञात हुआ है कि कतिपय जिलों में निर्माण कार्य में व्यवहृत लघु खनिज, विशेषकर बालू, बोल्डर, मेटल ग्रेड I / ग्रेड II एवं ग्रेड III अथवा चिप्स का बिना स्वामित्व अदायगी के ठेकेदारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है । पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार निर्माण कार्यो में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय स्वामित्व की कटौती कार्य विभागों के द्वारा संबंधित ठेकेदारों के विपत्रों से कर ली जाती थी एवं इस तरह से काटी गयी राशि खनन शीर्ष में जमा करवा दी जाती थी । परन्तु इस प्रक्रिया पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिये जाने के बाद बिहार सरकार के द्वारा बिहार लघु गया है (सरकार के विशेष सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, का पत्रांक-सी०सी०- 1043/94-1373/एम०, पटना, दिनांक- 30.07.2001 दृष्टव्य):-

(I) निर्माण कार्य में व्यवहृत होने वाले लघु खनिजों का क्रय संबंधित ठेकेदार केवल सरकार द्वारा स्वीकृत वैध खनन पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी से ही करेंगे।

(II) सभी ठेकेदार अपने विपत्र के साथ एक शपथ पत्र खनन विभाग द्वारा निर्धारित "प्रपत्र-एम" में दाखिल करेंगे जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि इन्होंने लघु खनिजों का क्रय किन-किन वैध खनन पट्टेधारियों/ अनुज्ञप्तिधारियों से किया है ।

(III) इसी शपथ पत्र के साथ ठेकेदार वैध खनन पट्टेधारियों/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रपत्र-एन में प्रदत्त विक्रय से संबंधित प्रमाण पत्र भी दाखिल करेंगे।

(IV) विपत्र पारित करनेवाले पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि विपत्र के भुगतान के पूर्व इस शपथ पत्र एवं उसके साथ प्रपत्र-एन में प्रदत्त प्रमाण पत्र, संबंधित जिला खनन पदाधिकारी को सत्यापन के लिए भेज दें ।

(V) जिला खनन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-एन के सत्यापित करने के उपरान्त ही संबंधित ठेकेदार उनके द्वारा उपयोग किय गये लघु खनिज के भुगतान के हकदार होने चाहिए ।

2. खनन एवं भूतत्व विभाग, बिहार के द्वारा सूचित किया गया है कि ऐसा नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता/संवेदक एवं कार्य विभाग/क्रेता को अवैध खनन कर आपूर्ति किए गये खनिजों के कारण होनेवाले राजस्व क्षति के लिए सहयोगी माना जाएगा ।

3. प्रसंगवश यह भी उल्लेख करना है कि खनन एवं भूतत्त्व विभाग, बिहार, द्वारा सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि निर्माण कार्य में प्रयोग किये गए लघु खनिज के लिए प्रपत्र 'एन' में दाखिल किए गए कागजात को 20 दिनों के अन्दर सत्यापित कर निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दें ।

4. सुलभ संकेत हेतु बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली, 1972 के नियम 40(10) का उद्धरण निम्नवत हैः-

"40 (10) To prevent evasion of royalty it is provided that works contractor shall purchase the minerals from lessee/permit holder and authorized dealers only and no Works Department shall receive the bill which the works contractors submit to recover cost

etc of mineral used by them in completion of the Works Department under any agreement from the works contractor if the said bill is not accompanied by an affidavit in Form 'M' with particulars in Form 'N' of these rules alongwith a photo copy of the said affidavit and particulars. It shall be the duty of the officer who receives or on whose behalf the said bill is received to send the photo copy of the Affidavit and particulars to the District Mining Officer/Assistant Mining Officer within whose jurisdiction the mineral was allegedly purchased for verification.

If contents of the said affidavit on verification by the concerned District Mining Officer/Assistant Mining Officer is found to be false either wholly or partly it shall be presumed that the concerned mineral was obtained by illegal mining and in that event the said District Mining Officer/Assistant Mining Officer shall take action as prescribed in these rules against the maker of the said affidavit:

Provided that if the works contactor deposits or pays the royalty in respect of the mineral so consumed/supplied by him as shown in the aforesaid affidavit and partiuclars the said District Mining Officer/Assistant Mining Officer in his discretion may not take action as prescrbied in the rule."

Explanation- For the purposes of this rule -

(i) "Works Department" means departments of the Central or State Governemnt including Company, Corporation, Undertakings, Autonomous body of the Government engaging works contractors for any kind of construction on its behalf.

(ii) "Works Contractor" means an individual, a firm, a company, an association or body of individuals who under an agreement, with the Works Department work for the said Department.

5. उपर्युक्त प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए एवं इसके लिए अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को यथोचित निदेश दिये जायें ताकि सरकारी राजस्व की क्षति नहीं हो । संबंधित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' की छायाप्रतियां भी सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न की जा रही है ।

इसकी एक प्रति रक्षी संचिका में भी रखें ।

इसे कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ।

अनु०- यथा उपर्युक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुधीर कुमार राकेश)

पत्रांक- बाढ़(मो०) सिं०वि०-36/2002- 2508

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० श्यामनन्दन प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
बीरपुर/पूर्णियाँ/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/वाल्मीकीनगर/
सिवान/पटना/डिहरी/भागलपुर/दरभंगा/औरंगाबाद

पटना, दिनांक- 11.10.04

विषयः- प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पूर्व प्रस्तावित बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो एवं बाढ़ की अवधि में कराये जाने वाले बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो के संबंध में अनुदेश एवं ''बाढ़ तिथिक्रम'' का प्रेषण ।

महाशय,

बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो के ससमय कार्यान्वयन हेतु विभागीय स्तर पर ''बाढ़ तिथिक्रम'' (Flood Clander) तैयार किया गया है, जो अनुपालनार्थ संलग्न किया जा रहा है । इसके साथ निम्नलिखित प्रासंगिक अनुदेश संसूचित किये जाते हैं, जिसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जायः-

(1) प्रत्येक बाढ़ के पूर्व क्षेत्रीय पदाधिकारी विभिन्न नदियों/नालों पर बने पुलों एवं जल निकासी द्वारों का निरीक्षण करेंगे । निरीक्षण के पश्चात् यह आश्वस्त हो लेंगे कि सभी जल मार्गो की सफाई हो रही है । अगर कही दूसरे विभाग से भी बंद पड़े जल मार्गो की सफाई कराना आवश्यक हो तो समन्वयन स्थापित कर उसे साफ कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) निर्धारित समय सारिणी के अनुसार अगर क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा कार्यादेश निर्गत नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारी की कार्यादेश निर्गत करने की शक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी। ऐसी स्थिति में संबंधित मुख्य अभियंता सभी अभिलेख अविलम्ब अपने अभियंता प्रमुख के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे । ऐसा करते समय प्रत्येक मामले में विलम्ब का कारण तथा विलम्ब के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे। इसका निस्तार अभियंता प्रमुख के स्तर पर किया जायेगा तथा दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा वे सरकार को करेंगे।

(3) निर्धारित समय सारिणी के बाहर किये गये कार्यो में सृजित दायित्व का उत्तरदायित्व संबंधित पदाधिकारी का होगा।

(4) कतिपय कारणों से राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की बैठक निर्धारित तिथि तक नहीं होने की स्थिति में इसके बाद के कार्यक्रम में परिवत्र्तन हो सकता है, जिसकी सूचना अलग से संसूचित की जायेगी ।

(5) जिला प्रशासन से संयुक्त निरीक्षण हेतु अग्रिम रूप से प्रशासन से सम्पर्क स्थापित कर कार्यक्रम तय कर ली जाय ताकि प्रशासन का पूरा सहयोग प्राप्त हो सके ।

(6) असैनिक एवं यांत्रिक सम्वर्ग के पदाधिकारी पूरे समन्वय के साथ स्लूइसों का निरीक्षण करेंगे ताकि महत्वपूर्ण संरचनाओं का भौतिक सत्यापन के पश्चात् निर्धारित समय पर कराये जाने वाले कार्य को पूरा किया जा सके ।

(7) बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो हेतु संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित मात्रा में बालू का संग्रहण कर उपयुक्त स्थल पर रखा जाय ताकि किसी प्रकार की आकस्मिकता में स्थल पर आसानी से लाया जा सके ।

(8) यह देखा गया है कि इस तरह के महत्वपूर्ण पत्र विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में नहीं प्राप्त होने की शिकायत मिलते रहते हैं । यह मुख्य अभियंताओं का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि इस तरह के पत्र एवं ''बाढ़ तिथिक्रम'' अधीक्षण अभियंताओं/कार्यपालक अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं को अवश्य प्राप्त हो जाय एवं इसे सभी कार्यालयों के संबंधित रक्षित संचिका में रखा जाय ।

(9) इस ''तिथिक्रम'' का प्रदर्शन सभी अवर प्रमंडल पदाधिकारी एवं इसके उपर के पदाधिकारियों के कार्यालयों के सूचना पट पर कम-से-कम एक महीना के लिए प्रदर्शित रहे ।

(10) सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि ''बाढ़ तिथिक्रम'' के अनुसार एकरारनामें में ही कार्य पूर्ण करने की तिथि अंकित किया जाए एवं किसी भी परिस्थिति में समय विस्तार के लिए स्वीकृति नहीं दी जाए । अतएव एकरारनामा करने वाले पदाधिकारी अपने हस्तलिपि में निम्नांकित शर्ते एकरारनामा में जोड़ेंगेः-

''इस कार्य को संवेदक द्वारा दिनांक- ..... को पूर्ण कर लिया जाएगा । इस तारीख तक पूर्ण नहीं होने पर शर्तों के अनुसार कुल प्राक्कलित राशि के 10 (दस) प्रतिशत राशि काटकर ही किए गए कार्यो के लिए भुगतान की जाएगी ।''

(11) उपरोक्त निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं होने पर किसी भी पदाधिकारी द्वारा किये गये एकरारनामें को उक्त पदाधिकारी के प्रत्यायोजित शर्तों के बाहर किये गये अनाधिकृत एकरारनामा माना जायेगा ताकि इस तरह के एकरारनामों के चलते सृजित दायित्व का वहन करने के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगा एवं इसके लिए एकरारनामा करने वाले पदाधिकारी ही स्वंय उत्तरदायी होंगे । अतएव बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो से संबंधित सभी एकरारनामों में इस पत्र को संलग्न कर इसे एकरारनामा का हिस्सा माना जाएगा तथा संवेदक से एकरारनामें में उसके हस्तलिपि में निम्नांकित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगाः-

''मैं ..... (नाम) निबंधन संख्या- ..... संवेदक ने इस एकरारनामा के अनुलग्नक, हिस्सा, पत्र संख्या- 2508 दिनांक- 11.10.04 को पढ़ा समझा एवं उसमें निहित शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।''

एकरारनामें के अतिरिक्त अनुलग्नक इस पत्र के पाश्र्व में भी ऐसा ही प्रमाण-पत्र उसके द्वारा अंकित किया जायेगा ।

संबंधित अभियंता द्वारा कार्यादेश निर्गत करते समय एवं प्रत्येक विपत्र पारित करते समय अपने हस्तलिपि में यह प्रमाण अंकित करेंगे कि इस पत्र संख्या-2508 दिनांक 11.10.04 के प्रत्येक शर्तों के अनुपालन करते हुए यह कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है ।

मुख्य अभियंता से अनुरोध है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यो का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय ।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/-
(श्यामनन्दन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक- 2508 पटना, दिनांक- 11.10.04

प्रतिलिपिः- अनुलग्नक सहित निदेशक, क्रय एवं परिवहन, पटना/अंचलान्तर्गत सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/-
(श्यामनन्दन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

FLOOD CALENDER

EVENTS		DATES
1.	टी.ए.सी. के सम्मुख उपस्थापित होने वाली योजनाओं के स्वरूप निर्धारित हेतु अक्राम्य स्थलों का निरीक्षण कर सुझाव देने के निमित्त कटाव निरोधक का गठन	12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर
2.	यांत्रिक एवं असैनिक अभियंताओं द्वारा तटबंध पर निर्मित सरंचनाओं का संयुक्त निरीक्षण	10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर
3.	क्षेत्रीय असैनिक अभियंताओं का यांत्रिक अभियंताओं के साथ किये गये निरीक्षण का प्रतिवेदन समर्पित ।	31 अक्टूबर तक
4.	बागमती, गंडक, महनन्दा, बूढ़ी गंडक, कमला बलान एवं गंगा नदी के जटिल कटाव स्थलों पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यो के स्वरूप निर्धारित हेतु विशेषज्ञ-समिति का गठन	15 अक्टूबर ये 20 अक्टूबर
5.	कोशी/गंडक नदी के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की उप-समिति का स्थल निरीक्षण कार्यक्रम एवं प्रतिवेदन	गंडक (पी०पी०) 5-10 कोशी- 12-17 अक्टूबर
6.	कोशी/गडक नदी के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति का स्थल निरीक्षण कार्यक्रम एवं प्रतिवेदन	गंडक (पी०पी०) 12-17 अक्टूबर कोशी- 22-28 अक्टूबर
7.	टी.ए.सी. के समक्ष योजनाओं का प्रस्तुतीकरण ।	8 नवम्बर तक
8.	क्षेत्रीय पदाधिकारियों का जिला प्रशासन के साथ संयुक्त निरीक्षण	10 नवम्बर से 20 नवम्बर
9.	टी.ए.सी. की बैठक एवं अनुशंसा/प्रतिवेदन	12-18 नवम्बर

10.	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में एस.आर.सी. के समक्ष योजना का प्रस्तुतीकरण	5 नवम्बर तक
11.	टी.ए.सी. की अनुशंसा के आलोक में एस.आर.सी. के समक्ष योजना का प्रस्तुतीकरण	20-25 नवम्बर (अन्य तटबंध हेतु)
12.	एस.आर.सी. की बैठक एवं अनुशंसा/प्रतिवेदन	कोशी/गंडक(पी०पी०)- 8-13 नवम्बर अन्य-तटबंध- 26-28 नवम्बर
13.	कटाव निरोधक कार्य में लगने वाली समाग्री यथा जियोटेक्सटाईल फिल्टर, ई.सी., एन.सी. एवं वी.ए. वायर की अधियाचना	30 नवम्बर तक
14.	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की बैठक ।	कोशी/गंडक (पी०पी०) एवं अन्य 5 दिसम्बर
15.	कार्यारम्भ आदेश निर्गत की तिथि	10 दिसम्बर
	(A) कार्यक्रम	
	(क) प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति की तिथि	12 दिसम्बर
	(ख) निविदा आमंत्रण की तिथि	14 दिसम्बर
	(ग) निविदा प्राप्ति की तिथि	10 जनवरी तक
	(घ) निविदा निष्पादन की तिथि	17 जनवरी तक
	(घ) कार्य आवंटन की तिथि	18 जनवरी से 20 जनवरी
	(च) कार्यारम्भ की वास्तविक तिथि	20 जनवरी से 27 जनवरी तक
	(छ) कार्य समाप्ति की तिथि	कोशी- 31 मार्च गंडक- 30 अप्रैल अन्य नदियां- 30 मई गंगा नदी- 31 मई
	(B) कटाव निरोधक कार्य एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु सामग्रियों के क्रय हेतु निदेश	निविदा आमंत्रण- 10-12 दिसम्बर
	सामग्री प्राप्ति की तिथि	
	(i) कटाव निरोधक कार्य-	जनवरी- 20% फरवरी-मार्च- 50% अप्रैल- 30%
	(ii) बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु	30 अप्रैल तक

16.	कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम	15 जनवरी तक
17.	''बाढ़ नियंत्रण पर्षद्'' द्वारा स्वीकृत योजनाओं का ''योजना प्राधिकृत समिति'' के समक्ष प्रस्तुतीकरण	31 दिसम्बर तक
18.	मुख्यालय स्तर पर बिहार के निर्वाचित विधान सभा सदस्य, लोक सभा सदस्य के साथ बैठक	20 जनवरी से 30 जनवरी तक
19.	योजना प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं का मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुतीकरण	31 जनवरी तक
20.	प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि	7 फरवरी तक
21.	कटाव निरोधक कार्य की समाप्ति के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन का समर्पण	कोशी- 7 अप्रैल गंडक- 7 मई अन्य नदियाँ - 7 मई गंगा नदी- 7 जून
22.	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु श्रमदर हेतु निविदा आमंत्रित एवं निष्पादन	1 मई से 25 मई तक
23.	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विशेष अनुदेश-	15 मई तक
24.	बाढ़ कोषांग के गठन का आदेश	1 जनवरी से - 1 सीफ्रट 1 जून से - 2 सीफ्रट 1 जुलाई से - 3 सीफ्रट
25.	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु आक्रान्म्य स्थलों पर स्थानीय बालू का भंडारण	5 जून तक
26.	आक्रान्म्य स्थलों के लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन	15 जून
27.	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य का अंतिम प्रतिवेदन का समर्पण	पन्द्रह-पन्द्रह दिनों पर 15 जून से 15 अक्टूबर तक एवं अंतिम 22 अक्टूबर तक
28.	बाढ़ प्रतिवेदन/समीक्षा/निधि का आवंटन	निधि का आवंटन समीक्षोपरान्त हर 15 दिनों के बाद 30 जून, 15 जुलाई, 10 जुलाई 15 अगस्त, 30 अगस्त, 15 सितम्बर 30 सितम्बर, 15 अक्टूबर एंव 30 अक्टूबर

(3) (क)
दायित्व संबंधी मामलों के निष्पादन के संबंध में।

पत्रांक-बाढ़ (मो०) सिं०वि०-70/12

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

कार्यालय-आदेश

जल संसाधन विभाग के अधीन विभिन्न कार्य योजनाओं में दायित्व संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर पाँच सदस्यीय समिति निम्नरूपेण गठित करने का निर्णय लिया गया है ।

1.	अभियन्ता प्रमुख (उत्तर)/(मध्य) (कार्य से असबद्ध) जल संसाधन विभाग, पटना	अध्यक्ष
2.	मुख्य अभियन्ता, संबंधित परिक्षेत्र	सदस्य
3.	अधीक्षण अभियन्ता उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
4.	अधीक्षण अभियन्ता रूपांकन अंचल (संबंधित परिक्षेत्र)	सदस्य
5.	योजना से संबंधित प्रबोधक (कार्यपालक अभियन्ता से अन्यून स्तर के)	सदस्य सचिव

नोटः- जिस मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र में अधीक्षण अभियन्ता, रूपांकन अंचल का पद नहीं है। वहाँ मुख्य अभियन्ता के प्रावैधिक सचिव इस समिति के सदस्य होंगे ।

यह समिति दायित्व संबंधी मामलों की विभागीय पत्रांक 575 दिनांक 20.03.2013 के परिपेक्ष्य में विस्तृत छानबीन कर एवं गहन समीक्षोपरान्त अपनी अनुशंसा विभाग को समर्पित करेगी। न्यायिक मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी । तत्संबंधी पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को तत्काल प्रभाव से इस हद तक निरस्त किया जाता है

ह०/-
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग,
पटना

ज्ञाप सं०- 576 पटना, दिनांक 20.03.13

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता/सभी कार्यपालक अभियन्ता जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सं०-1, जल संसाधन विभाग, पटना आदेश की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।

ह०/-
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग,
पटना

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक - 578

प्रेषक,

अमरेन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 13.07.2000

विषयः- न्यायालय से संबंधित दायित्व के मामलों का निष्पादन ।

महाशय,

न्यायालय से संबंधित दायित्व के मामलों के निष्पादन के क्रम में विभिन्न मुख्य अभियंताओं द्वारा अपने-अपने मुख्यालयों में दायित्व समिति की बैठकें बुलाई जाती हैं । दायित्व समिति के एक सदस्य के रूप में उड़नदस्ता के कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को भी इन बैठकों में भाग लेना अनिवार्य होता है । न्यायालय से संबंधित मामलों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण एक ही कार्यपालक अभियंता को बहुधा एक से अधिक मुख्य अभियंता के मुख्यालयों में एक ही तिथि को अत्यन्त अल्प अन्तराल में जाने की स्थिति आ जाती है, जिसके कारण काफी कठिनाई हो रही है एवं मामले के निष्पादन विलम्ब होने की संभावना भी बनी रहती है ।

वर्णित परिस्थिति में निदेश है कि दायित्व समिति की आगामी बैठकों को मुख्यालय में ही रखने की व्यवस्था की जाए, ताकि उड़नदस्ता के कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता का इन बैठकों में भाग लेना सुनिश्चित हो सके एवं मामलों का निष्पादन शीघ्र किया जा सके ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव (बजट), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(ई० अरविन्द मोहन प्रसाद)
अधीक्षण अभियंता
उड़नदस्ता, अंचल-2, पटना।

ज्ञापांक- 584 पटना, दिनांक- 14.07.2000

प्रतिलिपिः- सभी कार्यपालक अभियंता/तकनीकी सलाहकार सहित, उड़नदस्ता अंचल-2, पटना को सूचनार्थ।

ह०/-
(ई० अरविन्द मोहन प्रसाद)

अधीक्षण अभियंता
उड़नदस्ता, अंचल-2, पटना।

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

पत्रांक- मो०4 कार्य/10-789/92-832 पटना, दिनांक- 08.09.95

प्रेषक,

श्री सत्येन्द्र किशारे
संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग ।

पटना, दिनांक- .....

विषयः- दायित्व समिति का कार्यकाल विस्तार के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक मो० 4 कार्य-10-789/92-221 दिनांक- 6.04.95

महाशय,

दायित्व समिति का कार्यकाल अन्तिम रूप से 30.06.95 तक का विस्तार किया गया था ।

इस अवधि के बाद भी मुकदमों से सम्बन्धित मामलों की तथ्यात्मक विवरणी विभिन्न मुख्य अभियंता से प्राप्त हो रहे हैं । उनमें मामला दायित्व समिति में संधित होने की बात कही जाती है । न्यायालय द्वारा भी दायित्व समिति की अनुशंसा प्राप्त कर विभागीय निर्णय लेने का निर्देश रहता है।

अतः निदेशानुसार सूचित करना है कि न्यायालय के मामलों के निष्पादन में यदि आवश्यक हो तो दायित्व समिति की विशेष बैठक दिनांक 30.06.95 के बाद भी बुलायी जा सकती है ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सत्येन्द्र किशोर)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 832 पटना, दिनांक- 8.9.95

प्रतिलिपिः- सभी मुख्य अभियंता परिक्षेत्र के अधीक्षण अभियंता रूपांकण/अधीक्षण अभियंता/उड़नदस्ता अंचल-2, पटना सूचना एवं समिति के सदस्य के रूप में समेकित सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सत्येन्द्र किशोर)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 829 पटना, दिनांक- 8.9.95

प्रतिलिपिः- सचिव, जल संसाधन/सभी अभ्यिंता प्रमुख, जल संसाधन/सभी अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/सचिव (प्रावैद्यिक), अभियंता प्रमुख/प्रशाखा पदाधिकारी 10,20,29,30 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(सत्येन्द्र किशोर)
संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

पत्रांक- मो०4 कार्य/10-789/92-1233 पटना, दिनांक-

प्रेषक,

श्री सत्येन्द्र किशारे
संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

विषयः- राज्य के विभिन्न योजनाओं के दायित्व संबंधी मामलों के निष्पादन हेतु प्रत्येक मुख्य अभियंता परिक्षेत्र में गठित समितियों के कार्यकाल के विस्तार के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय आदेश संख्या- मो०-16-9/90-477 दिनांक- 4.5.94 एवं पत्रांक 28/मुकदमा-1-126/93-480 दिनांक- 5-5-94

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक विभागीय आदेशों का कृपया निदेश करें, जिनके द्वारा दायित्व संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से गठित दायित्व समितियों के कार्यकाल का विस्तार 30-6-94 तक किया गया था। परन्तु यह देखा जा रहा है कि मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्र से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, वह या तो अधूरे हैं अथवा अंतरिम किस्म के हैं, जबकि मुख्य अभियंताओं को निदेशित था कि दायित्व समिति के विस्तारित कार्यकाल में सभी वांछित अभिलेख उपलब्ध करा कर अपना पूर्ण एवं अंतिम प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे। स्पष्ट मुख्य मुख्यता के द्वारा इस दिशा में अबतक विहित कार्रवाई नहीं की गयी है और प्रायः सभी मामले लंबित रखकर विवाद को बरकरार रखा गया है।

2. उपर्युक्त पृष्टभूमि में तथा प्रत्येक मुख्य अभियंता के परिक्षेत्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों के समीक्षोपरान्त निदेश दिया जाता है कि सभी मामलों के संबंध मंे आवश्यक अभिलेख संबंधित प्रमंडलों से प्राप्त कर दायित्व समिति प्रत्येक मामलों में अपनी स्पष्ट अनुशंसा दे, यानि समिति या तो दायित्व को स्वीकार करे अथवा इसे अस्वीकार करने की अनुशंसा करे । अभिलेखों के अभाव में दायित्व को अस्वीकार करने अथवा लंबित रखने की अनुशंसा कभी भी मान्य नहीं होगी, क्योंकि अभिलेखों को समिति के समक्ष उपलब्ध कराना मुख्य अभियंता का उत्तरदायित्व है ।

3. ज्ञातव्य है कि दायित्व समिति का विस्तृत कार्यकाल भी 30.06.94 को समाप्त हो गया है और प्रायः दायित्व के अधिकांश मामले लंबित है । अतः दायित्वों के निष्पादन हेतु संबंधित मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्र के लिए दायित्व समिति का कार्यकाल 31.12.94 तक विस्तार किया जाता है । मुख्य अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि वांछित अभिलेख समय पर समिति के समक्ष के प्रस्तुत हो, इसके लिए वे अपने स्तर से अधीनस्थ कार्यपालक अभियंताओं को सख्त निदेश देंगे और चूक-कर्ता पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे ।

4. यहाँ यह स्प्ष्ट कर देना आवश्यक है कि 31.12.94 के बाद भी अगर दायित्व समिति का कोई मामला उनके परिक्षेत्र में लंबित पाया गया तो संबंधित मुख्य अभियंता के विरूद्ध सरकार कड़ी कार्रवाई करने को बाध्य होगी ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सत्येन्द्र किशोर)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 1233 पटना, दिनांक- 28.10.94

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र के अधीक्षण अभियंता (रूपांकण)/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल-2, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । समिति के सदस्य के रूप में कृपया अपने स्तर से सहयोग प्रदान करें एवं सुनश्चित करें कि समिति अपना प्रतिवेदन 31-12-94 तक विभाग को अवश्य समर्पित कर दें ।

ह०/-
(सत्येन्द्र किशोर)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 1233 पटना, दिनांक- 28.10.94

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख (मध्य) उत्तर/दक्षिण, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(सत्येन्द्र किशोर)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 1233 पटना, दिनांक- 28.10.94

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 1, 2, 3, 4, 5 एवं बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन पटना/सचिव (प्रावैधिक) अभियंता प्रमुख, जल संसाधन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(सत्येन्द्र किशोर)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 1233 पटना, दिनांक- 28.10.94

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 28, 29, 30 एवं 33 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(सत्येन्द्र किशोर)
संयुक्त सचिव

पत्रांक- मो०2/बैठक-1964/94-31

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री शांति नाथ झा,
मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग ।

सेवा में,

श्री आर०एन०सहाय,
मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर ।

पटना, दिनांक- 11.1.95

विषयः- राज्य के विभिन्न योजनाओं के दायित्व संबंधी मामलों के निष्पादन हेतु प्रत्येक मुख्य अभियंता परिक्षेत्र में गठित समितियों के कार्यकाल के विस्तार के संबंध में ।

प्रसंगः- मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर का पत्रांक- 1-कार्य-704/92-37011 दिनांक- 22.11.94

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में मुझे कहना है कि मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के प्रक्षेत्र में लंबित दायित्व संबंधी मामलों के विषय में कतिपय सुझाव विभाग को प्राप्त हुआ है । उनके द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर कंडिकावार सुझाव दिये गये हैं तथा सरकार द्वारा नीति निर्देश एवं निर्णय की अपेक्षा की गई है। सम्यक विचारोपरान्त निदेशानुसार निम्नलिखित निदेश मार्ग दर्शिका के रूप में सूचित किया जाता हैः-

(क) दायित्व समिति के समक्ष भेजे जाने के पूर्व सभी प्रदायित्वों का अंतिम विपत्र कार्य पालक अभियंता द्वारा तैयार करने के विषय पर मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर का विचार है कि चालू विपत्र में जो मापी अंकित है, उसी को अंतिम विपत्र मान लिया जाए, इस संबंध में कहना है कि वास्तव में किसी भी दायित्व को तबतक दायित्व के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता, तबतक कार्य की अंतिम मापी लेकर अंतिम विपत्र तैयार नहीं किया गया हो और मापी की विहित जाँच विभिन्न स्तरों पर होने के बाद इसे पारित नहीं किया गया हो । चालू विपत्र में अंकित मापी के आधार पर दायित्व का निष्पादन में या तो सम्वेदक को आपत्ति हो सकती है, साथ ही विभाग को भी यह मान्य नहीं हो सकता है । कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि चालू विपत्र द्वारा अधिक राशि का भुगतान सम्वेदक को कर दिया गया है और सरकार को इससे क्षति हुई है । अतः इस संबंध में निर्देश है कि हर हालत में कार्य की अंतिम मापी लेकिन, विभिन्न स्तरों पर इसकी विस्तृत जाँचोपरान्त अंतिम विपत्र पारित कराकर दायित्व समिति के समक्ष अनुशंसा हेतु मामला प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जाय ।

(ख)(I) कार्य की मापी पुस्तिका तथा एकरारनामा नहीं होने पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर ने सूचित किया है कि पूर्व में ऐसे मामलों को दायित्व के श्रेणी में नहीं रखा गया था ।

(II) प्रायः सभी क्षेत्रों में अभिलेखों के अभाव में मामले लंबित रखे गये थे । विभाग की मंशा है कि किसी भी हालत में लंबित नहीं रखा जाय जो मामला मान्य हो उनके भुगतान की व्यवस्था कर शेष मामलों को हमेशा के लिये स्थगित कर दिया जाय । अगर मामलों को लंबित रखा गया तो दायित्व का मामला हमेशा उपस्थित होता रहेगा। दायित्व के सत्यापन हेतु अभिलेखों को उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेवारी है। इसी कारणवश दायित्व समिति का कार्यकाल 31.12.94 तक विस्तारित करते हुए मुख्य अभिंयताओं को

स्पष्ट निदेश दिया गया है कि दायित्व से संबंधित सभी अभिलेखों को दायित्व समिति के समक्ष उपस्थापित सुनिश्चित करावें और जो कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता इसमें सहयोग नहीं करें उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा विभाग को तुरंत भेजें और यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि अभिलेखों के अभाव में किसी भी मामलों को लंबित रखना या अस्वीकृत करने की अनुशंसा विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की जायेगी । जिन मामलों में एकरारनामा मापी पुस्तिका इत्यादि नहीं उपलब्ध है और न ही सम्वेदक द्वारा एकरारनामा की प्रति उपस्थापित की जा रही है, उन मामलों को बिना और सोच विचार किये, सीधे अस्वीकृत कर दिया जाय । इन निदेशों को सख्ती से अनुपालन करने की कार्रवाई की जाय ।

(ग) मुख्य अभियंता ने सुझाव दिया है कि जिन इकरारनामा के विरूद्ध चालू विपत्र से लगभग 90 प्रतिशत राशि का भुगतान हो चुका है और मात्र 10 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं हुआ है, ऐसे मामलों को उप कंडिका ''क'' के अनुसार अंतिम चालू विपत्र के आधार पर अंतिम विपत्र तैयार कर निष्पादन कर दिया जाय । तदनुसार उप कंडिका ''ख'' में प्रस्तावित कार्रवाई के अनुसार कार्रवाई की जाय ।

(घ) मुख्य अभियंता का सुझाव है कि जिन मामलों की जाँच उड़नदस्ता या न्यायालय में मुकदमा चल रहा है ऐसे मामलों को उड़नदस्ता या निगरानी विभाग में होने के कारण इन्हें दायित्व समिति के क्षेत्र से बाहर रखा जाय । इस संबंध में कहना है कि वह अनुशंसा तथ्यों पर आधारित प्रतीत नहीं होती है। वास्तव में दायित्व समिति के साक्ष मार्च, 91 से पूर्व के मामले ही विचारधीन है । और ऐसा शायद ही कोई मामला उड़नदस्ता या निगरानी के विचाराधीन है । किन्तु अगर ऐसा कोई मामला हों भी, तो संबंधित अभिलेखों की मांग उड़नदस्ता/निगरानी से मुख्य अभियंता द्वारा की जा सकती है ।

अतः अनुरोध है कि इन अभिलेखों को प्राप्त कर दायित्व समिति की अनुशंसा ऐसे मामलों पर भी उपलब्ध करावें । अगर न्यायालय में कोई मामला लंबित हो तो दायित्व समिति के अनुशंसा तो और आवश्यक हो जाती है ।

(च) मुख्य अभियंता की अनुशंसा है कि जिन मामलों में अंतिम विपत्र प्रसारित कर सम्वेदक का चेक निर्गत हो गया परन्तु भुगतान पर रोक रहने के कारण कोषागार से भुगतान नहीं किया जा सका, वैसे मामलों को दायित्व समिति में जाँच ही आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । इस संबंध में कहना है कि यह अनुशंसा मान्य प्रतीत नहीं होती। कई ऐसे मामले प्रकाश में आये जिनमें चेक निर्गत हो गया था और कोषागार द्वारा पारित नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका ऐसे मामलों में कार्य की जाँच बाद में होने पर पाया गया कि चेक जितनी राशि का निर्गत किया गया था वास्तव में कार्य उतना नहीं हुआ है । ऐसे मामलों में चेक की राशि को घटाकर जो वास्तविक देय राशि होती है उसी को भुगतान करने में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है । यह भी पाया गया है कि कई मामलों में भुगतान सहायक अभियंता की जाँच के आधार पर ही किये गये लेकिन कार्यपालक अभियंता द्वारा मापी की जाँच नहीं की गई । वैसे मामलों में मापी की जाँच न तो सहायक अभियंता के द्वारा की गई है और न ही कार्यपालक अभियंता ने ही मापी की जाँच की । इस प्रकार बिना मापी की विस्तृत जाँच के आधार पर निर्गत चेक का मान्यता देना वांछनीय नहीं प्रतीत होता है ।

अतः यह आवश्यक है कि जिन मामलों में चेक निर्गत हो गया लेकिन किसी कारणवश उनका भुगतान नहीं हो सका । ऐसे मामलों को भी विस्तारपूर्वक दायित्व समिति द्वारा देख जाना चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भुगतान वास्तविक मापी पर एवं विभिन्न स्तरों पर निहित प्रक्रिया के अनुसार मापी की जाँच पर आधारित है ।

3. अनुरोध है कि उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित निदेशें के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई कृपया सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(शांति नाथ झा)

मुख्य अभियंता

ज्ञाप संख्या- 31 पटना, दिनांक- 11.1.95

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंताओं को मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर के उपरोक्त प्रासंगिक पत्रांक- 1/कार्य-704/92-3701 दिनांक- 22.11.94 के प्रति के साथ तत्संबंधी अग्रेतर कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित। अनु०- यथावत् ।

ह०/-

(शांति नाथ झा)

मुख्य अभियंता

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

संख्या- मो०16-9/90 - 230, पटना, दिनांक- 7.3.92

<u>कार्यालय आदेश</u>

जल संसाधन विभाग के विभिन्न योजनाओं में दायित्व संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु विभाग ने प्रत्येक मुख्य अभियंता परिक्षेत्र के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. मुख्य अभियंता- अध्यक्ष
2. अधीक्षण अभियंता, (रूपांकण) सदस्य
3. अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल-2 या उनके प्रतिनिधि (कार्यालय अभियंता स्तर के पदाधिकारी) सदस्य

अधीक्षक अभियंता (रूपांकण) इस समिति के संयोजक होंगे ।

यह समिति परिक्षेत्र के अन्तर्गत दायित्व संबंधी सभी मामलों की विस्तृत छानबीन कर 30 जून 1992 तक अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगी ।

ह०/-

(वेजनाथ प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्र संख्या- 230 पटना, दिनांक- 7.3.92

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 1, 2, 3, 4, 5 एवं बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है ।

ह०/-

(वेजनाथ प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्र संख्या- 230 पटना, दिनांक- 7.3.92

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 28, 29, 30 एवं 33 को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(वेजनाथ प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

(4)
भू-अर्जन

पत्र सं०-17/भू०-04-01/13-

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

प्रेषक,

एस० के० नेगी

प्रधान सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्यालय अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- फरवरी, 2013

विषयः- जल संसाधन विभाग की याजेनाओं के लिए भू-अर्जन हेतु अधियाचनाएँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जल संसाधन विभाग की योजनाओं के लिए भविष्य में भू-अर्जन संबंधी सभी अधियाचनाएं अधियाची पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता एवं पुनर्वास पदाधिकारी) संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे । यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से सभी अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंताओं को अविलंब सूचित कर दें ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(एस० के० नेगी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- पटना, दिनांक- फरवरी, 2013

प्रतिलिपिः- सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उन्हें निदेश दिया जाता है कि जो भू-अर्जन कार्य वर्तमान में किसी भी धारा में लंबित है, अंतिम रूप से दि०-31.12.13 तक आधिपत्य सौंपने की विधिवत कार्रवाई संपन्न करें । धयान रहे कि जो अभिलेख धारा-11 के अन्तर्गत हैं उनका आधिपत्य दि०-31.05.13 धारा-9 में लंबित अभिलेखों का आधिपत्य दिनांक 31.05.13 तक तथा धारा-6 में लंबित अभिलेखांे का आधिपत्य दि०-31.07.13 तक सौंपना सुनिश्चित करें । जो अभिलेख धारा-4 या धारा-4 के नीचे हैं, उनका आधिपत्य हर हाल में दि०-31.12.13 तक सौंपना सुनिश्चित करेंगे ।

(2) सभी पुनर्वास पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए कहना है कि जल संसाधन विभाग के पुनर्वास से संबंधित भू-अधिग्रहण की अधियाचना तत्कालिक प्रभाव से संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भेजेंगे ।

ह०/-
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-466 पटना, दिनांक-04 मार्च 2013

प्रतिलिपिः- सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-466 पटना, दिनांक-04 मार्च 2013

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ निदेशक, भू-अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी समाहर्ता/ सभी अपर समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-466 पटना, दिनांक-04 मार्च 2013

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-466 पटना, दिनांक-04 मार्च 2013

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-466 पटना, दिनांक-04 मार्च 2013

प्रतिलिपिः- माननीय मुख्य मंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

प्रधान सचिव

पत्रांक-15/डी० एल० ए० नीति (मुआवजा भुगतान)- 07/2010-2635/रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

डॉ० सी० अशोक वर्धन

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी समाहर्ता

निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

सभी अपर समाहर्ता
सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक:- 08.11.12

विषयः- भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विभिन्न चरणों पर की जानेवाली कार्यवाही तथा अर्जनाधीन/ अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान हेतु समय-सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्यक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विभिन्न श्रोतों से सरकार को अभी भी ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि राज्यन्तर्गत विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भू-अर्जन/ अधिग्रहण की कार्यवाही में निर्धारित समय-सीमा तथा हित-सम्बद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान करने की कार्रवाई में विहित प्रक्रिया एवं निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन दृढ़तापूर्वक नही किया जा रहा है । फलस्वरूप, परियोजनाओं के भू-अर्जन/ अधिग्रहण कार्यो में सम्य्क गतिशीलता तथा मुआवजा भुगतान की प्रक्रियाओं में शीघ्रता एवं पारदर्शिता का शतप्रतिशत अनुपालन की स्थिति नहीं बन रही है।

आप अवगत है कि परियोजनाओं का भू-अर्जन/ अधिग्रहण कार्यो में विलम्ब होने से परियोजनाओं का लागत राशि (cost effectiveness) प्रभावित होता है । साथ ही हित-सम्बद्ध रैयतों को क्षतिपूर्ति राशि/ मुआवजा भुगतान में विलम्ब होने से सूद की राशि में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण रैयतों को मुआवजा मद में अत्यधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है । इस सम्बन्ध में पूर्व में राजस्व विभागीय पत्रांक-423/रा0 दिनांक-21.02.2007 एवं पत्रांक-64 /रा0 दिनांक-14.01.2011 द्वारा भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न चरणों पर की जानेवाली कार्यवाही तथा अर्जनाधीन/ अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान हेतु समय-सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में निदेश दिए गए हैं, जिसका शतप्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है । उक्त राजस्व विभागीय पत्रांक-423/रा0 दिनांक-21.02.2007 में भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विभिन्न चरणों पर की जानेवाली कार्यवाही के लिए समय-सीमा का निर्धारण निम्नवत किया गया है:-

1. प्राप्त अधियाचना की प्रारंभिक जांच/नक्शा/खतियान की तैयारी/अधिसूचना/अधिघोषणा भेजना एवं बिक्री आंकड़ों का संकलन कार्य ..... 45 दिन
2. अधिसूचना/अधिघोषणा का प्रकाशन..... 15 दिन
3. अधिसूचना/अधिघोषणा का प्रकाशन के बाद आपत्ति आमंत्रण..... 15 दिन
4. आपत्ति का संकलन .....10 दिन

5.	आपत्ति का निस्तार	60 दिन
6.	अधिघोषणा की तैयारी/ अनुमोदन एवं प्रकाशन	15 दिन
7.	धारा-9 का नोटिस	15 दिन
8.	आपत्ति का संकलन एवं निस्तार	30 दिन
9.	धारा-11 के अधीन स्थानीय जांच मूल्यांकन निर्धारण/ प्राक्कलन की तैयारी	30 दिन
10.	प्राक्कलन का अनुमोदन	15 दिन
11.	पंचाट की तैयारी एवं घोषणा	15 दिन
	कुल-	**280** दिन

अर्जनाधीन/अर्जित भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु समय-सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के पत्रांक-64/रा0 दिनांक- 14.01.2011 द्वारा निदेश संसूचित किया गए हैं । भू-अर्जन अधिनियम की धारा- 7 एवं 17 (1) के तहत आपात प्रक्रिया के अन्तर्गत अर्जनाधीन भूमि का राज्यादेश निर्गत के उपरान्त धारा-9 के अन्तर्गत नोटिस हित-सम्बद्ध रैयतों को निर्गत करने की 15 दिनों की अवधि के पश्चात् अनुमानित मुआवजा राशि का 80 प्रतिशत भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है । सरकार द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से इस बिन्दु पर भलीभाँति विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय संसूचित किया गए है:-

i. भू-अर्जन अधिनियम की धारा-7 एवं 17 (1) के तहत अर्जनाधीन भूमि का राज्यादेश निर्गत के उपरान्त धारा-9 की नोटिश हित-सम्बद्ध रैयतों को निर्गत करने के 15 दिनों के अवधि के पश्चात् अनुमानित मुआवजा राशि का 80 प्रतिशत भुगतान हित-सम्बद्ध रैयतों को सम्बन्धित मौजों के शिविर का आयोजन कर 15 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाय।

ii. अर्जनाधीन भूमि का भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 के तहत प्राक्कलन की स्वीकृति एवं पंचाट की घोषणा के उपरान्त धारा-9 की नोटिश हित-सम्बद्ध रैयतों को निर्धारित मौजों में शिविर का आयोजन कर 15 दिनों के अन्दर शत-प्रतिशत मुआवजा का भुगतान सुनिश्चित किया जाय ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा के अनुसार भविष्य में भू-अर्जन मामलों का सत्यापन कर उसे निष्पादित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय । हित-सम्बद्ध रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान भी समयबद्ध कार्यक्रम के तहत संबंधित मौजों में शिविर का आयोजन कर सुनिश्चित किया जाय । मुआवजा भुगतान में अनवाश्यक विलम्ब अवांछनीय माना जाएगा एवं इसे गंभीरता से लिया जाएगा तथा इसकी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/ प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

कृपया उपरोक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सी0 अशोक वर्धन)

प्रधान सचिव

ज्ञापं संख्या- 17/विविध-11-08/2012-1880 दिनांकः- 16.11.12

प्रतिलिपि:- सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास

<u>भू-अर्जन (सम्पूर्ण प्रक्रिया: संक्षेप में)</u>

(1) अधियाचनाः- अधियाची विभाग (संबंधित कार्यपालक अभियंता) द्वारा विधिवत (नक्सा, प्लान, स्वीकृति बजटीय स्वीकृति, नौ सूत्री प्रमाण-पत्र) दाखिल ।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी कोः-

(2) **जाँचः-** भू-अर्जन कार्यालय द्वारा प्रारंभिक जाॅच, अभिलेख संधारण, मापी, दाग बेलिंग, फील्ड बुझारत, खेसरा पंजी तैयार करना ।

(3) **खतियान का नकलः-** सर्वे कार्यालय/ अभिलेखागार से तैयार करना ।

(4) वास्तविक अर्जनाधीन खेसरा का मूल्यांकन: धार्मिक संस्थान, कब्रिस्तान, गै० मालिक, श्मसान आदि को शामिल न करना ।

(5) **प्रमाणीकरणः-** सर्वेयर/कानूनगों/ पदाधिकारी द्वारा जॉच।

(6) **धारा-4 (अधिसूचना):-** वास्तविक अर्जनाधीन रकवा एवं खेसरों की (अपर समाहर्ता)

(1) दो दैनिक समाचार पत्र - 30 दिन

(2) जिला गजट - 30 दिन

(3) स्थानीय प्रकाशन - पश्चात 30 दिन

(4) हित सम्बद्ध व्यक्तियों को सूचना - पश्चात् 30 दिन

(7) **धारा-5 A:-** धारा 4- अधीन आपत्ति आने पर 60 दिन में अपर समाहर्ता निष्पादन करेगा ।

नोटः- (1) धारा 4 और 6 (अधिघोषणा) के बीच का अन्तराल एक वर्ष तक ही ।

(2) क्रमांक -6 की 4 अवस्थाओं की अंतिम तिथि मान्य ।

(8) **धारा-6 (अधिघोषणा):-**

(1) दो दैनिक समाचार पत्र - 30 दिन

(2) जिला गजट - 30 दिन

(3) स्थानीय प्रकाश्न - वाद 30 दिन

नोटः- क्रमांक (8) की तीनों अवस्थाओं की अंतिम तिथि मान्य ।

(9) **भूमि का मूल संग्रहः-**

(1) निबंधन कार्यालय से तीन वर्षो का

(2) समाहर्ता द्वारा बिक्री मूल्य।

(3) 4-6 के बीच की अवधि में स्वेच्छा से भूमि दिये जाने की सहमति ।

(10) **धारा-9-11:-** धारा-9 अधीन हित सम्बद्ध व्यक्तियों को सूचना का तामिला एवं 11 अंतर्गत कैम्प में सुनवाई।

(11) **धारा-(11):-**

(क) सुनवाई एवं खेसरा पंजी/ स्थायी खतियान में सुधार

(ख) भूमि/वृक्ष/मकान आदि का दर निर्धारण
(धारा-23 एवं पुर्नवास नीति 2007 अनुरूप)

(ग) सीलिंग भूमि के संबंध में अ० अ० से प्रमाण पत्र ।

(घ) गै० आम भूमि पर पंचायत की आपतित्तयॉ)

(च) स्वीकृति हेतु अभिलेख का समाहर्ता/ आयुक्त/ सरकार के पास पद सोपान के क्रमानुसार प्रेषण।
(क्रमशः 50, 1.50 एवं अधिक लाख रूपये)

(12) **स्वीकृति पश्चात् धारा-11(A)-** पंचाट घोषित किया जाना ।

(क) भू-अर्जन संख्याओं का एक पंचाटी के लिए एकत्र कर भूमि- मूल्य, सोलिसियम, अतिरिक्त सोसीसियन-सूद आदि की गणना करना ।

(ख) कानूनगों की जॉच ।

(ग) एक माह तक पंचाट प्रकाशित रखना ।

(13) **धारा-12 (2) की सूचनाः-**

(1) हित सम्बद्ध व्यक्तियों को धारा-12(2) की सूचना का भुगतान हेतु सूचना ।

(2) निर्धारित तिथि/ स्थल पर भुगतान की कार्रवाई ।

(14) **दखल कब्जाः-** धारा-16 अंतर्गत अधियाची विभाग को ।

(15) **लेखा का प्रेषणः-** धारा-16 अंतर्गत दखल के पश्चातः-

(1) शेष राशि को शीर्षो में कोषागार में जमा करना तथा

(2) सारे अभिश्रवों के साथ अंतिम लेखा को भेजना ।

(16) **धारा 18:-** Reference:-

(1) पंचाट घोषणा के 6 माह या धारा-12 (2) अंतर्गत सूचना तामिला के 6 सप्ताह के भीतर। (जो पहले समाप्त हो)- अपर समाहर्ता/ समाहर्ता के समक्ष मूल्य को प्रश्नगत करने पर मामले की सक्षम न्यायालय में भेजा जा सकेगा ।

(17) **धारा 30:-** भुगतान के पूर्व (धारा-31 तक) स्वत्व से सम्बन्धित आपत्ति होने पर मामले को धारा-30 अन्तर्गत भेजा जा सकेगा ।

अनिवार्यता:- (1) अधिसूचना से पूर्व मुआवजा की राशि (अनुमानित) का प्राप्त किया जाना ।

(2) सामान्य प्रक्रिया में 4,6 एवं 9 की अनिवार्यता ।

(3) स्वेच्छिक भूमि दिये जाने का अवसर ।

(4) अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर अधिघोषणा ।

(5) अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर Award (पंचाट)

आपातकालीन प्रक्रियाः-

(1) अधियाचना के साथ मुख्य अभियंता की स्पष्ट अनुशंसा कि क्यों आपात-प्रक्रिया आवश्यक है और नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है ताकि समाहर्ता इस आश्य का प्रमाण-पत्र सरकार को धारा 4-6 की अधिसूचना/ अधिघोषणा के हस्ताक्षरार्थ संलग्न कर भेज सके ।

(2) 4-6 की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर ।

(3) 7-17 की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर ।

(4) धारा-9 की सूचना के 15 दिनों के भीतर दखल कब्जा लिया जा सकता है ।

(5) 80% मुआवजा भुगतान के पश्चात् ।

1. भू-अर्जन अधिनियम (संशाधित) के प्रावधानों के अघ्याधीन राजस्व विभागीय पत्र सं० 423 दिनांक 21.3.2007 द्वारा भू-अर्जन की कार्रवाई को सम्पन्न करने हेतु न्यूनतम समय सीमा का निर्धारण निम्न प्रकार है:-

1. प्राप्त अधियाचना की प्रारंभिक जांच/नक्शा/खतियान की तैयारी/ अधिसूचना/अधिघोषणा भेजना एवं बिक्री ऑकड़ों को संकलन कार्य - 4

   5 दिन

2. अधिसूचना/अधिघोषणा का प्रकाशन- - 1

   5 दिन

3. अधिसूचना/अधिघोषणा प्रकाशन के बाद आपत्ति आमंत्रण - 3

   0 दिन

4. आपत्ति का संकलन - 1

0 दिन

5. आपत्ति का निस्तार - 6

0 दिन

6. अधिघोषणा की तैयारी/अनुमोदन एवं प्रकाशन - 1

5 दिन

7. धारा 9 का नोटिश - 1

5 दिन

8. आपत्ति का संकलन एवं निस्तार - 3

0 दिन

9. धारा-11 के अधीन स्थानीय जांच मूल्यांकन निर्धारण/प्राक्कलन की तैयारी - 3

0 दिन

10. प्राक्कलन का अनुमोदन - 1

5 दिन

11. पंचाट की तैयारी एवं घोषणा - 1

5 दिन

कुल -

280 दिन

पत्रांक 15/डी०एल०ए० नीति (पुनर्वास)-07/2006-803/रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

डॉ० सी० अशोकवर्धन

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी समाहर्ता

निदेशक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

पटना, दिनांक 22.05.08

विषयः- बिहार भू-अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2007 के अंतर्गत स्वेच्छा से भूमि देने के संबंध मे ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक-1455/रा०, दिनांक-21.06.07 तथा 2461/रा०, दिनांक 20.11.07 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार भू-अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2007 के अंतर्गत स्वच्छा से भूमि देने के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा यह निदेश निर्गत किया गया था किः-

(i) आपात प्रक्रिया के अंतर्गत अर्जनाधीन भूमि के धारा-7 एवं 17(1) का प्रस्ताव भेजने के पूर्व अर्थात 4/6 के प्रकाशन क पश्चात् संबंधित रैयत, जो स्वेच्छा से भूमि देना चाहे, उनसे शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय एवं सरकार को धारा-7 एवं 17 (प) के प्रस्ताव भेजने के समय यह स्पष्ट किया जाय कि कितने रैयत स्वेच्छा से भूमि दे रहे है।

(ii) साधारण प्रक्रिया के अंतर्गत अर्जनाधीन भूमि का धारा-4 की अधिसूचना निर्गत के पश्चात एवं धारा-6 के तहत अधिघोषणा के पूर्व संबंधित रैयतों से जो स्वेच्छा से भूमि देना चाहें, उनसे शपथ पत्र प्राप्त कर ले ।

इस विषय पर विचारोपरान्त धारा-11(2) में वर्णित उपबंधो को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के प्रयोजन से सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिये है:-

1. आपात प्रक्रिया के अंतर्गत अर्जनाधीन भूमि के धारा-4 एवं 6 अधिसूचना/अधिघोषणा निर्गत के पश्चात् अर्जनाधीन क्षेत्र के रैयतो से जो स्वेच्छा से भूमि देना चाहते हो, एक शिविर का आयोजन 15 दिनांे के अन्दर दो बार कर उक्त आश्य का शपथ पत्र प्राप्त कर लें तथा प्राप्त शपथ पत्र का सूचीबद्ध करते हुए सरकार को धारा-7 एवं 17 (i) के प्रस्ताव भेजने के समय यह प्रतिवेदन किया जाय कि कितने रैयत कितनी एकड़ भूमि स्वेच्छा से दे रहे है ।

2. कृपया भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11 (2) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय जो निम्न प्रकार है:-

11(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) if any stage of the proceedings the Collector is satisfied that all the persons interested in the land who appeared before him have agreed in ..... on the matters to be included in the award of the Collector in the form prescribed by rules made by the apporiate Government he may, without making further enquiry make an award according to the terms of such agreement.

3. साधारण प्रक्रिया के अंतर्गत अर्जनाधीन भूमि के संबंध में धारा- 4 की निर्गत अधिसूचना के पश्चात् एवं धारा-6 अधिघोषणा प्रकाशन के पूर्व उस क्षेत्र के संबंधित रैयतों से, जो स्वेच्छा से भूमि देना चाहें, एक शिविर का आयोजन एक सप्ताह के अन्दर कर उक्त आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर अभिलेख में संघारित करेगे । शिविर लगाने से सर्वसाधारण को कानून के संबंधित प्रावधान की जानकारी पारदर्शिता के साथ मिलेगी एवं स्वेच्छा से भू-अर्जन करने के लिए इच्छुक सभी लोगो को अपनी स्वेच्छा अधियाचित करने का खुला अवसर मिल सकेगा । किसी प्रकार से भेवभाव करने की आशंका भी जाती रहेगी ।

4. शपथ पत्र का प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है।

अनुलग्नक- यथा उपर्युक्त ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सी० अशोक वर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 803/रा०, पटना, दिनांक 22.05.2008

अनुलग्नक सहित प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ सरकार के सभी विभागाधयक्ष/ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(सी० अशोक वर्धन)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
<u>संकल्प</u>

विषयः- जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बागमती तटबंध/ बाँध विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवारो को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 395 दिनांक 19.02.07 से भू-अर्जन के लिए देय क्षतिपूर्ति के संबंध में नयी नीति लागू की गयी है। यह नीति जल संसाधन विभाग के द्वारा किए जा रहे भू-अर्जन पर स्वतः लागू होगी । इस विभाग में भू-अर्जन के अतिरिक्त नदियों पर बांधों के निर्माण से भी विस्थापन होता है। बागमती नदी पर निर्मित तटबंध के विस्तार के लिए योजना पर जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी सलाहकार समिति की

सैद्धान्तिक स्वीकृति हो चुकी है तथा यह योजना आयोग में विचारधीन है। गत वर्ष वागमती तटबंधो के विस्तार का कार्य प्रारम्भ किया गया । इससे छः गॉव वागमती तटबंधों के अन्दर आने के कारण प्रभावित हुए । भविष्य में इस प्रकार अन्य गाँव भी प्रभावित होंगे । वागमति तटबंधों के विस्तार से प्रभावित इन गाॅवों के लिए एक नीति निर्धारित करना आवश्यक हो गया है ताकि तटबंधों का निर्माण सुचारू रूप से चल सके ।

2. जल संसाधन विभाग द्वारा जब बाढ़ नियंत्रण हेतु बॉधों/तटबंधों का निर्माण कराया गया है, तो दोनो तरफ तटबंधों के बीच नदी की जलधारा का स्तर काफी ऊंचा हो जाता है तथा दोनों बॉधों के बीच धारा उच्च बेग से प्रवाहित होती है । फलस्वरूप पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण दोनों तटबंधों के बीच स्थित बस्तियाँ जलमग्न हो जाती है। इस कारणवश बस्तियों को बांध से बाहर समुचित स्थल पर पुनर्वासित करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा पाया गया है कि पुनर्वास के उपरांत भी भू-धारी मकान को खाली नही करते है तथा उसी में आवास बनाये रखते है। फलतः वर्षा में बाढ़ के दौरान खतरे की स्थिति उत्पन्न होने पर उन्हें बचाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। बागमती नदी के तटबंधों के प्रस्तावित विस्तार के कारण विस्तारित तटबंधों के बीच आवासित परिवारों को पुर्नवासित करने के लिए निर्णय लिया गया है कि प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि का जो भूमि वासगीत उपयोग मे होगी उसका अर्जन कर लिया जायेगा । अतः बासगीत भूमि के धारकों को नयी भू-अर्जन नीति (राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय ज्ञापांक 15 डी० एल० ए० नीति (पुनर्वास) 07/06-395 रा0 दिनांक 19.02.2007 द्वारा निर्गत) के अनुसार भूमि मकान आदि के लिए मुआवजा तथा अन्य लाभ देय होगा । बाॅधों के बीच स्थित कृषि में प्रयुक्त भूमि का अर्जन नही किया जायेगा । अतः इस पर भू स्वामी का अधिपत्य बना रहेगा तथा इसके लिए कोई मुआवजा या भुगतान देय नही होगा ।

3. इस नीति के अन्तर्गत पुनर्वास पर होने वाला व्यय बागमती तटबंधों के विस्तार हेतु स्वीकृत निधि से ही होगा तथाइसे तटबंध निर्माण पर व्यय मानकर तदनुसार भारित किया जायेगा । आवश्यकता पड़ने पर यथा समय इसका पुनरीक्षण करा लिया जायेगा ।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(अजय नायक)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-17/पु०-5-12/98 2391 पटना, दिनांक 31.03.08

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 500 मुद्रित प्रतियॉ जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(अजय नायक)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-17/पु०-5-12/98 2391 पटना, दिनांक 31.03.08

प्रतिलिपिः- 1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

2. सभी विभागीय सचिव, सभी आयुक्त एवं सचिव/ विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

3. मा० मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

4. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

6. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

7. जनसंपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

8. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी समाहर्ता/ सभी अपर समाहर्ता/ निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/ सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी/ सभी पुनर्वास पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग से अनुरोध है कि इस संकल्प की सूचना अपने स्तर से उनके क्षेत्र में चल रहे परियोजना से सम्बन्धित अधियाची पदाधिकारी को दे दी जाय ।

ह०/-
(अजय नायक)
सरकार के सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पत्रांकः- 15/डी.एल.ए. नीति (पुनर्वास)-07/2006 1455/रा०

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

बी.बी. श्रीवास्तव

प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी समाहर्ता।

पटना-15, दिनांक- 21.06.07

विषयः- बिहार भू-अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनर्वास नीति-2007 के अंतर्गत स्वेच्छा से भूमि देने संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार भू-अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति-2007 संकल्प सं०-395/रा० दिनांक 19.02.07 निर्गत किया गया है । यह नीति दिनांक 19.02.07 से प्रभावी है। इस नीति के तहत यदि भूधारी स्वेच्छा से किसी परियोजना हेतु भूमि देना चाहते हो तो उस स्थिति में सोलेशियम की दर 60 प्रतिशत होगी। इससे संबंधित भूधारी से भूमि के ब्यौरा सहित लिखित रूप में शपथ पत्र प्राप्त किया जाय ताकि भविष्य में कोई वैधानिक अड़चन न हो ।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के तहत भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ उक्त शपथ पत्र की प्रति संलग्न की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(बी.बी. श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव

ज्ञापंाक- 1455/रा० दिनांक- 21.06.07

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/ निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(बी.बी. श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव

बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अर्जन निदेशालय), पत्रांकः-15/डी.एल.ए. नीति-04/04-1456/रा०, दिनांकः- 21.06.2007.

विषय: मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियों को भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा के भुगतानार्थ उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयक विभागय परिपत्र सं०-2380/रा०, दिनांक-12.10.06 द्वारा राज्य सरकार ने कतिपय शत्र्तो के साथ यह निर्णय लिया था कि अंचलाधिकारी द्वारा प्रदत्त/ निर्गत वैध रैयत होने के प्रमाण-पत्र के आधार पर मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारी/ उत्तराधिकारियों को 1,00,000.00 लाख (एक लाख) रूपये मात्र तक के मुआवजा की राशि बिना सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये भुगतान किया जा सकेगा।

भूमि के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है एवं बिहार भू-अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2007 के लागू होने के फलस्वरूप मुआवजा की राशि में भी वृद्धि हुई है। उक्त स्थिति में 1.00 लाख (एक लाख) रूपये की निर्धारित सीमा को वृद्धि करने के लिए पर्याप्त औचित्य प्रतीत होता है ।

अतः विषय की महत्ता को देखते हुए जनहित में सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक-2380/रा० दिनांक-12.10.06 के कंडिका-1 के आंशिक संशोधन में यह निर्णय लिया है कि:-

1. अंचालाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध रैयत होने के प्रमाण-पत्र के आधार पर मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारी/ उत्तराधिकारियों को 10,00,000.00 लाख (दस लाख) रूपये मात्र तक के मुआवजा की राशि बिना सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये भुगतान किया जा सकता है वशर्ते मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारी/ उत्तराधिकारियों द्वारा वैध रैयती प्रमाण-पत्र एवं अंचल कार्यालय से दाखिल-खारिज का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी इस स्थिति में सर्वप्रथम मृतक पंचाटी के वास्तविक उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों के विषय में पूरी जाँच करें तथा इस आधार पर यदि समाहर्ता संतुष्ट हो जाय तो मुआवजा की राशि का भुगतान किया जा सकता है।

2. ऐसे उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को मुआवजा भुगतान के समय सरकार के पक्ष में एक इनडेमनिटी बौंड (क्षतिपूर्ति बंध-पत्र) प्रस्तुत करना होगा कि कानून की दृष्टि में अगर कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्ति समूह हकदार साबिज होगा तो वह मुआवजा की सम्पूर्ण राशि अथवा आंशिक राशि, जो भी हो सरकार को, वापस करने के लिए बाध्य होंगे ।

3. जहाँ प्रत्येक मृतक पंचाटी को देय राशि 10,00,000.00 लाख (दस लाख) रूपये से अधिक हो, ऐसे मामले में मृतक पंचाटी के दावेदार को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही समाहर्ता अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए भुगतान करने का आदेश दे सकेंगे ।

4. मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारियों के नाम से दाखिल-खारिज करने मं विलम्ब न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि समाहर्ता अपने स्तर से अंचलाधिकारियों को निदेश दें कि मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियों से आवेदन-पत्र प्राप्त होते ही संबंधित अंचालाधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुपालन में उचित कार्रवाई कर दाखिल-खारिज शीघ्र करें, ताकि क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान में

कोई विलम्ब नही हो। साथ ही, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में दाखिल-खारिज के पहले इस आशय की सामान्य नोटिश जारी कर सामान्य आपत्ति/प्रतिक्रिया अवश्य मांग ली जाय कि आवेदक को अमुक मृतक पंचाटी का उत्तराधिकारी मानने में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है।

5. यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(बी.बी. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः- 1456/रा0, दिनांक 21.06.2007
प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग/विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(बी.बी. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः- 1456/रा0, दिनांक 21.06.2007
प्रतिलिपिः- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ निदेशक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास जल संशोधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(बी.बी. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः- 17/विविध-11-04/2006- 2599 दिनांक 23.07.2007

प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख उत्तर एवं मघ्य/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधान विभाग/ सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सभी पुनर्वास पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(लक्ष्मेश्वर झा)
निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास

बिहार सरकार
बिहार भू-अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनर्वास नीति-2007

संकल्प

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार भू-अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत भूमि अर्जन करती रही है । अर्जित की जा रही भूमि के मूल्य का निर्धारण एवं अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले परिवारों को अतिरिक्त सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन रही है ।

सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत देय सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधा देने का निर्णय लिया हैः-

1. **भूमि का मूल्य निर्धारण**

1.1 वर्तमान प्रावधान के अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य निर्धारण भू-अर्जन हेतु धारा 4 की अधिसूचना के तुरन्त पहले समरूप भूमि के निबन्धन मूल्य के आधार पर किया जाता है। सरकार का निर्णय है कि इस मूल्य पर 50 प्रतिशत जोड़कर अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य तय किया जायेगा।

1.2 इस तरह निर्धारित मूल्य पर 30 प्रतिशत सोलेशियम देकर भू-अर्जन किया जायेगा । लेकिन जहाँ

भूधारी स्वेच्छा से भूमि देना चाहे, उस स्थिति में सोलेशियम की दर 60 प्रतिशत होगी।

उदाहरण-

(I) नई नीति लागू होने के पूर्व दर निर्धारण की प्रक्रिया:-

भूमि का दर 1.00 लाख रूपये प्रति एकड़ है तो देय राशि=1.00 लाख रूपये एंव 30 प्रतिशत सोलेशियम यानि 30 हजार रूपये कुल 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार रूपये) देय था ।

(II) नई नीति लागू होने के पश्चात् दर का निर्धारण:-

(क) सामान्य प्रक्रिया:-

भूमि का दर 1.00 लाख रूपये प्रति एकड़ है तो देय राशि = 1.00 लाख रूपया पर 50 प्रतिशत राशि जोड़ी जाएगी यानि अब कुल राशि 1,50,000/- रूपये होगा । सामान्य स्थिति में 1,50,000/- रूपये पर 30 प्रतिशत सोलेशियम यानि 45 हजार कुल 1,95,000/- रू0 (एक लाख पंचानवे हजार रूपये) देय होगा। इस प्रकार पूर्व में जहॉ 1,30,000/- रूपये की राशि देय होती, अब 1,95,000/- रूपये की राशि देय होगी ।

(ख) स्वेच्छा से भूमि देने पर:-

भूमि का दर 1.00 लाख रूपये प्रति एकड़ है तो देय राशि 1.00 लाख रूपया पर 50 प्रतिशत राशि जोड़ दी जाएगी, यानि अब कुल राशि 1,50,000/- रूपये होगा । भूधारी द्वारा स्वेच्छा से भूमि देने पर 1,50,000/- रूपये पर 60 प्रतिशत सोलेशियम यानि 90,000/- हजार रूपये कुल 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार रूपये) देय होगा । इस प्रकार पूर्व में जहाॅ 1,30,000/- रूपये की राशि देय होती, अब स्वेच्छा से भूमि देने की स्थिति मे 2,40,000/- देय होगा ।

2. आवासीय भूमि का अधिग्रहण देयता ।

2.1 भू-अर्जन की प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि किसी भूधरी का आवास या आवासीय भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो आवासीय भूमि का जितना रकवा अधिग्रहित किया जाता है,

उतनी ही भूमि, अधिकतम 5 डि० आवासीय उद्देश्य हेतु अधिग्रहित कर उस व्यक्ति को दी जायेगी।

2.2 अस्थायी आवास हेतु सहायता:- प्रत्येक भूधारी जिसकी आवासीय भूमि अधिग्रहित की गयी हो, को अस्थायी आवास हेतु 10,000/- (दस हजार रूपये) एकमुस्त सहायता स्वरूप दी जायेगी ।

2.3 परिवहन सहायता:- जिस भूधारी का आवासीय स्थल अधिग्रहित किया गया है उसे मो० 5,000/- (पॉच हजार रूपये) अपने आवासीय सामग्रियों की परिवहन हेतु सहायता स्वरूप दिया जायेगा ।

3. विस्थापित कृषक मजदूर को देयता:-

3.1 विस्थापित कृषक मजदूर जो दूसरे भूधारी के कृषि योग्य भूमि जिसका अधिग्रहण किया गया है, पर विगत कम से कम 3 वर्षो से कार्य कर जीविका चलाते थे और बेरोजगार हो गये उन्हें 200 दिनो का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एकमुस्त एवं राष्ट्रीय/ राजकी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब र्काड देय होगा ।

4. भू-अर्जन एवं पुनर्वास हेतु अधियाची प्राधिकार द्वारा देय राशि:-

4.1 भू-अर्जन अधिनियम के तहत देय राशि के अतिरिक्त पुनस्थापन एवं पुनर्वास लाभो पर होने वाला समस्त व्यय का वहन सम्बन्धित अधियाची प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा । यह राशि अधियाची प्राधिकार समाहर्ता की मांग पर उन्हें उपलब्ध करायेगा ।

4.2 अधियाची प्राधिकार भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत देय स्थापना खर्च के अतिरिक्त परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि के प्राक्कलित मूल्य का 0.5 प्रतिशत राशि, जो अधिकतम 2 लाख रूपये होगा, पुनर्वास सर्वेक्षण अनुश्रवण, Sationary, POL एवं अन्य आकस्मिक खर्च यथा वाहन Computer, Computer Operator, Amin, Draftsman, Chainman इत्यादि के Outsourcing हेतु बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से समाहर्ता-सह-प्रशासक, पुनस्थार्पन एवं पुनर्वास उपलब्ध करायेगा। समाहर्ता इस राशि को एक राष्ट्रीकृत बैंक के बचत खाता में रखेगे एवं बचत खाता से प्राप्त होने वाले ब्याज को भी आकस्मिकता के मद मे खर्च कर सकेगे। बचत खाता समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के संयुक्त नाम से होगा और संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी की जाएगी ।

5. उपरोक्त प्रावधान भू-अर्जन के ऐसे सभी मामलों में भी लागू होगे जिन मामलों में धारा-11 के अन्तर्गत पंचाट घोषित नही किया गया है।

राज्य सरकार समय-समय पर इस नीति के कार्यान्वयन का आकलन करेगी और आवश्यकतानुसार संशोधान कर सकेगी।

एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्रचार-प्रसार करते हुए इसकी प्रति बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभाग/ विभागाघ्यक्षों तथा अघ्यीनस्थ पदाधिकारियों के बीच प्रचारित की जाय ।

बिहार राज्य पाल के आदेश से

ह०/-

(बी०बी० श्रीवास्तव)
भूमि सुधार आयुक्त
-सह-
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक-15/डी०एल०ए० नीति (पुनर्वास) 07/06-395/रा० दिनांकः- 19.02.07

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के अगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतिया विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

ह०/-
भूमि सुधार आयुक्त
-सह-
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक-15/डी०एल०ए० नीति (पुनर्वास) 07/06-395/रा० दिनांकः- 19.02.07

प्रतिलिपि-

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सभी विभागीय सचिव/ सभी आयुक्त एवं सचिव/ विभागाघ्यक्ष बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आप्त सचिव, मा0 मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/ सभी अपर समाहर्ता/ निदेशक, विशेष भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/सभी विशेष भू-अर्जन पदा० को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
   समाहर्ता से अनुरोध है कि इस संकल्प की सूचना अपने स्तर उनके प्रक्षेत्र में चल रहे परियोजनाओं से सम्बन्धित अधियाची विभाग के पदाधिकारियों को दे दी जाय ।
7. उप सचिव-सह-प्रभारी अनुश्रवण, मूल्याकण एवं समीक्षा कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना।

ह०/-
भूमि सुधार आयुक्त
-सह-
आयुक्त एवं सचिव

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

ज्ञाप संख्या-17/विविध-11-04/2006-515 दिनांक-26.02.07

प्रतिलिपि अभियन्ता प्रमुख उत्तर एवं माध्यम/ सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/ सभी अधीक्षण अभियन्ता/ सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/ सभी पुनर्वास विभाग पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास

(5)

स्थापना

पत्र सं०-5/पी०-2-20-09/2013 ...../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुशील कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव (प्र०)

सेवा में,

कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार सिंचाई, भवन, पटना/
विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया (निर्माण) भवन, पटना/
जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना ।

पटना, दिनांक-.....

विषयः- जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना, अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियों के सेवान्त लाभ के भुगतान के पूर्व बकाया रहित प्रमाण-पत्र की मांग किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियों के सेवान्त लाभ के भुगतान के संबंध में पटना अवस्थित कोषागारों द्वारा जल संसाधन विभाग (सचिवालय स्तर) से निर्गत बकाया रहित बकाया प्रमाण के अभाव में सेवान्त लाभ के भुगतान पर आपत्ति की जा रही है ।

2. इस कारण बकाया रहित प्रमाण पत्र हेतु सेवानिवृत पदाधिकारियों द्वारा लिखित रूप में एवं कतिपय मामलों में कोषागार पदाधिकारियों द्वारा जल संसाधन विभाग (सचिवालय स्तर) से बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया जाता है? जबकि इस हेतु संबंधित कोषागार द्वारा सेवानिवृत पदाधिकारी के अंतिम पदस्थापन स्थल के कार्यालय के प्रधान/नियंत्री पदाधिकारी से बकाया रहित प्रमाण-पत्र की माँग की जानी चाहिए ।

3. अल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा सेवान्त लाभ की स्वीकृति के समय उपलब्ध कागजात/अभिलेखों के आधार पर समीक्षोपरान्त सेवान्त लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है । राज्य के अन्य जिलों में अवस्थित कोषागारों से इस तरह के बकाया रहित प्रमाण-पत्र की माँग जल संसाधन विभाग (सचिवालय स्तर) से नहीं की जाती है ।

4. उर्पुक्त कारणों से सेवानिवृत पदाधिकारियों के सेवान्त लाभ के भुगतान में विलम्ब होने के फलस्वरूप सेवानिवृत पदाधिकारियों के जीवन यापन पर भी प्रभाव पड़ता है ।

5. उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई और समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि

(1) संबंधित कोषागार द्वारा बकाया रहित प्रमाण-पत्र की मांग जल संसाधन विभाग (सचिवालय स्तर) से नहीं की जायेगी । संबंधित कोषागार पदाधिकारी सेवानिवृत पदाधिकारी के अंतिम

पदस्थापन स्थल जहाँ से वे सेवानिवृत हुए हैं, के कार्यालय प्रधान/नियंत्री पदाधिकारी से बकाया रहित प्रमाण-पत्र की मांग करेंगे।

(2) भविष्य में जल संसाधन विभाग (सचिवालय स्तर) द्वारा बकाया रहित प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा ।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुशील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रधान सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विकास विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / लघु जल संसाधन, विभाग, बिहार, पटना / अभियन्ता प्रमुख (उत्तर एवं मध्य)/उप सचिव (1 तथा 2) सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग/अध्यक्ष काडा, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(सुशील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक- 2727 / पटना, दिनांक- 25.10.13

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंत्रण (यांत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी- 5, 7, 9 एवं सभी सहायक प्रशाखा- 5, 7, 9 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(सुशील कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव (प्र०)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

सं०सं०-5/पी०-1-10-04/2013

दिनांक-

<u>आदेश</u>

जल संसाधन विभाग बिहार के अभियंत्रण संवर्ग के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों जो प्रोन्नति की सभी अर्हता पूरी करते हैं परन्तु यदि प्रक्रियात्मक कारणों से जिनकी प्रोन्नति के संबंध में ससमय निर्णय नही हो पाता है, उन्हें वित्त विभाग के पत्रांक-7020 दिनांक-24.12.05 की कंडिका 4(ग) में उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिये जाने का प्रावधान है परन्तु कार्यकारी प्रभार दिये जाने हेतु वर्तमान में कोई समिति गठित नहीं हैं ।

2. अतएव सम्यक विचारोपरांत जल संसाधन विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने हेतु निम्न रूपेण "कार्यकारी प्रभार समिति" गठित की जाती है ।

1. प्रधान सचिव/सचिव जल संसाधन विभाग बिहार

   अ

   ध्यक्ष

2. संबंधित विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग बिहार

   स

   दस्य

3. अभियंता प्रमुख (मध्य) जल संसाधन विभाग बिहार

   स

   दस्य

4. आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग बिहार

   स

   दस्य

5. सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी

   स

   दस्य

6. सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
   के एक पदाधिकारी-

   स

   दस्य

7. प्रभारी उप सचिव/अवर सचिव जल संसाधन विभाग

   स

   दस्य

3. उपरोक्त गठित "कार्यकारी प्रभारी समिति" अभियंत्रण संवर्ग के विभिन्न पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में विचार कर अपनी अनुशंसा देगी जिसके आलोक में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त किया जायेगा ।

उक्त विभागीय कार्यकारी प्रभार समिति गठित किये जाने पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-
(सुशील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक-5/पी० 1-10-04/2013 दिनांक-

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ विशेष सचिव/श्री गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी/ अभियंता प्रमुख(मध्य)/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी 5, 6 एवं 7 जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(सुशील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक-5/पी० 1-10-04/2013- 1932 दिनांक- 22.7.13

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित । कृपया समिति में अपने विभाग के प्रतिनिधि का मनोनयन करना चाहेंगे ।

ह०/-
(सुशील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (प्र०)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
<u>शुद्धि-पत्र</u>

पटना, दिनांक-.....

सं०स०-5/पी०-1-10-14/2001 ...../विभागीय संकल्प सं०-6205 दिनांक-30-7-2003 में उल्लिखित "कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं०-2950 दिनांक-09.05.2003 के आलोक में जल संसाधन विभाग के अभियंत्रण संवर्ग में उच्चतम वेतनमान के पद पर प्रोन्नति हेतु पूर्व में निर्गत संकल्पों को अवक्रमित करते हुए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नरूप से गठित की जाती है" के स्थान पर "कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं०-2950 दिनांक-09.5.2003 के आलोक में जल संसाधन विभाग के अभियंत्रण संवर्ग में उच्चतम वेतनमान् (अभियन्ता प्रमुख) एवं विभागाध्यक्ष (अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता) के पद पर प्रोन्नति हेतु पूर्व में निर्गत संकल्पों को अवक्रमित करते हुए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नरूप से गठित की जाती है," सुधार कर पढ़ा जाय ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की शुद्धिपत्र को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी संबंधित सदस्यों को दी जाय ।

2. शेष यथावत् रहेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(ओम प्रकाश अम्बरकर)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रेषित अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(ओम प्रकाश अम्बरकर)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक- 1094 /पटना, दिनांक- 10.08.09

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/श्री शिवरतन प्रसाद, उप निदेशक (निर्वाचन) पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 5, 7 एवं 8 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(ओम प्रकाश अम्बरकर)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

सं०-5/पो-1-10-14/2001- 1368 / पटना, दिनांकः- 06.06.08

संकल्प

शुद्धि पत्र

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं०-2950 दिनांक- 2.5.2003 के आलोक में जल संसाधन विभाग के अभियंत्रण संवर्ग में उच्चतम वेतनमान के मद पर प्रोन्नति हेतु पूर्व में निर्गत संकल्पों को अवक्रमित करते हुए विभागीय संकल्प सं०- 6205 दिनांक- 30.7.03 द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की गई थी । उक्त संकल्प को संशोधित करते हुए कंडिका-3 पर अंकित विशेष सचिव अथवा अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग- सदस्य के

स्थान पर कृपया विशेष सचिव अथवा अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग सदस्य पढ़ा जाय ।

2. शेष पूर्ववत रहेगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को शुद्धि पत्र को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा अयोग/सभी संबंधित सदस्यों को दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(ओम प्रकाश अम्बरकर)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक- 1368 / पटना, दिनांक- 06.06.08

प्रतिलिपिः- अधीक्षक राजकी मुद्रणालय गुलजारबाग पटना-7 जो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(ओम प्रकाश अम्बरकर)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक- 1368 / पटना, दिनांक- 06.06.08

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पटना / आयुक्त एवं सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना / सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना / सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना / सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग पटना तथा प्रशाखा पदाधिकारी-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(ओम प्रकाश अम्बरकर)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

सं०-5/पी० 1-10-14/2001 /पटना, दिनांक-

<u>संकल्प</u>

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-2950 दिनांक 9.5.2003 के आलोक में जल संसाधन विभाग के अभियंत्रण संवर्ग में उच्चतम वेतनमान् के पद पर प्रोन्नति हेतु

पूर्व में निर्गत संकल्पों को अवक्रमित करते हुए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न रूप से गठित की जाती हैः-

1. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा आयोग द्वारा मनोनीत कोई सदस्य- अध्यक्ष

2. आयुक्त एवं सचिव अथवा सचिव, जल संसाधन विभाग- सदस्य

3. विशेष सचिव अथवा अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग सदस्य

4. आयुक्त एवं सचिव अथवा सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार- सदस्य

5. आयुक्त एवं सचिव अथवा सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार- सदस्य

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी
स
दस्य

7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत उसी विभाग के प्रतिनिधि को संयुक्त सचिव स्तर से न्यूनतर पंक्ति के न होः-
स
दस्य

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/ सभी संबंधित सदस्यों को दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(विनय कृष्ण)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 6205 / पटना, दिनांक- 30.7.2003

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(विनय कृष्ण)

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

भाग-2

बिहार के राज्यपाल तथा विभागाध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं, नियम, आदि।

सं० 315

जल संसाधन विभाग

संकल्प

5 फरवरी 1990

कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या- 027576, दिनांक 27 नवम्बर, 1978 में सन्निहित निदेशों के अनुसरण में जल संसाधन विभाग के सभी अभियंत्रण पदाधिकारियों की प्रोन्नति के निमित्ति पूर्व में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की जाती हैः-

(1) बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा आयोग द्वारा मनोनीत कोई सदस्य-अध्यक्ष ।

सदस्यगण

(2) आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग अथवा अपर आयुक्त -सह-विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग

(3) अभियंता प्रमुख, मध्य बिहार

(4) अभियंता प्रमुख, दक्षिण बिहार

(5) अभियंता प्रमुख, उत्तर बिहार

(6) विशेष/अपर/संयुक्त/उप-सचिव, प्रभारी स्थापना

(7) कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जन-जाति के पदाधिकारी

(8) अभियन्ता प्रमुख, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग

ओदशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को 'बिहार राजपत्र' के असाधारण में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी संबंधित सदस्यों को दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

शान्ति नाथ झा, संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 9.5.03.

संख्या-7/पी०एस०सी०-708/98 2950 / भारत संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957" (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त विनियमावली में,

1. विनियम-7 (स) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

"7 (स) राज्य सेवाओं/संवर्गो के विभिन्न वेतनमानों के पदों पर नियुक्तियों के मामलों में निम्नलिखित को छोड़कर, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगाः-

(i) राज्य संवाओं/संवर्गो की मूल श्रेणी (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति;

(ii) किसी भी सेवा / संवर्ग में उच्चतम वेतनमान् के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति;

(iii) किसी भी सेवा/संवर्ग में किसी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नतति;

परन्तु यह अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों की विभागाध्यक्ष के पदों पर नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के मामलों में लागू नहीं होगा ।

2. यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

बिहार राज्यपाल के ओदश से,

ह०/-

(नितेन चन्द्र)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-7/पी०एस०सी०-708/98 2950 / पटना-15, दिनांक- 9.5.03

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबागर, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 500 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-7/पी०एस०सी०-708/98 2950 / पटना-15, दिनांक- 9.5.03

प्रतिलिपि- राज्यपाल सचिवालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

पत्रांक-3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)- 5152-वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक- 21.05.2013

विषयः- ए०सी०पी० के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मियों को एम०ए०सी०पी०एस०, 2010 के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए कालावधि के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/कार्यालयों और सेवा संघों द्वारा इस स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है कि ए०सी०पी० नियमावली, 2003 के तहत 12 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मी को एम०ए०सी०पी०एस०, 2010 के आलोक में दिनांक 01.01.2009 या उसके बाद की तिथियों में द्वितीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन दिया जाना हो तो उसकी कालावधि क्या होगा?

2. वित्त विभागीय पत्रांक 15338, दिनांक- 29.10.12 के द्वारा यह निर्णय प्रसारित है कि 12 वर्ष पर प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मी को एम०ए०सी०पी०एस० के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन 22 (12+10) वर्षो की सेवा पूरी होने पर प्रदान की जाएगी ।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के वित्त विभाग के पत्रांक-1917, दिनांक- 27.02.2013 के द्वारा उपरी कंडिका-2 के सम्बन्ध में केन्दीय प्रावधान के सूचना की अपेक्षा की गयी । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के Dy No. 30909/2013 स्था० (डी), दिनांक-08.04.2013 के द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय प्रावधान की सूचना प्राप्त हुई है ।

4. केन्द्रीय व्यवस्था के आलोक में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिन्हें 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर दिनांक- 01.01.2009 या उसके बाद की तिथियों में एम०ए०सी०पी०एस०, 2010 के आलोक में द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिया जाना हो, उन्हें प्रथम नियुक्ति की तिथि से लगातार संतोषपद्र सेवा पूर्ण करने पर 20वें वर्ष में द्वितीय वित्तीय उन्नयन देय तिथि से प्रदान किया जाएगा । पूर्व के सभी परामर्श/निदेश इस हद तक स्वतः संशोधित हो जाएंगे ।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाए ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)-5152-वि० पटना, दिनांक- 21.5.2013

प्रतिलिपिः- सभी विभाग/सभी विभागध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग)/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)-5152-वि० पटना, दिनांक- 21.5.2013

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)-5152-वि० पटना, दिनांक- 21.5.2013

प्रतिलिपि- प्रभारी ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)-5152-वि० पटना, दिनांक- 21.5.2013

प्रतिलिपि- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक- 21.05.2013

विषयः- संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में ।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या- 17415 दिनांक- 20.12.2012 द्वारा संविदा के आधार पर किये जाने वाले नियोजन पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी विभागों को इस संबंध में तैयार की जी रही नयी नीति की प्रतिक्षा करने का निदेश दिया गया । परन्तु उक्त रोक से सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों की संविदा नियोजन की प्रक्रिया को मुक्त रखा गया ।

2. उक्त प्रसंग में सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति एवं संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देने का निर्णय लिया गया है-

(i) सभी विभागों के द्वारा उनके अधीन सभी पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई नियमानुसार संबन्धित आयोग (यथा बिहार लोक संवा अयोग अथवा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग) के माध्यम से तुरंत प्रारंभ की जाए तथा एक वर्ष के भीतर सभी रिक्तियों की नियमिति रूप से भरने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। संबन्धित नियमित नियुक्ति में वर्तमान में अथवा पूर्व में संविदा पर कार्य कर चुके कर्मचारियों को वेटेज देने पर विचार किया जा सकता है और उनकी आयु सीमा को भी नियमानुसार शिथिल किया जा सकता है। उपर्युक्त आशय का संशोधन संबंधित सेवा / संवर्ग नियमावली में कर लिया जाए एवं तदोपरान्त नियुक्ति हेतु अधियाचनाएँ भेजी जाएँ ।

(ii) केन्द्र/केन्द्र सम्पोषित योजनाओं अथवा वाह्य वित्त सम्पोषित योजनाओं/परियोजनाओं में यदि संविदा के आधार पर नियोजन का प्रावधान है तो तद्नुसार संविदा पर नियोजन किया जा सकता है ।

(iii) किसी अधिनियम/नियमावली में यदि संविदा के आधार पर नियोजन का प्रावधान है तो तदनुसार संविदा नियोजन किया जा सकता है ।

(iv) यदि किसी आयोग, निगम, निकाय एवं निबन्धित सोसाईटी इत्यदित संस्थाओं द्वारा अपना नियुक्ति नियमावली में संविदा के आधार पर नियोजन करने का प्रावधान किया गया है तो तदनुसार संविदा नियोजन किया जा सकता है ।

(v) उपर्युक्त कंडिका-2 (i) में उल्लिखित नियमित नियुक्तियों में लगने वाले विलम्ब को देखते हुए प्रशासनिक आवश्यकतानुसार संविदा नियोजन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत निदेशों के अनुसार अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन किया जा सकता है, परन्तु यह नियोजन सिर्फ नियमित एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध ही होगा ।

(vi) आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियो की संविदा नियोजन की प्रक्रिया पूर्व में निर्गत संगत परिपत्रों के अनुसार की जा सकेगी ।

3. कंडिका-2 के उपर्युक्त निदेशों के साथ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या- 17415 दिनांक- 20.12.2012 के द्वारा संविदा नियोजन पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त किया जाता है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाएँ ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(वशिष्ठ सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/एम०-63/2012 (खंड) सा०प्रा०- 8025 / पटना- 15, दिनांक- 21.05.2013

प्रतिलिपिः- अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/एम०-63/2012 (खंड) सा०प्रा०- 8025 / पटना- 15, दिनांक- 21.05.2013

प्रतिलिपिः- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-01/स्था०वि०-28-02/2012- 3300 / पटना, दिनांक- 18.06.13

प्रतिलिपि- सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/ सभी निदेशक, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

ह०/-

(आनन्द कुमार दत्त)

सरकार के अवर सचिव

पत्रांक-3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)- 5153-वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),

वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक- 21.05.2013

विषय- प्रवेश वेतनमान PB-2+4800 ग्रेड-पे अथवा 5400/- ग्रेड-पे में नियुक्ति के उपरांत 4 वर्षों की सेवा पूरी करने पर PB-3+5400 ग्रेड-पे उत्क्रमण एम०ए०सी०पी०एस०, 2010 के तहत वित्तीय उन्नयन माने जाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक- 21.01.2010 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रवेश वेतनमान PB-2+4800 ग्रेड-पे अथवा 5400/- ग्रेड-पे में नियुक्त राज्य कर्मी 4 वर्ष की संपुष्ट सेवा पूरी होने पर PB-3+5400/- ग्रेड-पे में स्वतः उत्क्रमित हो जाएंगे । वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के क्रम में वित्त विभागीय पत्रांक- 8710, दिनांक- 19.09.2011 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह उत्क्रमण एक वित्तीय उन्नयन होगा ।

उक्त पत्र के संदर्भ में विभिन्न विभागों/कार्यालयों के द्वारा इस स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है कि एम०ए०सी०पी०एस०, 2010 के प्रावधानों के आलोक में जब वित्तीय उन्नयन महज ऊपर के ग्रेड-पे स्वीकृत किया जाना है तो PB-2+5400/- ग्रेड-पे से चार वर्ष के बाद PB-3+5400/- ग्रेड-पे वित्तीय उन्नयन कैसे होगा जबकि ग्रेड-पे एक ही है इसके अलावा यह पृच्छा भी की गयी है कि PB-2+4800/- ग्रेड-पे प्रवेश वेतनमान वाले राज्यकर्मियों को PB-3+5400/- के ग्रेड-पे में चार वर्षो के बाद उत्क्रमण को एम०ए०सी०पी०एस० के तहत वित्तीय उन्नयन माना जाएगा या नहीं ।

वित्त विभाग के पत्रांक 3400, दिनांक 02.04.2013 के द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से चार वर्ष के बाद उत्क्रमति पे-बैंड एवं ग्रेड-पे को वित्तीय उन्नयन माने जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रावधान की सूचना की उपेक्षा की गई। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के Dy. No.- 30909/2013, स्था०(डी०) दिनांक-08.04.2013 के द्वारा इस विषय पर केन्द्रीय प्रावधान की सूचना प्राप्त हुई जिसके आलोक में पत्रांक 8710, दिनांक-19.09.2011 द्वारा निर्णय को निम्नवत् स्पष्ट किया जाता हैः-

ए०सी०पी० नियमावली, 2003 दिनांक- 09.08.99 से प्रभावी किया गया था। 12/24 वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर दो वित्तीय उन्नयन प्रोन्नति के पदसोपान में अनुमान्य किया गया । यह भी अनुमान्य किया गया था कि यदि प्रोन्नति का पदसोपन नहीं है तो ठीक ऊपर के वेतनमान में वित्तीय उन्नयन देय होगा । वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय प्रावधान को अपनाते हुए रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 दिनांक- 01.01.2009 से प्रभावी किया गया । इस योजना के अनुसार तीनों वित्तीय उन्नयन वेतन-बैंड/ग्रेड-पे के सोपान में दिया जाना है । ऐसी स्थिति में PB-2+4800 ग्रेड-पे अथवा 5400/- ग्रेड-पे से 4 वर्ष की सेवा के बाद PB-3+5400/- ग्रेड-पे में उत्क्रमण एम०ए०सी०पी०एस०, 2010 के तहत एक वित्तीय उन्नयन माना जाएगा । इस क्रम में यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रत्येक वित्तीय उत्क्रमण, अकार्यात्मक प्रोन्नति सहित, एक वित्तीय उन्नयन होगा ।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)- 5153-वि० पटना, दिनांक- 21/05/2013

प्रतिलिपिः- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग)/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)- 5153-वि० पटना, दिनांक- 21/05/2013

प्रतिलिपिः- सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)- 5153-वि० पटना, दिनांक- 21/05/2013

प्रतिलिपिः- प्रभारी ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-18/2009 (अंश)- 5153-वि० पटना, दिनांक- 21/05/2013

प्रतिलिपिः- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(प्रभात शंकर)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

पत्रांक-3/एम०-91/2011-सा०प्र०- 7876

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,

मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक- 20 मई, 2013

विषयः- राज्य कर्मियों के निलम्बन के पश्चात् पुनःस्थापित किए जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की अनुमान्यता आदि के विनिश्चय की प्रक्रिया के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005, (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ही की जानी है । उक्त नियमावली के नियम-11(1) के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किसी सरकारी सेवक को निलम्बनमुक्त कर सेवा में पुनस्र्थापन का आदेश देते समय ही निलम्बन अवधि के लिए उसे भुगतेय वेतन, भत्ते तथा उसकी निलम्बन अवधि कर्तव्य अवधि मानी जाएगी अथवा नहीं, के संबंध में भी विनिश्चय किया जाना है । जिन मामालों में निलम्बन अवधि के लिए पूर्ण वेतन-भत्ता के भुगतान का आदेश नहीं होता है, वैसे मामलों में उक्त अवधि के लिए देय वेतन भत्ते की विनिश्चित अनुपातिक राशि को सूचना नियम-11(5) के तहत संबंधित कर्मी को देकर उससे अभ्यावेदन प्राप्त किया जाना है । एतदर्थ अनुमान्य साठ दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार कर विनिश्चित राशि के संबंध में अंतिम निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से लिया जाना है।

2. उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब किसी कर्मी के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई में अनुशासनिक प्राधिकार के समक्ष यथोचित दण्ड एवं निलम्बन मुक्ति का प्रस्ताव निणर्य हेतु उपस्थापित किया जाता है तो उससे साथ ही निलम्बन अवधि के लिए देय वेतन भत्ते तथा निलम्बन अवधि कर्तव्य अवधि मानी जाएगी अथवा नहीं, के संबंध में भी प्रस्ताव अपेक्षित है ।

3. उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु यद्यपि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-773 दिनांक 27.3.2006 द्वारा स्पष्ट मार्ग निर्देश संसूचित है तथापि उपर्युक्त नियम-11(5) के संदर्भ में व्याप्त विभ्रम के कतिपय दृष्टांत सामने आए हैं। कतिपय विभागों द्वारा सरकारी सेवक के विरूद्ध दण्ड एवं निलम्बन मुक्ति के प्रस्ताव के साथ निलम्बन अवधि के लिए देय वेतन/भत्ते आदि के संबंध में प्रस्ताव उपस्थापित नहीं किया जा रहा है ।

4. उपर्युक्त विभ्रम के निवारण तथा नियमानुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने के प्रयोजन से निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं:-

(क) निलम्बित सरकारी सेवक के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के समक्ष जब दण्ड एवं निलम्बन मुक्ति के प्रस्ताव उपस्थापित किए जायें तब उसके साथ ही निलम्बन अवधि में देय वेतन भत्ते तथा उक्त अवधि कर्तव्य अवधि मानी जाएगी अथवा नहीं, के संबंध में भी यथोचित प्ररस्ताव दिया जाय ।

(ख) निलम्बन अवधि में देय आनुपातिक वेतन भत्ते के रूप में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रस्तावित राशि संसूचित करते हुए संबंधित सरकारी सेवक को नियमानुसार नोटिस दी जाय कि निलम्बन अवधि के लिए वेतन-भत्ते की प्रस्तावित राशि के संबंध में साठ दिनों के अंदर अपना अभ्यावेदन, यदि वे चाहें तो, समर्पित कर सकते हैं ।

(ग) प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में तथ्यों की सम्यक समीक्षा कर निलम्बन अवधि में देय वेतन-भत्तों के बारे में अंतिम विनिश्चयन हेतु यथोचित प्रस्ताव अनुशासनिक प्राधिकार के समक्ष उपस्थापित किए जाएँ

5. उक्त अनुदेशों से अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के क्रम में निलम्बित सरकार सेवकों के मामलों में कृपया उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

ज्ञापांक- 01/स्था०-वि०-28-02/213- 3301 / पटना, दिनांक- 18.06.13

प्रतिलिपि सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव सभी मुख्य अभिंयता/सभी निदेशक, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव

सं० सं०- संख्या-3-ए-2-वे०पु०-10/2010- 5003 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

<u>संकल्प</u>

दिनांक- 16.05.2013

विषयः- उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सभी कार्य विभागों में कार्यपालक अभियंता, कनीय प्रशासनिक स्तर का पदसोपान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के लिए दिनांक- 01.01.2006 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण हेतु वेतन समिति का गठन किया गया । वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभग के

संकल्प संख्या- 630, दिनांक- 21.01.2010 के द्वारा राज्य कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन-संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

2. वेतन समिति की अनुशंसाओं में उभरी विसंगतियाँ पर विचारण हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया । बिहा राज्य अभियंत्रण सेवा के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए उच्चस्तरीय समिति द्वारा कार्यपालक अभियंता से ठीक ऊपर, अधीक्षण अभियंता से नीचे कार्यपालक अभियंता, कनीय प्रशासनिक स्तर (Junior Administrative Grade) के वेतनमान की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है । राज्य सरकार के अधीन यह पद उपलब्ध नहीं है ।

3. उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कनीय प्रशासनिक स्तर के पद की स्वीकृति के साथ-साथ इस पद के लिए वेतनमान की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

4. सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपालक अभियंता के पद के ऊपर कार्यपालक अभियंता, कनीय प्रशासनिक स्तर का पदसोपान सभी कार्य विभागों के लिए स्वीकृत किया जाता है, जिसका वेतनमान PB-3 एवं ग्रेड-पे 7600/- होगा । कार्यपालक अभियंता, से इस वेतनमान के पद पर प्रोन्नति के लिए 05 (पाँच) वर्षो की कालावधि होगी ।

5. सभी कार्य विभागों द्वारा विभागीय आवश्यकताओं और संरचना के आलोक में कार्यपालक अभियंता के सृजित पदों में से उपर्युक्त पदों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अधिसूचित किया जाएगा । तदुपरांत प्रोन्नति की कार्रवाई की जाएगी

यह निर्णय इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-10/2010- 5003/वि० / पटना, दिनांक- 16.05.2013

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-10/2010- 5003/वि० / पटना, दिनांक- 16.05.2013

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी लेखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-10/2010- 5003/वि० / पटना, दिनांक- 16.05.2013

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-10/2010- 5003/वि० / पटना, दिनांक- 16.05.2013

प्रतिलिपि- प्रभारी ई-गजट, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव, वित्त विभाग

पत्र संख्या-वि०(27) पे०के०-47/2013-वि०
बिहार सरकार
वित्त विभाग

पटना, दिनांक-.....

प्रेषक,

संजीव हंस,
सचिव (संसाधन)

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- नई पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्यकर्मियों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश भुगतान के संबंध में ।

प्रसंगः- ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मांगा गया परामर्श (संचिका सं० 1/अ०प०1-120/2012)

महाशय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नई पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्यकर्मियों पर बिहार पंेशन नियमावली 1950 एवं सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1949 लागू नहीं होंगे । इन्हें पुरानी पेंशन संबंधी लाभ एवं भविष्य निधि की कटौती तथा भुगतान नहीं किया जायेगा ।

लोक सेवकों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश का भुगतान बिहार सेवा संहिता के नियम 227 के तहत देय होता है तथा नई पेंशन प्रणाली के राज्यकर्मियों पर बिहार सेवा संहिता लागू होती है । इसलिए सेवानिवृति के उपरांत नियमानुसार अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान किया जा सकता है। समायोजन के द्वारा नियुक्ति के मामले में समायोजन से नियुक्ति की तिथि से उपार्जित अवकाश की गणना की जायेगी न कि उनके पूर्व की सेवा अवधि के लिए ।

यदि राज्यकर्मी ने ग्रुप बीमा मद में अपने वेतन से नियमानुसार कटौती करायी है तो उन्हें ग्रुप बीमा की राशि का भुगतान भी किया जायेगा ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(संजीव हंस)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक- /वि०, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(संजीव हंस)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक- 600 / वि०, पटना, दिनांक- 02.05.2013

प्रतिलिपिः- सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक / निबंधक, उच्च न्यायालय पटना / सचिव, बिहार विधान सभा सचिव, बिहार विधान परिषद/ सभी समाहर्ता/सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी समादेष्टा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(संजीव हंस)
सचिव (संसाधन)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 01/स्था०वि०-28-03/2012- 3248 / पटना, दिनांक- 17.06.13

प्रतिलिपि- सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी निदेशक, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

ह०/-

(आनन्द कुमार दत्त)

सरकार के अवर सचिव

पत्र सं०- 3-ए-2-वे०पु०-06/2013- 3637 / वि०, दिनांक- 10.04.2013

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,

अपर सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव/

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी

विषयः- मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (1) के आलोक में विकल्प प्रयोग के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक-21.01.2010 एवं संकल्प संख्या-7566, दिनांक- 14.07.2010 के द्वारा प्रोन्नति / वित्तीय उन्नयन प्राप्त होने पर उच्चतर वेतनमान में वेतन निर्धारण, मौलिक नियमावली के नियम 22(1)ए(1) के प्रावधान के आलोक में किए जाने का निर्णय संसूचित है ।

2. नियम 22(1)ए(1) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु सम्बन्धित कर्मी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे प्रोन्नति / वित्तीय उन्नयन की तिथि को वेतन निर्धारण करायेंगे अथवा वेतनवृद्धि की तिथि से । यह विकल्प आदेश/अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अंदर लिखित रूप से अराजपत्रित कर्मी द्वारा अपने कार्यालय प्रधान को और राजपत्रित कर्मी द्वारा कार्यालय प्रधान / महालेखाकार/वित्त वैयाक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना है।

3. ऐसे मामले प्राप्त हुए हैं कि सम्बन्धित कर्मी को प्रोन्नति / वित्तीय उन्नयन की सूचना अवकाश/प्रतिनियुक्ति पर रहने अथवा अन्य कारणवश ससमय प्राप्त नहीं हुई है और वे अपने विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाये हैं। प्रोन्नति / वित्तीय उन्नयन / अधिसूचना में यह अंकित नहीं

रहता है कि लाभान्वित कर्मी एक माह के अंदर विकल्प प्रयोग लिखित रूप में सक्षम प्राधिकार को अवश्य दें । फलतः वेतन निर्धारण का यथोचित लाभ उन्हें प्रापत नहीं हो पाता है।

4. ऐसी स्थिति में ससमय सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण जिन कर्मियों द्वारा इस पत्र के निर्गत होने की तिथि तक अपने विकल्प का ससमय प्रयोग नहीं किया जा सका है, उनहें इस पत्र के निर्गत होने की तिथि के दो माह के अंदर उपरी कंडिका-2 में अंकित सक्षम प्राधिकार को विकल्प आवेदन निश्चित रूप से देना होगा । विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण प्रोन्नति / वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अंतिम होगा ।

5. इस पत्र के निर्गत होने के बाद के मामलों में यह छूट प्रभावी नहीं होगी ।

6. भविष्य में इस सम्बन्ध में ओदश/अधिसूचना निर्गत करनेवाले प्राधिकार सम्बन्धित कर्मी को विकल्प प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश उसी आदेश/अधिसूचना में अंकित करेंगे ।

अतः अनुरोध है कि विकल्प प्रयोग के मामले में ऊपर अंकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव

ज्ञापांक- 3-ए-2-वे०पु०-06/2013- 3637 पटना, दिनांक-10.04.2013

प्रतिलिपिः- महालेखाकार / सचिव, बिहार विधान सभा / परिषद्/ सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/निबंधक उच्च न्यायालय / वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/ई-गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(प्रभात शंकर)
अपर सचिव

संचिका सं०-3/2012

बिहार सरकार
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त / निबंधक (प्रशासन), पटना उच्च न्यायालय,
सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सभी कोषागार पदाधिकारी ।

विषयः- राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन की निकासी के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते के आहरण हेतु महालेखाकार कार्याल, बिहार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग से वेतन पुर्जा निर्गत किया जाता है।

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 65 में प्रावधान है कि "राजपत्रित सरकारी सेवक का वेतन, छुट्टी वेतन अथवा भत्ता देने के लिए निकासी की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वित्त या इसके द्वारा अभिहित एजेन्सी ने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उस दर की सूचना नहीं दे दी जिस पर भुगतान किया जाएगा।"

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, के समक्ष कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें बिना वेतन पुर्जा के कई वर्षो तक अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन की निकासी होती रहती है जो अनियमित है । ऐसी स्थिति में अनियमित निकासी की भी संभावना बनी रहती है ।

3. अतः राजपत्रित पदाधिकारियों के वेतन की निकासी तभी अनुमान्य की जाय, जब पदस्थापन पद और स्थान के लिए महालेखाकार, बिहार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग से वेतनपुर्जा प्राप्त हो । बिना वेतनपुर्जा के वेतन की निकासी की अनुमति नहीं दी जाए ।

4. राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा बिना वेतन पुर्जा के वेतन निकासी की सूचना से महालेखाकार, बिहार/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को अविलंब अवगत कराया जाय तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उक्त निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निदेश दिया जाय ।

5. अनुरोध है कि अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 01/स्था०-वि०-28-03/2012- 1915 / पटना, दिनांकः- 09.04.13

प्रतिलिपि अवर सचिव (लेखा)/सभी मुख्य अभियंता/सभी निदेशक, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

ह०/-
(मोहन चैधरी)
सरकार के अवर सचिव

पत्र सं०-3 ए-2-वे०पु०-03/2010/2424

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 11.03.2013

विषयः- वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 630 दिनांक- 21.01.2010 की कंडिका-7 (बी०) (ii) के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि संकल्प सं० 630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका-7 (बी०) (ii) के द्वारा कनीय कर्मी की तुलना में वरीय का वेतन कनीय के हद तक Step-up करने का प्रावधान किया गया है । Step-up करने के लिए वित्त विभाग के पत्रांक 11406 दिनांक 15.12.2011 एवं 5466 दिनांक 21.05.2012 के द्वारा एक ही संवर्ग के कनीय कर्मी का वेतन, वरीय कर्मी से ज्यादा होने की स्थिति में, वरीय कर्मी का वेतन उत्क्रमण, संवर्ग नियंत्री द्वारा किये जाने का निदेश निर्गत है ।

2. वेतन उत्क्रमण के क्रम में वेतन निर्धारण लाभ, वेतनवृद्धि की तिथि, वरीयता का आधार, राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मियों के मामले में समेकित कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार के स्पष्ट नहीं होने के कारण, व्यवहारिक कठिनाईयाँ सामने आ रही हैं ।

3. उक्त व्यवहारिक कठिनाईयों को देखते हुए कंडिका-7 (बी०) (ii) के आलोक में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि-

(i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वरीयता निर्धारण का आधार कनीय कर्मी के उच्चतर वेतन में योगदान की तिथि होगी ।

(ii) राजपत्रित कर्मियों के मामले में संवर्ग नियंत्री प्राधिकार तथा अराजपत्रित कर्मियों के मामले में उनके पदस्थापन के कार्यालय/विभाग द्वारा ैजमच.नच की कार्रवाई की जायेगी ।

(iii) चूंकि यह नियमित प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन नहीं है अतएव वेतन निर्धारण नहीं होगा न निर्धारण का लाभ दिया जाएगा, अपितु कनीय के वेतन प्रक्रम तक वरीय का वेतन उत्क्रमित किया जाएगा ।

(iv) वेतन उत्क्रमण वरीयता को अक्षुण्ण रखने मात्र के उद्देश्य से किया जाता है । जिसमें यह धारणा निहित है कि वरीय का वेतन कनीय से कम न रहे । ऐसी स्थिति में वरीय की वेतन वृद्धि की तिथि अपरिवर्तित होगी ।

(v) यह कार्रवाई सामूहिक रूप से न करके व्यक्तिगत रूप से की जायेगी । इसमें वित्त विभाग की स्वीकृति अनिवार्य होगी ।

4. अतएव अनुरोध है कि कंडिका-3 के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(प्रभात शंकर)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 01/स्था०वि०-28-03/2012- 1897 / पटना, दिनांक- 09.04.13

प्रतिलिपि- सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव/सभी सहायक, प्रशाखा-01/सभी मुख्य अभियंता/सभी निदेशक, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

ह०/-
(मोहन चैधरी)
सरकार के अवर सचिव

पत्रांक-3/एम-77/2012 सा० 1836

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह गंगवार
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना- 15, दिनांक- 01.02.2013

विषयः- वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करने हेतु विशेष चारित्री अभिलिखित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय परिपत्र सं० 10570 दिनांक- 24.10.07 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया था कि यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षो में से मात्र तीन वर्ष की ही गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध हो तो उक्त पाँच वर्षो से भी पूर्व के संलग्न वर्षो की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से दो वर्षो की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर उनके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाय ।

2. परन्तु कई मामलों में पाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों में से तीन वर्षों की भी गोपनीय अभ्युक्यिाँ नहीं रहती है । इसके फलस्वरूप प्रोन्नति प्रभावित रह जाती है । अतः विभागीय परिपत्र सं० 2108 दिनांक- 31.05.2010 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया कि जिस वर्ष की गोपनीय अभ्युक्तियाँ अभिलेखित नहीं हो पायी हों और उन्हें अभिलेखित कराया जाना संभव नहीं रह गया हो, वैसे वर्ष के लिए संबंधित सरकारी सेवक के वर्तमान पदस्थापन-स्थान के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के कार्य-कौशल, चरित्र, आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए विशेष चारित्री प्रमाणपत्र दिया जाय । ऐसा प्रमाणपत्र संबंधित सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में एक ही बार दिया जायेगा और इसे अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का पर्याय माना जायेगा तथा उसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा । प्रमाणपत्र संबंधी यह विकल्प वर्ष 2009-10 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के मामले में ही लागू किया गया था यह निदेश दिया गया कि ऐसा विशेष चारित्री प्रमाण-पत्र देते हुए संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में संबंधित सरकारी सेवक की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन ससमय एवं नियमित रूप से हो ।

3. बाद में सरकारी सेवकों की प्रोन्नतियों पर विचार करने हेतु वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का वर्गीकरण (बेंच मार्क) का निर्धारण विभागीय परिपत्र सं० 922 दिनांक 30.03.11 द्वारा किया गया । उक्त परिपत्र में यह निदेश निर्गत किया गया कि प्रोन्नति हेतु उपयुक्ता के लिए 5 वर्षों में से 36 माहों की अभ्युक्ति आवश्यक है और शेष वर्षों में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होनी चाहिए । यदि 5 वर्षों में से मात्र 36 माहों की अभ्युक्ति उपलब्ध है और शेष वर्षों में अभ्युक्ति उपलब्ध न

हो तो ठीक 2 वर्ष पूर्व की अभ्युक्ति का अवलोकन किया जाना चाहिए । यदि कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति उक्त 2 वर्षों में नहीं हो तो प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

4. उक्त परिपत्र सं० 922 दिनांक 30.03.11 में विशेष चारित्री के प्रावधान को नहीं रखा गया । फलस्वरूप वर्तमान नीति के अन्तर्गत 5 वर्षों में से कम-से-कम 3 वर्षों की चारित्री अर्थात् 36 माहों की चारित्री का उपलब्ध होना अनिवार्य हो गया । इसके अतिरिक्त उपरोक्त परिपत्रों के कारण चारित्री आलेखन की स्थिति में सुधार तो अवश्य हुआ है, परन्तु ऐसी स्थिति नहीं आ पायी है जिसमें सभी पदाधिकारियों के सारे वर्षों की चारित्री उपलब्ध हो । इस कारण से बहुत से सरकारी सेवकों की प्रोन्नति चारित्री के अभाव में लम्बित रह जाती है । प्रोन्नति लम्बित रहने से एक ओर सरकारी सेवक की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो दूसरी ओर प्रोन्नति के रिक्त पदों को समय पर भरा जाना संभव नहीं हो पाता है ।

5. अतः सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि

(i) विभागीय परिपत्र सं० 922 दिनांक 30.3.11 में निहित प्रावधान कि "5 वर्षों में मात्र 36 माहों की अभ्युक्ति उपलब्ध रहने पर ठीक 2 वर्ष के पूर्व की चारित्राी पर विचार किया जाय" 30 मार्च 2011 के बाद लिखे गये चारित्रियों पर लागू किया जाय ।

(ii) 30 मार्च 2011 के पूर्व के वर्षों के मामले में परिपत्र संख्या 2108 दिनांक 31.05.2010 द्वारा प्रावधानित विशेष चारित्री प्रमाण-पत्र लिखे जाने की व्यवस्था लागू रहेगी । इसके लिए उक्त परिपत्र सं० 2108 दिनांक 31.05.2010 के कंडिका 4 में वर्णित प्रावधान तथा "प्रमाण पत्र संबंधित उक्त विकल्प वर्ष 2009-2010 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के मामले में ही लागू होगा" को वर्ष 2010-2011 तक के लिए भी विस्तारित किया जाता है । वर्ष 2010-2011 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के लिए परिपत्र सं० 2108 दिनांक 31.05.2010 के प्रावधानानुसार विशेष चारित्री प्रमाण पत्र संबंधित सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में एक ही बार दिया जायेगा और इसे अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का पर्याय माना जायेगा तथा उसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा । सेवा निवृत सरकारी सेवकों के संबंध में भी उनके अंतिम पदस्थापना के विभाग के संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा उक्त विशेष प्रमाण-पत्र दिया जा सकेगा ।

7. कृपया उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों / कर्मचारियों को अवगत कराया जाय एवं तद्नुसार प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समितियों के समक्ष विचारार्थ रखा जाना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(धमेन्द्र सिंह गंगवार)
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 01/स्था०पि०-28-02/2012- 993 / पटना, दिनांक- 25.02.13

प्रतिलिपि- मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी)/सभी मुख्य अभियंता/सभी निदंशक, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(मोहन चैधरी)
सरकार के अवर सचिव

पत्रांक-22/नि०सि०(दर०)-16-02/05- 1377

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अफजल अमानुल्लाह,
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त सचिव/उपसचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
सभी अभियंता प्रमुख,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
जल संसाधन विभाग ।

पटना, दिनांक- 10.11.2011

विषयः- विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि यह देखा जा रहा है कि सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के मामलें में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय-समय पर यथा संसोधित) में निहीत प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक् अनुपालन नहीं किया जा रहा है । फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही विलंबित होती है । साथ ही न्यायालयों द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी भी अक्सर अंकित की जाती है ।

सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना का पत्रांक- 1893 दि०-14.06.11 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेश के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय ।

प्रक्रियात्मक चूक एवं विभागीय पदाधिकारियों / कर्मियों को नियम की जानकारी के अभाव एवं उनकी लापरवाही के कारण दंडादेश निरस्त होने पर संबंधित पदाधिकारियों / कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई भी की जायेगी ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

अनु०- यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अफजल अमानुल्लाह)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पत्र संख्या-3/एम०-45/2011-2671

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारियों

पटना- 15, दिनांक- 24 अगस्त, 2011

विषयः- सरकारी सेवकों की प्रोन्नतियों पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का वर्गीकरण (बेंचमार्क) के अनुसार विचारण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या- 922 दिनांक 30.03.2011 द्वारा चारित्री/कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए चारित्री / कार्य-मूल्यांकन का वर्गीकरण किया गया है, जिसका स्पष्टीकरण पत्रांक- 1605 दिनांक 24.05.2011 द्वारा जारी किया जा चुका है ।

कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी०ए०आर०) पद्धति बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए लागू हैं जिसे आगामी वित्तीय वर्ष से अन्य प्रीमियर सेवाओं/राज्य सेवाओं में भी लागू किया जाना है । अतः उपर्युक्त परिपत्रों के क्रम में कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी०ए०आर०) हेतु वर्गीकृत अभ्युक्ति के लिए निम्न रूप से अंक अधारित किया जाता हैः-

अभ्युक्ति **अंक**

(क)	उत्कृष्ट	जिन सरकारी सेवकों का ग्रेडिंग 3 से 10 अंकों तक किया जायेगा, उन्हें 'उत्कृष्ट' कोटि में रखा जायेगा और पैनल निर्माण/प्रोन्नति के लिए औसत अंक परिगणित किये जाने हेतु उन्हें 9 अंक दिये जायेंगे।
(ख)	बहुत अच्छा	जिन सरकारी सेवकों का ग्रेडिंग 06 से 08 (08 से कम) अंकों तक किया जायेगा, उन्हें 'बहुत अच्छा' कोटि में रखाजायेगा और पैनेल निर्माण / प्रोन्नति के लिए औसत अंक परिगणित किये जाने हेतु उन्हें 07 अंक दिये जायेंगे ।
(ग)	अच्छा	जिन सरकारी सेवकों का ग्रेरडिंग 04 से 06 (06 से कम) अंकों तक किया जायेगा, उन्हें 'अच्छा' कोटि में रखा जायेगा और पैनेल निर्माण / प्रोन्नति के लिए औसत अंक परिगणित किये जाने हेतु उन्हें 5 अंक दिये जायेंगे ।
(घ)	औसत	जिन सरकारी सेवकों का ग्रेंडिग 04 अंक से नीचे किया जायेगा, उन्हें 'औसत' कोटि में रखा जायेगा और पैनल निर्माण/प्रोन्नति के लिए औसत अंक परिगणित किए जाने हेतु उन्हें शून्य (00) अंक दिया जायेगा ।
(घ)	प्रतिकूल	प्रतिकूल अभ्युक्ति की स्थिति में कोई ग्रेडिंग नहीं की जायेगी ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन (सिं०) विभाग

ज्ञापांक- 01/स्था० वि० - 28-12/2009- 5804 / पटना, दिनांक - 16.09.11

प्रतिलिपि- मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता/सभी निदेशक, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(मोहन चैधरी)
सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आ० सं०-22/नि०सिं० (भाग०)-09-11/98/ 58/पटना, दिनांक- 4.8.11

<u>आदेश</u>

अक्सर ऐसा देखा गया है कि सरकारी राशि के गबन / क्षति के लिये आरोपी / आरोपियों के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर दंड निर्धारित करते समय विभिन्न आरोपी, से सरकारी राशि गबन / क्षति की हुई राशि की वसूली हेतु कितना-कितना एवं किस अनुपात में वसूली हो कि सरकारी राशि गबन/क्षति हुई राशि की भरपाई हो सके इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है । फलतः सरकार को वित्तीय क्षति उठानी पाड़ती है ।

अतएव मामले की समीक्षा विभाग के स्तर पर किये जाने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है इस तरह के मामले में जहाँ सरकारी राशि के गबन/क्षति के लिये आरोपी/आरोपियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालितत की जाती है तो विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर दंड दिये जाने के पूर्व इस आशय के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का आदेश प्राप्त किया जाएगा कि सरकारी गबन/क्षति की राशि की वसूली विभिन्न आरोपी से इस मात्रा एवं अनुपात मे हो कि क्षति की राशि की भरपाई हो सके एवं सरकार को वित्तीय क्षति नहीं उठानी पड़े ।

विभाग द्वारा लिये गये उक्त निर्णय का भविष्य में कड़ाई से पालन किया जाय ।

ह०/-
(अफजल अमानुल्लाह)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- माननीय विभागी मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(अफजल अमानुल्लाह)

प्रधान सचिव

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक- 961 पटना, दिनांक- 04.08.2011

प्रतिलिपि- सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार / सभी कार्यपालक अभिंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(अफजल अमानुल्लाह)

प्रधान सचिव

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पत्र संख्या-ए०/नोट-45/91- 4994/जे०

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/

सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला व सत्र न्यायाधीश/

सभी जिला पदाधिकारी/सभी बार एशोसियेशन के सचिव ।

पटना, दिनांक- 08.07.2011

विषयः- प्रत्येक शपथ पत्र पर अधिवक्ता कल्याण मुद्रांक चिपकाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट 1983-सहपठित-भारतीय स्टाम्प एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्रत्येक न्यायिक न्यायालयों एवं राजस्व न्यायालयों में तथा नोटरी पब्लिक द्वारा किये जाने वाले शपथ पत्रों पर अधिवक्ता कल्याण मुद्रांक लगाना अनिवार्य है ।

अतएव अनुरोध है कि इसके सख्ती से अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, विधि विभाग

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 18/मु०-01-03/09- 5103 /पटना, दिनांक- 16.8.11

प्रतिलिपिः- मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता / निदेशक, वाल्मी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(विमल कुमार नीरज)
सहायक विधि पदाधिकारी

पत्रांक-3/एम०-91 / 2011 - 1893
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक- 14.6.2011

विषयः- सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई-बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक अनुसरण करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसान कहना है कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के मामले में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 367-427 द्रष्टव्य] में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं और इस विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का सम्यक अनुसरण नहीं किया जाता है जिसके कारण विभागीय कार्यवाहियाँ विलम्बित

होती हैं और साथ ही न्यायालयों द्वारा दंडादेशों को निरस्त किया जाता है । प्रक्रियात्मक चूक एवं विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों को नियमों की जानकारी के अभाव एवं उनकी लापरवाही के कारण भी दंडादेश निरस्त हो रहे हैं । कतिपय संचालन पदाधिकारियों, उपस्थापन पदाधिकारियों और अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा उक्त नियमावली का समुचित अध्ययन नहीं करने और उसमें निहित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का समुचित रूप में अनुसरण नहीं करने से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है । यद्यपि उक्त नियमावली के क्रम में पत्रांक 773 दिनांक 27.03.2006 [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 362-364 द्रष्टव्य], पत्रांक 2609 दिनांक 13.09.2006 [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 358-360 द्रष्टव्य], पत्रांक- 3448 दिनांक- 02.12.2006 [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 356-358 द्रष्टव्य], पत्रांक- 2178 दिनांक- 28.02.20007 [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 354-355 द्रष्टव्य], पत्रांक 1821 दिनांक 23.05.2007 [2010 का कम्पोडियन प्रथम खंड पृष्ठ 350 दृष्टव्य] पत्रांक 2324 दिनांक 10.07.2007 [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 349 द्रष्टव्य], पत्रांक 2230 दिनांक 17.04.2008 [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 337-340 द्रष्टव्य], पत्रांक 5659 दिनांक 20.11.2009 [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 322-324 द्रष्टव्य] के अंतर्गत विभिन्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन दिये जा चुके हैं, फिर भी पाया गया है कि अनुशासनिक कार्रवाइयाँ त्रुटिपूर्ण होना जारी है । सरकार ने इस स्थिति को गम्भीरता से लिया है ।

2. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पुनः एक विस्तृत मार्गनिदेश निम्नांकित रूप से दिया जाता है-

(1) जैसा कि उक्त नियमावली के नियम-19 में प्रावधान है, लघु दंड के लिए कार्रवाई दो प्रकार से हो सकती है-

(क) सरकारी सेवक को उसके विरूद्ध आरोपों की लिखित जानकारी देकर उसे अभ्यावेदन देने का मौका देने के बाद, तथा

(ख) जहाँ आरोपों की जाँच आवश्यक हो वहाँ नियम-17 के अंतर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चला कर ।

(2) वृहत दंड के लिए कार्रवाई नियम-17 के अंतर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही के पश्चात ही की जा सकती है ।

(3) आरोप-पत्र का गठन करने के लिए प्रावधान उक्त नियमावली के नियम- 17(3) में है । इसके अलावे "बिहार सरकारी सेवकों के विरूद्ध आरोप-पत्र का गठन विनियमावली, 2011" के प्रावधानों और उसके साथ संलग्न प्रपत्र 'क' का अनुसरण किया जाय । प्रत्येक आरोप / लांछन संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट एवं अलग-अलग

क्रमाकों के अंतर्गत सुसंगत तथ्यों का अभिकथन के रूप में होना चाहिए । अभिकथन में दिनांक, घटना का अवसर एवं अवचार या कदाचार की प्रकृति का उल्लेख आवश्यक होगा । आरोप-पत्र के साथ उन दस्तावेजों/साक्षियों की सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो, भी संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(4) नियमावली के नियम- 9, 10, 11, 12 एवं 13 के प्रसंग में विस्तृत मार्गदर्शन पत्रांक-773 दिनांक 27.03.2006 के तहत निर्गत है । [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 362-364 द्रष्टव्य]

(5) उक्त नियमवाली के नियम-10 के अनुसार निलबंन अवधि में अर्द्ध औसत वेतन के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता एवं ऐसे अर्द्ध औसत वेतन पर अनुमान्य महँगाई भत्ता अनुमान्य किया गया है । अन्य कोई भत्ता अनुमान्य नहीं किया गया है ।

(6) संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रावधान नियम-17(2) [वर्ष 2008 में यथा संशोधित] में है । प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रावधान नियम-17(5) में है । संचालन पदाधिकारी के रूप में आरोपित सरकारी सेवक से वरीय पदाधिकारी की ही नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में ऐसे सरकारी सेवक की नियुक्ति की जाय जो अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से विषय को समुचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वांछित जानकारी रखते हों । प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि आरोप से संबंधित आवश्यक अभिलेख एवं साक्ष्य प्राप्त कर संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें । उसका कार्य अभियोजन पक्ष को प्रस्तुत करने का होता है ।

(7) संचालन पदाधिकारी को एक आदेश फलक रखना है और उसमें प्रत्येक दिन की कार्यवाही अंकित करते हुए आरोपित सरकारी सेवक एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित कराना है । संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को नियम-17 के प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन कर उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि विभागीय कार्यवाही/जाँच के संचालन की पूरी प्रक्रिया उक्त नियम 17 में दी हुई है ।

(8) प्रायः यह देखा जाता है कि संचालन पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में दंड की भी अनुशंसा कर देते हैं । उन्हें नियम-17(23) के अनुसार जाँच का निष्कर्ष प्रतिवेदित करना है, दंड की अनुशंसा नहीं करनी है ।

(9) जहाँ प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद अनुशासनिक प्राधिकार को नियम-18 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कार्रवाई करनी है । नियम-18 के उपनियम (6) एवं (7) को मद्दे नजर रखते हुए समुचित कार्रवाई के पश्चात दंडादेश का संसूचन करने के क्रम में दण्डों का सकारण उल्लेख किया जाना है ।

(10) संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से अनुशासनिक प्राधिकार की असहमति की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान उक्त नियमवाली के नियम-18 के उपनियम (1) एवं (2) में है । तदनुसार अनुशासनिक प्राधिकार पुनः जाँच के लिए कार्यवाही संचालन पदाधिकारी को भेज सकते हैं या स्वयं जाँच कर सकते हैं । अनुशासनिक प्राधिकार को असहमति के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करना है और ऐसे आरोप से संबंधित स्वयं का निष्कर्ष अभिलिखित करना है यदि अभिलेख में उल्लेखित साक्ष्य पर्याप्त हो।

(11) दंड पर निर्णय लेते समय अनुशासनिक प्राधिकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि निलंबन अवधि को यदि कर्तव्य पर नहीं समझे जाने का निर्णय लिया जाता है तो निलंबन अवधि के संबंध में आदेश दंडादेश के साथ नहीं दिया जाय । एतदर्थ नियम-11(5) के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद अलग से आदेश निर्गत किया जाना है ।

(12) विभागीय कार्यवाही सम्पन्न करने की अधिकतम सीमा एक वर्ष है । पत्रांक 2178 दिनांक 28.02.2007 के तहत कार्यवाही के विभिन्न चरणों की समय-सीमा निर्धारित है । [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 354-355 द्रष्टव्य] । इसका अनुपालन किया जाय ।

(13) अपील के लिए समय-सीमा पैंतालिस दिन है (नियम-25) । नियम 24(2) के अनुसार सरकार के आदेश विरूद्ध अपील नहीं हो सकती है, सिर्फ ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकती है ।

(14) पुनरीक्षण की समय-सीमा छह माह है । इस संबंध में प्रावधान नियम-28 में है ।

(15) विभागीय कार्यवाही के चलते रहने के दरम्यान आरोपित सरकारी सेवक के सेवानिवृत्त हो जाने पर विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी । ऐसे मामलों में नियम 43(बी) के तहत कोई नया आदेश निर्गत नहीं कर कार्यवाही के नियम-43(बी) के

तहत स्वतः परिवर्तन संबंधी एक आदेश निर्गत करना ही पर्याप्त होगा । ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही का ताजा आदेश कदापि निर्गत नहीं किया जाय । नियम 43(बी) के तहत कोई नया (ताजा) आदेश वैसे ही मामलों में निर्गत हो सकता है जहाँ सेवानिवृत्ति के बाद आरोप-पत्र निर्गत किया गया हो ।

(16) माननीय पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ के द्वारा सी०डब्लू०जे०से० नं०-12943/09 (उर्मिला शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 10.05.2010 को पारित आदेश के तहत स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी गयी है कि बिहार पेंसन नियमावली के नियम 43(बी) के अंतर्गत चार वर्षों की गणना, घटना की तिथि से होगी, न कि घटना की जानकारी की तिथि से अतः कदाचार का आरोप जिस घटना से संबंधित है वह अगर कार्यवाही संस्थित करने की तिथि से चार वर्ष से पहले का है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चल सकती है, क्योंकि ऐसा आरोप कालबाधित की श्रेणी में आयेगा । इस संबंध में पूर्व में पत्रांक 3448 दिनांक 02.12.2006 [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 356-358 द्रष्टव्य] की कंडिका 3(vi) में दिया गया अनुदेश तुरत के प्रभाव से अवक्रमित समझा जायेगा ।

(17) बिहार पेंसन नियमावली के नियम-139 के तहत सीधे कार्रवाई कदाचार के आरोपों के संदर्भ में नहीं की जा सकती है । नियम 43 (बी) में विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के फलाफल के आधार पर ही नियम 139 के तहत पेंसन से कटौती संभव है । परन्तु यदि सेवा अभिलेखों के आधार पर सक्षम प्राधिकार को यह समाधान हो जाय कि पेंसनभोगी की सेवा पूर्णतः संतोषजनक नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही चलाये बिना भी नियम-139 के तहत सीधे कार्रवाई हो सकती है ।

(18) पेंसन नियमवाली के नियम- 43(ए) के तहत सरकार को पूरा पेंसन या उसके किसी अंश को रोकने की शक्ति है । अतः यदि सेवानिवृत्ति के बाद आरोप-पत्र गठित कर नियम-43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित होती है तो उसके फलाफल के आधार पर पेंसन रोकी जा सकती है । परन्तु यदि सेवानिवृत्ति की तिथि तक या उसके तुरत बाद आरोप-पत्र गठित नहीं है और विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो पायी है तो पंेसनादि की स्वीकृति पर विचार में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए ।

3. लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में अनुसरणात्मक कार्रवाई के संबंध में मार्गदर्शन संकल्प सं० 3406 दिनांक 08.10.2007 के तहत दिया जा चुका है । [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 341-342 द्रष्टव्य]

4. अनुशासनिक मामलों में प्रस्तावित दंडों के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करने संबंधी प्रक्रियागत मार्गदर्शन एवं चेकस्लिप पत्रांक 2609 दिनांक 13.09.2006 के तहत निर्गत है । [2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 358-360 द्रष्टव्य] ।

5. संचालन पदाधिकारियों एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारियें को यह स्पष्ट हिदायत दिया जाना सुनिश्चित किया जाय कि-

(क) संचालन पदाधिकारी प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये ऐसे अभिलेख पर विचार नहीं करें जिसकी प्रतिलिपि आरोपित सरकारी सेवक को नहीं दी गयी हो या उसे दिखाया नहीं गया हो । वे किसी ऐसे साक्ष्य पर विचार नहीं करें जिसकी जानकारी आरोपित सरकारी सेवक को नहीं हो ।

(ख) जबतक आवश्यक नहीं हो जाय, कार्यवाही खुला एवं पारदर्शी हो ।

(ग) सुनवाई में लम्बा स्थगन नहीं दिया जाय ।

(घ) संचालन पदाधिकारी आरोपित सरकारी सेवक के प्रति व्यक्तिगत विद्वेष से ग्रस्त नही हों ।

(घ) कार्यवाही आरोपित सरकारी सेवक की अनुपस्थिति में नहीं हो । यदि वह जानबूझकर अनुपस्थित होता हो तो उसे आदेश फलक पर स्पष्टतः अभिलेखित करना चाहिए ।

6. अनुरोध है कि उपर्युक्त मार्गनिदेशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय । साथ ही, उपर्युक्त स्प्ष्ट अनुदेशों/मार्गदर्शनों एवं उक्त नियमावली के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद यदि कोई प्रक्रियात्मक चूक होती है और इस कारण दंडादेश न्यायालय द्वारा निरस्त होता है तो संबंधित विभाग ऐसी चूक के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को दंडित करे और चारित्री/पी.ए.आर. में प्रतिकूल अभ्युक्ति अंकित किया जाना सुनिश्चित करे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग ऐसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, जो विभाग में इन दायित्वों को देखते हों, के लिए अनुशासनिक कार्रवाई संचालन से संबंधित प्रशिक्षण, बिपार्ड के सहयोग से आयोजित करे ताकि प्रक्रियात्मक चूक से बचा जा सके ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(दीपक कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
संकल्प

विषयः- राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गो आदि में प्रोन्नति के लिए कोटि-वेतन (Grade-Pay) अधारित कालावधि का निर्धारण ।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० 280 दिनांक 05.07.2002 द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गो आदि में प्रोन्नति के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप वेतनमान आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है । इसके अतिरिक्त विभागीय संकल्प सं० 2129 दिनांक 19.06.2007 द्वारा धारित पद एवं पूर्व के पद को जोड़कर निर्धारित कालावधि पूरी हो जाने पर भी अगले प्रोन्न्त पद पर प्रोन्न्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में भारत सरकार के अधीन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पंेशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं०- ए०बी०-14017/61/2008-ईस्ट (आर०आर०) दिनांक 24.03.2009 द्वारा कोटि-वेतन (Grade-Pay) के आधार पर कालावधि पुनर्निर्धारित की जा चुकी है । चूँकि राज्याधीन सेवाओं में भी कोटि-वेतन (Grade-Pay) आधारित वेतन पुनरीक्षण किया जा चुका है, अतः तत्आलोक में कोटि-वेतन (Grade-Pay) अधारित कालावधि का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है ।

3. अतएव सम्यक् विचारोपरांत सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधीन एक स्तर की विभिन्न सेवाओं/सवंर्गो आदि में कालावधि के बिन्दु पर एकरूपता रखने के प्रयोजनार्थ विभिन्न सेवाओं/संवर्गो आदि में भारत सरकार के अनुरूप कोटि-वेतन (Grade-Pay) आधारित निम्नलिखित कालावधि व्यवस्था समान रूप से तत्कालिक प्रभाव से लागू की जायः-

(i)

क्रमांक	कोटि-वेतन (Grade-Pay)		न्यूनतमक अर्हक सेवा (कालावधि)
	से	तक	
1.	1800	1900	3 Years
2.	1900	2000	3 Years
3.	1900	2400	8 Years
4.	2000	2400	5 Years
5.	2400	2800	5 Years

6	2400	4200	10 Years
7.	2800	4200	6 Years
8.	4200	4600	5 Years
9.	4200	4800	6 Years
10.	4200	5400	8 Years
11.	4200	6600	10 Years
12.	4600	4800	2 Years
13.	4600	5400	3 Years
14.	4600	6600	7 Years
15.	4800	5400	2 Years
16.	4800	6600	2 Years
17.	5400	6600	6 Years
18.	6600	7600	5 Years
19.	6600	8700	10 Years
20.	7600	8700	5 Years
21.	7600	8900	6 Years
22.	8700	8900	2 Years
23.	8700	10000	3 Years
24.	8900	10000	2 Years

(ii) उपर्युक्त कोटि-वेतन (Grade-Pay) आधारित कालावधि तालिका मात्र निम्न कोटि-वेतन (Grade-Pay) से ठीक ऊपर कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति के लिए है । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि किसी निम्न कोटि-वेतन से ठीक ऊपर के कोटि-वेतन (Grade-Pay) को लाँघ (Jump) कर दूसरे या तीसरे ऊपर के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति दे दी जायेगी । उदाहरणतः यदि किसी सेवा-संवर्ग के पद श्रृंखला में कोटि-वेतन (Grade-Pay) 2400 से 2800 एवं कोटि-वेतन (Grade-Pay) 2800 से 4200 का प्रोन्न पद उपलब्ध हो तो ताकिला की कंडिका-5 और 7 के अनुसार किसी कर्मी विशेष को 2400 के कोटि-वेतन (Grade-Pay) से 4200 के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति हेतु (5+6)=11 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूरी करनी होगी, न कि कंडिका-6 के अनुसार 2400 के कोटि-वेतन (Grade-Pay) से 4200 के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति हेतु 10 वर्ष की कालावधि। उपर्युक्त कालावधि मात्र प्रोन्नति के लिए विचार करते समय निम्नतर कोटि-वेतन (Grade-Pay) में संबंधित कर्मी के द्वारा की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि (कार्यानुभव) है । इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि कालावधि के पूर्ण होने पर सभी कर्मियों को वरीयतर कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नत कर दिया जायेगा। प्रोन्नति के लिए वरीयतर कोटि-वेतन (Grade-Pay) में आवश्यकता आधारित पदों की रिक्ति एवं अन्य आवश्यकताओं पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।

(iii) कालावधि का एकरूप निर्धारण राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं/संवर्गो एवं पद समूहों आदि में केवल आवश्यकता आधारित प्रोन्नतियों के लिए समान रूप से लागू होगा । परंतु सुनिश्चित वृत्ति प्रोन्नतियों योजना के तहत प्रोन्नतियों तथा राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रोन्नति में यह कालावधि लागू नहीं होगी ।

(iv) निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना सम्भव नहीं हो पाता हो, वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/कोटि-वेतन (Grade-Pay) की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है। दृष्टान्तस्वरूप रु० 6600/- से रु० 7600रु- के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति के लिए कालावधि-5 वर्ष निर्धारित है और रु० 7600/- से रु० 8700/- के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्न्ति के लिए 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है । यदि रु० 7600/- के कोटि-वेतन (Grade-Pay) से 8700/- के कोटि-वेतन (Grade-Pay) में प्रोन्नति विचारणीय हो तो रु० 7600/- कोटि-वेतन (Grade-Pay) में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न कोटि-वेतन (Grade-Pay) (या अपुनरीक्षित वेतनमान) वाले पद की कार्यावधि और धारित कोटि-वेतन (Grade-Pay) (रु० 7600/-) के पद की कार्यावधि जोड़कर कुल 10 वर्ष की कालावधि पूरा होने पर प्रोन्नति दी जा सकेगी ।

(v) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली कार्यालय ज्ञापन सं०- ए०बी०/14017/7/2008-स्थापना (आर०आर०) दिनांक 17.01.2008 में निहित प्रावधानों के आलोक में यथासमय एवं यथास्थिति राज्य सरकार उपर्युक्त रूप में निर्धारित कालावधि में छूट दे सकेगी । जहाँ तक छूट की मात्रा का प्रश्न है, प्रोन्नत पद के कुल स्वीकृत बल की जितनी प्रतिशत रिक्ति होगी, उस पद हेतु निर्धारित कालावधि में उतने प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी, परन्तु यह छूट निर्धारित कालावधि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । उदाहरणताः यदि कोटि-वेतन (Grade-Pay) रु० 5400/- से कोटि-वेतन रु० 6600/- में प्रोन्नति विचाराधीन हो तो उपर्युक्त तालिका के अनुसार निर्धारित कालावधि (5 वर्ष) में अधिकतम 2) वर्ष की छूट दी जा सकेगी । यह छूट आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग के कर्मियों को समान रूप से प्राप्त होगी । प्रोन्नति हेतु निर्धारित अन्य शर्ते यथा विभागीय परीक्षा के उत्तीर्णता, सेवा सम्पुष्टि आदि लागू रहेगी । कालावधि में छूट हेतु प्रशासी विभाग के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

(vi) यदि किसी सेवा संवर्ग की नियमावली में कालावधि संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे तद्नुरूप संशोधित कर लेगा । नियमावली में ऐसा संशोधन किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् के समक्ष संलेख के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस संलेख में

मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है । प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में कालावधि संबंधी संशोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-11/वि०4-काला०नि०/छू०-03/2001-सा०प्र० 1800 / पटना- 15, दिनांक 09 जून, 2011

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-11) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-11/वि०4-काला०नि०/छू०-03/2001-सा०प्र० 1800 / पटना- 15, दिनांक 09 जून, 2011

प्रतिलिपिः- सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य मंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव कर्मचारी चयन अयोग, पटना/ परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना/ सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना/ सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना/ लोकायुक्त के कार्यालय, बिहार, पटना/ निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा, पटना/बिहार विधान परिषद्, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्र संख्या-3/एम० 45 / 2011-1605

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

पे्रषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक- 24 मई, 2011

विषयः- सरकारी सेवकों की प्रोन्नतियों पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का वर्गीकरण (बेंच मार्क) के अनुसार विचारण)

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक-3/एम०-45/2011 सा०-922 दिनांक 30 मार्च, 2011 के क्रम में स्पष्ट करना है कि उपर्युक्त परिपत्र तुरत के प्रभाव से, अर्थात् 30 मार्च, 2011 से प्रभावी है । पुराने मामलों, जिनमें कनीय को प्रोन्नति पुरानी पद्धति से ही दी गयी है, उन पर यह लागू नहीं होगा ।

साथ ही, उक्त परिपत्र की कंडिका- 3(3) को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि 'प्रोन्नति के योग्य' अभ्युक्तियों को 'बहुत अच्छा' वर्ग में माना जायेगा ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्र सं०-3/एम० 45/2011 सा०- 922

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय, आयुक्त
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना - 15, दिनांक- 30 मार्च, 2011

विषयः- सरकारी सेवकों की प्रोन्नतियों पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का वर्गीकरण (बेंच मार्क) के अनुसार विचारण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से निर्गत संकल्प सं०- सी०आर०को०-118/07का-10570 दिनांक 24.10.2007 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प सं०-7566 दिनांक 14.07.2010 के तहत निर्गत रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना,

2010 के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 की कंडिका-16 के अनुसार रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वेतन उन्नयन के लिए वेतन बैंड-3 के ग्रेड वेतन 6600/- रु० तक बेंच मार्क 'अच्छा' और 7600/- रु० एवं ऊपर के ग्रेड वेतन तक के वेतन उन्नयन के लिए बेंच मार्क 'बहुत अच्छा' होना आवश्यक किया गया है । दूसरे अर्थो में, रु० 7600/- एवं ऊपर के ग्रेड वेतनों में वृत्ति उन्नयन के लिए चारित्री की -'बहुत अच्छा' होना वांछनीय होगा ।

2. चूँकि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लिए वही आधार एवं प्रक्रिया होती है जो नियमित प्रोन्नति के लिए होती है, अतः यह तर्कसंगत प्रतीत होता है कि नियमित (कार्यात्मक-Functional) प्रोन्नतियों के मामलों में भी ऐसा बेंच मार्क/पैरामीटर निर्धारित किय जाय ।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है किः-

(1) विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा चारित्रियों / कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अधार पर किसी सरकारी सेवक की प्रोन्न्ति के लिए उपयुक्ता संबंधी निष्कर्ष पर आने के लिए चारित्री/कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण निम्नानुसार रहेगा-

(क) उत्कृष्ट

(ख) बहुत अच्छा

(ग) अच्छा

(घ) औसत

(घ) प्रतिकूल अभ्युक्ति

(2) जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों की चारित्री/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल अभ्युक्ति अभिलेखित की जाती है, उसे निश्चित रूप से संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को निर्धारित समय-सीमा में संसूचित की जानी चाहिए। संसूचित नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त प्रतिकूल अभ्युक्ति को चारित्री के औसत वर्गीकरण की कोटि में रखा जाएगा।

(3) पूर्व में कई मामलों में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के चारित्री / कार्य मूल्यांकन का अभिलेखन वर्णित वर्गीकरण के अनुसार नहीं किया गया है । ऐसे अभिलेखित चारित्री को उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार निम्न प्रकार सामंजन किया जाएगाः-

	अभिलेखित चारित्री	वर्गीकरण जिसमें सामंजन किया जाएगा
(क)	उत्तम	उत्कृष्ट
(ख)	प्रोन्नति के योग्य/संतोषजनक	अच्छा
(ग)	कर्मठ	अच्छा

शेष प्रकार के अभिलेखनीय पर विभागीय प्रोन्नति समिति निर्णय लेगी ।

(4) चारित्री के अभाव में उसके एवज में प्रमाण-पत्र रहने पर जितनी अवधि का प्रमाण-पत्र रहेगा उतनी पीछे की अवधि की चारित्री का अवलोकन प्रोन्नति पर विचार के लिए आवश्यक होगा।

(5) जहाँ स्वमूल्यांकन प्रतिवेदित दिए जाने का प्रावधान है वहाँ स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद 30 अप्रील तक समर्पित कर दिया जाना

आवश्यक होगा । 30 अप्रील तक जो पदाधिकारी स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित नहीं करेंगे, प्रतिवेदक पदाधिकारी उनकी चारित्री में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होंगे । यदि पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत किया गया हो तथा प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा उनकी चारित्री नहीं लिखी गयी हो तो चारित्री नहीं लिखने वाले पदाधिकारी के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की जायेगी ।

(6) रु० 6600/- तक के ग्रेड वेतनों में प्रोन्नति पर विचार के लिए पिछले 5 वर्षों में से 36 माहों की अभ्युक्ति को कम-से-कम 'अच्छा' होना चाहिए तथा शेष वर्षों में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि 5 वर्षों में से मात्र 36 माहों की अभ्युक्ति उपलब्ध हो एवं शेष वर्षों की अभ्युक्ति उपलब्ध न हो तो ठीक 2 वर्ष पूर्व की अभ्युक्ति का अवलोकन किया जाना चाहिए । यदि कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति उक्त 2 वर्षों में नहीं हो तो प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा ।

(7) इसी प्रकार रु० 7600/- एवं उससे ऊपर के ग्रेड वेतनों में प्रोन्नति हेतु उपयुक्ता के लिए पिछले 5 वर्षों में से 36 माहों की अभ्युक्ति के कम-से-कम 'बहुत अच्छा' होना आवश्यक होगा और शेष वर्षों में कई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होनी चाहिए । यदि 5 वर्षों में से मात्र 36 माहों की अभ्युक्ति उपलब्ध हो और शेष वर्षों की अभ्युक्ति उपलब्ध न हो तो ठीक 2 वर्ष पूर्व की अभ्युक्ति का अवलोकन किया जाना चाहिए। यदि कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति उक्त 2 वर्षों में नहीं हो तो प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

(8) अगर पिछले 5 वर्षों या उससे ठीक पूर्व के 2 वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज किया गया हो तो ऐसे सरकारी सेवक की प्रोन्नति पर तबतक विचार नहीं किया जा सकेगा जबतक कि वे पिछले 5 वर्षों के चारित्री अभिलेखन के प्रतिकूल वर्ष के दायरे से बाहर नहीं हो जाते हैं ।

4. वेतन बैंड एस-1 के मामलों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी ।

5. चारित्री से सम्बन्धित पूर्व के सभी परिपत्र/अनुदेश उपर्युक्त हद तक अवक्रमित समझे जायेंगे ।

6. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग (सिं०) विभाग
का०आ०सं० 1/वि०-119/94 - 162 / पटना, दिनांक- 19.8.10

कार्यालय आदेश

पदाधिकारियों के स्तर पर संचिका उपस्थापन के वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक संशोधन/सुधार करते हुए संचिका उपस्थापन की व्यवस्था संलग्न सूची के अनुसार स्थापित किया जाता है ।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । एतद् संबंधी पूर्व व्यवस्था कृपया संशोधित समझा जाय ।

अनुलग्नक- व्यवस्था सूची संलग्न ।

ह०/-

(श्रीकृष्ण श्रीवास्तव)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- 4690 पटना, दिनांक- 20.8.10

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/सभी अभियंता/ सभी संयुक्त सचिव/ निदेशक/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव/ जन सम्पर्क पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(श्रीकृष्ण श्रीवास्तव)

सरकार के विशेष सचिव

संचिका उपस्थापन का स्तर

क्र०	प्रशाखा	आवंटित कार्य	संचिकाओं के निष्पादन का स्तर			
			प्रथम स्तर	द्वितीय स्तर	तृतीय स्तर	अंतिम स्तर
1	प्रशाखा-1	मुख्यालय स्थापना (राजपत्रित एवं अराजपत्रित)	अवर सचिव	उपसचिव	विशेष सचिव	प्रधान सचिव
2	प्रशाखा-2	क्रय एवं सामग्री प्रबंधन	उप निदेशक (क्रय)		निदेशक (क्रय)	प्रधान सचिव
3	प्रशाखा-3	वर्ग-3 एवं 4 का क्षेत्रीय स्थापना	अवर सचिव		संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
4	प्रशाखा-4	विधानमंडलीय कार्यो का समन्वय एवं अनुश्रवण	अवर सचिव	उपसचिव	संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
5	प्रशाखा-5	कार्यपालक अभियंता से अभियंता प्रमुख (असै० एवं यां०) तक के प्रोन्नति / अवकाश/ चिकित्सा/ अवधि विस्तार एवं सेवांत लाभ तथा कार्यपालक अभियंता से अभियंता प्रमुख (यां०) का स्थाना०/पदा० एवं अन्य कार्य।	अवर सचिव (प्रबंधन)		संयुक्त सचिव (प्रबंधन)	प्रधान सचिव
6	प्रशाखा-	1. कार्यपालक अभियंता से	अवर सचिव		संयुक्त सचिव	प्रधान

	6	अभियंता प्रमुख तक के स्थाना०/पदा०/प्रभार रहित अवधि का विनियमन एवं स्थापना	(प्रबंधन)		(प्रबंधन)	सचिव
		2. नेपाल कोषांग एवं बिहार राज्य निगम से संबंधित कार्य ।		उपसचिव (प्रबंधन)	संयुक्त सचिव (प्रबंधन)	प्रधान सचिव
7	प्रशाखा-7	1. (कनीय अभियंता (असैनिक) की सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति एवं सहायक अभि० के सेवान्त लाभ, संपुष्टि, वरीयता निर्धारण अन्य विविध कार्य।)	अवर सचिव (प्रबंधन)		विशेष सचिव	प्रधान सचिव
		2. (कनीय अभियंता (यांत्रिक) की सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति एवं सहायक अभि० के सेवान्त लाभ, संपुष्टि, वरीयता निर्धारण अन्य विविध कार्य।)	अवर सचिव (प्रबंधन)		संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
8	प्रशाखा-8	1. (सहायक अभियंता) (असैनिक) का स्थानान्तरण/पद०, विनियमन एवं अन्य कार्य तथा शोध पदाधिकारी का स्था०/पद०, प्रोन्नति आदि ।	अवर सचिव (प्रबंधन)		संयुक्त सचिव (प्रबंधन)	प्रधान सचिव
		2. (सहायक अभियंता (यांत्रिक) का स्थानान्तरण/ पद०, विनियमन एवं अन्य कार्य)	अवर सचिव (प्रबंधन)		संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
9	प्रशाखा-9	1. कनीय अभियंता (असै०) का स्था०/पद० विनियमन एवं स्थापना कार्य।	अवर सचिव (प्रबंधन)		अभियंता प्रमुख	प्रधान सचिव
		2. कनीय अभियंता (यां०) का स्था०/पद० विनियमन एवं स्थापना कार्य।	अवर सचिव (प्रबंधन)		अभियंता प्रमुख	प्रधान सचिव
10	प्रशाखा-10	विभागीय योजना से संबंधि विधायी/न्यायालीय मामला (उ० बिहार)		संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)	अभियंता सचिव (उत्तर)	प्रधान सचिव

11	प्रशाखा-11	विभागीय योजना से संबंधित विधायी/न्यायालीय मामला (द० बिहार)/निबंधन कार्य	अवर सचिव	संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)	अभियंता सचिव (मध्य)	प्रधान सचिव
12	प्रशाखा-12	अभियंत्रण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की चारित्री का संधारण	उपसचिव (प्रबंधन)	संयुक्त सचिव (प्रबंधन)		प्रधान सचिव
13	प्रशाखा-13	मुख्यालय के लिए सामग्रियों का क्रय वितरण एवं अन्य व्यवस्था	अवर सचिव	उपसचिव	संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
14	प्रशाखा-14	वर्ग-3 एवं 4 के क्षेत्रीय स्थापना अंचल पदाधिकारी, सिंचाई राजस्व निरीक्षक, मोहर्रिर, अमीन आदि।	अवर सचिव		संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
15	प्रशाखा-15	राजस्व वसूली का लेखा जोखा ।	अवर सचिव		संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
16	प्रशाखा-16 एवं 17	भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय से संबंधित स्थापना एवं अन्य कार्य।	निदेशक भू-अर्जन			प्रधान सचिव
17	प्रशाखा-18	विधि शाखा	सहायक विधि पदाधिकारी	विधि पदाधिकारी		प्रधान सचिव
18	प्रशाखा-19	लोक लेखा अंकेक्षण आदि	अवर सचिव	उपसचिव	संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
19	प्रशाखा-20	बजट	अवर सचिव		संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)	प्रधान सचिव
20	प्रशाखा-21	परिसम्पत्ति	अवर सचिव		संयुक्त सचिव	प्रधान सचिव
21	प्रशाखा-22	निगरानी से संबंधित सभी संचिकाएँ	उप सचिव	संयुक्त सचिव	विशेष सचिव	प्रधान सचिव

ह०/-

(श्रीकृष्ण श्रीवास्तव)

सरकार के विशेष सचिव

पत्र संख्या-3ए.2वे०पु०-10/90-8320

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

<u>प्रशाखा-3ए</u>

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव,
जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/
भवन निर्माण/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/
लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग ।

पटना, दिनांक- 03.08.2010

विषयः- कनीय / वरीय लेखा लिपिकों के वेतनमान के सम्बंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कनीय एवं वरीय लेखा-लिपिकों के वेतनमान को वर्ष- 1980 में एकीकृत मानते हुए उन्हें एकीकरण का वेतन लाभ दिये जाने तथा सामान्य लिपिकों की भाँति उनके पृथकीकरण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष समय-समय पर प्राप्त हुआ है ।

2. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्य विभागों में कार्यरत कनीय लेखा लिपिकों जिनकी नियुक्ति 28.09.1999 के पूर्व की है, उन्हें उनकी नियुक्ति तिथि के अनुसार 01.04.1981 से 730-1080 रु० 01.01.1986 से 1100-2300 रु० तथा 01.01.1996 से 4500-7000 रु० का वेतनमान लागू करने हेतु कार्य विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वित्त विभाग के पत्रांक- 1876 दिनांक- 18.02.1981 में निहित प्रावधान के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कतिपय मामलों में कार्य विभागों के कनीय एवं वरीय लेखा लिपिक का एकीकरण मानते हुए 28.09.1999 के पूर्व के कनीय लेखा लिपिकों को 4500-7000 का वेतनमान देने के संबंध में आदेश पारित है ।

3. विदित हो कि कार्य विभागों के कनीय लेखा लिपिकों (वेतनमान 220-315 रु०) एवं वरीय लेखा लिपिकों (वेतनमान 260-408 रु०) के पदों को एकीकृत नहीं किया गया था बल्कि 01.04.1981 के पूर्व से इन पदों की स्थिति निम्नवत् हैः-

(i) वित्त विभागीय परिपत्र संख्या- 1876 दिनांक 18.02.1981 में कार्य विभागों के कनीय एवं वरीय लेखा लिपिकों को उल्लेख नहीं है । यह परिपत्र सिर्फ समाहरणालय एवं अन्य मुफस्सिल कार्यालय से संबंधित है न कि कार्य विभाग से ।

(ii) चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इन विभागो के कनीय एवं वरीय लेखा लिपिकों के पदों को एकीकृत करने की अनुशंसा नहीं की गई । चतुर्थ वेतन समिति के रिपोर्ट की कंडिका- 29.16(3) में अंकित वेतनमान कार्य विभाग के कनीय एवं वरीय लेखा लिपिकों के लिए अलग-अलग अनुशंसित किया गया ।

(iii) पंचम वेतन समिति द्वारा भी इन कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लिपिकों के लिए अलग अलग कनीय प्रवर कोटि एवं वरीय प्रवर कोटि का वेतनमान अलग-अलग अनुशंसित किया गया ।

(iv) पंचम वेतन असंगति समिति के रिपोर्ट के आलोक में वित्त विभाग के पत्रांक 781-वित्त दिनांक- 08.02.1996 से स्पष्ट है कि जल संसाधन विभाग के कनीय लेखा लिपिक का वेतनमान क्रमशः 975:1549 रु० से संशोधित कर 1200-1800 रु० तथा कनीय लेखा लिपिक का वेतनमान 1200-1800 रु० का संशोधित कर 1400-2300 रु० किया गया । इस संशोधित वेतनमान को 01.01.1986 से वैचारिक तथा 01.03.1989 से वास्तविक रूप से प्रभावी करते हुए आर्थिक लाभ 01.01.1995 से दिया गया । इससे भी स्पष्ट है कि कार्य विभागों के कनीय एवं वरीय लेखा लिपिकों का अलग-अलग वेतनमान था, इसका एकीकरण नहीं हुआ था ।

(v) वित्त विभाग के परिपत्र सं० 3435 दिनांक 08.06.199 द्वारा फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक के लिए प्रथम वेतनमान की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कार्य विभागों के कनीय एवं वरीय लेखा लिपिकों का एकीकरण नहीं हुआ था । फलस्वरूप इनके परिप्रेक्ष्य में अलग से पृथकीकरण ओदश जारी करनेे का कोई औचित्य नहीं है । साथ ही यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 01.01.1986 के प्रभाव से कनीय लेखा लिपिक के लिए 1200-1800 तथा वरीय लेखा लिपिक के लिए 1400-2300 तथा इसी प्रकार 01.01.1996 से क्रमशः 4000-6000 रु० एवं 4500-7000 रु० तथा वेतमान अनुमान्य होगा ।

अतएव अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालय के कनीय लेखा लिपिकों एवं वरीय लेखा-लिपिकों के मामलें में उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित तथ्यों के आलोक में ही आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय । इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों से भिन्न वेतनमान अनुमान्य नहीं किया जाय एवं आवश्यकतानुसार इन तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 3/स्था०-2मुक- 49/08-1106 / पटना, दिनांक- 24.8.10

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार / सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

उपरोक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ।

ह०/-

(आनन्द कुमार दत्त)

सरकार के अवर सचिव

पत्रांक-जी०/बी०डी०-1-20-132/09 - 5014 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,

सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक-02 जुलाई, 2010

विषयः- राज्य के सभी मुख्यालयों एवं राजधानी, पटना के सरकारी आवासीय भवनों के मानक किराये का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य में पटना तथा सभी प्रमंडलीय/जिला अनुमंडल/प्रखंड मुख्यालयों के अन्तर्गत सरकारी आवासों के मानक किराया का निर्धारण भवन निर्माण विभाग के पत्रांक- 5189 (भ), दिनांक 24.11.1990 के द्वारा निर्धारित किया गया था । जिसमें जलकर/मलकर की गणना अलग से की जाती थी तथा अन्य प्रकार के बंधेजों का प्रावधान किया गया था । नगर निगम एवं नगर पालिका कर उनके मांग के अनुरूप बजटीय प्रावधान से भुगतान किया जाता है । लगभग 19 वर्षों की अवधि में हुए मुद्रास्◌ीति एवं मंहगाई को ध्यान में रखते हुए एवं गणना प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त मानक किराया को पनुरीक्षित किये जाने के संबंध में निम्न प्रकार से निर्णय लिया गया हैः-

1. राज्य के सभी क्षेत्र के सभी श्रेणी के (चतुर्थवर्गीय श्रेणी को छोड़कर) सरकारी आवासों का मानक किराया 25 पैसे प्रतिवर्गफीट होगा । इसमें गैरेज एवं सर्वेन्ट रूम को फ्लोर एरिया को शामिल नहीं किया जायेगा ।

2. आवंटितों से जलकर/मलकर के मद में अतिरिक्त राशि की वसूली अलग से नहीं की जायेगी ।

3. पुनरीक्षित किराया के अनुसार किसी भी सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से समान दर से मानक किराये की वसूली की जायेगी एवं पूर्व में निर्धारित 50% तक की ही बढ़ोत्तरी के शर्त को समाप्त की जाती है ।

4. किराये की राशि की गणना पूर्ण रुपयों में होगी ।

5. यदि किसी सरकारी आवास में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन आभोगियों के अनुरोध पर किया गया हो तो बढ़े हुए क्षेत्रफल के लिए भी उपर का दर लागू रहेगी ।

6. चतुर्थवर्गीय सरकारी सेवकों के सरकारी आवासों का किराया 10 पैसे प्रतिवर्गफुट के आधार पर "लिभिंग एरिया" पर निर्धारित किया जायेगा ।

7. पुनरीक्षित किराया पत्र निर्गत की तिथि से लागू माना जायेगा ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 5014 (भ) पटना, दिनांक- 02.07.10

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, लेखा शाखा/महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 5014 (भ) पटना, दिनांक- 02.07.10

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभागों/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेेषित

2. अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाय ।

ह०/-
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 5014 (भ) पटना, दिनांक- 02.07.10

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/रिजनल पुलिस उपमहानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी वरीय पुलिस

अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 5014 (भ) पटना, दिनांक- 02.07.10

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०)/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यालय अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 5014 (भ) पटना, दिनांक- 02.07.10

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना एवं सचिव के सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन (सिं०) विभाग

ज्ञापांक- 1/स्था०विविध-20-63/07- 4502 पटना, दिनांक- 13.8.10

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(मोहन चैधरी)
सरकार के अवर सचिव

पत्र संख्या-3/एम०-64/2009-2108

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

विषयः- सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अवलोकन - अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के लिए प्रमाणपत्र के संबंध में ।

महाशय,

कतिपय मामलों में पाया जाता है कि वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन के लिए स्पष्ट मार्ग निदेश रहने के बावजूद समय पर गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन नहीं हो पाता है। समय पर गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन नहीं होने एवं प्रतिवेदक पदाधिकारी/समीक्षा पदाधिकारी/स्वीकरण पदाधिकारी के स्थानांतरित होने या सेवानिवृत्त/मृत होने पर ऐसी गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन कराया जाना या तो कठिन हो जाता है या अभिलेखन हो ही नहीं पाता है । ऐसी स्थिति में प्रोन्नति के योग्य सरकारी सेवकों की भी प्रोन्नति प्रभावित हो जाती है । विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा के क्रम में यह उजागर हुआ है कि ससमय प्रोन्नति नहीं मिल पाने का एक कारण गोपनीय अभ्युक्तियों का ससमय अभिलेखन नहीं होना भी है ।

2. इस परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के पत्रांक-10570 दिनांक 24.10.07 के तहत यह निर्णय भी संसूचित किया गया कि यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में से मात्र तीन वर्षों की ही गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध हों तो उक्त पाँच वर्षों से भी पूर्व के संलग्न वर्षों की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से दो वर्षों की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर उनके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाय और तदनुसार प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समिति के विचारार्थ रखा जाना सुनिश्चित किया जाय । परन्तु कई मामलों में यह पाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों में से तीन वर्षों की भी गोपनीय अभ्युक्तियाँ नहीं रहती हैं । इसके फलस्वरूप प्रोन्नति प्रभावित ही रह जाती है । प्रोन्नति प्रभावित रहने से एक ओर सरकारी सेवक की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो दूसरी ओर प्रोन्नति के रिक्त पदों को समय पर भरा जाना सम्भव नहीं हो पाता है ।

3. अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जिस वर्ष की गोपनीय अभ्युक्तियाँ अभिलेखित नहीं हो पायी हो और उन्हें अभिलेखित कराया जाना सम्भव नहीं रह गया हो वैसे वर्ष के लिए संबंधित सरकारी सेवक के वर्तमान पदस्थापन-स्थान के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा संबंधित सरकारी सेवक के कार्य-कौशल, चरित्र आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए विशेष चारित्री प्रमाणपत्र दिया जाय । ऐसा प्रमाणपत्र संबंधित सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में एक ही बार दिया जायेगा और अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का पर्याय माना जायेगा तथा उसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा ।

4. विशेष प्रमाण पत्र देते हुए संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में संबंधित सरकारी सेवक की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन ससमय एवं नियमित रूप से हो । प्रमाणपत्र संबंधी उपर्युक्त विकल्प वर्ष 2009-2010 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों को मामलों में ही लागू होगा ।

5. कृपया उपर्युक्त अनुदेश से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(दीपक कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन (सिं०) विभाग

ज्ञापांक- 1/स्था०वि०-28-12/09- 3389 / पटना, दिनांक- 22.6.10

प्रतिलिपि- मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(मोहन चैधरी)
सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

पत्रांक-10/स०क०यौ०उ०-1074/99-114

प्रेषक,

वी० के० वर्मा,
प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना
सभी पदाधिकारी,
सभी जिला

पटना, दिनांक- 27.05.10

विषयः- कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु समिति के गठन के संबंध में ।

प्रसंगः- कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन (प्रशासनिक सुधार) विभाग, बिहार, पटना का संकल्प सं० 72008 दिनांक- 17.04.01 एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-12-9/04 डब्लू०डब्लू० (अवस.प्) दिनांक-18.03.10 तथा पत्रांक-एफ-12-9/04-डब्लू०डब्लू० (अवस.प्) दिनांक-22.04.10 एवं समाज कल्याण निदेशालय का पत्रांक-491 दिनांक- 08.03.10

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्रों का कृपया निदेश किया जाय । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (क्रिमिनल) सं०-666-70/1992 विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक-13.08.97 के आलोक में सामान्य प्रशासन (का० एवं प्र०सु०) विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2058 दिनांक-17.04.01 के अनुसार कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम एवं निवारण हेतु राज्य सरकार के सभी विभाग एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में परिवाद समिति का गठन किया जाना है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-12-9/2 डब्लू०डब्लू० (अवस.प्) दिनांक- 18.03.10 एवं पत्र दिनांक-22.04.10 द्वारा कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु किये जा रहे कार्रवाई का प्रतिवेदन संसद की स्थायी समिति को अविलंब फैक्स/ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ विभाग/कार्यालयों में कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु परिवाद समिति का गठन एवं उसके नियमित बैठक की कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन निश्चित रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को फैक्स/ईमेल से भेजने की कृपा की जाए। सुलभ प्रसंग हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना का संकल्प ज्ञापांक- 2058 दिनांक- 17.04.2001 की प्रति संलग्न की जाती है ।

अनुलग्नक- यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/-

(वि०के० शर्मा)

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-1/स्था०-वि०-28-11/2009- 3826 / पटना, दिनांक- 14.7.10

प्रतिलिपि- मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(मोहन-चैधरी)

सरकार के अवर सचिव

पत्र संख्या-सं०का०-1/वि०मं०-02-37/2007-655

बिहार सरकार

संसदीय कार्य विभाग

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी

मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमण्डलीय आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/

पुलिस उप-महानिरीक्षक/जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक

पटना, दिनांक- 10 मई, 2010

विषयः माननीय सांसदों एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने एवं उन्हें सौजन्यता प्रदर्शित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 15.04.2010 को संसदीय कार्य विभाग की विभागीय परामर्शदातृ समिति की बैठक में यह शिकायत की गई किः-

(क) विधायक लोग सरकार के पदाधिकारियों को पत्र लिखते हैं, लेकिन उनका उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं;

(ख) जिला एवं अनुमंडल के पदाधिकारियों के द्वारा विधायकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता है ।

2. विदित हो कि संसदीय प्रणाली की सरकार में विधायिका का स्थान सर्वोच्च है । लोक सेवकों को सांसदों / विधायकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए । उनके पत्रों का समय पर जवाब देना चाहिए तथा उनसे मिलना चाहिए । इस संबंध में विभागीय पत्रांक-248 दि०-08.04.1999, पत्रांक-404 दि०- 07.06.2000, पत्रांक-199 दि०-23.03.2006 एवं पत्रांक-869 दि०-11.09.2006 के द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्र्देदे दिये गये हैं । फिर भी, इस संबंध में पुनः निदेश दिया जाता है कि-

(क) माननीय सांसदों/विधायकों द्वारा जब कोई पत्र भेजा जाता है तो ऐसे पत्र की प्राप्ति की सूचना उन्हें पन्द्रह दिनों के अन्दर भेजी जाय तथा पत्र में उल्लिखित विषयों पर तत्परतापूर्वक समुचित कार्रवाई की जाये । इसके उपरान्त अगले पन्द्रह दिनों के अन्दर उस पर कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से संबंधित सांसदों/विधायकों को अवगत करा दिया जाय ।

(ख) सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सांसदों/विधायकों से प्राप्त पत्रों के लिए पंजी रखी जाय । उनके पत्र की प्राप्ति सूचना एवं उत्तर पत्र द्वारा दिया जाय, जिसकी संख्या एवं तिथि उसी पंजी में सुलभ निदेश हेतु अंकित कर ली जाय ।

(ग) सरकार का प्रत्येक विभाग हर माह के अंतिम सप्ताह में सांसदों/विधायकों से प्राप्त पत्रों के निष्पादन की समीक्षा करें तथा प्रतिवेदन संसदीय कार्य विभाग को निश्चित रूप से अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भेज दें । इस तरह की कार्रवाई विभागाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय पदाधिकारीगण तथा जिला कार्यालय के प्रधान भी करेंगे ।

(घ) माननीय सांसदों/विधायकों से सुविधानुसार समय निकाल कर मिला करें ।

जो पदाधिकारी इसका अनुपालन नहीं करंेगे उनके विरूद्ध अनुशासनिक कारवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अनूप मुखर्जी)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 1/स्था०वि०-28-36/08- 2886 पटना, दिनांक- 25.05.10

प्रतिलिपि- मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(मोहन चैधरी)

सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना- 15, दिनांक- 10.02.2010

संख्या-3/एम०-64/2008 का० - 666 / भारत-संविधान के अनुच्छेद 809 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 [समय-समय पर यथासंशोधित] में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है-

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –

(1) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 [समय-समय पर यथासंशोधित] के नियम-14 में "स्पष्टीकरण" के बाद "स्पष्टीकरण (2)" तथा "स्पष्टीकरण (3)" का जोड़ा जाना । - "उक्त नियमावली के नियम- 14 में प्रावधानित 'स्पष्टीकरण' को 'स्पष्टीकरण(1)' के रूप में संख्यांकित किया जायेगा तथा निम्नलिखित नये 'स्पष्टीकरण (2)' एवं 'स्पष्टीकरण (3)' जोड़े जायेंगेः-

"स्पष्टीकरण (2)"- इस नियम के अर्थान्तर्गत खंड (प)ए (पप)ए (पअ)ए (अ)ए (अप)ए (अपप) एवं (अपपप) में अंकित शक्तियों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है, यथा

(i) निन्दन- निन्दन की प्रविष्टि आरोपों अथवा भूल-चूक के वर्ष की चरित्रपुस्त में की जायेगी । जिस वर्ष के आरोपों अथवा भूल-चूक के कारण निन्दन की शास्ति दी जायेगी, उस निन्दन का संबंधित सरकारी सेवक की सम्पुष्टि एवं प्रोन्न्नति के मामलों पर उस वर्ष के बाद से अगले तीन वर्षों तक कुप्रभाव पड़ेगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक को वर्ष 2002-2003 के आरोपों अथवा भूल-चूक के कारण निन्दन की सजा दी जाती है तो उसकी प्रविष्टि वर्ष 2002-2003 की चारित्री में होगी और उसका कुप्रभाव वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक रहेगा ।

ऐसा सरकारी सेवक जिसे तीन निन्दन की शास्तियाँ मिल चुकी हों, उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब अंतिम (तीसरे) निन्दन के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस सरकारी सेवक का अगले पाँच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले 5 वर्षो की अवधि में और कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो । उदाहरणस्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक को दिये गये तीसरे निन्दन की शास्ति का कुप्रभाव 2002 में समाप्त होता हो और उसकी प्रोन्नति 2008 या उसके पूर्व देय होती हो तो 2008 में अर्थात अंतिम निन्दन के कुप्रभावों की समाप्ति के पाँच वर्षो के बाद, उसकी प्रोन्नति देय समझी जायेगी, बशर्ते कि 2003 से 2007 तक की पाँच वर्षों की अवधि में कम से कम तीन वर्षों का उसका कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो एवं इन पांच वर्षों की अवधि में उसे कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो ।

(ii) प्रोन्नति रोकना- प्रोन्नति पर रोक की शासित देते समय अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि यह सजा किसी अवधि विशेष तक प्रभावी रहेगी अथवा पूरे सेवाकाल के लिए ।

(iii) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति- इस शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा । इस शास्ति में 'प्रक्रम' का आशय वेतनमान के प्रक्रम से है । चूँकि इसका प्रभाव संचयी नहीं (असंचयात्मक) है अतः शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर प्रभावग्रस्त सभी प्रक्रमों का लाभ जोड़ते हुए अगला प्रक्रम अनुमान्य होगा ।

(iv) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियों को रोकना- ऐसी शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियाँ रोकी जायेगी ।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों का संख्या का स्पष्ट अंकन आवश्यक होगा । शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रुकी रहेगी । उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव के बिना (अर्थात असंचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष एक दूसरी वेतनवृद्धि रुकी रहेगी । चूँकि शास्ति संचयी प्रभाव के बिना है अतः वेतनवृद्धि रोके जाने के बाद की तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रुकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़कर वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा, परन्तु रोकी गई अवधि का आर्थिक लाभ अनुमान्य नहीं होगा ।

इस शास्ति के प्रभाव में रहने की अवधि में, अर्थात् जितने वर्षो तक के वेतनवृद्धि रुकी रहेगी उतने वर्षो तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा । शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार सम्भव हो सकेगा ।

(v) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धियों को रोकना- ऐसी शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियाँ रोकी जायेंगी । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों के संख्या का स्पष्ट अंकन आवश्यक होगा । शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रुकी रहेगी । उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव के साथ (अर्थात संचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रुकी रहेगी । जितने वर्षो तक की शास्ति रहेगी उतने ही वर्षों के वेतनवृद्धियों के लिए संचयी प्रभाव रहेगा, परन्तु चूँकि शास्ति संचयी प्रभाव के साथ है अतः रोकी गई वेतनवृद्धियाँ पूरी सेवाकाल तक के लिए रुक जायेगी। ऐसी स्थिति में रोकी गई वेतनवृद्धियों के बाद तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रुकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़े बिना वेतनवृद्धि के साथ वेतन भुगतान होगा ।

इस शास्ति के प्रभाव में रहने की अवधि में, अर्थात् जितने वर्षों तक वेतनवृद्धि रुकी रहेगी उतने वर्षों तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा । शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार सम्भव हो सकेगा ।

(vi) कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति, इन निदेशों के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि को समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं ।- ऐसी शास्ति दिये जाने के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि कितनी अवधि के लिए ऐसी शास्ति प्रभावी रहेगी और उस दरम्यान वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी । यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक

होगा कि शास्ति की अवधि की समाप्ति के बाद भविष्य की वेतनवृद्धियाँ स्वतः अनुमान्य होने लगेंगी या बाधित रहेंगी, और यदि बाधित रहेंगी तो कितनी अवधि तक बाधित रहेंगी ।

ऐसी अवनति की अवधि की समाप्ति के बाद यदि भविष्य की वेतनवृद्धियाँ बाधित रखी जाती हैं तो जितने वर्षों के लिए वेतनवृद्धियाँ बाधित रहेंगी उतने वर्षों तक प्रोन्नति बाधित रहेगी ।

(vii) निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में, जिससे वह अवनत किया गया हो, प्रोन्नति के लिए उस कोटि या पद या सेवा में, जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तान की शर्तों तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जाने वाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा।- इस शास्ति संबंधी आदेश में यह स्पष्ट रूम से अंकित करना होगा कि इसकी प्रभाव सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए होगी या नहीं । यदि इसकी प्रभाव सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए करने का इरादा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ऐसी अवनति की अवधि का उल्लेख और साथ ही ऐसी अवनति की अवधि की समाप्ति पर पुनस्र्थापन की शर्तों का भी उल्लेख प्रस्तावित शास्ति में करना आवश्यक होगा । अतः अनुशानिक प्राधिकार के लिए यह अपेक्षित होगा कि शास्ति अधिरोपित किये जानेवाले आदेश में निम्नांकित रूप में निदेश विनिर्दिष्ट किये जायँ:-

(क) अवनति की अवधि, यदि स्पष्ट इरादा यह नहीं हो कि अवनति स्थायी तौर पर होगी या अनिश्चित अवधि के लिए;

(ख) जहाँ अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट की जाय वहाँ यह भी उल्लेख किया जाय कि अवनति की अवधि की समाप्ति पर सरकारी सेवक को स्वतः उस पद पर प्रोन्नति दी जायेगी या नहीं जिस पद से वह अवनत हुआ; और

(ग) ऐसी पुनप्ररोन्नति के फलस्वरूप सरकारी सेवक उच्चतर सेवा, कोटि या पद या कालमान वेतन, जो उसे दण्ड दिये जाने के पूर्व दिया गया था, में अपनी मौलिक वरीयता पुनप्राप्त कर लेगा या नहीं ।

‘‘**स्पष्टीकरण (3)-चेतावनी-** इस नियम के अर्थान्तर्गत ‘चेतावनी’ शास्ति नहीं है और इस कारण इसे शास्तियों की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है । परन्तु ऐसे अवसर आ सकते हैं जब अनुशासनिक प्राधिकार या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी को अधीनस्थ किसी सरकारी सेवक की उसकी लापरवाही, अभिरुचि का अभाव, कार्य में विलम्ब आदि कारणों से, आलोचना करने की आवश्यकता आ पड़े । ऐसी आलोचना ‘‘मौखिक’’ या ‘‘लिखित’’ चेतावनी देकर की जा सकती है ताकि सरकारी सेवक के कार्यों में सुधार आ सके । ऐसा भी हो सकता है कि किसी आरोप के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया अर्थात स्पष्टीकरण पूछने पर उसकी जाँच के बाद यह निष्कर्ष निकले कि ‘‘निन्दन’’ की सजा देने के बजाय आरोपित व्यक्ति को ‘‘चेतावनी’’ देना पर्याप्त है ।

ऐसी हालत में जो "चेतावनी" दी जाती है उसकी प्रविष्टि चरित्र-पुस्त में की जानी चाहिए । परन्तु चरित्र-पुस्त में प्रविष्टि हो जाने से ऐसी "चेतावनी" "निन्दन" में परिवर्तित नहीं हो सकती है, हालाॅकि ऐसी चेतावनी का असर सरकारी सेवक की मेघा का उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए उसके विचार योग्य होने पर पड़ता है । ऐसी 'चेतावनी' 'निन्दन' नहीं हो सकती है, क्योंकि "चेतावनी" देते समय उसे "निन्दन" के योग्य नहीं पाया गया था । यदि किसी सरकारी सेवक की चरित्रपुस्त में "दो चेतावनियों" की प्रविष्टि हो तो, वर्णित कारणों से, ऐसी चेतावनियाँ "निन्दन" में परिवत्रित नहीं मानी जा सकती है और न ही वे "एक निन्दन" के समान हो जा सकती है । परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं होता है कि सरकारी सेवक के विरूद्ध चाहे कितने भी चेतावनियाँ चरित्रपुरत में दर्ज हो जायें । चेतावनियाँ प्रतिकूल अभ्युक्तियों का काम करती हैं, यदि चेतावनी के बावजूद कार्य में सुधार नहीं आ पाता है तो प्रतिवेदक/समीक्षी पदाधिकारी तदनुसार अभ्युक्ति लिखने हेतु सक्षम होते हैं।

अगर किसी सरकारी सेवक को दण्ड के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए (यानी सफाई देने का अवसर देकर उनके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए) "चेतावनी" दी जाती है और जिसकी प्रविष्टि चरित्रपुस्त में की जाती है तो उसका कुप्रभाव सरकारी सेवक की सम्पुष्टि तथा प्रोन्नति में अगले एक वर्ष तक पड़ेगा । यदि किसी सरकारी सेवक की चरित्रपुस्त में पाँच चेतावनी की प्रविष्टि हुई हो तो उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब पाँचवी चेतावनी के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस सरकारी सेवक का अगले पाँच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले पाँच वर्षों की अवधि में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो ।"

बिहार राज्यपाल के आदश से
ह०/-
(राजीव लोचन)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप सं०- 3/एम०-64/2008 का० ..... / पटना-15, दिनांक - 10 फरवरी, 2010

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करावें ।

ह०/-
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप सं०- 3/एम०-64/2008 का० 666 / पटना-15, दिनांक - 10 फरवरी, 2010

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/लोकायुक्त कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग/मुख्य मंत्री सचिवालय/महानिदेशक, बिपार्ड/राज्य

अभिलेखागार/ प्रभारी आई०डब्लू०डी०एम०एस०टी०सी०एस०, वित्त विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के विशेष सचिव

पत्रांक- 18/मु०-1-03/09-141 / दिनांक - 15.1.10

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

सेवा में,

अभियंता प्रमुख (उत्तर/मध्य), मुख्य अभि०(यो० एवं मो०),
मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त सचिव, उपसचिव, अवर सचिव,
निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, निदेशक (क्रय एवं परिवहन)
एवं मुख्यालय स्थित सभी प्रशाखा पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं/अपील आवेदनों हेतु तथ्य विवरणी तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में ।

निदेशानुसार सूचित करना है कि हाल के समय में विभाग में सरकारी अनुदेश के आलोक में नियुक्त अधिवक्ताओं/सेवा निवृत सक्षम व्यक्तियों के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं/अपील आवेदनों में दायर करने हेतु तथ्य विवरणी तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है ।

2. इस प्रक्रिया में यह देखा जा रहा है कि याचियकाओं/अपील आवेदनों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में कण्डिकावार तथ्य कार्यालय द्वारा सही रूप में इन नव नियुक्त अधिवक्ताओं/व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं । परिणामस्वरूप या तो suppression of facts होता है, अथवा मौखिक रूप से कार्यालय द्वारा बताये गये गलत तथ्यों के आधार पर प्रतिनियुक्त अधिवक्ताओं/व्यक्तियों द्वारा तथ्य विवरणी तैयार कर भवदीय के अनुमोदनार्थ उपस्थापित कर दिया जाता है । अधोहस्ताक्ष्ज्ञरी के स्तर पर भी ऐसे suppressed facts अथवा गलत तथ्यों के संबंध में आशंका/जानकारी किये जाने का कोई साधन नहीं होता । यह स्थिति ठीक नहीं है तथा घातक भी है । साथ ही तथ्यों की प्रमाणिकता एवं प्रस्तुतीकरण के संबंध में विवाद की स्थिति में कार्यालय एवं अधिवक्ता/व्यक्ति के बीच दायित्व के निर्धारण में कठिनाई भी पैदा होगा ।

3. उपरोक्त प्रक्रिया को दोषरहित एवं प्रस्तुत किये जा रहे तथ्यों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने, प्रस्तुतीकरण को सुदृढ़ बनाने तथा इससे संबंधित समीक्षा को प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से निम्नांकित कार्रवाई की जा सकती है:-

(क) तथ्य विवरणी तैयार करते समय सम्पूर्ण मामले के संबंध में सर्वप्रथम मामले का एक संक्षिप्त इतिहास (Synopsis of the case) तैयार कर इनका उल्लेख कंडिकावार तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के पूर्व अवश्य किया जाय ।

(ख) प्रश्नागत याचिका/अपील आवेदन के संबंध में कार्यालय द्वारा याचिका/अपील आवेदन की प्रासंगिक कंडिका से संबंधित सभी तथ्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से सन्मुख पृष्ठ (अर्थात बांयी ओर के खाली पृष्ठ) पर ठीक सामने किया जाय । प्रस्तुत इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रत्येक कंडिका के संबंध में इनकी प्रमाणिकता एवं इनके सही होने की समीक्षा भी उत्तरोत्तर वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी कर ली जायेगी । समीक्षा पदाधिकारी प्रस्तुत तथ्यों की सार्थकता तथा उनके सही होने संबंधी आवश्यक समीक्षा करते हुए प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग में पदनाम के साथ अपना हस्ताक्षर भी अंकित कर देंगे । इस प्रकार कार्याल द्वारा तैयार तथ्यों तथा इनके आवश्यक समीक्षोपरान्त इनके आधार पर ही प्रतिनियुक्त अधिवक्ता/व्यक्ति तथ्य विवरणी का स्वरूप तैयार कर उस पर अपना तिथि सहित हस्ताक्षर अंकित करेंगे ।

4. इस प्रक्रिया के अपनाये जाने से यह आशा की जा सकती है कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाओं/अपील आवेदनों के विरूद्ध सही-सही एवं सृदृढ़िकृत रूप से तथ्य विवरणी तैयार किया जाना संभव हो सकेगा एवं समर्पित तथ्य विवरणी की समीक्षा उच्च स्तर पर सुगमता से की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(सुरेन्द्र कुमार सिन्हा)
विधि पदाधिकारी

पत्र संख्या-11/आ०2-आ०नी०-07/2008 का०-302

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

अतुल कुमार सिन्हा
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांक- 14.1.2010

विषयः- तदर्थ प्रोन्नति अथवा कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभार दिये जाने के क्रम में रोस्टर क्लियरेंस करने तथा संभावित रिक्तियों की गणना प्रत्येक वर्ष की 1 ली अप्रील की स्थिति के आधार पर करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि परिपत्र संख्या 9070 दिनांक 12.12.2008 के द्वारा तदर्थ प्रोन्नति अथवा कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभार दिए जाने के क्रम में कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं । इसमें यह अंकित किया गया थाः-

"कार्यकारी प्रभार तत्कालिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु की गयी व्यवस्था होती है, अतः इसे नियमित प्रोन्नति की कड़ी नहीं माना जा सकता तथा ऐसे मामलों में प्रभार दिये जाने की तिथि से प्रोन्नति का दावा मान्य नहीं होगा । इस प्रकार इसमें आरक्षण को प्रभावी बनाना आवश्यक नहीं, बशर्ते कि यह आंतरिक व्यवस्था के तहत अल्पावधि के लिये हो तथा जिससे वरीयता /योग्यता बाधित न हो।"

उपर्युक्त पत्र द्वारा अंकित प्रोन्नति के पद पर कार्यकारी प्रभार के संबंध में व्यवस्था करने का प्रावधान आपातकाली स्थिति से निपटने के लिए कार्यहित में दिया गया था । परन्तु विभिन्न ड्डोतों से इस निदेश की मूल भावना से विपरीत हो रही लंबी अवधि की कार्यकारी व्यवस्था एवं तदनुसार अवहेलनाओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है।

जैसा कि उक्त परिपत्र में भी अंकित है, वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 7020 दिनांक- 24.12.2005 की कंडिका-2 के अनुसार उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार देने के पूर्व प्रशासी विभाग की वरीयता-सह-योग्यता अथवा लागू संवर्गीय नियमावली के क्रम में निर्धारित अर्हता प्राप्त पदाधिकारियों की सूची बनाकर आरक्षण संबंधी राज्य सरकार की नीतियों का अनुपालन करते हुए ही उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करना है ।

इस संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या- 2374 दिनांक- 16.7.2007 के प्रावधानों को भी दृष्टिगत रखने की आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि संवर्ग समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील की तिथि के आधार पर रिक्तियों की गणना की जाय ।

वित्त विभाग के ऊपर वर्णित परिपत्र एवं इस विभाग के संकल्प के आलोक में अनुरोध है कि प्रत्येक वर्ष की 1 ली अप्रील को उस वर्ष में प्रत्याशित रिक्तियों के आधार पर सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त कर पूर्व से पैनल तैयार रखा जाए तथा उक्त पैनल के आधार पर ही आवश्यकतानुसार कार्यकारी प्रभार की कार्रवाई की जाए । यह ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि उपर्युक्त अनुसार यदि पैनल तैयार नहीं होता है तो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रोन्नति के पद पर कार्यकारी व्यवस्था करने में विभाग को कठिनाइयाँ होंगी ।

इस परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाए ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अतुल कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव

पत्र सं०-वि०27-विविध 1/06(खंड) 786 पें० को० दिनांक 11.06.2008
बिहार सरकार
वित्त विभाग
प्रेषक,

मदन मोहन देव,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव
सभी सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

विषयः- वित्त विभाग के संकल्प सं०-242 पें० को० दिनांक- 12.2.08 द्वारा भविष्य निधि से अस्थायी/स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति प्रत्योजित करने के संबंध में स्पष्टकरण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्त विभाग के परिपत्र सं०-वि०6-विविध-1/06 (खण्ड)-242 पें० को० दिनांक- 12.02.08 के संदर्भ में विभिन्न कार्यालयों से पृच्छा प्राप्त हुई है कि भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के लिए किस पदाधिकारी को "कार्यालय प्रधान" समझा जायेगा। इस प्रसंग में स्पष्ट करना है कि सचिवालय से बाहर कार्यरत राज्य कर्मी के मामलें में जिस कार्यालय से कर्मी के वेतन की निकासी होती है, उस कार्यालय के प्रधान उक्त परिपत्र के प्रयोजनार्थ "कार्यालय प्रधान" समझे जायेंगे । स्थायी (अप्रत्यर्पर्णीय) अग्रिम की स्वीकृति हेतु कार्यालय प्रधान से एक स्तर वरीय पदाधिकारी उक्त परिपत्र के प्रयोजनार्थ "नियंत्री पदाधिकारी" समझे जायेंगे ।

सचिवालय कार्यालयों के मामलें में सचिवालय कर्मी जिस विभागाध्यक्ष के अधीन कार्यरत हैं, वे विभागाध्यक्ष, इस परिपत्र के प्रसंग में "कार्यालय प्रधान" होंगे तथा विभागीय सचिव उनके नियंत्री पदाधिकारी होंगे । यदि विभाग में कोई पदाधिकारी विभागाध्यक्ष घोषित नहीं हो तथा कर्मी सीधे विभागीय सचिव के अधीन कार्यरत हो, तो विभागीय सचिव ही "कार्यालय प्रधान" समझे जायेंगे । ऐसी स्थिति में विभागीय सचिव अस्थायी एवं स्थायी अग्रिम दोनों ही स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे । सदस्य, राजस्व पर्षद, विकास आयुक्त तथा विभागीय सचिवों को अस्थायी एवं स्थायी अग्रिम की स्वीकृति मुख्य सचिव देंगे।

व्यवहार न्यायालयों के मामले में जहाँ उपर्युक्त निरूपित प्रक्रिया के अनुसार जिला न्यायाधीय से न्यून स्तर के पदाधिकारी अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करते हैं, वहाँ स्थायी अग्रिम की स्वीकृति जिला न्यायाधीश द्वारा दी जायेगी । जिन मामलों में अस्थायी अग्रिम जिला न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वहाँ स्थायी अग्रिम की स्वीकृति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दी जायेगी । जिला न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को अस्थायी एवं स्थायी अग्रिम दोनों की स्वीकृति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दी जायेगी ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मदन मोहन देव)

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-1/स्था० वि०-28-10/2008- 5005 / पटना, दिनांक- 08.07.2008

प्रतिलिपि- सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी निदेशक/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(कौशल किशोर मिश्र)

सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक- 25.03.2008

विषयः- सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरूद्ध निलम्बन/ अनुशासनिक/ आपराधिक कार्यवाही आदि के लम्बित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत ।

राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प संख्या 7457 दिनांक- 11.09.02 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवकों की प्रोन्नति के मामले में उक्त संकल्प विहित प्रक्रियानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ेगा और निम्नांकित कोटियों के समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रखा जायेगा-

(क) निलम्बित सरकारी सेवक

(ख) सरकारी सेवक जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप-पत्र निर्गत किया गया हो, और

(ग) सरकारी सेवक जिनपर किसी आपराधिक आरोप के लिए फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लम्बित हो । [आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लम्बित समझी जायेगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में अभियोगपत्र (चार्जशीट) समर्पित किया गया हो ।] बाद में संकल्प संख्या 9270 दिनांक- 17.12.03 के तहत लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-10 (1) (क) के तहत निर्गत नोटिस को भी उपर्युक्त कोटि में खंड (घ) के रूप में जोड़ा गया । इस क्रम में, संकल्प संख्या 7979 दिनांक- 06.11.03 के तहत यह निर्णय लिया गया कि लोकायुक्त कार्यालय से भी जनवरी एवं जुलाई माह में लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नोटिस और/अथवा अनुशंसाओं की अद्यतन सूचना प्राप्त कर विभाग में संधारित पंजी अद्यतन कर ली जायेगी ।

2. राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न भी विचाराधीन था कि लोकायुक्त की अनुशंसा जिसमें बहुधा दिया जानेवाला दण्ड भी उल्लेखित रहता है, के आलोक में किसी सरकारी सेवक को दण्डित करने के पूर्व विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता होती है या नहीं । इस पर विधि विभाग/महाधिवक्ता का परामर्श लिया गया । उनसे प्राप्त परामर्श के आलोक में संकल्प संख्या 3406 दिनांक- 08.10.07 के तहत यह निर्णय लिया गया है कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में पदमुक्त करने की सीधी कार्रवाई अधिनियम की धारा (2) (j) (iv) से आच्छादित लोक सेवकों के संबंध में ही की जा सकती है । सरकारी सेवकों के संदर्भ में लोकायुक्त की अनुशंसा के अनुसरण में लघु दण्ड देने की स्थिति हो या वृहद दण्ड देने की स्थिति, दोनों ही स्थितियों में, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। उल्लेखनीय है कि संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11.09.02 के आलोक में लघु दण्ड के लिए कार्रवाई को प्रोन्नति पर कुप्रभावी होने की श्रेणी में नहीं रखा गया है । अतः यदि लघु दण्ड के लिए लोकायुक्त की अनुशंसा होती है तो यह संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11.09.02 के दायरे में नहीं आता है । यदि वृहत दंड की अनुशंसा होती है तो विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया अपनानी होगी । चूँकि विभागीय कार्यवाही का प्रोन्नति पर कुप्रभाव एवं उसके कारण विभागीय प्रोन्नति समिति के उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष के मुहरबन्द लिफाफा में बन्द रखने का प्रावधान संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11.09.2002 में पूर्व से ही है, अतः लोकायुक्त अधिनियम के तहत निर्गत नोटिस, जो लोकायुक्त द्वारा जाँच का प्रारंभिक स्टेज है, का प्रोन्नति पर कुप्रभाव पड़ने एवं उसके कारण विभागीय प्रोन्नति समिति के उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष के मुहरबंद लिफाफे में बन्द रखने के प्रावधान के रहने से विरोधाभास की स्थिति हो गयी है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-10(1)(क) के तहत निर्गत नोटिस की स्थिति का प्रोन्नति पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और उसके कारण विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबन्द लिफाफा में नहीं रखा जायेगा । साथ ही, उपर्युक्त आलोक में, लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत नोटिस और/अथवा अनुशंसाओं की अद्यतन सूचना लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर विभाग में संधारित

पंजी को अद्यतन करते रहने की भी आवश्यकता नहीं है । तदनुसार इस विभाग का संकल्प सं० 7979 दिनांक 06.11.2003 तुरंत के प्रभाव से, उपर्युक्त हद तक संशोधित समझा जाएगा और संकल्प सं०- 9270 दिनांक- 17.12.2003 तुरंत के प्रभाव से पूर्णतः विलोपित समझा जायेगा ।

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प तुरंत लागू होगा । इसे बिहार राजपत्र के** असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/लोकायुक्त कार्यालय/बिहार लोक सेवा आयोग/महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिपार्ड, वाल्मी काॅम्पलेक्स, पटना/राज्य अभिलेखागार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
आर.जे.एम.पिल्लै
मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/एम 1-49 / 2001 का०-1607 पटना-15, दिनांक 25.03.2008

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 सौ मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध करायें।

ह०/-
आर.जे.एम.पिल्लै
मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/एम 1-49 / 2001 का०-1607 पटना-15, दिनांक 25.03.2008

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/ लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिपार्ड, वाल्मी काॅम्पलेक्स, पटना/राज्य अभिलेखागार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
आर.जे.एम.पिल्लै
मुख्य सचिव

पत्र संख्या-11/आ०2-आ०नी०-08 / 2007 का - 745 /

बिहार सरकार

<u>कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग</u>

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,

जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग,

बिहार, पटना ।

पटना-15 दिनांक-5 फरवरी 2008

विषयः- 85वाँ संविधान संशोधन के आलोक में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति की परिणामी वरीयता की तिथि का निर्धारण एवं प्रोन्नति में वरीयता का लाभ देने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि 85वाँ, संविधान संशोधन के आलोक में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के सरकारी सेवकों के वरीयता निर्धारण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा संकल्प संख्या 213 दिनांक 07.06.2002 निर्गत किया गया है, किन्तु अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, कर्मचारी एसोसिएशन महासंघ, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय, बिहार एवं झारखण्ड, पटना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, कर्मचारी संघ, बिहार द्वारा बार-बार यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि 85वाँ संविधान संशोधन के आलोक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मियों की परिणामी वरीयता की तिथि का निर्धारण एवं प्रोन्नति में उक्त वर्गो को वरीयता का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है ।

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत उक्त संकल्प संख्या 213 दिनांक 07.06.2002 की कंडिका-3 (1) (ख) जिसमें "उक्त निर्णय 17 जून, 1995 से लागू होगा", पर कतिपय कार्य विभागों का मतैक्य नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई है । इस विषय को पुनः स्पष्ट करते हुए कहना है कि भारत संघ बनाम वीर पाल सिंह चैहान आदि के मामले में दिनांक 10.10.95 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश से जो आरक्षण नीति प्रभाावित हुई थी, उसके निदान के लिए केन्द्र सरकार ने आदेश पारित होने के पूर्व अर्थात् 17.06.95 से ही 85वाँ संविधान संशोधन कर आरक्षण रोस्टर के आधार पर प्रोन्नति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सरकारी सेवकों की वरीयता निर्धारण के लिए उसके पूर्व की आरक्षण प्रणाली को लगातार कायम रखा है अर्थात किसी पद विशेष पर प्रोन्नति के फलस्वरूप 17.06.95 के पूर्व जिन कर्मियों की जो वरीयता थी, वह अक्षुण्ण रहेगी और तद्नुसार अगले पदों पर प्रोन्नति दी जाएगी तथा वरीयता में आने पर प्रोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की गणना गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी । विभागीय परिपत्र संख्या- 4611 दिनांक-11.03.1972 द्वारा भी प्रावधान किया जा चुका है कि "प्रोन्नत पदाधिकारियों की वरीयता वही रहेगी जो प्रोन्नति के पहले पूर्व पद पर थी" ।

अतः अनुरोध है कि 85वाँ संविधान संशोधन के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या- 213 दिनांक 07.06.02 एवं उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में वरीयता निर्धारण की अपेक्षित कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक- 31 दिसम्बर, 2007

विषयः- राज्य सरकार के कार्यालयों में पाँच-दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली और कार्यालय अवधि में परिवर्तन की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या- 3450 दिनांक - 02.12.2006 के द्वारा दिनांक- 01.01.2007 से राज्य सरकार के कार्यालयों में पाँच- दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली प्रभावी की गई थी । इसकी समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला है कि यह प्रणाली सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिए तो ठीक है, किन्तु क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ठीक नहीं है, वहाँ दो दिनों के साप्ताहिक अवकाश के कारण जनता को असुविधा हो रही है ।

2. अतः सम्यकरुपेण विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि-

(1) दिनांक 01.01.2008 के प्रभाव से क्षेत्रीय कार्यालयों (प्रमण्डलीय आयुक्तों के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि सहित) में 6 दिवसीय कार्य सप्ताह वाली पूर्व की प्रणाली पुनः लागू होगी।

(2) महाधिवक्ता के कार्यालय की कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्यालय में भी महाधिवक्ता की सहमति से 6 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू रहेगी ।

(3) 6 दिवसीय कार्य प्रणाली में कार्यावधि 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक (नवम्बर से फरवरी तक 10ः30 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक) रहेगी तथा मध्याह्न भोजन का समय 1.30 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक रहेगा ।

(4) 6 दिवसीय कार्य प्रणाली जिन कार्यालयों मे पुनः लागू होगी वहाँ वर्ष भर में कुल 16 आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होंगे ।

(5) सचिवालय विभागों एवं निदेशालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पूर्ववत् लागू रहेगी।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि जन साधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 3/एम०-09/2006 का- 4754 / पटना-15, दिनांक- 31 दिसम्बर, 2007

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालया, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

ह०/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 3/एम-09/2006 का - 4754 / पटना- 15, दिनांक- 31 दिसम्बर

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/ सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना, महानिदेशक, विपार्ड, वाल्मी कैम्पस, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ राज्य अभिलेखागार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय पटना/महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली/सभी राज्यों के मुख्य सचिव/सभी केन्द्र शासित प्रदेशें के मुख्य सचिव/मुख्य आयकर आयुक्त/केन्द्रीय उत्पाद बिहार, पटना/सभी बैंकों के पटना स्थित कार्यालय के महाप्रबंधक/भारतीय रिजर्व बैंक, पटना/ महाप्रबंधक, नाबार्ड, पटना/भारतीय जीवन बीमा निगम, पटना/जेनरल इंश्योरेंस कंपनी, पटना/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/स्टेशन प्रबंधक, रेलवे जंकशन, पटना/भारत मौसम विज्ञान विभाग, खगोल विज्ञान केन्द्र, सी-540, ब्लाक-एन, न्यू अलीपुर, कोलकाता-700053 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 1/स्था०वि०28-10-2008- 788/पटना, दिनांक-31.01.08

प्रतिलिपि-सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना (मुख्यालय) के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(कौशल किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पत्रांक ..... / वि० (अ०)

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

पटना, दिनांक- 13.12.08

विषयः- संकल्प सं० 1557 दिनांक 25.10.2006 की कंडिका- 2(ii) में आंशिक संशोधन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 1557 दिनांक- 25.10.2006 की कंडिका-2(ii) को निम्नलिखित संशोधित किया जाता हैः-

राज्य सरकार के सेवा वर्गो को सभी प्रकार के ऋण की स्वीकृति के समय ही स्वीकृत ऋण की राशि पर ब्याज की गणना करते हुए ब्याज की किश्तें भी निर्धारित कर दी जाय । मूलधन की वसूली पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित ब्याज के किश्तों की वसूली अगले माह से प्रारंभ हो जायेगा । ब्याज का भुगतान का प्रारंभ होने के बाद ब्याज की वास्तविक देय राशि की गणना करते हुए ब्याज के किश्तों का निर्धारण अंतिम रूप से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा ।

उक्त संकल्प की अन्य कंडिकायें यथावत रहेंगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अवधनीश चावला)

(विशेष सचिव-सह-अपर वित्त आयुक्त(सं०)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 1/स्था०वि०-28-10/2008- 787 / पटना, दिनांक- 31.01.08

प्रतिलिपि- अवर सचिव (लेखा)/लेखापाल, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(कौशल किशोर मिश्र)

सरकार के अवर सचिव

पत्र संख्या-3 एम-076/2005का- 4467/

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

सरकार के सभी विभाग

पटना-15, दिनांक- 17.12.2007

विषयः- संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि इस विभाग के संकल्प संख्या- 2401 दिनांक- 18.07.07 के तहत संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत का निरुपण किया जा चुका है । सरकार की स्थापना में कई ऐसे पद है जो केवल संविदा नियुक्ति के लिए ही उपयुक्त हैं । ऐसे पदों को चिह्नित कर उन पर संविदा नियुक्ति का प्रावधान किये जाने पर विचार किया जा सकता है । तकनीकी/कार्य विभाग के कतिपय पदों यथा चीफ कसंल्टेंट, कंसल्टेंट, डिप्टी कंसल्टेंट तथा इनके जैसे कई अन्य पदों पर नियमित नियुक्ति से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऐसे पदों के धारक कुछ वर्षो तक काम करने के बाद अन्यत्र अधिक वेतन का आॅफर प्राप्त होने पर पद त्याग कर चले जायेंगे । ऐसी स्थिति में ऐसे पदों पर पुनः नियुक्ति करनी होगी । अतः ऐसे पदों पर केवल संविदा नियुक्ति का प्रावधान किया जाना कार्यहित में होगा । दूसरी ओर परियोजना विशेष के लिए भी पदों की आवश्यकता सीमित समय के लिए ही होती है । ऐसे पद भी संविदा नियुक्ति के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं और परियोजना का काम समाप्त होने पर पद समाप्त किये जा सकते हैं ।

2. अतः अनुरोध है कि ऐसी प्रकृति के पदों को चिह्नित किया जाय । ऐसे चिह्नित पद केवल संविदा नियुक्ति के लिए सुरक्षित रहेंगे और इन पर कभी भी नियमित नियुक्ति नहीं होगी । पद चिह्नित कर उन्हें संविदा नियुक्ति के लिए कर्णांकित करने के क्रम में भत्र्ती की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु उपर्युक्त संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.07 के आलोक में, नियमावली का प्रारूप तैयार कर प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के लिए भेजा जा सकता है । नियमावली का प्रारुपण के क्रम में उपर्युक्त संकल्प के प्रावधानों से भी भिन्न 5 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव और पारिश्रमिक में प्रतिवर्ष निश्चित प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया जा सकता है । इस प्रकार से संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को अस्थायी/स्थायी नियुक्ति वाले पदों के विज्ञापन के क्रम में अन्य अभ्यर्थियों के साथ आवेदन कर सकने का अवसर दिये जाने का उल्लेख भी नियमावली में रह सकता है ।

3. कृपया उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-1/वि० 137/2006- 160 / पटना, दिनांक- 7.1.08

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या- 3/सी-148/07 का - 4265

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक- 4.12.2007

विषयः- सेवाकाल में लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के ज्ञापांक- 281 दिनांक- 01.02.06 के क्रम में कहना है कि सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या- 13282/2005 (नूर आलम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) एवं उसके साथ पाँच अन्य याचिकाओं में दिनांक- 24.08.07 को समेकित आदेश पारित किया गया है जिसमें लापता सरकारी सेवकों के याचिकाकर्ता आश्रितों के पक्ष में निर्णय दिया गया है । इस संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त न्यायादेश सामान्य आदेश नहीं है बल्कि याचिकाकर्ताओं के संबंध में दिया गया है । अतः इस विभाग के ज्ञापांक- 281 दिनांक- 01.02.2006 में निहित अनुदेश पर उक्त न्यायादेश का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, फलस्वरूप यह लागू रहेगा ।

इस विभाग के पत्रांक- 7586 दिनांक- 16.08.97 तथा पत्रांक- 9739 दिनांक- 26.11.97 और लापता सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित ज्ञापांक-281 दिनांक- 01.02.2006 से पूर्व का अन्य कोई परिपत्र/अनुदेश, तुरंत के प्रभाव से विलोपित समझे जायेंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-1/वि० 137/2006- 159 / पटना, दिनांक- 7.1.08

प्रतिलिपि- सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(कौशल किशोर मिश्र)

सरकार के अवर सचिव

पत्र संख्या- पी०सी०-224/02/-7744/वि०- 71

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक- 22.11.07

प्रेषक,

आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी,

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

सेवा में,

सभी विभाग,

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी आरक्षी अधीक्षक

विषयः- सेवा निवृत्त होनेवाले कर्मियों को अव्यवहृत अवकाश के बदले छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद राशि के भुगतान हेतु परिलब्धियों की गणना के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं० 8075 दिनांक- 16.08.78 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन सेवा निवृत्ति की तिथि को देय अव्यवहृत अवकाश के बदले नगद राशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया था तथा समय-समय पर इस प्रसंग में निर्गत पत्रों द्वारा देय अवकाश की सीमा एवं शर्तों मे संशोधन किया जाता रहा है । वित्त

विभागीय परिपत्रांक 1829 दिनांक 07.04.05 द्वारा सेवा निवृत्ति की तिथि को अधिकतम देय उपार्जित अवकाश की सीमा 300 दिनों तक सीमित की गई है ।

2. वित्त विभागीय परिपत्र सं०- 8075 दिनांक- 16.08.78 की कंडिका 3(ग) द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले भुगतेय नकद राशि की गणना में अवकाश वेतन एवं उस पर सेवा निवृत्ति की तिथि को अनुमान्य मंहगाई भत्ता की राशि शामिल की जाएगी तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान भाड़ा भत्ता आदि इसमें शामिल नहीं किया जायेगा ।

3. कतिपय विभागों द्वारा यह पृच्छा की गई है कि अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि की गणना में ह्रास मान वैयक्तिक वेतन की राशि को शामिल किया जाएगा या नहीं ।

उपर्युक्त विषय पर पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वेतन की गणना के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम 34 द्वारा यथा परिभाषित वेतन के अंतर्गत ह्रास मान वैवक्तिक वेतन भी शामिल है । अतः अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले भुगतेय नकद राशि की गणना में मूल वेतन के अतिरिक्त ह्रास मान वैयक्तिक वेतन भी शामिल किया जाएगा किन्तु महंगाई भत्ता की राशि मूल वेतन पर ही परिकलित की जाएगी ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

ज्ञापांक-1/वि० 137/2006- 5403 / पटना, दिनांक- 13.12.07

प्रतिलिपि- सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी निदेशक/सभी मुख्य अभियंता/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(कौशल किशोर मिश्र)

सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार

वित्त विभाग

<u>संकल्प</u>

पटना, दिनांक-.....

विषयः- राज्य सरकार के सेवी वर्ग को स्वीकृत किय जाने वाले मोटरकार अग्रिम की राशि की अधिसीमा में अभिवृद्धि तथा कम्प्यूटर अग्रिम की पात्रता सीमा में संशोधन ।

राज्य सरकार के सवी वर्ग को मोटरकार अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु वित्त विभाग के संकल्प सं०- 290 वि०(अ०) दिनांक 22.01.2002, संकल्प सं०- 809 वि०(अ०) दिनांक 22.05.2006 तथा संकल्प सं०- 849 वि०(अ०) दिनांक 06.06.2007 द्वारा प्रावधान किया गया है । वर्तमान में बाजार में उपलब्ध मोटर वाहनों की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के

सभी सेवी वर्ग को मोटरकार अग्रिम की अधिसीमा बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर तथा संकल्प संख्या-1624 वि०(अ०) दिनांक 29.08.2002 में प्रावधानित कम्प्यूटर अग्रिम हेतु निर्धारित पात्रता की सीमा में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त निर्गत संकल्पों में निम्नरूपेण संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(क) मोटर कार अग्रिम-

(i) वित्त विभाग के संकल्प सं०- 849 दिनांक 06.06.2007 की कंडिका-क में वर्णित प्रथम अग्रिम की अधिकतम सीमा 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये के स्थान पर 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये तथा संकल्प संख्या- 290 दिनांक 22.01.2002 की कंडिका 2(ख) में वर्णित द्वितीय (अनुवर्ती) अग्रिम 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) रुपये के स्थान पर 4,00,000/- (चार लाख) रुपये प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(ii) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-809 दिनांक 22.05.2006 के कंडिका-(ख) में वर्णित प्रथम अग्रिम एवं द्वितीय अग्रिम के लिए आठ माह का मूल वेतन एवं महंगाई वेतन के स्थान पर "20 माह के मूलवेतन एवं मंहगाई वेतन दोनों मिलाकर" प्रतिस्थापित किया जाता है । उक्त संकल्पों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी ।

(ख) कम्प्यूटर अग्रिमः

(i) वित्त विभाग के संकल्प सं०- 1624 दिनांक 29.08.2002 के कंडिका-2(क) में वर्णित 10,500/- रुपये तथा इससे अधिक मूल वेतन के स्थान पर 3050/- रुपये तथा इससे अधिक मूलवेतन वाले सरकारी सेवकों को कम्प्यूटर अग्रिम प्राप्त करने हेतु योग्य पात्र घोषित किया जाता है।

(ii) इसी संकल्प की कंडिका-4 में वर्णित अग्रिम पर 12.5 प्रतिशत साधारण ब्याज के स्थान पर 8 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिस्थापित किया जाता है । उक्त संकल्प की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

(ग) उल्लिखित अग्रिम संबंधी सुविधाएं एवं प्रावधान आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होंगी ।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अरूनीश चावला)

विशेष सचिव-सह-अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)

ज्ञापांक- प्र०10 ए०/अग्रिम (वि०)-01/2007 / वि० (अ०) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(अरूनीश चावला)

विशेष सचिव-सह-अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)

ज्ञापांक- प्र०10 ए०/अग्रिम (वि०)-01/2007 / वि० (अ०) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(अरूनीश चावला)
विशेष सचिव-सह-अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)

ज्ञापांक- प्र०10 ए०/अग्रिम (वि०)-01/2007 / 1497 / वि० (अ०) पटना, दिनांक- 15.11.2007

प्रतिलिपि- सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/राज्यपाल के सचिव/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद्, पटना/सभी समाहर्ता / सभी आरक्षी अधीक्षक/उप सचिव, वित्त विभाग (स्थापना) तथा वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(अरूनीश चावला)
विशेष सचिव-सह-अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

ज्ञापांक-1/वि० 137/2006- 156 / पटना, दिनांक- 7.1.08

प्रतिलिपि- अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक एवं सभी तृतीय वर्ग कर्मचारियों जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(कौशल किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

संख्या- 1/पी०एम०सी०/विविध/536/2001- 925

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री एस०के० निजामी
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

निदेशक (मुख्य अभियन्ता)
जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारीशरीफ
पटना- 801505

पटना, दिनांक- 05.11.2007

विषयः जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना में वाह्य सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप अनुमान्य सुविधायें प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक-952 दिनांक- 03.08.2001

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या- 2251 दिनांक 22.07.99 द्वारा दिनांक- 1.9.99 के प्रभाव से जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, पटना (वाल्मी) (Water and Land Management Institute, WALMI) जल संसाधन विभाग के संरक्षण में पूर्ण स्वशासी निकाय है ।

2. प्रासंगिक पत्र द्वारा वाल्मी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति से संबंधित विभिन्न सेवा शर्तों को संसूचित किया गया है । परन्तु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इसे "Center of excellence" के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है । वर्तमान में वाल्मी में प्रशिक्षण के अलावे विस्तृत योजना प्रतिवेदन / योजनाओं का मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा गुण नियंत्रण एवं शोध कार्य को भी संलग्न किया गया है ।

3. वाल्मी की कार्य प्रकृति जल संसाधन विभाग के सामान्य कार्य प्रकृति से भिन्न तथा विशेषज्ञता आधारित है । इस संस्थान में योग्य एवं अनुभवी कार्यबल को आकर्षित करने तथा उनमें कार्य दक्षता को प्रेरित करने हेतु वाल्मी शासी पर्षद की 22 वीं आम बैठक में विभागीय पत्रांक 952 दिनांक- 03.08.2001 द्वारा वाल्मी में प्रतिनियुक्ति कर्मियों के लिए निर्गत सेवा शर्त की कंडिका-3 को विलोपित करते हुए निम्नरूपेण प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया हैः-

(क) संकाय सदस्यों को छोड़कर अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति अवधि में उनके वेतन (मूल वेतन + महंगाई वेतन) का 5 प्रतिशत अधिकतम रुपये 500.00 (पाँच सौ) की दर से मासिक प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा ।

(ख) वाल्मी में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों / कर्मचारियों को वाल्मी परिसर में अवस्थित देय श्रेणी के आवासीय भवनों में आवंटन के अनुसार रहना अनिवार्य होगा । भवन अनुपलब्ध रहने के कारण जिन्हें आवास नहीं मिल पायेगा उन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य आवास किराया भत्ता तथा वाहन भत्ता देय होगा।

(ग) वाल्मी में प्रतिनियुक्त / पदस्थापित संकाय सदस्यों को वाल्मी द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में उनके द्वारा दिऐ गए व्याख्यान हेतु रु० 400.00 (समय-समय पर वाह्य साधन पुरूष के लिए निर्धारित मानेदय दर से एक सौ रुपये कम, वर्तमान में 500.00-100.00 रुपये = रुपये 400.00 प्रतिघंटा की दर से प्रशिक्षण भत्ता देय होगा । व्यक्ति विशेष के लिए प्रतिमाह प्रशिक्षण भत्ता की अधिकतम राशि उनके वेतन (मूल वेतन + महंगाई वेतन) का 20 प्रतिशत होगा, परन्तु एक वित्तीय वर्ष में संस्थान के स्तर पर प्रशिक्षण भत्ता की कुल देय राशि कार्यरत संकाय बल के वेतन (मूल वेतन + महंगाई वेतन) के 15 प्रतिशत तक ही सीमित होगी ।

(घ) वर्ष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों को वाल्मी शासी पषर्द द्वारा मूल्यांकन के आधार पर एक मुस्त वित्तीय पारितोषिक दिया जायेगा ।

4. विभागीय पत्रांक 952 दि० 03.08.01 द्वारा निर्गत अन्य सभी सेवा शर्त (कंडिका-3 को छोड़कर) यथावत् रहेंगे।

इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एस० के० निजामी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या- 925 पटना, दिनांक- 05.11.2007

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन, सिंचाई भवन, पटना / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, सिंचाई भवन, पटना/ अभियंता प्रमुख, उत्तर/मध्य, जल संसाधन विभाग, बिहार, सिंचाई भवन, पटना/सभी माननीय सदस्य, शासी पर्षद, वाल्मी, पटना/सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/जल संसाधन विभाग, पटना/सभी विभागाध्यक्ष, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सिंचाई भवन (मुख्यालय) स्थित सभी पदाधिकारीगण/प्रशाखा पदाधिकारी-5, सिंचाई भवन, पटना/सभी उप सचिव/अवर सचिव, प्रबंधन कोषांग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित ।

ह०/-

(एस० के० निजामी)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्र संख्या-सी०आर०को०-118/07 का०- 10570

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,

सरकार के सचिव

सेवा में

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक- 24.10.2007

विषयः सरकारी सेवकों के प्रोन्नतियों पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का अवलोकन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 22576 का० दिनांक- 27.11.76 तथा पत्रांक- 23757 का० दिनांक- 16.12.76 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त संकल्प/परिपत्र के तहत विभागीय प्रोन्नति समितियों की कार्य प्रणाली निर्धारित है । परन्तु उसमें यह उल्लेख नहीं है कि प्रोन्नति की देय तिथि/वर्ष से पूर्व के कितने वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अवलोकन विभागीय प्रोन्नति समितियों के लिए आवश्यक होगा । ऐसी स्थिति में एक कोटि/पद से दूसरी कोटि/पद पर प्रोन्नति हेतु विचार के लिए सामान्यतया प्रोन्नति की देय तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्रियों का अवलोकन विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा किया जाता है ।

2. प्रायः यह देखा गया है कि प्रोन्नति के लिए जो प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं उनमें विचार-क्षेत्र में सम्मिलित सरकारी सेवकों में से कतिपय सरकारी सेवकों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ अप्राप्त या अपूर्ण रहती है । प्रोन्नति की देय तिथि/वर्ष से विगत पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्रियाँ संधारित नहीं रहने पर सामान्यतः प्रोन्नति का मामला लंबित रखा जाता है । पिछले पाँच वर्षों की लगातार गोपनीय चारित्रियों के अभाव में प्रोन्नति बाधित हो जाने के लिए संबंधित सरकारी सेवक का कोई दोष नहीं होता है। यह भी देखा गया है कि किसी पदाधिकारी की पिछले पाँच वर्षों से पहले की गोपनीय अभ्युक्तियाँ अच्छी/उत्कृष्ट रहती हैं, परन्तु उन पर विचार नहीं किया जाता है और फलस्वरूप वैसी अच्छी/उत्कृष्ट गोपनीय अभ्युक्तियाँ रहते हुए भी उनकी प्रोन्नति प्रभावित हो जाती है । संबंधित सरकारी सेवक का इस संबंध में कोई दोष नहीं रहने के बावजूद इस तरह प्रोन्नति बाधित हो जाने से ऐसे सरकारी सेवक की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है । इस कारण न्यायालय में अनावश्यक वाद भी दायर होते हैं ।

3. वर्णित स्थिति में सम्यक् रूपेण विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि / वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में से मात्र तीन वर्षों की ही गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध हों तो उक्त पाँच वर्षों से भी पूर्व के संलग्न वर्षों की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से दो वर्षों की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर उनके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाए। कृपया तदनुसार प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समितियों के विचारार्थ रखा जाना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

आमिर सुबहानी

पत्रांक-3/एम०-033/07 का० - 3259

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,

सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक- 26 सितम्बर, 2007

विषयः सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरूद्ध निलंबन/अनुशासनिक/ आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त- विभागीय प्रोन्नति समिति का निष्कर्ष मुहरबंध लिफाफे में रखे जाने पर एतद् संबंधी रिक्ति को भरने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०-3/एम 1-49/2001-7457, दिनांक-11.09.2002 तथा 9270, दिनांक-17.12.2003 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि संकल्प सं०-7457, दिनांक-11.09.2002 की कंडिका-2 की उप कंडिका- (iii) में प्रावधान है कि जब किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा गया हो, तो एतद् संबंधी रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर भरा जा सकता है। राज्य सरकार के ध्यान इस में तथ्य को लाया गया है कि उक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जाता है, बल्कि पद सुरक्षित रख दिया जाता है । पद सुरक्षित रख देने से रिक्ति अवरूद्ध हो जाती है । ऐसी कार्रवाई उक्त संकल्प के प्रावधानों का उल्लंघन भी है ।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प की कंडिका-2 की उप कंडिका- (iii) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और जब किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति-समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा जाय तो एतद् संबंधी रिक्ति को सव्यवहार में कनीय सरकारी सेवक की स्थानापन्न प्रोन्नति से भरे जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जायें ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 1/वि०-137/06- 5116 दिनांक- 20.11.207

प्रतिलिपि- सभी संयुक्त सचिव/सभी सचिव/सभी अवर सचिव/सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक- 19.6.07

विषयः राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गो/पदों आदि में प्रोन्नति के लिए वेतनमान आधारित कालावधि व्यवस्था का अंगीकरण-कालावधि की गणना के संबंध में ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-280, दिनांक-5.7.2002 के अन्तर्गत राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गो/पदों में वेतनमान आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है । किन्तु कतिपय विभागों/कार्यालयों द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उपर्युक्त संकल्प में निर्धारित कालावधि के अनुसार प्रोन्नति पर विचार करते समय संबंधित पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि पूरी नहीं करने के कारण अधिकतर पद रिक्त रह जाते हैं और रिक्तियों के कारण कार्य सम्पादन में कठिनाई होती है । उपर्युक्त कठिनाईयों का निराकरण आवश्यक समझा गया है, ताकि रिक्तियों को समय पर भरा जा सके और फलस्वरूप विभागों/कार्यालयों का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित होता रहे ।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि संकल्प सं०-280, दिनांक-5.7.2002 के तहत निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना संभव नहीं हो पाता हो वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/वेतनमानों की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है । दृष्टान्तस्वरूप वेतनमान रु० 10,000-15,200/- से 12,000-16,500/- के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष निर्धारित है और 12,000-16,500/- के वेतनमान से 14,300-18,300 में प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है । यदि 12,000-16,500/- के वेतनमान से 14,300-18,300/- के वेतनमान् में प्रोन्नति विचारणीय हो तो 12,000-16,500/- के वेतनमान् में न्यूनतम । वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न वेतनमान (10,000-15,200/-) की कार्यावधि और धारित वेतनमान् (12,000-16,500/-) की कार्यावधि की जोड़कर कुल 10 वर्ष की कालावधि पूरा होने पर प्रोन्नति दी जा सकती है ।

3. पूर्व में निर्गत संकल्प सं०-280, दिनांक- 5.7.2002 को तुरंत के प्रभाव से, इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

सं०- 5/डी०- 4-10-01/2007- 1002 पटना, दिनांक- 07.06.07

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता मोनिटरिंग एवं योजना संगठन का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि योजनाओं का अनुश्रवण प्रभावी रूपसे किया जा सके परन्तु, समय के साथ-साथ उपरोक्त संगठन के द्वारा अनुश्रवण के साथ-साथ निविदा, विधान मंडल प्रश्न, परिवाद-पत्र आदि से भी संबंधित विविध कार्य किये जा रहे हैं परिणामस्वरूप अनुश्रवण की व्यवस्था कमजोर हो गई है जिसके कारण परियोजनाओं को सही दिशा नहीं मिल पा रही है। अतएव अनुश्रवण के कार्य को प्रभावी करने के लिए निम्न व्यवस्था अधिसूचित की जाती हैः-

1. मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग संगठन से योजना एवं अनुश्रवण कार्य के अतिरिक्त विविध कार्य यथा निविदा, विधान मंडल प्रश्न, परिवाद आदि के निस्तार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाय ।

2. योजना एवं मोनिटरिंग के पदाधिकारी समय-समय पर मुख्य अभियंता कार्यालयों में जाकर तथा क्षेत्रीय भ्रमण कर कार्यों का तकनीकी मूल्यांकण करें तथा समस्याओं का समाधान करें ।

3. योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3 का बिहार पुर्नगठन के बाद कोई उपयोग नहीं रह गया है । अतएव योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-4 अब योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3 के रूप में जाना जायेगा ।

4. सिंचाई संबंधी कार्यों के प्रभावी रूप से अनुश्रवण हेतु निदेशक, सिंचाई उपलब्धि सुधार निदेशालय, पटना को अपने दोनों अधीनस्थ प्रमंडलों के साथ मुख्य अभियन्ता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन के तकनीकी एवं प्ररशासनिक नियंत्रण से हटाकर अधीक्षण अभियंता, सिंचाई मोनिटरिंग अंचल के रूप में मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग के तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानान्तरित किया जाता है ।

5. योजनाओं के अन्वेषण एवं सूत्रण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक, योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन, पटना को अपने दोनों अधीनस्थ प्रमंडलों सहित मुख्य अभियंता, योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल पटना के नाम से मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना के तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानान्तरित किया जाता है ।

6. योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-5 को आवंटित कार्य यथा नदियों को जोड़ने तथा अन्तराष्ट्रीय मामले अब योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1 द्वारा सम्पादित किये जायेंगे । अतएव कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-19 को प्रमण्डल-2 के नाम से योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1 में स्थानान्तरित किया जाता है । शेष दो कार्यपालक अभियंता यथा प्रमण्डल-18 एवं प्रमण्डल-20, योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल के अधीन रहेंगे ।

7. योजना मोनिटरिंग अंचल-4 एवं 5 को अगले आदेश तक सुसुप्तावस्था में रखा जाता है ।

8. इस संबंध में अगले आदेश तक वर्तमान बजटीय प्रावधानों के अधीन वेतन कार्यालय, वाहन व्यय आदि के भुगतान की प्रक्रिया यथावत् रहेगी ।

9. यह आदेश दिनांक- 01.07.2007 से प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(एस० के० निजामी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-5/डी० 4-10-01/2007 - 1002 पटना, दिनांक- 7.06.07

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना- 07 को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाती है ।

ह०/-
(एस० के० निजामी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-5/डी० 4-10-01/2007 - 1002 पटना, दिनांक- 7.06.07

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(एस० के० निजामी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-5/डी० 4-10-01/2007 - 1002 पटना, दिनांक- 7.06.07

प्रतिलिपि- मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना / सचिव, लघु जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर वित्त आयुक्त (व्यय), बिहार, पटना/अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोकायुक्त के आप्त सचिव-4 कौटिल्य मार्ग, पटना/आयुक्त, मंत्रीमंडल निगरानी विभाग/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी क्षेत्रीय विकास आयुक्त/वित्तीय परामर्शी-सह-लेखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/निदेशका, मुख्य अभियंता, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना/संयुक्त सचिव(प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, बिहार/झारखण्ड/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग (प्रबंधन कोषांग सहित)/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ बजट पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सांख्यिकी पदाधिकारी/सहायक आय व्यय पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कार्यालय, जल संसाधन विभाग,

बिहार, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/ अध्यक्ष, बिहार राज्य निर्माण निगम, पटना/सोन कमाण्ड विकास अभिकरण, पटना/गंडक क्षेत्र विकास अभिकरण मुजफ्फरपुर/कोशी क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा/चन्दन बदुआ किउल विकास अभिकरण, भागलपुर/निदेशक, कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना/निदेशक, भूअर्जन, एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-5 (दस अतिरिक्त प्रति) जल संसाधन विभाग/कम्प्यूटर कोषंाग, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(एस० के० निजामी)
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
<u>अधिसूचना</u>

सं०- 5/डी० 4-10-01/2007 - 1003 पटना, दिनांक- 7.06.07

जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), खगौल, पटना को सर्वेक्षण अनुसंधान, परियोजना सूत्रण, गुण नियंत्रण आदि महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि वाल्मी के संसाधनों को सुदृढ़ किया जाय। इसके अन्तर्गत मानव संसाधन के दृष्टिकोण से जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत निम्न कार्यालयों का तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्रण निम्नवत् वाल्मी को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया हैः-

क्र.	वर्तमान कार्यालय का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान के तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्री प्राधिकार	अधिसूचित होने के बाद कार्यालय का नाम एवं मुख्यालय	तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्री प्राधिकार
1	निदेशक, सामाजिक, आर्थिक पर्यावरण अध्ययन, पटना	मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	संयुक्त निदेशक, (अधीक्षण अभियंता) डी०पी०आर० कोषांग	निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी
2	अधीक्षण अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण अन्वेषण, पटना	मुख्य अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण	संयुक्त निदेशक (अधीक्षण अभियंता) शोध एवं गुणवत्ता निर्धारण	प्रबंधन निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी

3	निदेशक, जल विज्ञान निदेशालय, पटना	मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	संयुक्त निदेशक, (अधीक्षण अभियंता) परियोजना मूल्यांकण कोषांग	निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी
4	उप-निदेशक-1, सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरण अध्ययन	निदेशक, सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरण अध्ययन, पटना/मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	उप-निदेशक-1, डी०पी०आर० कोषांग, वाल्मी	संयुक्त निदेशक, डी०पी०आर० कोषांग/निदेशक, वाल्मी
5	उप-निदेशक-2, सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरण अध्ययन	-वही-	उप-निदेशक-2, डी०पी०आर० कोषांग, वाल्मी	-वही-
6	उप-निदेशक-1, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	निदेशक, जल विज्ञान, पटना/मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना	उप-निदेशक-1, शोध एवं गुणवत्ता प्रबंधन	संयुक्त निदेशक, शोध एवं गुणवत्ता निर्धारण प्रबंधन, वाल्मी
7	उप-निदेशक (कार्यपालक अभियंता) शोध प्रमंडल-1, शोध एवं प्रशिक्षण, खगौल	अपर निदेशक (अधीक्षण अभियंता) शोध एवं प्रशिक्षण/मुख्य अभियंता (निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण)	उप-निदेशक-2, शोध एवं गुणवत्ता निर्धारण प्रबंधन	-वही-
8	उप-निदेशक, जल विज्ञान प्रमंडल (उत्तर)	निदेशक, जल विज्ञान, पटना/मुख्य अभियंता, जल	उप-निदेशक-1, परियोजना मूल्यांकण	संयुक्त निदेशक, परियोजना

		विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना		मूल्यांकण/वाल्मी
9	उप-निदेशक, जल विज्ञान प्रमंडल (मध्य), पटना	-वही-	उप-निदेशक-2, परियोजना मूल्यांकण	-वही-

2. उपरोक्त कार्यालय के अन्तर्गत सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता के पद नियंत्रण ही स्थानान्तरित होगा । वर्ग-3 एवं 4 के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा ।

3. अगले आदेश तक के लिए वर्तमान बजटीय उपबंध के अधीन वेतन आदि का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत ही यथावत् रहेगा । वर्ष 2007-08 के लिए वाल्मी को निर्गत होनेवाले अनुदान के उपरांत यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

4. यह आदेश दिनांक 01.07.2007 से प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(एस० के० निजामी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-5/डी० 4-10-01/2007 - 1003 पटना, दिनांक- 7.06.07
प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-07 को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाती है ।

ह०/-
(एस० के० निजामी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-5/डी० 4-10-01/2007 - 1003 पटना, दिनांक- 7.06.07
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेलपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेरेषित ।

ह०/-
(एस० के० निजामी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या-5/डी० 4-10-01/2007 - 1003 पटना, दिनांक- 7.06.07
प्रतिलिपि- मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचि, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लघु जल

संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर वित्त आयुक्त (व्यय), बिहार, पटना/अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव-4 कौटिल्य मार्ग, पटना/आयुक्त, मंत्रीमंडल निगरानी विभाग/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय विकास आयुक्त/ वित्तीय परामर्शी-सह-लेखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/निदेशक, मुख्य अभियंता, वाल्मी, फलवारीशरीफ, पटना/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, बिहार/ झाखण्ड/ सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग (प्रबंधन कोषांग सहित)/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ बजट पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संख्याकी पदाधिकारी/सहायक आयक व्यय पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कार्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/ अध्यक्ष, बिहा राज्य निर्माण निगम, पटना/सोन कमाण्ड विकास अभिकरण, पटना/गंडक क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर/कोशी क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा/चन्दन बदुआ किउल विकास अभिकरण, भागलपुर/निदेशक, कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण/प्रशाखा पदाधिकारी-5 (दस अतिरिक्त प्रति) जल संसाधन विभाग/कमप्युटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(एस० के० निजामी)
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्रांक- 1/वि०-54/2005- 8373(ै) / पटना, दिनांक- 19.07.06

प्रेषक,

संयुक्त सचिव (प्र० को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 के पदो पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके गै०स०प्रे०स०- 710 दि० 09.06.06 के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित मामले में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है ।

उक्त परामर्शानुसार बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 नियमावली के नियम-8 के संशोधित प्रावधानों के आलोक में राज्य प्रावैधिक शिक्षा संस्थानों से उत्तीर्ण तीन वर्षीय डिप्लोमाधारियों को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 के पदों पर प्रोन्नति का प्रावधान नहीं है । उक्त नियम के आलोक में मात्र 10+2 अथवा समकक्ष इन्टरमीडिएट परीक्षा उतीर्णोपरांत किसी भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से प्राप्त 4 (चार) वर्षीय डिग्री अथवा डिप्लोमाधारक ही उक्त पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु अहर्ता रखते हैं ।

विधि विभाग से प्राप्त परामर्श की अभिप्रमाणित छायाप्रति आवश्यक अग्रत्तर कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है ।

अनु०- यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त सचिव (प्र०को०)

पथ निर्माण विभाग, पटना

कृपया प्रशासी विभाग की टिप्प्णी पृष्ट-24-20/टि० का अवलोकन करना चाहेंगे ।

इस संचिका में निम्नांकित बिन्दू पर परामर्श की अपेक्षा की गई है ।

(1) राज्य प्रावैधिक शिक्षा संस्थान से तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में डिप्लोमाधारी कनीय अभियंताओं को कार्यपालक अभियंता एवं उच्चतर पदों पर वर्ष 1987 में निर्गत संकल्प के आधार पर प्रोन्नति अनुमान्य है या नहीं?

(2) यदि प्रोन्नति अनुमान्य नहीं है तो ऐसे डिप्लोमाधारी कनीय अभियंता जिनकी प्रोन्नति पथ निर्माण विभाग में कार्यपालक अभियंता के पद पर दी जा चुकी है उसपर क्या कार्रवाई की जाय?

राज्य के प्रावैधिक शिक्षा संस्थानों में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है एवं ऐसे डिप्लोमाधारी को अभियंता महाविद्यालयों में जहाँ 4 वर्षीय पाठ्क्रम है, मात्र तीन वर्षो में ही डिग्री दी जाती है । डिप्लोमा के लिए प्रवेशिका न्यूनतम योग्यता है, जबकि अभियंता महाविद्यालयों में आई०एस०सी० पात्र ही नामांकन के लिए योग्य माने जाते हैं ।

वर्ष 1987 में निर्गत संकल्प (पृ०-30/प०) का प्रश्न है यह पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत किया गया है । परन्तु जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता को कार्यपालक अभियंता ही नहीं बल्कि मुख्य अभियंता के पद पर प्रोन्नति दी गई है ।

जहाँ तक राज्य प्रावैधिक शिक्षा संस्थान से तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के डिप्लोमाधारी कनीय अभियंता को कार्यपालक अभियंता एवं उच्चतर पदों पर प्रोन्नति रोकने का प्रश्न है, विभाग नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप प्रोन्नति समिति के निर्णय प्राप्त / निर्णय लेने में स्वंय

सक्षम हैं एवं जिनकी प्रोन्नति कार्यालय की गलत सूचना के आधार पर उच्चत्तर पद पर हो चुकी है, इन्हें नियमतः अवनति प्रदान की शक्ति भी विभाग को प्राप्त है ।

मामले की महत्ता को देखते हुए महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया जा सकता है ।

ह०/-
(बी० के० सिंह)

उप विधि परामर्शी (श्री वेद प्रकाश)

H.O.O. No. 543 of 2006

Advocate General

The file has been endorsed seeking opinion with regard to the promotion of Engineers of Bihar Sub-Ordinate Engineering Services Cadre (Class-II) (Diploma holder) to Bihar Engineering Service Cadre (Class-I).

I have gone through the file notings. It appears that the rules for appointment/promotion to Engineering Service (Class-I) provides degree or diploma from recognised Engineering Colleges which is obtained upon 4 years course in an engineering colleges after passing Intermediate or 10+2 Examination, or other equavalent similar degrees or diploma courses. In the case of Bihar Sub-ordinate Engineering service the requisite qualification is a diploma awarded by the State Vocational Education Board awarded after a three years course after passing Matriculation or Class-10 Examination.

It appears that this question has arison because of the promotion of some three years diploma holders, (after passing Matriculation Examination) to the Bihar Engineering Service (Class-I) posts upon a misinterpretation of or ignoring the provisions of the Act/Rules.

In my opinion, if mistakes have been committed, the same can be rectified by the department concerned, on premises of the fact that the Act/Rules do not provide for promotion of the three years Diploma holders from the state Vocational Education Board to the Bihar Engineering Services (Class-I) posts, for which the minimum required

qualification is passing a four years degree/diploma course after passing Intermediate or 10+2 Examination from Engineering Colleges. This may result in demotion of some engineers already promoted in contravention of the rules, though recovery of the higher salary paid to them on being promoted to Class-I posts may be difficult, since it appears that it was the concerned departments which committed the illegality.

Sd./-

Addl. Advocate General No.2

Learned AAG2 has very kindly elaborated on the issue of eligibility of a diploma awarded by state vocational Education Board to be considered for promotion to BES-I on persual of amended rule 8, placed at Page 8 C there is no scope to entertain any doubt that minum essential requisite qualification for entry in BES-I is degree diploma from engineering institution after completion of 10+2 and not diploma from a polytechnic or other institution after completion of class 10 only. So therefor agree with the view of learned AAG2.

Sd./-

Advocate General Bihar

High Court, Patna

पत्र सं०-एम-4-18/2006-4082 वि० (2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

सेवा में,

अध्यक्ष, योजना पर्षद,
उपाध्य योजना पर्षद,
अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो,
विकास आयुक्त,
सरकार के सभी विभाग,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष,
सभी उप विकास आयुक्त ।

पटना, दिनांक- 24.6.2006

विषयः- मोटर गाड़ियों के सामान्य जीवन, समारक्षण बदलाव एवं मरम्मत मद में अतिरिक्त शक्ति का प्रत्योजन ।

प्रसंगः- (i) वित्त विभाग पत्रांक- 7723 दिनांक- 25.12.88

(ii) वित्त विभाग पत्रांक- 32 दिनांक- 3.1.96

महोदय,

उपर्युक्त प्रसंग (1) पर उल्लिखित पत्र द्वारा सभी विभागों/विभागाध्यक्षों एवं स्थानीय पदाधिकारियों को मोटर गाड़ियों की मरम्मति एवं जीर्ण-शीर्ण पुर्जो के बदलाव हेतु कुछ शर्तो के साथ वित्तीय शक्तियां प्रत्योजित की गई थी।

2. उपर्युक्त प्रसंग (2) पर उल्लिखित पत्र द्वारा सभी विभागों/विभागाध्यक्षों एवं स्थानीय पदाधिकारियों को 1500/- रु० (एक हजार पाँव सौ रुपये) मात्र की सीमा में ही पार्ट पुर्जो को मरम्मति की शक्ति प्रदत्त की गई थी।

3. उक्त आदेश निर्गत हुए एक लम्बी अवधि बीत चुकी है । इस बीच सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि हुई है, जिससे प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन मरम्मति का कार्य कराने में हो रही कठिनाई तथा वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने हेतु विभागों से प्राप्त प्रस्ताव/अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त विभागीय पत्रांक-7723 दिनांक 24.12.88 एवं 832 दिनांक 3.1.96 को विलोपित करते हुए मोटरगाड़ियों के सामान्य जीवन, समारक्षण, बदलाव एवं मरम्मत मद में विभागों/विभागाध्यक्षों एवं स्थानीय पदाधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रत्योजित करने का निर्णय लिया गया है:-

किस प्राधिकार को शक्ति प्रत्यायोजित की जायेगी	किस कार्य के लिए शक्ति प्रत्योजित की जायेगी	प्रत्यायोजित शक्ति का स्वरूप
(i) सभी सरकारी विभाग	मोटर गाड़ी की मरम्मति एवं पुर्जो का बदलाव	पूर्ण शक्ति बशर्ते किः- (क) इस कार्य के लिए बजट में उपबंध हो (ख) एक मोटर गाड़ी पर एक बार 5000/- (पाँच हजार रुपये) से अधिक व्यय करने के लिए मोटर गाड़ी निरीक्षक का या कार्यपालक अभियन्ता के अन्यून पंक्ति के किसी प्राधिकृत यांत्रिक अभियन्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त हो। (ग) बदलाव एवं मरम्मति का हर कार्य उस पंजी में दर्ज किया जायेगा जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिका में किया गया है ।

(ii) विभागाध्यक्ष/ प्रमंडलीय आयुक्त	मोटर गाड़ी की मरम्मति एवं पुर्जो का बदलाव	प्रतिवर्ष प्रति गाड़ी 30,000/- (तीस हजार रुपये) तक खर्च करने का अधिकार दिया जाय बशर्ते कि (क) इस कार्य के लिए बजट में उपबंध एवं आवंटन उपलब्ध हो । (ख) एक मोटर गाड़ी पर एक बार 5000/- (पाँच हजार रुपये) से अधिक व्यय करने के लिए मोटर गाड़ी निरीक्षक किये गए कार्य० अभि० के बावजूद पंक्ति के किसी प्राधिकृत यांत्रिक अभियन्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त हो । (ग) बदलाव एवं मरम्मति का हर कार्य एक पंजी में दर्ज किया जाय जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिका में किया गया है ।
(iii) आरक्षी महानिदेशक	मोटर गाड़ियों की मरम्मति एवं पूर्जो का बदलाव	प्रतिवर्ष प्रति गाड़ी 50,000/- (पच्चास हजार रुपये) तक खर्च करने का अधिकार दिय जाय बशर्ते कि (क) इस कार्य के लिए बजट में उपबंध एवं आवंटन उपलब्ध हो । (ख) एक मोटर गाड़ी पर एक बार 5000/- (पाँच हजार) से अधिक व्यय करने के लिए मोटर गाड़ी निरीक्षक का या कार्यपालक अभियन्ता से अन्यून पंक्ति के किसी प्राधिकृत यांत्रिक अभियन्ता का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो । (ग) बदलाव एवं मरम्मति का हर कार्य एक पंजी में दर्ज किया जाय जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिका में किया गया है ।
(iv) क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक	मोटर गाड़ियों की मरम्मति एवं पूर्जो का बदलाव	प्रतिवर्ष प्रति गाड़ी 20,000/- (बीस हजार रुपये) तक खर्च करने का अधिकार दिय जाय बशर्ते कि

		(क) इस कार्य के लिए बजट में उपबंध एवं आवंटन उपलब्ध हो । (ख) एक मोटर गाड़ी पर एक बार 5000/- (पाँच हजार) से अधिक व्यय करने के लिए मोटर गाड़ी निरीक्षक का या कार्यपालक अभियन्ता से अन्यून पंक्ति के किसी प्राधिकृत यांत्रिक अभियन्ता का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो । (ग) बदलाव एवं मरम्मति का हर कार्य एक पंजी में दर्ज किया जाय जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिका में किया गया है ।
(v) क्षेत्रीय आरक्षी उपहानिरीक्षक प्रशासी विभाग के प्रमण्डल स्तर के पदाधिकारी	मोटर गाड़ियों की मरम्मति एवं पूर्जो का बदलाव	प्रतिवर्ष प्रति गाड़ी 16,000/- (सोलह हजार रुपये) तक खर्च करने का अधिकार दिय जाय बशर्ते कि (क) इस कार्य के लिए बजट में उपबंध एवं आवंटन उपलब्ध हो । (ख) एक मोटर गाड़ी पर एक बार 5000/- (पाँच हजार) से अधिक व्यय करने के लिए मोटर गाड़ी निरीक्षक का या कार्यपालक अभियन्ता से अन्यून पंक्ति के किसी प्राधिकृत यांत्रिक अभियन्ता का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो । (ग) बदलाव एवं मरम्मति का हर कार्य एक पंजी में दर्ज किया जाय जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिका में किया गया है ।
(vi) कार्यालय प्रधान जो मोटरगाड़ी के प्रभारी पदाधिकारी हैं ।	मोटर गाड़ियों की मरम्मति एवं पूर्जो का बदलाव	प्रतिवर्ष प्रति गाड़ी 16,000/- (सोलह हजार रुपये) तक खर्च करने का अधिकार दिय जाय बशर्ते कि (क) बैटरी क्रय करने के दो साल के पहले बैटरी नहीं खरीदी जाय । (ख) गाड़ी 24 हजार किलो मीटर चलने के बाद ही आवश्यकता रहने पर गाड़ी का टायर एवं ट्यूब बदला जाय । (ग) गाड़ी को बेचने वाले डीलर की

		गारंटी की अवधि में तथा उसके शेष हो जाने की तिथि के बाद एक साल तक 5000/- (पाँच हजार रुपये) से अधिक व्यय पर गाड़ी के लिए कुल पुर्जे नहीं खरीदें जाय । (घ) इस कार्य के लिए बजट में उपबंध एवं आवंटन उपलब्ध हो । (च) एक मोटर गाड़ी पर एक बार 5000/- (पाँच हजार) से अधिक व्यय करने के लिए मोटर गाड़ी निरीक्षक का या कार्यपालक अभियन्ता से अन्यून पंक्ति के किसी प्राधिकृत यांत्रिक अभियन्ता का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो । यदि ये पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो मरम्मति का आदेश निर्गत करने के पहले अपने से उच्चतर पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय । (छ) बदलाव एवं मरम्मति का हर कार्य एक पंजी में दर्ज किया जाय जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिका में किया गया है ।

(4) विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों का सेवाकाल एवं चालन क्षमता निम्नलिखित होगी-

गाड़ियों का प्रकार	सेवाकाल	चालन क्षमता
(क) भारी गाड़ी	12 वर्ष	1,50,000/किलामीटर
(ख) मध्यम एवं हल्की गाड़ी (मिनी बस, मिनी ट्रक, स्टेशन वैगन, पिक अप भान एवं जीप आदि)	8 वर्ष	1,50,000/किलामीटर
(ग) स्टाफ कार	10 वर्ष	2,00,000/किलामीटर
(घ) मीटर साईकिल/टैम्पू भान	8 वर्ष	1,00,000/किलामीटर
(घ) ट्रेलर्स	8 वर्ष	1,00,000/किलामीटर

गाड़ियों की मरम्मति के लिए कर्मशाला का निर्धारण स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी के विवेक पर रहेगा, परन्तु उनके द्वारा इस कार्य हेतु सरकारी कर्मशाला या सरकार के किसी लोक उपक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

5. इस प्रसंग में यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी कार्यालय में जो प्रधान पदाधिकारी होते हैं, वे ही उस कार्यालय के प्रधान समझे जाते हैं । उदाहरणार्थ अनुमंडल कार्यालय के कार्यालय प्रधान अनुमंडल पदाधिकारी ही समझे जायेंगे तथा प्रखण्ड कार्यालय के कार्यालय प्रधान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ही । अतः कंडिका-3 की क्रम संख्या-VI के अधीन प्रत्यायोजित राशि का उपयोग वे लोग तथा गाड़ी के प्रभारी अन्य कार्यालय प्रधान कर सकेंगे ।

6. कंडिका-3 में जो शक्तियाँ विभिन्न स्तरों पर प्रत्यायोजित की गई है उसके उपयोग के लिए उक्त कंडिका में निहित शर्तो के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्त भी रहेगीः-

एक गाड़ी के जीवन काल के अन्तर्गत गाड़ी के क्रय की तिथि से उसी प्रकार की नई गाड़ी के बाजार मूल्य का 75 प्रतिशत तक व्यय की सीमा होगी । इसमें टायर, बैट्री, शीशा एवं सीटों के बदलने का व्यय शामिल नहीं होगा । इससे अधिक भी व्यय किया जा सकता है बशर्ते उसी प्रकार की नई गाड़ी के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष व्यय कर अगले तीन वर्षो तक चलाया जा सके । तीन वर्षो की अवधि की समाप्ति पर पुनः उस गाड़ी की चालन क्षमता पर विचार किया जायेगा और प्रति उक्त प्रक्रिया के अनुसार अगले तीन वर्षो तक चलाया जा सकता है तो व्यय किया जा सकेगा । यह क्रम तब तक चलता रहेगा जबतक कि उक्त रीति के अनुसार गाड़ी उपयोग में लायी जा सकती है ।

7. गाड़ियों की मरम्मति पर उचित नियंत्रण रखने के लिए कंडिका-3 में शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गयी है । सभी प्रत्यायोजित विभाग/पदाधिकारी के स्तर पर गाड़ी मरम्मति पंजी रखी जाय । गाड़ी की मरम्मति के संबंध में आवश्यक सूचनाएं उक्त पंजी में संलग्न प्रपत्र में दर्ज करायी जाएगी । इस पंजी में हरेक गाड़ी के लिए चार पाँच पृष्ठ आवंटित किये जाए और विभाग/विभागाध्यक्ष के नियंत्रण में जितनी भी गाड़ियाँ रहे उन्हें इस पंजी में दर्ज किया जाय। गाड़ी प्रभारी पदाधिकारी जब भी गाड़ियों की मरम्मति करायेंगे तो वे संलग्न उपर्युक्त प्रपत्र में एक विवरणी संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष को भेजेंगे ताकि जो भी व्यय हुआ हो उसे विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा रखी गयी पंजी में पोस्ट किया जा सकें । जो गाड़ि एक महीने से अधिक अवधि के लिए बेकार पड़ी हो उसके संबंध में गाड़ी के प्रभारी पदाधिकारी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचन दें और यह बात पंजी में अन्तिम स्तम्भ में तिथि के साथ दर्ज की जाय ।

स्टाफ कार का उपयोग महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, इसलिए उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से समय-समय पर मोटर गाड़ी निरीक्षक का या कार्यपालक अभियन्ता से अन्यून पंक्ति के किसी प्राधिकृत अभियन्ता का इस आशय का प्रमाण पत्र की गाड़ी उपयोग के लायक ठीक है, निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे । यह जिम्मेदारी गाड़ी के प्रभारी पदाधिकारी की रहेगी ।

यह आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक लागू रहेगा ।

सभी अधीनस्थ कार्यालय को उपर में दी गई शक्तियों से अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक-एम-4-18/2006-4082 वि०(2) दिनांक- 24.6.2006

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक-एम-4-18/2006-4082 वि०(2) दिनांक- 24.6.2006

प्रतिलिपि- वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/लेखा शाखा/लोक उद्यम ब्यूरो/प्रेस शाखा/अधीक्षक, सचिवालय मुद्राणालय/अधीक्षक, लेखन सामाग्री भण्डार एवं प्रकाशन गुलजारबाग/अधीक्षक, प्रेस एवं फाम्र्स, गया को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 1/वि०-137/06/ 4480 पटना, दिनांक- 16.09.06

प्रतिलिपि- सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी ओवर सचिव/अवर सचिव (लेखा) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(कौशल किशोर मिश्र)

सरकार के अवर सचिव

गाड़ी की मरम्मति पंजी

फॅर्म का नमूना

1. गाड़ी की श्रेणी तथा निबंधन संख्या-
2. क्रय की तिथि-
3. क्रय के समय कुल व्यय-
4. गाड़ी के नियंत्रण पदाधिकारी का हस्ताक्षर-

तिथि	स्पेयर पाटर्स का बदलाव वर्णन तथा क्षमता	श्रम व्यय	मरम्मति पर कुल व्यय	बाईक मोटर की रिडिंग	स्वीकृति पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर	अभियुक्ति

1	2	3	4	5	6	7

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 1/वि०-137/06 - 5304 / पटना, दिनांक- 14.11.06

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(कौशल किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

पत्र सं०-ब०5/बी०एस०बी०-02/05/ 331 /वि०

बिहार सरकार,

वित्त विभाग

पटना, दिनांक- 28.04.06

प्रेषक,

तिलक राज गौरी,
सरकार के उप सचिव-सह-आय व्ययक पदाधिकारी

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव,
(सूची सलग्न)

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राप्तियाँ के संदर्भ में ।

महाशय,

सूचनाओं के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मुख्यतः दो प्रकार की प्राप्ति राज्य सरकार को प्राप्त होनी है, जिसमें कि सूचनाओं के देने के लिए निर्धारित विहित शुल्क अभिलेखों के निरीक्षण हेतु विहित शुल्क है । इन दोनों प्राप्तियों को किस उपशीर्ष में जमा किया जाए, इस संदर्भ में महालेखाकार नियंत्रक द्वारा जारी संघ तथा राज्यों के मुख्य एवं लघु लेखा की सूची में पूर्व से लघु शीर्ष निर्धारित नहीं किया गया था । शुद्धि पत्र संख्या-577 दिनांक- 27 जनवरी, 06 द्वारा स्वतः स्थापित करते हुए लघु शीर्ष का निर्धारण मुख्य शीर्ष 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उप-मुख्य शीर्ष 60-अन्य सेवाएं-लघु शीर्ष 118 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ निर्धारित किया गया है । इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत दो उपशीर्ष 0001- सूचनाओं की प्राप्ति हेतु विहित शुल्क एवं उपशीर्ष-0002- अभिलेखों के निरीक्षण हेतु विहित शुल्क महालेखाकार कार्यालय की सहमति से खोले गये हैं । महालेखाकार कार्यालय की सहमति पत्र संख्या-उपशीर्ष-(2006-07) 06 दिनांक 4.4.2006 है (छाया प्रति संलग्न है) ।

2. निदेशानुसार कहना है कि उपरोक्त सूचना को ग्रहण कर यथासमय राशि जमा करने हेतु संबंधित उपशीर्ष जिनका विपत्र कोड निम्नवत है, के अधीन राशि जमा करायी जाएः- विपत्र कोड

R0070601180001
R0070601180002

विश्वासभाजन
ह०/-
(तिलक राज गौरी)

सरकार के उप सचिव-सह आय व्ययक पदा०
वित्त विभाग

पत्र सं०-9/स्था०-1110/06- 1046

बिहार सरकार

जल संसाधन (सिंचाई) विभाग

प्रेषक,

श्री विमल कुमार नीरज,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
निदेशक, (वाल्मी)/शोध एवं प्रशिक्षण, खगौल, एवं परिवहन
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 6.3.06

विषयः- कनीय अभियंताओं के सेवा से संबंधित अभिलेख अध्यन करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मार्च 07 से कनीय अभियंताओं के आसन्न सेवानिवृत्ति को देखाते हुए उनके सेवा से संबंधित अभिलेखों को अद्यतन करना नितांत आवश्यक है ताकि सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके सेवांत लाभ संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा सके । प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कनीय अभियंताओं के सेवा संबंधी अभिलेख यथा सेवापुस्त, अंतिम वेतन प्रमाणपत्र का वर्तमान पदस्थापित कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहना, प्रभार आदान-प्रदान का लंबित रहना जैसे अभिलेख या तो आधे अधूरे रहते हैं अथवा उसके किसी अवधि का उल्लेख अंकित नहीं रहता है । निष्पादन के क्रम में ऐसी अवधि से संबंधित सूचना की माँग किये जाने पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके छुट्टी/अनुपस्थिति/निलंबन में रहने की जानकारी दी जाती है । कतिपय कनीय अभियंताओं से संबंधित संसूचित विभागीय दण्ड का भी उल्लेख उनके सेवापुस्त में नहीं पाया जाता है । इस प्रकार आधे अधूरे प्रविष्टियों के कारण कनीय अभियंताओं के सेवांत लाभ एवं उनसे संबंधित विवादास्पद मामले के निष्पादन में विभागीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा न्यायालय से संबंधित मामले में क्षेत्रीय स्तर पर अभिलेखों त्रुटिपूर्ण प्रवृष्टियों के कारण तथ्य विवरणी की जाँच मे त्रुटि का संभावना बनी रहती है ।

अतः निदेश दिया जाता है कि अपने परिक्षेत्राधीन पदस्थापित कनीय अभियंताओं के सेवापुस्त को उनके वर्तमान पदस्थापित कार्यालय में अद्यतन प्रविष्टि के साथ संधारित करवाना सुनिश्चित किया जाय साथ हीः-

1. जिन कनीय अभियंता को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र वर्तमान पदस्थापित स्थान पर पूर्व पदस्थापित कार्यालय से नहीं भेजा गया हो तो अविलम्ब भेज दिया जाय ।

2. लंबित वेतन भुगतान जैसे मामलें में नियमानुसार ससमय कार्रवाई करते हुए भुगतान सुनिश्चित किया जाय ।

3. प्रभार आदान-प्रदान के विवादित मामले को कार्यालय स्तर पर तिथि निर्धारित कर प्रभार आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाय ।

यदि निर्धारित तिथि तक ऐसा नही हो पाता है तो प्रभार नहीं सौंपने की स्थिति में शेष बचे प्रभार की सामाग्रियों को कार्यपालक दण्डाधिकारी के उपस्थिति में नियमानुसार मुल्यांकन कर उसकी सूची संबंधित कनीय अभियंताओं को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्रवाई हेतु भेजा जाय ।

उक्त के परिपत्र में किसी विवादस्पद मामले क निष्पादन में अगर विभागीय मार्गदर्शन की अपेक्षा हो तो उसके प्रस्ताव शीघ्र विभाग को भेजते हुए दिशा निर्देश प्राप्त किया जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

पत्रांक-3/एम-190/..... - 175

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन

सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना- 15, दिनांक- 17.01.2006

विषयः सरकारी सेवकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या सी०एस०3/एम-3-1015/व०-3910 दिनांक- 25.10.1980 को कंडिका (3)(1) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सामान्यताः सभी स्थानान्तरण/पदस्थापन साल में सिर्फ दो बार अर्थात प्रति वर्ष्ज मई-जून यथा नवम्बर-दिसम्बर में किया जाना है । विशेष परिस्थिति में बाद की आवधि में भी स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जाने के लिए व्यवस्था ऐसी है कि जिन पदाधिकारियों

का स्थानान्तरण/पदस्थापन मंत्री स्तर या मंत्रिपरिषद् से होता है उन मामलों में मुख्यमंत्री का आदेश लेकर स्थानान्तरण किया जा सकता है और जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किसी अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा किया जाता है उन्हें अपने से उच्चतर पदाधिकारी की पुर्वानुमति लेनी है । विशेष परिस्थिति में बाद की अवधि में ऐसे स्थानान्तरण/पदस्थापन मृत्यु, बीमारी, रिक्तियाँ एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से किये जाने का प्रावधान है ।

2. उपर्युक्त आलोक में आपसे अनुरोध है कि उक्त संकल्प के अनुसार वर्तमान में उक्त संकल्प में विहित प्रक्रियानुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन केवल पदस्थापन की प्रतीक्षा वाले मामलां या प्रशासनिक कारणों से ही किये जाएं।

3. कृपया उपर्युक्त अनुदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजीव लोचन)

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन (सिंचाई) विभाग

ज्ञापांक- 1/वि० 133/2005-733 पटना, दिनांक- 6.2.06

प्रतिलिपि- जल संसाधन विभाग (मुख्यालय) के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(कौशल किशोर मिश्र)

सरकार के अवर सचिव

संचिका सं०-3-ए 4-प्रो०-03/2003

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

प्रेषक,

श्री सुनील प्रसाद श्रीवास्तव

सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक- 24.12.2005

विषयः- भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की अनुमान्यता के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या- 2074 दिनांक- 4.4.85 एवं 1082 दिनांक- 22.02.88 द्वारा मार्गदर्शिका निर्णय संसूचित किए गए थे ।

2. वित्त विभागीय परिपत्र सं०- 1082, दिनांक-22.2.88 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयास के बावजूद ससमय नियमित/तदर्थ प्रोन्नति नहीं दी जा सके, परन्तु कार्यहित में उच्चतर पद के लिए कार्यकारी व्यवस्था करना अत्यावश्यक हो तो निम्नतर वेतनमान के योग्य पदाधिकारी को उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया जा सकता है । उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार देने के पूर्व प्रशासी विभाग द्वारा वरीयता सह योग्यता अथवा लागू संवर्गीय नियमावली के क्रम में निर्धारित अर्हता प्राप्त पदाधिकारियों की सूची बनाकर आरक्षण संबंधी राज्य सरकार की नीतियों का अनुपालन करते हुए उक्त सूची से बिहार सेवासंहिता के नियम 103 के अधीन निम्नतर वेतनमान के संबंधित पदाधिकारी को उच्चतर पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु औपचारिक आदेश निर्गत करना है तथा नियमित प्रोन्नति पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति की इस बिन्दु पर स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त करनी है कि कार्यकारी प्रभार ग्रहण करने अथवा तदर्थ प्रोन्नति की तिथि से संबंधित पदाधिकारी को उच्चतर पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाय या नहीं । विभागीय की प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की अनुकूल अनुशंसा प्राप्त होने पर कार्यकारी प्रभार ग्रहण की तिथि से उच्चतर पर पर प्रोन्नति दी जा सकती है, किन्तु वित्त विभाग के समक्ष इन दिनों भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के प्रस्ताव रूटीन तरीके से प्राप्त हो रहे हैं तथा भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के कारण बिना कार्य कराए संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को उच्चतर वेतनमान में वेतन भुगतान करना पड़ रहा है । यह स्थिति वांछनीय नहीं है ।

3. सामान्य परिस्थतियों में प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रोन्नति का लाभ बिहार सेवा संहिता के नियम 58 के अधीन पदभार ग्रहण की तिथि से ही अनुमान्य हो सकता है । यह तभी संभव है, जब प्रशासी विभाग उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए अग्रिम योजना बनाकर प्रोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि संबंधित सरकारी सेवकों को ससमय प्रोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके तथा भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के फलस्वरूप उच्चतर पदों के वेतनमान में वेतन भुगतान की स्थिति उत्पन्न न हो । प्रोन्नति देने के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 7457 दिनांक- 11.09.2002 तथा पत्रांक- 7895 दिनांक- 14.09.2004 द्वारा अनुदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

4. यदि संबंधित विभाग उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की अग्रिम योजना बनाकर ससमय प्रोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित करें तो भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का कोई कारण नहीं रह जाता है । तथापि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की नितांत आवश्यकता होती हो तो निम्नांकित परिस्थितियों में ही भूतापेक्षी प्रभाव से प्रोन्नति अनुमान्य की जा सकती हैः-

(क) यदि किसी संवर्ग के कनीय पदाधिकारी को किसी कारण वश प्रोन्नति दे दी जाए तथा वरीय पदाधिकारी किन्हीं कारणों से प्रोन्नति से वंचित रह जायें एवं बाद में प्रोन्नति के योग्य पाए जाए तो ऐसी स्थिति में कनीय पदाधिकारी की प्रोन्नति के उपरान्त योगदान की तिथि से वरीय पदाधिकारी को, आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति अनुमान्य की जायेगी बशर्ते कि विलम्ब से प्रोन्नति के लिए वरीय पदाधिकारी की स्वंय की कोई गलती न हो जैसे वार्षिक अभ्युक्तियों के लिए आऊट टर्न समय पर नहीं दिया जाना, विभागीय कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग नहीं करना आदि ।

(ख) वरीयता पुनरीक्षण के कारण यदि कोई कनीय कर्मी वरीय हो जाता है तो नव वरीय पदाधिकारी को उनसे ठीक कनीय की प्रोन्नति की तिथि से वैचारिक प्रोन्नति अनुमान्य की जाएगी तथा कनीयतम की प्रोन्नति रद्द कर दी जायगी किन्तु पूर्व में प्रोन्नति पा लेने के कारण अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जाएगी । यह कार्रवाई वरीयता पुनरीक्षण का आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर पूरी कर ली जायगी । निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्रवाई पूरी नहीं होने पर विलम्ब के कारण यदि अधिक भुगतान करना पड़ता है तो विलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति से राशि की वसूली की जायगी ।

(ग) उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त पदाधिकारी के उपलब्ध होने के बावजूद यदि किसी कारणवश ससमय प्रोन्नति देना संभव न हो, तो पद की उपलब्धता, वरीयता, आरक्षण एवं प्रोन्नति के लिए पदाधिकारी की अर्हता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया जा सकता है तथा बाद में नियमित प्रोन्नति पर विचार करते समय यदि विभागीय प्रोन्नति समिति कार्यकारी प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति देने की स्पष्ट अनुशंसा करती है तो कार्यकारी प्रभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ के साथ नियमित प्रोन्नति अनुमान्य की जा सकेगी ।

(घ) भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति उपर्युक्त कंडिका (क) एवं (ग) के प्रावधान के अधीन सेवारत एवं सेवा निवृत्त कर्मियों पर समान रूप से लागू होगी ।

(घ) यदि किसी मामले में उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किये बगैर उच्चतर पद का प्रभार दिया जाता है, तो वैसे मामलों में उच्चतर पद का वेतनमान अनुमान्य नहीं है । इस प्रकार के मामले बिहार सेवा संहिता के नियम-103 के अधीन विनियमित किए जाएंगे तथा अतिरिक्त प्रभार के रूप में उच्चतर पद के दायित्व निर्वाह के लिए संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित निम्न पद पर प्राप्त मूल वेतन का 20 प्रतिशत अधिकतम 250 रुपये की स्वीकृति दी जा सकेगी ।

(च) दिनांक- 01.01.96 से पूर्व लागू प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति योजना के अधीन देय प्रोन्नतियों के लिए वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2074 दिनांक- 04.04.05 के प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे ।

5. उपर्युक्त सभी मामले में आर्थिक लाभ की मंजूरी वित्तीय नियमावली के नियम 74 के अनुसार वित्त विभाग की सहमति के पश्चात ही दी जा सकेगी ।

6. उपर्युक्त निर्णय आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा पूर्व में निष्पादित हो चुके मामलों पर इस आधार पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा । इस हद तक पूर्व के सभी आदेश संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन
ह०/-
(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 7020 / दिनांक- 24.12.02

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(सुनील प्रसाद श्रीवास्तव)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक- 6/एम.1-81/2005-4475 पटना, दिनांक- 24.12.05

प्रेषक,

इ० एस० के० निजामी
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

विषयः- मुख्यालय/कार्य स्थल छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान करने हेतु अनुमति के संबंध में ।

महाशय,

ऐसा देखा जा रहा है कि क्षेत्र में पदाधिकारी अपने कार्य स्थल/मुख्यालय पर नहीं पाये जाते हैं और उसका कारण यह बताया जाता है कि उच्चाधिकारी द्वरा उन्हें मुख्यालय बुलाया गया है । इस प्रकार के अनुपस्थिति से कार्य के सम्पादन पर कुप्रभाव पड़ रहा है । अतएव निदेशानुसार इस संबंध में कहना है किः-

1. कोई भी मुख्य अभियंता बिना अभियंता प्रमुख/आयुक्त एवं सचिव की अनुमति के अपने मुख्यालय/कार्य स्थल से बाहर नहीं रहेंगे । किसी भी सरकारी कार्य से पटना प्रवास के दौरान अभियंता प्रमुख से अवश्य मिलेंगे ।

2. साधारण परिस्थिति में काई भी अधीक्षण अभियंता बिना मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख से पूर्व अनुमति के अपना कार्य क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे । यदि अधीक्षण अभियंता किसी सरकारी कार्य से पटना में प्रवास कर रहे हों तो वे अभियंता प्रमुख से अवश्य मिलेंगे ।

3. साधारण परिस्थिति में कोई भी कार्यपालक अभियंता बिना अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता के पूर्वानुमति के कार्यस्थल/मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे ।

4. बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के अपने कार्यक्षेत्र से बाहर पाये जाने पर ऐसे पदाधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी तथा अनावश्यक अनुमति देने के दोषी पाये जाने पर उनके नियंत्री पदाधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

5. उपरोक्त व्यवस्था आपातकालीन न्यायालय मामले पर लागू नहीं होगी, परन्तु आपातकालीन न्यायालय संबंधी मामलों में भी अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचित कर मुख्यालय/कार्यस्थल छोड़ेंगे एवं वापस लौटने पर भ्रमण विवरणी भी समर्पित करेंगे ।

6. संबंधित मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस पत्र की प्रति आवश्य उपलब्ध करा देंगे ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(एस० के० निजामी)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/विविध/644/2003

प्रेषक,

ई० ब्रज भूषण प्रसाद सिंह
मुख्य अभियंता
योजना एवं मोनिटरिंग
जल संसाधन विभाग,
सिंचाई भवन, पटना ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
डिहरी ।

पटना, दिनांक- /2005

विषयः- कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि मद में काटी गई राशि के भुगतान हेतु आवंटन के संबंध में ।

महाश्य,

कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँध प्रमंडल सं०-2, भीतरी बाँध ने अपने पत्रांक- 280 दिनांक- 24.10.2005 के द्वारा जो अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल-4 को सम्बोधित है, श्री वशीमूल हक, तत्कालीन शोध सहायक (सेवा निवृत) दुर्गावती प्रमंडल सं०-2, भीतरी बाँध के दिनांक- 1.4.78 से 25.5.80 तक कार्यभारित स्थापना में पदस्थापन की अवधि में उनके वेतन से काटी गई भविष्य निधि मद की राशि के सूद सहित भुगतान हेतु 12,937.00 रुपया आवंटन की अधियाचना की गयी। कार्यपालक अभियंता से प्राप्त पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक 821 दिनांक 16.7.2004 जो सभी मुख्य अभियंताओं को सम्बोधित है, उसकी छाया प्रति संलग्न की जा रही है, का कृपया पुनः संदर्भ करें । ऐसे मामलों में कार्यभारित स्थापना में भविष्य निधि में काटी गई राशि को चालान द्वारा कोषागार में जमा न करके उसे कार्य मद में व्यय किया जाना, यह अनाधिकृत खर्च एवं वित्तीय गबन की परिभाषा में आती है । उपरोक्त पत्र में आपसे अपेक्षा की गई है कि ऐसे गबन करने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित कर, यद्यपि वे सेवा निवृत हो चुके हैं, उनपर फौजदारी मुकदमा दायर की जाय। उक्त पत्र में यह भी अपेक्षा की गई थी कि ऐसे सभी मामलों की छानबीन कर 31 जुलाई, 2004 तक विभाग को प्रतिवेदित करेंगे और यदि इसके बाद कोई मामला सामने आता है तो इसके लिए मुख्य अभियंता स्वंय जिम्मेवार होंगे। खेद है कि इसका अनुपालन नहीं किया गया है ।

कार्यपालक अभियंता द्वारा मांगी गई राशि के आवंटन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । परन्तु आपसे पुनः अपेक्षा की जा रही है कि इस मामले में और ऐसे सभी मामलों में दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुये उनपर यथावांछित कार्रवाई की जाय और कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ ही सूद सहित भुगतान की अधियाचना की जाय ।

अनु०- यथावत् ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ब्रज भूषण प्रसाद सिंह)

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक- 1488 /पटना, दिनांक - 14.12.2005

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता(तांत्रिक), जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(ब्रज भूषण प्रसाद सिंह)

मुख्य अभियंता

पत्र संख्या- वि(27) पे० दा० नि० 13/05-1959/वि०

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

पटना, दिनांक- 31.8.2005

प्रेषक,

श्री के० एम० शर्मा,

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग

सेवा में,

सभी सचिव
सभी आयुक्त एवं सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सचिव, राजस्व परिषद

विषयः- लापता सरकारी सेवक / पेंशनर के आश्रितों को सेवा निवृति लाभों का स्वीकृति को विधि एवं प्रक्रिया का निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग का परिपत्र संख्या-पो०-107-12/08/1083 वि०, दिनांक- 24.2.1990 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या- 21288 दिनांक- 20.9.1960 बिहार पेंशन नियमावली में मुद्रित है ।

2. सुलभ प्रसंग हेतु उपरोक्त दोनों परिपत्रों की छाया प्रतियों परिचालित करने के उद्देश्य से संलग्न की जा रही है । कृपया इन प्रावधानों में सभी संबंधित की अवगत करा दिया जाय ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(के० एम० शर्मा)
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापाक-1/वि०-1001/2002 अंश- 275 पटना, दिनांक- 18.1.06

प्रतिलिपि- अनुलग्नक के प्रति के साथ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(कौशल किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

बिहा सरकार

जल संसाधन विभाग

6/पी०2-06/2005- 3640 पटना, दिनांक- 16.8.05

<u>आदेश</u>

अगले आदेश तक मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, पटना के द्वारा सभी रूपांकण संबंधी स्वीकृति देने के पूर्व अभियंता प्रमुख (मध्य) की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं इसका अल्लेख भी

स्वीकृत्यादेश में अंकित की जायेगी । कार्यालय प्रधान की हैसियत में स्थापना सहित अन्य सभी मामलों के निष्पादन के लिए मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण स्वंय सक्षम होंगे ।

ह०/-

(श्याम नन्दन प्रसाद)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 06/पी०2-06/2005- 3640 पटना, दिनांक- 16.8.05

प्रतिलिपि- आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना/श्री सत्यानारायण, मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, पटना/श्री आबिद हुसैन कुरैशी, अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, पटना/बाढ़ नियंत्रण रूपांकण अंचल, पटना/निदेशक, डैम सुरक्षा प्रकोष्ट, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(श्याम नन्दन प्रसाद)

संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आ०सं०-5/पी०2-20-77/02- 1848 / पटना, दिनांक- 27.07.05

<u>आदेश</u>

समीक्षा के क्रम में यह सूचना प्रकाश में आई है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों की सेवा पुस्त एवं अन्य अभिलेख उनके स्थानान्तरण के क्रम में संबंधित कर्मियों को ही उपलब्ध करा दी जाती है । यह अत्यंत ही गैर-जिम्मेदाराना एवं गैर जबावदेही का कार्य है । ऐसे कई दृष्टांत पाये गये हैं कि संबंधित कर्मियों के हाथ से जब नये पदस्थापन स्थान पर योगदान के लिए उनकी सेवा पुस्त उन्हीं के हाथों भेजी जाती है तो सेवा पुस्त में पूर्व के

कार्यकालों में विपरीत प्रविष्टियों का साक्ष्य मिटाने के लिए सेवा पुस्त के गुम कर दिया जाता है अथवा प्रविष्टियों में अनाधिकृत प्रविष्टि अथवा पदजमतचवसंजपवद कर दी जाती है जो एक आपराधिक कृत्य है । ऐसी स्थिति में सेवा पुस्त की अनुपलब्धता के कारण कभी-कभी न्यायालयों में भी विषम परिस्थिति का सामना विभाग को करना पड़ता है। इस संबंध में सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि सेवा पुस्त हमेशा मुहरबंध, निबंधित डाक से ही भेजी जाय ।

अतएव विभाग द्वारा पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के कोई दृष्टांत सामने आने पर संबंधित कार्यवाह सहायक, प्रधान सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी एवं कार्यालय प्रधान को अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह मानते हुए तथा व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ पहुँचाने का षडयंत्र करने के आरोप में उनपर भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में अपराधिक मामले दर्ज किये जायेंगे तथा विभागीय कार्यवाही चलायी जायेगी ।

यदि सेवा पुस्त में सम्बंधित कर्मी द्वारा कोई हेर-फेर करने की साजिश की जायेगी तब उक्त कर्मी के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 120 "बी०' के तहत अपराधिक कार्रवाई करने के आरोप में एफ०आई०आर० दर्ज किया जायेगा ।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

ह०/-
(विनय कृष्ण)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 1848 पटना, दिनांक- 27.7.05

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी निदेशक, जल संसाधन विभाग/अपर सचिव, जल संसाधन विभाग/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई एवं आदेश का कठोरता से पालन करने हेतु अग्रसारित ।

ह०/-
(विनय कृष्ण)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक- 15/रा०-3-101/02-

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

(राजस्व निदेशालय)

<u>आदेश</u>

विभागीय संकल्प सं०-15/रा०-3-101/02-436 दिनांक 17.5.05 के द्वारा जल संसाधन विभाग के अधीन कार्यरत राजस्व प्रशासन निदेशालय एवं उनके कार्यालय का विघटन किया गया है ।

2. राजस्व प्रमंडलों के बैंक खाता का संचालन उप-समाहर्ता के द्वारा किये जाते थे, चूँकि उक्त खाता में मुख्य शीर्ष 2701 से की गयी निकासी की राशि जमा कर उसका निकासी एवं वितरण किया जाता था । मई 2005 के वेतन का जमा एवं निकासी के पश्चात् उक्त खाता का संचालन अब उप-समाहर्ता नहीं करेंगे । राजस्व प्रमंडलों के प्रतिस्थानी कार्यालय (सूची संलग्न) के कार्यालय प्रधान कार्यपालक अभियंता को उक्त खाताओं का संचालन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने अधीक्षण अभियंता से अपना हस्ताक्षर अभिप्रमाणित कराकर बैंक के खाते का संचालन करेंगे ।

ह०/-
(वी० जयशंकर)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक- 447 पटना, दिनांक- 17.5.2005

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक आॅफ इंडिया एवं कोषागार पदाधिकारी, पटना/बिहारशरीफ/आरा/बक्सर/मोहनियाँ/औरंगाबाद/गया/भागलपुर/अररिया/पूर्णियाँ/सहरसा/असरगंज/रहिका (मधुबनी)/मुजफ्फरपुर/ गोपालगंज/बेतिया एवं मोतिहारी/शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, बक्सर/ बैंक आॅफ बड़ौदा, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(वी० जयशंकर)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक- 447 पटना, दिनांक- 17.5.2005

प्रतिलिपि- वित्त विभाग/सभी मुख्य अभियंता एवं सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी प्रभारी/उप समाहर्ता, राजस्व प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(वी० जयशंकर)
आयुक्त एवं सचिव

विघटन के पश्चात् उप-समाहर्ताओं के कार्यालय के प्रतिस्थानी कार्यालय की सूची			
क्र०	उप समाहर्ता के कार्यालय का नाम	प्रतिस्थानी कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता का परिक्षेत्र
1.	राजस्व प्रमंडल, पटना	सोन नहर प्रमंडल, खगौल,	मुख्य अभियंता, पटना

		पटना	
2.	राजस्व प्रमंडल, बिहार शरीफ	जलपथ प्रमंडल, बिहार शरीफ	मुख्य अभियंता, पटना
3.	राजस्व प्रमंडल, आरा	सोन नहर प्रमंडल, आरा	मुख्य अभियंता, डिहरी
4.	राजस्व प्रमंडल, बक्सर	सोन नहर प्रमंडल, बक्सर	मुख्य अभियंता, डिहरी
5.	राजस्व प्रमंडल, मोहनियाँ	सोन उच्च स्तरीय नहर प्र०, भभुआ	मुख्य अभियंता, डिहरी
6.	राजस्व प्रमंडल, औरंगाबाद	सोन उच्च स्तरीय नहर प्र०, औरंगाबाद	मुख्य अभियंता, औरंगाबाद
7.	राजस्व प्रमंडल, गया	जलपथ प्रमंडल, गया	मुख्य अभियंता, औरंगाबाद
8.	राजस्व प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	जलपथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर
9.	राजस्व प्रमंडल, मधुबनी	पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, मधुबनी	मुख्य अभियंता, दरभंगा
10.	राजस्व प्रमंडल, मोतिहारी	तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतिहारी	मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर
11.	राजस्व प्रमंडल, बेतिया	तिरहुत नहर प्रमंडल-1, बेतिया	मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर
12.	राजस्व प्रमंडल, गोपालगंज	गंडक नहर प्रमंडल, गोपालगंज	मुख्य अभियंता, सीवान
13.	राजस्व प्रमंडल, पूर्णियां	सिंचाई प्रमंडल, पूर्णियाँ	मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ
14.	राजस्व प्रमंडल, अररिया	सिंचाई प्रमंडल, अररिया	मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ
15.	राजस्व प्रमंडल, सहरसा	सिंचाई नहर प्रमंडल, सहरसा	मुख्य अभियंता, बीरपुर
16.	राजस्व प्रमंडल, भागलपुर	सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर	मुख्य अभियंता, भागलपुर
17.	राजस्व प्रमंडल, तारापुर	सिंचाई प्रमंडल, तारापुर	मुख्य अभियंता, भागलपुर

ह०/-
निदेशक
राजस्व प्रशासन

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

<u>तार्किक आदेश</u>

सी०डब्लू०जे०सी०सं०- 8858/99 अवनीश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.1.05 को धारित न्याय निर्णय के आलोक में याचिका कर्ताओं के मामले पर विचार किया गया ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञाप संख्या- 5940 दिनांक- 18.6.93 में निहित प्रावधान तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा दिनांक 30.12.98 एवं 19.8.98 को किये गये अनुशंसा पर राज्य सरकार के स्तर पर लिए गए नीतिगत निर्णयानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस०एल०पी०सं०- 18154/99 तथा एम०पी०ए०सं०- 746/96 में पारित न्याय निर्णयों के अनुपालन हेतु सामान्य रूप से दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की सेवा नियमितिकरण एवं समायोजन के त्वरित कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या ज्ञाप संख्या 6701 दिनांक- 22.12.2003 द्वारा एक समिति गठित किया गया था ।

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस०एल०पी०सं०- 16781-16783/2000 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम विमल कुमार एवं अन्य के साथ संलग्न एस०एल०पी०सं०- 16784-16820/2000 में दिनांक 8.4.2002 को पारित आदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के सम्बन्ध में तथा इस तरह के समरूप सभी मामलों में सामान्य रूप से लागू करने का निदेश दिया गया है ।

माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आलोक में विधि विभाग के परामर्शोपरान्त सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के वेतनमान के न्यूनतम वेतन प्रक्रम पर वेतन भुगतान नहीं करने तथा वैसे कर्मियों को न्यनूतम वेतन प्रक्रम के स्थान पर अनुमान्य दैनिक मजदूरी का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है ।

सम्प्रति जल संसाधन विभाग में कार्य का परिमाण काफी कम हो गया है । स्थापना मद पर व्यय, कार्य मद पर कुल व्यय की तुलना में काफी ज्यादा है फलतः विभाग द्वारा स्थापना के आकार में आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित कर कटौती करने का निर्णय लिया गया है । इसी आलोक में विभाग द्वारा 388 पद पी०पी०सेल में, 168 पद वाल्मी में, 842 पद योजना एवं मोनेटरिंग में एवं 1027 पद केन्द्रीय रूपांकण संगठन में समाप्त कर लिया गया है । इसके अतिरिक्त 2 मुख्य अभियंता कार्यालय, 14 अंचल कार्यालय एवं 63 प्रमण्डल को पूर्ण स्थापना के साथ ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है । ऐसी परिस्थिति में विभाग में सभी प्रकार की नियुक्ति/समायोजन बन्द है, मात्र अनुकम्पा के आधार पर ही नियुक्ति होती है ।

पूर्व में दैनिक वेतन पर मजदूरों को रखने के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता या किसी तकनीकी विशेषज्ञता का आधार नहीं रखा जाता था बल्कि स्थानीय स्तर पर कार्य की आवश्यकतानुसार उन्हें

स्थानीय पदाधिकारी कार्य पर रख लेते थे । उनकी मजदूरी का भुगतान श्रम विभाग से स्वीकृत दैनिक मजदूरी के आधार पर ली जाती है ।

माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में जल संसाधन विभाग के अधीन दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को वेतनमान् के न्यूनतम वेतन प्रक्रम पर वेतन भुगतान नहीं करने तथा उसके स्थान पर दैनिक मजदूरी भुगतान करने हेतु विभागीय संकल्प ज्ञाप संख्या- 1991 दिनांक 31.8.04 में यह निर्णय लिया जा चुका है कि ऐसे सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मी जिन्हें न्यूनतम प्रक्रम पर वेतन भुगतान हो रहा है उसे तात्कालिक प्रभाव से बन्द कर दिया जाए तथा वैसे कर्मियों को अनुमान्य दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाय ऐसा आदेश निर्गत करने के पूर्व मजदूरों को अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाय।

दिनांक- 21.2.2005 को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सी०डब्लू०जे०सी०सं०- 11820/2004 में पारित फैसला जिसके विरूद्ध एल०पी०ए० दायर करने का निर्णय सरकार ने लिया है, में यह कहा गया है कि पूर्व में जिन मजदूरों को किसी न्यायालय के फैसला के आलोक में वेतनमान का न्यूनतम प्रक्रम पर भुगतान हो रही है उसे समाप्त नहीं करना चाहिए । अतएव तत्काल इन याचिकाकर्ताओं को वेतनमान् न्यूनतम प्रक्रम पर भुगतान करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है ।

वित्त विभाग के आदेश ज्ञापांक- 1928 दिनांक 12.4.05 द्वारा राज्य सरकार एवं विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ वार्ता के क्रम में राज्य कर्मियें के कतिपय मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें अन्य बिन्दुओं के साथ मास्टर रौल/कार्यभारित कर्मियों की समस्याओं पर भी विचार की जायेगी । समिति को विचार कर दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन देना है ।

पूर्व उल्लेखित माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेश में एवं अन्य कई माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशों में यह भी निदेश है कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मी जो लम्बे अर्से से दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं उनके नियमीतिकरण के संभावना के सम्बन्ध में बिहार सरकार एक सुस्पष्ट नीति निर्धारित कर योजना तैयार करें । यह कार्य अब उपर गठित समिति द्वारा राज्य स्तर पर समेकित विचार कर किया जाना है । अतएव आदेश दिया जाता है कि इस मामले में निहित व्यक्तियों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना उस समिति के साथ रखी जाए ।

समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिये जाने के पश्चात् याचिका के आवेदकों के सामायोजन के मामले पर निर्णय लेने हेतु संबंधित मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया जायेगा।

ह०/-
(वी० जय शंकर)
आयुक्त एवं सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- 4/मुक०-5-110/99- 1116 /पटना, दिनांक- 7.5.05

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को निर्देश दिया जाता है कि याचिका के आवेदकों को अपने स्तर से सूचित कर दें ।

ह०/-
(अरूण चन्द्र मिश्र)
सरकार के अवर सचि,
जल संसाधन विभाग

पत्र संख्या-3/एम-46/2004का०- 3644

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

रविकान्त,
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव
सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक- 30.4.05

विषयः- वेतनवृद्धि रोकने की सजा के प्रभाव के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय विभागों से वेतनवृद्धि की सजा के प्रभाव के संबंध में पृच्छाएँ प्राप्त हो रही है तथा इस क्रम में महालेखाकार द्वारा भी कतिपय मामलों में इस विभाग से ऐसी सजा के प्रभाव के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गई है । इस संबंध में पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-13110, दिनांक-16.12.98 द्वारा महालेखाकार को यह सूचित किया गया था कि विभागीय कार्यवाही के पश्चात् यदि किसी सरकारी सेवक को आर्थिक सजा या वेतनवृद्धि पर रोक आदि की सजा दी जाती है तो उसका प्रभाव उसी अवधि में पड़ेगा जिस अवधि में आरोप के चलते उन्हें सजा दी गई है, भले ही सजा उन्हें बाद में मिली हो।

2. इस संबंध में राज्य सरकार ने समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया है कि आर्थिक दण्ड की सजा का प्रभाव भूतलक्षी प्रभाव से नहीं हो सकता है । उक्त आलोक में ऐसी सजाओं का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा तथा यदि पूर्व में भी किसी भी कारण से कोई वेतनवृद्धि नहीं दी गई है तो बाद में निर्गत सजा के आधार पर उसे रोका नहीं जा सकेगा तथा उसका प्रभाव भविष्य में प्राप्त होने वाले वेतनवृद्धियों पर ही पड़ेगा।

विश्वासभाजन
ह०/-
(रविकान्त)
सरकार के सचिव

पीत पत्र के अभाव में

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
उप सचिव/(निगरानी)
मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग
अधीक्षण अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/4/5 एवं बाढ मोनिटरिंग

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि मोनिटरिंग संगठन की संचिकाओं में माननीय मंत्री महोदय के स्तर अथवा मेरे स्तर से स्पष्ट कार्रवाई हेतु स्पष्ट निदेशों के बाद भी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से निर्गत होने वाले प्रारूप अनुमोदनार्थ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थपित किये जाते हैं, जिसकी कोई आवश्कता नहीं है तथा इस कारण कार्रवाई में अनावश्यक विलम्ब होता है ।

निदेश दिया जाता है कि भविष्य में संबंधित विभागीय अनुसचिवीय पदाधिकारियों द्वारा अपने स्तर से जाँचोपरान्त प्रारूप अनुमोदित कर निर्गत किये जायें तथा यदि किसी किलष्ट मामले में प्रारूप पर अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन आवश्यक हो तो उक्त पदाधिकारियों द्वारा ही संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष कारण सहित उपस्थापित की जाय।

ह०/-
(वी० जयशंकर)
आयुक्त एवं सचिव

पत्र सं०-7/सी 09-1076/03- 2600
बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग
निदेशक, कमाण्ड विकास निदेशालय,
जल संसाधन विभाग, पटना

पटना, दिनांक- 26.5.04

विषयः- मृत/सेवा निवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन पावनाओं के भुगतान में विलम्ब के कारण ब्याज का सृजन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि प्रायः ऐसा पाया जाता है कि मृत/सेवानिवृत सरकारी कर्मियों के सेवा निवृत्ति लाभ के रूप में पावनाओं अथवा बकाये अन्य राशि के भुगतान में विलम्ब के कारण सरकार को अतिरिक्त सूद राशि का वहन करना पड़ता है । साथ ही सेवाकर्मियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त उनके विरूद्ध लंबित स्थायी/अस्थायी अग्रिमों एवं उनके प्रभार में कमी पाये गये सरकारी सामानों का मूल्य का उल्लेख करते हुए उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वसूली की अनुशंसा उनके सेवा निवृत्ति देय लाभों से की जाती है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त पावनाओं से बिना विहित प्रक्रिया अपनाये हुए की गयी वसूली या कोषागार पदाधिकरी को पत्र लिखकर वसूल करने का अनुरोध को सही नहीं ठहराया गया है ।

अतएव ऐसे मामलों में नियंत्री पदाधिकारी सुनिश्चित करें कि -

1. सेवा निवृत्ति के पूर्व सरकारी कर्मियों का सेवा पुस्त एवं सामान्य भविष्य निधि कटौती विवरणी अद्यतन कर ली जाय ।

2. अस्थायी अग्रिम बिहार लोक निर्माण सेवा संहिता के नियम-100 के तहत पारित प्रमाणकों के विरूद्ध दी जाय तथा इसका समायोजन उसी वित्तीय वर्ष में सेवा निवृत्ति तिथि के पूर्व कर ली जाय ।

3. यदि असमायोजित अग्रिम राशि लंबित रह जाती है तथा सरकारी सामानों में कमी सत्यापन द्वारा पाते हैं तो उस कमी के सामानों का मूल्य निर्धारित करते हुए सभी लंबित राशियों की वसूली हेतु कार्रवाई तथा वेतन से कटौती/विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पूर्व सुनिश्चित कर वसूली पूरी करेंगे । सेवानिवृत्ति के पश्चात बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 "बी" के तहत कार्रवाई पूरी कर वसूली राशि को वसूली करें या समय बीत जाने पर मनीसूट के माध्यम से कार्रवाई की जाय ।

4. सेवा निवृत्त/मृत सरकारी कर्मियों के पेंशन पावनाओं का भुगतान ससमय करने का दायित्व कार्यालय प्रधान/नियंत्री पदाधिकारी का है । उनके विरूद्ध लंबित एवं असमायोजित अग्रिम राशि अथवा सरकारी सामानों में कमी के सामानों को राशि वसूली का भी पूर्ण दायित्व नियंत्री पदाधिकारी का ही है अन्यथा बिहार लोक निर्माण सेवा संहिता अनुबंध-"ए" के नियम-23 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्री पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ संबंधित

कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी एवं सरकारी वसूलनीय राशि/सूद की राशि के वसूलों उत्तरदायी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों से की जायेगी।

कृपया इसके अनुपालन सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अशोक कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक सं०- 2600 / पटना, दिनांक - 26.05.04

प्रतिलिपि- निदेशक, राजस्व प्रशासन, जल संसाधन विभाग/निदेशक, भू अर्जन, जल संसाधन विभाग/सभी संयुक्त सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक सं०- 2600 / पटना, दिनांक - 26.05.04

प्रतिलिपि- अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/संयुक्त सचिव, लघु सिंचाई विभाग को सूचनार्थ एवं आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि जल संसाधन विभाग के प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों के संबंध में त्वरित कार्रवाई करने की कृपा की जाय, ताकि उनके संबंधित सेवानिवृत्ति पावनाओं से ऐसे न्याया विरूद्ध वसूलनीय राशियों को कटौती पर तुरन्त रोक लग सके ।

ह०/-
(अशोक कुमार)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन (सिं०) विभाग

पत्र सं०-5/पी०-1-108/2000- 1172 / पटना, दिनांक- 02.04.2004

<u>आदेश</u>

विभाग में पिछले कुछ वर्षो से विभागीय निगरानी कोषांग द्वारा संधारित सी.भी.सी.एस. तथा प्रबंधन कोषांग में प्रशासनिक मामले से संबंधित स्वच्छता के आधार पर अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियों को प्रोन्नति की कार्रवाई की जाती रही है। निगरानी तथा प्रबंधन कोषांग के अतिरिक्त विभागीय अन्य प्रशाखाओं/कोषांगो द्वारा भी तकनीकी तथा प्रशासनिक आरोपों से संबंधित मामले पर कार्रवाई की जाती है, जिसकी सूचना विधिवत प्रक्रिया के अभाव में प्रबंधन कोषांग मे स-समय उपलब्ध नहीं होने के कारण आरोप संबंधी कार्रवाई प्रभावी रहने के बावजूद कतिपय पदाधिकारियों को प्रोन्नति की सुविधा मिल गई है ।

आरोपों के मामले में ऐसे भी दृष्टांत प्रकाश में आये हैं जब एक ही आरोप पत्र में दो प्रकार के आरोप हैं तो आरोप संबंधी संचिकाएँ योजना एवं मोनेटरिंग, निगरानी प्रशाख एवं प्रबंधन कोषांग में एक साथ ही समय पर चलती है। मामले अगर तकनीकी आरोपों से संबंधित है तो निगरानी शाखा से निष्पादित होती है। अगर आरोप नहरों, बाँधों के टुटान अथवा अनुश्रवण या निरीक्षण की कमी के कारण क्षति होने से संबंधित है तो योजना एवं मोनिटरिंग से निष्पादित होती है, अगर आरोप प्रशासनिक प्रकृति से संबंधित है तो प्रबंधन कोषांग से निष्पादित होती है ।

ऐसे में विभाग में आरोप के मामले के संधारण में एकरूपता नहीं रहती है तथा सूचनाएँ समेकित नहीं होने के कारण विभाग में प्रशासनिक कठिनाईयाँ हो जाती है ।

अतएव सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आरोप से संबंधित सभी संचिकाएँ विभागीय निगरानी कोषांग से ही निष्पादित होंगी, चाहे आरोप जिस प्रकृति का हो ।

पदाधिकारियों/कर्मचारियांे के प्रोन्नति के समय स्वच्छता प्रमाण-पत्र विभागीय निगरानी कोषांग द्वारा प्रदत्त किया जायेगा तथा सी.भी.सी.एस. को पूर्व प्रक्रियानुसार अद्यतन करते रहेंगे । स्वच्छता की सूचना अधियाचना किये जाने पर स्थापना शाखाओं को निगरानी शाखा द्वारा दिया जायेगा ।

यह भी उल्लेखनीय है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक-7979 दिनांक-6-11-2003 जो विभागीय ज्ञापांक-55 दिनांक- 5-1-2004 द्वारा प्रचारित है, की कंडिका-3 के आलोक में निदेशानुसार अग्रेतर कार्रवाई भी विभागीय निगरानी प्रशाखा द्वारा सम्पादित किया जायेगा ।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

ह०/-
(वी० जयशंकर)
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक- 1172 / पटना, दिनांक- 02.04.2004

प्रतिलिपि- मंत्री/राज्य मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (2-2 प्रतियों में)/ आयुक्त एवं सचिव/विशेष सचि, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषंाग)/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास/निदेशक, राजस्व प्रशासन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना/सभी अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मानिटरिंग, पटना । अधीक्षण अभियन्ता, उड़नदस्ता अंचल, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी,

जल संसाधन विभाग एवं प्रभारी कम्प्युटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(आश्रम राय)
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना-15, दिनांक- 17.12.2003

विषयः- सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरूद्ध निलंबन/अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

भारत संघ बनाम के० बी० जानकीरमण एवं अन्य के मामल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये न्याया-निर्णय के आलोक में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/4/91-स्था० (क) दिनांक-14.09.1992 के अनुसरण में राज्य सरकार के पदाधिकारियों के कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार के समय उनके विरूद्ध निलंबन/अनुशासनिक /आपराधिक कार्यवाही आदि के मामलो की स्थिति में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त का निरूपण, संकल्प संख्या- 7457 दिनांक 11.09.2002 के तहत किया गया है ।

2. विधि विभाग/विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त हुआ है कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा- 10 (1) (क) के तहत नेटिस प्रारंभिक जाँच के बाद निर्गत होता है अतः यह प्रारंभिक जाँच के बाद की प्रक्रिया है । इसलिए लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-10 (1) (क) के तहत नोटिस निर्गत होने पर भारत संघ बनाम के०बी० जानकीरमण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायादेश के अनुसार मुहरबन्द लिफाफा का मामला माना जायेगा। अतः लोकायुक्त अधिनियम की धारा-10 (1) (क) के तहत निर्गत नोटिस का भी कुप्रभाव सरकारी सेवक की प्रोन्नति पर पड़ेगा । परन्तु उपर्युक्त निर्गत संकल्प में लोकायुक्त अधिनियम की धारा-10 (1) (क) के तहत निर्गत नोटिस का कुप्रभाव संबंधी प्रावधान नहीं है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक्रूपेण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने उक्त संकल्प सं०- 7457 दिनांक- 11.09.2002 की कंडिका-2 के खंड (प) को निम्नांकित रूप में प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है-

"(i) सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ेगा और विभागीय प्रोन्नति समिति इस संकल्प में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विचार करेगीः-

(क) निलंबित सरकारी सेवक,

(ख) सरकारी सेवक, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप-पत्र निर्गत किया गया हो ।

(ग) सरकारी सेवक जिन पर किसी आपराधिक आरोप के लिए फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लम्बित हो, (व्याख्या- आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लंबित समझी जायेगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में अभियोग-पत्र (Charge Sheet) समर्पित किया गया हो), और

(घ) लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-10 (1)(क) के तहत निर्गत नोटिस ।"

4. उपर्युक्त संकल्प दिनांक- 11.09.2002 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प तुरंत लागू होगा । इसे बिहार राजपत्र के** असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

के० ए० एच० सुब्रहमणियन

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक-3/एम1-49/2001-का०-9270 पटना-15, दिनांक- 17.12.2003

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 1000 मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

ह०/-

नितेन चन्द्र

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/एम1-49/2001-का०-9270 पटना-15, दिनांक- 17.12.2003

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी अनुमंडलाधिकारी/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखाओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (प्रशाख 3-100 प्रतियाँ)

ह०/-

नितेन चन्द्र

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/एम1-49/2001-का०-9270 पटना-15, दिनांक- 17.12.2003

प्रतिलिपि- बिहार लोक सेवा आयोग/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त का कार्यालय, पटना/मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

नितेन चन्द्र
सरकार के अपर सचिव

सं० 3/एम1-10/2002-7979
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

6 नवम्बर 2003

विषयः- राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गो/पदों के पदाधिकारियों/कर्मियों को दी जानेवाली प्रोन्नति की प्रक्रिया का सरलीकरण-मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग आदि से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन की अधियाचना के संबंध में।

राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गो में दी जानेवाली प्रोन्नति के पूर्व निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण-पत्र की अधियाचना और स्वच्छता प्रमाण-पत्र की मान्यता की अवधि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के ज्ञाप संख्या 4010/81-1709 दिनांक 2 दिसम्बर 1982 एवं ज्ञापांक नि०वि० 4445/85-4609, दिनांक- 1 नवम्बर 1985 में निरूपित है । प्रोन्नति में विलम्ब के कारणों को दूर करने और प्रोन्नति की प्रक्रिया सरल बनाने पर विचारार्थ दिनांक 15 अक्टूबर 2001 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचारोपरान्त कतिपय अनुशंसाये की गई । उन अनुशंसाओं में मत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी शामिल है ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय में जानकीरमण के मामले में पारित आदेश के आलोक में राज्यकर्मियों के लिए भी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा संकल्प संख्या-7457 दिनांक-11 सितम्बर 2002 निर्गत किया गया है । तद्नुसार सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ेगा और विभागीय प्रोन्नति समिति उक्त संकल्प में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विचार करेगी:-

(क) निलंबन

(ख) अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निणर्य लिया गया हो और आरोप पत्र निर्गत किया गया हो, एवं

(ग) किसी आपराधिक आरोप के लिए फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लम्बित हो (आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लम्बित समझी जायेगी जिस तिथि को न्यायालय में अभियोग-पत्र समर्पित किया गया हो) ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 (1) (क) के तहत नोटिस निर्गत होने पर भारत संघ

बनाम के०बी० जानकीरमण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायादेश के अनुसार मुहरबंद लिफाफा का मामला माना जायेगा, अतः लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(1) (क) के तहत निर्गत नोटिस का भी कुप्रभाव सरकारी सेवक की प्रोन्नति पर पड़ेगा ।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकारी कर्मियों के निगरानी स्वच्छता के संबंध में राज्य द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभाग/कार्यालय अपने यहाँ संबंधित विभाग/कार्यालय के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग/पदसमूह के लिए एक-एक पंजी संधारित करें जिसमें विभागीय कार्यवाही, विभिन्न थानों तथा निगरानी विभाग में दर्ज प्राथमिकी, समर्पित चार्जशीट एवं लोकायुक्त कार्यालय से लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत की गयी नोटिस और / अथवा अनुशंसाएँ संबंधी सूचनाएँ हों । विभाग/कार्यालय में उपलब्ध इन सूचनाओं के आधार पर विभागीय पदाधिकारियों के संबंध में प्रशासी विभाग निगरानी स्वच्छता (Vigilance clearance) निर्धारित करें । मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई में संबंधित प्रशासी विभाग को वैसे पदाधिकारियों / कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी जिनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज है एवं चार्जशीट समर्पित हुई है । इसी सूची के आधार पर विभाग/कार्यालय में संधारित पंजी को अद्यतन कर लिया जायेगा । इसी प्रकार लोकायुक्त कार्यालय से भी जनवरी एवं जुलाई माह में लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त नोटिस और / अथवा अनुशंसाओं की अद्यतन सूचना प्राप्त कर विभाग में संधारित पंजी अद्यतन कर ली जायेगी ।

4. राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत संकल्प/पत्र/अनुदेश तद्नुसार इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

5. यह संकल्प तुरंत लागू होगा ।

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित** किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी/मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग/लोकायुक्त कार्यालय को दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
के० ए० एच० सुब्रहमणियन
सरकार के मुख्य सचिव

बिहार सरकार
वित्त विभाग
<u>अधिसूचनाएँ</u>

चूँकि उद्योग विभाग के ज्ञापांक- 3514 दिनांक- 28.09.2002 द्वारा संकल्प के रूप में निर्गत "सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002" में कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं इसके तहत सभी विभागों/निगमों/प्राधिकारों/पर्षदों/सेवायत्त संस्थाओं द्वारा सामग्री क्रय में बिहार राज्य में

अवस्थित उद्योगों को तात्कालिक प्रभाव से कतिपय रियायतें देने का निर्णय लिया गया है तथा सामग्री खरीद अधिमानत नीति, 2002 में किये गये संशोधन एवं दी गई रियायतों के फलस्वरूप बिहार वित्त नियमावली के परिशिष्ट-8 की प्रस्तावना, परिशिष्ट-8 का नियम-2 एवं नियम 129 का संशोधन करना अपेक्षित है; इस लिए अब बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 58 की उपधारा (1) एवं (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार वित्त नियमावली को संशोधन करने हेतु बिहार की राज्य सरकार निम्नलिखित बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2002 बनाती हैं:-

बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2002

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः-

(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2002 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी ।

2. बिहार वित्त नियमावली के परिशिष्ट-8 की प्रस्तावना का प्रतिस्थापनः-

बिहार वित्त नियमावली के परिशिष्ट-8 की प्रस्तावना निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगीः-

"राज्य सेवाओं के लिए अपेक्षित सामग्रियों की खरीद इस तरह की जाय कि मितव्ययिता और कार्यकुशलता की अपेक्षाओं की सुरक्षा करते हुए बिहार में अवस्थित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिले। इस निमित्त उद्योग विभाग को सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002 के अनुरूप, राज्य सरकार के सभी विभागों/निगमों/पर्षदों/प्राधिकारों एवं स्वायत्त संस्थाओं द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों में, राज्य में अवस्थित एवं निबंधित वृहद/मध्यम उद्योगों (लोक क्षेत्र उपक्रमों सहित) द्वारा उत्पादित ऐसी सामग्रियों को, बिहार राज्य के बाहर स्थित वृहत/मध्यम उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की तुलना में, अधिकतम 2 (दो) प्रतिशत तक मूल्य-अधिमानता दी जायगी । इसी प्रकार, बिहार राज्य में अवस्थित एवं कार्यरत स्थायी निबंधित लघु उद्योगों को राज्य के बाहर स्थित लघु/मध्यम/वृहद उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री की तुलना में अधिकतम-7 (सात) प्रतिशत तक मूल्य-अधिमानता दी जायगी । मूल्य अधिमानता देते समय सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि खरीद ऐसी इकाईयों से ही की जा रही है जो गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रचालित/मान्य मानकों का पालन करते हों ।"

3. बिहार वित्त नियमावली के परिशिष्ट-8 के नियम- 2 का प्रतिस्थापनः-

बिहार वित्त नियमावली के परिशिष्ट-8 का नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

"जहाँ, 20,000 (बीस हजार) रुपये से अधिक का क्रय प्रस्तावित न हो वहाँ भारतवर्ष में अवस्थित इकाईयों से मूल्य-तालिका के आधार पर क्रय का निर्णय लिया जा सकता है । अन्य सभी मामालों में (नीचे) के नियमों में वर्णित विशिष्ट अपवाद की स्थिति को छोड़कर सभी क्रयों में निविदायें मांगी जायेंगी । प्रत्येक निविदा में यह प्रावधान रहेगा कि बिहार में स्थित औद्योगिक

ईकाई और राज्य के बाहर उत्पादनरत इकाई के कारपोरेट कार्यालय/स्थानीय, एजेन्ट, प्राधिकृत डीलर, जो बिहार राज्यान्तर्गत वाणिज्य-कर के अन्तर्गत निबंधित है, भी निविदा में भाग ले सकंेगे ।

ऐसे मामलों को छोड़ कर जहाँ स्थानीय बाजार से आम उपयोग की सामग्रियों का क्रय किया जाना यथा-स्टेशनरी इत्यादि, निविदाओं का आमंत्रण द्वि-लिफाफा प्रणाली के आधार पर किया जाय । तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में प्राप्त की जायगी । यदि किसी विशिष्ट मामला में निविदा की द्वि-लिफाफा प्रणाली लागू होने पर संशय हो तो उस पर उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम होगा। निविदा में भाग लेनेवाली ईकाईयों से जिन तकनीकी मानकों (यथा आई०एस०आई०, आई०एस०ओ०, एगमार्क इत्यादि) की अपेक्षा है, उनका उल्लेख निविदा में किया जायगा और सर्वप्रथम, खोली गयी तकनीकी निविदाओं में जो इकाईयाँ तकनीकी मानकों पर खरी उतरें उन्हीं की वित्तीय निविदाएँ खोली जायगी । सरकारी क्रय के लिये बिहार स्थित लघु औद्योगिक इकाइयों को अरनेस्ट मनी देने की आवश्यकता नहीं होगी । उन्हें सामान्य जमानत की मात्र 20 प्रतिशत राशि लघु जमा करनी होगी । किन्तु क्रयादेश प्राप्त होने पर, बिना यथेष्ट कारण, सामग्री-आपूर्ति न कर पाने की दशा में, उन्हें प्रक्रियानुसार ब्लैक लिस्ट किया जाय । क्रयादेशित वस्तुयें, स्वीकार किये जाने के पहले, निरीक्षण के अधीन रहेंगी और जिन वस्तुओं के लिए क्रय पदाधिकारी द्वारा विशेष विवरण या जाँच अथवा दोनों विहित हों, तो तदनुकूल सुनिश्चित की जायगी और तदुपरांत ही सामग्री की प्राप्ति ली जाएगी ।"

4. बिहार वित्त नियमावली के नियम 129 का संशोधनः-

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 129 के प्रथम वाक्य में प्रयुक्त शब्दों "खरीद लोक सेवा को निश्चित आवश्यकताओं के अनुसार पूरी मितव्ययिता से करनी चाहिए" के बाद निम्नलिखित वाक्य अतः स्थापित किया जायगा:-

"मूल्य में अधिमानता, सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002 के क्रम में, परिशिष्ट-8 की प्रस्तावना में अंकित प्रतिशत राशि तक दी जा सकेगी।"

5. बिहार वित्त नियमावली के नियम 30 के उप नियम (टप्) में खण्ड (क), (ख) एवं (ग) को जोड़ा जानाः-

बिहार वित्त नियमावली के नियम 30 के उपनियम (टप्) में खण्ड (क), (ख) एवं (ग) को जोड़े जायेंगः-

"(क) अगर किसी कार्य के लिए प्रथम बार निविदा आमंत्रित करने पर एक एकल निविदा प्राप्त हो तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जाय ।

(ख) अगर दोबारा निविदा आमंत्रित करने पर भी एकल निविदा ही प्राप्त होते हैं, तो उसका निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।

(ग) नामांकन के आधार पर किसी विशेष कंपनी/फर्म/मुद्रणालय से सामग्रियों का क्रय/मुद्रण से संबंधित सभी मामले संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा पूर्ण औचित्य के

साथ संलेख वित्त विभाग के परामर्शोपरांत मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जायेंगे । मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही क्रय/मुद्रण के कार्य कराये जायेंगे ।"

6. बिहार वित्त नियमावली के नियम 234 के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) का जोड़ा जानाः-

कार्य विभागों के लिए बिहार वित्त नियमावली के नियम 234 में निम्नलिखित खंड (क), (ख), (ग) एवं (घ) जोड़े जायेंगे:-

"(क) अगर किसी कार्य के लिए प्रथम बार निविदा आमंत्रित करने के फलस्वरूप अनुसूचित दर या उससे अधिक या उससे कम दर पर एकल निविदा प्राप्त हो तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जाएगी ।

(ख) अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के फलस्वरूप एक से अधिक निविदाएँ प्राप्त होती है अथवा अनुसूचित दर या उससे कम दर पर एकल निविदा, प्राप्त होती है तो उसका निपटारा सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वंय किया जाएगा ।

(ग) अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के फलस्वरूप अनुसूचित दर से अधिक पर एकल निविदा, प्राप्त होती है तो उसका निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के निविदा निष्पादन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा ।

(घ) यह प्रक्रिया सभी कार्य विभागों के लिए लागू माने जायेंगे ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(उमेश नारायण पंजियार)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक- 1730 वि० (2) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय ।

ह०/-
(उमेश नारायण पंजियार)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक- 1730 वि० (2) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त/सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग/वाणिज्य-कर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, पटना । सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप-विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय उद्योग निदेशालय/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ निदेशक, हस्ताकरघा एवं रेशम/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(उमेश नारायण पंजियार)

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक- 1730 वि० (2) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह०/-

(उमेश नारायण पंजियार)

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक- 1730 वि० (2) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, राँची/महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(उमेश नारायण पंजियार)

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

सं०- 3/एम-1-49/2001-7457

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

11 सितम्बर 2002

विषयः- सरकारी सेवकों को प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरूद्ध निलम्बन/अनुशासनिक/ आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत ।

राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार के समय आरोपों, प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों, अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही एवं लोकायुक्त के द्वारा निर्गत नोटिस आदि के कुप्रभाव के संबंध में विभिन्न परिपत्रों/संकल्पों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता रहा है । उदाहरणार्थ, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं०- 4512 दिनांक- 12 मार्च 1979 एवं 9146 दिनांक 12 जुलाई 1991 के द्वारा प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के कुप्रभाव के संबंध में और पत्रांक 18326 दिनांक 27 सितम्बर 1998 के द्वारा लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 (1)(क) के अन्तर्गत निर्गत नोटिस के प्रथम दृष्टया प्रमाणित माने जाने का मार्गदर्शन दिया गया है । इस विषय के संबंध में भारत संघ बनाम के०बी० जानकीरमण एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय-निर्णय के आलोक में भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/4/91-स्था० (क), दिनांक 14 सितम्बर 1992 के द्वारा एक अद्यतन मार्गदर्शन निर्गत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार का उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य कर्मियों के लिए लागू करने का विषय विचाराधीन था ।

2. प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत- राज्य सरकार ने इस विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के दिनांक- 14 सितम्बर 1992 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुरूप राज्य के सभी सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार के लिये भी निम्नांकित प्रक्रियाओं एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू किया जाय ।

(i) सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ेगा और विभागीय प्रोन्नति समिति इस संकल्प में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विचार करेगीः-

(क) निलम्बित सरकारी सेवक,

(ख) सरकारी सेवक जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप पत्र निर्गत किया गया हो, और

(ग) सरकारी सेवक जिनपर किसी आपराधिक आरोप के लिये फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कर्यवाही लंबित हो, [व्याख्या- आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लंबित समझी जायेगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में अभियोग-पत्र (charge sheet) समर्पित किया गया है] ।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति ऊपर वर्णित कोटियों के अन्तर्गत आनेवाले सरकारी सेवकों के मामले पर भी, उनके विरूद्ध लंबित अनुशासनिक मामलों/आपराधिक कार्यवाही रहते हुए भी, अन्य सुयोग्य उम्मीदवारों के साथ प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी । विभागीय प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष (जिसमें प्रोन्नति के लिये अयोग्य भी शामिल हो सकता है) मुहरबन्द लिफाफा में रखा जायेगा । इस लिफाफे के ऊपर "श्री ..... (सरकारी सेवक का नाम) के संबंध में ..... ग्रेड/पद पर प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष । इसे ..... के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही के निष्पादन के उपरान्त ही खोला जायेगा" अंकित किया जायेगा । विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही में संबंधित सरकारी सेवक के विषय में मात्र इस आशय की टिप्पणी अंकित की जायेगी कि "निष्कर्ष संलग्न मुहरबन्द लिफाफे में रख दिया गया है ।"

(iii) जब किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिये विभागयी प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबन्द लिफाफे में रखा गया हो तो एतद् संबंधी रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर भरा जा सकता है ।

(iv) उपर्युक्त कंडिका (2) में उल्लिखित प्रक्रिया भविष्य में आयोजित की जानेवाली सभी विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा भी तब तक अपनाई जाती रहेगी जबतक कि वह

संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक मामला/आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है ।

(v) यदि विभागीय प्रोन्नति समिति किसी भूतलक्षी तिथि के प्रभाव से प्रोन्नति पर विचार कर रही हो तो भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार मुहरबन्द लिफाफे में निष्कर्ष रखा जायेगा ।

(vi) ऐसे किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरूद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता है, के निष्पादित हो जाने पर मुहरबन्द लिफाफे/लिफाफों को खोला जायेगा । ऐसे मामले में जब संबंधित सरकारी सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया गया हो, तो उस स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफों में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार, उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्न्ति की तारीख के संदर्भ में निर्धारितत की जायेगी । ऐसे सरकारी सेवक को यदि जरूरी हो तो स्थानापन्न आधार पर कार्य करने वाले कनिष्ठतम व्यक्ति को पदावनत (रिवर्ट) कर प्रोन्नति किया जा सकेगा । ऐसे पदाधिकारी को, उसके कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में, वैचारिक रूप से (नोशनल) प्रोन्नत किया जा सकेगा । संबंधित सरकारी सेवक को वास्तविक प्रोन्नति की तिथि से पूर्व वैचारिक (नोशनल) प्रोन्नति की अवधि के लिए बकाया वेतन का भुगतान किया जायेगा अथवा नहीं और, यदि हाँ, तो किस सीमा तक, इसका निर्णय संबंधित मामलें में नियोक्ता प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए लिया जायेगा जहाँ कहीं भी प्राधिकार द्वारा वेतन अथवा उसके किसी अंश के बकायों को अस्वीकृत किया जाता है तो ऐसे निर्णय के कारणों को रिकॉर्ड किया जायेगा। ऐसे सभी स्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाना तथा विस्तृत रूप में निरूपित करना संभव नहीं है, जिनके अंतर्गत वेतन अथवा उसके किसी अंश के बकायों का अस्वीकृत करना जरूरी हो, तदापी उपाहणार्थ ऐसे मामलों में भुगतान अस्वीकृत किया जा सकता है जहाँ कार्यवाही (चाहे अनुशासनिक या आपराधिक) में स्वंय सरकारी सेवक के अनुरोध के कारण विलम्ब हुआ हो अथवा जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही में दी गई विमुक्ति (क्लीयरेंस) या आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति (एक्वीटल) संदेह लाभ के कारण हो, अथवा साक्ष्य उपलब्ध न होने से संबंधित कर्मचारी के कृत्यों से जोड़ा जा सके ।

(vii) यदि अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप सरकारी सेवक को दंड दिया जाता है अथवा उसके विरूद्ध आपराधिक अभियोजन में उसे दोषी पाया जाता है, तो उस स्थिति में मुहरबन्द लिफाफे नहीं खोले जायेंगे और उसकी प्रोन्नति के मामले पर, सामान्यतः उसे

दिये गये दंड को ध्यान में रखते हुए अगली विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में विचार किया जायेगा ।

3. दोषी पाये जाने पर दंड की सीमा- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी ऐसे मामले में जहाँ सुसंगत नियमों के अधीन कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गयी हो और सरकारी सेवक को दोषी पाया गया हो तो ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसे मात्र 'चेतावनी' की सजा नहीं दी जानी चाहिए । यदि कार्रवाई के परिणामस्वरूप ऐसा पाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी पर आरोप प्रमाणित होता है तो उसे कम-से-कम "निन्दन" की सजा दी जानी चाहिए ।

4. कार्यवाही के निष्पादन में शीघ्रता- यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सरकारी सेवक के विरूद्ध लगाये गये किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही में अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं किया जाय और इस संबंध में कार्रवाई को शीघ्रशीघ्र अंतिम रूप दिये जाने के सभी प्रयास किये जायें, ताकि सरकारी सेवक के मामले को मुहरबन्द लिफाफे में कम से कम अवधि तक ही रखने की परिस्थिति बने । अतः यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नियोक्ता प्राधिकारों को चाहिए कि वे ऐसे सरकारी सेवकों के प्रकरणों की, जिनके उपयुक्तता संबंधी मामले को अगले ग्रेड पर प्रोन्नति करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति ने संज्ञान लिया था और सरकारी सेवक की उपयुक्तता पर विचार कर अपने निष्कर्षो को मुहरबन्द लिफाफ में रखा था, उनके मामलों पर विभागीय प्रोन्नति समिति समिति के आयोजन की तारीख से छः माह की अवधि समाप्त होने पर विस्तृत रूप से समीक्षा की जानी चाहिए । ऐसी समीक्षा बाद में भी, हर छह महीने के अन्तर पर की जानी चाहिए । इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई/आपराधिक कार्यवाही में हुई प्रगति का जायजा लिया जाना चाहिए तथा उन्हें जल्द-से-जल्द पूरा करने के लिये आगामी उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

5. कार्यवाही निष्पादन में विलम्ब की स्थिति में तर्थद प्रोन्नति की संभावना- उपर्युक्त कंडिका-4 में उल्लिखित छमाही समीक्षा किये जाने के बावजूद, कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें पहली विभागीय प्रोन्नति समाप्ति, जिसने सरकारी सेवक के संबन्ध में अपने निष्कर्षों को मुहरबन्द लिफाफे में रखा था, की बैठक की तारीख़ से दो साल बाद की सरकारी सेवक विरूद्ध अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन संबंधी मामलों में अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है । ऐसी परिस्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे सरकारी सेवक के मामले की समीक्षा करें । अगर वह सरकारी सेवक निलम्बनाधीन न हो, तो निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे तदर्थ प्रोन्नति दिये जाने की संभावना पर विचार किया जाए -

(क) क्या सरकारी सेवक की प्रोन्नति लोकहित के विरूद्ध होगी?

(ख) क्या आरोप इतने गंभीर हैं कि उसे प्रोन्नति से वंचित रखे रहना जरूरी है?

(ग) क्या निकट भविष्य में इस मामले के पूरा होने की संभावना है?

(घ) क्या किसी विभागीय अथवा किसी आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिये जाने में होने वाले विलम्ब में सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रूप में संबंधित सेवक का कोई हाथ है?

(घ) क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधित सेवक तदर्थ प्रोन्नति के बाद प्राप्त हुई अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग कर सकता है और जिसके परिणामस्वरूप विभागीय मामले/आपराधिक कार्यवाही से संबंधित कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है?

नियुक्ति प्राधिकार यदि उचित समझे तो कारणों को लिखित रूप से दर्शाते हुए लोकायुक्त के कार्यालय, निगरानी विभाग अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई / आपराधिक अभियोजन प्रारम्भ हुआ था, से परामर्श लिया जा सकता है । किन्तु नियुक्ति प्राधिकार इस संकल्प में उल्लिखित निदेशों के विपरीत परामर्श को मानने के लिये बाध्य नहीं होंगे ।

6. तदर्थ प्रोन्नति पर विचार- यदि नियुक्ति प्राधिकार इस आशय के किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सरकारी सेवक को तदर्थ प्रोन्नति दिया जाना लोकहित के विरूद्ध नहीं होगा तो उस परिस्थिति में इस संबंध में इस आशय का कोई निर्णय लिये जाने के लिये कि यथा संबंधित अधिकारी तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के लिये उपयुक्त है या नहीं, उसके मामले को दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद सामान्यतः आयोजन की जाने वाली अगली विभागीय प्रोन्नति समिति के सम्मुख रखा जाना चाहिए । इस प्रकार के सभी मामले में जहाँ सरकारी सेवक के नाम पर तदर्थ प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना हो, वहाँ विभागीय प्रोन्नति समिति को चाहिए कि वह, उस सरकारी सेवक के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक मामले/ आपराधिक कार्यवाही पर ध्यान नहीं देते हुए, उस व्यक्ति के सेवा के समय रिकार्ड के आधार पर इस मामले का मूल्यांकन करें ।

7. तदर्थ प्रोन्नति सम्बन्धी आदेश- किसी सरकारी सेवक की तदर्थ के आधार पर प्रोन्नति किये जाने के संबंध में निर्णय ले लिये जाने के बाद ही उसकी प्रोन्नति का आदेश जारी किया जाना चाहिए और जारी आदेश में ही उल्लेख किया जाना चाहिए किः-

(i) प्रोन्नति विशुद्ध रूप में तदर्थ आधार पर की जा रही है और इस तदर्थ प्रोन्नति से सरकारी सेवक को नियमित प्रोन्नति का कोई हक हासिल नहीं होगा, तथा

(ii) प्रोन्नति "अगले आदेश तक" ही होगी । इस प्रकार के आदेशों में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि सरकार उक्त तदर्थ प्रोन्नति को रद्द करने तथा संबंधित कर्मचारी को उसी पद पर वापस भेजने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिस पद से उसे प्रोन्नत किया गया है ।

8. तदर्थ प्रोन्नति का विनियमन- यदि संबंधित सरकारी सेवक को मामले के गुण-दोष के आधार पर आपराधिक अभियोजन से दोष मुक्त कर दिया जाता है अथवा विभागीय कार्यवाही में पूरी तरह दोषरहित करार कर दिया जाता है तो तदर्थ प्रोन्नति को नियमित प्रोन्नति में बदल दिया जाय

तथा तदर्थ प्रोन्नति होने की तारीख से ही सभी संबंधित प्रसुविधाओं को नियमित प्रोन्नति के रूप में संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। यदि ऐसे सरकारी सेवक को मुहरबन्द लिफाफे / लिफाफों में रखी गई विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही से निश्चित किये गये उसके स्थानक्रम को देखते हुए तदर्थ प्रोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से और उसी विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे उक्त सरकारी सेवक के तत्काल बाद कनिष्ठ स्थान दिया गया है, की प्रोन्नति की वास्तविक तारीख से, संबंधित सरकारी सेवक को उपर्युक्त कंडिका-2 (vi) में निरूपित देय वरिष्ठता तथा कल्पित (नोशनल) प्रोन्नति की सुविधियें दे दी जायेंगी ।

9. दोषमुक्त नहीं होने पर प्रत्यावर्तन- यदि सरकारी सेवक को आपराधिक कार्यवाही से गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि तकनीकी आधार पर ऐसा किया जाता है और सरकारी इस मामले को किसी उच्च न्यायालय में अपील में ले जाना चाहती है अथवा विभागीय तौर पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करना चाहती है अथवा यदि ऐसे सरकारी सेवक को विभागीय कार्यवाही से दोष रहित करार नहीं दिया जाता है तो प्रोन्नति को रद्द कर उसे निम्नतर पद पर प्रत्यावार्तित कर दिया जाना चाहिए ।

10. निलंबित सरकारी सेवक के स्थायीकरण का दावा- किसी निलंबनाधीन सरकारी सेवक के स्थायीकरण के दावे पर विचार करते समय भी पिछली कंडिकाओं में उल्लिखित प्रक्रियाओं का ही अनुसरण किया जाना चाहिए । जब ऐसे किसी अधिकारी के मामले को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा मुहरबन्द लिफाफे में रखा जाता है तो उसके लिये एक स्थायी रिक्ति भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए ।

11. विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के बाद कंडिका 2(i) की स्थिति सामने आना- कोई सरकारी सेवक जिसकी विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परन्तु जिसके मामले में कंडिका 2(i) में उल्लिखित कोई स्थिति विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश प्राप्त होने के बाद, परन्तु वास्तविक रूप में उसकी प्रोन्नति होने से पहले सामने आती है, तो उन पर उसी प्रकार से विचार किया जायेगा जैसे कि विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा निष्कर्ष मुहरबन्द लिफाफ में रखा गया होगा । ऐसे सरकारी सेवक को तबतक प्रोन्नति नहीं किया जायेगा जब तक उसे उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न कर दिया जाय और इस संकल्प में दिये गये उपबन्ध उसके मामले में भी लागू होंगे ।

12. यह निर्णय तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

13. राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत संकल्प पत्र/अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प तुरन्त लागू होगा । इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/- अस्पष्ट
सरकार के मुख्य सचिव

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक- 09.09.2002

विषयः- राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गो/पदों के पदाधिकारियों/कर्मियों के वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अभिलेखन के संबंध में ।

राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गो/पदों के पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रोन्नति के लिए वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति उपलब्ध कराने के संबंध में समय पर चारित्री उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रोन्नति देने में कठिनाई महसूस की गई । प्रोन्नति की प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक- 15.10.2001 को हुई बैठक में चारित्री उपलब्ध कराने हेतु पूर्व की प्रक्रिया को और सरल बनाने की अनुशंसा की गई ।

उपर्युक्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अभिलेखन के संबंध में निम्न निर्णय लिया हैः-

1. वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च तक) की समाप्ति पर सभी पदाधिकारियों के द्वारा अपनी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के लिए स्व-मूल्यांकन प्रपत्र/सांख्यिकी अनुपूरक 30 अप्रैल तक अपने-अपने प्रतिवेदन प्राधिकार को समर्पित कर दी जाए । संबंधित पदाधिकारियों से यह प्रपत्र/सांख्यिकी प्राप्त नहीं होने पर संबंधित कार्यालय के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा कार्यालय अभिलेख के आधार पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का विहित प्रपत्र प्रविष्टि कर प्रतिवेदक पदाधिकारी के समक्ष 30 मई तक अभ्युक्ति अभिलेखन हेतु उपस्थापित/प्रेषित कर दिया जाए । संबंधित प्रतिवेदक प्राधिकार के द्वारा 15 जुलाई तक वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अवश्य अभिलिखित कर दी जाए ।

2. प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ प्राप्ति के एक माह के अन्दर समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार द्वारा अभिलेखित कर दी जाए । इस प्रकार वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का अभिलेखन वर्ष के 30 सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जाए । प्रतिवेदक पदाधिकारी अपने द्वारा अंकित गोपनीय अभ्युक्ति की एक प्रति संबंधित पदाधिकारी के द्वारा समर्पित सांख्यिकी अनुपूरक विवरणी के साथ प्रशासी विभाग को भेजेंगे ।

3. जहाँ प्रतिवेदक पदाधिकारी निर्धारित समय सारणी के अनुरूप अपनी अभ्युक्ति अंकित नहीं करते हैं, वहाँ समीक्षा पदाधिकारी के द्वारा अभ्युक्ति सीधे अंकित की जाएगी । जिसके लिए प्रशासी विभाग के द्वारा संबंधित पदाधिकारी से प्राप्त सांख्यिकी अनुपूरक विवरणी की प्रति समीक्षा पदाधिकारी को भेजेंगे ताकि समीक्षा पदाधिकारी गोपनीय अभ्युक्ति अंकित कर सकें ।

साथ ही प्रतिवेदक पदाधिकारी की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में इस बात का उल्लेख करेंगे कि उनके द्वारा समय पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का अभिलेखन नहीं किया गया है ।

उक्त निर्णय के आलोक में वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अभिलेखन के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश तदनुसार संशोधित समझे जाएँगे ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और उसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
अरविन्द प्रसाद

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना- 15, दिनांक- 5.7.2002

विषयः- राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गो आदि में प्रोन्नति के लिए वेतनमान आधारित कालावधि की व्यवस्था।

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गो में प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि में एकरूपता नहीं है । विभिन्न सेवाओं/संवर्गो में एक ही स्तर पर प्रोन्नति के लिए अलग-अलग कालावधि निर्धारित है । कई संवर्गो में उच्चतर स्तर पर ज्यादा कालावधि के कारण प्रोन्नति में कठिनाईयाँ हो रही थी ।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या- ए०बी० 14017/2/97- इस्ट (आर० आर०) दिनांक- 25.05.98 के द्वारा वेतनमान आधारित कालावधि परिचालित की गई है । केन्द्रीय पैटर्न लागू करने के सैद्धांतिक निर्णय के क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की व्यवस्था के अपनाए जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन था ।

3. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधीन एक स्तर की विभिन्न सेवाओं/संवर्गो आदि में कालावधि के बिन्दु पर एकरूपता रखने के प्रयोजनार्थ विभिन्न सेवाओं/संवर्गो आदि में भारत सरकार के अनुरूप वेतनमान आधारित निम्नलिखित कालावधि व्यवस्था समान रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू की जाएः-

क्रमांक	वेतनमान जिससे प्रोन्नति दी जानी है (रुपये में)	वेतनमान जिसमें प्रोन्नति दी जानी है (रुपये में)	कालावधि (वर्ष)
1	2550-3200	2610-3540	2 वर्ष
2	2610-3540	2650-4000	2 वर्ष

3	2650-4000	2750-4400	2 वर्ष
4	2650-4000	3050-4590	4 वर्ष
5	2750-4400	3050-4590	3 वर्ष
6	3050-4590	3200-4900	3 वर्ष
7	3200-4900	4000-6000	5 वर्ष
8	3050-4590	4000-6000	2 वर्ष
9	4000-6000	4500-7000	5 वर्ष
10	4000-6000	5500-9000	10 वर्ष
11	4500-7000	5000-8000	3 वर्ष
12	4500-7000	5500-9000	6 वर्ष
13	4500-7000	6500-10500	8 वर्ष
14	5000-8000	5500-9000	3 वर्ष
15	5000-8000	6500-10500	6 वर्ष
16	5500-9000	6500-10500	3 वर्ष
17	5500-9000	7500-12000	7 वर्ष
18	5500-9000	8000-13500	8 वर्ष
19	6500-10500	7500-12000	3 वर्ष
20	6500-10500	8000-13500	5 वर्ष
21	6500-10500	10000-15200	8 वर्ष
22	7500-12000	8000-13500	2 वर्ष
23	7500-12000	10000-15200	6 वर्ष
24	8000-13500	10000-15200	5 वर्ष
25	10000-15200	12000-16500	5 वर्ष
26	10000-15200	14300-18300	10 वर्ष
27	12000-16500	14300-18300	5 वर्ष
28	14300-18300	18400-22400	3 वर्ष
29	14300-18300	16400-20000	2 वर्ष
30	16400-20000	18400-22400	2 वर्ष

उपर्युक्त वेतनमान् आधारित कालावधि तालिका मात्र निम्न वेतनमान से ठीक ऊपर के वेतनमान् में प्रोन्नति के लिए हैं । इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि किसी निम्न वेतनमान से ठीक ऊपर के वेतनमान को लांघकर (jump) दूसरे या तीसरे ऊपर के वेतनमान में प्रोन्नति दे दी जाएगी। उदाहरणतः तालिका के क्रमांक-3 पर 2650-4000 वेतनमान से 2750-4400 रुपये के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए 2 वर्ष की कालावधि दी हुई है । क्रमांक-5 पर 2750-4400 वेतनमान से 3050-4590 के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए 4 वर्ष की कालावधि दी हुई है । क्रमांक-4 में 2650-4000 के वेतनमान से 3050-4590 वेतनमान में प्रोन्नति के लिए 4 वर्ष की कालावधि दी हुई है। यदि किसी सेवा संवर्ग में लगातार निम्न 3 वेतनमान हैं:-

(i) 2650-4000 (ii) 2750-4400 और (iii) 3050-4590 तो प्रोन्नति क्रमानुसार 2650-4000 से 2750-4400 और 2750-4400 से 3050-4590 के वेतनमान में अलग-अलग समय पर आवश्यकता आधारित रिक्तियाँ रहने पर प्रोन्नति की सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुए क्रमशः 2 एवं 3 वर्ष की कालावधि मानते हुए की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में 2650-4000 से 3050-4590 में 4 वर्ष की कालावधि मानते हुए सीधे प्रोन्नति नहीं दी जाएगी । 2650-4000 से 3050-4590 के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए 4 वर्ष की कालावधि ऐसे संवर्ग के लिए हैं जहाँ 2650-4000 से ठीक ऊपर 3050-4590 में प्रोन्नति देय है ।

4. उपर्युक्त कालावधि मात्र प्रोन्नति के लिए विचार करते समय निम्नतर वेतनमान में संबंधित कार्मिक के द्वारा की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि है। इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि कालावधि के पूर्ण होने पर सभी कार्मिकों को वरीयतर वेतनमान में प्रोन्नत कर दिया जाएगा । प्रोन्नति के लिए वरीयतर वेतनमान में आवश्यकता आधारित पदों की रिक्ति एवं अन्य आवश्यकताओं पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जाएगा ।

5. यदि किसी सेवा /संवर्ग की नियमावली में कालावधि संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे तदनुकूल संशोधित कर लेगा । नियमावली में ऐसा संशोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद् के समक्ष संलेख के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है । प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिता कराकर नियमावली में कालावधि संबंधी संशोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे ।

6. कालावधि का यह एकरूप निर्धारण राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं/संवर्गाे एवं पद समूहों आदि में केवल आवश्यकता आधारित प्रोन्नतियों के लिए समान रूप से लागू होगा । परंतु, कालबद्ध प्रोन्नतियों यथा राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 12 एवं 24 वर्ष पूरा होने पर प्रोन्नति की व्यवस्था, में यह कालावधि लागू नहीं होगी ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(अरविन्द प्रसाद)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 11/वि०4-काला०नि०/छू०-03/2001- 280 / पटना, दिनांक- 5.7.02

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालयय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) प्रतियां कार्मिक एवं प्र०सु०विभाग (प्रशाखा-1) को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 11/वि०4-काला०नि०/छू०-03/2001- 280 / पटना, दिनांक- 5.7.02

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय/बिहार लोक सेवा आयोग/ लोकायुक्त के कार्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 41/वि०-101/2000- 5424 / पटना दिनांक- 27.07.2002

प्रतिलिपि- वित्तीय परामर्श / सभी अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी निदेशक/सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव/अधीक्षक अभियंता, पो०एवंमो०/अधीक्षक अभियंता, उड़नदस्ता अंचक-1 एवं 2/ सभी अवर सचिव/सभी निबंधक एवं सभी प्रशाखा पदाधिकार, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
(चन्द्रशेखर पासवान)
सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या-7/पी०एस०सी०-3-103/90 (खंड) का०-25

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री हर्ष वर्धन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,

अध्यक्ष, लोकाउद्यम ब्यूरो, पटना ।

पटना-15, दिनांक- 2 जनवरी, 1991

विषयः- विभागीय प्रोन्नति समिति में तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लोक उपक्रमों में नियुक्ति / प्रोन्नति हेतु गठित समितियों/ उच्च स्तरीय चयन समितियों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारियों का मनोनयन ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या- 2653 दिनांक- 18 फरवरी, 1989 के कंडिका-2 में "विभागीय प्रोन्नति समितियों" के गठन तथा उनकी कार्यप्रणाली के संबंध में पूर्ण विचार कर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया जा चुका है:

1. बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम-7 में जो संशोधन किया गया है, यह सिर्फ राज्य सेवाओं/संवर्गो के लिए लागू होगा अर्थात् राज्य सेवाओं/संवर्गो के बाहर जो अन्य पद हैं, उनमें यथावत पहले की भाँति जहाँ आवश्यक हो, लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायगी । उसी प्रकार उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं / संवर्गो के जिन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति का मामला लोक सेवा आयोग के दायर से बाहर नहीं गया है उन पदों पर भी पहले की भाँति जहाँ आवश्यक हो लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायगी । संशोधित नियमावली बिहार न्यायिक सेवा के बारे में लागू नहीं होगी ।

2. विभागीय प्रोन्नति समितियों के गठन के प्रयोजनार्थ सरकार के विभागों को चार समूहों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक समूह के विभागों के लिए अलग-अलग विभागीय प्रोन्नति समिति/समितियाँ गठित की गयी हैं । सम्प्रति सभी विभागों के अधीन अलग सेवा / संवर्ग नहीं है । कुछ ही विभागों के अधीन सेवा तथा संवर्ग है, अतः कालक्रम में समूह के किसी विभाग के अधीन सेवा संवर्ग गठित होने तक संबंधित कार्मिकों की नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में संबंधित समूह के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति राज्य सरकार को अनुशंसा देने के लिए सक्षम होगी ।

विभागीय समूहन तथा विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन संबंधी सूची (परिशिष्ट "ग") इसके साथ संलग्न की जा रही है ।

3. अतः उपर्युकत के आलोक में सूचित करना है कि प्रत्येक विभाग समूह के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति में तथा विभाग समूह में अंकित प्रत्येक विभागों/अधीनस्थ लोक उपक्रमों की विभागीय प्रोन्नति समितियों/उच्चस्तरीय प्रोन्नति समितियों में निम्नांकित पदाधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया जाता हैः-

1. श्री भानु प्रताप शर्मा — 1. विनियंत्रण संबंधी विभाग (समूह "क")

अपर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग — तथा सेवा विभाग (समूह "घ")

2. श्री हर्षवर्धन — 2. कार्य विभाग (समूह "ख")

संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

3. श्री हेम नारायण कंठ — 3. विकासात्मक विभाग (समूह "ग")

संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

उपर्युक्त संबंध में पूर्व में निर्गत पत्र /पत्रों को अनुक्रमित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(हर्षवर्धन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 7 /पी०सी०सी०-103/90 (खंड)- का०-25 दिनांक- 2 जनवरी, 1991

प्रतिलिपि- श्री भानु प्रताप शर्मा, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/ श्री हर्षवर्धन, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/श्री हेम नारायण कंठ, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(हर्षवर्धन)

सरकार के संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-"ग"

विभागों का समूहन तथा विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन ।

समूह "क"- विनियंत्रण संबंधी विभाग		**गठित विभागीय प्रोन्नति समिति**
1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (निगरानी, निर्वाचन, प्रोटोकोल तथा मुख्यमंत्री सचिवालय सहित)	(क)	1. सदस्य, राजस्व पषर्द-अध्यक्ष सदस्यगण
2. गृह विभाग		2. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग		3. सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग
4. राजभाषा विभाग		4. संबंधित विभाग जिसके प्रशासनधीन सेवा/सवंर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस

विभाग के सचिव, बशर्ते कि वे अलग से इस समिति का सदस्य न हो ।

5. संसदीय कार्य विभाग

6. वित्त विभाग

7. खान एवं भूतत्व विभाग

8. परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

9. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

10. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

12. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

13. विधि विभाग

प्रशासनिक सुधार विभाग

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के निम्नतर के न हों ।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

(ख) परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम श्रेणी-II एवं III तथा बिहार आरक्षी सेवा के उपाधीक्षक के पदों वरीय प्रवर कोटि के आरक्षी के विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगीः-

1. मुख्य सचिव- अध्यक्ष

सदस्यगण

2. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

3. मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत 7300-7600 रु० वेतमान में भा०प्र०से० के दो पदाधिकारी

4. सचिव, गृह विभग (केवल आरक्षी उपाधीक्षक के लिए)
5. आरक्षी महानिदेशक (केवल आरक्षी उपाधीक्षक के लिए)
6. कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

समूह ''ख''- कार्य विभाग	**गठित विभागीय प्रोन्नति समिति**
1. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)	1. सचिव, जल संसाधन विभाग- अध्यक्ष
2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	सदस्यगण
3. पथ निर्माण विभाग	2. सचिव, पथ निर्माण विभाग
4. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	3. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
5. ग्रामीण विकास विभाग (केवल ग्राम्य एवं आवास विभाग	4. अभियंता प्रमुख, भवन निर्मण
अभियंत्रण संगठन)	5. संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा/संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सदस्य न हों ।
	6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यनूतर न हों ।
	7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत

	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

समूह ''ग''- विकासात्मक विभाग	**गठित विभागीय प्रोन्नति समिति**
1. योजना एवं विकास विभाग	1. कृषि उत्पादन आयुक्त- अध्यक्ष
2. ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन रहित)	सदस्यगण 2. सचिव, सहकारिता विभाग
3. नगर विकास विभाग	3. सचिव, पशुपालन एवं मत्सय विभाग
4. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
5. औद्योगिक विकास विभाग	5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक
6. ईख विभाग	पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों।
7. वन एवं पर्यावरण विभाग	6. संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन
8. कृषि विभाग	सेवा/सवंर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है
9. सहकारिता विभाग	उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस
10. पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग	समिति के सदस्य न हों ।
11. ऊर्जा विभाग	7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत
12. पर्यटन विभाग	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक
13. 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग	पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

समूह ''घ''- विकासात्मक विभाग	**गठित विभागीय प्रोन्नति समिति**
1. मानव संसाधन विकास विभाग	1. अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो- अध्यक्ष
2. स्वास्थ्य विभाग	सदस्यगण
3. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग

4. परियोजना एवं सांस्थिक वित्त विभाग
5. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
प्रशासनाधनी
6. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

3. सचिव, स्वास्थ्य विभाग
4. संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके सेवा/संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना हो उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सचिव न हों ।
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों।
6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
ज्ञाप सं०-7/पी०एस०सी०3-101/88 का०-5305

सेवा मे,

सरकार के सभी विभागीय सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष ।

विषयः- विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गो के पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति के निमित्त विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन-समिति के अध्यक्ष के संबंध में ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या- 7/पी०एस०सी० 3-101/88 का०-2653, दिनांक 28.2.1989 द्वारा विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गो के जिन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले बिहार लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर रखे गये हैं, उन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित्त चयन/अनुशंसा करने हेतु "विभागीय प्रोन्नति समिति" का गठन तथा उसकी कार्यप्रणाली का निरूपण किया गया है । संकल्प के परिशिष्ट "ग" में सरकार के सभी विभागों को विभिन्न समूहों में विभक्त करते हुए हर विभाग के लिए एक-एक विभागीय समिति भी गठित की गयी है। उक्त संकल्प के अनुसार विभागों का समूहन और समिति का जो गठन किया गया है उसमें प्रत्येक समिति हेतु एक-एक अध्यक्ष मनोनीत किये गये हैं । परन्तु उस समय यह ध्यान नहीं रखा जा सकता कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि यदि मनोनीत अध्यक्ष कनीय रहें और दूसरे सदस्य उनसे वरीय रहें तो ऐसी स्थिति में बैठक आयोजित करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है ।

अतः ऐसी परिस्थिति के निराकरण हेतु विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक समूहन में, जो भी विभागीय सचिव सदस्य मनोनीत किये गये हैं, उनमें से वरीयतम सचिव उस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

ह०/-
ए०यू० शर्मा
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञाप सं०- 7/पी०एस०सी० 3-101/88 का० 5305 पटना, दिनांक- 16 मई, 1990

प्रतिलिपि- बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद/उच्च न्यायालय, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना एवं राँची / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी प्रशाखाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/-
हर्षवर्द्धन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

संकल्प: विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन तथा उनकी कार्य-प्रणाली के निरूपण के सम्बन्ध में ।

सं० 7/पी०एस०सी० 3-101/88 का०- 2653

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

28 फरवरी 1989

विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गो के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन एवं तत्संबंधी कार्यों में अत्यधिक वृद्धि के चलते बढ़ते कार्यभार तथा अन्य कार्यकलापों के भार को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिकों की नियुक्ति / प्रोन्नति के मामलों में त्वरित निर्णय लेने के उद्देश्य से राज्य सेवाओं/संवर्गों के कई स्तरों के पदों पर प्रोन्नति के मामले में त्वरित निर्णय लेने के उद्देश्य से राज्य सेवाओं/संवर्गों के कई स्तरों के पदों जिन पर प्रोन्नति के मामले में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा, के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 1174, दिनांक- 24 फरवरी, 1989 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम 7 (स) समाविष्ट होने के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं / संवर्गों के जिन पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति के मामले बिहार लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है, उन पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति के निमित्त चयन/अनुशंसा करने हेतु "विभागीय प्रोन्नति समिति" का गठन तथा उनकी कार्य-प्रणाली का निरूपण आवश्यक है ।

2. "विभागीय प्रोन्नति समितियों" के गठन तथा उनकी कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में पूर्ण विचार कर राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया हैः-

(1) बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम-7 में जो संशोधन किया गया है, वह सिर्फ राज्य सेवाओं/संवर्गों के लिए लागू होगा अर्थात् राज्य सेवाओं/संवर्गों के बाहर जो अन्य पद हैं, उनमें यथावत् पहले की भाँति जहाँ

आवश्यक हो, लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायगी । उसी प्रकार उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों के जिन पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति का मामला लोक सेवा आयोग के दायरा से बाहर नहीं गया है उन पदों पर भी पहले की भाँति जहाँ आवश्यक हो, लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी । संशोधित विनियमावली बिहार न्यायिक सेवा के बारे में लागू नहीं होगा । संशोधित विनियमावली के विनियम-7 (स) की एक प्रति परिशिष्ट "क" के रूप में इसके साथ संलग्न है ।

(2) विभागीय प्रोन्नति समितियों के गठन के प्रयोजनार्थ सरकार के विभागों को चार समूहों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक समूह के विभागों के लिए अलग-अलग विभागीय प्रोन्नति समिति/समितियाँ गठित की गयी है । सम्प्रति सभी विभागों के अधीन अलग सेवा/संवर्ग नहीं है । कुछ ही विभागों के अधीन सेवा तथा/अथवा संवर्ग है, अतः कालक्रम में समूह के किसी विभाग के अधीन सेवा / संवर्ग गठित होंगे तक सम्बन्धित कार्मिकों की नियुक्ति / प्रोन्नति के मामले में संबंधित समूह के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति राज्य सरकार को अनुशंसा देने के लिए सक्षम होगी । वर्तमान में विद्यमान राज्य सेवाओं/संवर्गो की सूची परिशिष्ट "ख" में अंकित है । भविष्य में कोई राज्य सेवा/संवर्ग गठित होने पर वह स्वतः परिशिष्ट "ख" में सम्मिलित किया गया समझा जायेगा ।

3. जैसा कि ऊपर कंडिका-2 (2) में उल्लेख किया गया है, सरकार के विभागों को चार-समूहों में विभक्त किया गया है । इस प्रकार समूह में विभागों के प्रशासनाधीन राज्य सेवाओं/संवर्गों के पदों के निमित्त विभागीय प्रोन्नति समितियों का गठन परिशिष्ट "ग" के अनुसार किया जाता है । विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के लिए कोरम 4 (चार) सदस्यों का होगा । परन्तु निजी सहायक संवर्ग के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के लिए कोरम 3 (तीन) सदस्यों का होगा ।

4. संबंधित विभागीय प्रोन्न्ति समिति के अध्यक्ष से तिथि एवं समय लेकर समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना देना, बैठक के लिए टिप्पणी तैयार करना तथा अन्य सभी कागजात जैसे स्वच्छता प्रमाण-पत्र, चारित्री आदि अद्यतन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों को देने की जिम्मेवारी संबंधित प्रशासी विभाग की होगी । इसी प्रकार बैठक के बाद अध्यक्ष की अनुमति लेकर बैठक की कार्यवाही तैयार करना और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त करना भी प्रशासी विभाग की जिम्मेवारी होगी । विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वे इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन अलग से भी दे सकेंगे ।

5. प्रशासी विभाग की यह जिम्मेवारी रहेगी कि प्रत्येक पंचांग वर्ष में होनेवाली रिक्तियों के विरूद्ध इसके पहले वर्ष के दिसम्बर तक विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अगले वर्ष में प्रोन्नति देने के लिए एक पैनल तैयार करायें ताकि अगले वर्ष में होनेवाली रिक्तियों के विरूद्ध समय पर प्रोन्नति का आदेश निर्गत किया जा सके।

6. चूंकि वर्ष 1989 प्रारम्भ हो गया है, इसलिए 1989 के लिए सभी कार्रवाई 30 अप्रील, 1989 तक अवश्य ही पूरी कर ली जाय । तदनुसार वर्ष 1990 के लिए पैनेल दिसम्बर, 1989 तक अवश्य ही तैयार कर ली जायगी।

7. यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

8. इस संकल्प के निर्गत होने के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत एतद् सम्बन्धी संकल्प / निदेश / परिपत्र आदि उस हद तक संशोधित समझे जायेंगे जिस हद तक इस संकल्प के प्रावधान के अनुसार आवश्यक हों ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराय जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
एम०-एल० मजुमदार, सचिव

परिशिष्ट 'क'

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

<u>अधिसूचना</u>

24 जनवरी 1989

सं० 7/पी०एस०सी० 3-101/88-1-का०-1174- भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नियुक्ति विभाग (सम्प्रति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना संख्या ए-8767, दिनांक 8 जुलाई 1975 के साथ प्रकाशित एवं समय-समय पर यथासंशोधित बिहार लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियमावली, 1957 में निम्नलिखित अतिरिक्त विनियम समाविष्ट करते हैंः-

<u>संशोधन</u>

विनियम 7 (अ) एवं 7 (ब) के नीचे 7 (स) निम्न रूप में समाविष्ट किया जाता हैः-

"7 (स) राज्य सेवाओं / संवर्गों के विभिन्न वेतनमान में निम्न नियुक्तियों/प्रोन्नतियों को छोड़कर अन्य मामले में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगाः-

(i) राज्य सेवाओं/संवर्गों की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति ।

(ii) राज्य सेवाओं/संवर्गों के सुपरटाइम स्केल (विभिनन सेवाओं / संवर्गों में इसके जो भी नामकरण किये गये हों), जिस-जिस में अनुमान्य हो, के प्रथम स्तर के पदों पर नियुक्ति रु प्रोन्नति ।

स्पष्टीकरण- सुपरटाइम स्केल वह वेतनमान है, जो वरीय प्रवर कोटि के वेतनमान के ठीक ऊपर का वेतनमान सम्बन्धित राज्य सेवाओं/संवर्गों में उपलब्ध हो ।

(iii) किसी भी सेवा / सवंर्ग में विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति / प्रोन्नति:

परन्तु यह कि यह अखिल भारतीय सेवाओं एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए लागू नहीं होगा ।

(iv) सचिवालय विभागों एवं संलग्न / सम्बद्ध कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के निबंधक तथा उसके समकक्ष पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति ।

(v) सचिवालय के निजी सहायक संवर्ग में सचिव के पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
एम०एल० मजुमदार, सचिव

परिशिष्ट ''ख''

राज्य सेवाओं/संवर्गों की सूची

	(क) राज्य सेवायें	**(ख)**	**राज्य संवर्ग**
1.	बिहार प्रशासनिक सेवा	1.	बिहार नियोजन संवर्ग
2.	बिहार पशुपालन सेवा	2.	बिहार उत्पाद संवर्ग
3.	बिहार कृषि सेवा	3.	बिहार मत्स्यपालन संवर्ग
4.	बिहार सहकारिता सेवा	4.	बिहार भूतत्व संवर्ग
5.	बिहार शिक्षा सेवा	5.	बिहार उद्योग संवर्ग
6.	बिहार अभियंत्रण सेवा	6.	बिहार खनन संवर्ग
7.	बिहार वित्त सेवा	7.	बिहार सांख्यिकी संवर्ग
8.	बिहार वन सेवा	8.	बिहार नगर निवेश संवर्ग
9.	बिहार स्वास्थ्य सेवा	9.	बिहार प्रशिक्षण संवर्ग
10.	बिहार कारा सेवा	10.	सचिवालय विभागों एवं संलग्न/संबद्ध कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग।
11.	बिहार न्यायिक सेवा का संयुक्त संवर्ग	11.	सचिवालय के निजी सहायकों
12.	बिहार श्रम सेवा		
13.	बिहार आरक्षी सेवा		
14.	बिहार निबंधन सेवा		

नोटः भविष्य में गठित होने वाले राज्य सरकार के सेवा/संवर्ग भी इस सूची समाविष्ट माने जायेंगे ।

परिशिष्ट ''ग''

समूह (क) - विनियंत्रण संबंधी विभाग

1.	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (निगरानी, निर्वाचन, प्रोटोकोल तथा मुख्यमंत्री सचिवालय सहित)	7.	खान एवं भूतत्व विभाग
		8.	परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
		9.	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

2. गृह विभाग
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
4. राजभाषा विभाग
5. संसदीय कार्य विभाग
6. वित्त विभाग
10. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
12. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग
13. विधि विभाग

समूह (ख)-कार्य विभाग

1. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित) विभाग ।
2. लोक स्वास्थ्य-अभियंत्रण विभाग ।
3. पथ निर्माण विभाग ।
4. भवन निर्माण एवं आवास
5. ग्रामीण विकास विभाग (केवल ग्राम्य अभियंत्रण संगठन ।

समूह (ग)-विकासात्मक विभाग

1. योजना एवं विकास विभाग
2. ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन रहित)
3. नगर विकास विभाग
4. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
5. औद्योगिक विकास विभाग
6. ईख विभाग
7. वन एवं पर्यावरण विभाग
8. कृषि विभाग
9. सहकारिता विभाग
10. पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग
11. ऊर्जा विभाग
12. पर्यटन विभाग
13. 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग

परिशिष्ट ''घ''

विभागों का समूहन तथा विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन

समूह ''क''- विनियंत्रण संबंधी विभाग		**गठित विभागीय प्रोन्नति समिति**
1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (निगरानी, निर्वाचन, प्रोटोकोल तथा मुख्यमंत्री सचिवालय सहित)	(क)	1. सदस्य, राजस्व पषर्द-अध्यक्ष सदस्यगण
2. गृह विभाग सुधार विभाग		2. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग		3. सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग
4. राजभाषा विभाग		4. संबंधित विभाग जिसके प्रशासनधीन सेवा/सवंर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस विभाग के सचिव, बशर्ते कि वे

अलग से इस समिति का सदस्य न हो ।

5. संसदीय कार्य विभाग

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के निम्नतर के न हों।

6. वित्त विभाग

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

7. खान एवं भूतत्व विभाग

(ख) परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के

सुपर टाइम

8. परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

श्रेणी-प्प् एवं प्प्प् तथा बिहार

आरक्षी सेवा के

9. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

वरीय प्रवर कोटि के आरक्षी

उपाधीक्षक के पदों

10. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

के विभागीय प्रोन्नति समिति

निम्न प्रकार

11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

गठित होगीः-

12. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

1. मुख्य सचिव- अध्यक्ष

13. विधि विभाग

सदस्यगण

2. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक

सुधार विभाग

3. मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत 7300-7600 रु० वेतमान में भा०प्र०से० के दो पदाधिकारी

4. सचिव, गृह विभग (केवल आरक्षी उपाधीक्षक के लिए)

5. आरक्षी महानिदेशक (केवल आरक्षी उपाधीक्षक के लिए)

	6. कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव के न्यूनतर पंक्ति के न हों ।
समूह ''ख''- कार्य विभाग	**गठित विभागीय प्रोन्नति समिति**
1. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)	1. सचिव, जल संसाधन विभाग- अध्यक्ष
2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	सदस्यगण
3. पथ निर्माण विभाग	2. सचिव, पथ निर्माण विभाग
4. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	3. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
5. ग्रामीण विकास विभाग (केवल ग्राम्य एवं आवास विभाग अभियंत्रण संगठन)	4. अभियंता प्रमुख, भवन निर्मण
	5. संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन सेवा/संवर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सदस्य न हों ।
	6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यनूतर न हों ।
	7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।
समूह ''ग''- विकासात्मक विभाग	**गठित विभागीय प्रोन्नति समिति**
1. योजना एवं विकास विभाग	1. कृषि उत्पादन आयुक्त- अध्यक्ष
2. ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन रहित)	सदस्यगण
	2. सचिव, सहकारिता विभाग

3. नगर विकास विभाग	3. सचिव, पशुपालन एवं मत्सय विभाग
4. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
5. औद्योगिक विकास विभाग	5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक
6. ईख विभाग	पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों।
7. वन एवं पर्यावरण विभाग	6. संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधीन
8. कृषि विभाग	सेवा/सवंर्ग के पदों के संबंध में विचार होना है
9. सहकारिता विभाग	उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस
10. पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग	समिति के सदस्य न हों ।
11. ऊर्जा विभाग	7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत
12. पर्यटन विभाग	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक
13. 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग	पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

समूह ''घ''- विकासात्मक विभाग	**गठित विभागीय प्रोन्नति समिति**
1. मानव संसाधन विकास विभाग	1. अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो- अध्यक्ष
2. स्वास्थ्य विभाग	सदस्यगण
3. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग
4. परियोजना एवं सांस्थिक वित्त विभाग	3. सचिव, स्वास्थ्य विभाग
5. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	4. संबंधित प्रशासी विभाग, जिसके प्रशासनाधनी
6. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	सेवा/सवंर्ग के पदों के संबंध में विचार होना हो उस विभाग के सचिव बशर्ते कि वे अलग से इस समिति के सचिव न हों ।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हों।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के निबंधक से नीचे स्तर के पदों पर प्रोन्नति के मामले पर अनुशंसा करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होगी-

(1) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के विशेष/अपर/संयुक्त/उप-सचिव जो संयुक्त संवर्ग के प्रभार में हों - अध्यक्ष

सदस्यगण

(2) वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

(3) मानव संसाधन विकास विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

(4) जल संसाधन विकास विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

(5) कृषि विभाग के स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों।

(6) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति के न हों ।

सचिवालय निजी सहायक संवर्ग के सचिव स्तर से नीचे के पदों पर प्रोन्नति के मामले पर अनुशंसा करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार गठित होग-

(क) आप्त सचिव के पदों के लिए-

(1) सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग- अध्यक्ष

सदस्यगण

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी विशेष/अपर /संयुक्त/उप-सचिव ।

(3) वित्त विभाग का एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो ।

(4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो ।

(ख) वरीय निजी सहायक के पदों के लिए-

(1) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी विशेष/अपर /संयुक्त/उप-सचिव- अध्यक्ष।

सदस्यगण

(2) वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो ।

(3) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो ।

(4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनाजाति का एक पदाधिकारी जो उप-सचिव से न्यूनतर पंक्ति का न हो ।

सं० 2/पी०एस०/87-4561-का०

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

22 मई, 1987

विषयः- राज्य सरकार के कतिपय स्तर तक के राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण ।

राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु भारतीय सेवायें (गोपनीय पंजियाँ) नियमावली, 1970 के प्रावधानों के अधीन प्रतिवेदक, समीक्षा एवं स्वीकरण पदाधिकारी का राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्धारण किया जा चुका है। इस संदर्भ में कार्मिक विभाग का संकल्प संख्या 21494, दिनांक- 30 नवम्बर, 1977, संकल्प संख्या- 9587, दिनांक- 29 जुलाई, 1981, संकल्प संख्या- 12813, दिनांक- 19 दिसम्बर, 1984 एवं संकल्प संख्या-4489, दिनांक- 1 अप्रील, 1985 संगत है । इसी तरह बिहार प्रशासनिक सेवा के विभिन्न वेतनमानों के क्षेत्र मे पदस्थ पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षा एवं स्वीकरण पदाधिकारी का भी सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत कतिपय परिपत्रों से निर्धारण किया गया है । इस संदर्भ में कार्मिक विभाग का परिपत्र 7444, दिनांक- 30 अप्रील, 1979 एवं संख्या- 7687, दिनांक- 16 जून, 1981 संगत है।

2. राज्य सेवाओं के अन्य पदाधिकारियों जो सचिवालय में विभिन्न स्तरों पर पदस्थापित हैं की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन की प्रक्रिया और स्तर भी समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित होता आया है । कालान्तर में इनमें कई तरह के परिवर्तन हो चुके हैं । फलस्वरूप नाना प्रकार की पद्धतियां विभिन्न विभागों के बीच प्रचलित हैं। जहां तक सचिवालय और विभागाध्यक्ष के कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों की अभ्युक्तियां अंकित करने का काम है,

सरकार यह जरूरी समझती है कि राज्य सेवाओं के अन्य पदाधिकारीगण के बारे में भी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक, समीक्षा एवं स्वीकरण पदाधिकारी तथा प्रक्रिया को स्पष्टतः निर्धारित किया जाय ।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में स्थिति पर भलीभांति विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है-

अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों से विलग राज्य सेवाओं के संबंध में गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन निम्नलिखित प्रतिवेदक/समीक्षा/स्वीकरण पदाधिकारी द्वारा किया जायगा ।

1. सचिवालय के विभागों में

पदाधिकारी का स्तर	प्रतिवेदक पदाधिकारी	समीक्षा पदाधिकारी	स्वीकरण पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
सचिव विशेष / अपर / संयुक्त सचिव	मुख्य सचिव सचिव	प्रभारी मंत्री प्रधान सचिव मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री	अभियंता प्रमुख सह-विशेष सचिव, मुख्य अभियंता-सह-अपर सचिव आदि पर भी लागू होगा।
उप / अवर सचिव	प्रभारी संयुक्त / अपर / विशेष सचिव	सचिव	प्रधान सचिव	

2. विभागाध्यक्ष कार्यालयों में

विभागाध्यक्ष अपर विभागाध्यक्ष, निदेशक / संयुक्त निदेशक जो 1900-2500 रु० के वेतनमान और उससे ऊपर हैं ।	सचिव/प्रधान सचिव विभागाध्यक्ष / सचिव	मुख्य सचिव प्रधान सचिव	प्रभारी मंत्री प्रभारी मंत्री

3. क्षेत्रीय पदस्थापनों में

स्वतंत्र दायित्वों का प्रभार है तथा 1,900-2,500 रु०	विभागाध्यक्ष	सचिव/प्रधान सचिव	प्रभारी मंत्री

के वेतनमान में या उससे ऊपर है ।			

4. राज्य सेवाओं के उपर्युक्त स्तर के पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियां उपर्युक्त तालिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 1986-87 से अभिलेखित की जायेगी । जहाँ तक वर्ष 1985-86 के लिए अंकित होने वाली अभ्युक्तियाँ, जो बाकी रह गयी हैं, का प्रश्न हैं; उन्हें उक्त वर्ष में निर्धारित / प्रचलित पद्धति/ प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न किया जायगा । वर्ष 1986-87 में जो प्रक्रिया ऊपर निर्धारित की गयी हैं, वह सचिवालय के सभी विभागों तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालय में लागू होगा । यदि इनके अलावा किसी अन्य स्तर के राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन पर प्रश्न उठे तो प्रशासी विभाग के प्रभारी मंत्री का आदेश प्राप्त कर उचित निर्णय लिया जायगा । विशिष्ट मामलों में जहां समुचित मार्गदर्शन की आवश्यकता हो कार्मिक विभाग से परामर्श उपलब्ध किया जा सकता है ।

5. सरकार इस बात पर चिन्तित है कि वर्ष 1985-86 की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन कई विभागों में अपूर्ण रह गया है । हर विभागीय / सचिव/विभागाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वर्ष 1985-86 की अभ्युक्तियों अवश्य ही जून, 1987 तक पूर्ण रूप से अभिलेखित कर ली जाय तथा समीक्षी एवं स्वीकरण की पद्धति भी सम्पन्न करा ली जाय । विभागीय सचिवों से विशेष अनुरोध है कि इसे विशेष प्राथमिकता देने का कष्ट करें ।

6. जहाँ तक वर्ष 1986-87 की वार्षिक अभ्युक्तियों का प्रश्न है, गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन 31 अगस्त, 1987 तक पूर्णतः सम्पन्न कराया जाय । जिन मामलों में प्रभारी मंत्रियों को स्वीकरण पदाधिकारी के रूप में अभ्युक्तियां अंकित करनी है, संगत कागजात संबंधित मंत्री के पास अवश्य ही 31 जुलाई, 1987 तक पहुंच जाय । सचिवों से अनुरोध है कि इस बिन्दु को भी वे विशेष प्राथमिकता देने का कष्ट करें ।

7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इन आदेशों की मोनेटरिंग की जायगी । अतः वर्ष 1985-86 की अभ्युक्तियों के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित विभाग कार्मिक विभाग को जुलाई, 1987 के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध करावें । वर्ष 1986-87 के लिए सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक कार्मिक विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाय । सरकार ने मुख्य सचिव को यह निदेश दिया है कि वे इन आदेशों के अनुपालन की समीक्षा समय पर करें और मुख्य मंत्री को समय पर वस्तुस्थिति से अवगत करावें ।

8. राज्य सरकारी सेवाओं में पदस्थापित राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प/परिपत्र/अनुदेश तथा आदेश तथा उपर्युक्त संशोधित समझा जाय ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

आर० श्रीनिवासन
सरकार के मुख्य सचिव

ज्ञाप सं०-वि०वि०-4445/85-4609

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष

पटना, दिनांक- 1 नवम्बर, 1985

विषयः- प्रोन्नति के पूर्व निगरानी विभाग से प्राप्त स्वच्छता प्रमाण-पत्र की मान्यता की अवधि ।

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के परिपत्र संख्या 34010/81-1709, दिनांक 2 दिसम्बर, 1982 की कंडिका 6 में यह निदेश दिया गया था कि निगरानी विभाग द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण-पत्र निर्गत होने की तिथि से छः महिने तक मान्य होगा । प्रोन्नति संबंधी विभिन्न औपचारिकताओं के निर्वहन में बहूधा छः महीने की अवधि बीत जाती है जिसके कारण निगरानी विभाग से पुनः स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है । उससे निगरानी विभाग का कार्यभार तो बढ़ता ही है साथ ही प्रोन्नति के निर्णय में अनावश्यक विलम्ब भी होता है ।

(2) सरकार ने इस पर भली-भांति विचार कर यह निर्णय लिया है कि निगरानी विभाग द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण-पत्र छः महीने के बदले अब निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगा । सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि स्वच्छता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के बाद जब कभी भी किसी पदाधिकारी के संबंध में निगरानी विभाग द्वारा जाँच मे कोई प्रथम द्रष्टया आरोप पाया जाता है तो निगरानी विभाग उसकी सूचना स्वंय और तुरन्त संबंधित विभाग को देगा ।

(3) यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा ।

कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के मुख्य सचिव

पत्र संख्या- नि० 1-16941/180-532

मुख्य सचिव का कार्यालय

बिहार सरकार

प्रेषक,

श्री पी०पी० नैयार,
सरकार के मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सिंचाई आयुक्त
लोक कार्य आयुक्त
लघु सिंचाई आयुक्त
लोक स्वा० अभि० आयुक्त ।

पटना, दिनांक- 11.2.81

विषयः- कार्य विभागों में चारित्रियों को सुचारू रूप से रखने एवं अनुपलब्ध चारित्रियों के लिए विशेष चारित्री प्राप्त करने के संबंध में ।

महाशय,

बिहार अभियंत्रण सेवा संघ को यह शिकायत रही है (मांग संख्या-13) कि कार्य विभागों में अभियंताओं के चारित्रियों का रख-रखाव एवं संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है जिसके कारण अभियंताओं की प्रोन्नति, स्थायीकरण एवं दक्षतावरोध के मामले में अत्यधिक कठिनाईयाँ होती है तथा इसमें अप्रत्यासित विलम्ब भी कभी-कभी हो जाते हैं ।

अतएव यह आदेश दिया जाता है कि सभी विभागों में अभियंता संवर्ग की चारित्रियों की जिम्मेवारी एक उप सचिव/अवर सचिव को स्वंतत्र रूप से दिया जाय तथा चारित्रियों के रख-रखाव के सभी आधुनिक उपाय तीन माह के अन्दर किये जाये ।

इसके लिए आवश्यक हो तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श लिया जा सकता है। यदि किसी अभियंता की चारित्री किसी वर्ष का अनुपलब्ध है और उस चारित्री के लिए उनके प्रोन्नति स्थायीकरण एवं दक्षतावरोध पार करने के मामले यदि अनुपलब्ध चारित्री के कारण लम्बित हो रहे हों तो संबंधित पदाधिकारी का वर्तमान नियंत्रण पदाधिकारी से विशेष चारित्री लिखने के लिए आदेश देकर विशेष दूत द्वारा उपलब्ध करा लिया जाय तथा यह विशेष चारित्रों अनुपलब्ध चारित्री वर्ष के लिए मान्य होगा एवं सभी कार्य विभाग इसी के आधार पर संबंधित पदाधिकारी के लम्बित मामलों का निष्पादन करेंगे ।

इस विषय पर की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को कृपया अवगत करावें ।

विश्वासभाजन
ह०/-
पी० पी० नैयर
सरकार के मुख्य सचिव

(6)
प्रशिक्षण

निदेशक (मुख्य अभियंता) का कार्यालय
जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना।
का० आ० संख्या 07 / वाल्मी, पटना, दिनांक 16.04.13
कार्यालय आदेश

राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत राज्य के सभी कार्य विभागों के अभियंत्रण संवर्ग को वाल्मी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना है। इस हेतु राज्य संचालन समिति एवं कोर कमिटी द्वारा अब तक निर्धारित प्रशिक्षण के प्रकार के अनुसार इन प्रशिक्षण कायक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वाल्मी के संकाय सदस्यों को निम्न विवरणी के अनुरूप जवाबदेही दी जाती हैः-

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	कोर्स कॉडिनेटर	कोर्स निदेशक	अभ्युक्ति
1	मुख्य अभियंताओं के लिए ओरिएंटेशन कोर्स	03 कार्य दिवस	रीडर, पी०आई०एम०	प्राध्यापक, शोध ए०आर०पी० एवं पी०आई०एम०	सभी कार्य विभागों के लिए एक समान Course Content
2	अधीक्षण अभियंताओं के लिए ओरिएंटेशन कोर्स	05 कार्य दिवस	रीडर, बाढ़ प्रबंधन	प्राध्यापक, पर्यावरण एवं जल निस्सरण	सभी कार्य विभागों के लिए एक समान Course Content
3	कार्यपालक अभियंताओं के लिए ओरिएंटेशन कोर्स	10 कार्य दिवस	रीडर, जल विज्ञान	प्राध्यापक, जल संसाधन अभियंत्रण	विभागवार Course Content
4	सहायक अभियंताओं के लिए रिफ्रेशर कोर्स	15 कार्य दिवस	रीडर, पर्यावरण	प्राध्यापक, पर्यावरण एवं जल निस्सरण	विभागवार Course Content
5	कनिय अभियंताओं के लिए रिफ्रेशर कोर्स	15 कार्य दिवस	रीडर, ए०आर०पी०	प्राध्यापक, शोध ए०आर०पी० एवं पी०आई०एम०	विभागवार Course Content
6	प्रोन्नत सहायक अभियंताओं के लिए इन्डक्शन कोर्स	15 कार्य दिवस	रीडर, भूगर्भ जल विभाग	प्राध्यापक, पर्यावरण एवं जल निस्सरण	विभागवार ब्वनतेम ब्वदजमदज
7	नव नियुक्त सहायक अभियंताओं के लिए इन्डक्शन कोर्स	03 माह	रीडर, रूपांकण	प्राध्यापक, जल संसाधन अभियंत्रण	विभागवार Course Content
8	नव नियुक्त कनीय अभियंताओं के लिए इन्डक्शन कोर्स	03 माह	रीडर, जल निस्सरण	प्राध्यापक, पर्यावरण एवं जल निस्सरण	विभागवार Course Content

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित निर्धारित वार्षिक Calendar के अनुसार प्रशिक्षण आयोजन हेतु संबंधित कोर्स कोआर्डिनेटर संबंधित कोर्स निदेशक के निदेशन में कार्य करेंगे। कोर्स कोआडिनेटर तथा कोर्स निदेश्क वैसी सारी कार्रवाई करेंगे (यथा संबंधित विभाग से प्रशिक्षणार्थियों का मनोनयन, संबंधित विभाग से विमर्श कर Resource Person की व्यवस्था Resource Person से Course material की प्राप्ति एवं प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराना इत्यादि) जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन हो सके ।

3. भू-संपदा पदाधिकारी पूर्व की भाँति प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित वित्तीय एवं अन्य प्रबंधन कार्य करेंगे।

ह०/-
(आर० दयाल)
निदेशक (मुख्य अभियंता)

ज्ञापांक ..... / वाल्मी, पटना, दिनांक ..... /

प्रतिलिपि:- सभी पदाधिकारियों / सभी कर्मचारियों, वालमी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(आर० दयाल)
निदेशक (मुख्य अभियंता)

ज्ञापांक– 308 / वाल्मी, पटना, दिनांक – 16.4.13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल संख्या-1 / श्री जीवनेश्वर रजक, उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(आर० दयाल)
निदेशक (मुख्य अभियंता)

निदेशक (मुख्य अभियन्ता) का कार्यालय
जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), फुलवारी शरीफ, पटना- 801505
फोन- 2452204, फैक्स- 2452330
पत्रांक- ...../

प्रेषक,

ई० आर० दयाल,
निदेशक (मुख्य अभियंता) ।

सेवा में,

1. प्रधान सचिव/सचिव,
   योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना ।
2. प्रधान सचिव/सचिव,
   लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
3. प्रधान सचिव/सचिव,
   नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना ।
4. प्रधान सचिव/सचिव,
   ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।

वाल्मी, पटना, दिनांक- ...../

विषयः- राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत सभी कार्य विभागों के अभियंत्रण संवर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण विषय वस्तु (Course Content) तैयार करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य संचालन समिति (State Steering Committee) एवं कोर कमिटी (Core Committee) द्वारा अब तक निम्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किए गए हैं:-

क्रमांक	प्रशिक्षणार्थी पदाधिकारी की कोटि	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	अभ्युक्ति
1	मुख्य अभियन्ता	Orientation Course	3 कार्य दिवस	सभी विभागों के लिए एक समान विषय वस्तु (Course Content) निर्धारित
2	अधीक्षण अभियन्ता	Orientation Course	5 कार्य दिवस	-वही-
3	कार्यपालक अभियन्ता	Orientation Course	10 कार्य दिवस	विभागवार विषय वस्तु होंगे
4	विभाग में पूर्व से कार्य कर रहे नियमित नियुक्ति वाले सहायक अभियन्ता जो पूर्व से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हुए हैं ।	Refresher Course	15 कार्य दिवस	-वही-
5	विभाग में पूर्व से कार्य कर रहे नियमित नियुक्ति वाले कनीय अभियन्ता जो पूर्व से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हुए हैं ।	Refresher Course	15 कार्य दिवस	-वही-
6	कनीय अभियंता से प्रोन्नत सहायक अभियंता जो सहायक अभियंता कोटि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए है।	Induction Course	15 कार्य दिवस	-वही-
7	अब से नियुक्त होने वाले सहायक अभियंता (नव-नियुक्त सहायक अभियंता)	Induction Course	3 माह/ 60 कार्य दिवस	-वही-

8	अब से नियुक्त होने वाले कनीय अभियंता (नव-नियुक्त कनीय अभियंता)	Induction Course	3 माह/ 60 कार्य दिवस	-वही-

उपरोक्त सूची के क्रमांक 3 से 8 तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक विभाग की कार्य प्रकृति के अनुरूप होंगे।

क्रमांक- 1 तथा 2 के प्रशिक्षण का Course Content जो Core Commitee द्वारा तय किया गया है, परिशिष्ट- 1 एवं 2 पर संलग्न है ।

क्रमांक-3, 7 एवं 8 के प्रशिक्षण का जल संसाधन विभाग के लिए निर्धारित Course Content उदाहरण स्वरूप परिशिषट-3, 4 एवं 5 पर संलग्न है।

कृपया क्रमांक 3 सं 8 तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम (यदि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके विभाग की कार्य प्रकृति एवं अवधि से मेल खाते हों) का विषय वस्तु (Course Content) आप अपने विभागीय आवश्यक्तानुसार तैयार कर तथा उन विषयों से संबंधित Resourse person की सूची बनाकर अद्योहस्ताक्षरी को दिनांक 18.04.2013 तक उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ।

अनु०:- परिशिष्ट 1, 2, 3, 4 एवं 5

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेश्वर दयाल)

निदेशक (मुख्य अभियंता)

ज्ञापांक–305/ वाल्मी, पटना, दिनांक 16.4.13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक अभियंता-1, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना/ श्री जीवनेश्वर रजक, उप सचिव, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(राजेश्वर दयाल)

निदेशक (मुख्य अभियंता)

संख्या 5/टी०-1-10-01/2011...../

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग ।

<u>संकल्प</u>

विषयः- जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना शासी पार्षद (Governing Council) के पुर्नगठन के संबंध में।

राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत सभी कार्य विभागों के अभियंत्रण संवर्ग को जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान पटना के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना है। इस गुरूतर दायित्व के निर्वहन में सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा शासी निकाय के शासी पर्षद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प संख्या - 824, दिनांक 03.11.90 द्वारा संगठित शासी पर्षद को निम्नरूप में पुनर्गठित किया जाता है–

1.	मुख्य सचिव, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3.	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रधान सचिव कृषि विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4.	प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
5.	प्रधान सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
6.	प्रधान सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
7.	प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
8.	प्रधान सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
9.	प्रधान सचिव / सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
10.	प्रधान सचिव / सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
11.	प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
12.	प्रधान सचिव / सचिव, गामीण विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
13.	प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
14.	प्रधान सचिव / सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
15.	महानिदेशक, बिपार्ड/उनके पाधिकृत प्रतिनिधि, बिहार, पटना	सदस्य
16.	अभियंता प्रमुख (प्रभारी वाल्मी), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
17.	निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना	सदस्य सचिव

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि जन साधारण के निमित्त इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागोधयक्षों / महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुशील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक ...../ पटना, दिनांक ...../

प्रतिलिपि:- राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(सुशील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक 912 / पटना, दिनांक 15.4.13/

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना / प्रधान सचिव / सचिव, सभी संबंधित विभाग / महानिदेशक बिपार्ड, वालमी, परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना / जल संसाधन विभाग के सभी अभियंता प्रमुख / सभी मुख्य अभियंता / प्रबंधन कोषांग के सभी पदाधिकारीगण / निबंधन महानिरीक्षक, विकास भवन, पअना / निदेशक (मुख्य अभियंता), पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुशील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/प्रशिक्षण/28/2012-231 पटना, दिनांक-18.03.2013

<u>आदेश</u>

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-12339, दिनांक-14.11.2011 एवं पत्रांक-11356, दिनांक- 14.08.2012 तथा पत्रांक-14868, दिनांक-30.10.2012 के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार के स्तर पर दिनांक-06.11.2012 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सभी कार्य विभागों के अभियंत्रण संवर्ग के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु राज्य संचालन समिति (State Steering Committee for training) का गठन किया जाना है ।

राज्य स्तर पर गठित किये जाने वाले राज्य स्तरीय संचालन समिति निम्नरूपेण गठित किया जाता हैः-

1.	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3.	प्रधान सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य अभि० विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4.	प्रधान सचिव / सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
5.	प्रधान सचिव / सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
6.	प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
7.	प्रधान सचिव / सचिव, गामीण विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य

8. प्रधान सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना सदस्य
9. प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना सदस्य
10. प्रधान सचिव / सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना सदस्य
11. महानिदेशक, बिपार्ड/उनके पाधिकृत प्रतिनिधि, बिहार, पटना सदस्य
12. निदेशक, वाल्मी, फुलवारी शरीफ, पटना सदस्य सचिव

2. इस गठित होनेवाले समिति का मुख्य कार्य, राज्य की घोषित नीति एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य के सभी स्तर के अभियंताओं के ज्ञान एवं कौशल का उन्नयन (न्चकंजपवद) एवं कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव पैदा कर राज्य के विकास में उनकी क्षमता का भरपूर उपयोग करने की दृष्टि से उन्हें समुचित प्रशिक्षण देने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने वाली समस्याओं के निराकरण, नीतिमूलक कार्यों का निष्पादन, प्रशिक्षण से सम्बद्ध रखनेवाली संस्थाओं का चयन करने, प्रशिक्षण के प्रकार एवं प्रशिक्षण हेतु स्थलों का चयन संबंधी कार्य किया जायेगा।

3. राज्य स्टीयरिंग समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर अथवा अधयक्ष द्वारा यथाआवश्यक अनुमोदित तिथि एवं स्थान पर सम्पन्न की जा सकेगी। समिति को अनुसचिवीय सहायता वाल्मी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु समझा जाय।

5. राज्य स्टीयरिंग समिति के गठन के उपरोक्त कंडिकाओं पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 231 / पटना, दिनांक 18.03.13

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 231 / पटना, दिनांक 18.03.13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 231 / पटना, दिनांक 18.03.13

प्रतिलिपि:- समिति के सभी सदस्य/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 231 / पटना, दिनांक 18.03.13

प्रतिलिपि:- सभी अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, (प्रबंधन/अभियंत्रण)/ उप सचिव- प् (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

बिहार सरकार,

<u>जल संसाधन विभाग</u>

पत्रांक- 1/PMC/PMD-3/19/99/भाग- II -821 पटना, दिनांक-01.08.2006

प्रेषक,

ई० ब्रज भूषण प्रसाद सिंह,
मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग, सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारी शरीफ, पटना ।

विषयः- वाल्मी अन्तर्गत अनिवार्य प्रशिक्षण में संशोधन के संबंध में ।

प्रसंगः- आपका पत्रांक-368, दिनांक-06.05.06

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वाल्मी में संचालित सहायक अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारियों के लिये संचालित अनिवार्य प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव विभाग को उपस्थापित किया गया है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि कार्यपालक अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारियों के लिये पाठ्यक्रम में संषोधन किया गया है। सहायक अभियंता के पाठ्यक्रम में कोई संशोधन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है तथा पाठयक्रम पूर्ववत् 60 घंटे का रहेगा। कनीय अभियंता के लिये प्रशिक्षण अनिवार्य करने की कार्रवाई की जा रही है।

<u>संशोधित पाठ्यक्रम</u>

<u>मुख्य अभियंता:- (3 दिन)</u>

1.	computer training	9 hr.
2.	Departmental Proceedings	1 hr.
3.	P.I.M.	1 hr.
4.	Procedure to take up judicial cases	1 hr.
5.	Pension Rules	1 hr.
6.	Arbitration	1 hr.
		14 hr.

अधीक्षण अभियंता:- (4 दिन)

1.	Computer training	9 hr.
2.	Departmental Proceedings	1 hr.
3.	Arbitration	1 hr.
4.	Procedure to take up judicial cases	1 hr.
5.	Pension Rules	1 hr.
6.	Land Acquisition	2 hr.
7.	Forest Conservation Act	1 hr.
8.	PWD Code	1 hr.
9.	P.I.M.	1 hr.
		18 hr.

कार्यपालक अभियंता:- (6 दिन)

1.	Computer training	8 hr.
2.	P.I.M.	4 hr.
3.	Service Code	2 hr.
4.	Bihar Finance Rule	2 hr.
5.	Departmental Proceedings	1 hr.
6.	Procedure to take up judicial cases	1 hr.
7.	P.D.W. Code	2 hr.
8.	Land Acquisition	2 hr.
9.	Forest Conservation Act	1 hr.
10.	Purchase & Budget	2 hr.
11.	Arbitration	1 hr.
		26 hr.

कृपया संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ब्रज भूषण प्रसाद सिंह)

मुख्य अभियंता

(7)

अन्यान्य

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश सं०- 11/अन्य विविध-44/08- पटना, दिनांक-

आदेश

पथ निर्माण विभाग के अधियूचना संख्या- प्र०-6/नियम-03-04/2002-5737 (एस), दिनांक-07.05.07 द्वारा अधिसूचित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 को विभागीय अधिसूचना सं०-3167, दिनांक-12.11.08 द्वारा निर्गत की तिथि से जल संसाधन विभाग के लिए लागु किया गया।

उक्त निर्णय को सर्व साधारण की जानकारी के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक-21.11.08. को दैनिक समाचार पत्रों में आवश्यक सूचना के रूप में प्रकाशित किया गया। उस सूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि जल संसाधन विभाग में सभी श्रेणियों का निबंधन मुख्यालय स्तर से होगा तथा अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग निबंधन पदाधिकारी होंगे।

अतः उपरोक्त के क्रम में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम-04 (ख) के प्रावधानों के तहत अभियंता प्रमुख (मध्य) जल संसाधन विभाग को विभागीय स्तर पर श्रेणी-1, 2 एवं 3 में संवेदकों को निबंधित करने हेतु निबंधन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

ह०/-
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक– /अन्य विविध-44/08– 3825 पटना, दिनांक– 15.07.13

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख (मध्य)/अभियंता प्रमुख (उत्तर)/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी सचिव / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

संकल्प सं०-484, दिनांक 27.12.2011 का प्रतिस्थानी संकल्प

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(मूल्यांकन निदेशालय)

संकल्प

संकल्प संख्या: - II -08 (मू०कार्य)/2010 - 484/पटना, दिनांक- 27.12.2011/दिनांक-10.04.2012

विषयः- मुख्यमंत्री शोध अधयन एवं मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना

बिहार में हाल में आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। पर यह अनुभव किया गया है कि सम्प्रति राज्य में समाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर अध्यन एवं षोध की अत्यंत कमी है। इस कारण नई योजनाओं के सूत्रण एवं वर्तमान योजनाओं के प्रभाव का मूलयांकन शोधपरक नहीं हो पाता। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को और अधिक तेज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बिहार की आर्थिए एवं समाजिक स्थिति के संबंध में निरंतर अध्यन होता रहे, जिसके परिणाम के आधार पर राज्य में योजनाओं का सूत्रण एवं परिमार्जन अबाध गति से जारी रखा जा सके। इसी संदर्भ में राज्य में समाजिक-आर्थिक शोध एवं मूल्यांकन कार्यों के लिए वित्तीय सहायता की योजना चलाने का प्रस्ताव है। जहाँ यह राज्य के भीतर और बाहर के शोधकर्ताओं को राज्य में शोध के लिए प्रेरित करेगा, वहीं इससे राज्य के विकास के लिए एक आधार भी तैयार होगा। इस माध्यम से प्रदेश के विकास में जन भागीदारी बढ़ेगी और योजनाओं को कार्यान्वित करने में आने वाले अवरोधों की पहचान कर उन्हें समय से हटाना संभव हो सकेगा।

योजना का नाम

इस योजना का नाम ''**मुख्यमंत्री शोध, अध्ययन एवं मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना**'' होगा।

उद्देश्य

- बिहार की विकासपरक मुद्दे से संबंधित अध्ययन एवं शोध को प्रोत्साहित करना।
- विकासपरक नीतियों के कार्यान्वयन एवं राज्य में चलाई जा रही योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन को प्रोत्साहित करना।
- राज्य में शोध एवं मूल्यांकन से जुड़ी संस्थानों में शोध की क्षमता वृद्धि करना।

गतिविधियाँ

इस योजनान्तर्गत राज्य के विकासात्मक मुद्दों से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी:-

(क) मूल्यांकन हेतु वित्तीय सहायता

(ख) शोध एवं अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता।

(ग) सेमिनार अथवा कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता

(घ) प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता।

1. मूल्यांकन हेतु वित्तीय सहायता

मूल्यांकन निदेशालय द्वारा समय-समय पर सरकार की नीतियाँ एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु नीतियों/योजनाओं को चिन्हित किया जाएगा। इन मूल्यांकनों के लिए निम्न प्रकार की प्रक्रियाएँ अपनायी जायेंगीः

1.1 विभागीय तौर पर

मूल्यांकन निदेशालय द्वारा राज्य के अंदर एवं बाहर के विविध विषयों के मूल्यांकन विशेषज्ञों की एक सूची तैयार की जायेगी। इस सूची पर राज्य मूल्यांकन समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। सूचीबद्ध विशेषज्ञों से चिन्हित मूल्यांकन विषयों पर परियोजना तैयार कर समर्पित करने का अनुरोध किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के अधीन नामिनेशन के आधार पर राज्य मूल्यांकन समिति के अनुमोदनोपरांत मूल्यांकन कार्य आवंटित किया जायेगा।

1.2 संस्थाओं के माध्यम से

मूल्यांकन निदेशालय द्वारा नीतियों एवं योजनाओं के मूल्यांकन हेतु योग्य संस्थाओं की पहचान कर उनका सूचीकरण किया जायेगा। इन्हीं सूचीबद्ध संस्थाओं के माध्यम से मूल्यांकन का कार्य निम्न प्रक्रिया के अनुसार संपादित किया जायेगा।

1.3 संस्थाओं का सूचीकरण

मूल्यांकन निदेशालय द्वारा संस्थाओं के सूचीकरण हेतु एक मापदंड तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर समपचार पत्रों मे विज्ञापन निकालकर सूचीकरण हेतु इच्छुक संस्थाओं से आवेदन माँगे जाऐंगे। संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित मापदंड के अनुसार ग्रेडिंग किया जायेगा तथा निर्धारित अंक के ऊपर के संस्थाओं की सूची तैयार की जायेगी जिसे राज्य मूल्यांकन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जायेगा। अनुमोदनोपरांत संस्थाओं का तीन वर्षों के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा। तीन वर्षों के बाद पुनः एक एप्रेजल/निरीक्षण किया जायेगा, जिसके आधार पर सूचीबद्ध संस्थाओं का अगले तीन वर्षों के लिए नवीकरण संभव हो सकेगा।

1.4 सूचीबद्ध संस्थाओं से प्रस्ताव

मूल्यांकन निदेशालय द्वारा समय-समय पर चिन्हित विषयों पर मूल्यांकन हेतु बिहार वित्त नियमावली के अन्तर्गत निरूपित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए सूचीबद्ध संस्थाओं से एक निश्चित निथि एवं समय तक तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव समर्पित करने हेतु कहा जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोली के आधार पर संस्था का चयन किया जायेगा तथा कार्य आवंटन किया जायेगा।

1.5 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संस्थानों से एम०ओ०यू०

ऐसे किसी विशिष्ट विषय जिस पर राज्य मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन कराने आवश्यकता महसूस की जाती है तथा इस प्रकार का मूल्यांकन राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों से कराया जाना आवश्क समझा जाता है, वैसी सिथ्ति में नामित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को नामिनेशन के आधार पर कार्य आवेटन किया जायेगा परन्तु उसमें बिहार वित्त नियमावली के अंतर्गत निरूपित प्रक्रिया एवं प्रावधान का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

1.6 मूल्यांकन हेतु सहायता राशि का संवितरण

मूल्यांकन अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता का संवितरण तीन किस्तों में होगा जो निम्नांकित है:-

(क) स्वीकश्त राशि का 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में संवितरित होगी । यह राशि तभी देय होगी जब कार्यान्वयन ऐजेन्सी द्वारा यथा निर्धारित मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांक बॉड पर कार्य आवंटन के लिए मूल्यांकन निदेशालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर सहमति संसूचित की जायेगी। इसके साथ संस्था को मूल्यांकन अध्ययन का प्रारूप, संरचना/ गैर संरचना

प्रश्नावली, प्रत्येक स्तर पर संग्रहित की जानेवाली डाटा/ अध्ययन की अनुसूची संलग्न करना होगा। प्रथम किस्त की राशि की विमुक्ति प्रश्नावलियों/अनुसूचियों की समीक्षा के उपरांत की जायेगी।

(ख) स्वीकृत राशि का 45 प्रतिशत द्वितीय किस्त के रूप में संवितरित होगी। द्वितीय किस्त की राशि का संवितरण एजेंसी द्वारा समर्पित अध्ययन का ड्राफ्रट प्रतिवेदन अथवा विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर की जा सकेगी। प्रगति प्रतिवेदन में अध्ययन की प्रगति यथा आँकड़ा संग्रहण तथा सारणीकरण, अध्ययन कार्य का संक्षिप्त विश्लेषण/ प्रतिवेदन शामिल किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही एजेसी द्वारा प्रथम किस्त की विमुक्त राशि का मदवार व्यय विवरणी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) स्वीकृत राशि का 05 प्रतिशत तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप में संवितरित होगी। यह राशि मूल्यांकन अध्ययन के अंतिम प्रतिवेदन की वांछित संख्या में प्रतियों, सी०डी०-त्व्ड जिसमें अंतिम प्रतिवेदन डाला गया हो, कुल स्वीकृत राशि की अग्रिम प्राप्ति रसीद तथा अध्ययन पर हुए व्यय की विवरणी जो संस्था के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित हो, के उपलब्ध कराने के उपरांत होगी।

2. शोध एवं अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता।

शोध एवं अध्ययन के प्रस्ताव (जिनमें एक्शन रिसर्च, सामाजिक शोध आदि सम्मिलित हो सकते है) विकासात्मक मुद्दों पर ही केंद्रित होंगे।

शोध एवं अध्ययन हेतु दो श्रेणियों में प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे -

- याचित प्रस्ताव अर्थात ऐसे प्रस्ताव जिसमें शोध एवं अध्ययन की आवश्यकता एवं स्वरूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- स्वयाचित प्रस्ताव अर्थात् ऐसे प्रस्ताव जिसमें शोध एवं अध्ययन की आवश्यकता एवं स्वरूप के निर्धारण के लिए आवेदक स्वतंत्र हो

2.1 शोध एवं अध्ययन प्रस्तावः याचित प्रस्ताव

मूल्यांकन निदेशालय द्वारा समय-समय पर शोध एवं अध्ययन के मुख्य विषय चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित मुख्य विषय पर शोध/अध्ययन का प्रस्ताव (निवेदन) योजना एवं विकास विभाग/मूल्यांकन निदेशालय के वेबसाईट पर डाला जाएगा तथा मूल्यांकन हेतु वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित प्रक्रिया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एवं 1.5 के अनुरूप कार्य आवंटित किया जायेगा।

2.2 शोध एवं अध्ययन प्रस्तावः स्वयाचित प्रस्ताव

शोध संस्था, विश्वविद्यालय, स्वयंसेवी संस्था या अन्य अलाभंकारी संस्थाएँ बिहार के विकास से संबंधित मुद्दों पर शोध एवं अध्ययन से जुड़े प्रस्ताव (निवेदन) मूल्यांकन निदेशालय में समर्पित

कर सकेंगे। सरकार द्वारा गठित राज्य मूल्यांकन समिति अथवा इसकी उप समिति के समक्ष इन प्रस्तावों को विचारार्थ उपस्थापित किया जायेगा। समिति/उपसमिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा उपयुक्त प्रस्तावों की स्वीकृति दी जायेगी। राज्य मूल्यांकन समिति द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन हेतु वित्तीय सीमा का निर्धारण किया जायेगा एवं इस सीमा के अधीन प्रस्ताव की स्वीकृति दी जायेगी। तत्काल यह सीमा 10,00000 (दस लाख) रु० तक की होगी।

2.3 शोध एवं अध्ययन हेतु सहायता राशि का संवितरण

शोध/अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता का संवितरण तीन किस्तों में निम्न प्रकार से किया जायेगा:-

(क) स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में संवितरित होगी। यह राशि तभी देय होगी जब कार्यान्वन एजेन्सी द्वारा यथा निर्धारित मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांक बॉड पर कार्य आवंटन के लिए मूल्यांकन निदेशालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर सहमति संसूचित की जायेगी। इसके साथ संस्था को अध्ययन का प्रारूप, संरचना /गैर संरचना प्रश्नावली, प्रत्येक स्तर पर संग्रहित की जानेवाली डाटा / अध्ययन की अनुसूची संलग्न करना होगा । प्रथम किस्त की राशि की विमुक्ति प्रश्नावलियों/अनुसूचियों की समीक्षा के उपरांत किया जायेगा।

(ख) स्वीकृत राशि का 45 प्रतिशत द्वितीय किस्त के रूप में संवितरित होगी । द्वितीय किस्त की राशि का संवितरण एजेंसी द्वारा समर्पित अध्ययन का ड्राफ्रट प्रतिवेदन अथवा विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर की जा सकेगी । प्रगति प्रतिवेदन में अध्ययन की प्रगति यथा आँकड़ा संग्रहण तथा सारणीकरण, अध्ययन कार्य का संक्षिप्त विश्लेषण/प्रतिवेदन शामिल किया जाना अनिवार्य होगा । साथ ही एजेंसी द्वारा प्रथम किस्त की विमुक्त राशि का मदवार व्यय विवरणी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

(ग) स्वीकृत राशि का 05 प्रतिशत तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप में संवितरित होगी । यह राशि अध्ययन के अंतिम प्रतिवेदन की वांछित संख्या में प्रतियों, सी०डी०- त्व्ड जिसमें अंतिम प्रतिवेदन डाला गया हो, कुल स्वीकृत राशि की अग्रिम प्राप्ति रसीद तथा अध्ययन पर हुए व्यय विवरणी जो संस्था के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित हो, के उपलब्ध कराने के उपरांत होगी।

3. सेमिनार अथवा कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता

किसी विश्वविद्यालय, सरकारी या स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा बिहार राज्य से जुड़े विकासत्मक मुद्दों या शोध पद्धतियों, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन से संबंधित सेमिनार / कार्यशाला के प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए अनुमान्य होंगे।

3.1 सेमिनार / कार्यशाला हेतु वित्तीय सहायता एवं परिसीमा

सेमिनार/कार्यशाला हेतु वित्तीय सहायता की सीमा निम्न प्रकार अथवा राज्य मूल्यांकन समिति द्वारा समय-सामय पर निर्धारित परिसीमा के अधीन होगी:

(क) राज्य स्तरीय सेमिनार/कार्यशाला, जिसमें विभिन्न जिलों के प्रतिभागी हों, के लिए वित्तीय सहायता की राशि रु० 400/- (चार सौ रुपये) प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन अथवा पूरे सेमिनार/कार्यशाला, के लिए अधिकतम चालीस हजार रुपये होगी।

(ख) राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशाला, जिसमें 10 प्रतिशत या कम से कम 5 व्यक्ति तक, जो भी अधिक हो, अन्य राज्यों के प्रतिभागियों की सहभागिता हो, के लिए वित्तीय सहायता की राशि रु० 600/- (छः सौ रुपये) प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन अथवा पूरे सेमिनार / कार्यशाला, के लिए अधिकतम एक लाख रुपये होगी।

(ग) राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशाला, जिसमें 10 प्रतिशत या कम से कम 5 व्यक्ति तक, जो भी अधिक हो, अन्य देशों की सहभागिता हो, के लिए वित्तीय सहायता की राशि रु० 1000/- (एक हजार सौ रुपये) प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन अथवा पूरे सेमिनार/कार्यशाला, के लिए अधिकतम तीन लाख रुपये होगी।

नोटः- अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशाला, की स्थिति में आयोजकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे गश्ह मंत्रालय के निदेश के अनुरूप आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ले।

(घ) सेमिनार/कार्यशाला, के आयोजन से संबंधित सभी प्रस्ताव राज्य मूल्यांकन समिति के समक्ष स्वीकश्ित हेतु उपस्थापित किये जायेंगे। राज्य मूल्यांकन समिति की स्वीकृति के उपरांत सेमिनार/कार्यशाला, के आयोजन हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा तथा राशि की किस्तवार विमुक्ति की जायेगी।

3.2 सेमिनार/कार्यशाला हेतु राशि संवितरण

सेमिनार/कार्यशाला के लिए वित्तीय सहायता का संवितरण निम्नांकित दो किस्तों में होगीः

(क) स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में तब संवितरित होगी, जब आयोजक एजेंसी के प्रमुख द्वारा यथा निर्धारित मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांक बॉड पर मूल्यांकन निदेशालय द्वारा आयोजन के शर्तों की सहमति संसूचित की जायेगी। साथ ही एजेंसी द्वारा प्रमुख प्रतिभागियों की सेमिनार में भाग लेने की सहमति पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अंतर्राष्ट्रिय सेमिनार की स्थिति में नोडल/प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त मंजूरी की प्रति प्राप्त होने के उपरांत राशि संवितरित होगी।

(ख) स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत द्वितीय एवं अंतिम किस्त के रूप में संवितरित होगी, यह राशि सेमिनार/कार्याशाला की कार्यवाही की पाँच प्रतियाँ, सी०डी० सहित जिसमें सेमिनार की पूर्ण कार्यवाही दर्ज हो, स्वीकश्त राशि की अग्रिम प्राप्ति रसीद तथा सेमिनार पर हुए व्यय की अभिप्रमाणित विवरणी जो संस्था के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित हो, की प्राप्ति के उपरांत संवितरित होगी। ।

3.3 सेमिनार /कार्यशाला की आयोजन हेतु अन्य शर्तें

(क) सेमिनार /कार्यशाला आयोजित करने हेतु किसी अनुदानग्राही के एक वित्तीय वर्ष में सिंफ एक ही प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे।

(ख) एक ही अनुदानग्राही एजेंसी को एक वर्ष में एक बार से अधिक समिनार/कार्यशाला आयेाजित करने के लिए अनुदान राशि को अप्रोत्साहित किया जाएगा तथा नए एजेंसियों को वित्तीय सहायता के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) सेमिनार /कार्यशाला हेतु वित्तीय सहायता की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) वैयक्तिक शोधकर्ता द्वारा सेमिनार / कार्यशाला के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता

किसी एजेंसी अथवा संस्था/विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्था के द्वारा बिहार राज्य के विकासात्मक मुद्दों से संबंधित किए गए शोध/मूल्यांकन प्रतिवेदन के प्रकाशन हेतु सभी प्रस्ताव राज्य मूल्यांकन समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु उपस्थापित किये जायेंगे। राज्य मूल्यांकन समिति समिति की स्वीकृति के उपरान्त शोध/मूल्यांकन के प्रतिवेदन के प्रकाशन हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा तथा राशि की किस्तवार विमुक्त की जायेगी। इसी प्रकार राज्य सरकार के शोध संस्थानों, विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा स्तर के शिक्षण में लगी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले जर्नल के लिए प्रकाशन हेतु सहायता के प्रस्ताव निवेदित एवं स्वीकृत किये जा सकेंगे। राज्य मूल्यांकन समिति की स्वीकृति पर निम्न वित्तीय सीमा तक प्रकाशन हेतु सहायता दी जा सकेगी ।

4.1 प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता की राशि

किसी एजेंसी अथवा संस्था/विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्था के द्वारा उच्च स्तरीय शोध कार्य के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता इस शर्त पर अनुमोदित होगी कि इसका विस्तृत संदर्भ राज्य के विकासातमक योजना के शोध से संबंधित हो।

(क) शोध कार्य के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता की राशि अधिकतम चालीस हजार रुपये अथवा राज्य मूल्यांकन समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित परिसीमा के अधीन होगी। सहायता की राशि प्रकाशित की जानेवाली सामग्री की संख्या एवं प्रतियों पर भी निर्भर होगी।

(ख) राज्य सरकार के शोध संस्थानों, विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालयों के स्नात्तकोतर विभागों एवं स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा स्तर के शिक्षण में लगी संस्थाओं या शोध/मूल्यांकन में लगी स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा शोध, अनुश्रवण या मूल्यांकन अधारित जर्नल (पत्रिका) के प्रकाशन हेतु चालीस हजार रुपये प्रति जर्नल की सीमा अथवा राज्य मूल्यांकन समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित परिसीमा के अधीन तक दी जा सकेगी।

4.2 प्रकाशन सहायता हेतु राशि का संवितरण

प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता का संवितरण निम्नांकित दो किस्तों में होगा:-

(क) स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में तब संवितरित होगी, जब एजेंसी के प्रमुख द्वारा यथा निर्धारित मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांक बॉड पर मूल्यांकन निदेशालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर सहमति संसूचित की जायेगी तथा जिसका प्रारूप संरचना अथवा प्रस्तावित प्रकाशन सामग्री का सारांश संलग्न हो।

(ख) स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत द्वितीय एवं अंतिम किस्त के रूप में संवितरित होगी, यह राशि प्रकाशित पुस्तक की पॉच प्रतियाँ, सी०डी० जिसमें पूर्ण प्रकाशन से संबंधित सामग्री डाली गई हो, स्वीकृत राशि की अग्रिम प्राप्ति रसीद तथा प्रकाशन पर हुए व्यय की विवरणी जो संस्था के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित हो, की प्राप्ति के उपरांत होगी। साथ ही सहायता प्राप्त करने वाली एजेंसी अथवा संस्था द्वारा मूल्यांकन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची के अनुसार पुस्तकालयों/सरकारी विभागों अथवा संस्थाओं को एक-एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5. वित्तीय सहायता संबंधी समान्य अनुदेश

5.1 संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योग्यता

संस्थाओं को वित्तीय सहायता हेतु तभी योग्य समझा जायेगा यदि

(क) संस्था सोसाइटी निबंधन अधिनियम 1860 अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 अथवा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 अथवा अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकश्त हो अथवा विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान हो।

(ख) वे तीन वर्षों से कार्यरत हों। परन्तु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं पर यह शर्त लागु नहीं होगा।

(ग) उनके द्वारा (I) योजना आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/ राज्य सरकार (II) यू० जी० सी०, आई०सी०एस०एस०आर०, सी०एस०आई०आर०, (III) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं, विश्व बैंक, डी०एफ०आई०डी० (यू०के०) अथवा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा सौंपे गये किसी शोध/मूल्यांकन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो।

(घ) उनके पास शोध/मूल्यांकन कार्यों में दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता हो।

(च) उनके पास शोध/मूल्यांकन कार्यों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध हो।

5.2 संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अयोग्यता

किसी भी संस्था को एक समय में तीन से अधिक शोध/मूल्यांकन कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। संस्था जिन्हें शोध/ मूल्यांकन कार्य आतंटित किया गया है, को तब तक अगले वित्तीय

सहायता पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक उनके द्वारा उन्हें पूर्व आवंटित शोध/मूल्यांकन कार्य का अंतिम प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया हो ।

5.3 वित्तीय सहायता की अन्य शर्तें

1. योजना ससे प्राप्त वित्तीय सहायता से किसी प्रकार का पूंजीगत व्यय नहीं किया जा सकेगा ।
2. सौंपे गये कार्य अनुबंध में अंकित समय-सीमा के अन्दर पूरा किया जाना अनिवार्य होगा ।
3. कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा समय-सीमा के उपरान्त शोध प्रतिवेदन आदि समर्पित किये जाने पर

   अनुबंध में अंकित दण्ड- प्रावधाान के अनुसार कार्यवाई की जाएगी ।
4. कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा आवंटित कार्य में अपरिहार्य कारणों से हुए विलम्ब के कारण समय सीमा की अवधि विस्तारित की जाएगी बशर्ते कि एजेन्सी द्वारा यथोचित कारण-पश्च्छा समर्पित किया गया हो।
5. अध्ययन/शोध कार्य/आवंटित कार्य की लागत में बढ़ात्तरी के लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
6. शोध कार्य के दौरान सक्षम प्राधिकार द्वारा टी०ओ०आर० (टर्मस आफ रेफरेन्स) एवं अन्य शर्तों को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा ताकि शोध के विषय क्षेत्र अथवा आच्छादन में परिर्वतन किया जा सके। ऐसा अनुदानग्राही संस्था के साथ विमर्श उपरान्त अध्ययन के लागत अथवा अवधि में किसी प्रकार का परिर्वतन के बिना किया जा सकेगा।
7. सक्षम प्राधिकार द्वारा शोध, अध्ययन, सेमिनार, प्रकाशन की प्रगति अथवा उपलब्धि को संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में अनुदानग्राही संस्था को मिलने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी एवं कार्यान्वयन एजेन्सी से पूर्व में भुगतान की गई राशि वसूल कर ली जाएगी, यदि अनुदानग्राही संस्था द्वारा किये गये अनुबंध के शर्तों के अन्तर्गत यह आवश्यक हो।
8. प्रस्ताव के समर्पण, उसकी जाँच तथा स्वीकश्ति के संबंध में योजना एवं विकास विभाग द्वारा अलग से मार्गदर्शिका निर्गत की जाएगी।
9. मूल्यांकन निदेशालय द्वारा प्रथम किस्त जारी करने की तिथि शोध कार्य प्रारंभ करने की तिथि मानी जाएगी। इसी तिथि से शोध अध्ययन की अवधि/कार्य पूर्ण करने की अवधि निर्धारित की जा सकेगी। प्रगति प्रतिवेदन/प्रारूप प्रतिवेदन/अंतिम प्रतिवेदन की जांच में लगाया गया समय अध्ययन की अवधि में शामिल नहीं होगा।

5.4 संस्थाओं द्वारा समर्पित प्रस्ताव के साथ दिये जाने वाले दस्तावेज

सहायता प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को उपलब्ध कराना वांछनीय होगाः

(1) निबंधन प्रमाण पत्र (नवीकरण के मामले में नवीकरण प्रमाण पत्र)

(2) संस्था का उप नियम (बाई लॉ), (अद्यतन संशोधन सहित)

(3) संस्था की कार्यकारी अथवा प्रबंधन समिति के सदस्यों की अद्यतन सूची

(4) गत तीन वर्षों का संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

(5) विगत तीन वर्षों का आय-व्यय, प्राप्ति भुगतान से संबंधित लेखा का बैलेंस शीट की अंकेक्षित प्रति

(6) आयकर का पैन नं० तथा 12-ए में निबंधन संबंधी आयकर विभाग का प्रमाण पत्र अथवा आयकर प्राधिकार को इन दस्तावेजों के लिए भेजे गए अनुरोध पत्र की प्रति

(7) संस्था द्वारा किये गये मुख्य शोध कार्यों का सार

नोटः- प्रस्ताव के साथ समर्पित दस्तावेजों का प्रत्येक पृष्ठ संस्था प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित होनी चाहिए तथा उस पर संस्था का मुहर लगा होना चाहिए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– II-08 (मू०कार्य)/2010 - 484/ पटना, दिनांक 27.12.2011/ दिनांक- 10.04.2012

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, /माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव बिहार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार/मूल्यांकन निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/यूनिसेफ के वरीय परामर्शीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– II-08 (मू०कार्य)/2010 - 484/ पटना, दिनांक 27.12.2011/ दिनांक- 10.04.2012

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई-गजट में प्रकाशनार्थ सी०डी० एवं दो हार्ड कापी के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-
प्रधान सचिव

GOVT. OF BIHAR
WATER RESOURCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

S.O. No. - 21/Wad-8-01/2006- 276 Patna, Dated 13.7.2010

In exercise of the powers conferred by Article 162 of the constitution of India, the state Govt. of Bihar makes the following Rules, to provide jprovision for the settlement of canal chat/land of Water Resource Department for agricultural Pruposes.

The Bihar canal chat/land settlement Rules 2010

1. Short title, extent and commencement

(I) These Rules may be called “The Bihar Canal Chat/Land Settlement Rules 2010"

(II) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(III) It shall come in to force at once.

2. Procedure of Settlement

(A) The settlement of Canal Chat/Land will be made by a duly constituted commitee for a period of three years on a fixed rent, by adopting a method of lottery.

(B) The members of the lottery commitee will be as follows:

(I)	The concerned Executive Engineer	Chairman
(II)	The Circle officer/The B.D.O. Of the area	Member
(III)	The Mukhiya of the concerned Gram Panchayat	Member

(C) The lottery for the purpose of settlement will be opened on the prefixed date and place before the afoesaid commitee & the applicants present.

(D) The Executive Engineer of the area on an interval of 3 years, will publish a notice for the settlement of such Canal Chat/Land on his office Notice Board as well as on the Notice Board of the concerned Police Station/Office of the Circle Officer and the Office of the Sub-Divisional Magistrate, while also publishing the same in the local Hindi News paper latest by 15th April of that year. A copy of this notice will alos be sent to the local M.L.A. & the local M.P. separately through registered posts.

3. Persons eligible for Settlement

Following categories of persons, who are residents of the concerned village or neighbouring villages within a radius of three miles where Canal Chat/Land is to be settled, shall be eligible/competent to participate in the Lottery, starting in order of preference given below :

(a) Landless members of Scheduled castes/Scheduled tribes

(b) Landless members of other categories

(c) Such retired Soldier/widows or dependents of martyrs who are landless.

4. Other Requirements

(i) Any competent/eligible person/family to whom once the Canal Chat/Land has been settled, will not be entitled to participate in the lottery for the immediate next settlement, However, no such bar would be operative on subsequnt settlements.

(ii) For participating in settlement through lottery it shall be essential for the willing persons to deposit an amount of 10% of the pre-fixed rent as earnest-money, in the office of the concerned Executive Engineer/Sub-divisional Officer, Water Resource Department, latest by but not later than one day before the date of the lottery, Successful person (s) shall have to deposit 50% of total rent amount so fixed (including the earnest money) within 3 days of the lottery, and the rest 50% will be deposited within 15 days from the date of ottery. Failure to deposit such amount in time will lead to forfeiture of the earnest money. The earnest money shall be adjusted against the payable rent at the time of depositing the full rent rent amount. The earnest money of unsuccessful persons shall be refunded to them soon after the lottery.

(iii) A maximum upto 2 Acres of land shall be settled to any eligible person, In case of a dispute which can not be settled by the superintending Engineer/ Chief Engineer concerned, it will be decided at the level of the department.

(iv) If the land falls in the extremist infested zone and where there is a prior history of any incident in setting the lands, the concerned Chief Engineer, shall provide full details about it to the Department and arrangement for the settlement of land in the particular area will be made with the co-operation of the local P.S./Circle Officer/D.D.O./Sub-divisional Magistrate/District Magistrate.

5. Determination of leviable rent of Canal Chat/Land

Rate of rent for settlement of all Canal Chat/Land earmarked for settlement will be determined/revised worked out on the basis of annual increase of 5% over the base rates fixed by the department in the year 2007 vide notification no. 422 dated 29.06.2007.

6. Repeal

“Bihar Chat/Land Settlement Rules 2007" issued by Water Resources Department Notification No. 21/Wad-8-01/2006-426 dated 05.07.2007 shall be deemed to be repealed from the date of commencement of these Rules.

By the order of Governor of Bihar

Sd./-

(Ajay Nayak)

Principal Secretary to Government

Memo no. 21/wad-08.01.2006- 276/ Dated 13.07.2010

Copy to - Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna for publication in extra ordinary edition of the Bihar Gazette.

It is requested to supply 500 copies of the Gazette to the Water Resource Deptt. Bihar, Patna.

Sd./-

(Ajay Nayak)

Principal Secretary to Government

Memo no. 21/wad-08.01.2006- 276/ Dated 13.07.2010

Copy to- Pvt. Secretary to the Miniser, Water Resource Deptt. Bihar, Patna/ Accountant General, Bihar, Patna/ Principal Secretary, Cabinet Secretariat, Bihar, Patna/ Secretary, Law Deptt., Bihar, Patna/ Principal Secretary, Deptt. of Finance, Bihar , Patna/ Secretary to Principal Secretary, Water Resource Deptt. Bihar, Patna/ Special Secretary/All Joint Secretary/Director, Land Aquisition Deptt./ All Deputy Secretary/Under Secretary, Water Resource Deptt. Bihar, Patna/All Engineer -in-Chief/All Chief Engineer, Water Resource Deptt. Bihar/All Divisional Commissioner/ All District Magistrate for information and necessary action.

All Chief Engineer, Under Water Resource Deptt. is hereby directed to circulate the same in sub-ordinate offices under his jurisdiction.

Sd./-

(Ajay Nayak)

Principal Secretary to Government

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्र संख्या-1/पी.एम.सी./विविध/500/2001-भाग-1 629 / पटना, दिनांक-24.07.07

<u>अधिसूचना</u>

केन्द्रीय जल आयेग नई दिल्ली के पत्रांक 1/13/2006/ई०डब्लू०यू०/92-120, दिनांक-31.01.06 के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अधीन चल रहे सिंचाई परियोजनाओं के अधिकतम क्षमता को बढ़ाने एवं इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के निमित सिंचाई प्रणालीयों की बेंच मार्किग हेतु विभागीय पत्राक-991, दिनांक-23.09.06 द्वारा एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है जिसे निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है।

1. अभियंता प्रमुख (मध्य) - अध्यक्ष
2. निदेशक, वाल्मी - सदस्य
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफफ्रपुर - सदस्य
4. प्राध्यापक, जल संसाधन अभियंत्रण (वाल्मी) - सदस्य सचिव

2. यह कोर ग्रुप प्रत्येक परियोजना स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर जल संसाधन विभग की परियोजनाओं के लिये बेंच मार्क स्थापित करेगी साथ ही परियोजनाओं के बेंच मार्क

स्थापित करने एवं कार्यशाला का आयोजन करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग से पत्राचार एवं आवश्यक मार्ग निदेशन प्राप्त करेगा।

3. यह कोर ग्रुप प्रत्येक तीन माह में बैठक कर इस संदर्भ में किये गये कार्य की प्रगति से विभाग एवं केन्द्रीय जल आयोग को अवगत करायेगा।

4. इस कोर ग्रुप का गठन अगले पाँच वर्षों के लिये किया जाता है।

5. वर्किंग ग्रुप के गठन हेतु निदेश, वाल्मी को प्राधिकृत किया जाता है जिसमें एक कार्यपालक अभियंता, दो सहायक अभियंता एवं एक स्टोनों पूर्णकालिक रूप से कार्यरत होंगे।

6. निदेशक वाल्मी वर्किंग ग्रुप का शीघ्र गठन कर विभाग को सूचित करेंगे।

ह०/-
(श्याम नन्दन प्रसाद)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांकः 629 / पटना, दिनांक-24.07.2007

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख (मध्य) एवं (उत्तर), जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभियंता/ अधीक्षण् अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग/अपर सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (प्रबंधन) एवं सभी उप सचिव एवं अवर सचिव, जल संसाधन विभाग/जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-
(श्याम नन्दन प्रसाद)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांकः 629 / पटना, दिनांक-24.07.2007

प्रतिलिपिः- निदेशक, जल समुपयोजन मूल्यांकण निदेशालय, 425 (द), सेवा भवन, आर०के० पुरम, नई दिल्ली, फैक्स नं० 26101593 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(श्याम नन्दन प्रसाद)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्र संख्या-21/वाद-8-06/05-818

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

प्रेषक,

श्रीराम पाण्डेय,
उप सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना 1

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग।

पटना, दिनांक- 25.10.2005

विषयः- विभागीय जमीन/चाट को निर्धारित नए दर से बन्दोबस्ती नहीं करके पुरानी दर से बन्दोबस्ती करने के कारण हुई राजस्व की क्षति की वसूली दोषी पदाधिकारियों से करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि अभियंता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के हस्ताक्षर से निर्गत विभागीय पत्रांक-773, दिनांक-6.4.02 द्वारा विभागीय जमीन के बन्दोवस्ती के संबंध में निम्नांकित निर्णय संसूचित किया गया:-

(I) एक फसली जमीन के लिए न्यूनतम 800/-रु० प्रति एकड़ तथा दो फसली जमीन के लिए न्यूनतम 1000/-रु० प्रति एकड़ से कम पर बन्दोवस्ती नहीं होगी।

(II) क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि जो लोग अभी सरकारी जमीन पर फसल लगाए हुए हैं, वे उपयुकर्त दान भुगतान कर इस वर्ष कटाई कर लें तथा आगे से उपर्युक्त न्यूनतम राशि के आधार पर डाक द्वारा बन्दोबस्ती/नीलामी की जाय। यह ध्यान रखा जाए कि सरकारी संपत्ति की वन्दोवस्ती में सरकारी राजस्व की हानी नहीं होने पाये ।

सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को उक्त पत्र की प्रतिलिपि फैक्स द्वारा प्रेषित करते हुए यह भी निदेशित किया गया कि इस संबंध में आवश्यक सूचनाएँ अपने परिक्षेत्राधीन सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यालय अभियंता को भी दी जाय।

इस बीच विभाग के समक्ष यह मामला प्रकाश में आया है कि मुख्य अभियंता, डिहरी के परीक्षेत्राधीन वर्ष-02-03 एवं 03-04 में भूमिहीन किसानों को घाट की जमीन नए दर पर आवंटित नहीं करके पुराने दर पर आवंटित कर दिया गया तथा दो वर्षों के बाद नए दर के अंतर की राशि की वसूली कृषकों से करने की कार्रवाई शुरू की गयी। इसके विरूद्ध भूमिहीन किसान मंच डेहरी का अभ्यावेदन विभाग में प्राप्त हुआ। साथ ही मंच द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० ...../05 रिट याचिका भी दायर कर दी गयी।

किसान मंच डिहरी के उपर्युक्त अभ्यावेदन की सम्यक विभागीय समीक्षा की गयी और यह निर्णय लिया गया कि वन्दोवस्ती संबंधी नया दर सही है। किन्तु पुराने दर पर वन्दोवस्ती के वाद नए दर में अन्तर की राशि कृषकों से वसूल किया जाना न्यायोचित नहीं है। पुराने दर से चाट वन्दोवस्ती के कारण राजस्व क्षति के लिए संबंधित पदाधिकारी ही दोषि हैं जिन्हें चिन्हित करते हुए अंतर की राशि की वसूली दोषी पदाधिकारियों से ही किया जाय। विभागीय फैक्स पत्रांक-2138, दिनांक-31.8.05 द्वारा यह निर्णय सभी मुख्य अभियंता को संसूचित किया जा चुका है एवं तदनुसार ही उक्त सी०डब्लू०जे०सी० ...../05 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना

में सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र भी दायर किया जा चुका है। किन्तु दोषी पदाधिकारियों से अन्तर की राशि की वसूली संबंधी प्रतिवेदन किसी भी मुख्य अभियंता से अब तक अप्राप्त है। मुकदमें की सुनवाई के क्रम में किसी भी क्षण माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन तलब किया जा सकता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने परिक्षेत्राधीन पुराने दर से जमीन/चाट बन्दोवस्त करने वाले पदाधिकारियों को चिंहित करते हुए दोषी पदाधिकारियों से अंतर के राशि की वसूली अविलम्ब सूनिश्चित किया जाय तथा एक सप्ताह के अन्दर विस्तृत एवं सूस्पष्ट प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाये।

कृप्या इसे प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(श्रीराम पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञापांकः 818 / पटना, दिनांक- 25.10.2005

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, (उत्तर)/मध्य, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(श्रीराम पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

जल संसाधन विभाग, पटना